2 सुनन अबू दाऊद
0797-1700

سُنن ابُوداؤد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अ़शअ़स़ सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज
हाफ़िज़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

Bismillah Arrehman Nirrahim

बिस्मिल्लाहि
र्रहमान निर्रहिम

अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है

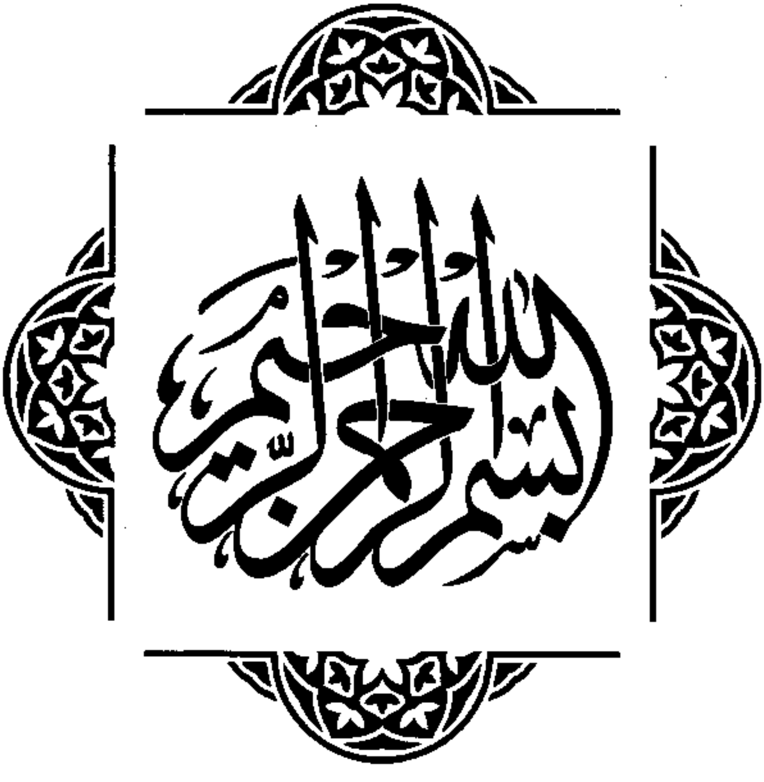

मिलने के पते

अलकिताब इन्टरनेशनल

जामिया नगर, नई दिल्ली 011-26986973

मकताबा तर्जुमान

4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 011-23273407

अल हिरा पब्लिकेशन,

423 उर्दू मार्केट, मटिया महल,
जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

मदरसा दारुल उलूम सलफिया

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)
70004-11352, 98273-97772

मोहम्मद अब्बास

903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-13602

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503
सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, 070148-98515
सीकर (राज.)

नईम कुरैशी

2 सी.एच.ए. 18 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, भट्टा बास
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82091-64214

मकतबा अस्सुन्नह

मुम्बई 08097-44448

दारुल इल्म

नागपाड़ा मुम्बई 022-23088989, 23082231

शैख़ सुहैल सल्फ़ी

मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 094519-15874

आई. आई. सी.

नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार,
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-17111

मकतबा अलफहीम

मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-2222013

नसीम खलीली

नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड
आगरा, (यू.पी.) 084497-10271

अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09414-920119

अब्दुर्रहीम मुतवल्ली,

मर्कजी जामा मस्जिद अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
93143-66303

سنن ابوداؤد

सुनन अबू दाऊद

तालीफ़

इमाम अबू दाऊद

सुलैमान बिन अशअस सजस्तानी

तहक़ीक़ व तख़रीज

हाफ़िज़ ज़ुबैर अली ज़ई

नज़रे सानी, तन्क़ीह

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़

ज़िल्द नम्बर

2

हदीस नं.797 से 1700 तक

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है।

इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	:	**सुनन अबू दाऊद, जिल्द-2**
तालिफ़	:	**इमाम अबू दाऊद सुलैमान बिन अ़शअ़स़ सजस्तानी**
हिन्दी तर्जुमा	:	**दारुत-तर्जुमा, शोबा नशरो इशाअ़त, जोधपुर**
तस्हीह व नज़रेसानी	:	**मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी, 63758-92334**
लेजर टाइपसेटिंग	:	**अब्दुल वाजिद, 99506-96917**
कवर डिज़ाईन	:	**कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट**
प्रिण्टिंग	:	**बेस्ट ऑफसेट**
मैनेजिंग डायरेक्टर	:	**अली हमजा, 82338-55587**
तादाद पेज	:	**660 पेज**
प्रकाशन	:	**रमजान 1440 हिजरी, इस्वी सन् मई, 2019**
ता'दाद	:	**1,100**
क़ीमत	:	**रुपए 550/-**

सोल डिस्ट्रीब्यूटर

पोपुलर बुक स्टोर, जोधपुर, 96641-59557

फ़ेहरिस्त-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा
नमाज़ के अहकामो-मसाइल	12
बाब: 127 नमाज़े ज़ोहर में क़िराअत का बयान	12
बाब: 128 आख़री दो रकअतों को हल्का रखने का बयान	14
बाब: 129 नमाज़े ज़ोहर और अस्र में क़िराअत की मिक़्दार (मात्रा)	16
बाब: 130 मग़रिब में क़िराअत की मिक़्दार (मात्रा)	18
बाब: 131 उन हज़रात की दलील जो मग़रिब में तख़्फ़ीफ़ के क़ाइल हैं	19
बाब: 132 दो रकअतों में एक ही सूरत का तकरार	20
बाब: 133 फ़ज्र में क़िराअत का बयान	21
बाब: 134 जो कोई अपनी नमाज़ में सूरह फ़ातिहा की क़िराअत छोड़ दे	21
बाब: 135 उन हज़रात के दलाइल जो सिर्री नमाज़ों में क़िराअत के क़ाइल हैं	28
बाब: 136	31
बाब: 137 अनपढ़ और अज्मी आदमी को किस क़द्र क़िराअत काफ़ी हो सकती है?	33
बाब: 138 नमाज़ में तकबीरात कहने का बयान	36
बाब: 139 (सज्दों के लिये झुकते हूए) घुटनों को हाथों से पहले क्यों कर रखे?	39
बाब: 140 ताक़ रकअत (पहली और तीसरी) से उठने का तरीक़ा	41
बाब: 141 दो सज्दों के दरम्यान इक़्आ करना (ऐड़ियों पर बैठना)	42
बाब: 142 रूकू से सर उठाये, तो क्या कहे?	43
बाब: 143 दो सज्दों के दरम्यान की दुआ	46
बाब: 144 औरतें जब इमाम के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ें, तो सज्दे से कब सर उठायें?	47
बाब: 145 रूकू के बाद के क़याम और सज्दों के दरम्यान के बैठने को लम्बा करने का बयान	48
बाब: 146 उस आदमी की नमाज़ जो रूकू और सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे?	50
बाब: 147 नबी (ﷺ) का फ़रमान : हर वह (फ़र्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूरा न किया हो, उसे उसके नवाफ़िल से पूरा किया जायेगा	58
बाब: 148 रूकू व सुजूद के अहकाम और हाथों का घुटनों पर रखना	60
बाब: 149 रूकू और सज्दे में आदमी क्या पढ़े?	61
बाब: 150 रूकू और सज्दे में दुआ करने का बयान	65
बाब: 151 नमाज़ में दुआ करना	68
बाब: 152 रूकू और सज्दे की मिक़्दार	72
बाब: 153 आदमी जब इमाम को सज्दे में पाये तो कैसे करे?	75
बाब: 154 सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का बयान	76
बाब: 155 सज्दे में नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखना	77
बाब: 156 सज्दा कैसे किया जाये?	78
बाब: 157 ज़रूरत के लिये इसमें रूख़्सत का बयान	80
बाब: 158 पहलूओं पर हाथ रखना और इक़्आ करना	81
बाब: 159 नमाज़ में रोना	81
बाब: 160 नमाज़ के दौरान में वस्वसे और ख़यालात की कराहत	82
बाब: 161 इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना	83
बाब: 162 इमाम को लुक़्मा देने की मुमानिअत का मसला	85

बाब: 163 नमाज़ में इधर उधर देखना	85
बाब: 164 नाक पर सज्दा करना	86
बाब: 165 नमाज़ में नज़र उठाने का मसला	87
बाब: 166 नमाज़ में इधर उधर देखने की रूख़्सत	89
बाब: 167 नमाज़ में अमल (हरकात वग़ैरह जो मुबाह हैं)	90
बाब: 168 नमाज़ के दौरान में सलाम का जवाब देना	93
बाब: 169 नमाज़ में छींक का जवाब देना	98
बाब: 170 इमाम के पीछे आमीन कहना	101
बाब: 171 नमाज़ में ताली बजाना	105
बाब: 172 नमाज़ में इशारा करना	108
बाब: 173 नमाज़ में कंकरियाँ छूना या दुरूस्त करना	109
बाब: 174 पहलूओं पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना	110
बाब: 175 नमाज़ में लाठी का सहारा लेना	111
बाब: 176 नमाज़ में गुफ़्तगू मना है	112
बाब: 177 जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े	113
बाब: 178 तशहहुद में बैठने की कैफ़ियत	116
बाब: 179 चौथी रकअत में तवर्रूक का बयान (यानी सुरीन पर बैठना)	119
बाब: 180 तशहहुद का बयान	122
बाब: 181 तशहहुद के बाद नबी (ﷺ) के लिये सलात (दरूद) का बयान	131
बाब: 182 तशहहुद के बाद क्या पढ़े?	136
बाब: 183 तशहहुद ख़ामोशी से पढ़ना	137
बाब: 184 तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा करना	138
बाब:185 नमाज़ में हाथ का सहारा लेने की कराहत	141
बाब: 186 दरम्यानी तशहहुद को मुख़्तसर रखना	142
बाब: 187 (इख़्तितामे नमाज़ पर) सलाम फेरने के अहकाम व मसाइल	143
बाब: 188 इमाम को सलाम का जवाब देना	147
बाब: 189 ... नमाज़ के बाद (बा'आवाज़े बलन्द) तकबीर कहना	147
बाब: 190 सलाम को लम्बा किये बग़ैर, कहना	148
बाब: 191 जब नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाये तो नमाज़ दोहराये	149
बाब: 192 जिस जगह आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े हों वहीं नफ़ल अदा करना कैसा है?	150
बाब: 193 सज्द–ए–सह्व के अहकाम व मसाइल	152
बाब: 194 जब पाँच रकअतें पढ़ जाये?	159
बाब: 195 जब दो या तीन रकआत में शक हो तो शक को छोड़ दे	162
बाब: 196 उन हज़रात की दलाइल जो कहते हैं कि ज़न्ने ग़ालिब पर बिना करे	165
बाब : 197 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि सलाम के बाद सज्दे करे	168
बाब : 198 जो शख़्स दो रकअतों के बाद खड़ा हो जाये और तशहहुद न पढ़े?	168
बाब : 199 जो शख़्स बेठे हूए तशहहुद पढ़ना भूल जाये?	170
बाब : 200 सुजूदे सह्व में तशहहूद और सलाम का बयान	172
बाब : 201 नमाज़ के बाद औरतें मर्दों से पहले वापस हों	173
बाब : 202 नमाज़ के बाद किस तरफ अपना रूख़ फ़ेरे?	173
बाब : 203 घर में नफ़ल पढ़ने का बयान	174
बाब : 204 जो शख़्स क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ ले और उसे बाद में इल्म हो	176
जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल	177
बाब : 205 जुमे के दिन और उसकी रात की फ़ज़ीलत	177

बाब : 206 क़बूलियत की घड़ी जुमा के रोज़ किस वक़्त है?	180
बाब : 207 जुमे की फ़ज़ीलत का बयान	181
बाब : 208 जुमा छोड़ देने की वईद	183
बाब : 209 जुमा छोड़ने का कफ़्फ़ारा	184
बाब : 210 जुमा किस पर वाजिब है?	185
बाब : 211 बारिश वाले दिन जुमा	186
बाब : 212 सर्दी या बारिश की रात में जमाअत से पीछे रहना?	187
बाब : 213 गुलाम और औरत के लिये जुमा	191
बाब : 214 बस्तियों में जुमा क़ाइम करना	192
बाब : 215 ईद और जुमा इकट्ठे आ जायें तो?	194
बाब : 216 जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ में क़िराअत?	196
बाब : 217 जुमा के लिये ख़ास लिबास का एहतिमाम	197
बाब : 218 जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले हल्क़ा बना के बैठना मना है	199
बाब : 219 (ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर इस्तेमाल करना	200
बाब : 220 मिम्बरे नबवी की जगह	202
बाब : 221जुमा के रोज़ ज़वाल से पहले नमाज़	202
बाब : 222 जुमा पढ़ने का वक़्त	203
बाब : 223 जुमा के रोज़ अज़ान	204
बाब:224 इमाम ख़ुत्बे के दौरान में किसी से बात करे	207
बाब : 225 मिम्बर पर आने के बाद बैठ जाना	208
बाब : 226 खड़े होकर ख़ुत्बा देना	208
बाब :227 ख़तीब का ख़ुत्बे में कमान से सहारा लेना	210
बाब : 228 (दौराने ख़ुत्बा) मिम्बर पर हाथ उठाना	215
बाब : 229 ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए	216
बाब : 230 वाज़ व ख़ुत्बा में इमाम के क़रीब होना	217
बाब : 231 इमाम किसी ज़रूरत के बाइस ख़ुत्बे का तसलसुल तोड़ दे, तो जायज़ है	218
बाब : 232ख़ुत्बे के दौरान में इहतिबा (मना है)	219
बाब : 233 ख़ुत्बे के दौरान में बातचीत	220
बाब : 234 जिस का वुज़ू टूट जाये वह इमाम को किस तरह ख़बर देकर जाये	222
बाब : 235 जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो	222
बाब : 236 जुमा के रोज़ (ख़ुत्बा के बीच में) लोगों की गर्दनें फलाँगना मना है	224
बाब : 237 ख़ुत्बे के दौरान में किसी को ऊँघ आने लगे तो ...?	225
बाब : 238 मिम्बर से उतरने के बाद इमाम किसी से कोई बात करे	225
बाब : 239 जिस शख़्स को जुमे की एक रकअत मिल जाये	226
बाब : 240 नमाज़े जुमा में क़िराअत	227
बाब : 241 इमाम और मुक़तदी के दरम्यान दीवार हाइल हो तो इक़्तेदा का हुक्म?	228
बाब : 242 जुमे के बाद नमाज़ का बयान	229
बाब : 243 नमाज़े ईदैन के अहकाम व मसाइल	233
बाब : 244 ईद के लिये जाने का वक़्त	234
बाब : 245 औरतों का ईद के लिये जाना	234
बाब : 246 ईद के रोज़ ख़ुत्बा	237
बाब : 247 ख़ुत्बे में कमान का सहारा लेना	240
बाब : 248 ईद में अज़ान नहीं	240
बाब : 249 नमाज़े ईदैन में तकबीरात का बयान	242
बाब : 250 ईदैन में क़िराअत	244
बाब : 251 ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठना	245
बाब : 252 ईदगाह के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना	246

बाब : 253 अगर ईद के रोज़ ईद न पढ़ी जा सके तो इमाम अगले दिन पढ़ाए	246
बाब : 254 नमाज़े ईद के बाद नमाज़ पढ़ना?	247
बाब : 255 बारिश की वजह से मस्जिद में ईद पढ़ना	248
नमाज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल	**249**
बाब: 1 नमाज़े इस्तिस्क़ा और इसके ज़िम्नी मसाइल	250
बाब: 2 इस्तिस्क़ा में किस वक़्त अपनी चादर पलटी जाये	253
बाब: 3 इस्तिस्क़ा में हाथ उठा कर दुआ माँगना	254
नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के अहकाम व मसाइल	**260**
बाब: 1 नमाज़े कुसूफ़ का बयान	261
बाब: 2 नमाज़े कुसूफ़ में चार रूकू करने का बयान	263
बाब: 3 नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत का बयान	270
बाब: 4 नमाज़े कुसूफ़ के लिए ऐलान	271
बाब: 5 सूरज ग्रहण के मौक़े पर सदक़ा करना	272
बाब: 6 इस मौक़े पर गुलाम आज़ाद करना	272
बाब: 7 उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि (कुसूफ़ में मारूफ़ नमाज़ की तरह) दो रकअतें पढ़े	273
बाब: 8 तारीकी छा जाने या इस तरह के दीगर हवादिस़ के मौक़े पर नमाज़ पढ़ना	275
बाब: 9 जब कोई बड़ा वाक़िया या हादसा पेश आये तो सज्दा करना चाहिए	276
नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल	**277**
बाब: 1 मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान	278
बाब: 2 मुसाफ़िर कब क़स्र करे?	280
बाब: 3 सफ़र में नमाज़ के लिये अज़ान कहना	281
बाब: 4 मुसाफ़िर को नमाज़ के वक़्त में शक हो और वह (इमाम के साथ) नमाज़ पढ़ ले तो?	282
बाब: 5 दो नमाज़ों को जमा करने का बयान	283
बाब: 6 सफ़र में नमाज़ की क़िराअत मुख़्तसर करना	292
बाब: 7 सफ़र में नवाफ़िल पढ़ना	292
बाब: 8 सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ना	294
बाब: 9 उज़्र की वजह से सवारी पर फ़र्ज़ पढ़ना	295
बाब: 10 मुसाफ़िर कितने दिन तक क़स्र करे?	296
बाब: 11 दुश्मन के इलाक़े में ठहरे, तो क़स्र करे	299
बाब: 12 नमाज़े ख़ौफ़ के अहकाम व मसाइल	300
बाब: 13 (नमाज़े ख़ौफ़ की एक और कैफ़ियत) एक सफ़ इमाम के साथ हो और दूसरी दुश्मन के सामने	303
बाब: 14 (एक और कैफ़ियत) इमाम (दोनों गिरोहों को एक) एक रकअत पढ़ाये	304
बाब: 15 (एक और कैफ़ियत) सब इकट्ठे तकबीरे (तहरीमा) कहें	306
बाब: 16 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और हर सफ़ (गिरोह) के लोग अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें	310
बाब: 17 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग उसके पीछे हों वह खड़े होकर अपनी (दूसरी) रकअत पढ़ लें, फिर दूसरे लोग उनकी जगह पर आ जायें और अपनी एक रकअत पढ़ लें	311
बाब: 18 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक रकअत पढ़ाये और वह (बाद में ख़ुद) कोई अदायगी न करें	313
बाब: 19 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को दो दो रकअतें पढ़ाये	314
बाब: 20 दुश्मन को ढूँढने निकले तो नमाज़ किस तरह पढ़े? (यानी अगर अन्देशा हो कि नमाज़ पढ़ने के लिए रूक गये तो दुश्मन झाँसा दे जायेगा या कोई और मुश्किल पेश आ जायेगी तो इस सूरत में कैसे करे?)	316
नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकाम व मसाइल	**318**

बाब : 1 नवाफ़िल और सुन्नतों की रकअतों के अहकाम व मसाइल	
बाब: 2 फ़ज्र की सुन्नतों का बयान	320
बाब: 3 फ़ज्र की सुन्नतें हल्की पढ़ने का बयान	321
बाब: 4 फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट जाना	324
बाब: 5 जिसने फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और जमाअत हो रही हो?	326
बाब: 6 फ़ज्र की सुन्नतें रह जायें तो कब अदा करे?	328
बाब : 7 ज़ोहर से पहले और बाद चार चार सुन्नतें	329
बाब: 8 अस्र से पहले नमाज़	330
बाब: 9 अस्र के बाद नमाज़	331
बाब : 10 उन हज़रात की दलील जो अस्र के बाद नमाज़ की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि सूरज ऊँचा हो	333
बाब : 11 नमाज़े मग़रिब से पहले नफ़्ल	337
बाब : 12 नमाज़े चाश्त के अहकाम व मसाइल	340
बाब : 13 दिन के नवाफ़िल (किस तरह पढ़े जायें)	345
बाब : 14 नमाज़े तस्बीह के अहकाम व मसाइल	346
बाब : 15 मग़रिब की सुन्नतें कहाँ पढ़ी जायें?	350
बाब : 16 इशा के बाद नमाज़	351
क़यामुल लैल या नमाज़े तहज्जुद और तरावीह के अहकाम व मसाइल	352
क़यामे रमज़ान यानी नमाज़े तरावीह	353
बाब : 17 नमाज़े तहज्जुद में आसानी का ज़िक्र और ये कि उसका वाजिब होना मन्सूख़ है	355
बाब : 18 रात के क़याम का बयान	356
बाब: ... नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो ...	359
बाब: 19 जो शख़्स अपने मअमूल के वज़ीफ़े से सो जाये	361
बाब: 20 जिसने रात को उठने की नियत की मगर उठ न सका हो	362
बाब: 21 रात का कौन सा हिस्सा (इबादत के लिए) अफ़ज़ल है?	362
बाब: 22 नबी (ﷺ) रात को किस वक़्त उठते थे?	363
बाब: 23 तहज्जुद शुरू करते वक़्त पहले दो रकअतें पढ़ना	366
बाब: 24 रात की नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़ना	368
बाब: 25 रात की नमाज़ में क़िराअत जहरी करना	368
बाब: 26 रात की नमाज़ (तहज्जुद) का बयान	373
बाब: 27 नमाज़ (और दीगर इबादात) में म्याना रवी इख़्तियार करने का हुक्म	396
माहे रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल	398
बाब: 1 रमज़ान में क़यामुल लैल के अहकामो-मसाइल	398
बाब: 2 लैलतुल क़द्र के अहकाम व मसाइल	403
बाब: 3 इक्कीसवीं रात के लैलतुल क़द्र होने की दलील	407
बाब: 4 सतरहवीं रात के लैलतुल क़द्र होने की रिवायत	408
बाब: 5 आख़री सात रातों में लैलतुल क़द्र का होना	409
बाब: 6 सत्ताईसवीं रात के लैलतुल क़द्र होने का बयान	409
बाब: 7 पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र होने का बयान	410
क़िराअते क़ुर्आन, इसके जुज़ मुक़र्रर करने और तरतील से पढ़ने के मसाइल	411
बाब: 8 क़ुर्आन करीम कम से कम कितने दिनों में ख़त्म किया जाये?	411
बाब: 9 क़ुर्आन मजीद के पारे और हिस्से करना	414
बाब: 10 आयतों का शुमार करना	421
सज्द-ए-तिलावत के अहकामो मसाइल	422

सुजूदे क़ुर्आन के अहकामो-मसाइल	424
बाब: 1 सुजूदे तिलावत का बयान और ये कि क़ुर्आन मजीद में कितने सज्दे हैं?	424
बाब: 2 उन हज़रात की दलील जो मुफ़स्सल (आख़री मंज़िल) में सज्दे के क़ायल नहीं	425
बाब: 3 आख़री मंज़िल में सज्द-ए-तिलावत के क़ायेलीन का सबूत	426
बाब: 4 सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) और (इक़रा) में सज्द-ए-तिलावत का बयान	427
बाब: 5 सूरह सॉद में सज्द-ए-तिलावत का बयान	428
बाब: 6 जब कोई सज्दे की आयत सुने और सवारी पर हो या नमाज़ में न हो तो ...?	429
बाब: 7 सज्द-ए-तिलावत की दुआ	431
बाब: 8 जो शख़्स सुबह के बाद आयाते सुजूद की तिलावत करे	433
वित्र के अहकाम व मसाइल	434
बाब : 1 वित्र के इस्तेहबाब का बयान	434
बाब: 2 जो शख़्स वित्र न पढ़े?	435
बाब: 3 वित्र में कितनी रकआत हैं?	437
बाब: 4 नमाज़े वित्र में क़िराअत	438
बाब: 5 नमाज़े वित्र में दुआए क़ुनूत का बयान	439
बाब: 6 वित्रों के बाद की दुआ	445
बाब: 7 सोने से पहले वित्र पढ़ना	446
बाब: 8 नमाज़े वित्र का वक़्त	448
बाब: 9 वित्र तोड़ने का मसला	450
बाब: 10 आम नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ना	451
बाब: 11 घर में नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत	454
बाब: 12 लम्बे क़याम की फ़ज़ीलत	455
बाब: 13 क़यामुल लैल की तरग़ीब	456
बाब: 14 क़ुर्आन पढ़ने का सवाब	457
बाब: 15 सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत	460
बाब: 16 उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि फ़ातिहा लम्बी सूरतों में से है	462
बाब: 17 आयतलकुर्सी की फ़ज़ीलत	463
बाब: 18 सूरह इख़्लास की फ़ज़ीलत	464
बाब: 19 मुअव्विज़तैन की फ़ज़ीलत	464
बाब: 20 क़िराअत की तरतील का इस्तेहबाब	466
बाब: 21 क़ुर्आन याद करके भुला देने की मज़म्मत	470
बाब: 22 क़ुर्आन मजीद सात हुरूफ़ पर उतारा गया है	471
बाब: 23 (आदाबे) दुआ	474
बाब: 24 (शुमार की ग़र्ज़ से) कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना	485
बाब: 25 आदमी सलाम फ़ेरने के बाद कौनसे अज़कार बजा लाये	489
बाब: 26 इस्तेग़फ़ार का बयान	496
बाब: 27 अपने माल और औलाद को बद दुआ करना मना है	507
बाब: 28 नबी (ﷺ) के अलावा दूसरों के लिए सलात	508
बाब: 29 ग़ायबाना दुआ की फ़ज़ीलत	509
बाब: 30 इंसान को अगर किसी से कोई ख़ौफ़ हो तो कौनसी दुआ करे?	510
बाब: 31 इस्तिख़ारे के अहकाम व मसाइल	511
बाब: 32 तअव्वुज़ात का बयान	513
ज़कात की अहमियत व फ़ज़ीलत	524
ज़कात के अहकाम व मसाइल	524
बाब: 1 ज़कात वाजिब होने का बयान	528
बाब: 2 किन चीज़ों में ज़कात वाजिब है?	532
बाब: 3 क्या सामाने तिजारत में ज़कात है?	538
बाब: 4 कन्ज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात की ज़कात का मसला	539

बाब: 5 जंगल में चरने वाले जानवरों की ज़कात	542
बाब: 6 तहसीलदारे ज़कात को राज़ी करने का बयान	572
बाब: 7 आमिल का ज़कात देने वालों को दुआ देना	574
बाब: 8 ऊँटों के दाँतों (उनकी उमरों) की तफ़्सील	575
बाब: 9 मालों की ज़कात कहाँ वसूल की जाये	577
बाब: 10 कोई अपनी ज़कात (सदक़े में दिया हूआ माल) क़ीमतन ख़रीदना चाहे?	578
बाब: 11 गुलामों की ज़कात	579
बाब: 12 खेती की ज़कात	580
बाब: 13 शहद की ज़कात	583
बाब: 14 दरख़्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा लगाना	585
बाब: 15 दरख़्तों पर फलों का अन्दाज़ा लगाना	586
बाब: 16 खजूरों का अन्दाज़ा कब लगाया जाये?	587
बाब: 17 सदक़े और ज़कात में रद्दी क़िस्म का फल देना नाजायज़ है	588
बाब: 18 ज़काते फ़ित्र के अहकाम व मसाइल	589
बाब: 19 सदक़—ए—फ़ित्र कब दिया जाये?	591
बाब: 20 फ़ित्राने की मिक़दार	591
बाब: 21 उन हज़रात की दलील जो गन्दुम का आधा साअ़ बयान करते हैं	596
बाब: 22 ज़कात जल्दी देना	603
बाब: 23 क्या एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में मुन्तक़िल की जा सकती है?	604
बाब: 24 सदक़ा किसे दिया जाये? और ग़नी होने की हद किया है?	605
बाब: 25 उन लोगों का बयान जिन्हें ग़नी होते हूए भी सदक़ा लेना जायज़ है।	614
बाब: 26 एक आदमी को ज़कात से किस क़द्र दिया जाये?	616
बाब: 27 किस सूरत में सवाल करना जायज़ नहीं?	617
बाब: 28 माँगने और सवाल करने की बुराई	621
बाब: 29 सवाल से बचने की फ़ज़ीलत	623
बाब: 30 बनी हाशिम को सदक़ा लेना देना कैसा है?	628
बाब: 31 फ़क़ीर सदक़े के माल में से ग़नी को हदिया दे तो जायज़ है	631
बाब: 32 किसी ने सदक़ा दिया फिर उसका वारिस बन गया (तो ले ले, जायज़ है)	632
बाब: 33 माल के हुक़ूक़ का बयान	632
बाब: 34 साइल का हक़	638
बाब: 35 ज़िम्मियों को सदक़ा देना	639
बाब: 36 वह चीज़ें जिनका रोकना जायज़ नहीं	640
बाब: 37 मसाजिद में सवाल करना ...?	641
बाब: 38 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल' के चेहरे का वास्ता देकर सवाल करना ना पसंदीदा है	642
बाब: 39 जो शख़्स अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नाम पर सवाल करे, उसको देना चाहिए	643
बाब: 40 अगर कोई अपना सारा ही माल सदक़ा करना चाहे?	644
बाब: 41 सारा माल सदक़ा कर देने की रूख़्सत	646
बाब: 42 पानी पिलाने की फ़ज़ीलत	648
बाब: 43 दूध के लिये जानवर हदिया करने की फ़ज़ीलत	649
बाब: 44 ख़ज़ांची का सवाब	651
बाब: 45 बीवी का सवाब, जो अपने शौहर के घर से सदक़ा दे	651
बाब: 46 रिश्ते नाते वालों के साथ मेल जोल और हुस्ने सुलूक	654
बाब: 47 हिर्स (लालच) व बुख़्ल की मज़म्मत (निंदा)	659

बाब : 127
नमाज़े ज़ोहर में क़िराअत का बयान

﴿127﴾ باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ .

(797) जनाब अ़ता बिन अबी रबाह से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नमाज़ में क़िराअत की जाती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो हमें सुनाया, हम तुम्हें सुनवाते हैं और आपने जो हमसे मख़्फ़ी रखा हम तुमसे मख़्फ़ी रखते हैं।'

(797) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 772, व सही मुस्लिम: 396.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि जो क़िराअत ज़हरी थी हम ज़हरी करते हैं और जो सिर्री थी हम भी सिर्री करते हैं। **(2)** उम्मत का इज्मा है कि फ़ज्र, मग़रिब, इशा (पहली दो रकअ़तें), जुमा, ईद और इस्तेस्क़ा में क़िराअत ज़हरी होती है। और ज़ोहर, अ़स्र और मग़रिब की तीसरी और इशा की आख़री दोनों रकअ़तों में सिर्री। **(3)** सहाबा किराम (ﷺ) उम्मत का वह पहला अ़ज़ीम तब्क़ा है जिसने दीन को रसूलुल्लाह (ﷺ) से हासिल किया और उनसे बाद के लोगों ने उनसे हासिल किया।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ

(798) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें नमाज़ पढ़ाते तो ज़ोहर और अ़स्र की पहली दो रकअ़तों में फ़ातिहा और दो सूरतें पढ़ते। आप बाज़ औक़ात हमें कोई आयत सुनवा भी दिया करते थे, आप ज़ोहर की पहली रकअ़त को तवील करते और दूसरी को मुख़्तसर, और ऐसे ही फ़ज्र में होता।

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया: शैख़ मुसद्दद ने फ़ातिहा और सूरत का ज़िक्र नहीं किया।

يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً .

(798) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 762, व स़ही मुस्लिम: 451.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

(799) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा ने अपने वालिद से इस ऊपर दी गई हदीस़ का कुछ हिस्सा बयान किया और इज़ाफ़ा किया कि आख़री दो रकअ़तों में फ़ातिहा पढ़ते। (यज़ीद बिन हारून ने) हम्माम से ये मज़ीद बयान किया कि आप पहली रकअ़त इस क़द्र लम्बी करते कि दूसरी इतनी लम्बी न करते और ऐसे ही अ़स्र और फ़ज्र में भी।

(799) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 776, व स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : ये हदीस़ दलील है कि नमाज़ की हर रकअ़त में फ़ातिहा पढ़ी जाये। (फ़तहुलबारी)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى .

(800) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़तादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) (ﷺ) से बयान करते हैं कि हमने (नबी (ﷺ) के मामूल से) ये समझा, आप चाहते थे कि लोग पहली रकअ़त पा लें।

(800) **तख़रीज** : मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 2675, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ

(801) जनाब अबू मामर से रिवायत है, वह कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ब्बाब (ﷺ) से पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोहर और अ़स्र में क़िराअत फ़रमाया करते थे? उन्होंने कहा: हाँ। हमने कहा: आपको कैसे मालूम

وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ . قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

होता था? उन्होंने कहा: आपकी दाढ़ी के हिलने से।

(801) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 746.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ .

(802) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा(ﷺ) से रिवायत है कि नबी(ﷺ) ज़ोहर की नमाज़ की पहली रकअ़त में इतनी देर तक खड़े रहते कि क़दमों की आवाज़े न सुनते थे।

(802) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** मुसनद अहमद: 4/356, बैहक़ी: 2/66.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ोहर और अस्र की आख़री रकअ़तों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पर किफ़ायत करना और मज़ीद पढ़ना भी दुरूस्त है जैसे कि आगे आ रहा है। देखिये (हदीस: 804) (2) सिर्री नमाज़ में इमाम के लिये मुस्तहब है कि अपनी क़िराअत में से कभी कोई आयत क़द्रे ऊँची आवाज़ से पढ़ दिया करे। (3) पहली रकअ़त को दूसरी की निस्बत क़द्रे लम्बा करना मुस्तहब है। (4) इमाम अगर इस नियत से क़िराअत को तूल (लम्बी) दे कि लोग रकअ़त में मिल जायें तो ये मुबाह है। (5) सिर्री क़िराअत में ज़रूरी है कि अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा हों, न कि होंट बलन्द करके अल्फ़ाज़ पर तफ़क्कुर करना, क्योंकि नबी (ﷺ) की दाढ़ी मुबारक क़िराअत के बीच में हरकत करती थी। (6) मालूम हूआ कि आपकी दाढ़ी मुबारक इस क़द्र लम्बी थी कि क़िराअत करने से उसमें हरकत होती थी।

(128) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

बाब : 128 आख़री दो रकअ़तों को हल्का रखने का बयान

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ .

(803) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) का बयान है कि हज़रत उ़मर (ﷺ) ने हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ (ﷺ) (अमीरे कूफ़ा) से कहा कि लोगों ने आपकी हर बात में शिकायत की है, यहाँ तक कि नमाज़ के

قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

बारे में भी, तो उन्होंने कहा: मैं तो पहली दो रकअतों को लम्बा और पिछली दो को मुख़्तसर करता हूँ और रसूलुल्लाह(ﷺ) वाली नमाज़ की पैरवी करने में कोई तक़सीर (कोताही) नहीं करता। हज़रत उमर(رضی اللہ عنہ) ने कहा: आपके मुताल्लिक़ यही गुमान है।

(803) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 770, व सही मुस्लिम: 453.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम बुख़ारी (रह.) का इस हदीस से इस्तेदलाल ये है कि नमाज़ की हर हर रकअत में क़िराअत वाजिब है। देखिये: (हदीस: 755) **(2)** इससे पिछले दो रकअतों में, पहली दो रकअतों के मुक़ाबले में, हल्का करना साबित होता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي النُّفَيْلِيَّ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً قَدْرَ { الم * تَنْزِيلُ } السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ

(804) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि हमने ज़ोहर और अस्र की नमाज़ों में रसूल (ﷺ) के क़याम का अन्दाज़ा लगाया तो वह ये था कि आप ज़ोहर की पहली दो रकअतों में सूरह, सज्दा की तक़रीबन तीस आयात के बराबर क़याम फ़रमाते। और हमने आख़री दो रकअतों में आपके क़याम का अन्दाज़ा उनके निस्फ़ के बराबर किया। और हमने अस्र की पहली दो रकअतों में आपके क़याम का अन्दाज़ा लगाया तो ये ज़ोहर की पिछली दो रकअतों के बराबर था। और अस्र की पिछली दो रकअतों में आपके क़याम का अन्दाज़ा उनके भी निस्फ़ बराबर का था।

(804) तख़रीज : सही मुस्लिम: 452

फ़ायदा : मालूम हूआ कि ज़ोहर और अस्र की नमाज़ों में चारों रकआत में क़िराअत है। यानी सूरह फ़ातिहा के साथ कोई सूरत भी पढ़ी जा सकती है। ताहम अफ़ज़ल ये है कि पिछली रकआत हल्की और मुख़्तसर हों।

«129» باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ} وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى { وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ إِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ . قَالَ ابْنُ عِيسَى لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ مُعْتَمِرٌ.

बाब : 129
नमाज़े ज़ोहर और अस्र में क़िराअत की मिक़्दार (मात्रा)

(805) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोहर और अस्र में सूरह (वस्समाइ वत्तारिक़) और (वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) और इनकी मिस्ल सूरतें पढ़ा करते थे।

(805) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 207, नसाई, हदीस: 980, इब्ने हिब्बान, हदीस: 465.

(806) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढल जाता तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते और सूरह (वल्लैलि इज़ा यग़शा) जैसी सूरतें पढ़ते थे। अस्र और बाक़ी नमाज़ों में भी ऐसे ही क़िराअत होती थी, सिवाए सुबह के। इसमें आप लम्बी क़िराअत किया करते थे।

(806) तख़रीज : सही मुस्लिम: 459.

(807) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने नमाज़े ज़ोहर में सज्दा (तिलावत) किया, फिर खड़े हो गये फिर रूकू किया, तो हमें मालूम हूआ कि आपने सूरह सज्दा तिलावत की थी। इब्ने ईसा कहते हैं उमैया का ज़िक्र सिर्फ़ मोतमिर ही ने किया है।

(807) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/83, हाकिम: 1/221.

नोट ह.न. (807): हदीस ज़ईफ़ है। इसलिए ये वाक़िया तो सही नहीं। ताहम ये वाज़ेह है कि अगर नमाज़ में सज्द–ए–तिलावत वाली आयत पढ़ी जाये, तो सज्द–ए–तिलावत करना बेहतर होगा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لاَ لاَ . فَقِيلَ لَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ . فَقَالَ خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَىْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ .

(808) जनाब अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि मैं बनी हाशिम के चंद जवानों की मईयत (साथ) में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के यहाँ गया। हमने अपने एक साथी से कहा कि इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछो कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोहर और अस्र में क़िराअत करते थे? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। उन्हें कहा गया। शायद आप अपने दिल में पढ़ते थे। कहा: तेरा भला हो! ये सूरत पहली से भी बदतर है। आप (ﷺ) (अल्लाह के) मामूर बंदे थे। आप को जिस चीज़ के साथ भेजा गया आपने उसे पहुँचा दिया। आपने हमें लोगों से अलग किसी चीज़ के साथ ख़ास नहीं किया। सिवाए तीन बातों के। ये कि वुज़ू कामिल करें। सदक़ा न खायें और गधे को घोड़ी से जुफ़्ती न करायें।

(808) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1701, इब्ने माजा, हदीस: 426, नसाई, हदीस: 141, इब्ने अल मुन्ज़िर अल औसत: 3/109.

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لاَ .

(809) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: मुझे नहीं मालूम कि आया रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोहर और अस्र में क़िराअत करते थे या नहीं।

(809) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/249, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ोहर और अस्र में क़िराअत के मसले में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायात मुख़्तलिफ़ हैं। किसी में इंकार है और किसी में तरद्दुद और जबकि कुछ में इस्बात भी मरवी है। शायद उन्हें पहले इल्म न था, फिर बाद में दीगर सहाबा से इल्म हूआ। बहरहाल सही रिवायत में

साबित है कि नबी (ﷺ) ज़ोहर और अस्र में क़िराअत फ़रमाया करते थे। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 746) **(2)** अहले बैत को किसी ख़ास हुक्म ओर वसीयत से मख़्सुस नहीं किया गया था। ऊपर दिये गये मसाइल महज़ ताकीदे मज़ीद के मानी में हैं। सिर्फ़ सदक़ा के न खाने में उन्हें इन्फ़रादियत है। **(3)** गधे और घोड़ी की जुफ़्ती हमें ख़ूद कराना ममनूअ है। इनमें ये अमल अज़ खूद हो जाये या कोई जाहिल लोग करें तो हमें उनसे पैदा होने वाले ख़च्चर से फ़ायदा उठाना बिल्कुल जायज़ है।

﴾130﴿ بَاب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

बाब : 130 मग़रिब में क़िराअत की मिक़्दार (मात्रा)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ وَهُوَ، يَقْرَأُ { وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا } فَقَالَتْ يَا بُنَىَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ

(810) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है कि (उनकी वालिदा) उम्मे अलफ़ज़ल बिन्ते अलहारिस ने उनको सुना कि वह सूरह (वलमुरसलाति उर्फ़ा) की तिलावत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा: बेटे! तुमने इस सूरत की क़िराअत से मुझे याद दिलाया है कि ये आख़री चीज़ थी जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी। आप इसे मग़रिब में पढ़ रहे थे।

(810) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 763, मौता: 1/78, व सही मुस्लिम: 462.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ .

(811) जनाब मुहम्मद बिन जुबैर बिन मुतइम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना, आप मग़रिब (की नमाज़) में सूरह 'वत्तूर' की क़िराअत कर रहे थे।

(811) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 765, मौता, हदीस: 1/78, व सही मुस्लिम: 463.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ

(812) मरवान बिन हकम से रिवायत है उन्होंने कहा कि हज़रत ज़ैद बिन साबित (رضي الله عنه) ने मुझसे कहा क्या वजह है कि तुम

عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ الأَعْرَافُ وَالأُخْرَى الأَنْعَامُ . قَالَ وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالأَعْرَافُ .

मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल (आख़री छोटी सूरतें ही) पढ़ते हो हालांकि मैंने रसूल (ﷺ) को सुना है कि आप मग़रिब में दो लम्बी लम्बी सूरतों में से लम्बी सूरत पढ़ते थे। (इब्ने अबी मुलैका ने) कहा: दो लम्बी सूरतें कौन सी हैं? कहा आराफ़ और अनआम।

और मैं (इब्ने जुरैज) ने इब्ने अबी मुलैका से पूछा तो मुझे उन्होंने अपनी तरफ़ से कहा कि मायदा और आराफ़।

(812) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 764, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 2691.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस से साबित होता है कि नबी (ﷺ) ने मुख़्तलिफ़ मौक़ो पर लम्बी क़िराअत भी की है। इमाम को अपने मुक़तदियों का ख़्याल रखते हुए क़िराअत इख़्तियार करनी चाहिए। **(2)** सूरह हुजुरात से आख़िर कुर्आन तक की सूरतों को 'मुफ़स्सल' से ताबीर किया जाता है, इसलिए कि इनमें (बिस्मिल्लाह) से फ़सल का तकरार है। सूरह (लम यकुन) से आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल, सूरह बुरूज से (लम यकुन) तक औसत मुफ़स्सल और सूरह हुजुरात से बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल कहलाती हैं।

﴾131﴿ بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

बाब : 131
उन हज़रात की दलील जो मग़रिब में तख़फ़ीफ़ के क़ाइल हैं

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ { وَالْعَادِيَاتِ } وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ وَهَذَا أَصَحُّ .

(813) जनाब हिशाम बिन उर्वा का बयान है कि इनके वालिद (उर्वा बिन ज़ुबैर) मग़रिब में इस तरह की सूरतें पढ़ते थे जैसी तुम लोग पढ़ते हो यानी, वल आदियात' वग़ैरह।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा ये दलील है कि मग़रिब में तवील क़िराअत मन्सूख़ है। और इमाम अबू दाऊद ने कहा कि यही ज़्यादा सही है।

तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 2/392.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस इख़्तिसार क़िरात को राजेह क़रार दिया है वरना दीगर सही रिवायात से इसका नस्ख़ साबित नहीं होता। बल्कि इसमें तवस्सोअ है और ये आख़री रिवायत ताबेई का अमल है। (औनूल माबूद) और नबी (ﷺ) की आख़री क़िराअत मग़रिब में (वलमुरसलाति उर्फ़ा) थी, जैसा कि उम्मे अलफ़ज़ल (ؓ) की रिवायत गुज़री है। (हदीस: 810)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ .

(814) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि जुज़्वे 'मुफ़स्सल' की कोई छोटी बड़ी सूरत नहीं जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से न सुनी हो, आप उसे फ़र्ज़ नमाज़ों की इमामत कराते हूए पढ़ते थे।

(814) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/388, हदीस: 313 में देखें।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

(815) जनाब अबू उस्मान नहदी से मरवी है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) के पीछे मग़रिब पढ़ी तो उन्होंने (कुल हुवल्लाहु अहद) तिलावत की।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/391.

﴾132﴿ باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

बाब : 132
दो रकअतों में एक ही सूरत का तकरार

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جُهَيْنَةَ

(816) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह जोहनी का बयान है कि बनू जोहनिया के एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना कि आप फ़ज्र की नमाज़ में दोनों रकअत में

أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ { إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا .

(इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अरज़ु ...) पढ़ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि आप भूल गये थे या जानबुझ कर इसकी क़िराअत की थी।

(816) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/390.

फ़ायदा : किसी सूरत का नमाज़ में तकरार करना बिलाशुब्हा जायज़ है।

﴾133﴿
بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

बाब : 133
फ़ज्र में क़िराअत का बयान

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَصْبَغَ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ { فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ } .

(817) हज़रत अम्र बिन हुरैस़ (ﷺ) रिवायत करते हैं कि गोया मैं नबी (ﷺ) की आवाज़ सुन रहा हूँ आप फ़ज्र की नमाज़ में (फ़ला उक़्सिमु बिलख़ ....) (सूरह अत्तकवीर) पढ़ रहे थे।

(817) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस़: 817, व स़ही मुस्लिम: 456.

﴾134﴿
بَابُ مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

बाब : 134
जो कोई अपनी नमाज़ में सूरह फ़ातिहा की क़िराअत छोड़ दे

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

(818) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम (नमाज़ में) फ़ातिहा और जो मयस्सर हो (यानी

قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

क़ुर्आन में से) पढ़ा करें।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/3, हदीस: 29 में देखें, (अलएहसान), हदीस: 1787.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " .

(819) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जाओ और मदीने में ऐलान करो कि क़ुर्आन (की क़िराअत) के बग़ैर नमाज़ नहीं ख़्वाह फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ ज़्यादा। ख़्वाह फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ ज़्यादा।'

(819) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/428.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ .

(820) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ऐलान करूं कि क़िराअते फ़ातिहा और कुछ मज़ीद के बग़ैर नमाज़ नहीं।

(820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/428.

फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन इसमें बयान करदा बातें दूसरी सही रिवायात से साबित हैं, यानी तन्हा शख़्स के लिये सूरह फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत या क़ुर्आन से कुछ हिस्सा पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ज़हरी नमाज़ों में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा जाये।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(821) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल क़ुर्आन (सूरह फ़ातिहा) न पढ़े तो ऐसी नमाज़ नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, कामिल नहीं है।' (अबू साइब ने कहा) मैंने कहा: ऐ

" مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } يَقُولُ اللَّهُ وَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ { اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } يَقُولُ اللَّهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .

अबू हुरैरह! मैं कुछ औक़ात इमाम के पीछे होता हूँ। तो उन्होंने मेरी कलाई दबाई और कहा: ऐ फ़ारसी! इसे अपने नफ़्स में पढ़ा करो, बिलाशुब्हा मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है, आप कहते थे: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: मैंने नमाज़ को अपने और बंदे के दरम्यान आधे आध तक़सीम कर दिया है, निस़्फ़ मेरे लिये है और निस़्फ़ मेरे बंदे के लिये और मेरे बंदे के लिये वह सब कुछ है जो उसने माँगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पढ़ा करो। बंदा कहता है (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। बंदा कहता है (अर्रहमानिर्रहीम) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: मेरे बंदे ने मेरी स़ना की। बंदा कहता है (मालिकियौमिद्दीन) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: 'मेरे बंदे ने मेरी बुज़ुर्गी बयान की। बंदा कहता है (इय्या कनअ़बुदु व इय्याका नसतईन) अल्लाह फ़रमाता है: मेरे और बंदे के बीच है और मेरे बंदे के लिये वह सब कुछ है जो उसने माँगा। बंदा कहता है (इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अन्अ़म्ता अलैहिम ग़ैरिल मग़जूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) ये सब मेरे बंदे के लिये है और मेरे बंदे के लिये वह सब कुछ है जो उसने माँगा।'

तख़रीज : मौता: 1/84, व स़ही मुस्लिम: 395.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ नाक़िस और नातमाम रहती है जिसकी ताबीर दूसरी अहादीस़ में कुछ यूँ है: 'लास़लाता लिमल्लम यक़्रा बिफ़ातिहतिल किताब'(स़ही बुख़ारी, हदीस़: 756) व (स़ही मुस्लिम), इस्माईल की रिवायत में जनाब सुफ़ियान से मरवी है। 'जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह काफ़ी नहीं होती। (सुनन दारक़ुतनी, हदीस़: 1212), फ़तहुल बारी, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान और अहमद में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल क़ुर्आन (फ़ातिहा) न पढ़ी जाये वह क़बूल नहीं होती।' इस क़िस्म के मुख़्तलिफ़ अल्फ़ाज़ स़ाबित क़रते हैं कि सूरह फ़ातिहा नमाज़ का रूक्न है। इसका पढ़ना फ़र्ज़ और वाजिब है मगर ये कि कोई पढ़ने से आजिज़ हो। **(2)** इस हुक्म में तमाम क़िस्म की नमाज़ें (फ़र्ज़, नफ़ल, जनाज़ा, ईद और कुसूफ़ वग़ैरह) और तमाम तरह के नमाज़ी (मुन्फ़रिद, इमाम, मुक़तदी, हाज़िर और मुसाफ़िर) शामिल हैं। **(3)** नफ़्स में पढ़ना'– इस से मुराद आवाज़ निकाले बग़ैर ज़बान से पढ़ना है। स़िर्फ़ उन अल्फ़ाज़ का ख़्याल और तस़व्वुर स़ही नहीं इसे किसी तरह क़िराअत (पढ़ना) नहीं कहा जाता। नीज़ ये मसला हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) का मज़हब और राय महज़ नहीं, बल्कि उनका इस्तेदलाल स़रीह और स़ही फ़रमाने नबवी से है। **(4)** सूरह फ़ातिहा को 'नमाज़' से ताबीर करते हूए स़िर्फ़ इसकी तक़सीम की गई है और इस तक़सीम में बिस्मिल्लाह को शुमार नहीं किया गया है। ये दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरह फ़ातिहा का हिस्सा नहीं है। **(5)** इमाम के पीछे होने का इश्काल आज का नया इश्काल नहीं है बल्कि ताबेईन के दौर से है, मगर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने इसके पढ़ने का फ़तवा और इसकी दलील पेश फ़रमा कर तमाम औहाम का इज़ाला फ़रमा दिया है। नीज़ आयते करीमा (इज़ा क़ुरिअल क़ुर्आन ....) (आराफ़: 104) 'जब क़ुर्आन पढ़ा जाये तो ख़ामोशी से सुनो।' का मफ़हूम भी वाज़ेह कर दिया कि आहिस्ता पढ़ो यानी आवाज़ न निकालो। इसमें इन्स़ात भी है और क़िराअत पर अमल भी। नीज़ हज़रत उबादा(ﷺ) की हदीस़ में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इमाम के पीछे स़िर्फ़ सूरह फ़ातिहा की क़िराअत करो।' **(6)** सूरह फ़ातिहा नमाज़ की सब रकआत में पढ़ी जाये। जैसे कि हज़रत ख़ल्लाद बिन राफ़े (ﷺ) की हदीस़ (मसउस्स़लात) में आया कि 'और पूरी नमाज़ में ऐसे ही करो।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 793, स़ही मुस्लिम: 397)

(822) हज़रत उबादा बिन स़ामित (ﷺ) नबी(ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हूए बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ सूरह फ़ातिहा और कुछ मज़ीद न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं।' जनाब सुफ़ियान ने कहा इससे

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " . قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ .

मुराद ये है कि जब कोई शख़्स अकेला पढ़ रहा हो (तो ये हुक्म है)

(822) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस सही है, मगर कुछ रिवायात में 'फ़साइदन' का लफ़्ज़ मनक़ूल नहीं है। इस लफ़्ज़ के लगाने का फ़ायदा ये है कि कम अज़ कम सूरह फ़ातिहा पढ़े या उससे कुछ ज़्यादा पढ़े। सूरह फ़ातिहा से कम न पढ़े। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है। बाक़ी रहा सुफ़ियान (रह.) का ये बयान की ये अकेले के लिये है तो ये उनकी राय है और इस मसले में उन लोगों के दरम्यान इख़्तिलाफ़ रहा है। **(2)** (ला सलाता) में लाये नफ़ी जिन्स है, नफ़ी कमाल नहीं। शाह वलीउल्लाह (रह.) ने क्या ख़ूब लिखा है कि 'नबी (ﷺ) के अल्फ़ाज़ उसके रूक्न होने पर दलालत करते हैं। (ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब) और (ला तज्ज़िउ सलातु रजुलिन हत्ता युक़ीमा ज़हरहू फ़िर्रूकइ वस्सुजूद) 'आदमी की नमाज़ जायज़ नहीं होती जब तक कि रूकू और सज्दे में अपनी कमर सीधी न करे।' जिस अमल को शारेअ अलैहि. ने 'सलात' से ताबीर फ़रमाया है इसमें तम्बीहे बलीग़ है कि ये नमाज़ में रूक्न है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा: 4/2) इसका दूसरा मफ़हूम ये भी बयान किया जाता है कि ये लाए नही है। इस मानी में कि (ला तुसल्लू इल्ला बिक़िराति फ़ातिहतिल किताब) 'यानी फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ मत पढ़ो।' जैसे कि फ़रमाया: (ला सलाता बिहज़रतित्तआम) 'खाना तैयार हो तो नमाज़ नहीं' (सही मुस्लिम) **(3)** ख़्याल रहे कि कुछ लोग कह देते हैं कि हदीस 'ला सलात' के अल्फ़ाज़ से सूरह फ़ातिहा का फ़र्ज़ होना लाज़िम आता है और ये क़ुर्आन पर इज़ाफ़ा है यानी क़ुर्आन मजीद में है कि जब क़ुर्आन मजीद की तिलावत हो रही हो तो ख़ामोशी इख़्तियार करो। और हदीस में है कि जो शख़्स सूरह फ़ातिहा न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना लाज़िम है। जब कि (उनके नज़दीक) सुन्नत से क़ुर्आन पर इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। हालांकि हक़ीक़त ये है कि ये ख़ाना साज़ उसूल है। इसे क़ुर्आन पर इज़ाफ़े से ताबीर करना ही यकसर ग़लत और हदीस को मुस्तरद करने का एक तरीक़ा है। इसी मनगढ़त उसूल की बाबत इमाम शौकानी (रह.) ने ये फ़रमाया है कि इस तरह की बात करना एक फ़ासिद ख़्याल है। जिसका नतीजा बहुत सी पाकीज़ा सुन्नतों के तर्क की सूरत में निकलता है। और इस क़ायदे की कोई वाज़ेह दलील और हुज्जत नहीं है। कितने ही मक़ाम हैं कि शारेअ अलैहि. ने फ़रमाया है: ला युज्ज़िउ कज़ा। ला युक़्बलु कज़ा। ला यसिह्हु कज़ा और कुछ लोग इसके मुक़ाबले कहते हैं कि: युज्ज़िउ युक़्बलु और यसिह्हु, यही वजह है कि सल्फ़ (सहाबा किराम) ने ऐसे अहलुर्राय से बचने को कहा है। देखिये (नैलुल अवतार) **(4)** (फ़साइदन) 'यानी कुछ मज़ीद' ज़ाहिर अल्फ़ाज़ का तक़ाज़ा है कि सूरह फ़ातिहा के अलावा मज़ीद क़िराअत भी वाजिब हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस है: 'हर नमाज़ में क़िराअत की जाती है।

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो हमें सुनवाया हम तुम्हें सुनाते हैं और जिसमें वह हमसे ख़ामोश रहे हम भी तुमसे ख़ामोश रहते हैं। अगर तुम सूरह फ़ातिहा से मज़ीद न पढ़ो तो काफ़ी है, अगर मज़ीद पढ़ो तो बेहतर है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 772) दरअसल लफ़्ज़ (फ़साइदन) में इस शुब्हे का इज़ाला है कि कहीं ये न समझ लिया जाये कि सिर्फ़ और सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, तो फ़रमाया कि सूरह फ़ातिहा के साथ मज़ीद क़िराअत भी होनी चाहिए। इल्ला ये कि इंसान मुक़्तदी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ " . قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " .

(823) हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम नमाज़े फ़ज्र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे थे। आपने क़िराअत शुरू फ़रमाई मगर वह आप पर भारी हो गई। (यानी आप उसमें रवां न रह सके) जब आप फ़ारिग़ हूए तो कहा: 'शायद कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो?' हमने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फ़रमाया: 'न पढ़ा करो मगर फ़ातिहा, क्योंकि जो इस (फ़ातिहा को) न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं।'

(823) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 311, मुसनद अहमद: 5/322, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1581, इब्ने हिब्बान, हदीस: 460.

नोट : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को 'ज़ईफ़ लिखा है' जबकि इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 'हसन' कहा है। और ख़त्ताबी कहते हैं: 'यानी हदीस अच्छी है इसमें कोई ऐब नहीं।' (औनूल माबूद) अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत में एक इल्लत है कि इसको इब्ने इस्हाक़ ने मकहूल से बसैग़ा अन रिवायत किया है और वह मुदल्लस है और मकहूल से अपने सिमाअ की सराहत भी नहीं की है। ऐसी सूरत में हदीस नाक़ाबिले हुज्जत हो जाती है। फ़रमाते हैं कि इमाम बैहक़ी (रह.) ने इस रिवायत को इब्राहीम बिन सअद से रिवायत किया है और इसमें मकहूल से सिमाअ की सराहत मौजूद है। इस तरह ये हदीस मौसूल और सही हो जाती है। इमाम बुख़ारी (रह.) ने किताबुल क़िराअत में इसे बयान किया है और इसे सही लिखा है। इब्ने इस्हाक़ की तौसीक़ की है। और इस हदीस से हुज्जत ली है। नीज़ इब्ने इस्हाक़ के अलावा एक दूसरी सनद से भी बयान की है और ये सही है। (तहज़ीब सुनन अबी दाऊद, लिइब्ने अलक़य्यिम व औनूल माबूद)

(824) जनाब नाफ़े बिन महमूद बिन रबीअ अन्सारी ने बयान किया कि (एक बार) हज़रत उबादा (ﷺ), फ़ज्र की नमाज़ में ताख़ीर से आये तो अबू नुऐम मुअज़्ज़िन ने तकबीर कही और नमाज़ पढ़ाना शूरू कर दी। उबादा (ﷺ) आये और मैं भी आपके साथ था हमने अबू नुऐम के पीछे सफ़ बनाई। अबू नुऐम ज़हरी क़िराअत कर रहे थे और हज़रत उबादा (ﷺ) ने सूरह फ़ातिहा पढ़नी शूरू कर दी। जब वह फ़ारिग़ हूए, तो मैंने उबादा से कहा: मैंने आपको सुना कि आप सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे थे हालांकि (इमाम) अबू नुऐम ज़हरी क़िराअत कर रहे थे। (हज़रत उबादा (ﷺ) ने) कहा हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई जिसमें आपने ज़हरी क़िराअत की, मगर आप क़िराअत में उलझ गये। जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हूए तो हमारी तरफ़ चेहरा किया और फ़रमाया: 'क्या तुम लोग क़िराअत करते हो, जब मैं ऊँची आवाज़ से क़िराअत कर रहा होता हूँ?' हममें से कुछ ने कहा: हम ऐसा करते हैं। आपने फ़रमाया: 'न किया करो। मैं कह रहा था मुझे क्या हूआ है कि क़ुर्आन पढ़ने में उलझन हो रही है। जब मैं जहर से पढ़ रहा हूँ तो क़ुर्आन से कुछ न पढ़ो, मगर उम्मुल क़ुर्आन (फ़ातिहा)'

(824) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 921, दारक़ुतनी, 1/320, बैहक़ी: 8/346, हदीस: 421, इब्ने हज़्म: 3/241, 242.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ نَافِعٌ أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ، حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ " هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ " . فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ . قَالَ " فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ"

नोट : ये रिवायत सुनन नसाई में भी आई है, देखिये (सुनन नसाई, हदीस़: 921) और दीगर सही रिवायतों की ताईद करने वाली है और इमाम के पीछे फ़ातिहा के अलावा दीगर क़िराअत ख़ामोशी से सुननी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوا فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا . قَالَ مَكْحُولٌ اقْرَأْ بِهَا فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَإِنْ لَمْ يَسْكُتِ اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلَى حَالٍ .

(825) मकहूल ने हज़रत उबादा (ﷺ) से रबीअ बिन सुलेमान की (ऊपर दी गई) रिवायत की मानिन्द बयान किया। (मकहूल के तलामिज़ा (शागिर्दों) ने) बयान किया कि जनाब मकहूल मग़रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ों में हर रकअत में सिर्री तौर पर सूरह फ़ातिहा पढ़ा करते थे।

मकहूल ने कहा: जब इमाम ज़ोहरी क़िराअत कर रहा हो और सकते करे तो (इस बीच में) ख़ामोशी से फ़ातिहा पढ़ लो। अगर सकते न करे तो उससे पहले पढ़ लो या उसके साथ साथ पढ़ते जाओ या उसके बाद पढ़ लो। किसी हाल में छोड़ो नहीं।

(825) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 2/165, 171, ये हदीस पहले गुजर चुकी है।

नोट : मकहूल ने हज़रत उबादा(ﷺ) को नहीं पाया इसलिए रिवायत मुनक़तअ है। (मुन्ज़िरी) और ताबेई का अमल वाज़ेह है कि वह हर सूरत में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा पढ़ते और इसकी ताकीद करते थे।

﴿135﴾ بَابُ مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

बाब : 135 उन हज़रात के दलाइल जो सिर्री नमाज़ों में क़िराअत के क़ाइल हैं

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي

(826) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फिरे, जिसमें आपने ज़हरी क़िराअत की थी और

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ " هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا " . فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " . قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ .

फ़रमाया: 'क्या तुममें से किसी ने अभी मेरे साथ क़िराअत की है?' एक आदमी ने कहा: हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया: 'मैं भी कह रहा था मुझे क्या हूआ कि क़िराअते क़ुर्आन में उलझ रहा हूँ।' रावी ने कहा: पस लोग रसूल (ﷺ) के साथ पढ़ने से रूक गये उन नमाज़ों में जिनमें आप जहर कर रहे होते जबकि उन्होंने आपसे ये फ़रमान सुना।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने उकैमा की ये रिवायत मअमर, यूनुस और उसामा बिन ज़ैद ने ज़ोहरी से मालिक की रिवायत के हम मानी रिवायत की है।

(826) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 312, मौता: 1/86, 87, (वलक़अनबी, सफ़ा: 136, 137) इब्ने हिब्बान, हदीस: 454.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम जब सिर्री क़िराअत कर रहा हो तो मुक़तदी भी क़िराअत करें, सूरह फ़ातिहा और मज़ीद भी पढ़ें। **(2)** ये इस्तेदलाल कि इमाम ज़हरी क़िराअत करे और मुक़तदी फ़ातिहा भी न पढ़े, हरग़िज़ राजेह नहीं है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत से साबित किया है कि (फ़न्तहन्नासु अनिल क़िराअति) जनाब ज़ोहरी का मक़ूला है न कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का। लिहाज़ा मुदरज होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत ठहरा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

(827) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, ख़याल है कि ये सुबह की नमाज़ थी ... और ऊपर दी गई हदीस के हम मानी (मालिया उनाज़िउल क़ुर्आन) 'मुझे क्या हूआ कि क़िराअते क़ुर्आन में उलझ रहा हूँ। तक बयान किया।

هُرَيْرَةَ، يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ " مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ " مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " . وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ . مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमायाः मुसद्दद ने अपनी हदीस़ में कहा कि मअ़मर ने बयान कियाः पस लोग इन नमाज़ों में क़िराअत से रूक गये जिनमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ज़हरी क़िराअत करते थे। और इब्ने सरह ने अपनी रिवायत में कहाः मअ़मर ने बवास्ता ज़ोहरी बयान किया कि हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने कहाः 'पस लोग रूक गये।'

इमाम अबू दाऊद ने कहाः और इस हदीस़ को अ़ब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ ने ज़ोहरी से रिवायत किया है जो कि (मालिया उनाज़िउल कुर्आन) के अल्फ़ाज़ तक है। और ओज़ाई ने इसे ज़ोहरी से रिवायत करते हूए कहा कि ज़ोहरी ने कहाः पस मुसलमान इस पर मुतन्नबा हो गये तो जब आप (ﷺ) ज़हरी क़िराअत करते तो वह आपके साथ क़िराअत न किया करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने मुहम्मद बिन यहया बिन फ़ारिस से सुना कि (फ़न्तहन्नासु) 'यानी लोग रूक गये।' ज़ोहरी का कलाम है।

(827) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ीः 2/157, 158, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी यही लिखते हैं कि ज़ोहरी के कुछ तलामिज़ा (शागिर्द) (फ़न्तहन्नासु.....) का जुमला जनाब ज़ोहरी का मक़ूला बताते हैं ... और ये हदीस़ क़ायलीने क़िराअते ख़ल्फ़ुल इमाम के ख़िलाफ़ नहीं। क्योंकि ये हदीस़ (ज़ेरे बहस) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है और वही ये भी बयान करते हैं कि 'जो कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल कुर्आन न पढ़े तो ऐसी नमाज़ नाक़िस़ है, नाक़िस़ है, कामिल नहीं है।' शागिर्द ने कहा कि मैं कुछ औक़ात इमाम के पीछे होता हूँ, तो उन्होंने फ़रमायाः 'अपने जी में पढ़ लिया करो।' और अबू उस्मान नहदी हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि मुझे नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि 'फ़ातिहा पढ़े बग़ैर

नमाज़ नहीं।' चुनांचे अक्सर अस्हाबुल हदीस़ की तर्जीह यही है कि जब इमाम जहर कर रहा हो तो मुक़तदी क़िराअत न करे बल्कि सकताते इमाम में पढ़ा करे।' देखिये (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 312)

﴾136﴿ باب مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

बाब : 136

....

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، - الْمَعْنَى - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ [سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى] فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ " . قَالُوا رَجُلٌ . قَالَ " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ . قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ.

(828) हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, एक आदमी आया और उसने आपके पीछे: (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। जब आप फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: 'तुममें से किसी ने क़िराअत की है?' उन्होंने कहा: एक आदमी ने क़िराअत की है। आपने फ़रमाया: 'मैं जान गया था कि तुममें से किसी ने मुझे क़िराअत में उलझाया है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया है कि अबू अलवलीद ने अपनी रिवायत में शोबा से नक़ल किया कि मैंने क़तादा से कहा: क्या सईद का ये क़ौल नहीं है कि 'क़ुर्आन के लिये ख़ामोश रहो?' कहा: ये तब है जब वह जहरन पढ़े। इब्ने कस़ीर ने अपनी रिवायत में कहा: मैंने क़तादा से कहा: गोया आपने उसे (यानी पढ़ने को) मकरूह जाना। कहा: अगर मकरूह जानते तो रोक देते।

(828) तख़रीज : सही मुस्लिम: 398.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(829) हज़रत इमरान बिन हुस़ैन (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने उन्हें ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, जब फ़ारिग़ हूए तो पूछा: 'तुममें से किसी ने (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) की

صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا . فَقَالَ " عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا "

क़िराअत की है?' एक आदमी ने कहा: मैंने, आपने फ़रमाया: 'मैं जान गया था कि तुममें से कोई मुझे (क़िराअत में) उलझा रहा है।'

(829) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस मसले को तफ़्सील से बयान किया है। फ़रमाते हैं कि 'सहाबा किराम (ﷺ) में से अक्सर अहले इल्म, ताबेईन और इनके बाद वाले क़िराअत (फ़ातिहा) ख़ल्फ़ुल इमाम के क़ाइल हैं। इमाम मालिक, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) इसके क़ाइल हैं।' जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मरवी है कि 'मैं इमाम के पीछे क़िराअत करता हूँ, लोग भी क़िराअत करते हैं सिवाए अहले कूफ़ा की एक क़ौम के, और मेरी राय में जो क़िराअत न करे उसकी नमाज़ जायज़ है।' ताहम अहले इल्म की एक जमाअत ने तर्के क़िराअते फ़ातिहा में बहुत ज़्यादा शिद्दत इख़्तियार की है कि फ़ातिहा के बग़ैर नमाज़ होती ही नहीं, ख़्वाह आदमी इमाम के पीछे ही हो। इनका इस्तेदलाल हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) की हदीस से है। और वह नबी (ﷺ) के बाद भी इमाम के पीछे पढ़ा करते थे और फ़रमाने नबवी (ला सलाता इल्ला बिक़िराअतिल किताब) पर अमल पैरा थे। इमाम शाफ़ेई और इस्हाक़ (रह.) वग़ैरह भी यही कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) (ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब) का मानी ये फ़रमाते हैं कि ये मुन्फ़रिद के लिये है। इनका इस्तेदलाल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) की हदीस से है कि 'जो कोई एक रकअत पढ़े और इसमें उम्मुल क़ुर्आन की क़िराअत न करे तो उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, मगर ये कि इमाम के पीछे हो।' (तिर्मिज़ी, हदीस: 313) इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि ये भी जमाअते सहाबा के एक फ़र्द हैं, इनके नज़दीक (ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब) का मफ़हूम यही है कि ये उस सूरत में है जब वह अकेला हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) क़िराअते ख़ल्फ़ुल इमाम को तर्जीह देते हैं कि मुसल्ली (नमाज़ पढ़ने वाला) ख़्वाह इमाम के पीछे ही हो, क़िराअत फ़ातिहा न छोड़े। (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 312)

अलग़र्ज़ सिवाए अहले कूफ़ा के तमाम अइम्मा क़िराअते फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम के क़ाइल हैं। और ये अहम तरीन मसाइल में से है क्योंकि इसका ताल्लुक़ सेहते नमाज़ के साथ है। अइम्मा इज़ाम में से इमाम बुख़ारी (रह.) ने 'जुज़्उल क़िराअत' और इमाम बैहक़ी ने 'किताबुल क़िराअत ख़ल्फ़ुल इमाम' के नाम से किताबें तसनीफ़ फ़रमाई हैं। हमारे दौरे हाज़िर के सिक़ा उलमा अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी (साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी) ने 'तहक़ीक अलकलाम फ़ी वुजूबे क़िराअतिल फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम' में और मौलाना इरशादुल हक़ अल असरी ने 'तौज़ीह अलकलाम फ़ी वुजूबिल फ़ातिहा ख़ल्फ़ुल इमाम' में इस मसले के मालहु व माअलयहा का एहाता किया है। जज़ाहुमुल्लाहु ख़ैरन!

बाब : 137
अनपढ़ और अज्मी आदमी को किस क़द्र क़िराअत काफ़ी हो सकती है?

﴿137﴾
بَاب مَا يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ فَقَالَ " اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ " .

(830) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी मज्लिस में तशरीफ़ लाये जब कि हम क़ुर्आन पढ़ रहे थे, हममें देहाती भी थे और ग़ैर अ़रब भी। आपने फ़रमाया: 'पढ़े जाओ, सब ही बेहतर है। अनक़रीब ऐसे लोग आयेंगे जो इसे (क़िराअते क़ुर्आन को) ऐसे सीधा करेंगे जैसे कि तीर सीधा किया जाता है। उसका अज्र (दुनिया में) जल्दी ही लेना चाहेंगे और (आख़िरत तक) मुअख़्ख़र नहीं करेंगे।'

(830) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/397.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आने करीम को लहने अ़रब में पढ़ना मुस्तहब और मतलूब है और इसमें अपनी सी मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, मगर बदवी और अ़ज्मी लोगों के लिये अ़रबी उस्लूब और क़वाइदे तजवीद पर कमा हक़्क़हू पूरा उतरना मुश्किल होता है इसलिए आपने मुख़्तलिफ़ तबक़ात के लोगों की क़िराअत की तौसीक़ फ़रमा कर उम्मत पर आसानी और एहसान फ़रमाया है। (2) ऐसे लोगों का पैदा हो जाना, जो क़िराअते क़ुर्आन को रिया, शोहरत और मताओ दुनिया (दुनियावी साज़ो सामान) जमा करने का ज़रिया बना लें, आसारे क़यामत में से है। (3) ज़ाहिर अल्फ़ाज़ की तजवीद में मुबालग़ा और आवाज़ के उतार चढ़ाव ही को क़िराअत जानना और मफ़हूम व मानी से स़र्फ़े नज़र कर लेना बहुत ज़्यादा मायूब है। (4) तिलावते क़ुर्आन और इसके दर्स व तदरीस में अल्लाह की रज़ा को पेशे नज़र रखना वाजिब है। (5) हदीसे नबवी 'सब से उ़म्दा चीज़ जिस पर तुम अज्र (ऐवज़ व उजरत) ले सकते हो, अल्लाह की किताब है। (स़ही बुख़ारी) और ऊपर दी गई हदीस़ में तत्बीक़ (हल) ये है कि अ़ज़ीमत, ऐवज़ न लेने में है। ताहम

इमाम शाफ़ेई (रह.) से मरवी है कि मुअल्लिम इस सिलसिले में कोई शर्त न करे, वैसे कुछ दिया जाये तो क़बूल कर ले। जनाब हसन बसरी (रह.) ने इस सिलिसिले में दस दिरहम अदा किये। (हवाला मज़कूर) बहरहाल मुदर्रिस और दाई हज़रात मुजाहिद की तरह हैं। अगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की नियत रखते हों और ऐवज़ लें तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर नियत महज़ माल कमाना हो तो हराम है और दुनिया व आख़िरत में इससे बढ़ कर और कोई ख़सारे का सौदा नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَابْنُ، لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُهُ " .

(831) हज़रत सहल बिन सअ़द साइदी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारी मज्लिस में तशरीफ़ लाये जबकि हम क़ुर्आन पढ़ पढ़ा रहे थे। आपने फ़रमाया: 'अल्हम्दुलिल्लाह! किताबुल्लाह एक है और तुम (पढ़ने वालों) में सुर्ख़, सफ़ेद और काले सभी लोग हैं। इसे पढ़े जाओ! क़ब्ल इसके कि वह लोग इसकी क़िराअत शुरू कर दें जो उसे ऐसे सीधा करेंगे जैसे कि तीर सीधा किया जाता है और इसका अज्र जल्द ही (दुनिया में) लेना चाहेंगे, इसे (आख़िरत तक) मुअख़्ख़र न करेंगे।'

(831) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/338, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1786.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ

(832) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) बयान करते हैं कि एक शख़्स नबी(ﷺ) की ख़िदमत में आया और कहने लगा कि मैं क़ुर्आन से कुछ याद नहीं कर सकता, मुझे कुछ सिखा दीजिये जो मेरे लिये (क़िराअते क़ुर्आन से) किफ़ायत करे। आपने फ़रमाया: 'तुम (सुब्हानल्लाहि वलहम्दु-लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाहिल अ़लीयुल अ़ज़ीम) पढ़ा करो।'

آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ . قَالَ " قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي " . فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ " .

'अल्लाह पाक है, उसकी तारीफ़ है, उसके अलावा और कोई माबूद नहीं, और अल्लाह सबसे बड़ा है। बुराईयों से बचना और नेकी की तौफ़ीक़ मिलना, अल्लाह के सिवा किसी से मुमकिन नहीं। वह आली है, हिक्मत वाला है।' कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो अल्लाह के लिये हूआ, मेरे लिये क्या है? आपने फ़रमाया कहा करो: (अल्लाहुम्मा! इर्हम्नी वरज़ुक़नी व आफ़िनी वहदिनी) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा। मुझे रिज़्क़ दे, राहत व आफ़ियत से नवाज़ और हिदायत से सरफ़राज़ फ़रमा।' चुनाचे जब वह खड़ा हूआ तो अपने हाथों से ऐसे इशारा किया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसने अपने हाथ ख़ैर से भर लिये हैं।'

(832) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 925, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 544, इब्ने हिब्बान, हदीस: 473, हाकिम: 1/241.

फ़ायदा : साबिक़ा सही अहादीस से साबित हूआ है कि कम अज़ कम क़िराअते फ़ातिहा वाजिब है। लिहाज़ा जो कोई बहुत ज़्यादा आजिज़ हो और किसी भी माक़ूल सबब से सूरह फ़ातिहा और क़ुर्आन मजीद पढ़ने या याद रखने पर ताक़त न रखता हो तो उसे ऊपर दिये गये ज़िक्र से अपनी नमाज़ पूरी करनी चाहिए। या इस क़िस्म के दीगर कलिमाते तय्यबात पढ़ा करे। शरह मसाबीह ने इशारा किया है कि उस साइल का सवाल ये था कि मैं फ़ौरी तौर पर कुछ याद नहीं कर सकता जबकि नमाज़ फ़र्ज़ हो चुकी है, तब नबी (ﷺ) ने उसे ये कलिमात तालीम फ़रमाये। (औनूल माबूद) बहरहाल बूढे खुसट मर्दों, औरतों और कमज़ोर अक़्ल अफ़राद के लिये रूख़सत है कि वह इस क़िस्म के ज़िक्र से अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا

(833) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नफ़्ल पढ़ा करते तो क़याम और क़ुऊद में दुआ किया करते थे और रूकू और सज्दे में तस्बीहात।

نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا .

(833) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : ये ज़ईफ़ होने के साथ मौक़ूफ़ भी है, यानी एक सहाबी का अमल।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ ق وَالذَّارِيَاتِ .

(834) जनाब हुमैद ने ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया और नफ़ल का ज़िक्र नहीं किया। ये भी कहा कि हसन बस़री (रह.) ज़ोहर और अ़स्र में इमाम होते हुए या इमाम के पीछे भी सूरह फ़ातिहा पढ़ते और सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और सूरह क़ाफ़ और अज़्ज़ारियात के बक़द्र कहते।

(834) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

नोट : पहली हदीस़ मुनक़तअ है और दूसरी जनाब हसन बस़री का अ़मल। रसूलुल्लाह (ﷺ) से स़ाबित आ़माल ही में ख़ैर और निजात है और इस क़द्र ज़रूर स़ाबित है कि नबी (ﷺ) अस़ना–ए–क़िराअत में आयाते रहमत पर दुआ और आयाते अ़ज़ाब पर तअव्वुज़ और इस्तेग़फ़ार किया करते थे। ऐसे ही क़ुनूत में, सज्दों के दरम्यान, रूकू और सज्दों में और तशहहुद के बाद हस्बे हाल दुआएँ वारिद हैं और की जा सकती है।

बाब : 138
नमाज़ में तकबीरात कहने का बयान

﴿138﴾
باب تمام التكبير

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

(835) जनाब मुतर्रिफ़ बयान करते हैं कि मैंने और इमरान बिन हुस़ैन ने हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो वह जब सज्दा करते तो अल्लाहु अकबर कहते, रूकू करते तो अल्लाहु अकबर कहते दो रकअ़तों से उठते तो अल्लाहु अकबर कहते। जब हम फ़ारिग़ हुए तो इमरान ने मेरा हाथ पकड़ा और

كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هَذَا قِبَلَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قِبَلَ صَلاَةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم .

कहा: उन्होंने हमें पहले वाली नमाज़ पढ़ाई या कहा: हमें इस तरह नमाज़ पढ़ाई जो हम पहले हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के साथ पढ़ा करते थे।

(835) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 786, व सही मुस्लिम: 393.

मसला : दरअसल लोगों ने तकबीराते इन्तक़ाल कहनी छोड़ दी थीं, तो हज़रत इमरान (رضي الله عنه) ने इसी सुन्नत की तरफ़ इशारा फ़रमाया।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ

(836) जनाब अबू बक्र बिन अ़ब्दुर्रहमान और अबू सलमा से मरवी है कि हज़रत अबू हुरैरह(رضي الله عنه) हर फ़र्ज़ और ग़ैर फ़र्ज़ नमाज़ में तकबीरें कहा करते थे, जब खड़े होते तो तकबीर कहते, फिर जब रूकू करते तो तकबीर कहते। फिर (रूकू से उठते तो) समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, इसके बाद (रब्बना वलकल हम्द) कहते। फिर सज्दे को जाते हूए अल्लाहु अकबर कहते फिर सज्दे से सर उठाते तो तकबीर कहते, (दूसरा) सज्दा करते तो तकबीर कहते, फिर सर उठाते हूए तकबीर कहते, फिर दो रकअ़तें पढ़ कर बैठ कर उठते तो तकबीर कहते और हर रकअ़त में ऐसे ही करते, यहाँ तक कि नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते। फिर जब नमाज़ से फिरते तो कहते: क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! नमाज़ के मामले में मैं तुम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुशाबा हूँ। आप अ़लैहिस्सलातु वस्सलाम की यही नमाज़ थी यहाँ तक कि आप इस दुनिया से रहलत फ़रमा गये।

الدُّنْيَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْكَلاَمُ الأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मालिक और ज़ुबैदी वग़ैरह ने इन आख़री जुम्लों को बवास्ता ज़ोहरी जनाब अ़ली बिन हुसैन बिन अ़ली बिन अबी तालिब से रिवायत किया है। जबकि अ़ब्दुल आ़ला ने बवास्ता मअ़मर शुऐब बिन अबी हम्ज़ा की मुवाफ़िक़त की है। (जैसे कि मुअ़ल्लिफ़ ने ज़िक्र किया है।)

(836) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 803.

फ़ायदा : हर दो रकअ़त में ग्यारह और चार रकअ़तों में बाइस तकबीरें होती हैं। तकबीरे तहरीमा और तीसरी रकअ़त की तकबीर के अ़लावा हर रकअ़त में पाँच तकबीरें कही जाती हैं। इमाम अहमद (रह.) ने सब ही को वाजिब कहा है जबकि दूसरे हज़रात सिर्फ़ तकबीरे तहरीमा को वाजिब कहते हैं और बाक़ी को सुन्नते मुअक़्क़दा क़रार देते हैं और ज़ाहिर है कि नबी (ﷺ) के अ़मल से किसी मौक़ा पर भी इनका तर्क स़ाबित नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ - عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ .

(837) जनाब इब्ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और आप सब तकबीरें न कहते थे।

इमाम अबू दाऊद ने कहा कि इसके मानी ये हैं कि रूकू से सर उठाकर सज्दे को जाते हूए और सज्दों से क़याम करते हूए तकबीर नहीं कही।

(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/406, 407, अबी दाऊद अत्तयालिसी, हदीस़: 1287, तारीख़ अल कबीर: 2/300, 301.

﴾139﴿
باب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

बाब : 139
(सज्दों के लिये झुकते हूए) घुटनों को हाथों से पहले क्यों कर रखे?

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

(838) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि आप जब सज्दा करते तो अपने घुटने अपने हाथों से पहले रखते थे और जब उठते तो अपने हाथ घुटनों से पहले उठाते थे।

(838) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 882, तिर्मिज़ी, हदीस़: 268, हदीस़: 728 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلاَةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ . قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ .

(839) जनाब अ़ब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद से हदीसे सलात बयान करते हूए फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) ने जब सज्दा किया तो उनके घुटने ज़मीन पर हाथों से पहले पहुँचे।

हम्माम ने कहा कि शक़ीक़ ने आ़सिम बिन कुलैब अ़न अबीहि अ़निन्नबी (ﷺ) की सनद से इसकी मिस्ल बयान किया है। और मुहम्मद बिन जुहादा या शक़ीक़ में से किसी एक की रिवायत में है। और ग़ालिबन मुहम्मद बिन जुहादा की रिवायत में है कि आप जब उठते तो अपने घुटनों पर बैठते और अपनी रानों का सहारा लेते थे।

(839) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 736 में देखें।

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। इसलिए सज्दे में जाते वक़्त पहले घुटने नहीं, बल्कि हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए, जैसा कि अगली हदीस़ 840 में है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ"

(840) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई सज्दा करे तो ऐसे न बैठे जैसे कि ऊँट बैठता है, चाहिए कि अपने हाथ घुटनों से पहले रखे।'

(840) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1092, तिर्मिज़ी, हदीस़: 269, हाकिम: 1/226.

फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ की सनद 'जय्यद' (उम्दा) है जैसे कि इमाम नववी और ज़ुरक़ानी ने लिखा है। और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीस़ को हदीसे वाइल की निस्बत क़वी तर फ़रमाया है। देखिये: (तमामुल मिनह, स़फ़ा: 193, 194) इसलिए राजेह यही है कि सज्दे में जाते हूए ज़मीन पर पहले हाथ रखे जायें और फिर घुटने।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ " .

(841) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(क्या) तुममें से कोई एक अपनी नमाज़ में इस तरह बैठने का क़स्द करता है जिस तरह ऊँट बैठता है।'

(841) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1091.

फ़ायदा : स़ही बुख़ारी में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) अपने हाथ घुटनों से पहले रखा करते थे। (किताबे अज़ान, बाब: 148) हाफ़िज़ इब्ने हजर की तर्जीह भी यही है कि सज्दे में जाते हूए ऊँट की मुशाबिहत से बचते हूए पहले हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए और ये हक़ीक़त है कि हैवान के घुटने उसके हाथों में होते हैं और ऊँट जब बैठने के लिये झुकता है तो पहले अपने घुटने ही रखता है। आ़म मुहद्दिसीन और हनाबिला इसके क़ाइल हैं, मगर अहनाफ़ और शवाफ़ेअ हज़रत वाइल (ﷺ) वाली (ज़ईफ़) रिवायत पर आ़मिल हैं और पहले घुटने रखते हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (तोहफ़तुल अहवज़ी, तमामुल मिनह)

बाब : 140
ताक़ रकअत (पहली और तीसरी) से उठने का तरीक़ा

﴾140﴿
بَابُ النُّهُوضِ فِي الْفَرْدِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي . قَالَ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ كَيْفَ صَلَّى قَالَ مِثْلَ صَلاَةِ شَيْخِنَا هَذَا يَعْنِي عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ إِمَامَهُمْ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ .

(842) जनाब अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और कहा: क़सम अल्लाह की! मैं तुम्हें नमाज़ पढ़ाऊंगा। हालांकि नमाज़ का इरादा नहीं। सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को किस तरह नमाज़ पढ़ते देखा है। (अय्यूब ने कहा:) मैंने अबू क़िलाबा से पूछा: उन्होंने कैसे नमाज़ पढ़ी? कहा: हमारे इस शैख़ की मानिन्द ... यानी अ़म्र बिन सलमा (ﷺ) की मानिन्द जो वहाँ उनके इमाम थे ... और बयान किया कि जब वह पहली रकअ़त के दूसरे सज्दे से सर उठाते तो बैठ जाते थे, फिर (उसके बाद) उठते थे।

(842) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 677.

फ़ायदा : पहली और तीसरी रकअ़त में दूसरे सज्दे के बाद क़याम से पहले ज़रा सा बैठने को आम तौर पर जल्सा इस्तेराहत कहते हैं। ये जल्सा तअ़ब्बुद है और सुन्नत है।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُصَلِّي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاَةَ وَلَكِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ

(843) जनाब अबू क़िलाबा बयान करते हैं कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन हुवैरिस़ (ﷺ) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये और कहा: क़सम अल्लाह की! मैं नमाज़ पढ़ाऊंगा और नमाज़ का इरादा नहीं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को किस तरह नमाज़ पढ़ते

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي . قَالَ فَقَعَدَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ .

देखा है। (अबू क़िलाबा ने) कहा: चुनांचे वह पहली रकअ़त में दूसरा सज्दा करने के बाद बैठ गये (और फिर उठे)

(843) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर अत्तम्हीद: 19/255, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا .

(844) जनाब अबू क़िलाबा हज़रत मालिक बिन हुवैरिस (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा था जब आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअ़त में होते तो उस वक़्त तक खड़े न होते थे जब तक कि दुरूस्त होकर बैठ न जाते।

(844) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 823.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन अहादीस से साबित हूआ कि पहली और तीसरी रकअ़त में जल्सा–ए–इस्तेराहत मसनून और मुस्तहब है। **(2)** सहाबा–ए–किराम (ﷺ) तालीमे नमाज़ के बिलख़ुसूस बहुत ही ग़ौरो फ़िक्र करने वाले थे, उन्होंने इसकी हर हरकत तक को महफ़ूज़ रखा और उम्मत तक पहुँचाया।

(141) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

बाब : 141
दो सज्दों के दरम्यान इक़आ करना (ऐड़ियों पर बैठना)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا، يَقُولُ قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فِي السُّجُودِ . فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ . قَالَ قُلْنَا إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم .

(845) जनाब तावुस फ़रमाते थे कि हमने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से दो सज्दों के दरम्यान ऐड़ियों पर बैठने के मुताल्लिक़ पूछा: तो उन्होंने कहा: ये सुन्नत है। हमने कहा: हम तो इसे पाँव पर बोझ या आदमी के लिये बाइसे मशक़्क़त ख़याल करते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने कहा: ये आपके नबी (ﷺ) की सुन्नत है।

(845) तख़रीज : सही मुस्लिम: 536.

फ़ायदा : ऐड़ियों पर बैठने को 'इक़आ' कहते हैं और सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह बैठना जायज़ है, मगर इक़आ की दूसरी कैफ़ियत 'अक़बतुश शयतान' नाजायज़ है। यानी इंसान अपनी पिण्डलियों को खड़ा कर ले और सुरीन पर बैठ जाये।

﴾142﴿ باب مَا يَقُولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

बाब : 142 रूकू से सर उठाये, तो क्या कहे?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ يَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ بِهَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ سُفْيَانُ لَقِينَا الشَّيْخَ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ بَعْدُ فَلَمْ يَقُلْ فِيهِ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ قَالَ " بَعْدَ الرُّكُوعِ " .

(846) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रूकू से सर उठाते तो कहते थे: (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ....) 'सुन लिया अल्लाह ने उसको, जिसने उसकी तारीफ़ की! ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही तारीफ़ है (इस क़द्र कि) इससे सब आसमान भर जायें, ज़मीन भर जाये और इनके अ़लावा जो तू चाहे, इसके भरने के बराबर।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सुफ़ियान सौरी और शुअ़बा बिन हज्जाज ने उ़बैद अबुल हसन से बयान किया कि इस हदीस़ में 'रूकू के बाद' का ज़िक्र नहीं है। सुफ़ियान कहते हैं कि हमने इसके बाद अश्शैख़ उ़बैद अबुल हसन से मुलाक़ात की तो उन्होंने इस रिवायत में 'बादे रूकू' का ज़िक्र नहीं किया।
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जबकि शुअ़बा ने अबू इस़्मा से उन्होंने आमश से उन्होंने उ़बैद से रिवायत किया है तो (बादरूकू) का ज़िक्र किया है।
(846) तख़रीज : सही मुस्लिम: 476.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، كُلُّهُمْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ " . قَالَ مُؤَمَّلٌ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ " . زَادَ مَحْمُودٌ " وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ " . ثُمَّ اتَّفَقُوا - " وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " . قَالَ بِشْرٌ " رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . لَمْ يَقُلْ مَحْمُودٌ " اللَّهُمَّ " . قَالَ " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " .

(847) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह लेते तो कहते: (अल्लाहुम्मा रब्बना लक़ल हम्दु मिलउस्समाइ) और मुअम्मल के अल्फ़ाज़ (मिल्उस्समावाति व मिल्उल अर्ज़ि...) 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही तारीफ़ है जिससे कि आसमान भर जायें, ज़मीन भर जाये और इनके अलावा जो तू चाहे भर जाये। ऐ वह ज़ात जो तारीफ़ व बुज़ुर्गी के अहल है! सबसे हक़ बात जो बंदे को कहनी लायक़ है ... और हम सब तेरे ही बंदे हैं ... यही है कि जो तू इनायत फ़रमा दे उसे कोई रोक नहीं सकता और महमूद ने ज़्यादा किया (व ला मुअतिया लिमा मनअता) और जो तू रोक ले कोई दे नहीं सकता फिर (व ला यन्फ़उज़ल जद्दि मिन्कल जद्दु) और तेरे मुक़ाबले में किसी की बड़ाई और बुज़ुर्गी फ़ायदा नहीं दे सकती ये सबका इत्तेफ़ाक़ है। बिश्र ने (अल्लाहुम्मा) के बग़ैर (रब्बना लकल हम्दु) बयान किया है और महमूद ने (अल्लाहुम्मा) के बग़ैर (रब्बना वलकल हम्दु) (बइज़ाफ़ा) रिवायत किया है।

वलीद बिन मुस्लिम ने सईद से रिवायत किया तो कहा (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु और वला मुअतिया लिमा मनअता) के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इनको सिर्फ़ अबू मुस्हिर ही ने बयान किया है।

(847) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहादीस़ में (रब्बना लकल हम्दु, रब्बना वलकल हम्दु, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु) सब तरह से आया है और सब जायज़ है। **(2)** इमाम और मुक़तदी दोनों ही ये कलिमात कहें।

(848) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहे तो तुम लोग कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द) क्योंकि जिसके ये कलिमात मलायका (फ़रिश्तों) के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गये, उसके साबिक़ा गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(848) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 791, मौता: 1/88, व स़ही मुस्लिम: 409.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हूआ कि मलाइका (फ़रिश्ते) भी नमाज़ियों के साथ ये कलिमात कहते हैं और उनकी दुआ का वक़्त वही होता है जब इमाम रूकू से सर उठाते हूए तसमीअ से फ़ारिग़ होता है तो वह अपने कलिमात कहते हैं। **(2)** मुक़तदी को भी इमाम की इक़्तेदा करनी चाहिए और इसमें मलाइका की मुवाफ़िक़त है।

(849) जनाब आमिर बिन शुरहबील शअबी (ताबेई) कहते हैं कि लोगों को इमाम के पीछे (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) नहीं कहना चाहिए। वह (रब्बना लकल हम्द) कहें।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ لاَ يَقُولُ الْقَوْمُ خَلْفَ الإِمَامِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَكِنْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(849) तख़रीज : (सनद स़ही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) तसमीअ (समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहना), तहमीद (रब्बना लकल हम्द कहना) और दीगर दुआओं में मुन्फ़रिद, इमाम और मुक़तदी सब ही शरीक हों, अहादीस़ के उमूम का यही तक़ाज़ा है। इमाम शाफ़ेई, मालिक, अता, अबू दाऊद, अबू बुरदा, मुहम्मद बिन सीरीन, इस्हाक़ और दाऊद (रह.) का मैलान इसी तरफ़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) जबकि कुछ दूसरी तरफ़ भी गये हैं जैसे कि इमाम शाबी (रह.) का ये क़ौल बयान हूआ है। पहली सूरत इन्शाअल्लाह राजेह है। **(2)** चाहिए कि नोख़ैज़ बच्चों और विद्यार्थियों को इन दुआओं के पढ़ने का आदी बनाया जाये।

बाब : 143
दो सज्दों के दरम्यान की दुआ

﴾143﴿

باب الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلاَءِ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي " .

(850) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) दो सज्दों के दरम्यान ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहम्नी वआफ़िनी वहदिनी, वरज़ुक़नी) 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़्शा दे! मुझ पर रहम फ़रमा मुझे आफ़ियत दे और हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ दे।'

(850) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 284, इब्ने माजा, हदीस: 898, हदीस: 1/262, व सही मुस्लिम: 2697.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस दुआ के सुनन तिर्मिज़ी में अल्फ़ाज़ ये हैं: (अल्लाहुम्मग़फ़िरली, वरहमनी वजबुरनी, वहदिनी वरज़ुक़नी) 'वज्बुर्नी' का मफ़हूम है: 'ऐ अल्लाह! टूटी हूई हालत को जोड़ दे।' देखिये: (सुनन तिर्मिज़ी, हदीस: 284) **(2)** इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है, मगर कुछ लोग इससे ग़ाफ़िल हैं, बल्कि ज़्यादा ही ग़ाफ़िल हैं। शैख़ शौकानी (रह.) इस पर इस अन्दाज़ में अफ़सोस का इज़हार करते हैं: लोगों ने सही अहादीस से साबित शुदा सुन्नत को छोड़ रखा है, इसमें इनके मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुजतहिद और मुक़ल्लिद सभी शरीक हैं, न मालूम ये लोग किस चीज़ पर तकिया किये हूए हैं।' (नैलुल अवतार) **(3)** सुनन अबू दाऊद की हदीस में सिर्फ़ (रब्बिग़ फ़िर्ली, रब्बिग़ फ़िर्ली) पढ़ने का ज़िक्र भी आया है। देखिये: (हदीस: 874) शैख़ इब्ने बाज़ (रह.) और कुछ दीगर उलमा और अइम्मा कम अज़ कम इतना पढ़ने को वाजिब कहते हैं।

बाब : 144
औरतें जब इमाम के साथ जमाअत से नमाज़ पढ़ें, तो सज्दे से कब सर उठायें?

﴿144﴾ باب رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الرِّجَالِ رُءُوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ

(851) सय्यदना अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आप औरतों से फ़रमाते थे: 'जो तुम में से अल्लाह और यौमे क़यामत पर ईमान रखती है वह अपना सर (सज्दे से) उस वक़्त तक न उठाये जब तक कि मर्द न उठा लें।' आप (ﷺ) ने ये हुक्म इसलिए दिया कि कहीं इनकी नज़र मर्दों के सतरों पर न पड़ जाये।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/348, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 109.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ مَوْلًى، لأَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ " . كَرَاهَةَ أَنْ يَرَيْنَ مِنْ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कपड़ों की क़िल्लत और नादारी के बाइस कुछ सहाबा किराम (ﷺ) एक एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे और कुछ औक़ात वह इस क़द्र मुख़्तसर होती थी कि उन्हें गर्दनों पर बाँधे होते थे। इसलिए ऊपर दी गई हिदायत दी गई और अब अगरचे हालात बदल गये, मगर इरशादे नबवी पर अमल वाजिब है, क़रीना इसका आप का ताकीद से ये फ़रमाना है कि 'जो तुममें से अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती है।' नीज़ इसकी दूसरी मिसाल तवाफ़े कुदूम में रमल करना है, यानी आहिस्ता आहिस्ता दौड़ना, ये भी एक वक़्ती ज़रूरत से था, मगर तमाम अइम्म–ए–उम्मत ने इस सुन्नत को उसी हालत पर बाक़ी रखना तस्लीम किया है। **(2)** सहाबियात भी नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम करती थीं। **(3)** दूसरे के सतर को देखना नाजायज़ है और अचानक नज़र पड़ने के अन्देशे से भी बचना चाहिए, अलबत्ता ज़ौजेन इससे अलग हैं क्योंकि ये एक दूसरे का लिबास हैं।

बाब : 145
रूकू के बाद के क़याम और सज्दों के दरम्यान के बैठने को लम्बा करने का बयान

﴿145﴾
باب طُولِ الْقِيَامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ سُجُودُهُ وَرُكُوعُهُ وَقُعُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ .

(852) हज़रत बराअ (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का सज्दा, रूकू और दो सज्दों के दरम्यान बैठना क़रीब क़रीब बराबर हूआ करता था।

(852) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 792, व स़ही मुस्लिम: 471.

फ़ायदा : (क़ुऊदुहु, वमा बैनस्सज्दतैन) इस जुम्ले में नुस्ख़ों का इख़्तिलाफ़ है। मुन्ज़िरी में है। (काना सुजूदुहु व रूकूउहू व मा बैनस्सज्दतैन) एक दूसरे नुस्खे में (क़ुऊदुहू) के बाद वाव आतिफ़ा नहीं है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلاَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي تَمَامٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَوْهَمَ .

(853) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी जिसकी नमाज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) (की नमाज़) से बढ़ कर मुख़्तसर और कामिल हो। आप (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह कर खड़े होते (और इस क़द्र लम्बा क़याम करते) कि हम समझते शायद आपको वहम हो गया है। फिर आप तकबीर कहते और सज्दा करते। और आप दोनों सज्दों के दरम्यान बैठते (और इस क़द्र लम्बा बैठते) कि हम कहते कि शायद आपको वहम हो गया है।

(853) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 473.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ - دَخَلَ حَدِيثُ أَحَدِهِمَا فِي الآخَرِ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَمَقْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَتِهِ وَاعْتِدَالَهُ فِي الرَّكْعَةِ كَسَجْدَتِهِ وَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَرَكْعَتَهُ وَاعْتِدَالَهُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ فَسَجْدَتَهُ فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالاِنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(854) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़ में पढ़ते ग़ौर से देखा, तो मैंने पाया कि आपका क़याम आपके रूकू और सज्दे के बराबर होता था। और आपका रूकू से ऐतदाल (कोमा) आपके सज्दे के बराबर होता था। और आपका दो सज्दों के दरम्यान बैठना और सज्दा जो सलाम और फिरने के बीच होता बराबर होते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसद्दद ने रिवायत किया कि आपका रूकू, रूकू और सज्दे के दरम्यान ऐतदाल (क़याम, क़ोमा), फिर आपका सज्दा फिर सलाम और फिरने के दरम्यान बैठना तक़रीबन बराबर होते थे।

(854) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 752 में देखें, व सही मुस्लिम: 471.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में इस हदीस के आख़िर में ये अल्फ़ाज़ भी मिलते हैं: 'और रूकू और सज्दों के बीच ऐतदाल (क़ोमा) फिर सज्दा और सलाम और फिरने के बीच बैठना तक़रीबन बराबर होते थे।' **(2)** हदीस के अल्फ़ाज़ की रिवायत में क़द्रे इख़्तिलाफ़ है। इन अल्फ़ाज़ की तौजीह ये है कि (सजत्तुहू बैनत्तस्लीम वल इन्सिराफ़) से सज्दा सह्व मुराद हो सकता है। और (इअतिदालुहू बैनर्रकअतैन) में 'रकअतैन' से आख़री रकअत का सबीलुत्तग़लीब रूकू और सज्दा मुराद हो। बज़्लुल मज्हूद) सजत्तुहू बैनत तस्लीम वल इन्सिराफ़) से आख़री रकअत का आख़री यानी दूसरा सज्दा भी मुराद हो सकता है। **(3)** रूकू,क़ोमा, सज्दा, बैनस्सज्दतैन और बादे सलाम बैठने में इत्मिनान होना चाहिए और हस्बे तूल क़िराअत इन अरकान को भी मुनासिब तूल देना मशरूअ व मसनून है। बिल्कुल बराबरी मुराद नहीं है।

बाब : 146
उस आदमी की नमाज़ जो रूकू और सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे?

﴾146﴿
باب صَلاَةِ مَنْ لاَ يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ " .

(855) हज़रत अबू मसऊद बद्री (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आदमी की नमाज़ किफ़ायत नहीं करती जब तक कि वह रूकू और सज्दे में अपनी कमर को बराबर न कर ले।'

(855) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 265, इबने माजा, हदीस: 870.

حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَقَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "

(856) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये और एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हूआ, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया और सलाम किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके सलाम का जवाब दिया और फ़रमाया: 'जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।' चुनांचे वह गया और नमाज़ पढ़ी जैसे कि (पहले) पढ़ी थी। फिर नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया और सलाम किया तो रसूल (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'वअलयकुमुस्सलाम, जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुने नमाज़ नहीं पढ़ी।' यहाँ तक कि उसने तीन बार ऐसे

. فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ " . ثُمَّ قَالَ " ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ " . حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي . قَالَ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ " . وَقَالَ فِيهِ " إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ " .

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ،

ही किया। बिलआख़िर उसने कहा: क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस़ फ़रमाया है! मैं इससे उम्दा नहीं पढ़ सकता, मुझे सिखा दीजिए। आपने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाहु अकबर कहो। फिर तुम्हारे लिये जो आसान हो कुर्आन से पढ़ो। फिर रूकू करो, यहाँ तक कि रूकू में ख़ूब इत्मिनान कर लो। फिर सर उठाओ, यहाँ तक कि दुरूस्त अन्दाज़ में खड़े हो जाओ। फिर सज्दा करो, यहाँ तक सज्दे में ख़ूब इत्मिनान कर लो। फिर बैठो, यहाँ तक कि तसल्ली से बैठ जाओ और फिर ऐसे ही पूरी नमाज़ में किया करो।'

क़अनबी ने इसे बवास्ता सईद बिन अबी सईद मक़बुरी, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत किया है तो उसके आख़िर में कहा है: 'अगर तुमने ऐसे ही किया तो तुम्हारी नमाज़ कामिल होगी और अगर इसमें कुछ कमी की तो अपनी नमाज़ में कमी की।' मज़ीद इस रिवायत में ये भी है कि आपने फ़रमाया: ... 'जब नमाज़ के लिये उठो तो वुज़ू कामिल करो।'

(856) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 757, व स़ही मुस्लिम: 397.

(857) अली बिन यहया बिन ख़ल्लाद (यहया के) चचा (रिफ़ाआ) से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स़ मस्जिद में दाख़िल हूआ, और ऊपर दी गई हदीस़ की तरह ज़िक्र

عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ " . يَعْنِي مَوَاضِعَهُ " ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ " .

किया। इसमें है कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी शख़्स की नमाज़ उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह वुज़ू न कर ले और वुज़ू के हिस्सों को ठीक ठीक न धो ले। फिर तकबीर कहे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द व सना करे और कुछ क़ुर्आन पढ़े जो उसे आसान लगे। फिर अल्लाहु अकबर कहे और रूकू करे, यहाँ तक कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें फिर कहे। समिअल्लाहु लिमन हमिदा और इत्मिनान से सीधा खड़ा हो जाये, फिर कहे अल्लाहु अकबर और सज्दा करे, यहाँ तक कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर अल्लाहु अकबर कहे और अपना सर उठाये और ठीक तरह से बैठ जाये। फिर अल्लाहु अकबर कहे और सज्दा करे, यहाँ तक कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर अपना सर उठाये और तकबीर कहे। जब इस तरह करेगा तो उसकी नमाज़ कामिल होगी।'

(857) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/340, हाकिम: 1/242.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ،

(858) जनाब अली बिन यहया बिन ख़ल्लाद ने अपने वालिद से उन्होंने अपने चचा रिफ़ाआ बिन राफ़े(ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया ... इसमें है कि तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी की नमाज़ उस वक़्त तक कामिल नहीं हो सकती जब तक कि वुज़ू कामिल न करे जैसे

कि अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया है। पस अपना चेहरा धोये, कुहनियों तक दोनों हाथ धोये, सर का मसह करे और टख़नों तक दोनों पाँव धोये। फिर अल्लाहु अकबर कहे (और नमाज़ शुरू करे) और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की हम्द व सना करे। फिर क़ुर्आन से क़िराअत करे जैसे कि उसे हुक्म दिया गया है और जो आसान लगे।' फिर हम्माद की हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया। और कहा: 'फिर तकबीर कहे और सज्दा करे और अपना चेहरा ज़मीन पर टिका दे।' हम्माम ने इस मक़ाम पर कुछ औक़ात (जब्हतहू मिनल अर्ज़ि) का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है यानी अपनी पेशानी ज़मीन पर टिकाये यहाँ तक कि उसके जोड़ इत्मिनान और सुकून से टिक जायें। फिर तकबीर कहे और दुरूस्त होकर सुरीन पर बैठ जाये और कमर को सीधी रखे।' अलग़र्ज़! इसी अन्दाज़ में नमाज़ का तरीक़ा बयान फ़रमाया यहाँ तक कि चारों रकआत से फ़ारिग़ हो जाये।' किसी शख़्स की नमाज़ कामिल नहीं हो सकती, यहाँ तक कि ऐसे ही करे।'

(858) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 460, नसाई, हदीस़: 1137, हाकिम: 1/241, 242.

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهَا لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ قَالَ " ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ " . قَالَ هَمَّامٌ وَرُبَّمَا قَالَ " جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ " . فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ " لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ " .

(859) जनाब अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद ने हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़े (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान किया कहा: 'जब तुम (नमाज़ के लिये) खड़े होकर क़िब्ला की

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ

رَافِعٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَقْرَأَ وَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ " . وَقَالَ " إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى " .

तरफ़ रूख़ करो, तो अल्लाहु अकबर कहो फिर उम्मुल कुर्आन (फ़ातिहा) और कुर्आन से कुछ पढ़ो जो अल्लाह तौफ़ीक़ दे। जब रूकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखो और कमर को लम्बा रखो।' और फ़रमाया: 'जब सज्दा करो तो इत्मिनान से टिक कर सज्दा करो और जब सज्दे से उठो तो अपनी बायीं रान पर बैठ जाओ।'

(859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/340, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 638, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 484.

फ़ायदा : इस रिवायत में क़िराअते फ़ातिहा की तसरीह है और ये 'मा तयस्सरा मिनल कुर्आन' की तफ़्सीर व तौज़ीह है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ، رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ " إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلاَتِكَ فَكَبِّرِ اللَّهَ تَعَالَى ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ الْقُرْآنِ " . وَقَالَ فِيهِ " فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ فَاطْمَئِنَّ وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِكَ "

(860) जनाब अ़ली बिन यहया बिन ख़ल्लाद बिन राफ़े अपने वालिद से वह अपने चचा रिफ़ाआ बिन राफ़े (ﷺ) से वह नबी (ﷺ) से ये वाक़िया बयान करते हैं। आपने फ़रमाया: 'जब तुम अपनी नमाज़ के लिये खड़े हो तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तकबीर कहो, फिर जो तुम्हें कुर्आन से आसान लगे वह पढ़ो।' इस रिवायत में मज़ीद फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के दौरान में बैठो तो इत्मिनान से बैठो और अपनी बायीं रान बिछा लो, फिर तशह्हुद पढ़ो, फिर जब खड़े हो तो पहले की तरह करो, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाओ।'

(860) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/133, 134, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 597, 638.

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلاَّدِ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَصَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ " فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَقِمْ ثُمَّ كَبِّرْ فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلاَّ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ " . وَقَالَ فِيهِ " وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ "

(861) जनाब यहया बिन अली बिन यहया बिन ख़ल्लाद बिन राफ़े ज़ुरक़ी अपने वालिद से, वह अपने दादा से, वह हज़रत रिफ़ाआ बिन राफ़े(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया ... और यही हदीस़ बयान की। इसमें कहा ... 'फिर वुज़ू करो जैसे कि तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया है और (बाद अज़ वुज़ू) कलिम—ए—शहादत पढ़ो। फिर इक़ामत कहो। फिर अल्लाहु अकबर कहो (और नमाज़ शूरू करो) अगर तुम्हें क़ुर्आन याद हो तो पढ़ो वरना अल्लाह तआला की तहमीद, तकबीर और तहलील करो।' इस रिवायत में मज़ीद फ़रमाया है 'अगर तुमने इससे कुछ कम किया तो अपनी नमाज़ से कम किया।'

(861) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 668, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 545.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊपर दी गई छः रिवायात 'हदीस़ मुसिउस्स़लात' के नाम से मशहूर व मारूफ़ हैं। (यानी वह आदमी जिसने ग़लत अन्दाज़ में नमाज़ पढ़ी थी) उसका नाम ख़ल्लाद बिन राफ़े(ﷺ) है। **(2)** इल्म न होने के उज्र से इंसान के अफ़आले इबादत किसी तौर पर भी स़ही और जायज़ नहीं हो सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलामन अपने दीन का ज़रूरी इल्म हास़िल करने का एहतिमाम करे और ये फ़र्ज़ है। **(3)** तालीम व तर्बीयत की ग़र्ज़ से तलबा में तलबे इल्म, और इस्लाहे अग़लात का दाइया उजागर करने के लिये मुरब्बी (तर्बियत देने वाले) को मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ इख़्तियार करने चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उस शख़्स से दो तीन बार नमाज़ पढ़वाई। **(4)** इस हदीस़ में नमाज़ के बहुत से मसाइल आ गये हैं और कुछ रह भी गये हैं। उनके मुताल्लिक़ अइम्मा हदीस़ ये कहते हैं कि शायद वह उनसे वाक़िफ़ था। **(5)** वुज़ू की बा'तर्तीब तकमील, उसके बाद दुआ, मुन्फ़रिद (अकेले) के लिये इक़ामत, इब्तेदा—ए—नमाज़ के लिये लफ़्ज़ अल्लाहु अकबर की तख़्स़ीस़, स़ना और फ़ातिहा, क़िराअते क़ुर्आन, तकबीराते इन्तेक़ाल और तस्मीअ, रूकू सुजूद में कमर को सीधा रखना, बैठते हूए इक़आ की बजाये पाँव बिछा कर बैठना और इत्मिनान व एतिदाले अरकान ऐसे मसाइल हैं जो नबी (ﷺ) ने अपनी ज़बाने मुबारक से उसे तालीम फ़रमाये हैं। फ़ुक़हा—ए—

किराम ने इन मसाइल में फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब की इस्तेलाहात इस्तेमाल की हैं, मगर हक़ीक़त ये है कि इस तरह उनकी अहमियत कम हो जाती है। हालांकि फ़रमाने रसूल के सामने सिवाए तस्लीम व तामील के और किसी बहस का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। (6) इस हदीस़ के पसे मन्ज़र में सबसे अहम मसला 'ऐतदाल व इत्मिनान' के वुजूब का है। इसके बग़ैर नमाज़ नहीं होती, ख़्वाह मस्जिदे नबवी में क्यों न पढ़ी जाये। अइम्मा अहनाफ़ में से इमाम तहावी (रह.) ने भी वुजूबे इत्मिनान की स़राहत की है। (7) कुछ लोगों ने (सुम्मा इक़रा बिमा तयस्सरा मअ़का मिनलक़ुर्आन) से इस्तेदलाल करने की कोशिश की है कि क़िराअते फ़ातिहा वाजिब नहीं है, मगर ये इस्तेदलाल अज़ हद ज़ईफ़ है। क्योंकि इस हदीस़ की एक सनद (हदीस़: 859) में (सुम्मा .....) की स़राहत मौजूद है। यानी फ़ातिहा की क़िराअत करो और जो अल्लाह तौफ़ीक़ दे। उन लोगों का इस्तेदलाल ज़ईफ़ होने की एक नज़ीर ये है कि क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला ने हज के मसाइल में फ़रमाया है: 'और जो कोई उ़मरह को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाये तो उस पर क़ुर्बानी है जो उसे मयस्सर आये।' (अलबक़र: 196) और ज़ाहिर है कि हज्जे तमत्तोअ़ में कम अज़ कम क़ुर्बानी एक बकरी है और शर्त है कि उसके दाँत टूट कर फिर से निकल चुके हों। जैसे कि स़ही अहादीस़ में वाज़ेह है। 'मयस्सर आने' का मफ़हूम किसी सूरत भी खुली छुट नहीं, बल्कि ख़ास़ सिफ़त से मख़सूस है। ऐसे ही (सुम्मा ....) की तौजीह सूरते फ़ातिहा है, जैसे कि हदीस़: 1859 और दीगर स़ही व स़रीह अहादीस़ में आया है। मगर ये कि कोई अज़ हद आ़जिज़ हो और कुछ भी न पढ़ सकता हो, तो तस्बीह व तहलील कर सकता है। (8) (सुम्मा ....) के अल्फ़ाज़ की रोशनी में ऊपर दिये गये आदाब व तालीमात को हर हर रकअ़त में मल्हूज़े ख़ातिर रखना लाज़मी है। और इसमें से इत्मिनान और क़िराअते फ़ातिहा भी है, और अल्लाह तौफ़ीक़ देने वाला है।

(862) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन शिब्ल (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है कि (नमाज़ में) कोए की तरह ठोंगें मारी जायें या दरिन्दे की मानिन्द फैल कर बैठा जाये या कोई शख़्स़ मस्जिद में (अपने लिये) जगह ख़ास़ कर ले जैसे कि ऊँट ख़ास़ कर लेता है। और ये लफ़्ज़ क़ुतैबा के हैं।

(862) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 1113, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 662, 1319, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 476, हाकिम: 1/229, मुसनद अहमद: 5/447.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَكَمِ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيرُ . هَذَا لَفْظُ قُتَيْبَةَ .

फ़ायदा : नमाज़ में हैवानात से मुशाबिहत की मुमानिअ़त आई है, जैसे कि ऊँट की तरह बैठना। और इस हदीस़ में जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने को कोए की तरह ठोंगें मारने से तश्बीह दी गई है। या सज्दे में इंसान अपनी कुहनियाँ ज़मीन पर बिछा ले तो दरिन्दे की तरह फैल कर बैठने से तश्बीह आई है। ऐसे ही मस्जिद में नमाज़ के लिये अपने लिये जगह मख़्सूस करना भी मना है। नमाज़ के बाद इल्मी हल्क़े के लिये जगह ख़ास करने में कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمٍ الْبَرَّادِ، قَالَ أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدِّثْنَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَىْءٍ مِنْهُ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلَ هَذِهِ الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي .

(863) जनाब सालिम बर्राद बयान करते हैं कि हम हज़रत अबू मसऊद उ़क़्बा बिन अ़म्र अन्सारी(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और उनसे कहा कि हमें रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ बताइये। वह हमारे सामने मस्जिद में खड़े हो गये और अल्लाहु अकबर कहा (और नमाज़ शूरू की) जब रूकू किया तो हाथों को अपने घुटनों पर रखा और ऊँगलियों को उन (घुटनों) से नीचे किया और कुहनियों को (पहलूओं से) दूर रखा, यहाँ तक कि हर हर जोड़ अपनी जगह पर टिक गया। फिर (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा) कहा और खड़े हो गये यहाँ तक कि हर हर अ़ज़्व (पार्ट) अपनी अपनी जगह पर टिक गया। फिर तकबीर कही और सज्दा किया और हाथों को ज़मीन पर रखा। फिर कुहनियों को पहलूओं से दूर किया, यहाँ तक कि हर अ़ज़्व अपनी जगह पर टिक गया फिर (सज्दे से अपना सर उठाया और बैठे, यहाँ तक कि हर हर अ़ज़्व अपनी जगह पर टिक गया। फिर (दूसरे सज्दे में) भी ऐसे ही किया। फिर इसी तरह चार रकअ़तें पढ़ीं और अपनी नमाज़ पूरी की, फिर फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ऐसे ही नमाज़ पढ़ते हूए देखा था।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1037, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 598, हाकिम: 1/234.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में ऐतदाल व इत्मिनान वाजिब है। इसके बग़ैर नमाज़ बातिल होती है। (2) रूकू में हाथों को घुटनों पर रखना, हल्का घुटनों को पकड़ना मसनून है। (सुनन नसाई, हदीस़: 1035, 1036) जब कि तत्बीक़ मन्सूख़ है। (3) रूकू और सज्दे में कोहनियों को पहलूओं से दूर रखना चाहिए।

﴾147﴿
باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُتِمُّهَا صَاحِبُهَا تَتِمُّ مِنْ تَطَوُّعِهِ

बाब : 147
नबी (ﷺ) का फ़रमान : हर वह (फ़र्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूरा न किया हो, उसे उसके नवाफ़िल से पूरा किया जायेगा

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ خَافَ مِنْ زِيَادٍ أَوِ ابْنِ زِيَادٍ فَأَتَى الْمَدِينَةَ فَلَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ يَا فَتَى أَلاَ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا قَالَ قُلْتُ بَلَى رَحِمَكَ اللَّهُ . قَالَ يُونُسُ أَحْسِبُهُ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاَةُ قَالَ يَقُولُ رَبُّنَا جَلَّ وَعَزَّ لِمَلاَئِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ انْظُرُوا فِي صَلاَةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا

(864) अनस बिन हकीम ज़ब्बी से मरवी है, कहा कि वह ज़्याद या इब्ने ज़्याद के ख़ौफ़ से मदीना आ गया और यहां हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) से मुलाक़ात हो गई। उन्होंने मुझ से मेरा नसब मालूम किया तो मैंने उन्हें बता दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ऐ जवान! क्या मैं तुम्हें एक हदीस़ न सुनाऊं? मैंने कहा: क्यों नहीं। अल्लाह आप पर रहम फ़रमाये! (उस्ताद) यूनुस कहते हैं: मेरा ख़्याल है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से बयान किया कि आपने फ़रमाया: 'क़यामत के रोज़ लोगों के आमाल में से जिस अमल का सबसे पहले हिसाब होगा वह उनकी नमाज़ होगी। हमारा रब अज़्ज़ व जल्ल फ़रिश्तों से फ़रमायेगा हालांकि वह (पहले ही) ख़ूब जानने वाला है, मेरे बंदे की नमाज़ देखो! क्या उसने

فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ أَتِمُّوا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ " .

उसको पूरा किया है या इसमें कोई कमी है? चुनांचे वह अगर कामिल हूई तो पूरी की पूरी लिख दी जायेगी और अगर उसमें कोई कमी हूई तो फ़रमायेगा कि देखो! क्या मेरे बंदे के कुछ नवाफ़िल भी हैं। अगर नफ़ल हूए तो वह फ़रमायेगा कि मेरे बंदे के फ़र्ज़ों को उसके नफ़लों से पूरा कर दो। फिर इसी अन्दाज़ से दीगर आमाल लिये जायेंगे।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 2/425, इब्ने माजा, हदीस़: 1425, हाकिम: 1/262.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक स़ही है। हदीस़ 1866 इसकी ताईद करने वाली है। **(2)** क़यामत के रोज़ आमाल का मुहासबा हक़ है। **(3)** शहादतैन के बाद नमाज़ दीन का अहम तरीन रूक्न है और हुक़ूकुल्लाह में से इसका सबसे पहले हिसाब होगा। (सुनन नसाई, हदीस़: 366) जबकि हुक़ूकुल इबाद में सबसे पहले ख़ूनों का हिसाब लिया जायेगा। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 6533, व स़ही मुस्लिम: 1678) **(4)** फ़राइज़ की अदायगी में किसी भी कोताही से इंसान को सतर्क रहना चाहिए, नीज़ नवाफ़िल का भी ख़ूब एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि इन ही से फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। **(5)** नवाफ़िल बिलख़ुसूस सुनने रातिबा (मुअक्क़दा) रसूलुल्लाह(ﷺ) की सुन्नते मुतवातिरा हैं। सफ़र के अ़लावा आपने इन्हें कभी तर्क नहीं फ़रमाया बल्कि कुछ औक़ात ताख़ीर होने पर इनकी क़ज़ा भी अदा की है। कुछ स़ालेहीन का कहना है कि सुनन व नवाफ़िल की पाबन्दी फ़राइज़ पर पाबन्दी के लिये महमीज़ का काम देती है। और जो शख़्स सुनन में ग़फ़लत करता है ऐन मुमकिन है फ़राइज़ में ग़फ़लत का मुर्तकिब हो जाये। **(6)** वह अहादीस़ जिनमें रसूलुल्लाह(ﷺ) ने कुछ नवमुस्लिम गाँव के रहने वालों को सिर्फ़ फ़राइज़ की पाबन्दी के वादे पर उन्हें जन्नत की ख़ूशख़बरी दी है, वह अव्वल तो इब्तेदा–ए–इस्लाम की बात है। यही लोग जूं जूं हक़ को समझते गये, नवाफ़िल में बहुत आगे बढ़ते चले गये जैसे कि उनकी जीवनियाँ वाज़ेह करती हैं। दूसरे, रसूलुल्लाह (ﷺ) की स़ोहबते मुबारका से उन्हें ऐसा तज़किया हासिल हो जाता था कि उनके फ़राइज़ ही इस आला पाये के हो जाते थे कि वह नवाफ़िल न भी पढ़ते तो उनकी कामयाबी की ज़मानत और ख़ुशख़बरी ज़बाने रिसालत से जारी हो गई थी, लिहाज़ा दीगर मुसलमानों का इस मामले में अपने आप को उन पर क़ियास करना स़ही नहीं है और सिर्फ़ फ़राइज़ पर तकिया करना ठीक नहीं है, बल्कि 'यौमूल हश्र' को पेशे नज़र रखते हूए मज़ीद दर मज़ीद तक़र्रूबे इलाही की कोशिश करनी चाहिए। व बिल्लाहि तौफ़ीक़. हाँ कुछ औक़ात किसी उ़ज़्र की बिना पर सुन्नतें रह जायें तो उनकी क़ज़ा करना वाजिब नहीं है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَلِيطٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ .

(865) बनी सलीत के एक शख़्स ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से इस (ऊपर दी गई हदीस़) की मानिन्द रिवायत किया।

(865) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ " ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ "

(866) जनाब ज़ुरारा बिन औफ़ा ने हज़रत तमीमदारी (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी के हम मानी बयान किया। कहा 'फिर ज़कात का मुहासबा होगा। फिर बाक़ी आमाल इसी अन्दाज़ से लिये जायेंगे।'

(866) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1426, व हाकिम: 1/262, 263.

फ़ायदा : यानी तमाम आमाल में पहले फ़राइज़ को देखा जायेगा, वह कामिल हूए तो बेहतर, वरना इसके बाद नवाफ़िल से फ़र्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। जैसे नफ़ली नमाज़ों से, फ़र्ज़ नमाज़ों की और नफ़ली स़दक़े से, फ़र्ज़ ज़कात की कमी पूरी की जायेगी।

﴿148﴾ بَابُ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ

बाब : 148
रूकू व सुजूद के अहकाम और हाथों का घुटनों पर रखना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَاسْمُهُ وَقْدَانُ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا

(867) जनाब मुसअब बिन सअद बयान करते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़) (ﷺ) के पहलू में नमाज़ पढ़ी। और मैंने अपने हाथों को (रूकू में) अपने घुटनों के दरम्यान रखा तो उन्होंने मुझे इससे मना फ़रमाया। मैंने फिर वैसे ही किया तो उन्होंने कहा: ऐसे मत करो। हम (स़हाबा–ए–रसूल) (ﷺ) ये किया करते थे

كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .

मगर हमें इससे रोक दिया गया था और हुक्म दिया गया कि हम अपने हाथों को घुटनों पर रखा करें।'

(867) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 790, व सही मुस्लिम: 535.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सहाबा–ए–किराम (ؓ) का ये कहना कि 'हमें हुक्म दिया गया।' 'हमें रोक दिया गया।' या 'हम ऐसे ऐसे किया करते थे।' ये सब मरफ़ूअ अहादीस़ के मानी में आते हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अलावा और कोई न था जो उन्हें ऐसी हिदायतें देता। **(2)** रूकू में तत्बीक़ यानी घुटनों के दरम्यान हाथ देकर खड़े होना मन्सूख़ अमल है। सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) या चंद एक सहाबा ही इस पर अमल करते रहे थे। जैसे कि अगली हदीस़ में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَفْرِشْ ذِرَاعَيْهِ عَلَى فَخِذِهِ وَلْيُطَبِّقْ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلاَفِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(868) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ؓ) से रिवायत है, उन्होंने कहा: जब तुममें से कोई रूकू करे, तो अपने बाज़ूओं को अपनी रानों पर बिछा लिया करे और अपनी हथेलियों को एक दूसरी में दे लिया करे, गोया कि मैं देख रहा हूँ कि रसूल(ﷺ) की ऊँगलियाँ एक दूसरी के अंदर हैं।

(868) तख़रीज : बैहक़ी: 2/83, व सही मुस्लिम: 534.

बाब : 149
रूकू और सज्दे में आदमी क्या पढ़े?

﴿149﴾ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى، - قَالَ أَبُو سَلَمَةَ

(869) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ؓ) बयान करते हैं कि जब (फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम) नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसे अपने रूकू में करो।' (यानी 'सुब्हान रब्बियल

مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ - عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ " . فَلَمَّا نَزَلَتْ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } قَالَ " اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ " .

अ़ज़ीम' कहा करो) और जब (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आ़ला) नाज़िल हुई तो फ़रमाया: 'इसे अपने सज्दों में करो।' (यानी 'सुब्हान रब्बिल आ़ला' कहा करो।)'

(869) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 887, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 600, 601, 670, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 506, हाकिम: 2/477.

नोट : ये तस्बीहात स़ही सनदों से स़ाबित हैं। इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना अ़मल भी है। नबी(ﷺ) बज़ाते ख़ूद रूकू और सुजूद में ये तस्बीहात पढ़ा करते थे। (स़ही मुस्लिम) ऊपर दी गई दोनों रिवायात (869 और 870) शैख़ अल्बानी के नज़दीक सनदन ज़ईफ़ हैं। लेकिन शवाहिद की बिना पर ये इज़ाफ़ा उनके नज़दीक स़ही है। देखिये:(सुनन अबी दाऊद)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، - أَوْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ - عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بِمَعْنَاهُ زَادَ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا رَكَعَ قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ نَخَافُ أَنْ لاَ تَكُونَ مَحْفُوظَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ انْفَرَدَ أَهْلُ مِصْرَ بِإِسْنَادِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَحَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ .

(870) जनाब अय्यूब बिन मूसा या मूसा बिन अय्यूब ने अपनी क़ौम के एक आदमी से उन्होंने हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (رضي الله عنه) से इसके हम मानी रिवायत किया है। और इज़ाफ़ा किया है कि (इन आयात के उतरने पर) रसूलुल्लाह (ﷺ) जब रूकू करते तो कहते: (सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम व बिहम्दिही) तीन बार और जब सज्दा करते तो कहते (सुब्हान रब्बियल आ़ला व बिहम्दिही) तीन बार।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: कि हमारे ख़्याल में ये इज़ाफ़ा महफ़ूज़ नहीं है। और अहले मिस्र इन दोनों अहादीस़ को (हदीसे रबीअ़ और हदीसे अहमद बिन यूनुस को) सनद, बयान करने में तन्हा हैं।

(870) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/86, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

नोट : हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) बयान करते हैं कि अ़ल्लामा इब्ने अस्सलाह वग़ैरह ने (व बिहम्दिही) के इज़ाफ़े का इंकार किया है, मगर कई सनदों की बिना पर इसे तक़वियत मिल जाती है और ये इंकार

क़ाबिले तवज्जोह नहीं रहता। इमाम अहमद से इसके मुताल्लिक़ पूछा गया, तो उन्होंने कहा: मैं (वबिहम्दिही) के लफ़्ज़ नहीं कहता। (तफ़्सील के लिये देखिये—नैलुल अवतार)

(871) जनाब शोबा बयान करते हैं कि मैंने सुलेमान बिन मेहरान आमश से पूछा: क्या मैं नमाज़ में तख़्वीफ़ की आयात पढ़ते वक़्त दुआ कर लिया करूं? तो उन्होंने मुझे बसनद सअद बिन उबैदा बयान किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो वह रूकू में (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) और सज्दे में (सुब्हान रब्बियल आला) पढ़ते थे। और क़िराअत के बीच में जिस किसी आयते रहमत से गुज़रते तो वहाँ रूकते और सवाल करते और जिस किसी आयते अज़ाब से गुज़रते तो वहाँ रूकते और पनाह माँगते।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ أَدْعُو فِي الصَّلاَةِ إِذَا مَرَرْتُ بِآيَةِ تَخَوُّفٍ فَحَدَّثَنِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ مُسْتَوْرِدٍ عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . وَفِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . وَمَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَسَأَلَ وَلاَ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ عِنْدَهَا فَتَعَوَّذَ .

(871) तख़रीज : सही मुस्लिम: 772.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़िराअते क़ुर्आन इन्तेहाई ग़ौर व फ़िक्र से करनी चाहिए, ख़्वाह नमाज़ के दौरान में हो या उसके अलावा। **(2)** तिलावते क़ुर्आन का एक अदब ये भी है कि रहमत की आयत पर दुआ और अज़ाब पर तअव्वुज़ किया जाये और ये तभी मुमकिन है जब उसका तर्जुमा व मफ़हूम आता हो। लिहाज़ा दीनी इल्म ज़रूर हासिल करना चाहिए।

(872) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) अपने सज्दा और रूकू में ये दुआ पढ़ा करते थे (सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह्) 'मेरा रब शराकत, साझेदारी और दीगर तमाम नक़ाइस व उयूब से बिल्कुल पाक है। फ़रिश्तों का रब है और रूह का भी।'

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوحِ " .

(872) तख़रीज : सही मुस्लिम.

(873) हज़रत औफ़ा बिन मालिक अशजई(ﷺ) रिवायत करते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ क़याम किया, आपने क़याम किया तो सूरह बक़र: की तिलावत फ़रमाई। आप जिस किसी आयते रहमत से गुज़रते तो वहाँ रूकते और दुआ करते और जिस किसी आयते अज़ाब से गुज़रते तो वहाँ रूकते और तअव्वुज़ करते। फिर आपने रूकू किया, इस क़द्र लम्बा जितना कि आपका क़याम था। आप अपने रूकू में ये दुआ पढ़ते थे: (सुब्हान ज़िल जबरूति ....) 'पाक है वह ज़ात जो ग़ल्बा व क़ूव्वत, मिल्कीयत, बड़ाई और अज़मत वाली है।' फिर आपने सज्दा किया, इस क़द्र लम्बा जितना कि आपका क़याम था। और आप अपने सज्दे में भी वही दुआ पढ़ते रहे। फिर खड़े हूए और सूरह आले इमरान की क़िराअत फ़रमाई। फिर एक सूरत पढ़ी (उसके बाद एक और) सूरत पढ़ी।'

(873) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1050, हदीस: 871 में देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ قُمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلاَّ وَقَفَ فَسَأَلَ وَلاَ يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّذَ - قَالَ - ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ سَجَدَ بِقَدْرِ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ - ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِآلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً سُورَةً .

(874) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को रात में नमाज़ पढ़ते हूए देखा। आप कहते थे अल्लाहु अकबर तीन बार (ज़ुलमल्कूति वलजबरूति वल किब्रियाइ वलअज़मति) 'अल्लाह सबसे बड़ा है, कामिल मिल्कियत वाला, ग़ल्बे वाला, बड़ाई और अज़मत वाला।' फिर आपने सना पढ़ी। फिर सूरह बक़र: की

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، مَوْلَى الأَنْصَارِ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَبْسٍ عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَكَانَ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ - ثَلاَثًا -

ذُو الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ " . ثُمَّ اسْتَفْتَحَ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ ثُمَّ رَكَعَ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ وَكَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ يَقُولُ " لِرَبِّيَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَ سُجُودُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ فَكَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَكَانَ يَقْعُدُ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ وَكَانَ يَقُولُ " رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي " . فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءَ وَالْمَائِدَةَ أَوِ الأَنْعَامَ شَكَّ شُعْبَةُ .

क़िराअत की। फिर रूकू किया और आप का रूकू आपके क़याम जैसा था, आप रूकू में ये दुआ पढ़ते थे (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) फिर रूकू से सर उठाया आपका ये क़याम पहले क़याम की मानिन्द (लम्बा) था। आप यहाँ पढ़ते थे (लिरब्बियल हम्द) 'मेरे रब की हम्द है।' फिर सज्दा किया तो आपका सज्दा भी आप के क़याम की मानिन्द था। और आप सज्दे में कहते थे (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा रब जो सबसे बलन्द व बाला है।' फिर आपने सज्दे से सर उठाया, और सज्दों के दरम्यान बैठे, उतनी देर जितनी कि सज्दे में लगाई और इस दौरान में कहते थे (रब्बिग़् फ़िर्ली, रब्बिग़् फ़िर्ली) चुनांचे आपने चार रकअतें पढ़ीं और इनमें सूरह बक़र:, आले इमरान, निसा और मायदा या अनआम की तिलावत की। शोबा को शक हूआ है।

तख़रीज : (सनद सही) : नसाई, हदीस: 1070, इब्ने माजा, हदीस: 897, तयालिसी, हदीस: 416.

﴿150﴾ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

बाब : 150
रूकू और सज्दे में दुआ करने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ -

(875) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सज्दे की हालत में बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा क़रीब होता है, लिहाज़ा सज्दे में

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ، ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ " .

बहुत ज़्यादा दुआ किया करो।'

(875) तख़रीज : सही मुस्लिम: 482.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَشَفَ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَى لَهُ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا الرَّبَّ فِيهِ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ

(876) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने (अपने मर्ज़े वफ़ात के दिनों में) पर्दा हटाया, जबकि लोग हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पीछे सफ़ें बनाये हूए थे। आपने फ़रमाया: 'लोगो! नबूवत की ख़ूश ख़बरियों में से सिर्फ़ अच्छा ख़्वाब ही बाक़ी रह गया है जिसे मुसलमान देखता है या (किसी के लिए) उसे दिखा दिया जाता है और मुझे रूकू या सज्दे की हालत में क़ुर्आन पढ़ने से मना किया गया है। रूकू में रब तआला की अज़मत और सज्दे में दुआ ख़ूब किया करो। ये इस लायक़ होती है कि क़बूल कर ली जाये।'

(876) तख़रीज : सही मुस्लिम: 479.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) का मुसल्ल–ए–नबवी पर खड़े होना नबी (ﷺ) के लिये बाइसे इत्मिनान व तस्कीन साबित हूआ था और उसी को अबूबक्र (ﷺ) की ख़िलाफ़त की अहलिय्यत (सबसे ज़्यादा हक़दार होने का) इशारा समझा गया। **(2)** अच्छा ख़्वाब मुसलमान के लिये ख़ुशख़बरी का बाइस होता है। जो कुछ औक़ात इंसान ख़ूद देखता है या किसी दूसरे मुसलमान को दिखा दिया जाता है। **(3)** इससे कुछ उलमा ने ये दक़ीक़ सा इस्तेम्बात किया है कि एक मुसलमान दुसरे मुसलमान के लिये इस्तेख़ारा कर सकता है। (नीज़ अगली हदीस के फ़वाइद मुलाहिज़ा फ़रमायें) **(4)** रूकू और सज्दे में क़ुर्आन की तिलावत जायज़ नहीं। **(5)** सज्दे में दुआ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी क़बूलियत की बहुत उम्मीद होती है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي " . يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .

(877) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने रूकू और सज्दे में कसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना वबिहम्दिका अल्लाहुम्मग़फ़िरली) 'पाक है तू ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! और अपनी हम्द के साथ। ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे।' आप (ﷺ) इस दुआ से कुर्आनी तालीम पर अमल फ़रमाते थे।

(877) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4968, व सही मुस्लिम: 484.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस दुआ का पसे मन्ज़र ये है कि जब सूरह (इज़ा जाअ नसरूल्लाह) नाज़िल हूई तो इसमें ये इरशाद हूआ कि (फसब्बिह बिहम्दिका वस्तग़्फ़िरहू इन्नहु काना तव्वाबा) 'सो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिये और उसी से इस्तेग़फ़ार कीजिये बेशक वह तौबा क़बूल करने वाला है।' तो नबी (ﷺ) ने ऊपर दी गई दुआ को रूकू और सज्दे में अपना मामूल बना लिया। **(2)** इस दुआ में तस्बीह, तहमीद और दुआ तीनों चीज़ें जमा हैं। और साबिक़ा हदीस में जो आया है कि 'रूकू में अपने रब की अज़मत और सज्दे में दुआ ख़ूब किया करो।' तो इन दोनों अहादीस को जमा करने से मालूम हूआ कि रूकू में तस्बीह व तहमीद के साथ साथ दुआ जायज़ है और ऐसे ही सज्दे में दुआ के साथ तस्बीह व तहमीद भी। **(3)** इसकी दूसरी तौजीह ये भी बयान हूई है कि रूकू में ताज़ीमे रब और सज्दे में कसरते दुआ अफ़ज़ल व बेहतर है। और इस मक़सद के लिये मासूर कलिमात का इन्तेख़ाब ही ज़्यादा अच्छा है। नवाफ़िल में जरूरत के हिसाब से भी दुआ जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ سُمَىٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ " اللَّهُمَّ

(878) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) अपने सज्दों में ये दुआ पढ़ा करते थे: (अल्लाहुम्मग़ फ़िर्ली ज़न्बी कुल्लहू दिक़्क़हू व जिल्लहू व अव्वलहू व आख़िरहू) इब्ने सरह ने मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी बयान किये। (अलानिय्यतहू व सिर्रहू) 'ऐ अल्लाह! मेरे सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा दे, छोटे बड़े, अगले पिछले और जो ज़ाहिर या छिपे हूए हैं।'

اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " . زَادَ ابْنُ السَّرْحِ " عَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ " .

(878) तख़रीज : सही मुस्लिम: 483.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की इस अन्दाज़ की दुआएँ इज़हारे तशक्कुर और अब्दीयत के लिये थीं और उम्मत के लिये तालीम भी। (2) ऊपर दी गई और आगे आने वाली दुआओं से ये बात भी पूरी तरह वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आलिमुल ग़ैब है न मुख़्तारूल कुल, बल्कि अल्लाह तआला के अब्दे कामिल और अब्दे मामूर (हुक्मे इलाही के पाबन्द) हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ " أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ " .

(879) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को (उनके बिस्तर से) गुम पाया तो मैंने उन्हें उनके मुसल्ले पर टटोला तो पाया कि आप सज्दे में थे। आपके पाँव खड़े थे और आप ये कलिमात पढ़ रहे थे: (अऊज़ुबिरिज़ाक ...) '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी नाराज़ी से तेरी रज़ामंदी की और तेरी पकड़ से तेरी माफ़ी की पनाह चाहता हूँ। मैं तुझ से (डर कर) तेरी ही पनाह में आता हूँ। मैं तेरी तारीफ़ात शुमार नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जैसे कि तूने ख़ूद अपनी सना बयान की है।'

(879) तख़रीज : सही मुस्लिम: 486.

﴾151﴿ بَابُ الدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 151
नमाज़ में दुआ करना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(880) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी नमाज़ में ये दुआ करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन

كَانَ يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

अज़ाबिल क़ब्र ....) 'ऐ अल्लाह! मैं अज़ाबे क़ब्र से, तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे मसीह दज्जाल के फ़ितने से महफ़ूज़ रख, मुझे ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से महफ़ूज़ फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाह के कामों और क़र्ज़ से बचाये रख।' किसी ने कहा कि आप क़र्ज़ से बहुत पनाह माँगते हैं? (इसकी क्या वजह है?) आपने फ़रमाया: 'बंदा जब क़र्ज़ ले लेता है, तो बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो पूरा नहीं करता।'

(880) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 832, व सही मुस्लिम: 589.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दज्जाल के मानी हैं 'इन्तेहाई फ़रेबी' और 'मसीह' से मुराद (मम्सूहुल ऐन) है यानी एक आँख से काना। और हज़रत ईसा अलैहि. को जो मसीह कहा जाता है वह बमानी (मसीह) है यानी उनके हाथ फेरने से मरीज़ों को शिफ़ा मिल जाती थी। या यहूद के यहाँ इस्तलाहन हर उस शख़्स को मसीह कहते थे जो अल्लाह तआला की तरफ़ से इस्लाहे ख़ल्क के लिये मामूर होता था। **(2)** ज़िन्दगी के फ़ित्ने से मुराद है कि इंसान दुनिया के बखेड़ों में उलझ कर रह जाये और दीन के तक़ाज़े पूरे न कर सके। **(3)** मौत के फ़ितने से मुराद ये है कि आख़री वक़्त में कलिमा तौहीद से महरूम रह जाये या कोई और नामुनासिब कलिमा या काम कर बैठे। अल्लाह हमें बचाये। **(4)** नमाज़ अल्लाह के कुर्ब का मौक़ होता है। इसलिए इंसान को अपनी दुनिया व आख़िरत की हाजात तलब करने का हरीस़ होना चाहिए। (बिलख़ुसूस तशहहुद के आख़िर और सज्दों में) **(5)** क़र्ज़ से इंसान को जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो अपने वसाइल को सामने रखते हूए इतना क़र्ज़ ले कि वह हस्बे वादा अदा कर सके, ताकि झूठ बोलने की या वादा ख़िलाफ़ी की नोबत न आये।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ

(881) जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला अपने वालिद से बयान करते हैं, कहा कि मैंने (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) के पहलू में खड़े होकर नफ़ल नमाज़ पढ़ी। मैंने आपको सुना कहते थे: (अऊज़ुबिल्लाहि मिनन्नारी, वैलुन

إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ تَطَوُّعٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لأَهْلِ النَّارِ " .

अहलिन्नार) 'आग से अल्लाह की पनाह। हलाकत है दोज़ख़ियों के लिये।'

(881) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1352, हदीस: 752 में देखें।

फ़ायदा : इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, अलबत्ता हज़रत हुज़ैफ़ा और औफ़ बिन मालिक (ﷺ) की हदीसों से इसकी ताईद होती है लिहाज़ा तिलावत के बीच में हस्बे मज़मून 'तअव्वुज़' जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلاَةِ وَقُمْنَا مَعَهُ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ فِي الصَّلاَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . يُرِيدُ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(882) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में खड़े हूए और हम भी आपके साथ खड़े हो गये तो एक बदवी ने नमाज़ में यूँ कहा: (अल्लाहुम्मा इर्हम्नी व मुहम्मदन वला तर्हम मअना अहदन) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा और मुहम्मद (ﷺ) पर, और हमारे साथ किसी पर रहम न फ़रमा।' जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा तो उस बदवी से कहा: तूने वसीअ चीज़ को तंग कर दिया।' आप (ﷺ) का इशारा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रहमत की तरफ़ था।

(882) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1217, बुख़ारी, हदीस: 6010, हदीस: 380 में देखें।

फ़ायदा : इस अन्दाज़ से दुआ नहीं करनी चाहिए और ये दुआ करने वाला वही आराबी था जिसने मस्जिद में पेशाब कर दिया था जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस (147) से मालूम होता है।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(883) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) 'अपने रब्बे आला की तस्बीह बयान कीजिये।' की तिलावत करते तो (जवाबन) फ़रमाते: (सुब्हान रब्बियल आला) 'पाक है मेरा रब जो सबसे बलन्द व बाला है।'

كَانَ إِذَا قَرَأَ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } قَالَ " سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ خُولِفَ وَكِيعٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ أَبُو وَكِيعٍ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ में वकीअ़ की मुख़ालिफ़त की गई है। अबू वकीअ़ और शोबा ने इसे बवास्ता अबू इस्हाक़ अ़न सईद बिन जुबैर अ़न इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) मौक़ूफ़न बयान किया है।

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/232, हाकिम: 1/263, 264.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ और ग़ैर नमाज़ में आयात का जवाब स़ाबित है, इनमें से एक मक़ाम ये भी है। **(2)** ये हदीस़ सिर्फ़ क़ारी यानी, क़िराअत और तिलावते क़ुर्आन करने वाले के लिये है। इससे मुक़तदी या सामेअ़ का जवाब देना बहरहाल स़ाबित नहीं होता। इसलिए मुक़तदी और सामेअ़ के लिये बेहतर है कि वह जवाब देने से परहेज़ करे। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَوْقَ بَيْتِهِ وَكَانَ إِذَا قَرَأَ {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } قَالَ سُبْحَانَكَ فَبَلَى فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ يُعْجِبُنِي فِي الْفَرِيضَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا فِي الْقُرْآنِ .

(884) जनाब मूसा बिन अबी आ़यशा (ताबेई) बयान करते हैं कि (स़हाबा में से) एक स़ाहिब अपने घर छत पर नमाज़ पढ़ाते थे। तो जब वह (सूरह क़यामा की आख़री आयत) (अ लैसा बिकादिरिन अ़ला अय्युहयियल मौता) 'क्या अल्लाह क़ुदरत नहीं रखता कि वह मुर्दों को ज़िन्दा कर दे?' पढ़ते तो (जवाब में) कहते (सुब्हानक फ़बला) 'ऐ अल्लाह! तू पाक है, तू यक़ीनन क़ुदरत रखता है।' लोगों ने उनसे इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा: मैंने इसे रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम अहमद का कहना है कि मुझे ये बात ज़्यादा पसन्द है कि फ़र्ज़ नमाज़ों में क़ुर्आनी दुआएँ की जायें।

(884) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/210.

﴿152﴾ بَاب مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

बाब : 152
रूकू और सज्दे की मिक़्दार

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ رَمَقْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَتِهِ فَكَانَ يَتَمَكَّنُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقُولُ " سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ " . ثَلاَثًا .

(885) जनाब सईद जुरैरी, सअ़दी से, वह अपने वालिद या चचा से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने नबी (ﷺ) को उनकी नमाज़ में पढ़ते ग़ौर से देखा है। आप अपने रूकू और सज्दे में इतनी देर रूकते थे कि (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही) तीन बार कह लें।

(885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/271.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَذَلِكَ أَدْنَاهُ وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاَثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَبْدَ اللَّهِ .

(886) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई रूकू करे तो तीन दफ़ा कहे: (सुब्हान रब्बियल अ़ज़ीम) और ये कम से कम तादाद है। और जब सज्दा करे तो कहे: (सुब्हान रब्बियल आ़ला) तीन बार। और ये कम से कम तादाद है।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुर्सल (मुन्क़तअ) है। औ़न ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) को नहीं पाया है।

(886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3347.

फ़ायदा : सही हदीसों से ये तस्बीहात साबित है। जैसे हदीसे हुज़ैफ़ा (ﷺ) (871–874) मगर तादाद कम अज़ कम तीन हो, इस सिलसिले में शायद ही कोई हदीस़ सही हो। सब ज़ईफ़ हैं। अलबत्ता ज़्यादा

तादाद होने की वजह से उन्हें कुछ क़वीयत मिलती है। देखिये: (मिरआतुल मफ़ातीह, हदीस़: 886) शैख़ अलबानी (रह.) ने कई तुरूक़ की बिना पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की फ़ेअली हदीस़ यानी जिसमें तीन तीन बार तस्बीहात कहने का ज़िक्र रसूलुल्लाह (ﷺ) से अमलन मिलता है इसे सही क़रार दिया है, जबकि वह रिवायात जिनमें तीन तीन बार तस्बीहात कहने का हुक्म है उन्हें ज़ईफ़ क़रार दिया है। देखिये: (सिफ़तुस्सलात, स़: 132, 135) इस तरह गोया फ़ेअले रसूल (ﷺ) से तो मज़कूरा तस्बीहात का तीन तीन मर्तबा कहने का सुबूत मिलता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ { وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ } فَانْتَهَى إِلَى آخِرِهَا { أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ } فَلْيَقُلْ بَلَى وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَنْ قَرَأَ { لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } فَانْتَهَى إِلَى {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى } فَلْيَقُلْ بَلَى وَمَنْ قَرَأَ {وَالْمُرْسَلاَتِ } فَبَلَغَ { فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ } فَلْيَقُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ " . قَالَ إِسْمَاعِيلُ ذَهَبْتُ أُعِيدُ عَلَى الرَّجُلِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنْظُرُ لَعَلَّهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَتَظُنُّ أَنِّي لَمْ أَحْفَظْهُ لَقَدْ حَجَجْتُ

(887) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो तुममें सूरह (वत्तीन वज़्ज़ैतून) पढ़े और उसके आख़िर में (अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन) 'क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है?' पर पहुँचे तो कहे (बला! व अना अ़ला ज़ालिका मिनश्शहिदीन) 'क्यों नहीं! और मैं इसकी गवाही देने वालों में से हूँ।' और जो सूरह अलक़ियामा पढ़े और इसके आख़िर में (अ लैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अ़ला अय्युहयियल मौता) 'क्या वह इस पर क़ादिर नहीं कि मुर्दों को ज़िन्दा कर सके?' तो चाहिए कि कहे: (बला) 'क्यों नहीं, वह क़ादिर है।' और जो शख़्स सूरह अलमुर्सलात पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचे (फ़बिअय्यि हदीसिम बअ़दहू यूमिनून) 'ये लोग इसके बाद किस बात पर ईमान लायेंगे?' तो चाहिए कि कहे: (आमन्ना बिल्लाहि) 'हम अल्लाह पर ईमान लाये।'

इस्माईल कहते हैं कि मैं उस आराबी के पास दो बारा गया ताकि उससे ये हदीस़ दोबारा सुनूं और देखूं कहीं वह (भूला तो नहीं) तो उसने कहा: ऐ

سِتِّينَ حَجَّةً مَا مِنْهَا حَجَّةٌ إِلاَّ وَأَنَا أَعْرِفُ الْبَعِيرَ الَّذِي حَجَجْتُ عَلَيْهِ .

भतीजे! तुम्हारा क्या ख़्याल है कि मैंने इस हदीस़ को याद नहीं रखा होगा? हालांकि मैंने साठ हज किये हैं और हर हज में मैं जिस जिस ऊँट पर सवार होता रहा हूँ वह सब मुझे याद हैं।

(887) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3347.

नोट : इस हदीस़ में आराबी मजहूल रावी है, ताहम दीगर स़ही अहादीस़ से ये स़ाबित है कि आयाते रहमत पर अल्लाह से उसकी रहमत का सवाल और आयाते अ़ज़ाब पर अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहने का सवाल किया जाये।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ، رَافِعٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ وَهْبِ بْنِ مَانُوسٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْبَهَ صَلاَةً بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذَا الْفَتَى يَعْنِي عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ وَفِي سُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قُلْتُ لَهُ مَانُوسٌ أَوْ مَابُوسٌ قَالَ أَمَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَيَقُولُ مَابُوسٌ وَأَمَّا حِفْظِي فَمَانُوسٌ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ رَافِعٍ . قَالَ أَحْمَدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .

(888) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने सूलुल्लाह (ﷺ) के बाद किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी कि उसकी नमाज़ रसूल(ﷺ) की नमाज़ से बहुत ज़्यादा मुशाबा हो। सिवाए इस जवान के यानी अ़म्र बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के। चुनांचे हमने अन्दाज़ा लगाया कि वह अपने रूकू और सज्दे में दस दस तस्बीहात कहते थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अहमद बिन स़ालेह कहते हैं कि मैंने अपने शैख़ से पूछा कि रावी का नाम मानूस (नून के साथ) है या माबूस (बा के साथ)? तो उन्होंने कहा कि अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने माबूस (बा के साथ) बयान किया है, मगर मुझे मानूस (नून के साथ) याद है और ये इब्ने राफ़े के लफ़्ज़ हैं। अहमद ने अपनी रिवायत में अ़नअ़ना का इस्तेमाल करते हूए, 'अ़न सईद बिन जुबैर अ़न अनस बिन मालिक' कहा। (जबकि इब्ने राफ़े ने सिमाअ़ की तस़रीह की है।)

(888) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1136.

नोट : शैख़ शौकानी (रह.) फ़रमाते हैं कि रूकू और सुजूद में ज़्यादा से ज़्यादा अदद किसी सही हदीस़ से साबित नहीं है। नमाज़ की तवालत (लम्बी होने) के ऐतबार से ज़्यादा से ज़्यादा बग़ैर किसी अददे मुअय्यन के तस्बीहात कही जा सकती हैं।

बाब : 153
आदमी जब इमाम को सज्दे में पाये तो कैसे करे?

﴾153﴿
باب أَعْضَاءِ السُّجُودِ

(889) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये आओ और हम सज्दे में हों तो तुम भी सज्दा करो और इसे कुछ शुमार न करो। और जिसने रकअत को पा लिया उसने नमाज़ को पा लिया।'

(889) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 815, मुस्लिम: 490.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ " . قَالَ حَمَّادٌ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلاَ يَكُفَّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मसबूक़ यानी इमाम से पीछे रह जाने वाला, तकबीरे तहरीमा कह कर नमाज़ शूरू करे और इमाम के साथ मिल जाये, वह जिस हालत में भी हो। **(2)** ज़ेरे नज़र हदीस़ में (अर्रकअत) का तर्जुमा हमने 'रकअत' किया है। जबकि कुछ उलमा यहाँ इससे मुराद 'रूकू' लेते हैं। हमारे मशाइख़ और उलमा–ए पाक व हिन्द की एक कसीर तादाद इससे 'रकअत' ही मुराद लेती है। और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से यही मनक़ूल है। जैसे कि शैख़ शौकानी (रह.) ने नैलुल अवतार (2/244, 245) में ये बहस़ की है। वह तमाम हज़राते अइम्मा किराम जो वजूबे फ़ातिहा ख़ल्फुल इमाम के क़ाइल हैं, वह रूकू की रकअत के क़ाइल नहीं हैं। इमाम बुख़ारी, इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा, तक़ीयुद्दीन सुबकी और दीगर उलमा–ए–शाफ़ेइया (रह.) इस तरफ़ गये हैं। ताहम रूकू में मिल जाने से रकअत के क़ायलीन की तादाद भी काफ़ी है, मगर राजेह यही है कि रकअत दो चीज़ों से मिल कर होती है एक क़याम और दूसरी क़िराअत। और रूकू में मिलने वाला इन दोनों से महरूम रहता है। लिहाज़ा रूकू में मिलने से रकअत को दोहराना ज़्यादा राजेह है। वल्लाहु आलम! और इस क़िस्म के मसाइल में अवामुन्नास को अपने यहाँ के क़ाबिले ऐतमाद मुहक़्क़िक़ उलमा से राब्ता करना चाहिए। **(3)** मुदरिके रूकू के मसले की मज़ीद वज़ाहत के लिये मुलाहिज़ा हो, हदीस़ नम्बर 683 के फ़वाइद।

बाब : 154
सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का बयान

﴿154﴾
باب فِي الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

(890) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है ..' हम्माद के अल्फ़ाज़ हैं... तुम्हारे नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया है कि 'सात (आज़ा–पार्टस्) पर सज्दा करें और इस दौरान में अपने बालों या कपड़ों को न समेटें।'

(890) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 815, व सही मुस्लिम: 490.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ " . وَرُبَّمَا قَالَ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ .

फ़ायदा : सज्दे में अपने सर या दाढ़ी के बालों को मुट्ठी से बचाते हूए समेटना दुरूस्त नहीं। और ऐसे ही कपड़ों को भी नहीं समेटना चाहिए।

(891) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'मुझे हुक्म दिया गया है।' और कुछ औक़ात कहते, तुम्हारे नबी (ﷺ) को हुक्म दिया गया है कि 'सात आज़ा पर सज्दा करें।'

(891) तख़रीज : ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا سَجَدَ الْعَبْدُ سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَابٍ وَجْهُهُ وَكَفَّاهُ وَرُكْبَتَاهُ وَقَدَمَاهُ " .

(892) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -

يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ قَالَ " إِنَّ الْيَدَيْنِ تَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ الْوَجْهُ فَإِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ فَلْيَرْفَعْهُمَا " .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ" .

को ये फ़रमाते सुना: 'बंदा जब सज्दा करता है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा करते हैं: चेहरा, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव।'

(892) तख़रीज : सही मुस्लिम.

(893) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) मरफ़ूअन बयान करते हैं: 'हाथ भी सज्दा करते हैं जैसे कि चेहरा सज्दा करता है। जब तुममें से कोई (सज्दे में ज़मीन पर) अपना चेहरा रखे तो हाथ भी (ज़मीन पर) रखे और जब (चेहरा) उठाये तो उन्हें भी उठा ले।'

(893) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/6, हाकिम: 1/226, 227.

﴾155﴿ باب السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

बाब : 155
सज्दे में नाक और पेशानी को ज़मीन पर रखना

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ .

(894) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लोगों को एक नमाज़ पढ़ाई तो उसमें देखा गया कि आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर कीचड़ का निशान था।

(894) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 813, व सही मुस्लिम: 1167.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، نَحْوَهُ .

(895) मुहम्मद बिन यहया बवास्ता अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ मअ़मर से इसकी मानिन्द रिवायत करते हैं।

(895) तख़रीज : मुसन्नफ़ अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 7685, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : सज्दे में इंसान की पेशानी नंगी हो और बराहे रास्त ज़मीन या मुस़ल्ले पर लगे तो राजेह और अफ़ज़ल है। नबी (ﷺ) का अपनी पगड़ी की पट्टी या तह पर सज्दा करना स़ाबित नहीं है, मगर कुछ स़हाबा के आस़ार ज़रूर स़ाबित हैं। देखिये (नैलुल अवतार: 2/290) नीज़ पेशानी के साथ नाक भी ज़मीन पर लगानी चाहिए।

﴾156﴿ بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ

बाब : 156 सज्दा कैसे किया जाये?

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ وَصَفَ لَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ .

(896) जनाब अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (ﷺ) ने हमें सज्दा करके दिखाया। यूँ कि उन्होंने (पहले) अपने हाथ रखे, अपने घुटनों पर टेक लगाई और अपनी सुरीन को ऊँचा किया और कहा: रसूलुल्लाह(ﷺ) इस तरह सज्दा किया करते थे।

(896) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 1105, हदीस़: 728 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلاَ يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ " .

(897) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सज्दा स़ही तरह (सुकून) से किया करो। और तुममें से कोई कुत्ते की तरह अपने हाथ न फैलाये।'

(897) तख़रीज:बुख़ारी:822 व स़ही मुस्लिम: 493

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ، يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى لَوْ أَنَّ بَهْمَةً أَرَادَتْ أَنْ تَمُرَّ تَحْتَ يَدَيْهِ مَرَّتْ.

(898) सय्यदना मैमूना (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं, नबी (ﷺ) जब सज्दा करते तो अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखते थे यहाँ तक कि अगर बकरी का बच्चा आपके हाथों के नीचे से गुज़रना चाहता, तो गुज़र सकता था।

(898) तख़रीज : सही मुस्लिम: 496.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ الَّذِي، يُحَدِّثُ بِالتَّفْسِيرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خَلْفِهِ فَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَخٌّ قَدْ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ .

(899) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा, मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे से आया (जबकि आप सज्दे में थे) तो मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। आपने अपनी कमर को उठाया हूआ था, पेट ज़मीन से ऊँचा था और बाज़ू पहलूओं से दूर था।

(899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/267.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है, अगली हदीस़ इसकी ताईद करने वाली है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَحْمَرُ بْنُ جَزْءٍ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ حَتَّى نَأْوِيَ لَهُ

(900) हज़रत अहमर बिन जज़ा (ﷺ) स़हाबी–ए रसूल (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सज्दा करते तो अपने हाथों को अपने पहलूओं से (इस क़द्र) दूर रखते थे कि हमें (आपकी मशक़्क़त को देखते हूए) आप पर तरस आता।

(900) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 886.

फ़ायदा : यानी हाथों को अपनी पस्लियों से ख़ूब दूर करके रखते थे इस वजह से देखने वालों को तरस आता कि आप बहुत मशक़्क़त में हैं, मगर जमाअ़त और स़फ़ में ये सूरत नहीं हो सकती। ताहम अगर बुढ़ापे या बीमारी की वजह से ऐसा न हो सकता हो, तो उसके लिये रूख़्सत है कि वह जिस तरह सज्दा कर सकता है कर ले।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَفْتَرِشْ يَدَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ " .

(901) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई सज्दा करे तो अपने हाथों को (ज़मीन पर) कुत्ते की तरह न फैलाए और अपनी रानों को मिला कर रखे।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/114, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 653, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 499.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) की हदीस़ में है कि 'जब आप सज्दा करते तो अपनी रानों में फ़ास़ला करते और अपने पेट को भी उठाए होते, उसे रानों का सहारा न देते। (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 735) **(2)** सज्दा करने का ये तरीक़ा, मर्दों और औरतों दोनों के लिये है, क्योंकि औरतों के लिये नबी (ﷺ) ने सज्दे का कोई अलग तरीक़ा बयान नहीं फ़रमाया। इस सिलसिले में जो रिवायतें बयान की जाती हैं, उनमें कोई भी स़ही नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिये: हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.) की किताब 'क्या औरतों का तरीक़–ए–नमाज़ मर्दों से मुख़्तलिफ़ है?' मतबूअ दारूस्सलाम)

(157) بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ

बाब : 157
ज़रूरत के लिये इसमें रूख़स़त का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اشْتَكَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ إِذَا انْفَرَجُوا فَقَالَ " اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ " .

(902) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि स़हाबा किराम ने नबी (ﷺ) से शिकायत की कि जब वह सज्दे में अपने बाज़ूओं को खुले करते हैं तो उससे बहुत मशक़्क़त होती है, तो आपने फ़रमाया: 'अपने घुटनों से मदद ले लिया करो।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 286, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 507, हाकिम: 1/229.

फ़ायदा : बीमार और ज़ईफ़ के लिये सज्दों में रानों का सहारा लेना मुबाह है, क्योंकि वह माज़ूर होता है।

बाब : 158
पहलूओं पर हाथ रखना और इक़्आ करना

﴾158﴿
باب في التخصر والإقعاء

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى خَاصِرَتَىَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ .

(903) जनाब ज़्याद बिन सुबैह हनफ़ी बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, मैंने इस दौरान में अपने हाथ अपने पहलूओं (कोख) पर रख लिये। जब वह नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: ये कैफ़ियत नमाज़ में सलीब (मस्लुब) से मुशाबिहत है और रसूल (ﷺ) इससे मना फ़रमाया करते थे।

तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 892.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के बीच में कोख (या कूल्हों) पर हाथ रखना नाजायज़ है। इसकी कई वजूहात बयान की गई हैं। एक तो यही मुशाबिहत, जो ज़िक्र हूई है कि सूली दिये जाने वाले को लकड़ी पर इस अन्दाज़ में खड़ा करते थे कि उसके हाथ उसके पहलूओं से दूर होते थे। दीगर अक़्वाल ये हैं। इस किस्म में शैतान से मुशाबिहत होती है। या यहूद से मुशबिहत होती है। या ये दोज़ख़ियों के आराम की कैफ़ियत होगी। या मुतकब्बिरीन इसी तरह खड़े होते हैं। या ग़म व अन्दोह में भी लोग इसी अन्दाज़ में खड़े होते हैं वग़ैरह (औनूल माबूद) अलग़र्ज़ वजह कोई भी हो ये अमल ममनूअ है। **(2)** 'इक़्आ अलल क़दमैन' की वज़ाहत इस तरह है कि 'इक़्आ' एड़ियों पर बैठने को कहते हैं और दो सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह बैठना जायज़ है। तफ़्सील के लिये हदीस; 845 के फ़वाइद मुलाहिज़ा हो।

बाब : 159
नमाज़ में रोना

﴾159﴿
باب البكاء في الصلاة

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، -

(904) जनाब मतरूफ़ अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सीने

يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ صلى الله عليه وسلم .

से रोने की वजह से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई चक्की सी चल रही हो।

(904) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1215, रियाज़ुस्सालेहीन, हदीस: 451.

फ़ायदा : सुनन नसाई की रिवायत में है कि आपके अन्दर से हण्डिया के उबलने की सी आवाज़ आ रही थी। (हदीस: 1215) और मोमिन की ख़ास सिफ़त यही है कि 'जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है तो सज्दों में गिर जाते हैं और रोते हैं।' (मरयम: 58) और ये कैफ़ियते ईमान और अल्लाह की आयतों पर ग़ौरो फ़िक्र ही से हासिल होती है और इससे नमाज़ बातिल नहीं होती, ख़्वाह आवाज़ से रोये।

﴾160﴿
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 160
नमाज़ के दौरान में वस्वसे और ख़्यालात की कराहत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يَسْهُو فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

(905) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे (यानी सुन्नत के मुताबिक़) फिर दो रकअतें पढ़े और उनमें ग़फ़लत का शिकार न हो तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।

(905) तख़रीज : (सनद हसन) बग़वी, हदीस: 1013, मुसनद अहमद: 4/117, हाकिम: 1/131.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ

(906) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जोहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़राया: 'जो कोई वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू

رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ " .

करे फिर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल और चेहरे से उन्हीं पर मुतवज्जा रहे, तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।

(906) **तख़रीज** : सही मुस्लिमः 169.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वुज़ू वही अच्छा हो सकता है जो सुन्नते नबवी के मुताबिक़ हों आज़ा (वुज़ू के हिस्सों को) कामिल धोए जायें। पानी का ज़ाया न हो और शूरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर की दुआ भी पढ़े। (2) दिल के ख़्यालात और वस्वसों से बचने की ज़ाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न देखे, अपनी नज़र और चेहरे को सज्दे की जगह पर मरकूज़ रखे और मानवी ऐतबार से आयात व अज़कार के मानी व मफ़ाहीम पर ग़ौर करे और इस तरह इबादत करे गोया कि अल्लाह को देख रहा है या अल्लाह उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है। इसके अलावा उलमा–ए–सालेहीन की सोहबत और कुतूबे अहादीस में ज़ोहद और रक़ाक़ के अबवाब का बकसरत मुतालआ इंसान के लिये हुस्ने इबादत का बेहतरीन ज़रिया हैं और ये मासूर दुआ अपना मामूल बनाये। (अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िकिरका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका) (सुनन अबी दाऊद, हीसः 1522) 'ऐ अल्लाह अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।'

﴿161﴾ باب الْفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 161
इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، قَالاَ أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ، - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَحْيَى وَرُبَّمَا قَالَ -

(907) (1) हज़रत मसऊद बिन यज़ीद मालिकी(ﷺ) से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ, आपने नमाज़ में क़िराअत फ़रमाई और उसमें से कुछ आयात छूट गयी। जिन्हें आपने तिलावत नहीं फ़रमाया, तो एक आदमी ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़लां

شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الصَّلاَةِ فَتَرَكَ شَيْئًا لَمْ يَقْرَأْهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلاَّ أَذْكَرْتَنِيهَا " . قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَاهَا نُسِخَتْ . وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمِسْوَرُ بْنُ يَزِيدَ الأَسَدِيُّ الْمَالِكِيُّ.

फ़लां आयत छोड़ दी है। आपने फ़रमाया: 'तो तूने मुझे याद क्यों न करा दिया?' सुलेमान ने अपनी रिवायत में कहा कि उस आदमी ने कहा: मैं समझा शायद ये मन्सूख़ हो गई हैं। सुलेमान ने इस सनद को यूँ बयान किया ... (हदीस़ना यहया बिन कस़ीर अलअसदी क़ाला: हद्दीस़ना अल मिस्वर बिन यज़ीद अल असदी अलमालिकी) (यानी तस़रीहे तहदीस़ और वज़ाहते नसब के साथ।)

(907) (1) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी: 194 जुज़्उल किरात, मुसनद अहमद: 4/74, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1648, इब्ने हिब्बान, हदीस: 378, 379.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ زَبْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى صَلاَةً فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لأُبَىٍّ " أَصَلَّيْتَ مَعَنَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " فَمَا مَنَعَكَ " .

(907) (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने एक नमाज़ पढ़ी और इसमें क़िराअत की, तो कुछ ख़लत हो गया। जब फ़ारिग़ हूए तो हज़रत उबय (ﷺ) से फ़रमाया: 'क्या तुमने हमारे साथ नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था (कि मुझे बता देते।)'

(907) (2) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/212, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 380, नववी: 4/241, इमाम अबू हातिम इललुल हदीस़: 1/77.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी (ﷺ) को भी क़िराअत में कुछ भूल होती है जिससे एक तो आपकी इन्सान होने का सुबूत मिलता है। दूसरे, आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व तशरीअ का ज़रिया बन गया। क़ुर्आन मजीद में है (सनुक़्रिउका फ़ला तन्सा. इल्ला माशाअल्लाह) (अल आला: 6,7) **(2)** इमाम अगर क़िराअत में भूले तो उसे वह आयात बताई जायें। अगर दूसरे अरकान भूल रहा हो तो सुब्हानल्लाह कहा जाये। और औरत उलटे हाथ पर ताली बजा कर मुतन्नबा (आगाह) करे।

बाब : 162
इमाम को लुक़्मा देने की मुमानिअत का मसला

﴾162﴿
باب النَّهْىِ عَنِ التَّلْقِينِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا عَلِيُّ لاَ تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْحَارِثِ إِلاَّ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ لَيْسَ هَذَا مِنْهَا .

(908) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अ़ली! इमाम को नमाज़ में लुक़्मा मत दो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अबू इस्हाक़ ने हारिस़ से सिर्फ़ चार अहादीस़ सुनी हैं और ये उनमें से नहीं है।

(908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/146.

नोट : इस हदीस़ के एक रावी हारिस़ बिन अ़ब्दुल्लाह कूफ़ी, अबू ज़ुहैर अल आ़वर को कई एक मुहद्दिसीन ने कज़्ज़ाब (हद दर्जा झूठा) कहा है। इसके मुक़ाबले में पिछले बाब में दी गई हज़रत उबय(ﷺ) की हदीस़ सनदन स़ही है। लिहाज़ा इमाम अगर क़िराअत में भूल रहा हो तो उसे बता देना चाहिए।

बाब : 163
नमाज़ में इधर उधर देखना

﴾163﴿
باب الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَحْوَصِ، يُحَدِّثُنَا فِي مَجْلِسِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَزَالُ اللَّهُ عَزَّ

(909) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'बंदा जब नमाज़ में होता है तो अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसकी तरफ़ बराबर मुतवज्जा रहता है जब तक कि वह इधर उधर न देखे। जब वह इधर उधर देखने लग जाये तो अल्लाह भी उससे मुँह मोड़ लेता है।'

وَجَلَّ مُقْبِلاً عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ " .

(909) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1196, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 481, 482, हाकिम, हदीस: 1/236.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَشْعَثِ، - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " إِنَّمَا هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ الْعَبْدِ " .

(910) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है, वह कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से पूछा कि आदमी का नमाज़ के दौरान में इधर उधर देखना कैसा है? आपने फ़रमाया: 'ये उचकना' है। इस तरह से शैतान बंदे की नमाज़ से उचक लेता है।'

(910) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 751.

फ़ायदा : गर्दन घुमा कर देखना बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता बहुत सख़्त ज़रूरत के तहत किसी क़द्र नज़र घुमा कर देखे तो जायज़ है।

﴾164﴿ بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

बाब : 164 नाक पर सज्दा करना

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رُئِيَ عَلَى جَبْهَتِهِ وَعَلَى أَرْنَبَتِهِ أَثَرُ طِينٍ مِنْ صَلاَةٍ صَلاَّهَا بِالنَّاسِ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ هَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الرَّابِعَةِ .

(911) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा गया कि आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर कीचड़ का निशान था।

अबू अली लूलूई कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने जब चौथी बार अपनी ये किताब तलामिज़ा (स्टूडेंट्स) पर पढ़ी तो इसमें ये हदीस न थी।

(911) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 894 में देखें।

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) से सुनन अबू दाऊद रिवायत करने वाले मारूफ़ मुहद्दिस चार हैं जिन तक उलमाए–मुहद्दिसीन की सनदें पहुँचती हैं। (1) अबू अली मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र लूलूई अलबसरी। (2) अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अत्तम्मार अलबसरी अलमारूफ़ बि इब्ने दासा (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज़्याद बिन बिश्र अलमारूफ़ बि इब्ने अल अराबी। (4) अबू ईसा इस्हाक़ बिन मूसा बिन सईद अर रमली, वर्राक़ अबी दाऊद। लूलूई का नुस्ख़ा मश्रिक़ में और इब्ने दासा का नुस्ख़ा मग़रिब में मशहूर हूआ है। (अल हत्ता फ़ी जिक्रिस्सिहाहिस्सित्ता) इन नुस्ख़ों में कहीं कहीं कुछ बाहम इख़्तेलाफ़ हैं।

बाब : 165
नमाज़ में नज़र उठाने का मसला

《165》
بَابُ النَّظَرِ فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، - قَالَ عُثْمَانُ - قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَرَأَى فِيهِ نَاسًا يُصَلُّونَ رَافِعِي أَيْدِيهِمْ إِلَى السَّمَاءِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ " لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يَشْخَصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي الصَّلاَةِ - أَوْ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ " .

(912) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये और देखा कि कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और अपने हाथ आसमान की तरफ़ उठाये हूए हैं तो आपने फ़रमाया: 'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान की तरफ़ उठाने से बाज़ आ जायें या उनकी नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लौटेंगी।'

(912) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 661 में देखें।

फ़ायदा : नमाज़ के दौरान में दुआ के लिये हाथ उठाना जायज़ है जैसे कि कुनूत में उठाये जाते हैं और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने भी अल्लाह की हम्द के लिये उठाये थे। (देखिये हदीस: 940, 941) लेकिन नज़रें आसमान की तरफ़ उठाना सही नहीं। इस हदीस में इंकार नज़रें उठाने पर है न कि हाथ उठाने पर।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ فِي صَلاَتِهِمْ " . فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ " لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ " .

(913) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगों को क्या हूआ है कि अपनी नमाज़ों के दौरान नज़रें उठा लेते हैं?' आपका फ़रमान इस बारे में बड़ा सख़्त हो गया और फ़रमाया: 'ये लोग अपने इस अमल से बाज़ आ जायें वरना इनकी नज़रें उचक ली जायेंगी।'

(913) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 750.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلاَمٌ فَقَالَ " شَغَلَتْنِي أَعْلاَمُ هَذِهِ اذْهَبُوا بِهَا إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّتِهِ " .

(914) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ऊनी चादर में नमाज़ पढ़ी, इसमें कुछ नुक़ूश व निगार थे। आपने फ़रमाया: 'मुझे इसके नक़्शों निगार उलझाने लगे थे। इसे अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास अन्बिजानी चादर ले आओ।' (यानी जिसमें नक़्श नहीं होते)

(914) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 752, व सही मुस्लिम: 556.

حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي الزِّنَادِ - قَالَ سَمِعْتُ هِشَامًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَأَخَذَ كُرْدِيًّا كَانَ لأَبِي جَهْمٍ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ الْكُرْدِيِّ .

(915) जनाब हिशाम ने अपने वालिद से उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) से ये हदीस़ बयान की। आपने अबू जहम की (चादरों में से) कुर्दी चादर ले ली। आपसे कहा गया कि ऊनी (मुनक़्क़श) चादर इस कुर्दी से उम्दा थी।

(915) **तख़रीज :** (सनद सही) सही मुस्लिम: 556.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अबू जहम (ﷺ) आपके सहाबा में से थे उनका नाम उ़बैद या आ़मिर बिन हुज़ैफ़ा क़ुर्शी अ़दवी आया है। इनकी तरफ़ मुनक़्क़श चादर इसलिए भेजी थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को ये चादर हदिया की थी। (औ़नूल माबूद) **(2)** लिबास, मुसल्ला, फ़र्श या सामने की दीवार वग़ैरह अगर ऐसी हो कि उसके नुक़ूश से नमाज़ के दौरान में उलझन होती हो तो उससे बचना चाहिए। **(3)** नमाज़ के दौरान में आँखें बंद कर लेना किसी तरह सही नहीं। नज़र जहाँ तक हो सके सज्दे की जगह पर रहनी चाहिए, मगर तशहहुद में बैठते हुए शहादत की उँगली पर हो तो मुस्तहब है। (सुनन नसाई, हदीस: 1161) तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार)

बाब : 166
नमाज़ में इधर उधर देखने की रूख़सत

﴾166﴿
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

(916) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (ﷺ) बयान करते हैं कि नमाज़े फ़ज्र की इक़ामत कही गई और रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने लगे और आप इस दौरान में एक घाटी की तरफ़ देख रहे थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि आपने एक शहसवार को उस घाटी की तरफ़ रात में पहरे के लिये भेजा था।

(916) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 887, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 487, इब्ने अलमुल्किन तोहफ़तुल मोहताज़: 1/365, हदीस: 376.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَلاَّمٍ - عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي السَّلُولِيُّ، - هُوَ أَبُو كَبْشَةَ - عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ - يَعْنِي صَلاَةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ .

फ़ायदा : ये हदीस और दीगर वह अहादीस जिनमें इल्तेफ़ात (इधर उधर चेहरा करने) से मना किया गया है, इनके दरम्यान तत्बीक़ (हल) यूँ दी गई है कि गर्दन मोड़े बग़ैर सख़्त ज़रूरत की वजह से देखना जायज़ है, वरना ममनूअ।

﴾167﴿

باب الْعَمَلِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 167
नमाज़ में अमल
(हरकात वग़ैरह जो मुबाह हैं)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

(917) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (कुछ औक़ात अपनी नवासी) उमामा बिन्ते ज़ैनब (ﷺ) को उठाकर नमाज़ पढ़ाते थे। जब सज्दा करते तो उसे बिठा देते और जब खड़े होते तो उसे उठा लेते।

(917) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 516, मौता: 1/170, व सही मुस्लिम: 543.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ بَيْنَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهَا.

(918) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक बार हम मस्जिद में बैठे हूए थे कि रसूल(ﷺ) तशरीफ़ लाये। आप उमामा बिन्ते अबी अलआस़ बिन रबीअ को उठाये हूए थे। और उसकी वालिदा रसूलुल्लाह (ﷺ) की स़ाहबज़ादी हज़रत ज़ैनब (ﷺ) थीं ये छोटी बच्ची थी और रसूल (ﷺ) ने उसे अपने कंधे पर उठाया हूआ था। आपने नमाज़ पढ़ाई और ये आपके कंधे पर थी, आप जब रूकू करते तो उसे नीचे बिठा देते और जब खड़े होते तो उसे उठा लेते। आपने (इसी तरह) नमाज़ मुकम्मल की और इस दौरान में उसे उठाते और बिठाते रहे।

(918) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5996, व सही मुस्लिम: 543.

(919) हज़रत अबू क़तादा अंसारी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने के दौरान में उमामा दुख़्तरे अबी अलआस़ को अपनी गर्दन (यानी कंधे) पर उठाये हूए थे। आप जब सज्दा करते तो उसे नीचे बिठा देते।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जनाब मख़रमा ने अपने वालिद (बुकैर बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अलआ़स) से एक ही हदीस़ सुनी है।

(919) तख़रीज : स़ही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لِلنَّاسِ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ عَلَى عُنُقِهِ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَسْمَعْ مَخْرَمَةُ مِنْ أَبِيهِ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا.

(920) हज़रत अबू क़तादा स़हाबी–ए–रसूल(ﷺ) से मरवी है, वह कहते हैं कि एक बार हम नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) का इन्तेज़ार कर रहे थे, नमाज़ ज़ोहर की थी या अ़स्र की। और हज़रत बिलाल (ﷺ) ने आपको नमाज़ के लिये बुलाया। जब आप तशरीफ़ लाये तो उमामा बिन्ते अबी अलआ़स़ यानी आपकी स़ाहबज़ादी (हज़रत ज़ैनब)(ﷺ) की बेटी आपकी गर्दन पर थी। चुनांचे रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने मुस़ल्ले पर खड़े हूए और हम भी आपके पीछे खड़े हो गये जब कि वह बच्ची अपनी उसी जगह पर थी (यानी आप(ﷺ) की गर्दन पर) आपने तकबीर कही तो हमने भी तकबीर कही। यहाँ तक कि जब रसूल (ﷺ) ने रूकू करना चाहा तो उसे पकड़ कर बिठा दिया, फिर रूकू किया और सज्दा किया। जब आप अपने सज्दे से फ़ारिग़ हूए और खड़े हूए तो उसे फिर गर्दन (कंधे) पर बिठा लिया। रसूल(ﷺ) हर

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلصَّلاَةِ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَقَدْ دَعَاهُ بِلاَلٌ لِلصَّلاَةِ إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بِنْتُ ابْنَتِهِ عَلَى عُنُقِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مُصَلاَّهُ وَقُمْنَا خَلْفَهُ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا الَّذِي هِيَ فِيهِ قَالَ فَكَبَّرَ فَكَبَّرْنَا قَالَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْكَعَ أَخَذَهَا فَوَضَعَهَا ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ سُجُودِهِ ثُمَّ قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا فِي مَكَانِهَا فَمَا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ‏.‏

रकअत में ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि अपनी नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये।

(920) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह: 3/88, 89.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस आख़री रिवायत की साबिक़ा अहादीस़ से ताईद होती है। **(2)** हज़रत उमामा बिन्ते ज़ैनब (ﷺ) से हज़रत अली (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) की वफ़ात के बाद उनकी वसीयत की बुनियाद पर उनसे निकाह कर लिया था, मगर इनसे औलाद नहीं हुई। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) को बच्चों से बहुत ही प्यार था और आप उनसे किसी तरह परेशान न होते थे। **(4)** कुछ फ़ुक़हा–ए किराम ने नबी (ﷺ) के इस अमल को आपसे मख़्सूस बावर कराने की कोशिश की है मगर हक़ ये है कि ऐसा कोई क़रीना नहीं है जिसके तहत इस क़िस्म के आमाल को आपसे मख़्सूस किया जा सके, बल्कि इसमें उम्मत के लिये उस्वा है। माँ बाप को इस क़िस्म की सूरतेहाल का अकस़र सामना रहता है और कुछ अहवाल में इमाम या मुक़तदी को भी ऐसी सूरत पेश आ सकती है। **(5)** छोटे बच्चों के जिस्म और कपड़े तहारत पर महमूल होते हैं और उन्हें मस्जिद में ले आना जायज़ है। (मगर एक हद तक) **(6)** नमाज़ में अमले क़लील हो या कस़ीर मुबाह है, बशर्ते कि क़िब्ले से इनहराफ़ न हो। जैसे कि इस हदीस़ में नबी (ﷺ) ने अपनी नवासी को नीचे उतारा फिर उठाया और बार बार ऐसे किया।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ ‏"‏ ‏.‏

(921) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ पढ़ते हुए भी दो काले जानवरों को क़त्ल कर दो यानी साँप और बिच्छु।'

(921) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 390, नसाई, हदीस़: 1203, इब्ने माजा, हदीस़: 1245, मुसनद अहमद: 2/473, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 869, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 528, हाकिम: 1/256.

फ़ायदा : ये इंसान को ईज़ा (तक्लीफ़) देने वाले जानवर हैं इसलिए इन पर तर्स खाना इंसान पर ज़ुल्म है, लिहाज़ा नमाज़ के दौरान में भी इन्हें क़त्ल कर दिया जाये। ख़्वाह अस़ा (डंडा) या पत्थर वग़ैरह ढूंढने और इस जानवर के पीछा करने में क़िब्ला रूख़ से मुन्हरिफ़ होना पड़े। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इस दूसरी सूरत में नमाज़ बातिल हो जायेगी और दोहरानी पड़ेगी, मगर कुछ दूसरे उलमा इसे नमाज़े ख़ौफ़ पर क़यास करते हुए नमाज़ को सही कहते हैं। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ أَحْمَدُ - يُصَلِّي وَالْبَابُ عَلَيْهِ مُغْلَقٌ فَجِئْتُ فَاسْتَفْتَحْتُ - قَالَ أَحْمَدُ - فَمَشَى فَفَتَحَ لِي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مُصَلاَّهُ . وَذَكَرَ أَنَّ الْبَابَ كَانَ فِي الْقِبْلَةِ .

(922) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (﵂) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते, मैं आती और दरवाज़ा खुलवाती तो आप चल कर दरवाज़ा खोल देते और फिर अपने मुसल्ले पर लौट आते। और (उर्वा ने) ज़िक्र किया कि दरवाज़ा क़िब्ला रूख़ था।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 601, हदीस: 785 में देखें, दारक़ुतनी: 2/80.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम अगर दरवाज़ा क़िब्ला रूख़ हो और चंद क़दम के फ़ासले पर हो और घर में कोई जवाब देने वाला भी न हो, तो चंद क़दम चल कर दरवाज़ा खोल देने में कोई हर्ज मालूम नहीं होता, बल्कि एक तो ये अमल क़लील है। दूसरे, नमाज़ी क़िब्ले से मुनहरिफ़ भी नहीं होता। तीसरे, उससे इसका ख़ुशूअ फ़िस्सलात भी ज़्यादा मुतास्सिर नहीं होगा। वल्लाहु आलम!

﴾168﴿
بَابُ رَدِّ السَّلاَمِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 168
नमाज़ के दौरान में सलाम का जवाब देना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ " إِنَّ فِي الصَّلاَةِ لَشُغْلاً " .

(923) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (﵁) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) को सलाम कहते थे जबकि आप नमाज़ में होते तो आप हमें सलाम का जवाब देते। पस जब हम (हिजरते हब्शा के बाद) नजाशी के पास से वापस आये और हमने आपको सलाम किया तो आपने हमें जवाब न दिया और फ़रमाया: 'नमाज़ में एक और ही मशग़ूलियत है।'

(923) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1199, व सही मुस्लिम: 538.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में क़िराअते क़ुर्आन, अल्लाह के ज़िक्र और दुआ में मशग़ूलियत होती है इसलिए किसी और तरफ़ मुतवज्जा होना मुनासिब नहीं। सिवाए इसके जिसकी रूख़्सत आई है। **(2)** दौराने नमाज़ में अ़मदन (जानबूझ कर) बात करने से नमाज़ बातिल हो जाती है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ وَنَأْمُرُ بِحَاجَتِنَا فَقَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ فَأَخَذَنِي مَا قَدُمَ وَمَا حَدُثَ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ " . فَرَدَّ عَلَىَّ السَّلاَمَ .

(924) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) बयान करते हैं कि हम नमाज़ में सलाम कहा करते थे और अपनी ज़रूरत की बात भी लोगों से कर लेते थे, फिर मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया, जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने आपको सलाम किया, लेकिन आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। इससे मुझे बहुत ग़म लाहिक़ हूआ और अगले पिछले अन्देशों ने आ लिया। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल अपने अहकाम में जो चाहता है तब्दीली करता है। उसने अब ये हुक्म दिया है कि नमाज़ के दौरान में बातचीत न किया करो।' तब आपने मेरे सलाम का जवाब दिया।

(924) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1222, बुख़ारी, हदीस: 7522.

फ़ायदा : ज़बान से सलाम का जवाब देना मन्सूख़ हो गया था मगर इशारे से जवाब देना जायज़ और सुन्नत है जैसे कि नीचे की अहादीस़ में आ रहा है।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَابِلٍ، صَاحِبِ الْعَبَاءِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ

(925) हज़रत सुहैब (ﷺ) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा जब कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपको सलाम कहा तो आपने इशारे से जवाब दिया। नाबिल कहते हैं जहां तक मैं जानता हूँ हज़रत

صُهَيْبٍ، أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً . قَالَ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ .

इब्ने उमर (ﷺ) ने ये कहा था: अपनी ऊँगली से इशारा किया। ये अल्फ़ाज़ जनाब क़ुतैबा की रिवायत के हैं।

(925) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 367, इब्ने माजा, हदीस: 1017, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 888, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2255, हाकिम: 3/12.

फ़ायदा : नमाज़ी को सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं अलबत्ता आवाज़ मुनासिब होनी चाहिए, मगर वह इशारे से जवाब दे। नीज़ नीचे की अहादीस मुलाहिज़ा हों।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أَرْسَلَنِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ فَكَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا ثُمَّ كَلَّمْتُهُ فَقَالَ لِي بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَنَا أَسْمَعُهُ يَقْرَأُ وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " مَا فَعَلْتَ فِي الَّذِي أَرْسَلْتُكَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُكَلِّمَكَ إِلاَّ أَنِّي كُنْتُ أُصَلِّي " .

(926) हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि रसूल(ﷺ) ने मुझे क़बील–ए–बनी मुस्तलिक़ की तरफ़ भेजा। मैं आया तो आप अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने आपसे बात करना चाही तो आपने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। मैंने फिर बात की तो आपने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। मैं आपको सुन रहा था कि आप क़िराअत कर रहे थे और (रूकू सुजूद के लिये) अपने सर से इशारा कर रहे थे। जब फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: 'जिस काम के लिये मैंने तुम्हें भेजा था उस का तुमने क्या किया? और तुमसे बात न करने की वजह ये थी कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था।'

(926) तख़रीज : सही मुस्लिम: 540.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** सही मुस्लिम में है कि ज़ुहैर ने 'ज़मीन की तरफ़ इशारा' करके नबी(ﷺ) के इशारे की वज़ाहत की। **(2)** सफ़र में (नफ़ल) नमाज़ सवारी पर पढ़ी जा सकती है। रूकू और सुजूद इशारे से होंगे। **(3)** नमाज़ के बीच में किसी मुख़ातिब को इशारे से जवाब देना जायज़ है। **(4)** अगर कोई किसी वजह से जवाब न दे सके तो चाहिए कि मअज़रत पेश करे।

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ الدَّامَغَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ - قَالَ - فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي . قَالَ فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ يَقُولُ هَكَذَا وَبَسَطَ كَفَّهُ . وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ .

(927) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (मस्जिदे) कुबा में नमाज़ पढ़ने के लिये तशरीफ़ ले गये। (इस बीच में आपके पास) अन्सार आ गये। वह आपको सलाम कहते थे जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल (ﷺ) से पूछा: आपने रसूलुल्लाह(ﷺ) को किस तरह जवाब देते हूए देखा, जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे और वह लोग आपको सलाम कहते थे? उन्होंने कहा: इस तरह और अपनी हथेली फैलाई। (हुसैन बिन ईसा ने अपने शैख़ जाफ़र बिन औन से इसकी वज़ाहत यूँ नक़ल की है कि) जाफ़र बिन औन ने अपने हाथ की हथेली को नीचे किया और उसकी पुश्त को ऊपर की तरफ़।

(927) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 368, इब्ने जारूद, हदीस: 215.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ غِرَارَ فِي صَلاَةٍ وَلاَ تَسْلِيمٍ " . قَالَ أَحْمَدُ يَعْنِي فِيمَا أُرَى أَنْ لاَ تُسَلِّمَ وَلاَ يُسَلَّمَ عَلَيْكَ وَيُغَرِّرُ الرَّجُلُ بِصَلاَتِهِ فَيَنْصَرِفُ وَهُوَ فِيهَا شَاكٌّ .

(928) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'नमाज़ और सलाम में नुक़्स नहीं।' (यानी कमी न रखो)

इमाम अहमद फ़रमाते हैं: मैं समझता हूँ कि आप सलाम करें, न आप पर सलाम किया जाये। और नमाज़ में इंसान का कमी करना यूँ है कि इंसान नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाये हालांकि उसे इसमें शक हो।

(928) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/261, मुसनद अहमद: 2/61, हाकिम: 1/264, हदीस: 748 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ - أُرَاهُ رَفَعَهُ - قَالَ " لاَ غِرَارَ فِي تَسْلِيمٍ وَلاَ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَلَى لَفْظِ ابْنِ مَهْدِيٍّ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(929) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं मुआविया ने कहा: मेरा ख़्याल है कि उन्होंने मरफ़ूअ बयान किया। 'सलाम में और नमाज़ में नुक़्स नहीं।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इब्ने फ़ुज़ैल ने इब्ने महदी की (साबिक़ा रिवायत) की मानिन्द रिवायत किया और मरफ़ूअ नहीं किया।

(929) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) (ग़िरार) का लफ़्ज़ी मानी 'नुक़्स और कमी करना' है। नमाज़ में कमी दो तरह से हो सकती है। एक ये कि इंसान उसके रूकू और सुजूद स़ही तौर से अदा न करे। अरकान जल्दी जल्दी अदा करे। इससे नमाज़ नाक़िस रह जाती है, बल्कि होती ही नहीं। दूसरी स़ूरत शक होने की है कि जैसे तीन या चार रकअत में शक हो कि न मालूम कितनी रकआत पढ़ी हैं। तो इंसान समझे कि बस जितनी भी है पूरी हो गई है या वह उसे चार रकआत ही शुमार कर ले। ये कैफ़ियत भी नमाज़ में नुक़्स है। चाहिए कि बंदा यक़ीन और ऐतमाद से नमाज़ पूरी पढ़े। यानी उसे चार नहीं, तीन रकआत शुमार कर ले। सलाम में नुक़्स यूँ है कि सलाम कहने वाले को उसके अल्फ़ाज़ का पूरा पूरा जवाब न दिया जाये। अगर ज़्यादा नहीं कहता तो उसके अल्फ़ाज़ ही से जवाब दे, उनमें कमी न करे। जैसे कहने वाले ने अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहा है तो जवाब में वअलयकुम अस्सलाम पर किफ़ायत मुनासिब नहीं। इमाम इब्ने कस़ीर (रह.) फ़रमाते हैं: 'यानी जब तुम्हें कोई मुसलमान सलाम कहे तो उसके सलाम का जवाब उसके सलाम से अफ़ज़ल अल्फ़ाज़ से दो या कम अज़ कम उसके सलाम के बराबर जवाब दो। अफ़ज़ल जवाब देना मुस्तहब और सलाम के बराबर जवाब देना ज़रूरी और फ़र्ज़ है।' (तफ़्सीर इब्ने कस़ीर, जि. 1, तफ़्सीर सूरह निसा, आयत: 86) वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल कि नमाज़ी को सलाम न कहा जाये और वह भी जवाब न दे स़ही नहीं, क्योंकि स़ही तरीन अहादीस़ से नमाज़ी को सलाम कहने और इशारे से जवाब देने की स़राहत स़ाबित है। (जैसे ऊपर दी गई हदीस़: 927) इसलिए इस हदीस़ में सलाम का जवाब न देने की जो बात है, वह अव्वलन इस से मुँह से अल्फ़ाज़ के साथ जवाब न देना मुराद है। स़ानियन जवाब देने वाली रिवायात क़वी और स़रीह हैं, इस बिना पर इनको तर्जीह होगी और नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना स़ही होगा।

«169» باب تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَاثُكْلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ يُصَمِّتُونِي - فَقَالَ عُثْمَانُ - فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُسَكِّتُونِي لَكِنِّي سَكَتُّ قَالَ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي وَأُمِّي - مَا ضَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَلاَ سَبَّنِي ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَحِلُّ فِيهَا شَىْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ هَذَا إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ

बाब : 169
नमाज़ में छींक का जवाब देना

(930) हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और क़ौम में से एक आदमी ने छींक मारी, तो मैंने कहा (यरहमुकल्लाह) 'अल्लाह तुम पर रहम फ़रमाये।' इस पर लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा तो मैंने कहा: अफ़सोस मेरी माँ का मुझे गुम करना! तुम्हें क्या हूआ कि मुझे इस तरह देख रहे हो? (इस पर) उन लोगों ने अपने हाथ अपनी रानों पर मारने शूरू कर दिये, तब मुझे मालूम हूआ कि ये मुझे ख़ामोश करा रहे हैं। (उस्ताद) उ़स्मान ने बयान किया जब मैंने उन्हें देखा कि ये लोग मुझे ख़ामोश करा रहे हैं (तो मुझे गुस्सा तो आया) मगर मैं ख़ामोश रहा। जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने नमाज़ पढ़ ली, मेरे माँ बाप आप पर क़ुर्बान! आपने मुझे मारा न डाँटा, न सख़्त सुस्त कहा, बल्कि फ़रमाया: 'ये नमाज़ है, इसमें लोगों की सी आ़म बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें तस्बीह होती है, तकबीर होती है और क़ुर्आन मजीद पढ़ा जाता है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसी क़िस्म की बात फ़रमाई। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम लोग नये नये जाहिलीयत से बाहर आये हैं और अल्लाह ने हमें इस्लाम (की

وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ " . أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَنَا اللَّهُ بِالإِسْلاَمِ وَمِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ " فَلاَ تَأْتِهِمْ " . قَالَ قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ " ذَاكَ شَىْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ " . قُلْتُ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ " كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ " . قَالَ قُلْتُ جَارِيَةٌ لِي كَانَتْ تَرْعَى غُنَيْمَاتٍ قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ إِذِ اطَّلَعْتُ عَلَيْهَا إِطْلاَعَةً فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْهَا وَأَنَا مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَعَظَّمَ ذَاكَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ أَفَلاَ أُعْتِقُهَا قَالَ " ائْتِنِي بِهَا " . قَالَ فَجِئْتُهُ بِهَا فَقَالَ " أَيْنَ اللَّهُ " . قَالَتْ فِي السَّمَاءِ . قَالَ " مَنْ أَنَا " . قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ . قَالَ " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ " .

नेअमत) से नवाज़ा है। तो हममें कुछ लोग हैं जो काहिनों के पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 'तुम उनके पास न जाया करो।' मैंने अर्ज़ किया: हममें कुछ लोग (परिन्दों वग़ैरह से) बदफ़ाली लेते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये उनके दिलों के वहम हैं। ये चीज़ें उनके लिये रूकावट नहीं बननी चाहिए।' मैंने अर्ज़ किया: हममें कुछ लोग हैं जो लकीरें खींचते हैं। आपने फ़रमाया: 'साबिक़ा अम्बिया में से एक नबी थे जो लकीरें खींचा करते थे, तो जिसकी लकीर उनके मुवाफ़िक़ हों वह तो सही हो सकती हैं।' (लेकिन अब ये जानना मुश्किल है।) मैंने कहा: मेरी एक लौण्डी है जो उहुद और जवानिया की अतराफ़ में मेरी कुछ बकरियाँ चराया करती थी। मैंने एक बार उस पर छापा मारा तो देखा कि भेड़िया उनमें से एक बकरी ले गया है और मैं भी आदम की औलाद में से हूँ जिस तरह उन्हें अफ़सोस होता है मुझे भी हूआ तो मैंने उसे थपड़ मारा, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसको मेरे लिये बड़ा भारी और बुरा अमल जाना। मैंने कहा: क्या मैं उसे आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे पास लाओ।' चुनांचे मैं उसे आपकी ख़िदमत में ले आया। आपने उससे पूछा: 'अल्लाह कहाँ है?' उसने कहा: आसमान में। आपने फ़रमाया: 'मैं कौन हूँ?' उसने कहा: आप अल्लाह के रसूल हैं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इसको आज़ाद कर दो बिलाशुब्हा ये मोमिना है।'

(930) तख़रीज : सही मुस्लिम: 537.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُلِّمْتُ أُمُورًا مِنْ أُمُورِ الإِسْلاَمِ فَكَانَ فِيمَا عُلِّمْتُ أَنْ قَالَ لِي " إِذَا عَطَسْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَإِذَا عَطَسَ الْعَاطِسُ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقُلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ " . قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ فَحَمِدَ اللَّهَ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ رَافِعًا بِهَا صَوْتِي فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ حَتَّى احْتَمَلَنِي ذَلِكَ فَقُلْتُ مَا لَكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَىَّ بِأَعْيُنٍ شُزْرٍ قَالَ فَسَبَّحُوا فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ " . قِيلَ هَذَا الأَعْرَابِيُّ فَدَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي " إِنَّمَا الصَّلاَةُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ ذَلِكَ شَأْنَكَ " . فَمَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ أَرْفَقَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(931) हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी(ﷺ) बयान करते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो इस्लाम के कुछ अहकाम जान लिये। इनमें से एक ये भी जाना कि मुझे कहा गया: जब तुम्हें छींक आये तो (अल्हम्दुलिल्लाह) कहो और जब कोई दूसरा छींक मारे और (अल्हम्दुलिल्लाह) कहे, तो तुम उसे (यरहमुकल्लाह) से जवाब दो। चुनांचे मैं रसूल (ﷺ) के साथ नमाज़ में खड़ा था कि एक शख़्स ने छींक मारी और उसने (अल्हम्दुलिल्लाह) कहा, मैंने कहा: (यरहमकुल्लाह) और ऊँची आवाज़ से कहा, तो लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। इससे मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा: तुम्हें क्या हूआ है कि मुझे घूर घूर के देख रहे हो? इस पर उन्होंने सुब्हानल्लाह कहा। फिर जब नबी (ﷺ) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फ़रमाया: 'बातें कौन कर रहा था?' कहा गया कि ये बदवी। तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मुझे बुलाया और मुझ से फ़रमाया: 'नमाज़ में कुर्आन मजीद की तिलावत होती है और अल्लाह का ज़िक्र, तो जब तुम नमाज़ में हूआ करो तो तुम्हारा यही काम होना चाहिए।' अलग़र्ज़ मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर कोई शफ़ीक़ मुअल्लिम (टीचर) नहीं देखा।

(931) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी जुज़्उल क़िरात, हदीस: 68, बैहक़ी: 2/249.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम पिछली सही हदीस इसकी ताईद करने वाली है। **(2)** नमाज़ में छींक का जवाब देना जायज़ नहीं है। अलबत्ता ख़ूद छींक मारने वाला अगर ख़ामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जायज़ है। **(3)** नमाज़ में ज़रूरत के तहत इशारा जायज़ है। **(4)** दावत व तालीमे इस्लाम में नर्मी और भाईचारगी का अन्दाज़ अपनाना वाजिब है। **(5)** काहिनों के पास जाना और उनसे ग़ैब की ख़बरें वग़ैरह दरयाफ़्त करना हराम है। इसी तरह बदफ़ाली और बद शगूनी लेना भी नाजायज़ है। **(6)** इल्मे ख़तूत दरअसल वही शुदा इल्म था, मगर उठा लिया गया। इसे हज़रत इदरीस या दानियाल अलैहि. की तरफ़ मन्सूब किया जाता है। अब इसमें मशग़ूल होना अन्धेरे में टामक टुइयाँ मारना है। इस पर किसी भी तरह ऐतमाद नहीं किया जा सकता। नबी (ﷺ) के ऊपर दिये गये जवाबात में हक़ का इस्बात और बातिल का इब्ताल निहायत उम्दा अन्दाज़ में हूआ है। इसमें दाई और मुफ़्ती हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है। **(7)** ख़ादिम वग़ैरह को बिलावजह सज़ा देना ज़ुल्म और नाजायज़ है। चाहिए कि इंसान इसका कफ़्फ़ारा करे। **(8)** इस्लाम की तालीमात, अक़ाइद व आमाल इन्तेहाई सादा और फ़ितरत के मुताबिक़ हैं और इनकी बुनियाद तौहीद व रिसालत पर है। **(9)** अल्लाह तआला आसमान में है और उसकी तरफ़ जेहत व जानिब की निस्बत करना ऐन हक़ है। **(10)** हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल और आख़री नबी हैं।

बाब : 170
इमाम के पीछे आमीन कहना

﴿170﴾
باب التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

(932) हज़रत वाइल बिन हुज्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (सूरह फ़ातिहा के आख़िर में) वलज़्ज़ाल्लीन) कहते तो (आमीन) कहते और इसके साथ अपनी आवाज़ को बलन्द करते।

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 248, दारक़ुतनी: 1/334, (अत्तलख़ीसुल हबीर: 1/236).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ { وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ .

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّعِيرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ بْنِ عَنْبَسٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَهَرَ بِآمِينَ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ خَدِّهِ .

(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी तो आपने ऊँची आवाज़ से आमीन कही। और (जब नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो) दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक कि मैंने आपके रूख़सारों की सफ़ैदी देखी।

(933) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 1/51.

नोट : इमाम तिर्मिज़ी (रह.) की इस सनद में 'अ़ली बिन सालेह' की बजाये अ़ला बिन सालेह नक़ल हूआ है। देखिये जामेअ़ तिर्मिज़ी: (हदीस: 249)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَلاَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } قَالَ " آمِينَ " . حَتَّى يَسْمَعَ مَنْ يَلِيهِ مِنَ الصَّفِّ الأَوَّلِ .

(934) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ते तो आमीन कहते यहाँ तक कि सफ़े अव्वल के लोग जो आपसे क़रीब होते आपकी आवाज़ सुन लेते।

(934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 853.

फ़ायदा : इमाम दारकुतनी और इमाम बैहक़ी (रह.) ने इस हदीस को हसन और इमाम हाकिम (रह.) ने 'सही अ़ला शर्ते' (बुख़ारी व मुस्लिम) कहा है। इन अहादीस से इस्तेदलाल यूँ है कि मुक़तदी इमाम की इत्तेबाअ़ का पाबन्द है और नबी (ﷺ) का हुक्म है कि 'तुम नमाज़ ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते देखा है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 631) जब आप (ﷺ) ने इमाम होते हूए आमीन कही तो मुक़तदी के लिये भी साबित हो गयी। (औनूल माबूद) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की रिवायत दलील है कि आमीन चीख़ कर न कही जाये, बल्कि दरम्यानी आवाज़ से कही जाये। जिसमें सादगी व फ़रोतनी का इज़हार हो। चीख़ कर आमीन कहना आजज़ी व न्याजमन्दी के ख़िलाफ़ है, इसलिए ऐसा करना सही नहीं। इसी तरह बग़ैर आवाज़ निकाले दिल में आमीन कहना भी ख़िलाफ़े सुन्नत है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَالَ الإِمَامُ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا " آمِينَ " . فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ "

(935) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं आपने फ़रमायाः 'जब इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे, तो तुम (आमीन) कहो क्योंकि जिसका ये क़ौल फ़रिश्तों के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गया उसके साबिक़ा गुनाह बख़्श दिये जायेंगे।'

(935) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 782, मौता: 1/78, व सही मुस्लिम: 409.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " آمِينَ " .

(936) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन फ़रिश्तों की आमीन के मुवाफ़िक़ हो गई उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।'
इब्ने शिहाब कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आमीन कहा करते थे।

(936) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 780, मौता: 1/87, क़ानबी, सफ़ा: 140, 141, व सही मुस्लिम: 410.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी इमाम (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अ़लैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) के बाद आमीन कहे, तो तुम भी आमीन कहो, उसी वक़्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं। इस इज्तेमाअ़ व तवाफ़ुक़ की फ़ज़ीलत यही है कि नमाज़ी के साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। वल्लाहु ज़ूलफ़ज़लिल अ़ज़ीम! **(2)** हदीस के अल्फ़ाज़ 'जब इमाम आमीन कहे, तो तुम आमीन कहो।' का तक़ाज़ा ये है कि मुक़तदी, इमाम की आमीन के बाद आमीन कहें, न कि इमाम के साथ ही न इमाम से पहले ही। इसमें भी ये कोताही आ़म है कि अकसर लोग इमाम के वलज़्ज़ाल्लीन, पढ़ते ही आमीन कह देते हैं, हालांकि मुक़तदियों के लिये ज़रूरी है कि वह पहले इमाम को आमीन कहने का मौक़ा दें और उसके बाद ख़ूद आमीन कहें।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ تَسْبِقْنِي " بِآمِينَ " .

(937) हज़रत बिलाल (ﷺ) से मरवी है उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) आमीन कहने में मुझसे जल्दी न फ़रमायें।

(937) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/12, 15, हाकिम: 1/219.

नोट : यानी नमाज़ शुरू हो चुकी थी और वह ताख़ीर से आये तो कहा: मुझे मौक़ा दीजिये कि मैं भी नमाज़ में मिल कर आपके साथ आमीन कह सकूं। इसकी सनद मुर्सल है कि अबू उ़स्मान की बिलाल(ﷺ) से मुलाक़ात में कलाम है। जबकि इमाम दारक़ुतनी (रह.) वग़ैरह इसे मौसूल क़रार देते हैं। (औ़नूल माबूद) बहरहाल अगर इमाम को कह दिया जाये कि ज़रा क़िराअत को लम्बी कर दें और वह उसे क़बूल कर ले तो कोई हर्ज नहीं।

حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ الدِّمَشْقِيُّ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ صُبَيْحِ بْنِ مُحْرِزٍ الْحِمْصِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُصْبِحٍ الْمَقْرَائِيُّ، قَالَ كُنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَبِي زُهَيْرٍ النُّمَيْرِيِّ - وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ - فَيَتَحَدَّثُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ فَإِذَا دَعَا الرَّجُلُ مِنَّا بِدُعَاءٍ قَالَ اخْتِمْهُ بِآمِينَ فَإِنَّ آمِينَ مِثْلُ الطَّابَعِ عَلَى الصَّحِيفَةِ . قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ أُخْبِرُكُمْ عَنْ ذَلِكَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَلَحَّ فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَمِعُ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوْجَبَ إِنْ خَتَمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ

(938) अबू मुसबिह मुक़री बयान करते हैं कि हम हज़रत अबू ज़ुहैर नुमैरी की मज्लिस में बैठा करते थे और ये सहाबा में से थे और बड़ी अच्छी अच्छी हदीसें बयान करते थे तो हममें से जब कोई दुआ करता तो फ़रमाया करते कि इसे आमीन की मुहर लगाओ। आमीन मुहर की मानिन्द है जो किसी ख़त पर लगा दी जाती है। अबू ज़ुहैर ने फ़रमाया: मैं तुम्हें इसके मुताल्लिक़ बताता हूँ, हम एक रात रसूल (ﷺ) के साथ निकले और एक शख़्स पर पहुँचे जबकि वह बहुत इल्हाह और मुबालग़े से दुआ कर रहा था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसकी दुआ क़बूल हो गई बशर्ते कि मुहर कर दे।' साथियों में से एक ने पूछा: किस चीज़ से मुहर करे? आपने फ़रमाया: 'आमीन से बिलाशुब्हा अगर उसने अपनी दुआ आमीन से ख़त्म की (या मुहर लगाई) तो क़बूल हो गई।' चुनांचे वह जिसने नबी (ﷺ) से ये पूछा

الْقَوْمِ بِأَيِّ شَىْءٍ يَخْتِمُ قَالَ " بِآمِينَ فَإِنَّهُ إِنْ خَتَمَ بِآمِينَ فَقَدْ أَوْجَبَ " . فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى الرَّجُلَ فَقَالَ اخْتِمْ يَا فُلاَنُ بِآمِينَ وَأَبْشِرْ . وَهَذَا لَفْظُ مَحْمُودٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْمَقْرَاءُ قَبِيلٌ مِنْ حِمْيَرَ .

था, उस दुआ करने वाले के पास गया और उसे कहा: ऐ फ़लां! अपनी दुआ को आमीन से मुहर कर दो और ख़ुशख़बरी क़बूल करो। ये अल्फ़ाज़ महमूद के हैं।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 'मक़रा' हिम्यर का एक ज़ैली क़बीला है।

(938) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बग़वी शरहुस्सुन्ना, हदीस़: 1402.

﴾171﴿ بَابُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 171 नमाज़ में ताली बजाना

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ "

(939) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तस्बीह (सुब्हानल्लाह कहना) मर्दों के लिये है और ताली बजाना औरतों के लिये।'

(939) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1203, व सही मुस्लिम: 422.

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने हज्र (रह.) फ़रमाते हैं कि नमाज़ के दौरान में अगर इमाम को किसी अम्र के लिये मुतन्नबा करना हो तो मसनून ये है कि मर्द सुब्हानल्लाह कहें मगर औरत ताली बजाये और अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ की पुश्त पर मारे न कि मारूफ़ ताली की तरह, क्योंकि ये लह्व व लइब है और नमाज़ में लह्व व लइब जायज़ नहीं है। औरतों को तस्बीह कहने से इसलिए रोका गया है कि उनकी आवाज़ किसी फ़ितने का बाइस़ न बने और मर्दों को ताली से इसलिए मना किया गया है कि ये औरतों का काम है। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ

(940) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़बील–ए–बनी अम्र बिन औफ़ (कुबा) में सुलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये। नमाज़ का

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - فَقَالَ أَتُصَلِّي بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ قَالَ نَعَمْ . فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

वक़्त हो गया, तो मुअज़्ज़िन हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के पास आया और कहा: क्या आप नमाज़ पढ़ायेंगे, तो मैं इक़ामत कहूँ? उन्होंने कहा: हाँ। चुनांचे अबू बक्र(ﷺ) ने नमाज़ शुरू की और इधर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और चलते आये, यहाँ तक कि स़फ़ में खड़े हो गये। लोगों ने तालियाँ बजानी शुरू कर दीं। और हज़रत अबू बक्र (ﷺ) नमाज़ में इधर उधर न देखते थे (मुतवज्जा न होते थे) लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा तालियाँ बजाईं तो आप मुतवज्जा हूए और रसूलुल्लाह (ﷺ) को देख लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें इशारा किया कि अपनी जगह पर ठहरे रहो। तो अबूबक्र (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो उन्हें हुक्म दिया था उस पर अल्लाह की हम्द की और फिर पीछे हट आये, यहाँ तक कि स़फ़ में बराबर हो गये और रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़ गये और नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: 'ऐ अबू बक्र! तुम्हें क्या मानेअ़ (रूकावट) था कि तुम रूके रहते जब मैंने तुम्हें कह दिया था?' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने जवाब दिया: इब्ने अबी क़ुहाफ़ा को ज़ैब न देता था कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) के आगे होकर नमाज़ पढ़ाये। फिर आपने फ़रमाया: 'तुम लोगों को क्या हूआ था कि इस क़द्र तालियाँ बजाने लगे थे? जिसे नमाज़ में कोई आ़रिज़ हो वह सुब्हानल्लाह

कहा करे। जब वह सुब्हानल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ़ तवज्जोह की जायेगी। तालियाँ तो औरतों के लिये हैं।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये फ़र्ज़ नमाज़ में है।

(940) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 684, मौता, हदीस: 1/163, 164, (वलक़ानबी, सफ़ा: 112, 113), व सही मुस्लिम: 421.

الله عليه وسلم " مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا فِي الْفَرِيضَةِ

(941) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) बयान करते हैं कि क़बीला बनी अम्र बिन औफ़ में कोई झगड़ा हो गया था। नबी (ﷺ) को ख़बर पहुँची तो आप ज़ोहर के बाद उनमें सुलह कराने के लिये तशरीफ़ ले गये और बिलाल से फ़रमा गये: 'अगर नमाज़े अस्र का वक़्त हो जाये और मैं न पहुँच सकूं तो अबूबक्र से कहना कि लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।' चुनांचे जब अस्र का वक़्त हूआ, हज़रत बिलाल (ﷺ) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से नमाज़ पढ़ाने को कहा, वह आगे बढ़ गये। इस रिवायत के आख़िर में है: 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई ज़रूरत पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह कहा करें और औरतें ताली बजायें।'

(941) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7190.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ لِبِلاَلٍ " إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ " . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ قَالَ فِي آخِرِهِ " إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमानों में कहीं झगड़ा हो जाये तो पहली फ़ुर्सत में सुलह कराने की कोशिश की जाये और बिलख़ुसूस अइम्मा क़ौम और दबंग लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। **(2)** मुक़र्रर किये हुए इमाम को चाहिए कि मुतवक़्क़अ ग़ैर हाज़िरी की सूरत में अपना नायब मुक़र्रर करके जाये। **(3)** हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ाबिले ऐतमाद नायब थे और उम्मत ने आप के इसी मक़ाम की वजह से उन्हें मन्सबे ख़िलाफ़त के लिये मुन्तख़ब किया। **(4)** हज़रत अबू बक्र (ﷺ) मक़ामे रिसालत को ख़ूब पहचानते थे कि आपके होते हूए किसी तरह मुनासिब नहीं कि

आगे रह कर नमाज़ पढ़ाई जाये। ये खुसूसियत सिर्फ़ और सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये थी, उम्मत में किसी और का ये मक़ाम नहीं है। और यही वजह थी कि दीगर सहाबा किराम(رضی اللہ عنہم) ने भी बेचैनी का इज़हार करते हूए तालियाँ बजाईं। **(5)** लाइल्मी (अनजाने) से जो अमल हो जाये वह माफ़ है जैसे कि सहाबा ने तालियाँ बजाईं, मगर उलमा पर लाज़िम है कि उसकी इस्लाह करें ताकि फिर उसका आदी न होने पाये। **(6)** क़िराअत के बीच में हम्द और दुआ के लिये हाथ उठा लेना जायज़ हैं।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ قَوْلُهُ " التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ " . تَضْرِبُ بِأُصْبُعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى .

(942) जनाब ईसा बिन अय्यूब बयान करते हैं कि औरतों का ताली बजाना यूँ है कि वह अपने दायें हाथ की दो ऊँगलियाँ अपनी बायें हथेली पर मारें।

(942) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 21/107, 108, हदीस: 415 में देखें।

फ़ायदा : ईसा बिन अय्यूब तबअ ताबेईन में से हैं। चूंकि नमाज़ में इमाम को मुतन्नबा करना मक़सूद होता है इसलिए दो ऊँगलियाँ ही से काफ़ी है। सब ऊँगलियों से ताली बजाना लह्व व लइब (खेल तमाशे) में शुमार होता है इसलिए फ़र्क़ किया गया है।

बाब : 172
नमाज़ में इशारा करना

﴾172﴿
باب الإِشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ .

(943) हज़रत अनस बिन मालिक (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) नमाज़ में इशारा कर दिया करते थे।

(943) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/138, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 885, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 3276, दारक़ुतनी: 2/84.

नोट : जैसे सलाम का जवाब देना या ख़ामोश रहने का इशारा करना। (देखिये: गुजिश्ता, बाब: 165, 166)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ " . يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ " وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيَعُدْ لَهَا " . يَعْنِي الصَّلاَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمٌ .

(944) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (सुब्हानल्लाह) कहना मर्दों के लिये है।' यानी नमाज़ में। 'और ताली बजाना औरतों के लिये है। और जिसने अपनी नमाज़ में कोई ऐसा इशारा किया जो कोई मफ़हूम रखता हो तो वह अपनी नमाज़ दोहराये।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ वहम है।

(944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 2/83, हदीस़: 313 में देखें।

फ़ायदा : क्योंकि स़ही अहादीस़ से ज़रूरत के हिसाब से इशारा करना स़ाबित है।

﴿173﴾ بَابٌ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ

बाब : 173 नमाज़ में कंकरियाँ छूना या दुरूस्त करना

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحِ الْحَصَى " .

(945) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं: 'जब तुममें से कोई नमाज़ के लिये खड़ा होता है तो (अल्लाह की) रहमत उसके रू ब रू होती है लिहाज़ा कंकरियाँ न छूआ करे।'

(945) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 379, नसाई, हदीस़: 1192, इब्ने माजा, हदीस़: 1027, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 913, 914, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 481, 482, बुलूग़ुल मराम, हदीस़: 189.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ

(946) हज़रत मुऐक़िब (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़ पढ़ते

يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَإِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةٌ تَسْوِيَةَ الْحَصَى " .

हूए कंकरियाँ मत छूओ। अगर ऐसा करना ही है तो एक बार बराबर कर लो।'

(946) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1207, व सही मुस्लिम: 546.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन शवाहिद की बिना पर क़ाबिले इस्तेदलाल है। इस बिना पर नमाज़ी को चाहिए कि नमाज़ शूरू करने से पहले अपनी जगह साफ़ कर ले और मुसल्ला वग़ैरह दुरूस्त कर के खड़ा हो, नमाज़ के दौरान में ये अमल जायज़ नहीं, अगर करना भी हो तो सिर्फ़ एक बार की रूख़सत है।

(174) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

बाब : 174 पहलूओं पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الاِخْتِصَارِ فِي الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي يَضَعُ يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ .

(947) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ के दौरान में पहलूओं पर हाथ रखने से मना फ़रमाया है। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: (अलइख़तिसारू फ़िस सलात) का मानी है अपने पहलूओं पर हाथ रखना।

(947) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1220, मुसनद अहमद, हदीस: 2/232, हदीस: 903 में देखें, व सही मुस्लिम: 545.

फ़ायदा : अहले लुग़त ने 'इख़्तिसार' के दो तीन मानी ज़िक्र किये हैं। एक ये कि लाठी का सहारा लेकर खड़े होना। दूसरे सूरते क़ुर्आन को मुख़्तसर करते हूए आख़िर से पढ़ना या नमाज़ के अरकान को बहुत ज़्यादा मुख़्तसर (छोटा) कर देना। तो इमाम साहिब (रह.) ने इसका मानी मुतअय्यन फ़रमा दिया है और यही सही है। (मज़ीद देखिये: बाब: 155, 156, हदीस: 903)

बाब : 175
नमाज़ में लाठी का सहारा लेना

﴿175﴾ باب الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى عَصًا

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَابِصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، قَالَ قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي هَلْ لَكَ فِي رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ قُلْتُ غَنِيمَةٌ فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ قُلْتُ لِصَاحِبِي نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لاَطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ وَبُرْنُسُ خَزٍّ أَغْبَرُ وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا فِي صَلاَتِهِ فَقُلْنَا بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا . فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا فِي مُصَلاَّهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ .

(948) जनाब बिलाल बिन इसाफ़ कहते हैं कि मैं (शाम के इलाक़ा) रक़्क़ा में आया तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा: क्या तुम किसी सहाबी–ए–रसूल से मिलना चाहते हो? मैंने कहा: (क्यों नहीं) ये तो ग़नीमत है। चुनांचे हम हज़रत वाबिसा (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे। मैंने अपने साथी से कहा: पहले तो हम इनकी ज़ाहिरी वज़अ क़तअ देखते हैं। तो हमने देखा कि आपके सर पर टोपी है सर से चिपकी हूई और कानों वाली, और ख़ज़ (रैशम) का जुब्बा था टयाले रंग का और आप नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी लाठी का सहारा लिए हूए थे। सलाम के बाद हमने (ये मसला) दरयाफ़्त किया तो फ़रमाया: मुझ से उम्मे क़ैस बिन्ते मिहसन(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) जब बड़ी उमर के हो गये और कुछ भारी भी, तो आपकी जाय नमाज़ के पास एक सुतून था आप उसका सहारा लिया करते थे।

(948) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/288, हाकिम: 1/364, 365.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे पहले के बाब में वारिद हदीस़ से कुछ लोगों ने ये इस्तेदलाल किया है कि नमाज़ में लाठी का सहारा लेना दुरूस्त नहीं। तो ये बाब और हदीस़ इस मसले को वाज़ेह करती

है। (2) सालेहीन की ज़ियारत और उनकी सोहबत मयस्सर आना बहुत बड़ी ग़नीमत है। (3) मारूफ़ व मशहूर है कि इंसान का मज़हर उसके बातिन का अक्स होता है लिहाज़ा ज़ाहिरी मन्ज़र सादा और सुन्नत के मुताबिक़ होना चाहिए। अस्हाबे मज्लिस पर इसका बहुत उम्दा असर होता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) बिलख़ुसूस वफ़ूद (बाहर से आने वाली जमअतों) के इस्तेक़बाल में उसका ख़ास एहतिमाम फ़रमाया करते थे। (4) उज़्र की बिना पर नमाज़ में सहारा लेना जायज़ है और सहारे से खड़े होना बैठने की निस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है। (5) बतौर आदत या फ़ैशन के, हर वक़्त नंगे सर रहना, यहाँ तक कि मुस्तक़िल तौर पर नमाज़ भी नंगे सर पढ़ना, सहाबा के तरीक़े के ख़िलाफ़ है।

बाब : 176
नमाज़ में गुफ़्तगू मना है

(176)
باب النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

(949) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि (इब्तदा–ए–इस्लाम में) हमारा एक साथी नमाज़ के दौरान में अपने साथ वाले से बात कर लिया करता था। यहाँ तक कि आयते करीमा: (वक़ूमूलिल्लाहि क़ानितीन) नाज़िल हुई। 'यानी अल्लाह के हुज़ूर ख़ामोश बा'अदब होकर खड़े हूआ करो।' चुनांचे हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया गया और बातचीत से रोक दिया गया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ .

(949) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1200, व सही मुस्लिम: 539.

फ़ायदा : नमाज़ में गुफ़्तगू हराम है। मगर ये कि ख़ता और निस्यान से कोई लफ़्ज़ ज़बान से निकल जाये, तो माफ़ है।

बाब : 177
जो शख़्स बैठ कर नमाज़ पढ़े

﴿177﴾
باب فِي صَلاَةِ الْقَاعِدِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، - يَعْنِي ابْنَ يِسَافٍ - عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ " . فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا فَوَضَعْتُ يَدَىَّ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قُلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ " صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ " . وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ " أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ " .

(950) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) कहते हैं, मुझसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: आदमी का बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है।' मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आपको पाया कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे थे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया तो आपने दरयाफ़्त फ़रमाया: 'अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र! मुझे बताया गया है कि आपने फ़रमाया है: 'आदमी का बैठकर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है और आप बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं?' आपने फ़रमाया: 'हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ।'

(950) तख़रीज : सही मुस्लिम: 735.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी कि नवाफ़िल बैठकर पढ़ते तो पूरा सवाब पाते थे और सहाबा किराम (ﷺ) समझते थे कि आप (ﷺ) शरई उमूर के इस तरह पाबन्द हैं जिस तरह कि उम्मत है। (आमनर्रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर्रब्बिही वल मूमिनून ....) (अलबक़र:285) मगर जहाँ आपकी ख़ुसूसियत बयान हो गई है वहाँ इस्तेसना है। **(2)** बिला उ़ज़्र बैठ कर नफ़ल नमाज़ पढ़ने से आदमी को आधा सवाब मिलता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ "

(951) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से बैठ कर नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आपने फ़रमाया: 'खड़े होकर नमाज़ पढ़ना बैठकर नमाज़ पढ़ने की निस्बत अफ़ज़ल है।

صَلاَتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا وَصَلاَتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَائِمًا وَصَلاَتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا " .

और बैठने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने वाले के मुक़ाबले में आधी होती है। और लेट कर पढ़ने वाले की नमाज़ बैठकर पढ़ने वाले की निस्बत आधी होती है।'

(951) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1115.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई बीमार या ज़ईफ़ खड़ा नहीं हो सकता तो बैठकर पढ़ने से वह इन्शाअल्लाह पूरा अज्र पायेगा। **(2)** ताक़त होते हूए बग़ैर किसी उ़ज्र के फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर या लेट कर पढ़ना क़तअन जायज़ नहीं है। (औनूल माबूद) अलबत्ता नफ़ली नमाज, बग़ैर उ़ज्र के, बैठ कर पढ़ने से आधा अज्र कम हो जाता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ كَانَ بِيَ النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

(952) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) कहते हैं कि मुझे नासूर था। पस इस बारे में मैंने नबी (ﷺ) से मालूम किया तो आपने फ़रमाया: 'नमाज़ खड़े होकर पढ़ो। अगर हिम्मत न हो तो बैठकर और अगर इसकी भी ताक़त न हो तो पहलू के बल लेट कर।'

(952) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1117.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلاَثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ .

(953) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को बुढ़ापा आने से पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि रात की नमाज़ में आपने बैठकर क़िराअत की हो, मगर जब उम्र दराज़ हो गये तो बैठकर क़िराअत किया करते थे, यहाँ तक कि जब तीस या चालीस आयतें बाक़ी रह जातीं तो उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर सज्दा करते।

(953) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1118, व सही मुस्लिम: 731.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि नवाफ़िल में जायज़ है कि इंसान बैठकर इब्तेदा करे और किराअत के बीच में खड़ा हो जाये या खड़े होकर इब्तेदा करे और दरम्यान में बैठ जाये।

(954) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान फ़रमाती हैं कि नबी (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ते थे और इसी हालत में क़िराअत करते रहते यहाँ तक जब आपकी क़िराअत में से तीस या चालीस आयतें बाक़ी होतीं तो खड़े हो जाते और क़िराअत करते, फिर रूकू और सज्दा करते। इसके बाद दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को अल्क़मा बिन वक़्क़ास़ ने भी हज़रत आयशा से, उन्होंने नबी (ﷺ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है।

(954) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1119, मौता: 1/138, व स़ही मुस्लिम: 731.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ وَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلاَثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(955) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को लम्बा हिस्सा खड़े होकर नमाज़ पढ़ते और एक लम्बा हिस्सा बैठकर पढ़ते। और जब खड़े होकर पढ़ते तो रूकू भी खड़े होकर करते और जब बैठकर पढ़ते तो रूकू भी बैठकर करते।

(955) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 730.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ، وَأَيُّوبَ، يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا .

फ़ायदा : अफ़ज़ल ये है कि जब क़िराअत खड़े होकर हो तो रूकू भी खड़े होकर हो और अगर क़िराअत बैठकर हो तो रूकू भी बैठकर हो ... ये और ऊपर वाली सूरत यानी रकअत का कुछ हिस्सा खड़े होकर और कुछ हिस्सा बैठकर अदा किया जाये तो भी जायज़ है।

(956) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रकअत

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ

هَارُونَ، حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّورَةَ فِي رَكْعَةٍ قَالَتِ الْمُفَصَّلَ . قَالَ قُلْتُ فَكَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا قَالَتْ حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ .

में (एक से ज़ायद) सूरतें पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा: (हाँ) हिस्सा मुफ़स्सल से। (सूरह क़ाफ़ से आख़िर कुर्आन तक की सूरतों को मुफ़स्सल कहा जाता है।) मैंने पूछा: क्या आप बैठकर नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा: (हाँ) जब लोगों ने आपको थका दिया था।

(956) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/171, व सही मुस्लिम: 732.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी माक़ूल उज़्र के बग़ैर बैठकर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है। **(2)** दावत, तज़किया, जिहाद और सख़्त तरीन इबादत के मुसल्सल अमल ने आप (ﷺ) को वास्तव में थका दिया था। **(3)** एक रकअत में एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ना भी जायज़ है।

﴾178﴿ باب كَيْفَ الْجُلُوسُ فِي التَّشَهُّدِ

बाब : 178
तशह्हुद में बैठने की कैफ़ियत

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ

(957) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा मैं बिज़्ज़रूर देखूंगा कि रसूल (ﷺ) नमाज़ कैसे पढ़ते हैं? बयान किया कि रसूल (ﷺ) खड़े हूए और क़िब्ले की तरफ़ रूख़ किया, अल्लाहु अकबर कहा और अपने दोनों हाथ उठाये, यहाँ तक कि आपके कानों के बराबर आ गये। फिर आपने अपने बायें हाथ को अपने दायें से पकड़ लिया। फिर जब रूकू का इरादा किया तो अपने दोनों हाथों को इसी तरह उठाया। बयान किया कि फिर आप बैठ गये और अपना बायाँ पाँव बिछा लिया और अपना

يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلَقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

बायाँ हाथ बायीं रान पर रख लिया और दायें हाथ की कोहनी के किनारे को अपनी दायीं रान पर रखा और दो ऊँगलियों को बंद करके हल्क़ा बना लिया। मैंने आपको देखा कि आप इस तरह करते थे ... जनाब बिश्र ने अंगूठे और बीच की ऊँगली से हल्क़ा बनाया और शहादत की ऊँगली से इशारा करके दिखाया।

(957) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 867, नसाई, हदीस़: 1264.

फ़ायदा : अल्फ़ाज़े हदीस़ (व हद्दा मिर्फ़कुल ऐमना अला फ़ख़िज़िहिल्युम्ना) के दो तर्जुमे किये गये हैं। एक ये कि कोहनी की हड्डी को अपनी रान पर रखा जैसे कि आइन्दा हदीस़: 991 में है। नुमैर अबू मालिक अलख़ुज़ाई (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा, आपने अपनी दाहिनी कलाई अपनी दायीं रान पर रखी हूई थी ...' मुहद्दिसे अस्र शैख़ अल्बानी (रह.) इसी तरफ़ माइल हैं। जबकि इब्ने अर्सलान और सिंधी वग़ैरह कोहनी को रान से ऊपर उठाये रखना मुराद लेते हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ، رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِيَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى .

(958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान फ़रमाते हैं कि नमाज़ में सुन्नत ये है कि आप अपने दायें पाँव को खड़ा कर लें और बायें पाँव को बिछा कर बैठें।

(958) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 827, मौता: 1/89, 90.

حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى .

(959) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते थे कि तुम्हारा अपने बायें पाँव को बिछा लेना और दायें को खड़ा करके बैठना नमाज़ की सुन्नतों में से है।

(959) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

(960) उ़स्मान बिन अबी शैबा ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि हम्माद बिन ज़ैद ने यहया की सनद में (मिनस्सुन्नति) का लफ़्ज़ कहा है जैसे कि जरीर ने कहा है।

(960) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى، أَيْضًا مِنَ السُّنَّةِ كَمَا قَالَ جَرِيرٌ .

फ़ायदा : स़हाबी–ए–रसूल का (मिनस्सुन्नति) 'सुन्नत ये है।' के अल्फ़ाज़ बोलना, हदीस़ के मरफ़ूअ होने की दलील हूआ करती है।

(961) जनाब यहया बिन सईद कहते हैं कि क़ासिम बिन मुहम्मद ने इनको तशह्हुद की कैफ़ियत दिखाई और हदीस़ ज़िक्र की।

(961) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 958, 960 में देखें, मौता: 1/90.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

फ़ायदा : नोख़ैज़ बच्चों और तलबा की तालीम व तर्बीयत के लिये अमली मुशाहिदा बहुत अहम है।

(962) जनाब इब्राहीम (बिन यज़ीद नख़ई फ़क़ीहे अहले कूफ़ा) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ में बैठते तो अपने बायें पाँव को बिछा लिया करते थे। (और मुसल्सल इस तरह करने से) उनके पाँव की पुश्त स्याह हो गई थी।

(962) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस़: 748 में देखें।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى اسْوَدَّ ظَهْرُ قَدَمِهِ .

बाब : 179
चौथी रकअत में तवर्रूक का बयान (यानी सुरीन पर बैठना)

(963) हज़रत अबू हुमैद साइदी (ﷺ) ने अस्हाबे रसूल (ﷺ) की दस अफ़राद की जमाअत में बयान किया, उनमें अबू क़तादा(ﷺ) भी थे। हज़रत अबू हुमैद (ﷺ) ने कहा: मैं तुममें से सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ जानता हूँ। उन्होंने कहा: बयान करो। तो उन्होंने हदीस़ बयान की और कहा: और सज्दे में अपने पाँव की ऊँगलियाँ (क़िब्ला रूख़) मोड़ लेते, फिर अल्लाहु अकबर कह कर अपना सर उठाते और अपना बायाँ पाँव टेढ़ा (मोड़) कर के उस पर बैठ जाते। फिर दूसरी रकअत में ऐसे ही करते। और हदीस़ तफ़सील से ज़िक्र की और बयान किया कि जब उस रकअत में होते जिसमें सलाम फेरा जाता है, तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल लेते और अपने बायें हिस्से पर बैठ जाते। अहमद ने इस क़द्र इज़ाफ़ा किया कि इन सहाबा किराम (ﷺ) ने (हज़रत अबू हुमैद से) कहा: आपने सच और सही कहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) और मुसद्दद ने दो रकअतों पर बैठने की कैफ़ियत बयान नहीं की।

﴿179﴾ باب مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ فِي الرَّابِعَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ سَمِعْتُهُ فِي، عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَقَالَ أَحْمَدُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ - قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالُوا فَاعْرِضْ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ وَيَفْتَخُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ . زَادَ أَحْمَدُ قَالُوا

صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَذْكُرَا فِي حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ فِي الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ

(963) तख़रीज : (सनद सहीह) हदीस: 730 में देखें, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, हदीस: 19/253.

फ़ायदा : इस हदीस में सराहत है कि दरम्यानी तशहहुद और आख़री तशहहुद में फ़र्क़ होता था। आख़री तशहहुद जिस में सलाम होता है इसी में तवर्रूक मसनून है। (ये हदीस पीछे भी गुज़री है। हदीस: 730) तवर्रूक का मतलब है, बायाँ पाँव बाहर निकाल कर सुरीनों पर बैठना।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ .

(964) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अता बयान करते हैं कि वह चंद अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ बैठे हूए थे। यही (ऊपर वाली) हदीस बयान की। उन्होंने (यानी ईसा बिन इब्राहीम ने) अबू क़तादा का ज़िक्र नहीं किया। कहा कि जब आप दो रकअतों पर बैठते तो अपने बायें पाँव पर बैठते और जब आख़री रकअत होती तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल देते और अपनी सुरीन पर बैठ जाते (जिसे तवर्रूक कहा जाता है।)

(964) तख़रीज : (सनद सहीह) हदीस: 732 में देखें.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ

(965) जनाब मुहम्मद बिन अम्र आमेरी बयान करते हैं कि मैं उस मज्लिस में मौजूद था (जिसमें कि दस अस्हाबे रसूल (ﷺ) बैठे थे और हज़रत अबू हुमैद (رضي الله عنه) ने उनको नमाज़ पढ़ कर दिखाई थी) उन्होंने इसमें बयान किया: जब आप दो रकअतों के बाद बैठते, तो अपने बायें पाँव के तल्वे पर बैठते और दायें को खड़ा कर लेते थे। और जब चौथी रकअत होती तो अपनी बायें सुरीन को ज़मीन पर रख लेते और अपने दोनों पाँव को एक जानिब निकाल लेते।

قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

(965) तख़रीज:(सनद सही) हदीस: 731 में देखें

फ़ायदा : आख़री तशहहुद में ये सूरत कि दायाँ पाँव भी दायें जानिब को लिटा लिया जाये जायज़ है।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عَبَّاسٍ، - أَوْ عَيَّاشِ - بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذُكِرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِي حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِي التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ .

(966) जनाब अ़ब्बास (या अ़याश) बिन सहल साइदी बयान करते हैं कि वह भी इस मज्लिस में मौजूद थे जिसमें उनके वालिद हाज़िर थे। उसमें बयान किया कि ... पस सज्दा किया और जब उठे तो अपनी दोनों हथेलियों, घुटनों और अपने पाँव के पंजों पर उठे, इस हाल में कि आप बैठे हूए थे। फिर आपने तवर्रूक किया (यानी अपनी सुरीन पर बैठे) और दूसरे पाँव को खड़ा कर लिया। फिर तकबीर कही और सज्दा किया। फिर तकबीर कही और खड़े हो गये और तवर्रूक न किया। और दूसरी रकअ़त पढ़ी और इसी तरह तकबीर कही, फिर बैठ गये। दो रकअ़तों के बाद। यहाँ तक कि जब खड़े होने का इरादा किया तो तकबीर कह कर खड़े हो गये और फिर दूसरी दो रकअ़तें पढ़ीं और जब सलाम किया तो अपनी दायें और बायें जानिब सलाम किया।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ईसा बिन अ़ब्दुल्लाह ने वह कुछ ज़िक्र नहीं किया जो कुछ कि अ़ब्दुल हमीद ने तवर्रूक और दो रकअ़तों से उठते वक़्त रफ़उलदैन का ज़िक्र किया है।

(966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 733 में देखें.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

(967) जनाब अ़ब्बास बिन सहल कहते हैं कि हज़रत अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन

عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلاَ الْجُلُوسَ قَالَ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ .

सअद और मुहम्मद बिन मस्लमा (ﷺ) इकट्ठे हूए ... और ये हदीस़ बयान की। और इसमें दो रकअतों से उठ कर रफ़उलदैन और बैठने का ज़िक्र नहीं किया। कहा यहाँ तक कि जब आख़िर में पहुँचे तो बैठ गये, बायें पाँव को बिछा लिया और अपने दायें पाँव के पंजे को क़िब्ले की तरफ़ कर लिया।

(967) तख़रीज: (सनद स़ही) हदीस़: 734 में देखें

﴿180﴾ باب التَّشَهُّدِ

बाब : 180
तशह्हुद का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنِي شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا جَلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ قُلْنَا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ قَبْلَ عِبَادِهِ السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ وَلَكِنْ إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ

(968) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ में बैठा करते थे तो कहा करते थे (अस्सलामु अलल्लाहि कब्ल इबादिही) अल्लाह पर उसके बंदों से पहले (या उसके बंदों की तरफ़ से) सलाम हो, सलाम हो फ़लां पर, सलाम हो, फ़लां पर, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह पर सलाम मत कहा करो, अल्लाह तो ख़ूद सरापा सलाम है। लेकिन जब तुममें से कोई बैठे तो यूँ कहा करे: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि....) 'तमाम तरह की क़ौली, फ़ेअली और माली इबादतें अल्लाह ही के लिये ख़ास़ हैं। सलाम हो आप पर ऐ नबी! और अल्लाह की रहमतें और बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह के नेक स़ालेह बंदों पर।' इनके दरम्यान सब

ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ - أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو بِهِ " .

सालेह बंदों के लिये होगी। (इसके बाद ये कहा करो) (अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ...) 'मैं गवाही देता हू कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और रसूल हैं।' फिर चाहिए कि दुआ करे जो उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हो।'

(968) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 835, व सही मुस्लिम: 402.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तशह्हुद के तमाम सेग़ों में ये सेग़े सही तरीन हैं। **(2)** (अत्तहिय्यात: तहिया) की जमा है और इसका मानी है सलामती, बक़ा, अज़मत, बेऐब होना और मुल्क व मिल्कियत। और बक़ौल अल्लामा ख़त्ताबी व बग़वी (रह.) ये लफ़्ज़ ताज़ीम के तमामतर मानी पर मुश्तमिल है। (अस्सलवात): सलात की जमा है। यानी इबादात, दुआएँ और रहमतें इसी से मख़्सूस हैं। (अत्तय्यिबात): तय्यिबतुन की जमा है यानी ज़िक्र अज़कार, आमाले सालेह और अच्छी बातें। एक क़ौल ये भी है कि अत्तहिय्यात से क़ौली इबादात, अस्सलवात से फ़ेअली इबादात और अत्तय्यिबात से माली इबादात मुराद हैं। देखिये: (नैलुल अवतार: 2/311, 313) **(3)** (अस्सलामु अलैका अय्युहन्नब्बियु व रहमतुल्लाहि) में ग़ायब की बजाये सेग़-ए-ख़िताब का विर्द नबी (ﷺ) की तालीम है और इसकी हक़ीक़त हिक्मत अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। बज़ाहिर यूँ है कि जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के लिये अपने तहिय्यात पेश करता है तो उसे याद दिलाया गया है कि ये सब कुछ तुम्हें नबी (ﷺ) के ज़रिये से मिला है। इसलिए बंदा नबी (ﷺ) को अपने ज़हन में मुस्तहज़र करके आपको सेग़-ए-ख़िताब से सलाम पेश करता है। कुछ लोगों का इसरार है कि इन अल्फ़ाज़ में बराहे रास्त रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुनवाना मक़सूद है। ये ख़्याल बरहक़ और दुरूस्त नहीं है। क्योंकि इस अन्दाज़ से ख़िताब हमेशा सुनवाने के लिये नहीं होता और इसकी दलील सुनन नसाई की नीचे दी गई हदीस है, हज़रत अबू राफ़े बयान करते हैं: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र के बाद क़बील-ए-बनू अब्दुल अशहल के यहाँ जाते और गुफ़्तगू में मशग़ूल रहते थे, यहाँ तक कि मग़रिब के क़रीब वापस तशरीफ़ लाते। अबू राफ़े कहते हैं: एक दिन नबी (ﷺ) नमाज़े मग़रिब के लिये जल्दी जल्दी तशरीफ़ ला रहे थे और हम बक़ीअ के पास से गुज़र रहे थे तो आपने फ़रमाया: 'अफ़सोस है तुझ पर! अफ़सोस है तुझ पर!' अबू राफ़े कहते हैं कि इससे मुझे बहुत गिरानी महसूस हूई और मैं कुछ पीछे हो गया। मैंने समझा कि शायद आप मेरा इरादा फ़रमा रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'क्या हूआ? आगे चलो' मैंने अर्ज़ किया: हज़रत क्या कोई बात हो गई है? फ़रमाया: क्या हूआ है? मैंने कहा कि आपने मुझ पर अफ़सोस का

इज़हार फ़रमाया है। फ़रमाया: 'नहीं, इस फ़लां शख़्स को मैंने फ़लां क़बीला पर आमिल बनाकर भेजा था तो उसने माल में से एक धारीदार चादर छुपा ली, चुनांचे अब उसे इसी तरह आग की चादर पहनाई गई है।' इस हदीस़ में नबी (ﷺ) को जब उसका मन्ज़र दिखाया गया तो आपने उस पर सेग़ा–ए–ख़िताब से अफ़सोस का इज़हार फ़रमाया। (सुनन नसाई, हदीस़: 863)
इसी तरह नया चाँद देखने की दुआ में है: (अल्लाहुम्मा अहिल्लहू अ़लैना बिल्अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह) (हाकिम: 4/285, हदीस़: 7767) 'ऐ अल्लाह! ... ऐ चाँद! मेरा और तेरा रब अल्लाह है।' यहाँ चाँद को सुनवाना मक़सूद नहीं बल्कि तालीमे नबी (ﷺ) है। अलग़र्ज़ तशहहुद में नबी (ﷺ) के लिये सेग़ा–ए–ख़िताब इस्मा (सुनवाने) के लिये नहीं, बल्कि तालीमे नबी की बिना पर है। वल्लाहु आलम! अगर सुनवाना मक़सूद होता तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) और हज़रत आयशा (رضي الله عنها) वग़ैरह नबी (ﷺ) की वफ़ात के बाद सलाम के सेग़–ए–ख़िताब को सेग़–ए–ग़ैब से हरगिज़ तब्दील न करते और (अस्सलामु अ़लन्नबी) न पढ़ते और न इसकी तालीम देते। रिज़वानुल्लाह अ़लैहिम अज्मईन। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस़: 6265) **(4)** लफ़्ज़ (फ़ल्यक़ुल) 'चाहिए कि कहे' से इस्तेदलाल है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। **(5)** सलाम से पहले दीन व दुनिया की हाजात की तलब भी मुस्तहब है और ये दुआ का बेहतरीन वक़्त और मक़ाम है।

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا فِي الصَّلاَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ عَلِمَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ شَرِيكٌ وَحَدَّثَنَا جَامِعٌ، - يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِمِثْلِهِ قَالَ وَكَانَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلِّمُنَاهُنَّ

(969) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने कहा: हम नहीं जानते थे कि नमाज़ में जब बैठें तो क्या पढ़ें और रसूलुल्लाह (ﷺ) को सिखाया गया था। फिर उन्होंने ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द बयान किया।

जनाब शरीक ने अख़बरना जामेअ़ यानी इब्ने शद्दादी, अ़न अबी वाइल, अ़न अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) इसकी मिस्ल बयान किया। कहा: आप (ﷺ) हमें कई तरह के कलिमात सिखाते थे, मगर जिस एहतिमाम से कलिमाते तशहहुद तालीम फ़रमाते थे, दीगर में ऐसे न होता था। (ग़ैर तशहहुद के अज़कार में से ये भी है) (अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैना क़ुलुबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना ...) 'ऐ अल्लाह! हमारे दिलों में (एक दूसरे की) उल्फ़त पैदा फ़रमा दे और हमारे आपस के ताल्लुक़ात को उ़म्दा बना दे। हमें सलामती के रास्तों की रहनुमाई

كَمَا يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ " اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَاهْدِنَا سُبُلَ السَّلاَمِ وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا " .

फ़रमा और अन्धेरों से बचा कर नूर में पहुँचा दे। और तमाम तरह की ज़ाहिरी और छुपी बदकारियों से महफ़ूज़ रख। हमारे कानों, आँखों, दिलों, घर वालियों (बीवियों) और बच्चों में बरकतें अता फ़रमा। (ऐ अल्लाह!) और हम पर रूजू फ़रमा (हमारी तौबा क़बूल कर) बिलाशुब्हा तू बहुत ज़्यादा तौबा क़बूल करने वाला और रहम करने वाला है। हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दे और ये कि हम उनका ख़ूब ऐतराफ़ करें और उन्हें बर महल इस्तेमाल में लायें और इन नेमतों को हम पर कामिल फ़रमा दे।'

(969) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस़: 67, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1105, नसाई, हदीस़: 1163, 1164, मुसनद अहमद, हदीस़: 1/394, हाकिम: 1/265.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अज़वाज, जमअ ज़ोज, अज़्दाद में से है। शौहर के मुक़ाबले में बीवी और बीवी के मुक़ाबले में शौहर के माना में आता है। इसके अलावा साथी और जोड़े के मानी में भी आता है इस तरह इसके मानी में बड़ी वुसअत है। **(2)** शूरू हदीस़ में है कि 'रसूलुल्लाह (ﷺ) को सिखाया गया था।' बिलाशुब्हा सहाबा–ए–किराम का ईमान था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दीन व इबादत की कोई मामूली सी बात भी अपनी तरफ़ से नहीं कहते और हमें दीन की तमाम तफ़्सीलात व जुज़्इयात रसूलुल्लाह (ﷺ) ही से लेनी हैं। चुनांचे हम तमाम मुसलमानों की फ़िक्र भी यही होनी चाहिए। इसी फ़िक्र से इंसान बिदअतों से बच सकता है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، قَالَ أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي فَحَدَّثَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِهِ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ

(970) क़ासिम बिन मुख़ैमिरा कहते हैं कि जनाब अल्क़मा ने मेरा हाथ पकड़ा और बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने मेरा हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) का हाथ पकड़ा और उन्हें नमाज़ में तशहहुद के कलिमात तालीम फ़रमाये। और हदीस़ से आमश की दुआ की मानिन्द बयान किया। और कहा: 'जब तुम

فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلاَةِ فَذَكَرَ مِثْلَ دُعَاءِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ " إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاَتَكَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ " .

ये कह लो, या फ़रमाया: पूरा कर लो, तो तुमने अपनी नमाज़ पूरी कर ली। अगर चाहो तो उठ जाओ और अगर चाहो तो बैठे रहो।'

(970) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/422, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1958–1960, नसाई, हदीस: 1168, औनूल माबूद: 1/367.

नोट : (1) इस रिवायत का ये हिस्सा (व इज़ा कुल्त) 'जब तुम ये कह लो।' आख़िर तक हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) पर मौक़ूफ़, इनका अपना क़ौल और हदीस में मुदरज है। देखिये: (औनूल माबूद) और हक़ ये है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। **(2)** नक़ले अहादीस में इस क़िस्म के लताइफ़ मौजूद हैं कि रावी हदीस बयान करने में अपने शैख़ की ज़ाहिरी कैफ़ियत को भी इख़्तियार करते थे जैसे कि इसमें हाथ पकड़ कर हदीस बयान करने का ज़िक्र आया है और इसे 'मुसल्सल' की एक नोअ क़रार दिया गया है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّدِ " التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " . قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ . " السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . قَالَ ابْنُ عُمَرَ زِدْتُ فِيهَا وَحْدَهُ

(971) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से तशहहुद के ये कलिमात बयान करते हैं: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहिस, सलवातुत तय्यिबातु, अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू) 'तमाम तरह की अज़मतें अल्लाह के लिये हैं। (इबादत का मुस्तहिक़ भी वही है) पाकीज़ा कलिमात, अज़कार और दुआएँ अल्लाह के लिये, सलामती हो आप पर ऐ अल्लाह के नबी! और उसकी रहमतें और बरकतें।' हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) कहते हैं कि (व बरकातूहु) का लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा है। (अस्सलामुअलयना वअला इबादिल्ला हिस्सालिहीन. अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु) 'सलामती हो हम पर और अल्लाह के सालेह

لاَ شَرِيكَ لَهُ . " وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ "

बंदों पर। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं।' हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा कि (वहदहु ला शरीकलहु) के लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा हैं।

(971) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 1/350, हदीस: 1314.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने जिन अल्फ़ाज़ को अपनी तरफ़ से इज़ाफ़ा क़रार दिया है वह बुख़ारी व मुस्लिम में मरफ़ूअ अहादीस से साबित हैं। देखिये: (सही बुख़ारी, हदीस: 831, व सही मुस्लिम) **(2)** इस तसरीह में इन हज़रात की अमानत व दयानत का इज़हार है कि जब तक कामिल यक़ीन न होता रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ कोई बात मन्सूब न करते थे।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا جَلَسَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةِ . فَلَمَّا انْفَتَلَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقَالَ أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا وَكَذَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ قَالَ فَلَعَلَّكَ يَا حِطَّانُ أَنْتَ قُلْتَهَا . قَالَ مَا قُلْتُهَا وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بِهَا

(972) जनाब हित्तान बिन अब्दुल्लाह रक़ाशी बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी(ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के आख़िर में जब बैठे तो क़ौम में से एक आदमी ने कहा: नमाज़ नेकी और पाकीज़गी के साथ बरक़रार की गई। जब हज़रत अबू मूसा नमाज़ से फिरे तो कहा: किसने ये ये अल्फ़ाज़ कहे हैं? लोग ख़ामोश रहे। आपने दो बार पूछा कि ये ये अल्फ़ाज़ किसने कहे हैं? लोग फिर ख़ामोश रहे। तो उन्होंने हित्तान से कहा: ऐ हित्तान शायद तुमने ये कहे हैं? मैंने कहा: मैंने नहीं कहे और मुझे अन्देशा था कि आप मुझे ही डाँटेंगे। तब एक शख़्स ने कहा: मैंने ये अल्फ़ाज़ कहे हैं और ख़ैर ही का इरादा किया है। तो अबू मूसा (ﷺ) ने फ़रमाया: क्या तुम नहीं जानते कि अपनी नमाज़ में तुम्हें क्या और कैसे कहना है?

. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا قُلْتُهَا وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي صَلاَتِكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا وَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا فَقَالَ " إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَقُولُوا آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَتِلْكَ بِتِلْكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّلِ قَوْلِ أَحَدِكُمْ أَنْ يَقُولَ التَّحِيَّاتُ

बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और हमें तालीम फ़रमाई और हमें हमारी नमाज़ का तरीक़ा सिखाया। आपने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो तो अपनी सफ़ों को दुरूस्त बनाओ, फिर तुममें से कोई एक तुम्हारी जमाअत कराये, जब वह तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो और जब वह (ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन पुकारो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब वह (इमाम) तकबीर कहे और रूकू करे तो तुम भी तकबीर कहो और रूकू करो। इमाम तुमसे पहले रूकू करेगा और तुमसे पहले उठेगा।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़राया: 'ये इसके बदले में है और जब वह (समिअल्लाहु लिमन हुमिदा) कहे तो तुम कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकलहम्दु) अल्लाह तुम्हारी सुनेगा और क़बूल करेगा। बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबी की ज़बान से कहलवाया है कि 'अल्लाह सुनता है और क़बूल करता है उसकी जो उसकी हम्द करे।' और जब वह तकबीर कहे और सज्दे को जाये तो तुम भी तकबीर कहो और सज्दे में चले जाओ। इमाम तुमसे पहले सज्दा करता और तुमसे पहले सर उठाता है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'ये उसके बदले में है। और जब क़अदा करे (तशह्हुद में बैठे) तो तुम्हारे पहले पहल अल्फ़ाज़ ये होने चाहिए :

(अत्तहिय्यातुत तय्यिबातुस्सलवातुलिल्लाहि अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामुअलयना व अला इबादिल्लाहिस्सालेहीन, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअश्हदुअन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू)'

जनाब अहमद ने (व बरकातुहु) और (अश्हदु) के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये बल्कि (व अन्ना मुहम्मदन) कहा।

(972) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404.

الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ " . لَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ " وَبَرَكَاتُهُ " . وَلاَ قَالَ " وَأَشْهَدُ " . قَالَ " وَأَنَّ مُحَمَّدًا".

(973) जनाब अबू ग़ल्लाब ने हित्तान बिन अब्दुल्लाह रक़ाशी से ये हदीस़ बयान की और इज़ाफ़ा किया कि इमाम जब क़िराअत करे तो ख़ामोश रहो ... और तशह्हुद में (अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद (वहदहु ला शरीकलहु) का इज़ाफ़ा किया।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि (फ़अन्सितू) (यानी ख़ामोश रहो) के लफ़्ज़ महफ़ूज़ नहीं हैं। इस हदीस़ में सिर्फ़ सुलेमान तमीमी ही इसको रिवायत करता है।

(973) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404.

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ زَادَ " فَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . وَقَالَ فِي التَّشَهُّدِ بَعْدَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ زَادَ " وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَوْلُهُ " فَأَنْصِتُوا " . لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ لَمْ يَجِئْ بِهِ إِلاَّ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

(974) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास(رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें तशह्हुद इस एहतिमाम से सिखाते थे जैसे कि क़ुर्आन और आपके अल्फ़ाज़ ये होते थे (अत्तहिय्यातुल मुबारका तुस्सलवातु त्तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ " التَّحِيَّاتُ

الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ".

बरकातुहुस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन व अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह)

(974) तख़रीज : सही मुस्लिम: 403.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तशहहुद इस एहतिमाम से सिखाते थे जैसे कि कुर्आन।' इसमें इशारा है कि ये वाजिब है। तर्जुमा ऊपर गुज़रे अल्फ़ाज़ ही की मानिन्द है। यानी 'तमाम बाबरकत अज़मतें और पाकीज़ा अज़कार अल्लाह ही के लिये ख़ास है।' **(2)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तसरीह है कि नबी (ﷺ) भी इन ही अल्फ़ाज़ से पूरा तशहहुद पढ़ा करते थे जो आप सहाबा को तालीम फ़रमाते थे।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَمَّا بَعْدُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِي وَسَطِ الصَّلاَةِ أَوْ حِينَ انْقِضَائِهَا فَابْدَءُوا قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَقُولُوا " التَّحِيَّاتُ الطَّيِّبَاتُ وَالصَّلَوَاتُ وَالْمُلْكُ لِلَّهِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ سَلِّمُوا عَلَى قَارِئِكُمْ وَعَلَى أَنْفُسِكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى كُوفِيُّ الأَصْلِ كَانَ بِدِمَشْقَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ دَلَّتْ هَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ سَمِعَ مِنْ سَمُرَةَ .

(975) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से मरवी है, अम्माबाद! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया है कि जब नमाज़ का दरम्यानी क़अदा हो या उसकी इन्तेहा तो सलाम कहने से पहले (तशहहुद से इब्तेदा करो और) कहा करो: (अत्तहिय्यातुत तय्यिबातु, वस्सलवातु वलमुल्कुलिल्लाह) 'तमाम पाकीज़ा ताज़ीमात, अज़कार और मुल्क अल्लाह ही के लिये है।' फिर दायीं तरफ़ सलाम करो। फिर अपने क़ारी और अपने आप पर सलाम करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सुलेमान बिन मूसा असल में कूफ़े के हैं और दमिश्क़ में मुक़ीम थे।

और ये सहीफ़ा दलील है कि हसन बसरी ने हज़रत समुरा (ﷺ) से सुना है।

(975) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 7/250, हदीस: 7018.

बाब : 181
तशह्हुद के बाद नबी (ﷺ) के लिये सलात (दरूद) का बयान

﴾181﴿
باب الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ وَأَنْ نُسَلِّمَ عَلَيْكَ فَأَمَّا السَّلاَمُ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

(976) हज़रत कअ़ब बिन उजरा (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने कहा या दीगर सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दरूद और सलाम भेजें। सलाम भेजना तो हमने जान लिया है, तो दरूद कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'कहा करो! (अल्लाहुम्मा सल्लि अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद .....) 'ऐ अल्लाह! मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा, जैसे कि तूने इब्राहीम पर रहमतें नाज़िल फ़रमाईं और मुहम्मद और आले मुहम्मद पर अपनी बरकतें नाज़िल फ़रमा जैसे कि तूने आले इब्राहीम पर अपनी बरकतें नाज़िल फ़रमाईं। बेशक तू तारीफ़ किया हूआ, बड़ी शान वाला है।'

(976) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6357, व सही मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुर्आन मजीद में है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला अपने नबी पर रहमत नाज़िल करता है और फ़रिश्ते आपके लिये दुआ करते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम (भी) नबी (ﷺ) पर सलात भेजो, और सलाम कहो सलाम कहना।' (अल अहज़ाब: 56) लुग़ते अ़रबी में 'सलात' का मानी है दुआए रहमत, मग़फ़िरत और हसन सना। इसकी निस्बत जब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ होती है तो उसका तर्जुमा होता है कि अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमाता है, उसके दर्जात

बलन्द करता है और मल्कूत में उसकी सना फ़रमाता है। और जब उसकी निस्बत मलाइका या मोमिन की तरफ़ होती है तो इसका मफ़हूम इन उमूर की तलब और दुआ होती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये सलात में आपकी रिफ़अते ज़िक्र व शान, इज़हारे दावत, इब्क़ा–ए–शरीयत, तकसीरे अज्र व सवाब और बिअ़सते मक़ामे महमूद सभी शामिल हैं और इन सब मानी को हमारी उर्दू ज़बान में फ़ारसी लफ़्ज़, 'दरूद' से ताबीर किया जाता है। इस मसले की शरह वबस्त के लिये अल्लामा ख़फ़ाजी (रह.) की 'नसीमुर रियाज़' शरह शिफ़ा क़ाज़ी अयाज़ और इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) की 'जलालुल इफ़हाम' देखनी चाहिए। इसका उर्दू तर्जुमा, जो क़ाज़ी सुलेमान मन्सूर पूरी (रह.) ने किया था, उसे दारूस्सलाम ने 'अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह (ﷺ) के उनवान से निहायत दीदा ज़ेब अन्दाज़ में शाया किया है। **(2)** (फ़अम्मस्सलामु फ़क़द अरफ़नाहु) 'सलाम कहना तो हमने जान लिया है।' यानी जैसे कि आपने हमें तालीम फ़रमाया है। मुलाक़ात के मौक़े पर (अस्सलामुअलयक या रसुलुल्लाह) कहना और नमाज़ में (अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) पढ़ना।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ " .

(977) जनाब शोबा ने ये हदीस़ बयान की और कहा: (सल्लि अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद कमा स़ल्लैता अ़ला आलि इब्राहीम)

(977) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ مِسْعَرٌ إِلاَّ

(978) हकम ने अपनी सनद से इसे रिवायत किया और कहा: (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद कमा स़ल्लैता अ़ला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद कमा बारकता अ़ला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ज़ुबैर बिन अ़दी ने इब्ने अबी लैला से इसी तरह रिवायत किया है जैसे कि मिसअ़र ने इसे रिवायत किया। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि उन्होंने कहा है: (कमा स़लैता अ़ला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम

أَنَّهُ قَالَ " كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ " . وَسَاقَ مِثْلَهُ ..

मजीद व बारिक अ़ला मुहम्मद) और साबिक़ा रिवायत की तरह बयान किया।

(978) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैहि, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

(979) हज़रत अबू हुमैदी साइदी (ﷺ) ने बयान किया कि स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आप पर स़लात (दरूद) कैसे पढ़ें? आपने फ़रमाया: 'कहा करो: (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद कमा स़ल्लैता अ़ला इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अ़ला मुहम्मद व अ़ला आलि मुहम्मद कमा बारकता अ़ला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद)

(979) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 3369, मौता: 1/165, व स़ही मुस्लिम: 407.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، - وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ هُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ بِالصَّلاَةِ - أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ

(980) हज़रत अबू मसऊ़द अन्स़ारी (ﷺ) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहाँ सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) की मज्लिस में तशरीफ़ लाये तो हज़रत बशीर बिन सअ़द (ﷺ) ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआ़ला ने हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर स़लात पढ़ें। तो ये किस तरह पढ़ें। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गये, (और देर तक ख़ामोश रहे) यहाँ तक कि हमने चाहा कि काश वह सवाल ही न किया होता। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यूँ कहा करो।'

فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُولُوا " . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ زَادَ فِي آخِرِهِ " فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

और कअ़ब बिन उ़जरा की हदीस़ के हम मानी बयान किया और इसके आख़िर में (फ़िल आलमीन इन्नका हमीदुम्मजीद) ज़्यादा किया।

(980) तख़रीज : मौता: 1/165, 166, व स़ही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ " .

(981) मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने जनाब उ़क़्बा बिन अ़म्र (ﷺ) से ये हदीस़ नक़ल की कि कहा करो (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिन्नबी अल उम्मी आलि मुहम्मद)

(981) तख़रीज : (सनद स़ही) हाकिम: 1/268, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के 'उम्मी' होने के मानी ये हैं कि आप रिवायती अन्दाज़ में लोगों के यहाँ पढ़े हुए नहीं हैं, बल्कि जिब्राईल अमीन के शागिर्द (स्टूडेंट) हैं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ الْكِلاَبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الْمُجْمِرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى إِذَا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " .

(982) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'जिस का जी चाहता है कि उसे उसकी मीज़ान ख़ूब भरी हूई मिले तो चाहिए कि जब हम अहले बैत पर स़लात (दरूद) पढ़े तो यूँ कहा करें; (अल्लाहुम्मा स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिन्नबी वअज़वाजिही उम्महातिल मूमिनीन व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिहि कमा स़ल्लैता अ़ला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद)'

(982) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी अत्तारीख़ुल कबीर: 3/870, उकैल: अज़्ज़ुअ़फ़ा 1/318.

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़लात के मानी शुरू बाब में ज़िक्र हो चुके हैं। (2) 'आल' दरअस़ल बमानी 'शख़्स़' है और उसके लिये इस्तेमाल होता है जिसको दूसरे के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ हो। और ये लफ़्ज़ हमेशा स़ाहिबे शर्फ़ और अफ़ज़ल हस्ती की तरफ़ मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। 'आलुन्नबी' से मुराद आपके रिश्तेदार हैं और कुछ के नज़दीक वह लोग हैं जिन्हें इल्म व मारिफ़त के ऐतबार से रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ख़ास़ ताल्लुक़ हासिल हो। और इसकी तफ़्सील ये है कि अहले दीन दो क़िस्म के हैं। एक वह जो इल्म के ऐतबार से रासिख़ और मुहकम होते हैं। उनको 'आले नबी और उम्मत' भी कह कहते हैं। और दूसरे जिनका इल्म व अ़मल सरसरी और तक़लीदी सा होता है, इनको उम्मते मुहम्मद कह सकते हैं, आले मुहम्मद नहीं कह सकते। इस तरह उम्मत और आल में उ़मूम ख़ुसूस़ की निस्बत है। यानी हर आले नबी आपकी उम्मत में दाख़िल है, मगर हर उम्मती आले नबी नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (मुफ़रदात, राग़िब अस़फ़हानी) अहादीस़े स़हीहा और दरूद के मुख़्तलिफ़ स़ेग़ों से स़ाबित होता है कि नबी (ﷺ) के अहले बैत और आल में आले अ़ली, आले जाफ़र, आले अक़ील, आले अ़ब्बास, अज़वाजे मुतह्हरात और आपकी तमाम औलाद शामिल हैं। (3) (कमा स़ल्लैता) में मारूफ़ तशबीह नहीं कि अदना को आ़ला के मुशाबा कहा गया हो, बल्कि इसमें एक ग़ैर मशहूर अम्र को मशहूर व मारूफ़ के साथ मुल्हक़ करके ज़हनों के क़रीब किया गया है। जैसे कि अल्लाह के नूर को चराग़ के नूर से मुशाबिहत दी गई है: (अल्लाहु नूरूस्समावाति वलवर्जि, मिस्ले नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन) (अन्नूर: 35) चूंकि इब्राहीम अ़लैहि. और आले इब्राहीम की अ़ज़मत और उन पर स़लात तमाम तबक़ात में मशहूर व मारूफ़ थी तो मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये भी इस अन्दाज़ से स़लात की दुआ तालीम की गई है, इसमें मिक़्दार का मफ़हूम शामिल नहीं। एक मफ़हूम ये भी है कि चूंकि सय्यदना इब्राहीम अ़लैहि. की आल में अम्बिया व रसूल ज़्यादा तादाद में हैं और इनमें ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) भी हैं तो इन सब के लिये जिस क़द्र स़लात नाज़िल की गई है, इस अ़ज़ीम मिक़्दार की स़लात सिर्फ़ मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी आल के लिये तलब की जा रही है। वल्लाहु आ़लम! तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्आ़तुल मफ़ातीह, मिश्कात, हदीस़: 924)

﴾182﴿

باب مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

बाब : 182
तशह्हुद के बाद क्या पढ़े?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ "

(983) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई आख़री तशह्हुद से फ़ारिग़ हो जाये तो उसे चाहिए कि अल्लाह से चार चीज़ों की पनाह तलब करे। यानी अ़ज़ाबे जहन्नम, अ़ज़ाबे क़ब्र, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के शर से।'

(983) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/237, व स़ही मुस्लिम: 588.

फ़ायदा : अल्फ़ाज़ इस दुआ के ये होंगे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अ़ऊज़ुबिका मिन अ़ज़ाबे जहन्नम व मिन अ़ज़ाबिल क़ब्र व मिन फ़ितनतिल महया वलममाति वमिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल)

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

(984) सय्यदना इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आप तशह्हुद के बाद ये दुआ करते थे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अ़ऊज़ुबिका मिन अ़ज़ाबि जहन्नम व अ़ऊज़ुबिका मिन अ़ज़ाबिल क़ब्र, व अ़ऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिद्दज्जाल व अ़ऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिल महया वलममाति)

(984) तख़रीज : (सनद स़ही) तबरानी: 11/29, हदीस़: 10939, व स़ही मुस्लिम: 590.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا

(985) हज़रत मिहजन बिन अदरअ (रह.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद

عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ مِحْجَنَ بْنَ الأَدْرَعِ، حَدَّثَهُ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ قَضَى صَلاَتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ . قَالَ فَقَالَ " قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ " . ثَلاَثًا .

में तशरीफ़ लाये, आपने एक शख़्स को देखा जिसने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली थी और वह तशह्हुद पढ़ रहा था और कह रहा था: (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका या अल्लाहुल अहदुस्समदुल्लज़ी लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लहू कुफ़वन अहद, अन तग़फ़िरली ज़ुनूबी, इन्नका अन्तलग़फ़ुरूर्रहीम) आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे बख़्श दिया गया, उसे बख़्श दिया गया।' तीन बार फ़रमाया। (दुआ का तर्जुमा है) 'मैं तुझसे सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह! अकेला, बेन्याज़, न जिसने जना न जना गया, और कोई उसके बराबर नहीं! ये कि मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बेशक तू बहुत ही बख़्शने वाला रहम करने वाला है।'

(985) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1302, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 724, हाकिम: 1/267 हदीस: 1493 में देखें।

﴿183﴾
بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

बाब : 183
तशह्हुद ख़ामोशी से पढ़ना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفَى التَّشَهُّدُ .

(986) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है उन्होंने कहा: सुन्नत ये है कि तशह्हुद को ख़ामोशी से पढ़ा जाये।

(986) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 291, हाकिम: 1/267, 1/230.

बाब : 184
तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा करना

﴿184﴾
باب الإِشَارَةِ فِي التَّشَهُّدِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ رَآنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي وَقَالَ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . فَقُلْتُ وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ قَالَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

(987) जनाब अ़ली बिन अ़ब्दुर्रहमान अलमुआवी बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने मुझे देखा कि मैं नमाज़ के दौरान में कंकरियों से खेल रहा था जब वह फ़ारिग़ हूए तो उन्होंने मुझे उससे मना फ़रमाया और कहा: ऐसे किया करो जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किया करते थे। मैंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) कैसे किया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: जब आप नमाज़ में बैठते तो अपने दायें हाथ को अपनी दायीं रान पर रख लेते और सारी ऊँगलियाँ बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली (शहादत वाली) ऊँगली से इशारा करते और अपने बायें हाथ को अपनी बायें रान पर रखते थे।

(987) तख़रीज : मौता: 1/88, 89, व सही मुस्लिम: 580.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि तशहहुद में बैठते ही ये कैफ़ियत होती कि दायें हाथ की मुट्ठी सी बना लेते थे। और इशारा करते थे, यानी शहादत की ऊँगली को उठाए रखते थे। ताहम बार बार हरकत देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

(988) हज़रत अ़ब्दुललाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब नमाज़ में बैठा करते तो अपने बायें पाँव को अपनी दायीं रान और पिण्डली के नीचे कर

بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَعَدَ فِي الصَّلاَةِ جَعَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى تَحْتَ فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَسَاقِهِ وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ . وَأَرَانَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

लेते और अपने दायें पाँव को बिछा लेते और बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर और दायाँ हाथ दायीं रान पर रखते और अपनी ऊँगली से इशारा करते। और अ़ब्दुल वाहिद ने हमको दिखाया और शहादत की ऊँगली से इशारा किया।

(988) तख़रीज : सही मुस्लिम: 579.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ إِذَا دَعَا وَلاَ يُحَرِّكُهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَزَادَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو كَذَلِكَ وَيَتَحَامَلُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى .

(989) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने ज़िक्र किया कि नबी (ﷺ) जब दुआ करते तो अपनी ऊँगली से इशारा करते और उसे हरकत न देते थे।

इब्ने जुरैज ने कहा कि अ़म्र बिन दीनार ने मज़ीद कहा कि मुझे आ़मिर ने अपने वालिद से बयान किया कि उन्होंने नबी (ﷺ) को देखा था कि आप इस तरह इशारा किया करते थे। और नबी (ﷺ) अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा करते थे।

(989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1271, हदीस: 902 में देखें।

फ़ायदा : हरकत न देने वाली रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम कुछ उ़लमा ने इसको सही क़रार देते हूए, इशारा करने और हरकत न देने, के दरम्यान ये हल निकाल दी है, जैसे कि शैख़ शौकानी ने इमाम बैहक़ी (रह.) से नक़ल किया है, कि आप इशारा करते, मगर हरकत में तकरार न होता था। देखिये: (नैलुल अवतार) इसलिए हरकत और इशारा दोनों पर अगर इस तरह अ़मल किया जाये कि तशहहुद में बैठते ही 53 की कि गिनती की गिरह बनाते हूए ऊँगली उठा ली जाये और उसे सलाम फेरने तक इशारे की हालत में खड़ा रखा जाये, जैसा कि अहादीस़ से तशहहुद में ऊँगली की यही कैफ़ियत मालूम होती है और चंद बार दरम्यान में हरकत भी दे ली जाये, ताकि हरकत वाली हदीस़ पर भी अ़मल हो

जाये। ताहम हरकत की तकरार और कसरत, जैसा कि रिवाज होता जा रहा है, इसकी कोई मज़बूत बुनियाद नहीं है। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لاَ يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ . وَحَدِيثُ حَجَّاجٍ أَتَمُّ .

(990) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपने वालिद से उन्होंने हदीस बयान की और कहा: आपकी नज़र आपके इशारे से आगे न बढ़ती थी। और हज्जाज की हदीस इससे ज़्यादा कामिल है।

(990) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/3.

फ़ायदा : नमाज़ में बिलउमूम नज़र मक़ामे सज्दा पर होनी चाहिए, मगर तशहहुद में ऊँगली पर हो। ताज्जुब है कि सहाबा किराम (ﷺ) ने आप (ﷺ) की एक एक हरकत को किस बारीकी से मुलाहिज़ा किया और उम्मत तक पहुँचाया है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ، - مِنْ بَنِي بُجَيْلَةَ - عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا .

(991) जनाब मालिक बिन नुमैर ख़ुज़ाई अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा: आप अपने दाहिने दस्ते को अपनी दायीं रान पर रखे हूए थे, शहादत की ऊँगली उठाये हूए थे और उसे कुछ टेढ़ा सा भी किये हूए थे।

(991) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: 1272, इब्ने ख़ुज़ैमह, 715, 716, इब्ने हिब्बान, हदीस: 499.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसलिए ऊँगली को ख़म देने की बजाये उसे सीधा खड़ा रखा जाये (यानी तशहहुद में)

बाब : 185
नमाज़ में हाथ का सहारा लेने की कराहत

﴾185﴿ باب كَرَاهِيَةِ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ فِي الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّوَيْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْغَزَّالُ، قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ - أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . وَقَالَ ابْنُ شَبُّوَيْهِ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ فِي الصَّلاَةِ . وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِهِ . وَذَكَرَهُ فِي بَابِ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ نَهَى أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاَةِ .

(992) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) के अल्फ़ाज़ हैं कि आदमी नमाज़ में इस हाल में बैठे कि वह अपने हाथ का सहारा लिये हूए हो। और इब्ने शब्बूया ने कहा: मना फ़रमाया इस बात से कि आदमी नमाज़ में अपने हाथ का सहारा ले। और इब्ने राफ़े ने कहा: मना फ़रमाया इससे कि आदमी नमाज़ पढ़े और अपने हाथ का सहारा ले। और इस हदीस़ को सज्दों से उठने के बाब में ज़िक्र किया। इब्ने अ़ब्दुल मलिक ने कहा: मना फ़रमाया इससे कि आदमी जब नमाज़ में उठने लगे तो अपने हाथों का सहारा ले।

(992) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/135, मुसनद अहमद: 2/147, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़: 2/197, हदीस़: 3054, हाकिम: 1/230.

फ़ायदा : इब्ने राफ़े का इस्तेदलाल कि खड़े होने के लिये सहारा लेना मना है, दुरूस्त नहीं क्योंकि स़ही अहादीस़ में इसका सुबूत है। जैसे अय्यूब अ़न अबी क़लाबा की रिवायत बुख़ारी में है कि 'नबी (ﷺ) जब दूसरे सज्दे से सर उठाते तो बैठते, ज़मीन का सहारा लेते और फिर खड़े होते।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 824) इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के आख़री टुकड़े को, जिसमें उठते वक़्त हाथों से सहारा लेने की मुमानिअ़त है, मुन्कर क़रार दिया है। बाक़ी ये स़ही है कि आदमी जब तशहहुद में बैठा हो तो ज़मीन पर हाथ रख कर न बैठे जैसे कि आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، سَأَلْتُ نَافِعًا عَنِ الرَّجُلِ، يُصَلِّي وَهُوَ مُشَبِّكٌ يَدَيْهِ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ .

(993) जनाब इस्माईल बिन उमैया कहते हैं कि मैंने नाफ़े से पूछा कि अगर कोई आदमी नमाज़ के दौरान में तशबीक किये हूए हो तो? (यानी दोनों हाथों की ऊँगलियाँ एक दूसरे में दिये हूए हो?) उन्होंने कहा: इब्ने उ़मर (ﷺ) फ़रमाते हैं कि ये मग़ज़ूब अ़लैहिम (यानी यहूदियों) की नमाज़ है।

(993) तख़रीज : (सनद सह़ी) बैहक़ी: 2/289

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَتَّكِئُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَهُوَ قَاعِدٌ فِي الصَّلَاةِ - وَقَالَ هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ سَاقِطًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَقَالَ لَهُ لاَ تَجْلِسْ هَكَذَا فَإِنَّ هَكَذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ .

(994) ह़ज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि वह नमाज़ में बैठे हूए अपने बायें हाथ का सहारा लिये हूए था। (यानी ज़मीन पर रखे हूए था।) हारून बिन ज़ैद ने कहा वह अपनी बायें जानिब पर गिरा हूआ था ... फिर दोनों (रावी) इन अल्फ़ाज़ में मुत्तफ़िक़ हैं ... तो इब्ने उ़मर (ﷺ) ने उससे कहा: ऐसे मत बैठो इस तरह वह लोग बैठते हैं जिन्हें अ़ज़ाब दिया जायेगा।

(994) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/116.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस असर में इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की रिवायत (992) की वज़ाहत है जो ऊपर गुज़री है। **(2)** अगर कोई शख़्स बैठने से माज़ूर हो तो लेट कर नमाज़ पढ़े, अपने पहलू पर न गिरे।

﴾186﴿
بَابٌ فِي تَخْفِيفِ الْقُعُودِ

बाब : 186
दरम्यानी तशह्हुद को मुख़्तसर रखना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

(995) जनाब अबू उ़बैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह नबी (ﷺ) के मुताल्लिक़

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ . قَالَ قُلْتُ حَتَّى يَقُومَ قَالَ حَتَّى يَقُومَ .

बयान करते हैं कि आप पहली दो रकअतों के बाद (जब बैठते तो) ऐसे होते गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। हमने कहा: यहाँ तक कि खड़े हो जाते? कहा: यहाँ तक कि खड़े हो जाते।

(995) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 366.

नोट : इब्ने अबी शैबा ने तमीम बिन सलमा की सही सनद से रिवायत किया है कि हज़रत अबूबक्र और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का बैठना ऐसे होता था कि गोया गर्म पत्थर पर बैठे हों। देखिये: (अत्तलख़ीसुल हबीर: 1/263) इसमें इशारा है कि दो रकअतों के बाद सिर्फ़ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है। ताहम इसके बाद दरूद शरीफ़ भी पढ़ लिया जाये, तो बेहतर है। यानी पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ़ का पढ़ना मुस्तहब है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सलातुन्नबी (ﷺ) सफ़ा: 45)

﴾187﴿
باب فِي السَّلاَمِ

बाब : 187
(इख़्तितामे नमाज़ पर) सलाम फेरने के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ، إِسْرَائِيلُ

(996) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है, कहा कि नबी (ﷺ) (नमाज़ के इख़्तिताम पर) अपनी दायीं और बायीं तरफ़ सलाम किया करते थे, यहाँ तक कि आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी जाती थी। (और कहते थे) (अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि, अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि)

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अल्फ़ाज़ सुफ़ियान की हदीस के हैं। और इस्राईल की हदीस में इसकी वज़ाहत नहीं है।

عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ وَعَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ - حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ - أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا .

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: और इस रिवायत को ज़ुहैर ने अबू इस्हाक़ से और यहया बिन आदम ने इस्राईल से, उन्होंने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने अ़ब्दुर्रहमान बिन अस्वद से, उन्होंने अपने वालिद और अ़लक़मा से उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह से रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद ने (ये भी) कहा कि शोबा, अबू इस्हाक़ की इस हदीस़ के मरफ़ूअ़ होने का इंकार करते थे।

(996) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 295, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 728, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 516, मुसनद अहमद: 1/408, 409, हदीस़: 3879.

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ " . وَعَنْ شِمَالِهِ " السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"

(997) जनाब अ़ल्क़मा बिन वाइल अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आप अपनी दायीं तरफ़ सलाम फेरते तो (अस्सलामुअ़लयकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू) कहते और अपनी बायीं तरफ़ (अस्सलामुअ़लयकुम व रहमतुल्लाहि) कहते।

(997) तख़रीज : (सनद हसन) नववी, हदीस़: 3/479, बुलूग़ुल मराम, हदीस़: 252.

फ़ायदा : (व बरकातुहु) सुनन अबू दाऊद के मुतदाविल नुस्ख़ों में दायीं तरफ़ सलाम फेरते हूए। (व बरकातुहु) का इज़ाफ़ा स़ाबित है और बायीं जानिब सिर्फ़ (अस्सलामुअ़लयकुम व रहमतुल्लाहि) कहता है या कहना है, तो जायज़ है। तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार: 2/334, सुबुलुस्सलाम: 1/330, 1331) और शरह बुलूग़ुल मराम स़फ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (रह.).

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ " مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا " . وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ " يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ " .

(998) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ते तो सलाम कहते हूए अपने हाथ से दायें और बायें इशारा करते थे। जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया: 'तुम्हें क्या हूआ है कि अपने हाथों से यूँ इशारे करते हो गोया सरकश घोड़ों की दुमें हों? तुम्हें यही काफ़ी है।' या फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे एक के लिये ये काफ़ी नहीं है कि यूँ करे और अपनी ऊँगली से इशारा किया। अपने भाई पर दायें और बायें जानिब सलाम कहे।'

(998) तख़रीज : सही मुस्लिम: 431.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَوْ أَحَدَهُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ " .

(999) मिस्वर ने साबिक़ा सनद और मानी के मुताबिक़ रिवायत किया कहा: 'क्या तुम्हें ... या फ़रमाया ... इन्हें ये काफ़ी नहीं कि अपना हाथ अपनी रान पर रखें और अपने भाई पर सलाम कहें जो उसकी दायीं और बायीं तरफ़ है।'

(999) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ رَافِعُو أَيْدِيهِمْ - قَالَ

(1000) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और लोग अपने हाथ उठाये हूए थे। ज़ुबैर ने कहा ... मेरा ख़याल है कि शैख़ ने कहा था कि नमाज़ में ... तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपने हाथ उठाते हो

زُهَيْرٌ أُرَاهُ قَالَ - فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ " .

जैसे कि सरकश घोड़ों की दुमें हों। नमाज़ में सुकून इख़्तियार किया करो।'

(1000) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 661 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ में ज़ाहिरन व बातिनन ख़ुशू व ख़ुज़ूअ का एहतिमाम करना वाजिब है। बे मतलब की हरकतें नाजायज़ और हराम हैं। नमाज़ इस तरह अदा करनी चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पढ़ कर दिखाई और सहाबा ने सीखी है। **(2)** ऊपर दी गई हदीस सही मुस्लिम (हदीस: 430) और सुनन नसाई (हदीस: 1327) में भी आई है और सही हदीस है और उन मारूफ़ दलाइल में से एक है जो बिरादराने अहनाफ़ रूकू के रफ़उलदैन के रद्दे इंकार में बड़े एतिमाद से पेश करते हैं। हालांकि इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम और इनके मुबव्विब इमाम नववी (रह.) इसे सलाम के बाब में लाये हैं और सही इस्तेदलाल ये है कि तशहहुद में सलाम के मौक़े पर हाथों से इशारे करना मना है क्योंकि इस हदीस में इसी मौक़े पर हाथों के साथ इशारा करके सलाम करने से रोका गया है, न कि मुतलक़न हाथ उठाने (रफ़उलदैन करने) से। इमाम बुख़ारी (रह.) जुज़्ए रफ़उलदैन में फ़रमाते हैं कि '(रूकू के रफ़उलदैन के इंकार में) कुछ उलमा का हदीसे जाबिर बिन समुरा से इस्तेदलाल सही नहीं है। ये दर हक़ीक़त तशहहुद की बात है न कि क़याम की, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे पर हाथ उठाकर सलाम किया करते थे, तो नबी (ﷺ) ने उन्हें तशहहुद में हाथ से इशारा करने से मना फ़रमाया। और जिस आदमी को इल्म का कोई हिस्सा मिला है वह इस हदीस को (रूकू के रफ़उलदैन के इंकार की) दलील नहीं बना सकता। ये हदीस मशहूर व मारूफ़ है, इसमें कोई इख़्तिलाफ़ नहीं है। अगर बात ऐसे ही होती जैसे कि इनका मनगढ़त इस्तेदलाल है (कि हाथ उठाना मुतलक़न मना हैं) तो पहली तकबीरे तहरीमा और तकबीराते ईद में भी रफ़उलदैन ममनूअ होता, क्योंकि हदीस में किसी भी रफ़उलदैन का इस्तेसना नहीं है। और जनाब मिस्वर की रिवायत में आया है कि 'नमाज़ी को चाहिए अपना हाथ अपनी रान पर रखे फिर सलाम कहे।' (इमाम बुख़ारी, फ़रमाते हैं) ऐसे लोगों को अल्लाह से डरना चाहिए कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ऐसी बातें बनाते हैं जो आपने नहीं फ़रमाई हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का फ़रमान है: 'ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो नबी (ﷺ) के हुक्म की मुख़ालिफ़त करते हैं, कहीं उन्हें कोई फ़ितना न आ ले या किसी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला न हो जायें।' (अन्नूर: 63) इन्तेहा और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की सही साबित शुदा सुन्नत की तहक़ीर, उसका मज़ाक और उसका इंकार अपनी दुनिया व आक़िबत ख़राब करने वाली बात है।

बाब : 188
इमाम को सलाम का जवाब देना

﴿188﴾
باب الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

(1001) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने हमें हुक्म फ़रमाया कि इमाम को (उसके सलाम का) जवाब दें, और ये कि आपस में मोहब्बत रखें और एक दूसरे को सलाम किया करें।

(1001) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 921 हदीस: 29 में देखें, हाकिम: 1/270.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ .

फ़ायदा : 'इमाम को सलाम का जवाब दें।' का मतलब है कि मुक़तदी सलाम फेरते वक़्त इमाम को सलाम का जवाब देने की नियत करें। लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है जिससे किसी हुक्म का इस्बात नहीं हो सकता। ताहम इसके अगले हिस्से में बाहम मोहब्बत रखने और एक दूसरे को सलाम करने का जो हुक्म है, वह सही है, क्योंकि ये दोनों बातें सही अहादीस से साबित हैं।

बाब : 189
... नमाज़ के बाद (बा'आवाज़े बलन्द) तकबीर कहना

﴿189﴾
باب التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

(1002) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ का ख़त्म होना तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने की आवाज़) से जाना जाता था।

(1002) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 842, व सही मुस्लिम: 583.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ .

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ .

(1003) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) ने ख़बर दी, फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लोग जब फ़र्ज़ से फ़ारिग़ होते तो ज़िक्र करते हूए अपनी आवाज़ें बलन्द किया करते थे। इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि मुझे उनका नमाज़ से फ़ारिग़ होना इसी से मालूम होता था और मैं उनका ज़िक्र सुनता था।

(1003) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 3225, व सही मुस्लिम: 583.

फ़ायदा : सलाम के बाद अल्लाहु अकबर और तीन मर्तबा अस्तग़फ़िरूल्लाह और इसी तरह कुछ और कलिमात बिलख़ुसूस बलन्द आवाज़ से साबित शुदा सुन्नत है। इसे कुछ औक़ात या महज़ तालीम के लिये महमूल करना सही नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि आवाज़ की बलन्दी इस क़द्र न हो कि दूसरों के लिये तशवीश और उलझन का बाइस बने।

(190)
باب حَذْفِ التَّسْلِيمِ

बाब : 190
सलाम को लम्बा किये बग़ैर, कहना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حَذْفُ السَّلاَمِ سُنَّةٌ " . قَالَ عِيسَى نَهَانِي ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ رَفْعِ هَذَا الْحَدِيثِ .

(1004) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सलाम को लम्बा किये बग़ैर कहना सुन्नत है।'

ईसा कहते हैं कि जनाब इब्ने मुबारक ने मुझे इस हदीस को मरफ़ूअ बयान करने से मना फ़रमाया था। इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने अबू उमैर ईसा बिन यूनुस फ़ाख़ूरी रमली को सुना, वह बयान करते थे कि फ़रयाबी जब मक्का से वापस लौटे तो उन्होंने इस हदीस को मरफ़ूअ बयान करना छोड़ दिया था और कहा कि मुझे इमाम अहमद

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَيْرٍ عِيسَى بْنَ يُونُسَ الْفَاخُورِيَّ الرَّمْلِيَّ قَالَ لَمَّا رَجَعَ الْفِرْيَابِيُّ مِنْ مَكَّةَ تَرَكَ رَفْعَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ نَهَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ رَفْعِهِ .

बिन हम्बल (रह.) ने इस हदीस़ को मरफ़ूअ बयान करने से रोका है।

(1004) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 297, मुसनद अहमद: 3/532, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 734, हाकिम: 1/231.

फ़ायदा : इसका मफ़हूम ये है कि सलाम को मद (खींचाव) के साथ लम्बा कर के न कहा जाये। बल्कि दरम्यानी अन्दाज़ से कहे। लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है।

﴿191﴾ باب إِذَا أَحْدَثَ فِي صَلاَتِهِ يَسْتَقْبِلُ

बाब : 191
जब नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाये तो नमाज़ दोहराये

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ

(1005) हज़रत अली बिन तलक़ (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ में फुस्की मारे, (हवा ख़ारिज करे) तो चाहिए कि नमाज़ तोड़ दे और वुज़ू करे और अपनी नमाज़ दोहराये।'

(1005) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस़: 205 में देखें, बैहक़ी: 2/255.

﴾192﴿

باب فِي الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

बाब : 192
जिस जगह आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े हों वहीं नफ़ल अदा करना कैसा है?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ " قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ " أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ". زَادَ فِي حَدِيثِ حَمَّادٍ " فِي الصَّلاَةِ ". يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ .

(1006) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम इस बात से आजिज़ हो कि (फ़र्ज़ों के बाद) आगे, पीछे या दायें बायें हो जाओ, यानी नफ़ल पढ़ने के लिये।'

(1006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1427.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि जिस जगह फ़र्ज़ पढ़े हों, नफ़ल पढ़ने के लिये वहाँ से किसी क़द्र जगह बदल लेनी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ - أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلاَةِ - مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

(1007) जनाब अज़रक़ बिन क़ैस कहते हैं कि हमें हमारे इमाम ने जिनका नाम अबू रिम्सा था, नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैंने ये नमाज़ या इसी तरह की कोई और नमाज़ नबी (ﷺ) के साथ पढ़ी, और हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर(ﷺ) सफ़े अव्वल में आपकी दायें जानिब खड़े थे। वहाँ एक और आदमी भी था जो तकबीरे ऊला में पहुँचा

يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَةَ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلاَةِ يَشْفَعُ فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ لَمْ يَهْلِكْ أَهْلُ الْكِتَابِ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ . فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ فَقَالَ " أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ قِيلَ أَبُو أُمَيَّةَ مَكَانَ أَبِي رِمْثَةَ .

था। नबी (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई फिर अपनी दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक कि हमने आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी। फिर वहाँ से फिरे जैसे कि मैं फिरा हूँ। तो वह आदमी जो तकबीरे ऊला में शामिल हूआ था, नफ़ल पढ़ने के लिये उठ खड़ा हूआ। हज़रत उमर(رضي الله عنه) जल्दी से उसकी तरफ़ उठे और उसे कंधे से पकड़ कर झंझोड़ा और कहा: बैठ जाओ, अहले किताब की हलाकत का बाइस़ यही था कि उनकी नमाज़ों में कोई फ़र्क़ व फ़ासला न होता था। तो नबी (ﷺ) ने उनकी तरफ़ अपनी नज़र उठाई और फ़रमाया: 'ऐ इब्ने ख़त्ताब! अल्लाह ने तुम्हें स़ही बात कहने की तौफ़ीक़ दी है।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम का नाम अबू रिम्सा की बजाये अबू उमैया भी बयान किया गया है।

(1007) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/190, हाकिम: 1/270.

नोट : इस रिवायत की सनद में अशअस़ बिन शोबा और मिनहाल बिन ख़लीफ़ा पर कलाम है इसलिए ज़ईफ़ है, मगर स़ही मुस्लिम की नीचे दी गई हदीस़ से यही मसला स़ाबित होता है। हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) से मरवी है कि 'जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे दूसरी नमाज़ के साथ मत मिलाओ यहाँ तक कि कोई बात करो या वहाँ से निकल जाओ। बिलाशऽुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ये हुक्म दिया है कि एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया करें यहाँ तक कि कोई बात कर लें या वहाँ से हट जायें।' (स़ही मुस्लिम: 883)

बाब : 193
सज्द–ए–सह्व के अहकाम व मसाइल

﴿193﴾
باب السَّهْوِ فِي السَّجْدَتَيْنِ

(1008) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको पिछले पहर की एक नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर या अस्र। आपने हमें दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर दिया। फिर आप मस्जिद के सामने एक लकड़ी के पास जा खड़े हूए और अपने दोनों हाथ उस पर रख लिये। आप का एक हाथ दूसरे के ऊपर था। और आपके चेहरे पर नाराज़ी के आसार नुमायाँ थे। फिर जल्द बाज़ लोग (मस्जिद से) निकल आये और वह कह रहे थे: नमाज़ कम कर दी गई! नमाज़ कम कर दी गई! लोगों में हज़रत अबूबक्र और हज़रत उमर(ﷺ) भी थे, मगर हैबत के बाइस वह आप (ﷺ) से बात न कर रहे थे, तो एक आदमी खड़ा हूआ, रसूलुल्लाह (ﷺ) उसे ज़ूलदैन (हाथों वाला) कहा करते थे। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप भूल गये हैं या नमाज़ कम कर दी गई है? आपने फ़रमाया: 'मैं भूला हूं न नमाज़ कम की गई है।' कहने लगा: बल्कि आप भूल गये हैं ऐ अल्लाह के रसूल! तब रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हूए और पूछा: 'क्या ज़ूलदैन ठीक कह रहा है?' उन्होंने इशारा किया कि हाँ। तब रसूल (ﷺ) अपनी जगह पर तशरीफ़ लाये

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى صَلاَتَىِ الْعَشِيِّ - الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ ثُمَّ خَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَقُولُونَ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ قَالَ " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلاَةُ " . قَالَ بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ " أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ " . فَأَوْمَئُوا أَىْ نَعَمْ فَخَرَجَ رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ . قَالَ فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ سَلَّمَ فِي السَّهْوِ فَقَالَ لَمْ أَحْفَظْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَكِنْ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

और बक़िया दो रकअतें पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेरा, फिर आपने तकबीर कही और सज्दा किया अपने सज्दे की मानिन्द या उससे कुछ लम्बा। फिर सर उठाया और तकबीर कही और (दूसरा) सज्दा किया अपने (पहले) सज्दे की मानिन्द या उससे कुछ लम्बा। फिर आपने सर उठाया और तकबीर कही।

मुहम्मद बिन सीरीन से कहा गया: क्या आपने सज्द-ए-सह्व के बाद सलाम फेरा था? उन्होंने जवाब दिया: मुझे ये बात हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से याद नहीं है, मगर मुझे बताया गया है कि इमरान बिन हुसैन (ﷺ) ने बयान किया है कि फिर आपने सलाम फेरा।

(1008) तख़रीज : सही मुस्लिम: 573.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) को चंद एक मौक़ों पर निस्यान हूआ है ताकि उम्मत के लिये शरीयत के उसूल वाज़ेह हो जायें। (2) ज़ूलदैन का नाम (ख़िरबाक़) आया है। और इस क़िस्म के अल्क़ाब में अगर तहक़ीर मक़सूद न हो तो मज़ाक के तौर पर जायज़ हैं। (3) नमाज़ में ज़्यादा सह्व हो जायें तो भी दो ही सज्दे करने होंगे। जैसे कि इस हदीस़ में है कि दो रकअतों पर सलाम फेरा। फिर तशरीफ़ ले गये और गुफ़्तगू फ़रमाई। (4) निस्यान में क्या जाने वाला दावा झूठ शुमार नहीं होता। (5) सुजूदे सह्व में तकबीर भी है और सलाम भी। (6) भूल कर कलाम करने से नमाज़ बातिल होती है न मुकम्मल समझ कर सलाम फेर देने से। (7) ऐसी सूरत में नमाज़ की बिना करना दुरूस्त है। यानी सारी नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि सिर्फ़ बक़िया रकअतें पढ़कर सह्व के दो सज्दे किये जायेंगे।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، بِإِسْنَادِهِ - وَحَدِيثُ حَمَّادٍ أَتَمُّ - قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَقُلْ بِنَا . وَلَمْ

(1009) मुहम्मद (बिन सीरीन) से रिवायत है और हम्माद की रिवायत ज़्यादा कामिल है। उन्होंने (हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से) बयान किया, कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी। ये नहीं कहा कि हमें नमाज़ पढ़ाई। और न ये कहा कि लोगों ने इशारा

يَقُلْ فَأَوْمَئُوا . قَالَ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ . قَالَ ثُمَّ رَفَعَ - وَلَمْ يَقُلْ وَكَبَّرَ - ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَتَمَّ حَدِيثُهُ لَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَأَوْمَئُوا . إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكُلُّ مَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يَقُلْ فَكَبَّرَ . وَلاَ ذَكَرَ رَجَعَ .

किया। बल्कि कहा: कि लोगों ने कहा: हाँ। (यानी आप भूल गये हैं।) फिर बयान किया कि आपने सर उठाया। मगर तकबीर का ज़िक्र नहीं किया। फिर तकबीर कही और सज्दा किया अपने पहले सज्दे की मानिन्द या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया। (यानी यहाँ भी तकबीर का ज़िक्र नहीं) और यहाँ तक उसकी रिवायत पूरी हो गई है। और इसके बाद आख़िर तक के अल्फ़ाज़ भी बयान नहीं किये। और (फ़औमऊ) 'लोगों ने इशारा किया।' का लफ़्ज़ सिवाए हम्माद बिन ज़ैद के किसी और ने ज़िक्र नहीं किया।
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जिसने भी ये रिवायत ज़िक्र की है उसने आप (ﷺ) की तकबीर और आपके लौट आने का ज़िक्र नहीं किया है।

(1009) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 714, मौता, 1/93, (वलक़अनबी, स: 169)

फ़ायदा : इसमें रावियों में इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ का ज़िक्र है और इनमें जमा यूँ है कि कुछ ने ज़बान से जवाब दिया और कुछ ने इशारे से। और सज्द-ए-सहव में जाने और सर उठाने के लिये तकबीर कहना सही साबित है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَمَّادٍ كُلِّهِ إِلَى آخِرِ قَوْلِهِ نُبِّئْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ . قَالَ قُلْتُ فَالتَّشَهُّدُ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي التَّشَهُّدِ وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ

(1010) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई ... आख़िर तक रिवायत हम्माद की मानिन्द कि मुझे बताया गया है कि इमरान बिन हुसैन ने कहा कि फिर आपने सलाम फेरा, (सलमा ने) कहा: मैंने पूछा: और तशह्हुद? उन्होंने कहा: तशह्हुद के बारे में मैंने कुछ नहीं सुना, मगर मुझे तशह्हुद पढ़ना ज़्यादा पसन्द है। (सलमा ने ये) ज़िक्र नहीं किया कि आप (ﷺ) उस शख़्स को ज़ूलदैन

يَتَشَهَّدَ وَلَمْ يَذْكُرْ كَانَ يُسَمِّيهِ ذَا الْيَدَيْنِ . وَلاَ ذَكَرَ فَأَوْمَئُوا . وَلاَ ذَكَرَ الْغَضَبَ وَحَدِيثُ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ أَتَمُّ .

कहा करते थे, और न लोगों के इशारे और रसूलुल्लाह (ﷺ) की नाराज़ी का ज़िक्र किया। और हम्माद की हदीस़ ज़्यादा कामिल है जो अय्यूब से मरवी है।

(1010) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1035, तालीक़े बुख़ारी, हदीस़: 1228.

फ़ायदा : सज्द–ए–सह्व के बाद तशहहुद पढ़ना राजेह नहीं है। इस मसला की रिवायतें ज़ईफ़ हैं।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قِصَّةِ ذِي الْيَدَيْنِ أَنَّهُ كَبَّرَ وَسَجَدَ . وَقَالَ هِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ وَحُمَيْدٌ وَيُونُسُ وَعَاصِمٌ الأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مَا ذَكَرَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ لَمْ يَذْكُرَا عَنْهُ هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ .

(1011) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) नबी (ﷺ) से ज़ूलदैन के क़िस्से में बयान करते हैं कि आपने तकबीर कही और सज्दा किया। जबकि हिशाम बिन हस्सान ने रिवायत किया कि आपने तकबीर कही (यानी तहरीमा) फिर अल्लाहु अकबर कहा और सज्दा किया।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस़ को हबीब बिन शहीद व हुमैद, यूनुस और आ़सिम अह्वल (चारों) ने मुहम्मद बिन सीरीन से और वह हज़रत अबू हुरैरह(ؓ) से बयान करते हैं और इनमें से किसी ने भी वह बात ज़िक्र नहीं की जो हम्माद बिन ज़ैद ने हिशाम से बयान की है कि आपने तकबीरे (तहरीमा) कही फिर तकबीर कही और सज्दा किया। इसी तरह हम्माद बिन सलमा और अबूबक्र बिन अ़य्याश भी हिशाम से ये रिवायत ज़िक्र करते हैं तो उन्होंने भी हम्माद बिन ज़ैद वाली ये बात ज़िक्र नहीं की कि आपने तकबीरे (तहरीमा) कही फिर तकबीर कही।

(1011) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 482.

फ़ायदा : अगर सलाम के बाद सज्द–ए–सह्व करे तो सज्दा में जाने के लिये एक ही तकबीर काफ़ी है, पहले तकबीरे तहरीमा की ज़रूरत नहीं है। इस रिवायत में पहली तकबीरे (तहरीमा) का ज़िक्र शाज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ حَتَّى يَقَّنَهُ اللَّهُ ذَلِكَ .

(1012) सईद बिन मुसय्यब, अबू सलमा और उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह (तीनों) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (ﷺ) ने सह्व के सज्दे नहीं किये, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको इसका यक़ीन दिला दिया।

(1012) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1040.

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ وَلَمْ يَسْجُدِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُسْجَدَانِ إِذَا شَكَّ حَتَّى لَقَّاهُ النَّاسُ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي بِهَذَا الْخَبَرِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَعِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْعَلاَءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ سَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ

(1013) इब्ने शिहाब से रिवायत है कि अबूबक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा (ताबेई) ने उनसे बयान किया कि उनको रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये ख़बर पहुँची है। उन्होंने कहा कि आपने शक की बिना पर किये जाने वाले सज्दे उस वक़्त तक नहीं किये जब तक कि लोगों ने मिलकर नहीं बताया।

इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे ये हदीस़ सईद बिन मुसय्यब ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान की (इसके अ़लावा) कहा कि मुझे अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान, अबूबक्र बिन हारिस़ बिन हिशाम और उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह (ने भी हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से रिवायत की है)

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कस़ीर और इमरान बिन अबी अनस ने अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान और अ़ला बिन अ़ब्दुर्रहमान से बवास्ता उसके वालिद के रिवायत की है और ये सब हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान करते हैं और इसमें दो सज्दे करने का ज़िक्र नहीं है। इमाम अबू दाऊद ने कहा: और ज़ैदी ने ज़ोहरी से,

عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

वह अबू बक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा से, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं और इसमें कहा कि आपने सह्व के दोनों सज्दे नहीं किये।

(1013) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1232, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1043.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَقِيلَ لَهُ نَقَصَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

(1014) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई तो आपने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। आपसे कहा गया: (क्या) नमाज़ कम हो गई है? तब आपने दो रकअतें (मज़ीद) पढ़ीं फिर दो सज्दे किये।

(1014) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 715.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ، أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْ نَسِيتَ قَالَ " كُلَّ ذَلِكَ لَمْ أَفْعَلْ " . فَقَالَ النَّاسُ قَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله

(1015) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक फ़र्ज़ नमाज़ में दो रकअतों पर सलाम फेर दिया तो एक शख़्स ने आपसे कहा: क्या नमाज़ कम हो गई है, ऐ अल्लाह के रसूल! या आप भूल गये हैं? आपने फ़रमाया: 'इनमें से कुछ भी नहीं हूआ।' तो लोगों ने कहा: तहक़ीक़ आपने ऐसा किया है ऐ अल्लाह के रसूल! तब आपने दो रकअतें मज़ीद पढ़ाईं, फिर आप पलटे और सह्व के दो सज्दे नहीं किये।
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को दाऊद बिन हुसैन ने बवास्ता अबू सुफ़ियान मौला इब्ने अबी अहमद, हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ये क़िस्सा बयान किया तो कहा: फिर आपने दो सज्दे किये जबकि आप सलाम के बाद बैठे हूए थे।

عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ التَّسْلِيمِ .

(1015) तख़रीज : (सनद सही) सही मुस्लिम: 573.

फ़ायदा : इसमें (वलम यस्जुद सज्दत इस्सहव) 'सहव के दो सज्दे नहीं किये।' के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। (शैख़ अल्बानी) (रह.)

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ الْهِفَّانِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

(1016) ज़मज़म बिन जोस हिफ़्फ़ानी ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से ये ख़बर बयान की। कहा कि फिर आपने सलाम के बाद सहव के दो सज्दे किये।

(1016) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1331.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ .

(1017) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। ओर इब्ने सीरीन की हदीस की मानिन्द बयान किया जो हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है। और कहा: फिर आपने सलाम फेरा, फिर सहव के दो सज्दे किये।

(1017) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1213.

फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस में दलील है कि नबी (ﷺ) ने सलाम के बाद दो सज्दे किये।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنَا أَبُو قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلاَثِ

(1018) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अस्र की नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर दिया। फिर आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले गये, तो एक आदमी जिसका नाम ख़िरबाक़ था आपकी तरफ़ गया और ये लम्बे हाथों वाला था, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल!

رَكَعَاتٍ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ دَخَلَ - قَالَ عَنْ مَسْلَمَةَ - الْحُجَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ كَانَ طَوِيلَ الْيَدَيْنِ فَقَالَ لَهُ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَخَرَجَ مُغْضَبًا يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَقَالَ " أَصَدَقَ " . قَالُوا نَعَمْ . فَصَلَّى تِلْكَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْهَا ثُمَّ سَلَّمَ .

क्या नमाज़ कम कर दी गई है? तो आप गुस्से में चादर घसीटते हूए बाहर तशरीफ़ लाये और कहा: 'क्या ये सच कहता है?' लोगों ने कहा: हाँ! तब आपने वह रकअत पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किये, फिर सलाम फेरा।

(1018) तख़रीज : सही मुस्लिम: 574.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में दलील है कि सहव के वाक़ियात मुख़्तलिफ़ थे। **(2)** जब फ़ौत शुदा रकअत या रकआत पढ़नी पढ़ानी होंगी तो इसके लिये तकबीरे तहरीमा भी होंगी।

(194) باب إِذَا صَلَّى خَمْسًا

बाब : 194 जब पाँच रकअतें पढ़ जाये?

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالَ حَفْصٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا . فَقِيلَ لَهُ أَزِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالَ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ .

(1019) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ज़ोहर की पाँच रकअतें पढ़ा दीं। तो आपसे कहा गया: क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने फ़रमाया: 'क्या हूआ?' कहने लगे कि आपने पाँच रकअतें पढ़ाई हैं। तब आपने दो सज्दे किये जबकि आप सलाम फेर चुके थे।

(1019) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 404, व सही मुस्लिम: 572.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का दौर नुज़ूले शरीयत का दौर था और इसमें नस्ख़ का एहतिमाल था इसलिए सहाब-ए-किराम दौराने नमाज़ में ख़ामोश रहे, मगर अब मुक़तदी को लाज़िम है कि अपने इमाम की इत्तेबा करते हूए उसे मुतन्नबा भी करे। **(2)** अइम्म-ए-अहनाफ़ का इस हदीस से इस्तेदलाल ये है कि सहव की सभी सूरतों में सज्दे सलाम के बाद हों जबकि इमाम बुख़ारी (रह.)

का मैलान इस तरफ़ है कि कमी की सूरत में सलाम से पहले और इज़ाफ़ा हो जाने की सूरत में सलाम के बाद सज्दे किये जायें।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَلاَ أَدْرِي زَادَ أَمْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ . قَالَ " وَمَا ذَاكَ " . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا . فَثَنَى رِجْلَهُ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمَّا انْفَتَلَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَىْءٌ أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي " . وَقَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ "

(1020) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई, इब्राहीम ने कहा मालूम नहीं इसमें कोई कमी कर दी या बेशी ... जब सलाम फेरा तो आपसे कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ के मुताल्लिक़ कोई नया हुक्म आया है? आपने फ़रमाया: क्या हूआ?' कहने लगे कि आपने ऐसे ऐसे नमाज़ पढ़ाई है। तो आपने अपना पाँव मोड़ा, क़िब्ला रूख़ हूए और उन्हें दो सज्दे कराये, फिर सलाम फेरा। जब फिरे तो हमारी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अगर नमाज़ के मुताल्लिक कोई नया हुक्म आता तो मैं तुम्हें बतला देता, लेकिन मैं बशर हूँ, वैसे ही भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा दिया करो।' और फ़रमाया: 'जब किसी को नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिए कि ग़ौर करे कि ठीक किया है और इसी पर अपनी नमाज़ को मुकम्मल करे, फिर सलाम फेरे फिर दो सज्दे करे।'

(1020) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 401, व स़ही मुस्लिम: 572.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के बशर यानी इंसान होने पर स़रीह और बिल्कुल वाज़ेह दलील है। और इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ात के बारे में (अल्लाह के नूर में से एक नूर है) जैसे मनगढ़त, ख़ूद साख़्ता और ग़लत अक़ीदे की तर्दीद है। और बतक़ाज़ा–ए–बशरियत कुछ मामलात में जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) को वक़्ती तौर पर कोई निस्यान हो जाना आपके लिये कोई ऐब

की बात न थी। (2) नमाज़ी को अपना वहम दूर करने के लिये सोचना चाहिए और फिर यक़ीन पर रहना चाहिए। (3) ग़लती नमाज़ फ़र्ज़ में हो या नफ़ल में, सज्दा सह्व से इसकी तलाफ़ी ज़रूरी है। वल्लाहू आलम!

(1021) अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से यही ख़बर बयान की। आपने फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई भूल जाये तो दो सज्दे करे।' फिर आप मुड़े और आपने दो सज्दे किये।

इमाम अबू दाऊद ने कहाः हुसैन ने आमश की मानिन्द रिवायत किया है।

(1021) तख़रीज : सही मुस्लिमः 572.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، بِهَذَا قَالَ " فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ " . ثُمَّ تَحَوَّلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حُصَيْنٌ نَحْوَ حَدِيثِ الأَعْمَشِ .

(1022) अल्क़मा से रिवायत है उन्होंने बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें पाँच रकअतें पढ़ा दीं। जब आप फिरे तो लोग आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। आपने पूछाः 'क्या बात है?' कहने लगेः ऐ अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? फ़रमायाः 'नहीं' उन्होंने कहाः आपने पाँच रकआत पढ़ाई हैं, तो आप मुड़े और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा मैं बशर हूँ, भूल जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो।'

(1022) तख़रीज : सही मुस्लिमः 572.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - وَهَذَا حَدِيثُ يُوسُفَ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ " مَا شَأْنُكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي الصَّلاَةِ قَالَ " لاَ " . قَالُوا فَإِنَّكَ صَلَّيْتَ خَمْسًا . فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ " .

(1023) जनाब सूवैद बिन क़ैस, हज़रत मुआविया बिन हुदैज (ﷺ) से बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ . فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ . فَقَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ .

और सलाम फेर दिया हालांकि एक रकअ़त बाक़ी थी। तो एक आदमी आपसे जाकर मिला और कहा कि आप नमाज़ में एक रकअ़त भूल गये हैं। तो आप वापस तशरीफ़ लाये और मस्जिद में दाख़िल हूए और बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ की इक़ामत कही और आपने लोगों को एक रकअ़त पढ़ाई। मैंने लोगों को (बाद में) इस (वाक़िया) की ख़बर दी तो उन्होंने मुझे कहा, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैंने कहाः नहीं, लेकिन अगर देख लूं तो पहचान जाऊंगा। चुनांचे वह मेरे पास से गुज़रा तो मैंने कहाः यही वह शख़्स है। तो उन्होंने बताया कि ये तलहा बिन उ़बैदुल्लाह हैं।

(1023) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीसः 665, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 1052.

फ़ायदा : जब लोग सफ़ों से आगे पीछे हो जायें और बाद में सहव का इल्म हो तो नमाज़ और सफ़बंदी के लिये तकबीर कही जाये।

﴾195﴿

بَابُ إِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ

बाब : 195

जब दो या तीन रकआ़त में शक हो तो शक को छोड़ दे

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،

(1024) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिए कि शक को

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ .

दूर करे और यक़ीन को बुनियाद बनाये। जब यक़ीन पर नमाज़ मुकम्मल कर ले तो दो सज्दे करे। अगर उसकी नमाज़ (दरअस़ल) पूरी हूई तो उसकी ज़्यादा रकअत और दोनों सज्दे नफ़ल होंगे। और अगर नाक़िस़ हूई तो ये रकअत उसकी नमाज़ की तकमील होगी और दो सज्दे शैतान की ज़िल्लत का बाइस़ होंगे।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इसे हिशाम बिन सअद और मुहम्मद बिन मुतर्रिफ़ ने ज़ैद से, उन्होंने अ़ता बिन यसार से, उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है और अबू ख़ालिद की हदीस़ ज़्यादा भर पूर है।

(1024) तख़रीज : इब्ने माजा, हदीस़: 1210, व स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : 'शक को दूर करके यक़ीन पर बुनियाद।' यूँ है कि दो या तीन में शुब्हा हो तो कम तादाद यानी दो रकअ़त यक़ीनी हैं। तीन या चार में शुब्हा हो तो तीन यक़ीनी हैं और चौथी मश्कूक। लिहाज़ा पहली सूरत में दो रकअत मान कर और दूसरी सूरत में तीन रकअ़त मान कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे। यही सूरत सबसे राजेह और मोहतात है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمَّى سَجْدَتَىِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ .

(1025) जनाब इक्रिमा हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने सहव के सज्दों को शैतान के लिये ज़िल्लत का बाइस़ बयान फ़रमाया।

(1025) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1063, हाकिम: 1/324.

फ़ायदा : यानी शैतान ने तो नमाज़ी को भूलवाना चाहा मगर उसने मज़ीद सज्दे करके भूल चूक की तलाफ़ी कर ली और अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा क़रीब हो गया। इसमें शैतान की रूस्वाई है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَوْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ "

(1026) जनाब अ़ता बिन यसार (ताबेई) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो जाये और मालूम न रहे कि कितनी नमाज़ पढ़ी है, तीन या चार? तो उसे चाहिए कि एक रकअ़त पढ़े और दो सज्दे करे जबकि वह बैठा हुआ हो, सलाम से पहले। अगर उसकी ये रकअ़त पाँचवीं हुई तो इन सज्दों के साथ मिलकर दोगाना हो जायेगी और अगर चौथी ही हुई तो ये सज्दे शैतान की रूस्वाई का बाइस़ होंगी।'

(1026) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/338, मौता: 1/95, (वलक़अ़नबी, स़: 172), अ़ब्दुल बर अत्तमहीद: 5/20, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِ مَالِكٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلاَثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ إِلاَّ أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ.

(1027) ज़ैद बिन असलम ने मालिक की साबिक़ा सनद से बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो तो अगर उसे यक़ीन हो कि उसने तीन रकआ़त पढ़ी हैं तो चाहिए कि खड़ा हो और एक रकअ़त सज्दों समेत पूरी करे, फिर बैठ जाये और तशह्हुद पढ़े। जब फ़ारिग़ हो जाये और स़िर्फ़ सलाम कहना बाक़ी हो तो चाहिए कि दो सज्दे करे फिर सलाम कहे।' फिर मालिक की हदीस़ के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को इब्ने वहब ने मालिक, हफ़्स़ बिन मैसरा, दाऊद बिन क़ैस और हिशाम बिन सअ़द से इसी तरह (मुर्सल) रिवायत किया है, मगर हिशाम ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से मौस़ूलन बयान की है।

(1027) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

बाब : 196
उन हज़रात की दलाइल जो कहते हैं कि ज़न्ने ग़ालिब पर बिना करे

﴿196﴾
باب مَنْ قَالَ يُتِمُّ عَلَى أَكْبَرِ ظَنِّهِ

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةٍ فَشَكَكْتَ فِي ثَلاَثٍ أَوْ أَرْبَعٍ وَأَكْبَرُ ظَنِّكَ عَلَى أَرْبَعٍ تَشَهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ ثُمَّ تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تُسَلِّمُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ خُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ أَيْضًا سُفْيَانُ وَشَرِيكٌ وَإِسْرَائِيلُ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلاَمِ فِي مَتْنِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يُسْنِدُوهُ.

(1028) अबू उ़बैदा बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद से, वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जब तुम नमाज़ में हो और तीन या चार रकआ़त में शक हो जाये और तुम्हारा ग़ालिब गुमान चार का हो तो तशह्हुद पढ़ो फिर दो सज्दे करो जबकि तुम बैठे हुए हो, सलाम से पहले, फिर तशह्हुद पढ़ो फिर सलाम फेरो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस रिवायत को अ़ब्दुल वाहिद ने ख़ुसैफ़ से रिवायत किया है मगर उसे मरफ़ूअ़ बयान नहीं किया। सुफ़ियान, शरीक और इस्राईल ने भी अ़ब्दुल वाहिद की मुवाफ़िक़त की है। और मतने हदीस़ के अल्फ़ाज़ में इख़्तिलाफ़ है। और इन लोगों ने उसे मुसनद (मरफ़ूअ़) बयान नहीं किया है।

(1028) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/428, नसाई, हदीस़: 605, हदीस़: 995 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, इसलिए 'ज़न्ने ग़ालिब' की बजाये यक़ीन ही की बुनियाद पर नमाज़ की तक्मील की जायेगी, जैसा कि ऊपर के बाब की अहादीस़ से वाज़ेह है। नीज़ सह्व के दो सज्दों के बाद तशह्हुद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ

(1029) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया:

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا عِيَاضٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلاَّ مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ " . وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عِيَاضُ بْنُ هِلاَلٍ وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ.

'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े और उसे मालूम न रहे कि ज़्यादा पढ़ी है या कम, तो उसे चाहिए कि जब वह बैठा हूआ हो तो वह सज्दे कर ले। और जब शैतान उसके पास आये और कहे कि तू बेवुज़ू हो गया है तो उसे चाहिए कि कहे तूने झूठ कहा है, मगर ये कि नाक से बू महसूस करे या कान से आवाज़ सुने।' और ये लफ़्ज़ अबान की रिवायत के हैं।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मअमर और अ़ली बिन मुबारक ने (रावी का नाम) इयाज़ बिन हिलाल कहा है, जबकि ओज़ाई, इयाज़ बिन अबी ज़ुहैर कहते हैं।

(1029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 396, हाकिम: 1/324.

फ़ायदा : शैतान का काम ही अल्लाह के बंदों को परेशान करना है। लिहाज़ा नमाज़ को अपना वहम दूर करने के लिये सोचना चाहिए और जो यक़ीन हो, उस पर बस करे।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا

(1030) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा होता है तो शैतान उसके पास आता है और उस पर ख़ल्त मल्त कर देता है (यानी भुलवा देता है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता कि किस क़द्र नमाज़ पढ़ी है, तो तुममें से कोई जब ये कैफ़ियत महसूस करे तो चाहिए कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इब्ने उयय्ना,

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ وَاللَّيْثُ .

मअ़मर और लैस़ ने भी ऐसे ही रिवायत किया है।

(1030) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1232, मौता: 1/100, व स़ही मुस्लिम.

फ़ायदा : हाफ़िज़ इब्ने अ़ब्दुल बर (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की ये हदीस़ इमाम मालिक, लैस़ और इब्ने वहब वग़ैरह के नज़दीक ऐसे अफ़राद के लिये है जो वस्वसे के मरीज़ हों। शक व शुब्हा उनसे किसी तरह दूर होता ही न हो। इस क़िस्म के लोग अपने यक़ीन की बुनियाद पर जब नमाज़ मुकम्मल कर लें तो सज्दे कर लिया करें। (औ़नूल माबूद) ऊपर दी गई हदीस़: (1029) भी बर बिनाये सेहत इसी मफ़हूम पर महमूल होगी।

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ " وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ " .

(1031) जनाब ज़ोहरी का भतीजा (मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह) रावी है कि मुहम्मद बिन मुस्लिम (ज़ोहरी) ने अपनी सनद से ये हदीस़ बयान की और कहा कि (सज्दे करे) 'जबकि वह बैठा हूआ हो, सलाम से पहले।'

(1031) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/339, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ " .

(1032) इब्ने इस्हाक़ रावी हैं कि मुहम्मद बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने अपनी सनद से ऊपर दी गई हदीस़ के हम मानी बयान किया और कहा: 'सलाम से पहले दो सज्दे करे, फिर सलाम फेरे।'

(1032) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1216, बैहक़ी: 2/339.

बाब : 197
उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि सलाम के बाद सज्दे करे

﴿197﴾
باب مَنْ قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

(1033) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे अपनी नमाज़ में शक हो, उसे चाहिए कि सलाम के बाद दो सज्दे करे।'

(1033) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1251, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1033, बैहक़ी: 2/336.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسَافِعٍ، أَنَّ مُصْعَبَ بْنَ شَيْبَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَكَّ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " .

फ़ायदा : यानी अपनी रकअ़तें पूरी कर के, आख़िर में दो सज्दे कर ले। इस हदीस़ से मालूम हूआ कि सहव के सज्दे सलाम फेरने के बाद भी किये जा सकते हैं। ताहम रिवायत दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। (देखिये: अलमौसूअ तुल हदीसिया: मुसनद अहमद मुहक्क़क़: 3/276)

बाब : 198
जो शख़्स दो रकअ़तों के बाद खड़ा हो जाये और तशहहुद न पढ़े?

﴿198﴾
باب مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

(1034) हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने बुहैना (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें दो रकअ़तें पढ़ाई और खड़े हो गये, बैठे नहीं। पस लोग भी आपके साथ खड़े हो गये,

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، أَنَّهُ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم .

जब आपने अपनी नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई और हमें आपके सलाम कहने का इन्तेज़ार था, आपने तकबीर कही और दो सज्दे किये जबकि आप (तशह्हुद में) बैठे हूए थे, सलाम से पहले। उनके बाद सलाम फेरा।'

(1034) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1224, मौता: 1/96, व सही मुस्लिम: 570.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुक़तदियों पर इमाम की इक़्तेदा वाजिब है ख़्वाह वह भूल रहा हो। इमाम को बताना उनका शरई हक़ है। **(2)** दरम्यानी तशह्हुद रह जाये तो सज्द–ए– सह्व से उसकी तलाफ़ी हो जाती है। **(3)** रावी–ए–हदीस़ हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) के वालिद का नाम मालिक और बुहैना उनकी वालिदा का नाम है। इसलिए मोहद्दिसीन जब उनका पूरा नाम 'अ़ब्दुल्लाह बिन मालिक इब्ने बुहैना' लिखते हैं तो इब्ने बुहैना के शूरू में हमज़ा ज़रूर लिखते हैं ताकि मालूम रहे कि ये अ़ब्दुल्लाह की स़िफ़त है न कि मालिक की।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ زَادَ وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِي قِيَامِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ .

(1035) शुऐब ने ज़ोहरी से ऊपर दी गई सनद और हदीस़ के हम मानी बयान किया और मज़ीद कहा: (कि जब स़हाबा किराम तीसरी रकअ़त में खड़े हो गये तो) कुछ लोग हममें से क़याम में तशह्हुद पढ़ रहे थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ऐसे ही हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने भी दो सज्दे किये जबकि वह दो रकअ़तों पर खड़े हो गये थे, ये सज्दे सलाम से पहले किये और ज़ोहरी का क़ौल भी यही है।

(1035) तख़रीज : अ़ब्दुल बर अत्तमहीद: 10/210, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : दरम्यानी तशह्हुद रह जाने की सूरत में अगर दौराने नमाज़ में इल्म हो जाये तो अफ़ज़ल यही है कि सह्व के दो सज्दे सलाम से पहले किये जायें वरना सलाम के बाद करने होंगे।

﴾199﴿
باب مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشَهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، - يَعْنِي الْجُعْفِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ الأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ فِي كِتَابِي عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ إِلاَّ هَذَا الْحَدِيثُ .

बाब : 199
जो शख़्स बेठे हूए तशहहुद पढ़ना भूल जाये?

(1036) हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब इमाम दो रकअतों पर खड़ा हो जाये और सही सीधा खड़ा होने से पहले ही उसे याद आ जाये तो चाहिए कि बैठ जाये (और तशहहुद पढ़े) और अगर सीधा खड़ा हो जाये तो न बैठे बल्कि सहव के दो सज्दे करे।'
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेरी किताब में जाबिर जुअफ़ी से सिर्फ़ यही हदीस रिवायत हूई है।

(1036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1208, ये हदीस है: 1037 में आ रही है।

नोट : इस हदीस को शैख़ अल्बानी (रह.) सही शुमार करते हैं जबकि दीगर आम मुहद्दिसीन जाबिर जुअफ़ी की वजह से इसे ज़ईफ़ कहते हैं। ये अपने राफ़ज़ी अक़ाइद की बिना पर नाक़ाबिले हुज्जत है। (औनूल माबूद, मुन्ज़िरी) ताहम अगली हदीस से इसमें बयान करदा मसला साबित है। शवाफ़ेअ वग़ैरह का मज़हब है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। अगर इमाम और ऐसे ही मुन्फ़रिद भी ख़ामोश बैठा रहा हो और तशहहुद न पढ़े तो याद आने पर, सीधा खड़े होने से पहले क़अदे में लौट जाये और तशहहुद पढ़े और यही हक़ है। और अगर सीधा खड़ा हो जाये तो खड़ा रहे और आख़िर में सलाम से पहले दो सज्दे करे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ، قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَىِ السَّهْوِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ كَمَا صَنَعْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَرَفَعَهُ وَرَوَاهُ أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِثْلَ حَدِيثِ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عُمَيْسٍ أَخُو الْمَسْعُودِيِّ وَفَعَلَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمُغِيرَةُ وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنُ عَبَّاسٍ أَفْتَى بِذَلِكَ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا فِيمَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ ثُمَّ سَجَدُوا بَعْدَ مَا سَلَّمُوا .

(1037) ज़ियाद बिन एलाक़ा बयान करते हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) ने हमें नमाज़ पढ़ाई तो वह दो रकअतों के बाद खड़े हो गये। हमने सुब्हानल्लाह कहा। उन्होंने भी सुब्हानल्लाह कहा और खड़े रहे जब नमाज़ पूरी की और सलाम फेर लिया तो सह्व के दो सज्दे किये। जब नमाज़ से फिरे तो कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आपने ऐसे ही किया था जैसे कि मैंने किया है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इब्ने अबी लैला ने बवास्ता शअबी हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा (ﷺ) से ऐसे ही मरफ़ूअ बयान किया है। (नीज़ अबू उमैस ने साबित बिन उबैद से ज़ियाद बिन एलाक़ा की मानिन्द रिवायत किया है, कहा कि हम को मुग़ीरा बिन शोबा ने नमाज़ पढ़ाई।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू उमैस, मसऊदी का भाई है। हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) ने भी ऐसे ही किया था जैसे कि जनाब मुग़ीरा (ﷺ) ने किया। और इमरान बिन हुसैन ज़हहाक बिन क़ैस और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (ﷺ) ने भी इसी तरह किया। और इब्ने अब्बास (ﷺ) का यही फ़तवा है और अम्र बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) का भी।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस उन लोगों के लिये है जो दो रकअतों पर खड़े हो जायें। फिर वह सलाम के बाद सज्दे करें।

(1037) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 365, अत्तहावी मआनिल आसार (1/440) वग़ैरह.

फ़ायदा : इमाम साहिब के आख़री जुम्लों में ये तो सही है कि दरम्यानी क़अदा भूल जाने की सूरत में

सज्द–ए– सह्व लाज़िम है मगर 'सलाम के बाद' होने में सहाबा का अमल मुख़्तलिफ़ है। कुछ से सलाम से पहले मरवी है और कुछ से सलाम के बाद। (औनूल माबूद) राजेह और अफ़ज़ल ये है कि सलाम से पहले किये जायें।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَشُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، - بِمَعْنَى الإِسْنَادِ - أَنَّ ابْنَ عَيَّاشٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ زُهَيْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ الْعَنْسِيَّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ عَمْرٌو وَحْدَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ " . لَمْ يَذْكُرْ عَنْ أَبِيهِ . غَيْرُ عَمْرٍو

(1038) हज़रत सौबान (رضي الله عنه) से रिवायत है वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'हर सह्व के लिये सलाम के बाद दो सज्दे हैं।' (इमाम अबू दाऊद के शैख़ अम्र बिन उस्मान की सनद में अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफ़ैर अपने वालिद से, वह सौबान से रिवायत करते हैं।) और वालिद का ये ज़िक्र अम्र के अलावा किसी और की सनद में नहीं है।

(1038) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस 1219, बैहक़ी: 2/337.

﴾200﴿ باب سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وَتَسْلِيمٌ

बाब : 200
सुजूदे सह्व में तशह्हुद और सलाम का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي أَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ .

(1039) हज़रत इमरान बिन हुसैन (رضي الله عنه) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने उनको नमाज़ पढ़ाई और भूल गये तो दो सज्दे किये फिर तशह्हुद पढ़ा और सलाम फेरा।

(1039) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 395, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 1062, इब्ने हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: 1/323.

फ़ायदा : इसमें सह्व के सज्दों के बाद तशह्हुद पढ़ने और फिर सलाम फेरने का ज़िक्र है। इस हदीस़ की रू से इसका भी जवाज़ है। ताहम शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस़ को शाज़ क़रार दिया है।

बाब : 201
नमाज़ के बाद औरतें मर्दों से पहले वापस हों

﴾201﴿ باب انْصِرَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مَكَثَ قَلِيلاً وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ

(1040) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सलाम कह लेते तो थोड़ी देर रूके रहते। और सहाबा समझते थे कि ये इसलिए होता था कि औरतें मर्दों से पहले लौट जायें।

(1040) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 837, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 3227.

फ़ायदा : इस्लामी मुआशरे में मर्दों और औरतों का बग़ैर पर्दे के बेहंगम इज़्दहाम (भीड़-भाड़) और मेल जोल किसी तरह पसन्दीदा नहीं है। और मुसलमान हज़रात व ख़्वातीन को चाहिए कि शुब्हे और तोहमत के मौक़े से हमेशा दूर रहें और इख़्तिलात से बचने की हर मुम्किन कोशिश करें।

बाब : 202
नमाज़ के बाद किस तरफ अपना रूख़ फ़ेरे?

﴾202﴿ باب كَيْفَ الاِنْصِرَافُ مِنَ الصَّلاَةِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، - رَجُلٍ مِنْ طَيِّئٍ - عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ

(1041) जनाब क़बीस़ा बिन हुल्ब ताई अपने वालिद हुल्ब (ﷺ) से बयान करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप अपनी दोनों तरफ़ से (मुक़तदियों

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ شِقَّيْهِ .

की तरफ़) फिरा करते थे (यानी कभी दायें जानिब से और कभी बायें जानिब से)

(1041) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 301, इब्ने माजा, हदीस: 809, 929.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لاَ يَجْعَلْ أَحَدُكُمْ نَصِيبًا لِلشَّيْطَانِ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ لاَ يَنْصَرِفَ إِلاَّ عَنْ يَمِينِهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ . قَالَ عُمَارَةُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ بَعْدُ فَرَأَيْتُ مَنَازِلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ يَسَارِهِ .

(1042) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने कहा: तुममें से कोई अपनी नमाज़ में शैतान का हिस्सा न रखे। यूँ कि सिर्फ़ दायें जानिब से फिरने ही को इख़्तियार कर ले। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को बारहा देखा कि आप अपनी बायें जानिब से भी फिरा करते थे। उमारा बयान करते हैं कि बाद में मैं मदीने आया तो देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मकानात आप (के मुसल्ले) से बायें जानिब थे।

(1042) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 852, व सही मुस्लिम: 707.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमारा (रह.) का मतलब यूँ है कि नबी (ﷺ) का नमाज़ के बाद अज़कार वग़ैरह से फ़ारिग़ हो गये। **(2)** बक़ौल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) सुन्नत के किसी एक ही अन्दाज़ में इस क़द्र इसरार कि दूसरे से ऐराज़ या उसकी तकज़ीब समझी जाये, दीन में बेहद बुरा अमल है गोया शैतान का हिस्सा मिलाना है।

﴾203﴿ باب صَلاَةِ الرَّجُلِ التَّطَوُّعَ فِي بَيْتِهِ

बाब : 203
घर में नफ़ल पढ़ने का बयान

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ

(1043) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी नमाज़ का कुछ हिस्सा

ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " .

अपने घरों में भी पढ़ा करो और उन्हें क़ब्रिस्तान न बना दो।'

(1043) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 432, मुसनद अहमद: 2/16, व सही मुस्लिम: 777.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मुराद सिर्फ़ सुन्नतें और नवाफ़िल हैं। **(2)** क़ब्रिस्तान से मुशाबिहत इसलिए दी गई है कि वहाँ न नमाज़ पढ़ी जाती है और न जायज़ ही है। **(3)** इसमें अहम तर हिकमत ये है कि इस अमल के बाइस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है, फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं, इंसान रिया से महफ़ूज़ रहता है और इससे बढ़ कर ये भी है कि घर वालों को तर्ग़ीब और बच्चों की तर्बीयत होती है। **(4)** इन नवाफ़िल से, एहराम व तवाफ़ की सुन्नतें और बा'जमाअत तरावीह वग़ैरह अलग हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ " .

(1044) जनाब बुस्र बिन सईद से रिवायत है वह हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी ही मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मुक़ाबले में इंसान का अपने घर में नमाज़ पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है सिवाए, फ़र्ज़ नमाज़ के।'

(1044) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, हदीस: 1447 में आ रही है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये इरशाद मर्दों को है औरतों को नहीं, क्योंकि उनके लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी घर में पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है, अगरचे जमाअत में आने की इजाज़त है। **(2)** बैतुल हराम और बैतुल मक़्दिस भी मस्जिदे नबवी पर क़यास हैं। **(3)** इन नवाफ़िल से मुराद ऐसे नवाफ़िल हैं जो मस्जिद से मख़्सूस नहीं, जैसे तहियतुल मस्जिद और जुमा से पहले के नवाफ़िल वग़ैरह।

बाब : 204
जो शख़्स क़िब्ले के अलावा किसी और तरफ़ नमाज़ पढ़ ले और उसे बाद में इल्म हो

﴿204﴾
باب مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يُصَلُّونَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلاَ إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حُوِّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّتَيْنِ فَمَالُوا كَمَا هُمْ رُكُوعٌ إِلَى الْكَعْبَةِ .

(1045) सय्यदना अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) और आपके सहाबा बैतुल मक्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे। तो जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई: (फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हरामि व हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा) 'चुनांचे आप अपना रूख़ मस्जिदे हराम की जानिब कर लिजिए और तुम जहाँ भी हो अपने चेहरे उसकी तरफ़ कर लो।' तो एक शख़्स बनू सलमा के अफ़राद के पास से गुज़रा जब कि वह फ़ज्र की नमाज़ में रूकू में थे और बैतुल मक़्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो उसने उन्हें पुकार कर कहा: ख़बरदार! क़िब्ला काबा की जानिब तब्दील कर दिया गया है। उसने दो बार ये आवाज़ दी। चुनांचे वह लोग अपनी उसी रूकू की हालत में काबा की जानिब फिर गये।

(1045) तख़रीज : सही मुस्लिम: 527.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्लाम में अहकाम का नस्ख़ साबित है और जब तक इसका इल्म न हो जाये कोई उसका मुकल्लफ़ नहीं हूआ करता। (2) किसी क़ाबिले ऐतमाद एक ही आदमी की ख़बर भी क़ाबिले क़बूल होती है। जिसे इस्तलाहन 'ख़बरे वाहिद' कहते हैं। (3) ला'इल्मी में अगर ग़ैर क़िब्ला की तरफ़ नमाज़ पढ़ ली गई हो, तो वह सही है। (4) ज़रूरत के पेशे नज़र, नमाज़ी को हालते नमाज़ में, वह शख़्स तालीम दे सकता है जो नमाज़ न पढ़ रहा हो। (5) ऐसी तालीम से नमाज़ी की नमाज़ ख़राब नहीं होती। वल्लाहू आलम!

जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल

बाब : 205
जुमे के दिन और उसकी रात की फ़ज़ीलत

﴿205﴾
باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

(1046) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, जुमे का दिन है। इसमें आदम पैदा किये गये, इसमें उनको ज़मीन पर उतारा गया, इसमें उनकी तौबा क़बूल की गई, इस दिन उनकी वफ़ात हूई और इसी दिन क़यामत क़ायम होगी। जुमा के दिन सुबह होते ही तमाम जानवर क़यामत के डर से कान लगाये हूए होते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये, सिवाए जिन्नों और इंसानों के। इस दिन में एक घड़ी ऐसी है जिसे कोई मुसलमान बंदा पाले जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से अपनी किसी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह तआ़ला उसे ज़रूर इनायत फ़रमा देता है।' जनाब कअ़ब (रह.) ने कहा: ऐसा साल में एक दिन होता है? तो मैंने कहा: (नहीं) बल्कि हर जुमे को होता है। तब कअ़ब ने तौरात पढ़ी और कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सच फ़रमाया: हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُهْبِطَ وَفِيهِ تِيبَ عَلَيْهِ وَفِيهِ مَاتَ وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ وَهِيَ مُسِيخَةٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ حِينَ تُصْبِحُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ شَفَقًا مِنَ السَّاعَةِ إِلاَّ الْجِنَّ وَالإِنْسَ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا " . قَالَ كَعْبٌ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ يَوْمٌ . فَقُلْتُ بَلْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ . قَالَ فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ فَقَالَ صَدَقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ثُمَّ

لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلاَمٍ فَحَدَّثْتُهُ بِمَجْلِسِي مَعَ كَعْبٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ قَدْ عَلِمْتُ أَيَّةَ سَاعَةٍ هِيَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي بِهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ . فَقُلْتُ كَيْفَ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي " . وَتِلْكَ السَّاعَةُ لاَ يُصَلَّى فِيهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ فَهُوَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ " . قَالَ فَقُلْتُ بَلَى . قَالَ هُوَ ذَاكَ .

हैं कि मैं बाद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) से मिला और उनको जनाब कअ़ब (रह.) से अपनी मज्लिस का बताया तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे मालूम है कि ये घड़ी किस वक़्त होती है। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहने लगे मैंने उनसे कहा: मुझे (भी) ये बता दीजिये। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने कहा: ये जुमा के दिन आख़री घड़ी होती है। मैंने (उनसे) कहा: ये आख़री घड़ी कैसे हो सकती है? हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'मुसलमान बंदा इसे पाये जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो।' और उस वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) ने कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये नहीं फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी जगह बैठा नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहा हो तो वह नमाज़ ही में होता है यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले।' मैंने कहा: हाँ! तो कहने लगे कि बस यही है।

(1046) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 491, मौता: 1/108, 110 (वलक़अनबी, स: 163, 166) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1738, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1024, हाकिम: 1/278, 279.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से जुम्अतुल मुबारक की फ़ज़ीलत साबित होती है। नीज़ ये हदीस जुम्अतुल मुबारक के दिन ख़ुसूसन आख़री घड़ी में दुआ माँगने और उसकी क़ुबूलियत पर दलालत करती है। **(2)** हज़रत आदम अ़लैहि. को जन्नत से निकाले जाने और ज़मीन पर उतारे जाने को रोज़े जुमा की फ़ज़ीलत में इसलिए शुमार किया गया है कि इससे ज़मीन की आबादी, नबियों, रसूलों और सालेहीन का ज़ुहूर, अल्लाह की शरीयत पर अ़मल दर आमद और उसके तक़र्रूब का हुसूल, अ़दल व इंसाफ़ का क़याम और फ़ज़ल व एहसान का ज़ुहूर हूआ। इसी तरह इस दिन हज़रत आदम अ़लैहि. की वफ़ात को इस

दिन की फ़ज़ीलत में शुमार किया गया है, क्योंकि मोमिन इसी से दारूल इम्तिहान से निकल कर अपने अल्लाह के हुज़ूर पहुँचता है। (3) हैवानात में भी अपने ख़ालिक़ की मारफ़त यहाँ तक कि क़यामत का ख़ौफ़ वदीअत किया गया है। (4) ज़ुहूरे क़यामत का अमल तुलूअे शम्स से पहले ही शुरू हो जायेगा। (5) अल्लाह तआला अपने बंदों की दुआएँ क़बूल फ़रमाता है मगर ज़रूरी है कि दाई ने दुआ में लाज़मी शर्तें मल्हूज़ रखी हों नीज़ क़बूलियत की नोइयत (किस्में) मुख़्तलिफ़ हो सकती हैं। (6) ये मक़बूल घड़ी पूरे दिन में मख़्फ़ी रखी गई है, ताहम इस हदीस़ की रोशनी में दिन की आख़री घड़ियों में इसका होना ज़्यादा मुतवक़्क़अ (चांस) है। (7) कअ़ब अहबार किबारे ताबेईन में से हैं जो पहले यहूदी थे और मुख़ज़्रमीन में से हैं। (मुख़ज़्रमीन, उन लोगों को कहा जाता है जो अ़हदे रिसालत में मुसलमान हूए मगर किसी वजह से रसूलुल्लाह (ﷺ) से मिल नहीं सके।) और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (رضی اللہ عنہ) जलीलुल क़द्र स़हाबी हैं और इस्लाम से पहले यहूद के बड़े उ़लमा में से थे। (8) शरीयते मुहम्मदिया इस बात की तस्दीक करती है कि पहले की तमाम किताबें अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हूई है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ " . قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ " .

(1047) हज़रत औस बिन औस (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का दिन है। इसमें आदम पैदा किये गये, इसी में उनकी रूह क़ब्ज़ की गई, इसमें नफ़ख़ (दूसरी दफ़ा स़ूर फूंकना) है और इसी में सअ़क़ा है (पहली दफ़ा स़ूर फूंकना, जिससे तमाम बनी आदम हलाक हो जायेंगे) सो इस दिन में मुझ पर ज़्यादा दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' स़हाबा ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमारा दरूद आप पर क्यों कर पेश किया जायेगा हालांकि आप बोस़ीदा हो चुके होंगे। (यानी आपका जिस्म) तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म हराम कर दिये हैं।'

(1047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 1375, इब्ने माजा, हदीस़: 1085.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नफ़ख़ा और सअक़ा के उस दिन में वाक़े होने में उसकी फ़ज़ीलत ये है कि ये मोमिन के लिये अब्दी फ़रहत यानी दुख़ूले जन्नत का मौक़ा होगा और कुफ़्फ़ार के लिये अ़ज़ाब व एक़ाब का। (2) अफ़ज़ल दिन में अफ़ज़ल अ़मल अफ़ज़लुर रूसुल (ﷺ) के लिये दरूद शरीफ़ पढ़ना है। (3) नबी (ﷺ) की ये हयात (ज़िन्दगी) बर्ज़ख़ी मामला है जिसकी तफ़्सीलात हमें नहीं दी गई हैं। हम इस पर इज्मालन ईमान रखते हैं और तफ़्सील व कैफ़ियत से ख़ामोश रहते हैं सिवाए इसके जिसकी हमें ख़बर दे दी गई है।

बाब : 206
क़बूलियत की घड़ी जुमा के रोज़ किस वक़्त है?

(206)
باب الإِجَابَةِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - أَنَّ الْجُلاَحَ، مَوْلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ " . يُرِيدُ سَاعَةً " لاَ يُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ " .

(1048) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) रावी हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जुमा के दिन में बारह घड़ियाँ हैं। जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाये कि अल्लाह तआला से कोई सवाल करता हो तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ इनायत फ़रमा देता है, लिहाज़ा उसे अ़स्र के बाद की आख़री घड़ी में तलाश करो।'

(1048) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1390, हाकिम: 1/279.

फ़ायदा : इस हदीस में पीछे मज़कूर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम (ﷺ) के बयान की ताईद है कि ये क़बूलियत की घड़ी अ़स्र के बाद, सूरज के ग़ुरूब होने से पहले है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ - عَنْ

(1049) जनाब अबू बुरदा बिन अबी मूसा, अशअ़री बयान करते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने मुझसे पूछा:

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَأْنِ الْجُمُعَةِ يَعْنِي السَّاعَةَ . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلاَةُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي عَلَى الْمِنْبَرِ .

क्या आपने अपने वालिद से जुमा के बारे में कुछ सुना है वह रसूलुल्लाह (ﷺ) से हदीस़ रिवायत करते थे यानी क़बूलियत की घड़ी कौनसी है? मैंने कहा: हाँ मैंने उनको सुना है वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमाते थे: 'ये घड़ी इमाम के (मिम्बर पर) बैठ जाने से लेकर नमाज़ मुकम्मल होने तक के बीच है।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: यानी मिम्बर पर (बैठ जाने से)

(1049) **तख़रीज :** स़ही मुस्लिम: 1756.

फ़ायदा : मुख़्तलिफ़ रिवायात में सॉल्युशन की एक सूरत ये है कि ये घड़ी मुख़्तलिफ़ औक़ात में बदलती रहती है।

﴾207﴿
باب فَضْلِ الْجُمُعَةِ

बाब : 207
जुमे की फ़ज़ीलत का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " .

(1050) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छा वुज़ू करे फिर जुमा के लिये आये और ग़ौर से सुने और ख़ामोश रहे तो उसके जुमे से जुमे तक के और मज़ीद तीन दिन के गुनाह बख़्श दिये जाते हैं और जो (ख़ुत्बे के दौरान में) कंकरियों से खेला उसने लग़्व काम किया।'

(1050) **तख़रीज :** इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1756.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अच्छे वुज़ू से मुराद सुन्नत के मुताबिक़ कामिल वुज़ू है। जिसमें कोई

कमी रखी गई हो न पानी का इस्राफ़ हो। (2) इस बख़्शिश में क़ुर्आन करीम की आयते मुबारका की तस्दीक़ है कि 'जो कोई नेकी करे उसके लिये उसका दस गुना (अज्र) है।' (अलअनआम: 160) (3) ये हदीस़ ख़ुत्ब–ए–जुमा ख़ामोशी और ग़ौर से सुनने पर दलालत करती है और इसी मसनून अन्दाज़ के इख़्तियार करने पर इतने बड़े अज्र व स़वाब की ख़ूश ख़बरी है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ مَوْلَى، امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ يَقُولُ " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوِ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلاَئِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ فَإِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلاَنِ مِنْ أَجْرٍ فَإِنْ نَأَى وَجَلَسَ حَيْثُ لاَ يَسْمَعُ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ أَجْرٍ وَإِنْ جَلَسَ مَجْلِسًا يَسْتَمْكِنُ فِيهِ مِنَ الاِسْتِمَاعِ وَالنَّظَرِ

(1051) मौला उम्मे उस्मान (ज़ोजा–ए–अ़ता) से रिवायत है, कहा मैंने हज़रत अ़ली (ﷺ) को मस्जिदे कूफ़ा के मिम्बर पर सुना, वह फ़रमा रहे थे: 'जब जुमा का दिन आता है तो शयातीन अपने झण्डे लेकर बाज़ार जाते हैं और लोगों को मुख़्तलिफ़ मशाग़लों में उलझा देते हैं और उन्हें जुमे से ताख़ीर करा देते हैं। और मलाइका (फ़रिश्ते) आकर मसाजिद के दरवाज़ों पर बैठ जाते और पहली घड़ी में पहुँचने वालों के नाम लिखते हैं और दूसरी घड़ी में आने वालों के नाम लिखते हैं यहाँ तक कि इमाम आ जाता है। पस जब कोई शख़्स किसी मुनासिब जगह बैठ जाता है कि स़ही तौर पर (ख़ुत्बा) सुन सके, इमाम को देख सके, और ख़ामोश रहे और लग़्व बात (या काम) न करे तो ऐसे शख़्स को दो हिस्से अज्र मिलता है और अगर कोई शख़्स दूर हो और ऐसी जगह बैठे कि वहाँ से सुन न सकता हो, लेकिन ख़ामोश रहे और लग़्व बात (या काम) न करे तो उसको एक हिस्सा अज्र मिलता है। और अगर किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ से वह स़ही तौर पर सुन सकता हो और इमाम को देख सकता हो लेकिन किसी लग़्व काम में मशग़ूल हो रहे और ख़ामोश न रहे तो

فَلَغَا وَلَمْ يُنْصِتْ كَانَ لَهُ كِفْلٌ مِنْ وِزْرٍ وَمَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِصَاحِبِهِ صَهْ . فَقَدْ لَغَا وَمَنْ لَغَا فَلَيْسَ لَهُ فِي جُمُعَتِهِ تِلْكَ شَىْءٌ " . ثُمَّ يَقُولُ فِي آخِرِ ذَلِكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ جَابِرٍ قَالَ بِالرَّبَائِثِ وَقَالَ مَوْلَى امْرَأَتِهِ أُمِّ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءٍ .

उसको गुनाह का एक हिस्सा मिलता है। और अगर किसी ने अपने साथी को दौराने जुमा में (ख़ामोश कराने के लिये) स़ह 'चुप रहो' भी कह दिया, तो उसने लग़्व काम किया। और जिसने लग़्व काम किया उसके लिए इस जुमा में से कुछ नहीं है।' हज़रत अ़ली (ﷺ) ने इसके आख़िर में कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये सब फ़रमाते हूए सुना है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं इसे वलीद बिन मुस्लिम ने इब्ने जाबिर से रिवायत किया तो लफ़्ज़ (रबाइस) ज़िक्र किया है। ऐसे ही (मौला इम्रातिही उम्मे उस्मान बिन अ़ता) कहा।

(1051) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/220, मुसनद अहमद, हदीस़: 1/93: 719.

﴾208﴿ باب التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ

बाब : 208
जुमा छोड़ देने की वईद

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ " .

(1052) हज़रत अबू अलजअ़द ज़मरी (ﷺ) ... स़हाबी से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ग़फ़लत और सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।'

(1052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 500, नसाई, हदीस़: 1370, इब्ने माजा, हदीस़: 1125, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1857, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 65, 553, 554, हाकिम: 1280.

फ़ायदा : 'दिल पर मुहर लग जाना, बहुत बड़ी बदनसीबी, महरूमी और सज़ा है कि इंसान नेकी और ख़ैर की तौफ़ीक़ से महरूम हो जाता है। इसलिए बंदे को फ़ौरन अपनी इस्लाह और तौबा करनी चाहिए।

बाब : 209
जुमा छोड़ने का कफ़्फ़ारा

﴿209﴾
باب كَفَّارَةِ مَنْ تَرَكَهَا

(1053) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जिसने किसी उज़्र के बग़ैर जुमा छोड़ दिया हो वह एक दीनार सदक़ा करे, अगर न पाये तो आधा दीनार।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: ख़ालिद बिन क़ैस ने ऐसे ही रिवायत किया है मगर सनद में इख़्तिलाफ़ किया है और मतन में मुवाफ़िक़त की है।

(1053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1373, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1861, इब्ने हिब्बान, हदीस: 582, हाकिम: 1/180, इब्ने माजा, हदीस: 1128.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ الْعُجَيْفِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ وَخَالَفَهُ فِي الإِسْنَادِ وَوَافَقَهُ فِي الْمَتْنِ

(1054) क़ुदामा बिन वबरा से रिवायत है कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स से बग़ैर किसी उज़्र के एक जुमा रह गया हो, तो वह एक दिरहम या आधा दिरहम या एक स़ाअ या आधा स़ाअ गन्दुम स़दक़ा करे।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको सईद बिन बशीर ने क़तादा (रावी) से ऐसे ही रिवायत किया है मगर उसने एक मुद या आधा मुद कहा है और हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) से रिवायत किया है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبَرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ أَوْ نِصْفِ دِرْهَمٍ أَوْ صَاعِ حِنْطَةٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا

إلاَّ أَنَّهُ قَالَ " مُدًّا أَوْ نِصْفَ مُدٍّ " . وَقَالَ عَنْ سَمُرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اخْتِلاَفِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ هَمَّامٌ عِنْدِي أَحْفَظُ مِنْ أَيُّوبَ يَعْنِي أَبَا الْعَلاَءِ .

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) से सुना, उनसे इस हदीस़ में इख़्तिलाफ़ के बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा: मेरे नज़दीक अय्यूब यानी अबू अलअ़ला की निस्बत हम्माम अहफ़ज़ है। (यानी ज़्यादा याद रखने वाला है।)

(1054) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/234. ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इस बाब की दोनों हदीसें ज़ईफ़ हैं, इसलिए उनसे वह कफ़्फ़ारा स़ाबित नहीं होता जो उनमें बयान हूआ है। ताहम बग़ैर उ़ज्रे शरई के जुमा छोड़ना सख़्त गुनाह है।

﴾210﴿ باب مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

बाब : 210 जुमा किस पर वाजिब है?

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَمِنَ الْعَوَالِي

(1055) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आ़यशा(ﷺ) बयान करती हैं कि लोग अपने डेरों से और बालाए मदीना (अ़वाली) से जुमा के लिये आया करते थे।

(1055) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 902, व स़ही मुस्लिम: 847.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अ़वाली) की आबादियाँ मदीना से तीन से आठ मील की मसाफ़त तक थीं। इस हदीस़ से मालूम हूआ कि शहर के साथ मुल्हक़ (जूड़े) बस्ती वालों पर भी जुमा वाजिब है और उन्हें जुमे में हाज़िर होना चाहिए। **(2)** इस हदीस़ में ये भी है कि जुमा में इज्तेमाइयत मतलूब है लिहाज़ा जहाँ तक हो सके मुसलमानों को इस हफ़्त रोज़ा इज्तेमा में अपनी इज्तेमाइयत और वहदत का इज़हार करना चाहिए। एक शहर में मुख़्तलिफ़ मसाजिद में जुमे का क़याम फ़िक़ही या फ़तवा के लिहाज़ से बिलाशुब्हा जायज़ है मगर ख़ैरूल क़ुरून में इस क़द्र तफ़र्रूक़ व तशत्तुत न था जो आज हर गली कूचे में नज़र आता है। (तफ़सीली बहस के लिये देखिये: नैलुल अवतार)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، - يَعْنِي الطَّائِفِيَّ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ مَقْصُورًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو لَمْ يَرْفَعُوهُ وَإِنَّمَا أَسْنَدَهُ قَبِيصَةُ .

(1056) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है, वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'हर उस शख़्स पर जुमा है जो अज़ान सुने।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को एक जमाअ़त ने सुफ़ियान से रिवायत किया है और वह सब उसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) पर मौक़ूफ़ करते हैं, सिर्फ़ क़बीसा ने इसे मरफ़ूअ़ बयान किया है।

(1056) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 2/5, हदीस़: 1574.

नोट : ये रिवायत सनदन तो ज़ईफ़ है, मगर इल्तेज़ामे जमाअ़त की दीगर अहादीस़ से मानन (मानी के हिसाब से) इसकी ताईद होती है।

﴾211﴿
بَابُ الْجُمُعَةِ فِي الْيَوْمِ الْمَطِيرِ

बाब : 211
बारिश वाले दिन जुमा

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ يَوْمَ، حُنَيْنٍ كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُنَادِيَهُ أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

(1057) अबू मलीह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जंगे हुनैन के दिन बारिश थी, तो नबी (ﷺ) ने अपने मुनादी (मुअज़्ज़िन) को हुक्म दिया कि (ऐलान करे कि) नमाज़ अपने अपने पड़ाव ही पर पढ़ें।

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 855, हाकिम: 1/293.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ صَاحِبٍ، لَهُ عَنْ أَبِي مَلِيحٍ، أَنَّ ذَلِكَ، كَانَ يَوْمَ جُمُعَةٍ .

(1058) अबू मलीह से रिवायत है कहते हैं कि ये जुमे के दिन का वाक़िया है।

तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : अगर बारिश लोगों के लिये मशक़्क़त का बाइस़ हो तो जमाअत में हाज़िरी माफ़ है। ऐसे लोग अपने घरों में ज़ोहर पढ़ें। इमाम वहाँ मौजूद अपने लोगों को जुमा पढ़ाये। जैसे कि नबी (ﷺ) ने पढ़ाया था। (देखिये: फ़तावा इब्ने तैमिया: 24/101)

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ خَبَّرَنَا عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَأَصَابَهُمْ مَطَرٌ لَمْ تَبْتَلَّ أَسْفَلُ نِعَالِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي رِحَالِهِمْ .

(1059) अबू मलीह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि वह हुदैबिया के दिनों में नबी (ﷺ) के यहाँ हाज़िर थे। जुमे का दिन था और बारिश हो गई। इतनी कि उनके जूतों के तल्वे भी न भीगे तो आपने उनको हुक्म दिया कि अपने अपने पड़ाव पर नमाज़ें पढ़ें।

(1059) **तख़रीज : (सनद स़ही)** इब्ने माजा, हदीस़: 936, तबरानी: 1/188, 189, हदीस़: 605 में देखें।

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) से सफ़र में जुमा पढ़ाना स़ाबित नहीं है। मुक़ीम लोगों के लिये अगर हाज़िरी मुश्किल हो तो रूख़स़त है, अलबत्ता इमाम हाज़िरीन को जुमा पढ़ाये। तफ़्सील के लिये देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 668)

﴾212﴿ باب التَّخَلُّفِ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ

बाब : 212
सर्दी या बारिश की रात में जमाअ़त से पीछे रहना?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، نَزَلَ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى أَنِ الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ . قَالَ أَيُّوبُ

(1060) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने (एक सफ़र में) ज़जनान मक़ाम पर ठण्डी रात में पड़ाव किया। तो उन्होंने मुअज़्ज़िन को हुक्म दिया, उसने ऐलान किया कि नमाज़ अपने अपने

وَحَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ مَطِيرَةٌ أَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ .

ख़ेमों में पढ़ें।

अय्यूब बयान करते हैं कि नाफ़े ने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब कोई रात ठण्डी या बारिश वाली होती तो मुअज़्ज़िन को हुक्म फ़रमाते और वह ऐलान करता कि (अस्सलातु फ़िर्रिहाल) यानी अपने अपने डेरों में नमाज़ पढ़ो।

(1060) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 937, बुख़ारी, हदीस: 666, व सही मुस्लिम: 697.

फ़ायदा : ऐसा ऐलान कर देना मसनून है और नमाज़ियों के लिए मस्जिद में न आने की रूख़सत है। लेकिन अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए फ़ज़ीलत है। जैसे आइन्दा अहादीस से वाज़ेह होगा।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ نَادَى ابْنُ عُمَرَ بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ ثُمَّ نَادَى أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ قَالَ فِيهِ ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُنَادِيَ فَيُنَادِي بِالصَّلاَةِ ثُمَّ يُنَادِي " أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ " . فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَفِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْقَرَّةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ.

(1061) जनाब नाफ़े बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने मक़ामे ज़जनान में नमाज़ के लिये अज़ान कही फिर कहा (सल्लू फी रिहालिकुम) 'अपने पड़ाव और ख़ेमों में नमाज़ पढ़ो।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये बयान किया कि आप मुअज़्ज़िन को हुक्म देते, वह अज़ान देता फिर ऐलान करता कि 'अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ो।' जबकि रात को सर्दी होती, बारिश होती और सफ़र में होते।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इस हदीस को हम्माद बिन सलमा ने अय्यूब और उबैदुल्लाह से बयान किया तो उसमें कहा: आप सफ़र में (ऐसा ऐलान करवाते) जबकि रात को सर्दी होती या बारिश होती।

(1061) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/4, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : अक्सर रिवायात में घरों में नमाज़ पढ़ने के ऐलान का ताल्लूक़ सफ़र से बतलाया गया है। लेकिन कुछ रिवायात में मुतल्क़न भी आया है। इस ऐतबार से इस ऐलान का ताल्लूक़ सफ़र से नहीं है।

बल्कि मुत्लक़ (कॉमन) है यानी हर जगह हस्बे ज़रूरत अज़ान में ऊपर दिये गये अल्फ़ाज़ के ज़रिये से घरों में नमाज़ पढ़ने का ऐलान किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَادَى بِالصَّلاَةِ بِضَجْنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ فَقَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ فِي سَفَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ .

(1062) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने मक़ामे ज़जनान में नमाज़ के लिये अज़ान कही, रात ठण्डी थी और हवा चल रही थी। आपने अपनी अज़ान के आख़िर में कहा: (अला सल्लु फ़ी रिहालिकुम, अला सल्लु फ़ी रिहालिकुम) 'ख़बरदार! अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ो। ख़बरदार अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ो।' फिर बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र के दौरान में जब रात सर्द होती या बारिश वाली होती तो मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहे (अला सल्लु फ़ी रिहालिकुम) 'ख़बरदार! अपने अपने मक़ाम पर नमाज़ पढ़ो।'

(1062) तख़रीज : सही मुस्लिम: 697.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، - يَعْنِي أَذَّنَ بِالصَّلاَةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ - فَقَالَ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ أَلاَ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ.

(1063) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने एक रात जब कि सर्दी थी और हवा चल रही थी, अज़ान कही तो कहा: (अला सल्लु फी रिहालिकुम) फिर बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ), जब रात ठण्डी होती या बारिश वाली होती तो मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहे: (अला सल्लु फिर रिहाल)

(1063) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 666, मौता, 1/73, (क़ानबी, स: 93) व सही मुस्लिम.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،

(1064) जनाब नाफ़े हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रावी हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने ये ऐलान मदीने में किया जबकि

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ فِي الْمَدِينَةِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْغَدَاةِ الْقَرَّةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْخَبَرَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِيهِ فِي السَّفَرِ .

रात बारिश वाली थी और सुबह ठण्डी थी। इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद अन्सारी इस ख़बर को क़ासिम से वह हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं तो उसमें कहा कि ये 'सफ़र' का वाक़िया है।

(1064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन हुमैद, हदीस: 744, बैहक़ी: 3/71, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1656, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2081, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَمُطِرْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِيُصَلِّ مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فِي رَحْلِهِ " .

(1065) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में थे तो बारिश हो गई। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो चाहे अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ ले।'

(1065) तख़रीज : सही मुस्लिम: 698.

फ़ायदा : ऐसे मौक़ो पर जमाअत की रूख़्सत है यानी आदमी अकेले, जमाअत के बग़ैर या अपने घर में भी नमाज़ पढ़ सकता है। मगर हाज़िर होने में यक़ीनन फ़ज़ीलत है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ، صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ابْنُ عَمِّ، مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ إِذَا قُلْتَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ . فَلاَ تَقُلْ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ . قُلْ صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ . فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ

(1066) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस़, मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने एक बारिश वाले दिन में अपने मुअज़्ज़िन से कहा कि जब तुम (अश्हदुअन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह) कह लो तो फिर (हय्या अ़लस्सलात) न कहना, बल्कि (स़ल्लू फ़ी बुयूतिकुम) 'अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो।' कहना। लोगों ने इस अ़मल को कुछ अ़जीब जाना तो उन्होंने कहा: ये काम उस ज़ात ने

قَدْ فَعَلَ ذَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالْمَطَرِ .

किया है जो मुझसे अफ़ज़ल थी। बिलाशुब्हा जुमा वाजिब है, मगर मुझे ये बात नापसन्द है कि मैं तुम्हें मुशक़्क़त में डालूं और तुम कीचड़ और बारिश में चल कर आओ।

(1066) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 901, व सही मुस्लिम: 699.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सही बुख़ारी में इस हदीस का उनवान है। 'बारिश की वजह से अगर जुमा में हाज़िर न हो तो रूख़्सत है।' (सही बुख़ारी, हदीस: 901) (2) आज कल हल्की फुल्की बारिश में तो मसाजिद में आना जाना मुश्किल नहीं। अलबत्ता शदीद या मुसल्सल बारिश में इस पर अमल किया जा सकता है। (3) ऐसे मौक़ों पर मुअज़्ज़िन अज़ान में हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की जगह (अला सल्लू फ़िर रिहाल) के अल्फ़ाज़ कहे, जिसका मतलब है, लोगो! घरों में नमाज़ पढ़ लो।

﴾213﴿
باب الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

बाब : 213
ग़ुलाम और औरत के लिये जुमा

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَيْئًا .

(1067) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जुमा हर मुसलमान पर जमाअत के साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाए चार क़िस्म के लोगों के। ग़ुलाम मम्लूक, औरत, बच्चा और मरीज़।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि तारिक़ बिन शिहाब ने नबी (ﷺ) को देखा है मगर आपसे कुछ सुना नहीं है।

(1067) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 2/2, हदीस: 1561, (नसबुर्राया: 2/199)

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस़ तारिक़ बिन शिहाब बवास्ता हज़रत अबू मूसा (ﷺ) मरवी है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने कहा है कि कई एक मोहद्दिसीन ने इसको स़ही कहा है। देखिये: (नैलुल अवतार: 3/258) **(2)** ये हदीस़ मुतलक़ और आ़म है और इस बात पर दलालत करती है कि बस्तियों वग़ैरह में भी जुमा पढ़ना ज़रूरी है। नीज़ क़ुर्आन और हदीस़ में कोई ऐसी स़ही दलील मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम हो कि बस्ती में जुमा पढ़ना दुरूस्त नहीं है, ऐसे लोगों का क़ौल मरदूद, क़ुर्आन व हदीस़ के मनाफ़ी और स़हाबा किराम (ﷺ) के अ़मल के ख़िलाफ़ है। **(3)** क़ुर्आन मुक़द्दस का उ़मूम भी इसी बात की ताईद करता है। इरशादे बारी तआ़ला है: या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति ... (अलजुमा: 9) हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (ﷺ) ने एक सवाल के जवाब में लिखा: 'तुम जहाँ कहीं भी हो, जुमा पढ़ा करो।' (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा, हदीस़: 5068)

बाब : 214
बस्तियों में जुमा क़ाइम करना

《214》
باب الجُمُعَةِ فِي القُرَى

(1068) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि इस्लाम में मदीना मुनव्वरा की मस्जिदे नबवी के बाद सबसे पहले जहाँ जुमा क़ाइम किया गया वह बहरीन की एक बस्ती जुवास़ा थी। (उस्ताद) उ़स़्मान बिन अबी शैबा ने वज़ाहत की कि ये अ़ब्दुलक़ैस की बस्तियों में से थी।

(1068) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 892.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، - لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الإِسْلاَمِ بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ لَجُمُعَةٌ جُمِّعَتْ بِجُوَاثَاءَ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ . قَالَ عُثْمَانُ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى عَبْدِ الْقَيْسِ.

फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये अ़मल स़हाबा किराम (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम ही से शूरू किया था। वह लोग इबादतों के मामले में बहुत ही मोहतात हूआ करते थे। और वह ज़माना नुज़ूले वही का था। अगर ये अ़मल नाजायज़ होता तो यक़ीनन वही के ज़रिये से कोई हिदायत नाज़िल कर दी जाती। जुवास़ा की मस्जिद के आस़ार आज भी मौजूद हैं। छोटी सी जगह में है और सिर्फ़ दो स़फ़ों का दालान है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ عَنْ أَبِيهِ، كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ . فَقُلْتُ لَهُ إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ، تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ يُقَالُ لَهُ نَقِيعُ الْخَضِمَاتِ . قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ .

(1069) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन कअ़ब बिन मालिक ... ये अपने वालिद के नाबीना होने के बाद उनके क़ाइद थे .... अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि जुमा के रोज़ जब वह जुमे की अज़ान सुनते तो असअ़द बिन ज़ुरारा (ﷺ) के लिये रहमत की दुआ करते। मैंने उनसे कहा: आप जब भी अज़ान सुनते हैं तो असअ़द बिन ज़ुरारा के लिये रहमत की दुआ करते? उन्होंने कहा: इसलिए कि हर्रा बनी बयाज़ा में 'हज़्मुन्नबीत' के अन्दर उन्होंने ही सबसे पहले हमें जुमा पढ़ाया था, एक नक़ीअ़ में जिसे 'नक़ीअ़ अलख़ज़िमात' कहा जाता था। (यानी नशीबी जगह जहाँ पानी जमा हो जाता था।) मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की तादाद कितनी थी? उन्होंने कहा: चालीस अफ़राद।

(1069) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1082, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1724, इब्ने जारूद, हदीस़: 291, हाकिम: 1/281.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बनू बयाज़ा' अन्सार की एक शाख़ है। हर्रा ऐसी संगलाख़ ज़मीन को कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हों। ये बस्ती मदीने से एक मील के फ़ासले पर थी। **(2)** इन हज़रात का चालीस की तादाद में होना एक इत्तेफ़ाक़े अ़दद और ख़बर है वरना स़ेहते जुमा के लिये अफ़राद की तादाद मुतय्यन होने की बाबत कोई रिवायत स़ही नहीं है। अगर ये इस्तेदलाल तस्लीम कर लिया जाये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) की दीगर नमाज़ों की जमाअ़त के इस्बात के लिये भी अफ़राद की तादाद का तअ़य्युन और उसकी दलील तलब करनी पड़ेगी। तफ़्सील के लिये देखिये: (अस्सैलुल ज़र्रार: 1/297)

बाब : 215
ईद और जुमा इकट्ठे आ जायें तो?

﴿215﴾ باب إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ . قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ " مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ " .

(1070) जनाब इयास बिन अबी रमला शामी से रिवायत है, कहते हैं कि मैं हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (ﷺ) के यहाँ हाज़िर था और वह हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) से दरयाफ़्त कर रहे थे कि क्या तुम्हारे होते हूए रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में कभी दो ईदें (जुमा और ईद) एक ही दिन में इकट्ठी हूई हैं? उन्होंने कहा: हाँ! पूछा कि तब आपने कैसे किया? उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़ी फिर जुमा के बारे में रूख़सत दे दी और फ़रमाया: 'जो पढ़ना चाहता है पढ़ ले।'

(1070) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1592, इब्ने माजा, हदीस़: 1310, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1464, हाकिम: 1/288.

नोट : इस हदीस़ और दीगर कुछ आस़ार से यही स़ाबित है कि अगर ईद और जुमा दोनों एक ही दिन में इकट्ठे हो जायें तो ईद पढ़ने के बाद जुमा की रूख़सत है, चाहे जुमा पढ़े या ज़ोहर। लेकिन जुमा पढ़ना मुस्तहब है। अफ़ज़ल ये है कि इमाम इस्तेबाब पर अमल करे न कि रूख़सत पर, ताकि जुमा पढ़ने वालों को किसी क़िस्म की तकलीफ़ या परेशानी न हो। मगर ये कि नमाज़ियों की तादाद महदूद हो और सबके इत्तेफ़ाक़ से जुमा न पढ़ने का फ़ैसला कर लिया गया हो। इस सूरत में किसी तरह भी किसी नमाज़ी को परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब नमाज़े ज़ोहर अदा कर लेंगे।-वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي

(1071) जनाब अता बिन अबी रबाह बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने हमको जुमा के रोज़ ईद के दिन, दिन के पहले हिस्से में नमाज़ पढ़ाई, फिर हम जुमा

رَبَاحٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمِ عِيدٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ أَوَّلَ النَّهَارِ ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْنَا فَصَلَّيْنَا وُحْدَانًا وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَلَمَّا قَدِمَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ .

के लिये गये मगर वह न आये और हमने अकेले ही नमाज़ पढ़ी। और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ताइफ़ में थे, वह जब आये तो हमने उनसे इसका ज़िक्र किया तो फ़रमाया कि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया है।

(1071) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ عَطَاءٌ اجْتَمَعَ يَوْمُ جُمُعَةٍ وَيَوْمُ فِطْرٍ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا فَصَلاَّهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ .

(1072) जनाब अता बिन अबी रबाह ने बयान किया कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर के दौरे ख़िलाफ़त में जुमा और ईदुल फ़ित्र एक ही दिन आ गये, तो उन्होंने कहा: दो ईदें एक ही दिन में इकट्ठी हो गई हैं। फिर उन्होंने इन दोनों को जमा कर दिया और पहले पहर दो रकअतें पढ़ाईं, उस पर कुछ इज़ाफ़ा न किया, यहाँ तक कि अस्र पढ़ी।

(1072) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 5725.

फ़ायदा : हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने इस रूख़सत को अवाम और इमाम सब ही के लिये आम समझा है। इसके अलावा उस वक़्त से बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि हज़रत इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) ने नमाज़े ईद के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, बल्कि सिर्फ़ अस्र की नमाज़ पढ़ी। लेकिन साहिबे सुबुलुस्सलाम ने कहा है कि ये रिवायत ज़ोहर के न पढ़ने में सरीह दलील नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है कि उन्होंने नमाज़े ज़ोहर घर ही में अदा कर ली हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الْوَصَّابِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ الضَّبِّيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1073) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'तुम्हारे इस दिन में दो ईदें जमा हो गई हैं, तो जो चाहे उसके लिये ये (नमाज़े ईद) जुमा के बदले काफ़ी है और हम जुमा पढ़ेंगे।' अम्र बिन हफ़्स की सनद में अन्अना है। (यानी उसने 'अन शोबा' कहा है)

أَنَّهُ قَالَ " قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ " . قَالَ عُمَرُ عَنْ شُعْبَةَ .

(1073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1311, हाकिम: 1/288.

फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है, हदीस 1070 भी इसके हम मानी है। इन अहादीस की रू से जुमा पढ़ना अज़ीमत है और छोड़ना रूख़सत। इसलिए दूर दराज़ से आने वाले इस रूख़सत से फ़ायदा उठा सकते हैं।

﴾216﴿ باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब : 216
जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ में क़िराअत?

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُخَوَّلِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ وَ { هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ } .

(1074) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील अस्सज़दा और (हल अता अलल इन्सानि हीनुम मिनद्दहर) पढ़ा करते थे।

(1074) तख़रीज : सही मुस्लिम: 879.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُخَوَّلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ { إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } .

(1075) शोबा ने मुख़व्वल से ऊपर की सनद और इसी के हम मानी बयान किया और मज़ीद ये कहा कि नमाज़े जुमा में आप सूरह जुमा और मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे।

(1075) तख़रीज : ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इन सूरतों की क़िराअत मसनून, मुस्तहब और अफ़ज़ल है। और इस तरह मानवी ऐतबार से गोया मुसलमान को पूरे एक हफ़्ते का दर्स दिया जाता है। इनमें तौहीद व रिसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख़, ईमान, इल्म और अमल वग़ैरह सब ही मामलात का बयान है।

बाब : 217
जुमा के लिये ख़ास लिबास का एहतिमाम

﴾217﴿
باب اللُّبْسِ لِلْجُمُعَةِ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ - يَعْنِي تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ عُمَرُ كَسَوْتَنِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عُطَارِدَ مَا قُلْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ‏"‏ ‏.‏ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ ‏.‏

(1076) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने एक रेशमी लिबास देखा, जो मस्जिद के दरवाज़े के पास बेचा जा रहा था तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप उसे ख़रीद लें और जुमा के दिन ज़ेब तन फ़रमाया करें या जब आपके पास वफ़ूद (बाहरी जमाअतें) आयें तो उनके इस्तेक़बाल के लिये पहना करें (तो अच्छा होगा।) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी क़िस्म के मज़ीद जोड़े आये तो आपने उनमें से एक उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को भी इनायत फ़रमाया: उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप मुझे ये दे रहे हैं हालांकि उतारद के जोड़े के बारे में इससे पहले आप जो कुछ फ़रमा चुके हैं, फ़रमा चुके हैं। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें ये इसलिए नहीं दिया है कि तुम ख़ूद इसे पहनो।' चुनांचे हज़रत उमर (ﷺ) ने ये जोड़ा अपने भाई को दे दिया जो कि मुश्रिक था और मक्के में रहता था।

(1076) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 886, मौता: 2/917, 918, व सही मुस्लिम: 2068.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमा, ईद और ख़ास मौक़ों पर उम्दा लिबास का एहतिमाम मसनून व मुस्तहब है। (2) रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम मगर औरतों के लिये जायज़ है जैसे कि दीगर अहादीस़ से साबित है। (3) काफ़िर रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक इस्लामी अख़्लाक़ व आदाब का हिस्सा है। नीज़ उनको तोहफ़ा या हदिया देना भी जायज़ है। जबकि दीनी क़ल्बी मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल (ﷺ) और अहले ईमान ही का हक़ है। (4) रेशम बज़ाते ख़ूद जायज़ और हलाल है। यही वजह है कि औरतों के लिये इसका इस्तेमाल भी दुरूस्त है। मर्दों के लिये हुरमत की दलील ऊपर दी गई हदीस़ है जो स़हीहैन यानी स़ही बुख़ारी और स़ही मुस्लिम में भी वारिद (आई) है। देखिये: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 886, व स़ही मुस्लिम: 2068) ये हदीस़ क़ुर्आन मुक़द्दस की इस आयत की मुख़स्सस़ है जिसमें इरशादे बारी तआला है। '(ऐ नबी!) कह दीजिये: जो ज़ीनत और खाने पीने की पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों के लिये पैदा की हैं, वह किसने हराम की हैं?' (अलआराफ़: 32) इससे मालूम हूआ कि स़ही हदीस़ से उमूमे क़ुर्आन की तख़्सीस़ हो सकती है। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ بِالسُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَلِلْوَفْدِ . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ .

(1077) जनाब सालिम अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) ने एक रेशमी जोड़ा देखा जो बाज़ार में बेचा जा रहा था वह उन्होंने लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाये और कहा: आप इसे ख़रीद लें ताकि ईद और वफ़ूद के इस्तेक़बाल के मौक़ों पर ज़ीनत के लिये ज़ेब तन फ़रमाया करें ... फिर हदीस़ बयान की ... (ताहम) पहली रिवायत ज़्यादा कामिल है।

(1077) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 2068.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، وَعَمْرٌو، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ " . أَوْ " مَا عَلَى

(1078) जनाब मुहम्मद बिन यहया बिन हब्बान (ताबेई) ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिये अपने काम काज के कपड़ों के अलावा दो कपड़े और बना रखने में क्या हर्ज है?' अम्र ने बसनद इब्ने अबी

أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدْتُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى ثَوْبَيْ مَهْنَتِهِ " . قَالَ عَمْرٌو وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ عَلَى الْمِنْبَرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

हबीब इब्ने सलाम (ﷺ) से बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर ये कहते हुए सुना था।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं (इसकी एक सनद यूँ भी है) कि इसे वहब बिन जरीर अपने वालिद से वह यहया बिन अय्यूब से वह यज़ीद बिन अबी हबीब से वह मूसा बिन सअ़द से वह युसूफ़ बिन अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम से वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं।

(1078) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1095, बैहक़ी: 3/242.

फ़ायदा : बेहतर है कि इंसान ख़ास़ जुमा के लिये उ़म्दा कपड़े बना रखे और इस्तेमाल करे।

﴿218﴾ بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ

बाब : 218
जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले हल्क़ा बना के बैठना मना है

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ وَنَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1079) अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स़ (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने मस्जिद में ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़रमाया और इससे भी कि गुमशुदा चीज़ का इसमें ऐलान किया जाये या शेअ़र पढ़े जायें। और इससे भी मना फ़रमाया है कि जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले हल्क़ा बनाकर बैठा जाये।

(1079) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 715, इब्ने माजा: 766, 1133, तिर्मिज़ी, हदीस़: 322, मुसनद अहमद, हदीस़: 2/179, अतराफ़ुल मुस्नद: 4/32, हदीस़: 517.

फ़वाइद व मसाइल : इस हल्क़ा में आ़म दुनियावी गुफ़्तगू हो या इल्मी दर्स व तदरीस सब ही ममनूअ़

हैं। दर्स व तदरीस अगरचे शरअन मुस्तहब अमल है मगर जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले सही नहीं। इसकी बजाये नमाज़ और अज़कारे मसनूना में मशग़ूल होना चाहिए। इसलिए मसनून ख़ुत्बों से पहले लोगों को किसी हल्क़े में जमा करना ख़िलाफ़े सुन्नत है। कुजा ये कि ख़तीब ही मसनून ख़ुत्बे से पहले मिम्बर पर बैठ कर 'बयान या तक़रीर' के नाम से वाज़ शूरू कर दे। ये किसी तरह भी जायज़ न होगा। इस तरह अदद के लिहाज़ से भी ये तीन ख़ुत्बे हो जायेंगे! हालांकि सुन्नत ये है कि ख़ुत्बे दो ही हों।

बाब : 219
(ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर इस्तेमाल करना

(219)
باب فِي اتِّخَاذِ الْمِنْبَرِ

(1080) जनाब अबू हाज़िम बिन दीनार बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत सहल बिन सअद साएदी (ﷺ) के पास आये और वह मिम्बरे नबवी के बारे में बहस कर रहे थे कि ये किस लकड़ी से बना था? उन लोगों ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं ख़ूब जानता हूँ कि वह किस चीज़ से बना था और मैंने उसे पहले ही दिन जब वह रखा गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) उस पर बैठे थे, देखा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़लां औरत के यहाँ पैग़ाम भेजा ... सहल ने उस औरत का नाम भी ज़िक्र किया .... कि 'अपने बढ़ई ग़ुलाम से कहो कि मुझे कुछ लकड़ियाँ जोड़ दे, जब मैं लोगों से ख़िताब करूं तो उस पर बैठ जाया करूं।' चुनांचे उसने अपने ग़ुलाम से कहा तो वह उसे तरफ़ाउल ग़ाबा (जंगल की एक लकड़ी, झाउ) से बनाकर ले आया। उस औरत ने उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رِجَالاً، أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ وَقَدِ امْتَرَوْا فِي الْمِنْبَرِ مِمَّ عُودُهُ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مِمَّا هُوَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَوَّلَ يَوْمٍ وُضِعَ وَأَوَّلَ يَوْمٍ جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى فُلاَنَةَ امْرَأَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ " أَنْ مُرِي غُلاَمَكِ النَّجَّارَ أَنْ يَعْمَلَ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ " . فَأَمَرَتْهُ فَعَمِلَهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلَتْهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

فَأَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ هَا هُنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَكَعَ وَهُوَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ فِي أَصْلِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي "

आपने हुक्म दिया तो उसे यहाँ रख दिया गया। फिर मैंने आपको देखा कि आपने उस पर नमाज़ पढ़ी। इस पर खड़े होकर तकबीरे तहरीमा कही, फिर रूकू किया और आप उसी के ऊपर थे, फिर आप पिछले पाँव नीचे उतर आये और मिम्बर की जड़ में नीचे सज्दा किया। फिर आप मिम्बर पर चढ़ गये। जब आप फ़ारिग़ हूए तो लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'लोगो! मैंने ये इसलिए किया है ताकि तुम मेरी इक़्तेदा करो और मेरी नमाज़ सीख लो।'

तख़रीज:बुख़ारी, हदीस: 917 व सही मुस्लिम: 544.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ुत्बे वग़ैरह के लिये मिम्बर का इस्तेमाल मुस्तहब है। **(2)** नमाज़ का मामला इस क़द्र अहम था और है कि नबी (ﷺ) ने उसकी तालीम में बेहद मुबालग़े से काम लिया, यहाँ तक कि मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ कर दिखाई। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की इक़्तेदा बिलउमूम और नमाज़ में बिलख़ुसूस फ़र्ज़ है। **(4)** तल्बा को अहम इल्मी मसाइल के साथ साथ कुछ दीगर ज़रूरी मामलात की मारफ़त भी हासिल करनी चाहिए।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا بَدُنَ قَالَ لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ أَلاَ أَتَّخِذُ لَكَ مِنْبَرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَجْمَعُ - أَوْ يَحْمِلُ - عِظَامَكَ قَالَ " بَلَى " . فَاتَّخَذَ لَهُ مِنْبَرًا مِرْقَاتَيْنِ.

(1081) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) का बयान है कि नबी (ﷺ) जब किसी क़द्र भारी हो गये तो जनाब तमीमदारी (رضي الله عنه) ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या मैं आपके लिये मिम्बर न बना लाऊं, जो आपकी हड्डियों (वजूदे अतहर) को उठाया करे? (यानी आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा हूआ करें) आपने फ़रमाया: 'हाँ!' चुनांचे वह दो सीढ़ियों वाला मिम्बर बना लाये।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/195, 196.

तौज़ीह : इससे पहले गुज़रा कि लकड़ी का ये मिम्बर एक गुलाम ने बनाया था, और इस रिवायत में है कि तमीमदारी ने उसे बनाया। हाफ़िज़ इब्ने हज्र (रह.) ने इन अहादीस की वज़ाहत करते हूए पहली

रिवायत को ज़्यादा क़वी क़रार दिया है। दूसरा एहतिमाल ये बयान किया है कि इसके बनाने में ये सारे ही किसी न किसी तरीक़े से शरीक रहे हों। इसके अलावा इस रिवायत में है कि ये मिम्बर दो सीढ़ियों पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरी रिवायात में तीन सीढ़ियों का ज़िक्र है, तो बात ये है कि दो सीढ़ियों के ज़िक्र करने वाले रावी ने वह तीसरी सीढ़ी शुमार नहीं की जिस पर नबी (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा होते थे। तफ़्सील के लिए देखिये: (फ़तहुल बारी)

(220) بَابُ مَوْضِعِ الْمِنْبَرِ

बाब : 220
मिम्बरे नबवी की जगह

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرِ مَمَرِّ الشَّاةِ .

(1082) हज़रत सलमा बिन अक्वा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बर और (मस्जिद की) दीवार के दरम्यान इतना फ़ासला था कि इसमें से बकरी गुज़र जाये।

(1082) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 497, व सही मुस्लिम: 509.

(221) بَابُ الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ

बाब : 221
जुमा के रोज़ ज़वाल से पहले नमाज़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَالَ " إِنَّ جَهَنَّمَ

(1083) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आप निस्फ़े नहार (ज़वाल) के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह समझते थे, सिवाए जुमा के दिन के। और आपने फ़रमाया: 'बेशक (उस वक़्त) जहन्नम भड़काई जाती है, सिवाए जुमा के दिन के।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये रिवायत मुर्सल

تُسْجَرُ إِلاَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ مُجَاهِدٌ أَكْبَرُ مِنْ أَبِي الْخَلِيلِ وَأَبُو الْخَلِيلِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ .

है और मुजाहिद, अबुल ख़लील से बड़े हैं। और अबुल ख़लील ने हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से नहीं सुना है।

(1083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/193, अत्तल्ख़ीसुल हबीर: 1/189, हिल्यतुल औलिया: 5/188.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए इससे इस्तेदलाल करते हुए ऐन ज़वाले शम्स (सूरज के ढलने) के वक़्त या जवाल से पहले जुमा की नमाज़ पढ़ने का सुबूत नहीं मिलता, जैसा कि कुछ उ़लमा ने मौक़िफ़ इख़्तियार किया है कि नबी (ﷺ) नमाज़े जुमा ज़वाल के फ़ौरन बाद पढ़ लिया करते थे, जैसा कि अगली रिवायत से वाज़ेह है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 1277 के फ़वाइद)

﴾222﴿ بَابٌ فِي وَقْتِ الْجُمُعَةِ

बाब : 222 जुमा पढ़ने का वक़्त

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِي فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الْجُمُعَةَ إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ .

(1084) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरज ढलने पर जुमा पढ़ा करते थे।

(1084) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 904.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ، سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1085) इयास बिन सलमा बिन अक्वा अपने वालिद (हज़रत सलमा बिन अक्वा) (ﷺ) से बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ जुमा पढ़ा करते थे, उसके बाद जब वापस लौटते तो दीवारों का साया न होता था।

الْجُمُعَةَ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ .

(1085) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4168, व सही मुस्लिम: 860.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ كُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ .

(1086) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) का बयान है कि हम लोग जुमा के बाद ही खाना खाते और क़ैलूला करते थे।

(1086) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 939, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : इन अहादीस का मफ़हूम ये है कि नबी (ﷺ) का जुमा ज़वाल के फ़ौरन बाद होता था, चूंकि ख़ुत्बा मुख़्तसर और नमाज़ क़द्रे लम्बी होती थी इसलिए सहाबा किराम (ﷺ) वापसी पर दीवारों का इतना साया न पाते थे कि उससे साया हासिल कर सकते। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस: 860 के अल्फ़ाज़ हैं (वमा नजिदु फ़ैअन नस्तज़िल्लुबिही) यानी साया तो होता था मगर बहुत कम। 'ग़दा' दोपहर के खाने और 'क़ैलूला' दोपहर के वक़्त आराम करने को कहते हैं। इससे कुछ लोगों ने इस्तेदलाल किया है कि जुमा ज़वाल से पहले होता था। मगर ये इस्तेदलाल सही नहीं है। दोपहर का खाना देर करके खाया जाये तो भी उसे 'ग़दा' ही कहते हैं और निस्फ़े नहार की इस्तेराहत में ताख़ीर की जाये तो भी उसे क़ैलूला ही कहते हैं। लिहाज़ा जुमा के बाद खाने और क़ैलूला करने से ये लाज़िम नहीं आता कि जुमा ज़वाल से पहले होता था।

﴾223﴿ بَابُ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

बाब : 223 जुमा के रोज़ अज़ान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ الأَذَانَ، كَانَ أَوَّلُهُ حِينَ يَجْلِسُ الإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - فَلَمَّا كَانَ

(1087) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ (जुमा की) पहली अज़ान इमाम के मिम्बर पर बैठने के वक़्त कही जाती थी। अहदे नबूवत, ख़िलाफ़ते अबीबक्र और उमर में यही मामूल रहा। जब हज़रत उस्मान(ﷺ) की ख़िलाफ़त आई और लोग भी बहुत हो गये तो हज़रत उस्मान (ﷺ) ने जुमा के रोज़ तीसरी अज़ान

خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالأَذَانِ الثَّالِثِ فَأُذِّنَ بِهِ عَلَى الزَّوْرَاءِ فَثَبَتَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ .

का हुक्म दिया जो कि ज़ौरा मक़ाम पर दी जाती थी और मामला उसी पर क़ाइम रहा।

(1087) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 916.

फ़ायदा : असल अज़ान जो कि इमाम के मिम्बर पर बैठने के वक़्त की है पहली अज़ान है। और इक़ामत यानी जमाअत के लिए तकबीर को दूसरी अज़ान कहा गया है और ख़ुत्बा शुरू होने से कुछ वक़्त पहले लोगों को आगाह करने के लिये जो अज़ान शुरू कराई गई वह तीसरी अज़ान हुई। जो कि अमलन पहली मगर रूत्बा में तीसरी है। उसे उर्फ़े आम में दूसरी अज़ान और तारीख़ी लिहाज़ से 'अज़ाने उस्मानी' कहते हैं। सहाबा किराम (ﷺ) की अक्सरियत ने इसे क़बूल किया है। और ये आलमे इस्लाम में उसी दौर से जारी व सारी है। ये अज़ान लोगों को मुतन्नबा करने के लिये थी जैसे कि अज़ाने फ़ज्र से कुछ पहले, मुतन्नबा करने के लिए दौरे नबूवत में अज़ान कहलवाई गई। इब्ने अबी शैबा में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने इस अज़ान को बिदअत कहा है। अस्हाबुल हदीस के यहाँ ऐसे मसाइल में तवस्सोअ है। अफ़ज़ल और राजेह यही है कि दौरे नबूवत का अमल इख़्तियार किया जाये। हस्बे ज़रूरत हज़रत उस्मान (ﷺ) का मामूल अपना लेने में भी कोई हर्ज नहीं। वैसे हज़रत उस्मान (ﷺ) ने ये अज़ान मस्जिदे नबवी से एक मील दूर मक़ामे ज़ौरा में कहलवाई थी। वहाँ बाज़ार लगता था और लोगों को नमाज़ का वक़्त हो जाने का इल्म नहीं होता था। ये अज़ान इतनी पहले कही जाती थी कि लोग अज़ान सुनकर सामान समेटते, घर जाते, गुस्ल और वुज़ू करके लिबास बदल कर ख़ुत्बा शुरू होने से पहले मस्जिदे नबवी में आ जाते, लिहाज़ा अगर अज़ाने उस्मानी ही कहलानी हो तो इस पसे मन्ज़र को मल्हूज़ रखना चाहिए। वरना ख़ुत्बे से चंद मिनट पहले इमाम के मुँह के सामने खड़े होकर अज़ान कहना अज़ाने उस्मानी की मुशाबिहत हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये तबअज़ाद और ईजादे बंदा है। ज़ौरा (ज़ा के फ़तह, वाव साकिन और आख़िर में अलिफ़ मम्दूदा (बाज़ारे मदीना के क़रीब एक जगह का नाम था जो मस्जिदे नबवी से कोई एक मील के फ़ासले पर थी।)

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ

(1088) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर पर बैठ जाते तो आपके सामने मस्जिद के दरवाज़े के पास अज़ान कही जाती थी। और हज़रत अबूबक्र व उमर (ﷺ) के दौर में भी ऐसे ही होता था।

يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ يُونُسَ .

और (गुज़िश्ता) हदीसे यूनुस की मानिन्द बयान किया।

(1088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 7/146.

फ़ायदा : मस्जिदे नबवी की शिमाली (उत्तरी) बैरूनी दीवार के तक़रीबन वस्त में आने जाने वालों के लिये दरवाज़ा था जो मिम्बर के सामने पड़ता था। उसी पर अज़ान होती थी। इसलिए कि यहाँ से आम आबादी तक आवाज़ का पहुँचना आसान था यानी अज़ान अपनी मारूफ़ जगह पर होनी चाहिए। ऐन इमाम के सामने अज़ान कहने की कोई शरई हैसियत नहीं है जैसे कि कुछ मक़ामात पर देखने में आता है।

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ، قَالَ لَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلاَلٌ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ .

(1089) हज़रत साइब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक ही मुअज़्ज़िन था। यानी बिलाल और (इब्ने इस्हाक़ ने) साबिक़ा हदीस के हम मानी बयान किया।

(1089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أُخْتِ، نَمِرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُؤَذِّنٍ وَاحِدٍ . وَسَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَيْسَ بِتَمَامِهِ .

(1090) हज़रत साइब बिन यज़ीद (ﷺ) ने उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का एक ही मुअज़्ज़िन था। सालेह ने ये हदीस बयान की, मगर कामिल नहीं है।

(1090) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1087 में देखें।

फ़ायदा : इस रिवायत का पसे मन्ज़र ये है कि ख़ैरूल कुरून के बाद जब मसाजिद बड़ी बड़ी बनने लगीं और आबादी में इज़ाफ़ा हो गया तो जामे मसाजिद के हर हर मिनारे पर एक मुअज़्ज़िन मुक़र्रर किया जाने लगा, तो एक नमाज़ के लिये एक मस्जिद में कई कई मुअज़्ज़िन अज़ान देते थे। हदीस का मक़सद ये है कि एक मुअज़्ज़िन का अज़ान कहना ही सुन्नत है न कि कई एक का। दौरे रिसालत में हज़रत बिलाल (ﷺ) के अलावा हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम, सअद अलक़ुर्ज़ और अबू महज़ूरा (ﷺ) भी मुअज़्ज़िन थे। हज़रत अबू महज़ूरा मक्का में थे और हज़रत सअद क़ुबा में।

بَابُ الإِمَامِ يُكَلِّمُ الرَّجُلَ فِي خُطْبَتِهِ ﴿224﴾

बाब : 224
इमाम ख़ुत्बे के दौरान में किसी से बात करे

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَمَّا اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ " اجْلِسُوا " . فَسَمِعَ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُعْرَفُ مُرْسَلاً إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَخْلَدٌ هُوَ شَيْخٌ .

(1091) जनाब अ़ता बिन अबी रबाह, हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि (एक बार) जुमा के रोज़ जब रसूलुल्लाह (ﷺ) (मिम्बर पर) बराबर (तशरीफ़ फ़रमा) हो गये तो फ़रमायाः 'बैठ जाओ।' उसे हज़रत इब्ने मसऊ़द (ﷺ) ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े ही पर बैठ गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको देखा तो फ़रमायाः 'ऐ अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द! आगे आ जाओ।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ का मुर्सल होना मारूफ़ है। मोहद्दिसीन की एक जमाअ़त इसे अ़ता (ताबेई) से वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं। (यानी दरम्यान में स़हाबी का वास्ता मतरूक है।) और मख़लद 'शेख़' है। (यानी उसकी हदीस़ लिखी जाती है।)

(1091) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़: 2/218, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1780, हाकिम: 1/283, 284.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़तीब को हक़ हासिल है कि सामेईन से हस्बे ज़रूरत कोई बात कर सकता है और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की तामीले इरशादे नबवी की कैफ़ियत देखिये कि हुक्म सुनते ही बैठ गये और क़दम तक नहीं बढ़ाया। (ﷺ) इस क़िस्म के लोगों पर ज़बाने तअ़न दराज़ करना कि लोग बाद अज़ वफ़ाते नबी (नऊज़ूबिल्लाह) मुर्तद हो गये थे या मुनाफ़िक़ बन गये थे, अपने ख़बासते बातिना के इज़हार के अ़लावा कुछ नहीं। **(2)** अहादीस़ से ये मालूम होता है कि ख़ुत्बे के दौरान में सामेईन (सुनने वालों) को आपस में गुफ़्तगू करने की इजाज़त नहीं है, मगर ख़तीब बात कर सकता है। **(3)** ये हदीस़ इस बात पर भी दलालत करती है कि अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहकाम की फ़ौरन बिला ताख़ीर तामील ज़रूरी है।

बाब : 225
मिम्बर पर आने के बाद बैठ जाना

﴾225﴿
باب الْجُلُوسِ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، - يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ - عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ كَانَ يَجْلِسُ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ حَتَّى يَفْرُغَ - أُرَاهُ قَالَ الْمُؤَذِّنُ - ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ ثُمَّ يَجْلِسُ فَلاَ يَتَكَلَّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ.

(1092) नाफ़े, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर(ﷺ) से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) दो ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाया करते थे। आप जब मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो बैठ जाते, यहाँ तक कि मुअ़ज़्ज़िन अज़ान से फ़ारिग़ हो जाता। फिर आप खड़े होते और ख़ुत्बा देते, फिर बैठ जाते और कलाम न करते, फिर खड़े होते और (दूसरा) ख़ुत्बा देते।

(1092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/205, 1095 में देखें, बुख़ारी, हदीस़: 928.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमा में मिम्बर पर खड़े होकर ख़ुत्बा देना मुस्तहब है, बिला उ़ज़्र बैठकर ख़ुत्बा देना नाजायज़ है। दोनों ख़ुत्बों के दरम्यान आप का बैठना बहुत मुख़्तसर सा होता था। **(2)** ख़ुत्बे अ़ददी ऐतबार से दो हैं तीन नहीं। मसनून ख़ुत्बों से पहले 'तक़रीर या बयान' वग़ैरह इस अ़दद को बढ़ा देता है इसलिए जायज़ नहीं। ये सुन्नते रसूल से इन्हराफ़ है, जब कि ज़रूरत सुन्नते रसूल पर अ़मल करने की है।

बाब : 226
खड़े होकर ख़ुत्बा देना

﴾226﴿
باب الْخُطْبَةِ قَائِمًا

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

(1093) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा दिया करते थे। (यानी पहला ख़ुत्बा) फिर बैठ जाते, फिर (दूसरे के लिये) खड़े होते और खड़े होकर ही ख़ुत्बा देते। और जो

يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ فَقَالَ فَقَدْ وَاللَّهِ صَلَّيْتُ مَعَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفَيْ صَلاَةٍ .

शख़्स तुम्हें ये बताये कि आप (ﷺ) बैठ कर ख़ुत्बा देते थे उसने झूठ कहा। क़सम अल्लाह की! मैंने आपके साथ दो हज़ार से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं।

(1093) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862.

फ़ायदा : बग़ैर उज़्रे शरई के बैठ कर ख़ुत्बा देना जायज़ नहीं है। जो लोग मसनून ख़ुत्बों से-पहले मिम्बर पर बैठ कर बयान या तक़रीर करते हैं उन्हें अपने इस ख़िलाफ़े सुन्नत अमल पर ग़ौर करना चाहिए।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى - عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ

(1094) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दो ख़ुत्बे हूआ करते थे। आप उन दोनों के दरम्यान में बैठा करते थे। आप क़ुर्आन पढ़ते और लोगों को वाज़ व नसीहत फ़रमाया करते थे।

(1094) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً لاَ يَتَكَلَّمُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(1095) हज़रत जाबिर बिन समुरा (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) को देखा कि खड़े होकर ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते फिर मुख़्तसर सा बैठ जाते और उस दौरान में कोई गुफ़्तगू न करते थे और हदीस़ बयान की।

(1095) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 1584, इब्ने अल्मुलक़्क़िन तोहफ़तुल मोहताज़: 1/497, हदीस़: 608.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ुत्बे की तमाम अहादीस़ से ये मसला अख़ज़ होता है कि इस अमल में मक़सूद व मतलूब सुनने वालों को वाज़ व नसीहत है। इसलिए अगर सामेईन अज्मी हों, अरबी न समझते हों तो उन्हें उनकी ज़बान में वाज़ किया जाये। इस पर ये ऐतराज़ न किया जाये कि फिर तो नमाज़ में भी तर्जुमा होना चाहिए। क्योंकि ख़ुत्बा इबादत के साथ साथ वाज़ व नसीहत भी है। जबकि नमाज़ ख़ालिस़ इबादत है। इसमें ज़िक्र और क़ुर्आन की तिलावत मुतअय्यन है। 'ज़िक्र और तज़कीर' में फ़र्क़ है। जैसे कि क़ुर्आन का तर्जुमा क़ुर्आन नहीं है वह महज़ तर्जुमानी है। इसलिए नमाज़ को ख़ुत्बे पर

क़यास करना जायज़ नहीं। अजूबा ये है कि उन हज़रात ने नमाज़ तो .... एक रिवायत के मुताबिक़ .... अज्मी ज़बान में जायज़ कर दी, मगर ख़ुत्बे के लिये ये गुंजाइश न निकाल सके। (2) अस्हाबुल हदीस़ के ख़ुत्बाते जुमा व ईदैन बिहम्दिल्लाह सुन्नत के ऐन मुताबिक़, नबवी ख़ुत्बात के अ़रबी अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल होते हैं। क़ुर्आन करीम की आयात और अक्सर अहादीस़ भी अ़रबी में पढ़ी जाती हैं। और साथ साथ सामेईन की ज़बान में मानी व मतलब बयान किये जाते हैं। वल्लाहु वलीयुत्तौफ़ीक़!

बाब : 227
ख़तीब का ख़ुत्बे में कमान से सहारा लेना

(227)
بَابُ الرَّجُلِ يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

(1096) शुऐब बिन ज़ुरैक़ ताइफ़ी बयान करते हैं कि मैं एक साहिब के यहाँ बैठा जिन्हें रसूल (ﷺ) की सोहबत हासिल थी। उन्हें हकम बिन हज़्न कुफ़ी कहा जाता था। वह हमसे बयान करने लगे कि मैं एक वफ़द में रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हूआ। मैं सात में से सातवाँ या नौ में से नवाँ फ़र्द था। हम आप (ﷺ) के पास आये तो हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपकी ज़ियारत के लिये आये हैं, हमारे लिये दुआए ख़ैर फ़रमायें। आपने हमारे लिए किसी क़द्र खजूरों का हुक्म दिया, हालत उन दिनों बहुत कमज़ोर थी। हम आपके यहाँ कई दिन मुक़ीम रहे। हमें रसूल (ﷺ) के साथ जुमा पढ़ने का मौक़ा मिला। आप एक लाठी या कमान का सहारा लिये हूए खड़े हूए। आपने अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आप के अल्फ़ाज़ मुख़्तसर, पाकीज़ा और बा'बरकत थे। फिर फ़रमाया: 'लोगो! जो अहकाम तुम्हें दिये जाते हैं तुम उन सब की ताक़त नहीं

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ رُزَيْقٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ جَلَسْتُ إِلَى رَجُلٍ لَهُ صُحْبَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ بْنُ حَزْنٍ الْكُلَفِيُّ فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا قَالَ وَفَدْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ تَاسِعَ تِسْعَةٍ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ زُرْنَاكَ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَأَمَرَ بِنَا أَوْ أَمَرَ لَنَا بِشَىْءٍ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّأْنُ إِذْ ذَاكَ دُونٌ فَأَقَمْنَا بِهَا أَيَّامًا شَهِدْنَا فِيهَا الْجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا أَوْ قَوْسٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ كَلِمَاتٍ خَفِيفَاتٍ طَيِّبَاتٍ مُبَارَكَاتٍ ثُمَّ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ

إِنَّكُمْ لَنْ تُطِيقُوا أَوْ لَنْ تَفْعَلُوا كُلَّ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ قَالَ ثَبَّتَنِي فِي شَىْءٍ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَقَدْ كَانَ انْقَطَعَ مِنَ الْقِرْطَاسِ .

रखते हो, या उन्हें हरगिज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन इस्तेक़ामत व ऐतदाल इख़्तियार करो और ख़ूश हो जाओ।'

जनाब अबू अली (लूलूई, तिल्मीज़े इमाम अबू दाऊद) कहते हैं कि मैंने इमाम अबू दाऊद से सुना, वह कहते थे कि इस हदीस का कुछ हिस्सा मुझे मेरे साथियों ने याद कराया है। जो कि मेरे काग़ज़ से ज़ाया हो गया था।

(1096) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 4/212, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1452, हदीस: 1145 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुत्तबिऐ सुन्नत उलमा, सुलहा और बा'अमल लोगों से महज़ अल्लाह तआला की रज़ा के लिये मोहब्बत करना निहायत क़ाबिले क़द्र और बलन्दि–ए–दर्जात का हामिल अमल है। ऐसे लोगों से ख़ूद बारी तआला मोहब्बत करता है और रोज़े क़यामत ऐसे लोगों को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का ख़ुसूसी साया मयस्सर होगा। (अल्लाहुम्मज़्अल्ना मिन्हुम) आमीन (सही मुस्लिम) (2) अस्हाबे ख़ैर की ज़ियारत मयस्सर आये तो उनसे दुआए ख़ैर करानी चाहिए, ये मुस्तहब अमल है। (3) ताकत के हिसाब से मेहमानों की उम्दा ख़िदमत उनका हक़ है। (4) ख़ुत्बा में लाठी/लकड़ी वग़ैरह लेकर खड़े होना मुस्तहब है। (5) आम इंसानों के लिये नामुमकिन है कि शरीयत के तमाम तर अहकाम पर अमल पैरा हो सकें, लेकिन हस्बे इम्कान ग़फ़लत व सुस्ती से परहेज़ करना चाहिए। नेक आमाल पर जमे रहना और म्याना रवी को मामूल बनाना ज़रूरी है। (6) मोहद्दिसीन अपनी शख़्सी कमियाँ भी बयान कर दिया करते थे ताकि लोग उन्हें मासूम न समझने लगें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ قَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ

(1097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब (ख़ुत्बे में) तशह्हुद पढ़ते, तो कहा करते (अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तइनुहू व नस्तग़फिरूहू ....) 'तमाम तरह की हम्द व सना अल्लाह के लिये है। हम उससे मदद चाहते और माफ़ी माँगते हैं। अपने नफ़्सों की शरारतों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर

وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا " .

सकता और जिसे वह भटका दे उसे कोई राहे रास्ते पर नहीं ला सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूदे बरहक़ नहीं है। मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ने उनको क़यामत से पहले हक़ के साथ, ख़ूशख़बरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त की वह हिदायत पा गया और जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वह अपना ही नुक़सान करता है, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ता।'

(1097) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 7/146.

मल्हूज़ : इस मौज़ूअ पर मोहद्दिस अल्बानी (रह.) का रिसाला 'ख़ुत्बतुल हाजा' क़ाबिले मुताला है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ تَشَهُّدِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى " . وَنَسْأَلُ اللَّهَ رَبَّنَا أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ

(1098) जनाब यूनुस से रिवायत है कि उन्होंने इब्ने शिहाब से रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ुत्बे के मुताल्लिक़ पूछा जो आप जुमा के रोज़ पढ़ा करते थे। तो इसी (ऊपर दी गई हदीस़) की मानिन्द बयान किया और कहा (वमय यअ़सिहिमा फ़क़द ग़वा ....) 'जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वह बहुत बड़े शर में जा पड़ा। हम अपने अल्लाह से, जो हमारा रब है, सवाल करते हैं कि हमें उन लोगों में से बनाये जो उसकी इताअ़त करते हैं और उसके रसूल की, उसकी रज़ामंदी के ताबेअ़ होते और उसकी नाराज़ी से बचते हैं। बिलाशुब्हा हम उसके साथ हैं और उसी के लिये हैं।'

(1098) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** बैहक़ी: 3/215, अबी दाऊद किताबुल मरासील, हदीस़: 57.

मल्हूज़ : ये रिवायत भी मुर्सल यानी ताबेई का बयान है इसलिए मोहद्दिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، أَنَّ خَطِيبًا، خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ " قُمْ - أَوِ اذْهَبْ - بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ " .

(1099) हज़रत अदी बिन हातिम (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के सामने एक ख़तीब ने ख़ुत्बा दिया और उसने कहा: (मय युतिइल्लाह व रसूलहू वमय यअ्सिहिमा) 'जिसने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की और जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की।' आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खड़े हो जाओ।' या फ़रमाया: 'चले जाओ तुम बहुत बुरे ख़तीब हो।'

(1099) तख़रीज : सही मुस्लिम: 870

फ़ायदा : नबी (ﷺ) ने ये पसन्द नहीं फ़रमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को एक ज़मीरे तस्निया से ज़िक्र किया जाये। ये ख़िलाफ़े अदब है। इसमें बराबरी का शुब्हा हो सकता है। अगर ये मफ़हूम अदा करना हो तो (मय्यअसिल्लाह व रसूलहू) कहा जाये।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنٍ، عَنْ بِنْتِ الْحَارِثِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَتْ مَا حَفِظْتُ ق إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ بِهَا كُلَّ جُمُعَةٍ قَالَتْ وَكَانَ تَنُّورُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَنُّورُنَا وَاحِدًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ .

(1100) हारिस़ बिन नोमान की साहबज़ादी बयान करती हैं कि मैंने सूरह क़ाफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुँह मुबारक से सुनकर ही याद की है। आप इसे हर ख़ुत्ब—ए—जुमा में पढ़ा करते थे। बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का और हमारा तन्नूर एक ही था।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि रौह बिन उबादा ने शोबा से रिवायत करते हूए इस ख़ातून का नसब यूँ ज़िक्र किया: 'बिन्ते हारिस़ बिन नोमान' जबकि इब्ने इस्हाक़ ने 'उम्मे हिशाम बिन्ते हारिस़ बिन नोमान' कहा।

(1100) तख़रीज : सही मुस्लिम: 1102–1103.

फ़ायदा : ख़ुत्ब–ए–जुमा में क़ुर्आन करीम की आयात ही से वाज़ कहना चाहिए। और सूरह क़ाफ़ को मोज़ूअ बनाना मसनून व मुअक्क़द है कि सामेईन को क़यामत और उसके हिसाब किताब की सख़्ती याद दिलाई जाये। और वह गुज़री हुई क़ौमों की तारीख़ व अन्जाम से भी ग़ाफ़िल न रहें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا يَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَيُذَكِّرُ النَّاسَ .

(1101) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ और आपका ख़ुत्बा दरम्याना दरम्याना होते थे। आप क़ुर्आन करीम की चंद आयात तिलावत फ़रमाते और लोगों को वाज़ व नसीहत फ़रमाया करते थे।

(1101) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1419, इब्ने माजा, हदीस: 1106, व सही मुस्लिम: 866.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ुत्ब–ए–जुमा को बहुत ज़्यादा लम्बा कर देना और उसके बिलमुक़ाबिल नमाज़ को मुख़्तसर रखना ख़िलाफ़े सुन्नत है। **(2)** इस हदीस से ये भी मालूम हूआ कि ख़ुत्ब–ए–जुमा सिर्फ़ अरबी ज़बान में देना ज़रूरी नहीं, बल्कि इससे असल मक़सद तो ये है कि लोगों की इस्लाह हो, इसलिए ख़ुत्बा उस ज़बान में होना चाहिए जो लोगों की समझ में आ सके और वह ख़ुत्बा सुन कर उससे नसीहत हासिल कर सकें। और उनकी ज़िन्दगी में इन्क़लाब आये। **(3)** अगर ये पाबन्दी लगा दी जाये कि ख़ुत्ब–ए–जुमा सिर्फ़ अरबी ज़बान में हो और बस, तो अरबी न जानने वालों की समझ में इससे क्या आयेगा? और कैसे उनकी इस्लाह होगी? इस तरह तो वाज़ व नसीहत का मक़सद ही फ़ौत हो जाता है।

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتِهَا، قَالَتْ مَا أَخَذْتُ ق إِلاَّ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَؤُهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ .

(1102) अमरा अपनी बहन से रिवायत करती हैं। उसका बयान है कि मैंने सूरह क़ाफ़ रसूल (ﷺ) के ज़ुबाने मुबारक ही से (सुन कर) याद की है। आप इसे हर जुमा (के ख़ुत्बा में) पढ़ा करते थे।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन अय्यूब और इब्ने अबी अर्रिजाल ने यहया बिन सईद से, उन्होंने अम्रा से, उन्होंने उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَابْنُ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ.

बिन नोमान से ऐसे ही रिवायत किया है।

(1102) तख़रीज : सही मुस्लिम: 872.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُخْتٍ، لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ أَكْبَرَ مِنْهَا بِمَعْنَاهُ .

(1103) यहया बिन सईद, अम्रा से, वह अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान की बहन से, जो उनसे बड़ी थी। इसके हम मानी रिवायत है।

(1103) तख़रीज : सही मुस्लिम.

तौज़ीह : अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान और उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा या तो रज़ाई बहन हैं या कोई और क़राबत दारी है।

﴾228﴿ باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ

बाब : 228 (दौराने ख़ुत्बा) मिम्बर पर हाथ उठाना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ رَأَى عُمَارَةُ بْنُ رُؤَيْبَةَ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ وَهُوَ يَدْعُو فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ عُمَارَةُ قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ . قَالَ زَائِدَةُ قَالَ حُصَيْنٌ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ يَعْنِي السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ.

(1104) जनाब हुसैन बिन अब्दुर्रहमान बयान करते हैं कि उमारा बिन रूऐबा ने बिश्र बिन मरवान को देखा कि वह जुमा के रोज़ (ख़ुत्बा के बीच में हाथ उठाकर) दुआ कर रहा था। (हाथ हिला रहा था) तो उमारा ने कहा: अल्लाह इन दोनों हाथों को रूस्वा करे ... ज़ायदा कहते हैं कि हुसैन ने कहा: मुझे उमारा ने बयान किया ... तहक़ीक़ मैंने रसूल (ﷺ) को देखा है कि आप उससे ज़्यादा नहीं करते थे। यानी सिर्फ़ शहादत की ऊँगली (उठाने पर इक्तेफ़ा करते थे) जो अंगूठे से मिली होती है।

(1104) तख़रीज : इब्ने अल मुलक्किन तोहफ़तुल मोहताज़, हदीस: 614, सही मुस्लिम.

फ़ायदा : ख़तीब का दौराने ख़ुत्बा में अपने हाथ हिला हिला कर लोगों से ख़िताब करना ख़िलाफ़े सुन्नत और ख़िलाफ़े अदबे जुमा है। सिर्फ़ शहादत की उँगली से इशारा साबित है। रहा ये इस्तेदलाल कि ख़ुत्बा के बीच में हाथ उठा कर दुआ करना मना है, अगरचे बाज़ रूवात इस तरफ़ गये हैं मगर ये इस्तेदलाल मरजूह है। क्योंकि नबी (ﷺ) से साबित है कि आपने इस्तिस्क़ा के लिये हाथ उठाकर दुआ फ़रमाई थी।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَاهِرًا يَدَيْهِ قَطُّ يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلاَ عَلَى غَيْرِهِ وَلَكِنْ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَعَقَدَ الْوُسْطَى بِالإِبْهَامِ .

(1105) हज़रत सहल बिन सअ़द (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को कभी नहीं देखा कि आपने मिम्बर पर या उसके अ़लावा दुआ करते हुए अपने दोनों हाथ उठाये हों। मैंने आपको देखा है कि आप यूँ करते थे और इशारा करके दिखाया कि आप शहादत की उँगली उठाते और दरम्यानी ऊँगली और अंगूठे का हल्क़ा बना लेते।

(1105) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/210, मुसनद अहमद: 5/337, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1450.

﴾229﴿ بَابُ إِقْصَارِ الْخُطَبِ

बाब : 229
ख़ुत्बा मुख़्तसर होना चाहिए

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِقْصَارِ الْخُطَبِ .

(1106) हज़रत अ़म्मार बिन यासिर (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको ख़ुत्बे मुख़्तसर रखने का हुक्म दिया।

(1106) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/320, हाकिम: 1/289.

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السُّوَائِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاَ يُطِيلُ الْمَوْعِظَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّمَا هُنَّ كَلِمَاتٌ يَسِيرَاتٌ .

(1107) हज़रत जाबिर बिन समुरा सुवाई (﵁) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमा के रोज़ लम्बा वाज़ न फ़रमाया करते थे बल्कि चंद मुख़्तसर से कलिमात हूआ करते थे।

(1107) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/207, 208, हाकिम: 1/289, 1101 में देखें, सही इब्ने अल मुलक़्किन तोहफ़तुल मोहताज़, हदीस: 626.

﴾230﴿ باب الدُّنُوِّ مِنَ الإِمَامِ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ

बाब : 230
वाज़ व ख़ुत्बा में इमाम के क़रीब होना

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ قَتَادَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَالِكٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الإِمَامِ فَإِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِنْ دَخَلَهَا " .

(1108) जनाब मुआज़ बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने अपने वालिद की बयाज़ में उनके हाथ का लिखा हूआ पाया और उनसे सुना नहीं। कि क़तादा ने कहा यहया बिन मालिक से वह समुरा बिन जुन्दुब (﵁) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमायाः 'ज़िक्र (ख़ुत्बा और वाज़) में हाज़िर हूआ करो और इमाम के क़रीब बैठा करो। इंसान (अगर ख़ैर के मक़ामात से) पीछे रहने को मामूल बना ले तो जन्नत में भी पीछे कर दिया जायेगा अगरचे उसमें दाख़िल हो ही जाये।'

(1108) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/11, हाकिम: 1/289.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुसलमान को भलाई और नेकी के कामों में सब्क़त करने का हरीस (ख़्वाहिशमंद) बनना चाहिए ताकि अल्लाह के यहाँ क़ुरबत में सब्क़त पाये। ख़ास कर जुमा और

उसका ख़ुत्बा सुनना बहुत बड़ी अहम नेकियों में से है। (2) इसी तरह इमाम और ख़तीब के क़रीब होकर बैठना भी बाइसे फ़ज़ीलत है।

बाब : 231
इमाम किसी ज़रूरत के बाइस ख़ुत्बे का तसलसुल तोड़ दे, तो जायज़ है

﴾231﴿
باب الإِمَامِ يَقْطَعُ الْخُطْبَةَ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

(1109) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें ख़ुत्बा दे रहे थे कि (इस बीच में) हज़रत हसन और हुसैन (رضي الله عنهما) सुर्ख़ क़मीसें पहने हूए आये। वह गिरते थे और उठते थे। तो आप मिम्बर से उतर पड़े, उनको पकड़ा और उन दोनों को लेकर मिम्बर पर तशरीफ़ लाये, फिर फ़रमाया: 'सच फ़रमाया अल्लाह ज़ूलजलाल ने: (इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकूम फ़ितनतुन) 'बिलाशुब्हा तुम्हारे अमवाल और तुम्हारी औलाद आज़माइश हैं।' मैंने इन दोनों को देखा तो सब्र न कर सका।' इसके बाद आपने फिर ख़ुत्बा देना शूरू कर दिया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ حُبَابٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رضى الله عنهما - عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَعْثُرَانِ وَيَقُومَانِ فَنَزَلَ فَأَخَذَهُمَا فَصَعِدَ بِهِمَا الْمِنْبَرَ ثُمَّ قَالَ " صَدَقَ اللَّهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ فَلَمْ أَصْبِرْ " . ثُمَّ أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ .

(1109) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3774.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी माक़ूल आरज़े (ज़रूरत) की बिना पर अगर ख़ुत्बे का तसलसुल टूट जाये या तोड़ना पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (2) हज़रात हस्नैन रसूलुल्लाह (ﷺ) के महबूब तरीन नवासे हैं, नबी (ﷺ) ने उनको अपनी 'राहते जान' (रैहानताय) फ़रमाया और जवानाने जन्नत के सरदार होने की बशारत दी है। उनके दिल नवाज़ तज़करे से हम अहले सुन्नत वल जमाअत अस्हाबुल

हदीस़ के चेहरे खिल उठते, सीने ठण्डे होते, आँखें अदब में झुक जाती और ज़बानें बेसाख़्ता (ﷺ) पुकारने लग जाती हैं। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो हमें इनसे अ़दमे मोहब्बत का तअ़ना देते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि हम मोहब्बत के नाम पर उन्हें सिफ़ाते इलाहिया से मुत्तसिफ़ नहीं करते कि उन्हें आ़लिमुल ग़ैब, मुश्किल कुशा, मुजीबुद दअ़वात या मुग़ीस़ (फ़रयाद रस) कहने लगें। अल्लाह तआ़ला हमें इफ़रात व तफ़रीत के शर से महफ़ूज़ रखे। और आख़िरत में इन मक़बूलाने इलाही और महबूबाने रसूलुल्लाह (ﷺ) की रफ़ाक़त से सरफ़राज़ फ़रमाये। आमीन!

बाब : 232
ख़ुत्बे के दौरान में इहतिबा (मना है)

﴿232﴾ باب الاِحْتِبَاءِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَرْحُومٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحُبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ.

(1110) सहल बिन मुआ़ज़ बिन अनस अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जुमा के रोज़ जब इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो हुबवा (बैठने की एक सूरत) से मना फ़रमाया है।

(1110) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 514.

फ़ायदा : (इहतिबा या हुबवा) इस अन्दाज़ के बैठने को कहते हैं कि इंसान अपने घुटने इकट्ठे करके सीने से लगा ले और फिर हाथों से उन पर हल्क़ा बना ले या कमर और घुटनों के गिर्द कपड़ा लपेट ले। इसको इहतिबा और हुबवा से ताबीर किया जाता है। ये बैठना बेपरवाही और अ़दमे तवज्जोह की अ़लामत समझी जाती है, नीज़ ऊँघ भी आने लगती है। तहबंद न पहने हों तो सतर खुलने का भी अन्देशा रहता है और कुछ औक़ात इंसान बेवुज़ू भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, अलग़र्ज़ जुमा में बिलख़ुसूस इस तरह बैठना मना है।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ

(1111) जनाब याला बिन शद्दाद बिन औस कहते हैं कि हज़रत मुआ़विया (ﷺ) के साथ बैतुल मक़दिस में हाज़िर था। उन्होंने हमें जुमा पढ़ाया। मैंने देखा कि मस्जिद में हाज़िरीन की अक्स़रीयत अस्हाबे नबी (ﷺ) की थी। मैंने

شَهِدْتُ مَعَ مُعَاوِيَةَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَجَمَّعَ بِنَا فَنَظَرْتُ فَإِذَا جُلُّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَيْتُهُمْ مُحْتَبِينَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْتَبِي وَالإِمَامُ يَخْطُبُ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَشُرَيْحٌ وَصَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَمَكْحُولٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَنُعَيْمُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهَا إِلاَّ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ .

उन्हें देखा कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा था और वह इहतिबा की हालत में बैठे हूए थे।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने ऊमर(ﷺ) ख़ुत्बा के बीच में इहतिबा की हालत में बैठा करते थे। अनस बिन मालिक (ﷺ) और शुरैह, सअसअ बिन सूहान, सईद बिन मुसय्यब, इब्राहीम नख़ई, मकहूल, इस्माईल बिन मुहम्मद बिन सअद और नुऐम बिन सलामा का कहना है कि इसमें कोई हर्ज नहीं।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जनाब ऊबादा बिन नुसय (रह.) (ताबेई) के अलावा मुझे किसी के मुताल्लिक़ मालूम नहीं हूआ कि उन्होंने इस तरह बैठने को मकरूह कहा हो।

(1111) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़वाइद व मसाइल : (1) इससे मालूम होता है कि इस मसले में तवस्सोअ (गुन्जाइश) है बिलख़ुसूस जबकि महज़ूरात (ममनूअ और नाजायज़ उमूर) में पड़ने का अन्देशा न हो। इसके अलावा ये हदीस भी ज़ईफ़ है। बहरहाल बेहतर यही है कि एहतिबा और हुबवा जैसी नशिस्त (बैठने) से बचा जाये। (2) अमीर मुआविया (ﷺ) के ख़ुत्बे के दौरान में अक्सरीयत का अस्हाबे रसूल होना अमीरे मुआविया के मक़बूल और पसन्दीदा होने की अलामत है।

233 بَابُ الْكَلاَمِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

बाब : 233 ख़ुत्बे के दौरान में बातचीत

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا قُلْتَ

(1112) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम ये कहो कि ख़ामोश हो जाओ और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो तुमने लग़्व काम किया।'

(1112) तख़रीज : (सनद सही) नसाई,

أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ " .

हदीस: 1578, मौता, हदीस: 13, बुख़ारी, हदीस: 934, व सही मुस्लिम: 851.

फ़ायदा : ख़ुत्बा के दौरान में ख़तीब को सुनना चाहिए और उसके ज़िम्मे है कि लोगों पर नज़र रखे और उम्र बिल मारूफ़ व नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअन्जाम दे। किसी को ख़ामोश कराना अगरचे अम्र बिलमारूफ़ है मगर सामेअ को इसकी भी इजाज़त नहीं। मगर ये कि ख़तीब का इस तरफ़ ख़्याल न हो या ग़फ़लत करे तो इशारे से ख़ामोश करा दे। अगर इशारा न समझता हो तो बेहद मुख़्तसर अल्फ़ाज़ से मना कर दे। (औनूल माबूद)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ { مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا } " .

(1113) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से, वह नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जुमा में तीन तरह के अफ़राद आते हैं। एक वह शख़्स जो लग़्व काम करता है उसका यही हिस्सा है। दूसरा दुआ के लिये आता है, ये दुआ करता है अल्लाह चाहे तो अता फ़रमाये और चाहे तो महरूम रखे। और तीसरा वह शख़्स जो ख़ामोशी से सुनता और खामूशी इख़्तियार करता है। किसी मुसलमान की गर्दन फलांगता है न किसी को तक्लीफ़ देता है। इस आदमी के लिये ये जुमा आइन्दा जुमा तक के लिये और मज़ीद तीन दिन के लिये कफ़्फ़ारा है। और ये इसलिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया: (मन जाअ बिलहसनति फ़लहु अशरू अमसालिहा) जो एक नेकी लाता है उसके लिए उसका दस गुना (अज्र) है।'

(1113) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/214, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1813.

बाब : 234
जिस का वुज़ू टूट जाये वह इमाम को किस तरह ख़बर देकर जाये

﴾234﴿ باب اسْتِئْذَانِ الْمُحْدِثِ الإِمَامَ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ " . لَمْ يَذْكُرَا عَائِشَةَ رضى الله عنها .

(1114) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जब कोई अपनी नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये, तो चाहिए कि अपनी नाक पर हाथ रखे और चला जाये।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को हम्माद बिन सलमा और अबू उसामा ने अन हिशाम अन अबीहअनिन्नबी (ﷺ) की सनद से रिवायत किया है। इसमें है कि 'जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो।' उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।

(1114) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1222, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1019, इब्ने हिब्बान, हदीस: 205, 206, हाकिम: 1/184, 260.

फ़ायदा : यानी इस मामले में नमाज़ और ख़ुत्बे का मसला तक़रीबन एक ही है। और बेवुज़ू हो जाने की सूरत में नाक पर हाथ रख कर चले जाना बयाने उज़्र की एक अलामत बताई गई है।

बाब : 235
जब कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो ...

﴾235﴿ باب إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، - وَهُوَ ابْنُ دِينَارٍ - عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ

(1115) सय्यदना जाबिर (ﷺ) का बयान है कि जुमा के दिन एक शख़्स आया और नबी (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने उससे

रَجُلاً، جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ " أَصَلَّيْتَ يَا فُلاَنُ " . قَالَ لاَ . قَالَ " قُمْ فَارْكَعْ " .

फ़रमायाः 'ऐ फ़लां! क्या तुमने नमाज़ पढ़ी है?' उसने कहाः नहीं। आपने फ़रमायाः 'खड़े हो जाओ और नमाज़ पढ़ो।'

(1115) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 930, व स़ही मुस्लिम: 875.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالاَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ " أَصَلَّيْتَ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِمَا " .

(1116) जनाब आमश, अबू सुफ़ियान से, वह हज़रत जाबिर (ﷺ) से, नीज़ आमश, अबू स़ालेह से, वह हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से दोनों का बयान है कि सुलैक ग़तफ़ानी (ﷺ) आये जबकि रसूल (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे, आपने उनसे कहाः 'क्या तुमने कोई नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहाः नहीं। आपने फ़रमायाः 'मुख़्तस़र सी दो रकअतें पढ़ लो।'

(1116) तख़रीज : इब्ने माजा, हदीस़: 1114, व स़ही मुस्लिम: 875.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ أَنَّ سُلَيْكًا، جَاءَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِمَا" .

(1117) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान कर रहे थे कि जनाब सुलैक आये। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया। मज़ीद कहा कि फिर नबी (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हूए और फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई आये और इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो उसे चाहिए कि मुख़्तस़र सी दो रकअतें पढ़े।

(1117) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/297, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़वाइद व मसाइल : (1) ख़ुत्ब–ए–जुमा से पहले नवाफ़िल की कोई तादाद मुक़र्रर नहीं है। कम अज़ कम दो रकअ़त तहियतुल मस्जिद लाज़िमन पढ़नी चाहिए। ये निहायत ताकीदी है, यहाँ तक कि

अगर इमाम ख़ुत्बा दे रहा हो तो भी मुख़्तसर सी दो रकअत पढ़ कर बैठे। मगर ये कि ख़ुत्बा फ़ौत हो जाये तो जमाअत में शामिल हो जाये। **(2)** इमाम ख़ुत्बा के बीच में अच्छाई का हुक्म और बुराइयों से रोकने का फ़रीज़ा सरअंजाम दे और लोगों को शरीयत के मसाइल से आगाह करे, मगर जिस बात की तफ़्सील मालूम न हो तो पहले मालूम कर ले फिर हुक्म दे जैसे कि नबी (ﷺ) ने पहले दरयाफ़्त फ़रमाया कि 'क्या तुमने नमाज़ पढ़ी है?' **(3)** इस हदीस से ये इस्तेदलाल भी किया जाता है कि तहियतुल मस्जिद ममनूअ औक़ात में भी पढ़ी जाये, किसी वक़्त तर्क न की जाये।

बाब : 236
जुमा के रोज़ (ख़ुत्बा के बीच में) लोगों की गर्दनें फलाँगना मना है

﴾236﴿
باب تَخَطِّي رِقَابِ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1118) अबू अज़्ज़ाहिरिया बयान करते हैं कि एक (बार) जुमा के दिन हम हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (ﷺ) के साथ थे। एक शख़्स लोगों की गर्दनें फलाँगता हूआ आया, तो हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने बयान किया कि जुमा के रोज़ एक आदमी लोगों की गर्दनें फ़लाँगता हूआ आया जब कि नबी (ﷺ) ख़ुत्बा दे रहे थे, तो नबी (ﷺ) ने उससे कहा: 'बैठ जाओ तुमने तक़्लीफ़ दी।'

(1118) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1400, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1811, इब्ने हिब्बान, हदीस: 572, हाकिम: 1/288.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، قَالَ كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमा में देर से आना और फिर लोगों की गर्दनें फलांगते हूए आगे जगह लेने की कोशिश करना इन्तेहाई ना पसन्दीदा काम है। मुसलमान का इकराम वाजिब है और उसे तक़्लीफ़ देना हराम है। हाँ अगर लोग जहालत की बिना पर अगली सफ़ें छोड़ कर पीछे बैठ जायें तो ऐसे लोगों की गर्दनें फलाँगना जायज़ होगा क्योंकि उन्होंने अज़ ख़ूद अपनी हुरमत पामाल की, पीछे

बैठे और अगली सफ़ें पूरी नहीं कीं। (2) अलबत्ता ख़तीब इमाम को शरई ज़रूरत के तहत इस अमल की रूख़्सत है। ऐसे ही जो बेवुज़ू हो जाये तो बाहर जाना उसके लिये ज़रूरी हो जाता है, मगर फिर भी अदब व इकराम से गुज़रे।

﴿237﴾ باب الرَّجُلِ يَنْعَسُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

बाब : 237
ख़ुत्बे के दौरान में किसी को ऊँघ आने लगे तो ...?

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ " .

(1119) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमाते थे: 'जब किसी को ऊँघ आने लगे और वह मस्जिद में हो तो चाहिए कि अपनी जगह बदल कर किसी और जगह बैठ जाये।'

(1119) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 526, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1819, इब्ने हिब्बान, हदीस: 571, हाकिम: 1/291.

फ़ायदा : ऊँघ या नींद दूर करने का एक और तरीक़ा भी हो सकता है कि वुज़ू कर ले।

﴿238﴾ باب الإِمَامِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ

बाब : 238
मिम्बर से उतरने के बाद इमाम किसी से कोई बात करे

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، - هُوَ ابْنُ حَازِمٍ لاَ أَدْرِي كَيْفَ قَالَهُ مُسْلِمٌ أَوْ لاَ - عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ فَيَعْرِضُ لَهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيَقُومُ مَعَهُ

(1120) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मिम्बर से उतरते और कोई शख़्स अपनी ज़रूरत से आपके पास आ जाता तो आप उसके साथ खड़े हो जाते, यहाँ तक कि वह अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता, फिर आप (मुसल्ले पर) खड़े होते और नमाज़ पढ़ाते।

حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ ثَابِتٍ هُوَ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ.

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि साबित से ये हदीस मारूफ़ नहीं है। जरीर बिन हाज़िम इस बयान में मुन्फ़रिद (तन्हा) है।

(1120) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 517, नसाई, हदीस: 1420, इब्ने माजा, हदीस: 1117, बैहक़ी: 3/224, व सही मुस्लिम: 876.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इस क़िस्म का एक वाक़िया, जिसमें दौराने ख़ुत्बा, ख़ुत्बा छोड़ कर साइल से गुफ़्तगू करने का ज़िक्र है, सही मुस्लिम में है। इसके अलावा इस क़िस्म का वाक़िया किसी नमाज़ के मौक़े पर भी पेश आया था। जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी में है कि 'नमाज़ की इक़ामत कह दी गई तो एक शख़्स ने नबी (ﷺ) का हाथ पकड़ लिया और आपसे बातें करने लगा, यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी।' (तिर्मिज़ी हदीस: 518, अबू दाऊद, हदीस: 201) और मसला यूँ ही है कि अगर इमाम या कोई और शख़्स कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, मगर अहले जमाअत को अज़ीयत (तक्लीफ़) नहीं होनी चाहिए।

﴿239﴾ بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً

बाब : 239
जिस शख़्स को जुमे की एक रकअत मिल जाये

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ " .

(1121) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने नमाज़ से एक रकअत पा ली उसने नमाज़ पा ली।'

(1121) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 580, मौता: 1/10, व सही मुस्लिम: 607.

फ़ायदा : जिस शख़्स ने जुमा, जमाअत और नमाज़ के वक़्त में एक रकअत पा ली उसने नमाज़ की अदायगी और फ़ज़ीलत पा ली। इसी तरह जुमा की एक रकअत पाये तो एक रकअत और पढ़े वरना चार रकअत मुकम्मल करे। अइम्मा किराम सुफ़ियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफ़ेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) यही बयान करते हैं। अल्लामा मुहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी ने मस्लके अहनाफ़ को तर्जीह दी है कि मुक़तदी इमाम के साथ नमाज़ का कुछ हिस्सा भी पा ले चाहे तशहहुद ही क्यों न हो तो वह बाक़ी नमाज़ दो रकअत ही जुमा की पूरी करेगा और ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा। वल्लाहू आलम!

बाब : 240
नमाज़े जुमा में क़िराअत

﴾240﴿
باب مَا يُقْرَأُ بِهِ فِي الْجُمُعَةِ

(1122) हज़रत नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदैन और जुमा की नमाज़ में सूरह (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) तिलावत फ़रमाया करते थे। बयान किया कि कुछ औक़ात ईद और जुमा इकट्ठे हो जाते तो भी यही सूरतें पढ़ते।
(1122) तख़रीज : सही मुस्लिम: 878.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } قَالَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا .

(1123) जनाब ज़हहाक बिन क़ैस ने हज़रत नोमान बिन बशीर (رضي الله عنه) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमा के रोज़ सूरह जुमा की तिलावत के बाद कौन सी सूरह पढ़ा करते थे। कहा कि (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) (यानी दूसरी रकअत में) पढ़ते थे।
(1123) तख़रीज : मौता: 1/111, व सही मुस्लिम: 878.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، سَأَلَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى إِثْرِ سُورَةِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ كَانَ يَقْرَأُ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .

(1124) इब्ने अबी राफ़े बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने हमें जुमा पढ़ाया तो उन्होंने सूरह जुमा और दूसरी रकअत में (इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून) की तिलावत की। इब्ने अबी राफ़े कहते हैं कि नमाज़ के

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ { إِذَا

جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ } قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ .

बाद में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है कि आप भी जुमा के रोज़ (नमाज़े जुमा में) ये सूरतें पढ़ा करते थे।

(1124) तख़रीज : सही मुस्लिम: 877.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ दफ़ा जुमे की नमाज़ में ये दोनों सूरतें भी पढ़ी हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ } .

(1125) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े जुमा में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और (हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे।

(1125) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1422.

फ़ायदा : नमाज़ में क़ुर्आने करीम में से कहीं से पढ़ लिया जाये तो नमाज़ बिलाशुब्हा सही और दुरूस्त है, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) की इख़्तियार करदा क़िराअत को आदत बनाना नबी (ﷺ) और आपकी सुन्नत से मोहब्बत की अलामत और अल्लाह तआला के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अज्र का ज़रीया है। और इसमें जो लज़्ज़त और शर्फ़ है वह अस्हाबुल हदीस ही का नसीबा है। कस्सरल्लाहु सवादहुम!

﴿241﴾ باب الرَّجُلِ يَأْتَمُّ بِالإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا جِدَارٌ

बाब : 241
इमाम और मुक़तदी के दरम्यान दीवार हाइल हो तो इक़्तेदा का हुक्म?

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ

(1126) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हुज्रा (ऐतकाफ़) में नमाज़ पढ़ी और लोग हुज्रे से बाहर आपकी इक़्तेदा कर रहे थे।

صلى الله عليه وسلم فِي حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ .

(1126) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 729, मुसनद अहमद: 6/30.

फ़ायदा : जब नमाज़ियों की सफ़ें मुत्तसिल (मिली हुई) हों और सफ़ों के दरम्यान कोई पर्दा या दीवार हाइल हो, ख़्वाह इमाम और मुक़्तदियों के दरम्यान ही ये सूरत हो और उन्हें इमाम के अहवाल की बख़ूबी ख़बर हो तो इक़्तेदा जायज़ है जैसे आजकल मसाजिद कई कई मन्ज़िला बन गई हैं या औरतें पर्दे के पीछे होती हैं। मगर रेडियो, टी.वी. के ज़रिये से इक़्तेदा जायज़ नहीं। क्योंकि मुत्तसिल नहीं होती हैं। इसके अलावा टी.वी. के ज़रिये से इन इबादात को टेलीकास्ट (नशर) करना ही शरअन सख़्त महल्ले नज़र (डाऊटफुल) है, टी.वी. की स्क्रीन पर नमूदार होने वाले शख़्स को इमाम बनाना क्यों कर सही होगा।

﴿242﴾ بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

बाब : 242 जुमे के बाद नमाज़ का बयान

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ أَتُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(1127) जनाब नाफ़े (रह.) बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) उसी जगह दो रकअतें पढ़ रहा था, तो आपने उसे हटा दिया और कहा: क्या तू जुमे की चार रकअतें पढ़ता है? हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) अपने घर में दो रकअतें पढ़ा करते थे और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे ही किया है।

(1127) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1430.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन उसी जगह नवाफ़िल नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि जगह बदल ली जाये या किसी से बात चीत या अज़कार के ज़रिये से वक़्फ़ा किया जाये। **(2)** जुमा के बाद घर में जाकर दो रकअतें पढ़ना सुन्नत है। **(3)** उलमा के ज़िम्मे है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा हिम्मत से अदा किया करें। लेकिन इस बड़े मक़सद के लिये ज़रूरी है कि

दूसरे लोगों को उसकी तल्क़ीन करने से पहले अपने आप को इस का अहल साबित करें, यानी अपने अख़्लाक़, किरदार और आमाल को सुन्नते मुतह्हरा के मुताबिक़ बनायें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلاَةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(1128) जनाब नाफ़े का बयान है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) जुमा से पहले लम्बी नमाज़ पढ़ा करते थे और जुमे के बाद घर जाकर दो रकअतें पढ़ते और बयान करते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यही किया करते थे।

(1128) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अल मुलक्क़िन तोहफ़तुल मोहताज: 1/398, हदीस: 433, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ابْنِ أُخْتِ نَمِرٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَىْءٍ، رَأَى مِنْهُ مُعَاوِيَةُ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَقَالَ لاَ تَعُدْ لِمَا صَنَعْتَ إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِذَلِكَ أَنْ لاَ تُوصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ أَوْ يَخْرُجَ .

(1129) जनाब उमर बिन अता बिन अबी अलख़ुवार से रिवायत है कि जनाब नाफ़े बिन जुबैर ने उनको नमिर के भाँजे जनाब साइब बिन यज़ीद के पास भेजा, ये पूछने के लिये कि वह क्या बात थी जो हज़रत मुआविया (ﷺ) ने उनसे नमाज़ में देखी थी। तो उन्होंने कहा: मैंने हज़रत मुआविया (ﷺ) की मईयत में उनके मक़सूरा में जुमा की नमाज़ पढ़ी, सलाम के बाद मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया और नमाज़ पढ़ी। जब वह अपनी मन्ज़िल में आये तो मुझे बुलवाया और कहा: जो कुछ तुमने किया है ऐसे फिर मत करना, जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे नमाज़ के साथ मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर लो या वहाँ से चले जाओ। बिलाशुब्हा नबी (ﷺ) ने इसका हुक्म दिया है कि एक नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया जाये, यहाँ तक कि तुम कोई बात कर लो या वहाँ से निकल जाओ।

(1129) तख़रीज : सही मुस्लिम: 883.

फ़ायदा : अहले इल्म के लिये ज़रूरी और बेहतर है कि मसला बयान करते या फ़तवा देते हुए वह दलील बयान करें, ताकि सामेईन को इल्म, बसीरत और पूरा इत्मीनान हासिल हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى أَرْبَعًا وَإِذَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ صَلَّى الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(1130) जनाब अ़ता हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि वह जब मक्के में होते, और जुमा पढ़ते तो आगे बढ़ कर दो रकअ़तें पढ़ते, फिर आगे बढ़ते और चार रकअ़तें पढ़ते और जब मदीने में होते और जुमा पढ़ते तो उसके बाद घर लौट जाते और दो रकअ़तें अदा करते और मस्जिद में न पढ़ते। आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा गया तो कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे।

(1130) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 3/240, 241, इब्ने अलमुलक्किन तोहफ़तुल मोहताज़: 1/397, 398, हदीस: 430, तिर्मिज़ी, हदीस: 523.

फ़वाइद व मसाइल : सहाबा किराम (ﷺ) दीन के अमीन थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पैरवी करने वाले थे, आपके आ़माल पर नज़र रखी जाती थी और तफ़सील व दलील भी पूछी जाती थी। उनके बाद उ़लामा–ए–उम्मत इस अमानत के वारिस हैं। लोग उनके किरदार को दीनी नज़र से देखते और देखना पसन्द करते हैं। तो चाहिए कि तलबा–ए–दीन और उ़लमा–ए–शरीयत सही सुन्नते नबवी को अपना मामूल बनायें ताकि लोगों को सही अ़मली नमूना मिले और इसका अज्र अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ही के यहाँ मिलने वाला है। आ़म मुसलमानों के भी ज़िम्मे है कि मसाइल व आ़माल में क़ुरआन व सुन्नते सहीहा की दलील तलब करें। क्योंकि उ़लमा किसी सूरत में भी मासूम नहीं हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(1131) सहल अपने वालिद अबू सालेह से, वह हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत करते हैं। उन्होंने कहा (इब्ने सब्बाह के अल्फ़ाज़ हैं) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जुमे के बाद नमाज़ पढ़ना चाहे तो

الله عليه وسلم - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ - " مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا " . وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ " إِذَا صَلَّيْتُمُ الْجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا " . قَالَ فَقَالَ لِي أَبِي يَا بُنَىَّ فَإِنْ صَلَّيْتَ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَيْتَ الْمَنْزِلَ أَوِ الْبَيْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ".

चार रकअत पढ़े।' और इब्ने सब्बाह की हदीस मुकम्मल हूई। (अहमद बिन यूनुस की हदीस के अल्फ़ाज़ हैं) 'जब तुम जुमा पढ़ लो तो उसके बाद चार रकअतें पढ़ो।' मेरे वालिद (अबू सालेह) ने मुझ से कहा: बेटे! अगर मस्जिद में पढ़ो तो दो रकअत पढ़ो, फिर जब घर आओ तो दो रकअतें और पढ़ो।

(1131) तख़रीज : सही मुस्लिम: 881.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

(1132) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुमा के बाद अपने घर में दो रकअतें पढ़ा करते थे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन दीनार ने भी हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है।

(1132) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1429, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 5527, तिर्मिज़ी, हदीस: 434, बुख़ारी, हदीस: 1165, व सही मुस्लिम: 882.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَيَنْمَازُ عَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي، صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ قَلِيلاً غَيْرَ كَثِيرٍ قَالَ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَمْ رَأَيْتَ ابْنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذَلِكَ قَالَ

(1133) अता (रह.) बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को देखा कि वह जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते तो अपनी उस जगह से, जहाँ उन्होंने जुमा पढ़ा होता कुछ हट जाते और दो रकअतें पढ़ते और फिर उससे थोड़ा सा हट जाते और चार रकआत पढ़ते। मैंने अता से पूछा: आपने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को ऐसा करते हूए कितनी बार देखा है? उन्होंने कहा: कई बार।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को

مِرَارًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَلَمْ يُتِمَّهُ .

अ़ब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान ने भी रिवायत किया है मगर मुकम्मल बयान नहीं किया।

(1133) तख़रीज : (सनद सहीह) तिर्मिज़ी, हदीस: 523.

तौज़ीह : जुमा के बाद सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना अ़मल घर जाकर दो रकआत पढ़ने का है और उम्मत को चार रकआत की तर्ग़ीब दी है, बग़ैर इस फ़र्क़ के कि मस्जिद में पढ़ी जायें या घर में। हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ग़ालिबन नबी (ﷺ) के अ़मल और क़ौल दोनों को जमा कर लेते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के सरीह फ़रमान या अ़मल से छः रकआत पढ़ना साबित नहीं है। बहरहाल चार रकआत अफ़ज़ल और राजेह हैं। (देखिये मिर्आतुल मफ़ातीह, हदीस: 1175) और कुछ ने ये हल निकालने की कोशिश भी की है कि मस्जिद में पढ़नी हों तो चार रकअ़तें और घर जाकर पढ़नी हों तो दो रकअ़तें पढ़ी जायें।

﴿243﴾ باب صَلاَةِ الْعِيدَيْنِ

बाब : 243 नमाज़े ईदैन के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ " مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ " . قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ " .

(1134) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना में तशरीफ़ लाये और उन लोगों के यहाँ दो दिन थे कि वह उनमें खेल कूद किया करते थे। आपने पूछा: 'ये दो दिन क्या हैं?' उन्होंने कहा कि हम दौरे जाहिलीयत में इन दिनों में खेल कूद किया करते थे। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हें इनके बदले उनसे अच्छे दिन दिये हैं। अज़हा (क़ुर्बानी) का दिन और फ़ित्र का दिन।'

(1134) तख़रीज : (सनद सहीह) नसाई, हदीस: 1557, मुसनद अहमद: 3/250 हाकिम: 1/294.

फ़ायदा : इस्लाम ने जाहिलीयत के तमाम प्रचलित रस्मों को हक़ के साथ बदल दिया है, तो

मुसलमान को इसी हक़ के साथ तमस्सुक करना चाहिए। इससे ये भी मालूम हूआ कि शरई ईदों की तादाद सिर्फ़ दो है, बाक़ी सब ख़ूदसाख़्ता (ख़ूद के बनाये हुए) हैं।

﴾244﴿ بَاب وَقْتِ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدِ

बाब : 244 ईद के लिये जाने का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الرَّحْبِيُّ، قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ النَّاسِ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الإِمَامِ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ .

(1135) जनाब यज़ीद बिन ख़ुमैर अर्रहबी बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र(ﷺ) सहाबी–ए–रसूल लोगों के साथ ईद फ़ित्र या ईदे अज़हा के लिये तशरीफ़ लाये तो इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने नापसन्द किया और कहा: हम तो उस वक़्त फ़ारिग़ हो चुके होते थे, यानी इश्राक़ के वक़्त।

(1135) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1317, मुसनद अहमद: 2/688, हदीस: 3075, हाकिम, हदीस: 1/295.

फ़ायदा : नमाज़े ईद में बहुत ज़्यादा ताख़ीर करना अच्छा नहीं है।

﴾245﴿ بَاب خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ

बाब : 245 औरतों का ईद के लिये जाना

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَحَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، وَهِشَامٍ، - فِي آخَرِينَ - عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى

(1136) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन, हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि पर्दे में बैठी हूई औरतों को भी ईद के दिन साथ ले जायें। पूछा गया कि जो

الله عليه وسلم أَنْ نُخْرِجَ ذَوَاتِ الْخُدُورِ يَوْمَ الْعِيدِ . قِيلَ فَالْحُيَّضُ قَالَ " لِيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لإِحْدَاهُنَّ ثَوْبٌ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ " تُلْبِسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبِهَا"

अय्याम (पिरियड) में हों? आपने फ़रमायाः 'वह भी ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में शरीक हों।' एक औरत कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास (पर्दे के लिये) चादर न हो तो वह कैसे करे? आपने फ़रमायाः 'उसकी सहेली उसे अपनी चादर का एक हिस्सा ओढ़ा दे।'

(1136) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 974, व सही मुस्लिम: 890.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ईद के दिनों में औरतों का ईदगाह में जाना मुस्तहब है मगर पर्दे में, ख़ुशबू और आवाज़दार ज़ेवर के बग़ैर। **(2)** 'दावतुल मुस्लेमीन' में इज्तेमाई दुआ का सबूत है। मगर मुरव्वजा तरीक़े से नहीं। **(3)** दुआ के लिये तहारत ज़रूरी नहीं, इसके बग़ैर भी दुआ करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ " وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّوْبَ . قَالَ وَحَدَّثَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُهُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى قَالَتْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى فِي الثَّوْبِ .

(1137) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) ने यही हदीस बयान की (मुहम्मद बिन सीरीन ने) कहा और अय्याम (पिरियड) वाली ख़्वातीन नमाज़ के मक़ाम से अलग रहें। और कपड़े का ज़िक्र नहीं किया। और (हम्माद ने बवास्ता अय्यूब) हफ़्सा बिन्ते सीरीन से, उन्होंने एक ख़ातून से, उन्होंने एक दूसरी ख़ातून से रिवायत किया, कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! और कपड़े के बारे में मूसा बिन इस्माईल की रिवायत के हम मानी बयान किया।

(1137) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर अत्तमहीद, हदीस: 23/403.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ

(1138) हज़रत उम्मे अतिया (ﷺ) बयान

الأَحْوَلُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ.

करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था। और ये हदीस़ बयान की। और कहा कि हैज़ वालियाँ लोगों के पीछे हों और लोगों के साथ तकबीरें कहें।

(1138) **तख़रीज :** बुख़ारी, हदीस़: 971, व सही मुस्लिम.

फ़ायदा : औरतों के लिये अय्यामे मख़्सूसा (माहवारी के दिनों) में तकबीरात और अल्लाह का ज़िक्र मुबाह और मशरूअ है। इसके लिए तहारत ज़रूरी नहीं है।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ - وَمُسْلِمٌ قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فِي بَيْتٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكُنَّ . وَأَمَرَنَا بِالْعِيدَيْنِ أَنْ نُخْرِجَ فِيهِمَا الْحُيَّضَ وَالْعُتَّقَ وَلاَ جُمُعَةَ عَلَيْنَا وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

(1139) इस्माईल बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़तिया अपनी दादी हज़रत उम्मे अ़तिया (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब मदीने में तशरीफ़ लाये तो अन्सार की ख़्वातीन को एक घर में जमा किया और हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को हमारी तरफ़ भेजा। वह दरवाज़े पर खड़े हुए, हमको सलाम किया, हमने सलाम का जवाब दिया, फिर उन्होंने कहा: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का मैसेंजर हूँ। आपने मुझे तुम्हारी तरफ़ भेजा है। आपने हमें (औरतों को) ईदों के बारे में हुक्म दिया कि अय्याम वालियों और नोख़ैज़ लड़कियों को भी ईदगाह ले के चलें। जुमा हम पर नहीं है और जनाज़ों में जाने से हमें मना फ़रमाया।

(1139) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 5/85, 6/408, 409, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1722.

बाब : 246
ईद के रोज़ ख़ुत्बा

﴾246﴿
باب الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانُ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانُ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمِنْبَرَ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلاَةِ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلاَنُ بْنُ فُلاَنٍ . فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

(1140) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने कहा कि मरवान ने ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा देना शुरू किया। एक शख़्स खड़ा हूआ और उसने कहा: ऐ मरवान! तुमने सुन्नत की मुख़ालिफ़त की है। ईद के रोज़ मिम्बर निकलवाया है जबकि इस दिन ये न निकाला जाता था और नमाज़ से पहले ख़ुत्बे से इब्तेदा की है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने पूछा: ये कौन है? लोगों ने कहा: ये फ़लां बिन फ़लां है। उन्होंने कहा: उसने अपना फ़रीज़ा अदा कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है आप फ़रमा रहे थे: '(तुममें से) जो कोई बुराई देखे और उसे अपने हाथ से दूर कर सकता हो तो हाथ से दूर करे। अगर उसकी इस्तेताअत न हो तो ज़बान से रोके और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से बुरा जाने। और ये कमज़ोर तरीन ईमान है।'

(1140) तख़रीज : सही मुस्लिम: 49.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सही बुख़ारी में है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने भी मरवान को ईद से पहले ख़ुत्बा देने से मना किया था। (सही बुख़ारी, हदीस: 956) और इस रिवायत में इंकार करने वाले का नाम उमारा बिन रूवैबा या अबू मसऊद (ﷺ) है (औनूल माबूद) (2) सहाबा किराम (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नतों की मुख़ालिफ़त बेहद गिरां गुज़रती थी। (3) 'दिल बुरा जाने'

का मफ़हूम ये है कि इरादा रखे कि जब भी मौक़ा मिला, इस बुराई को ख़त्म करके रहूंगा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلاَلٍ وَبِلاَلٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ تُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ الصَّدَقَةَ قَالَ تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ وَقَالَ ابْنُ بَكْرٍ فَتَخَتَهَا .

(1141) जनाब अ़ता, हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि मैंने उनको सुना बयान करते थे कि नबी (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के रोज़ खड़े हूए और नमाज़ पढ़ाई। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ से इब्तेदा फ़रमाई फिर लोगों को ख़ुत्बा दिया। जब अल्लाह के नबी (ﷺ) फ़ारिग़ हूए तो उतरे और औरतों के पास आये और उन्हें वाज़ व नसीहत फ़रमाई, आप हज़रत बिलाल (ﷺ) के हाथ का सहारा लिये हूए थे और बिलाल अपना कपड़ा फैलाये हूए थे। औरतें उसमें अपने सदक़ात डालती जाती थीं। कोई अपनी अंगूठी डालती थी, कोई कुछ और कोई कुछ। इब्ने बक्र ने (फ़तख़हा की बजाये) फ़तख़तहा का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया। (यानी अंगूठी)

(1141) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 978, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 5631, मुसनद अहमद: 2/296, व सही मुस्लिम: 884.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** नमाज़े ईद से पहले ख़ुत्बा देना और उसका नाम 'बयान या तक़रीर' रखना सब ही ख़िलाफ़े सुन्नत है। **(2)** औरतों तक अगर ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुँचने का अन्देशा हो तो उनके लिये वाज़ व नसीहत का अलग तौर पर एहतिमाम करना जायज़ है। **(3)** इस्लामी मुआशरा में शरई और इज्तेमाई उमूर के लिये सदक़ात व अतियात जमा करना कोई मायूब काम नहीं। **(4)** ख़्वातीन अपने शौहरों की इजाज़त के बग़ैर भी थोड़ा बहुत सदक़ा कर सकती हैं।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ

(1142) जनाब अ़ता से रिवायत है वह कहते हैं: मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) पर शहादत देता हूँ और इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) पर शहादत दी कि आप

وَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ . قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَكْبَرُ عِلْمِ شُعْبَةَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ .

ईदुल फ़ितर के दिन निकले, नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्बा दिया, उसके बाद औरतों के पास आये और बिलाल (ﷺ) आपके साथ थे। इब्ने कसीर ने कहा: शोबा का ग़ालिब गुमान है कि (अय्यूब ने ये जुम्ला भी कहा था कि) आप (ﷺ) ने उन ख़वातीन को सदक़ा करने का हुक्म दिया तो वह (अपने सदक़ात बिलाल के कपड़े में) डालने लगीं।

(1142) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 98, व सही मुस्लिम: 884.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَمَشَى إِلَيْهِنَّ وَبِلاَلٌ مَعَهُ فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ فِي ثَوْبِ بِلاَلٍ .

(1143) अय्यूब ने अता से उन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से ऊपर दी गई हदीस के हम मानी बयान किया। इब्ने अब्बास कहते हैं कि आपको ख़याल हूआ कि औरतों ने (आपका ख़ुत्बा) नहीं सुना है तो आप उनकी तरफ़ चले और बिलाल आपके साथ थे। आपने उन्हें वाज़ फ़रमाया और सदक़ा करने का हुक्म दिया, तो कोई बिलाल के कपड़े में अपनी बाली डाल रही थी तो कोई अपनी अंगूठी।

(1143) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُعْطِي الْقُرْطَ وَالْخَاتَمَ وَجَعَلَ بِلاَلٌ يَجْعَلُهُ فِي كِسَائِهِ قَالَ فَقَسَمَهُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ .

(1144) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने इस हदीस में बयान किया कि कोई औरत अपनी बाली देने लगी और कोई अपनी अंगूठी और बिलाल उन्हें अपने कपड़े में जमा करते जाते थे। फिर आपने इस माल को फ़क़ीर मुसलमानों में तक़सीम कर दिया।

(1144) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : मुसलमानों के मुख़्य लोगों और इस्लामी तन्ज़ीमात पर लाज़िम है कि इक़्तेसादी (आर्थिक) तौर पर पिसे हूए और नादार लोगों की माली मदद का एहतिमाम करते रहा करें, बिलख़ुसूस ईदैन के मौक़े पर।

﴾247﴿
باب يَخْطُبُ عَلَى قَوْسٍ

बाब : 247
ख़ुत्बे में कमान का सहारा लेना

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نُوِّلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ .

(1145) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) को ईद के रोज़ कमान दी गई तो आपने उसके सहारे ख़ुत्बा दिया।

(1145) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/282, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस: 5658.

﴾248﴿
باب تَرْكِ الأَذَانِ فِي الْعِيدِ

बाब : 248
ईद में अज़ान नहीं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ وَلَوْلاَ مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ مِنَ الصِّغَرِ فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُرْ

(1146) जनाब अब्दुर्रहमान बिन आबिस कहते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा: क्या आप रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ईद में हाज़िर रहे हैं? उन्होंने कहा: हाँ अगर मुझे आपके साथ ताल्लुक़ व मर्तबा हासिल न होता तो बचपने के बाइस में आपके क़रीब न हो सकता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) उस निशान के पास आये जो कसीर बिन सल्त के घर के पास है, आपने नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्बा दिया और

أَذَانًا وَلاَ إِقَامَةً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ - قَالَ - فَجَعَلَ النِّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَّ قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَتَاهُنَّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने) किसी अज़ान और इक़ामत का ज़िक्र नहीं किया। फिर आपने सदक़ा करने का हुक्म दिया तो औरतें अपने कानों और अपनी गर्दनों की तरफ़ इशारा करने लगीं। बयान किया कि आपने बिलाल को हुक्म दिया तो वह इन (औरतों) के पास गये और फिर नबी (ﷺ) के पास लौट आये।

(1146) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 863.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ شَكَّ يَحْيَى .

(1147) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईद (की नमाज़) अज़ान और इक़ामत के बग़ैर पढ़ाई। और (ऐसे ही) अबूबक्र व उमर या उस्मान ने भी। यहया को शक हूआ है।

(1147) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1274, बुख़ारी, हदीस: 962. मुस्लिम: 885.

फ़ायदा : ये रिवायत मानन सही है, इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَهَنَّادٌ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، - يَعْنِي ابْنَ حَرْبٍ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ الْعِيدَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ .

(1148) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) कहते हैं कि मैंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार नबी (ﷺ) के साथ ईदैन की नमाज़ पढ़ी है। अज़ान और इक़ामत के बग़ैर।

(1148) तख़रीज : सही मुस्लिम: 887.

बाब : 249
नमाज़े ईदैन में तकबीरात का बयान

﴾249﴿
باب التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِي الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا .

(1149) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदे फ़ित्र और ईदे अज़हा में पहली रकअत में सात और दूसरी में पाँच तकबीरें कहा करते थे।

(1149) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1280, हदीस: 1151 में देखें।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ سِوَى تَكْبِيرَتَىِ الرُّكُوعِ .

(1150) जनाब ख़ालिद बिन यज़ीद ने, इब्ने शिहाब से ऊपर दी गई सनद के साथ और इसके हम मानी बयान किया, मज़ीद कहा कि रूकू की तकबीर के अलावा।

(1150) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : सहाबा में से हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) और अइम्मा में से इमाम ज़ोहरी, इमाम मालिक, इमाम ओज़ाई, इमाम शाफ़ेई, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) से यही मनक़ूल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ

(1151) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़े ईदुल फ़ित्र में तकबीरें पहली रकअत में सात हैं और दूसरी में पाँच और क़िराअत इन दोनों के बाद है।'

(1151) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1278.

سَبْعٌ فِي الأُولَى وَخَمْسٌ فِي الآخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا " .

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ حَيَّانَ - عَنْ أَبِي يَعْلَى الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ فِي الأُولَى سَبْعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ سَبْعًا وَخَمْسًا .

(1152) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स़) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ में पहली रकअ़त में सात तकबीरें कहते, फिर क़िराअत करते, फिर तकबीर कहते (रूकू के लिये), फिर (दूसरी रकअ़त में) खड़े होते और चार तकबीरें कहते, फिर क़िराअत करते फिर (उसके बाद) रूकू करते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: वकीअ़ और इब्ने मुबारक ने ये हदीस़ रिवायत की तो इन दोनों ने सात और पाँच तकबीरें बयान की हैं।

(1152) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ، - الْمَعْنَى قَرِيبٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ، جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ

(1153) जनाब सईद बिन अल‌आ़स़ ने हज़रत अबू मूसा अशअ़री और हुज़ैफ़ा बिन यमान (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े ईदुल अज़हा और फ़ित्र में तकबीरें कैसे कहा करते थे? तो हज़रत अबू मूसा (ﷺ) ने कहा: आप चार तकबीरें कहा करते थे जैसे कि जनाज़े में होती हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने कहा: उन्होंने सच कहा है। हज़रत अबू मूसा (ﷺ) कहने लगे: मैं जब बस़रा में लोगों पर अमीर था तो ऐसे ही तकबीरें कहा

أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ .

करता था। और अबू आयशा ने कहा कि मैं सईद बिन अलआस के पास हाज़िर था।

(1153) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/416.

तौज़ीह : यानी दोनों रकअतों में चार चार तकबीरें होती थीं। पहली में तकबीरे तहरीमा के अलावा तीन, क़िराअत से पहले। और दूसरी रकअत में क़िराअत के बाद तीन और चौथी रूकू के लिये। इमाम अबू दाऊद और इमाम मुन्ज़िरी (रह.) इस हदीस़ पर किसी नक़द से ख़ामोश हैं मगर तहक़ीक़ ये है कि इस हदीस़ को मरफ़ूअ बयान करने में अबू आयशा (जलीसे अबू हुरैरह) मुन्फ़रिद है, वह मज्हुलल हाल है, नीज़ अब्दुर्रहमान बिन स़ोबान पर भी जरह है। और दीगर सिक़ात की एक जमाअत जैसे अल्क़मा, अस्वद और अब्दुल्लाह बिन क़ैस इस क़िस्से को हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) पर मौक़ूफ़ बयान करते हैं। जबकि पहले ज़िक्र की गई अहादीस़ जिनमें बारह तकबीराते ज़ायद का बयान आया है वह मरफ़ूअ हैं और इस्नादी ऐतबार से स़ही हैं या हसन और दीगर उनकी ताईद करने वाले हैं। और अक्स़र स़हाबा व अइम्मा का इन्हीं पर अमल है। तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्आतुल मफ़ातीह, हदीस़: 1457, 1458)

﴾250﴿ باب مَا يُقْرَأُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ

बाब : 250
ईदैन में क़िराअत

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ مَاذَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ قَالَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } وَ { اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ }

(1154) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने हज़रत अबू वाक़िद लैस़ी (ﷺ) से पूछा कि रसूल (ﷺ) ईदुल अज़हा और ईदुल फ़ित्र में क्या क़िराअत किया करते थे? कहा कि (क़ाफ वलक़ुर्आनिल मजीद) और (इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मरू)

(1154) तख़रीज : मौता: 1/180, व स़ही मुस्लिम: 891.

फ़ायदा : ईदैन में इन सूरतों की क़िराअत मसनून और मुस्तहब है।

बाब : 251
ख़ुत्बा सुनने के लिये बैठना

﴾251﴿
باب الْجُلُوسِ لِلْخُطْبَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِيدَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّا نَخْطُبُ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(1155) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब (ﷺ) से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ ईद में हाज़िर था। आप जब नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो फ़रमायाः 'हम ख़ुत्बा देते हैं तो जो पसन्द करे बैठ जाये, और जो जाना चाहे चला जाये।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस़ (मरफ़ूअ सही नहीं, बल्कि) मुर्सल है और अता ने नबी (ﷺ) से बयान किया है।

(1155) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1572, इब्ने माजा, हदीस़: 129, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1462, हाकिम: 1/295.

तौज़ीह : दूसरे मोहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत सही या हसन है। इससे ईद के ख़ुत्बा के वजूब की नफ़ी होती है। ताहम इसके सुन्नत होने में कोई शक नहीं। इसलिए नबी (ﷺ) ने ईद के इज्तेमा में उन औरतों को भी शरीक होने की ताकीद की है जो अय्यामे हैज़ में हों और नमाज़ की पाबन्दी से अलग हों। इसलिए ख़ुत्ब–ए–ईद के भी सुनने का एहतिमाम होना चाहिए, इससे सुस्ती व ऐराज़, सुन्नत से सुस्ती व ऐराज़ है जो किसी मुसलमान के लिए ज़ैबा नहीं।

﴾252﴿ باب يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ فِي طَرِيقٍ

बाब : 252
ईदगाह के लिए एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ .

(1156) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईद को जाने के लिए एक रास्ता इख़्तियार फ़रमाया और वापसी में दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाये।

(1156) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1299.

फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब है जबकि सही बुख़ारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है फ़रमाते हैं कि नबी (ﷺ) जब ईद का दिन होता तो (आते जाते) रास्ता बदल लिया करते थे। (सही बुख़ारी, हदीस: 986)

﴾253﴿ باب إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

बाब : 253
अगर ईद के रोज़ ईद न पढ़ी जा सके तो इमाम अगले दिन पढ़ाए

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ، لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى

(1157) जनाब अबू उमैर बिन अनस अपने चचों से, जो कि नबी (ﷺ) के सहाबा थे, बयान करते हैं कि एक क़ाफ़िले वाले नबी (ﷺ) के पास आये और उन्होंने शहादत दी कि हमने कल शाम को चाँद देखा है। तो आपने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़्तार

कर लें और अगले दिन सुबह को ईदगाह में पहुँचे।

(1157) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1558, इब्ने माजा, हदीस: 1653, बैहक़ी: 3/316.

(1158) हज़रत बक्र बिन मुबश्शिर अन्सारी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अस्हाबे रसूल की मईयत में ईदे फ़ित्र और ईदुल अज़हा के रोज़ ईदगाह को जाया करता था। हम लोग वादी–ए बतहान के बतन से गुज़रते थे, यहाँ तक कि ईदगाह में पहुँच जाते, रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर उसी वादी–ए–बतहान के बतन से गुज़र कर वापस अपने घरों को लौट आया करते थे।

(1158) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/296, 297.

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلاَلَ بِالأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ .

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِي أُنَيْسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ، مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ كُنْتُ أَغْدُو مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ حَتَّى نَأْتِيَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّيَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا

तौज़ीह : मानवी ऐतबार से इस हदीस का ताल्लूक़ साबिक़ा बाब से है। और इशारा है कि ईदगाह से रास्ता बदल कर आना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं।

बाब : 254
नमाज़े ईद के बाद नमाज़ पढ़ना?

﴿254﴾
باب الصَّلاَةِ بَعْدَ صَلاَةِ الْعِيدِ

(1159) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के रोज़ निकले (ईद की) दो रकअतें पढ़ीं। इससे पहले या इसके बाद कोई नमाज़ न पढ़ी। फिर औरतों की तरफ़ आये, आपके साथ बिलाल थे। आपने उन (औरतों) को सदक़ा करने का

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ

يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَا ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلاَلٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا .

हुक्म दिया तो कोई अपनी बाली उतार रही थी और कोई अपना हार।

(1159) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 964, व सही मुस्लिम: 889.

फ़ायदा : ईद के रोज़ ईदगाह में कोई नफ़ल नहीं, ईद से पहले न बाद।

﴾255﴿
باب يُصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا كَانَ يَوْمَ مَطَرٍ

बाब : 255
बारिश की वजह से मस्जिद में ईद पढ़ना

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنَ الْفَرْوِيِّينَ - وَسَمَّاهُ الرَّبِيعُ فِي حَدِيثِهِ عِيسَى بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَبِي فَرْوَةَ - سَمِعَ أَبَا يَحْيَى عُبَيْدَ اللَّهِ التَّيْمِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ.

(1160) वलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि हमें फ़रवियों में से एक आदमी ने बयान किया ... रबीअ़ ने उसका नाम ईसा बिन अ़ब्दुल अ़ाला बिन अबी फ़रवा लिया है ... कि उन्होंने अबू यहया उ़बैदुल्लाह तैमी को सुना, वह हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से बयान करते थे कि (एक दफ़ा) ईद के रोज़ बारिश हो गई, तो नबी (ﷺ) ने उन्हें मस्जिद ही में नमाज़े ईद पढ़ाई।

(1160) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1313, बैहक़ी: 3/310.

नोट : ये हदीस़ मानी के हिसाब से सही है, यानी मसला इसी तरह है कि ईद खुले मैदान में पढ़ना अफ़ज़ल है। ताहम उ़ज़्र हो तो मस्जिद में भी जायज़ है।

كتاب الاستسقاء

नमाज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल

(इस्तिस्क़ा) के मानी हैं 'पानी तलब करना' यानी ख़ुश्क साली हो और उस वक़्त बारिश न हो रही हो, जब फ़सलों को बारिश की ज़रूरत हो, तो ऐसे मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) से दुआओं के अलावा बा'जमाअत दो रकअत नमाज़ पढ़ना भी साबित है, जिसे नमाज़े इस्तिस्क़ा कहा जाता है, ये एक मसनून अमल है। इसका तरीक़े कार कुछ इस तरह से है:

☆ इस नमाज़ को खुले मैदान में अदा किया जाये।

☆ इसके लिए अज़ान व इक़ामत की ज़रूरत नहीं।

☆ सिर्फ़ दिल में नियत करे कि मैं नमाज़े इस्तिस्क़ा अदा कर रहा हूँ।

☆ बलन्द आवाज़ से क़िराअत की जाये।

☆ लोग अजिज़ी व इंकिसारी का इज़हार करते हूए नमाज़ के लिए जायें।

☆ इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई तौर पर तौबा, इस्तेग़फ़ार, तर्के मआसी और रूजू इलाही का वादा किया जाये।

☆ खुले मैदान में मिम्बर पर ख़ुत्बे और दुआ का एहतिमाम किया जाये, ताहम मिम्बर के बग़ैर भी जायज़ है।

☆ सूरज निकलने के बाद ये नमाज़ पढ़ी जाये, बेहतर यही है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे सूरज निकलते ही पढ़ा है।

☆ जुम्हूर उलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम नमाज़ से पहले भी जायज़ है।

☆ नमाज़गाह में इमाम क़िब्ला रूख़ खड़ा होकर दोनों हाथ इतने बलन्द करे कि बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगे।

☆ दुआ के लिये हाथों की पीठ आसमान की तरफ़ और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ हों, ताहम हाथ सर से ऊपर न हों।

☆ दुआ मिम्बर ही पर क़िब्ला रूख़ होकर की जाये।

☆ लोग चादरें साथ लेकर जायें, दुआ के बाद अपनी अपनी चादर को उल्टा दिया जाये, यानी चादर का अन्दर का हिस्सा बाहर कर दिया जाये और दायाँ किनारा बायें कन्धे पर और बायाँ

किनारा दायें कन्धे पर डाल लिया जाये। ये सारे काम इमाम के साथ मुक़्तदी भी करें।

☆ हाथों की पुश्तों को आसमान की तरफ़ करना और चादरों को पलटना, ये नेक फ़ाली के तौर पर है, यानी या अल्लाह! जिस तरह हमने अपने हाथ उलटे कर लिये हैं और चादरों को पलट लिया है, तू भी मौजूदा सूरत को इसी तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हत साली ख़त्म कर दे और तंगी को ख़ूश हाली में बदल दे।

كتاب الاستسقاء

नमाज़े इस्तिस्क़ा के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ بِالنَّاسِ لِيَسْتَسْقِيَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا وَاسْتَسْقَى وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

बाब : 1 नमाज़े इस्तिस्क़ा और इसके ज़िम्नी मसाइल

(1161) अब्बाद बिन तमीम अपने चचा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम)(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बारिश की दुआ के लिये लोगों की मईयत (साथ) में बाहर (मैदान में) निकले। आपने उन्हें दो रकअतें पढ़ाईं। इनमें क़िराअत ऊँची आवाज़ से की, आपने अपनी चादर को उलटाया, अपने हाथ उठाकर दुआ फ़रमाई और बारिश माँगी और क़िब्ला रूख़ हूए।

(1161) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1023, व सही मुस्लिम: 894.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ الْمَازِنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمَّهُ، - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا يَسْتَسْقِي فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ - وَقَرَأَ فِيهِمَا زَادَ ابْنُ السَّرْحِ يُرِيدُ الْجَهْرَ .

(1162) जनाब अ़ब्बाद बिन तमीम माज़िनी ने बयान किया कि उन्होंने अपने चचा से सुना, जो कि अस्हाबे रसूल (ﷺ) में से थे, वह बयान कर रहे थे: एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये निकले। आपने लोगों की तरफ़ पीठ करके अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से दुआ माँगी। सुलेमान बिन दाऊद का बयान है: आपने क़िब्ले की तरफ़ रूख़ किया और अपनी चादर को उलटाया फिर दो रकअ़तें पढ़ीं। इब्ने अबी ज़िब ने कहा: आपने इनमें क़िराअत की। इब्ने सरह ने ये इज़ाफ़ा किया है: मक़सद ये है कि आपने जहरी क़िराअत की।

(1162) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैहि, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ - يَعْنِي الْحِمْصِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ لَمْ يَذْكُرِ الصَّلاَةَ قَالَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْمَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْسَرِ وَجَعَلَ عِطَافَهُ الأَيْسَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ .

(1163) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम (इब्ने शिहाब ज़ोहरी) ने अपनी सनद से ये हदीस़ बयान की, मगर नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया और कहा: आपने अपनी चादर को पलटाया। इस तरह कि उसका दायाँ किनारा अपने बायें कन्धे पर और बायाँ किनारा दायें कन्धे पर कर लिया फिर अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से दुआ फ़रमाई।

(1163) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 3/350, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ،

(1164) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े

عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ سَوْدَاءُ فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْخُذَ بِأَسْفَلِهَا فَيَجْعَلَهُ أَعْلاَهَا فَلَمَّا ثَقُلَتْ قَلَبَهَا عَلَى عَاتِقِهِ.

इस्तिस्क़ा पढ़ाई, आप पर स्याह रंग की ऊनी चादर थी। आपने चाहा कि उसके नीचे वाले किनारे को पकड़ कर ऊपर कर लें, मगर ये आपके लिये मुश्किल हो गया तो आपने उसे कन्धों ही पर पलट लिया।

(1164) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 1/327, इब्ने अल मुलक़्क़िन तोहफ़तुल मोहताज़, हदीस: 734.

फ़ायदा : चादर पलटने का आसान तरीक़ा ये है कि अपने हाथों से कमर के नीचे से चादर का दायाँ किनारा बायें हाथ से, और बायाँ किनारा दायें हाथ से पकड़ कर ऊपर को ले आयें। इस तरह चादर ऊपर नीचे दायें बायें सब अतराफ़ से पलट जाती है। चादर न औढ़ी हो तो रूमाल ही के साथ ये अमल कर ले ताकि सुन्नते नबवी पर अमल का सवाब हासिल हो।

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَحْوَهُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، أَرْسَلَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ - قَالَ عُثْمَانُ ابْنُ عُقْبَةَ وَكَانَ أَمِيرَ الْمَدِينَةِ - إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَقَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُتَبَذِّلاً مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا حَتَّى أَتَى الْمُصَلَّى - زَادَ عُثْمَانُ فَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ اتَّفَقَا - وَلَمْ يَخْطُبْ خُطَبَكُمْ هَذِهِ وَلَكِنْ لَمْ يَزَلْ فِي الدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَالتَّكْبِيرِ

(1165) जनाब इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह कहते हैं कि मुझे अमीरे मदीना वलीद बिन उ़त्बा ने ... उ़स्मान ने इसको इब्ने उ़क़्बा कहा ... हज़रत इब्ने अ़ब्बास (﵁) के यहाँ भेजा कि मैं उनसे रसूल (ﷺ) की नमाज़े इस्तिस्क़ा के मुताल्लिक़ पूछ कर आऊं। तो उन्होंने बयान किया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मामूली हालत में तवज्ज़ोह और आ़जिज़ी की कैफ़ियत के साथ निकले। यहाँ तक कि नमाज़गाह में पहुँच गये। उ़स्मान ने इज़ाफ़ा किया कि आप मिम्बर पर चढ़े। फिर दोनों का मुत्तफ़क़ा (एक जैसे) बयान है: आपने तुम्हारे इन ख़ुत्बों की मानिन्द ख़ुत्बा नहीं दिया, बल्कि मुसल्सल दुआ, इज़हारे आ़जिज़ी और तकबीर में मशग़ूल रहे। फिर दो रकअ़तें पढ़ीं जैसे कि ईद में पढ़ी जाती हैं।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये रिवायत नुफ़ैली की

ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَالإِخْبَارُ لِلنُّفَيْلِيِّ وَالصَّوَابُ ابْنُ عُتْبَةَ.

है। और इब्ने उ़त्बा (ता के साथ) स़ही है।

(1165) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 558, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1405, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 603.

फ़ायदा : ईद से मुशाबिहत वक़्त, अ़दमे अज़ान, अ़दमे तकबीर, अ़ददे रकआ़त और नमाज़ मुक़द्दम करने और ख़ुत्बा मुअख़्ख़र करने में है। इस्तिस्क़ा में ईद की तरह ज़ाइद तकबीरात स़ही अहादीस़ से स़ाबित नहीं हैं।

﴿2﴾ باب فِي أَيِّ وَقْتٍ يُحَوِّلُ رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى

बाब : 2 ... इस्तिस्क़ा में किस वक़्त अपनी चादर पलटी जाये

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي وَأَنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ثُمَّ حَوَّلَ رِدَاءَهُ .

(1166) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद (ﷺ) ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये नमाज़गाह की तरफ़ निकले। आपने जब दुआ़ का इरादा फ़रमाया तो क़िब्ले की तरफ़ रूख़ कर लिया और अपनी चादर पलट ली।

(1166) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैहि, हदीस़: 1161 में देखें।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْمَازِنِيَّ، يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

(1167) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ैद माज़िनी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़गाह की तरफ़ निकले और नमाज़े इस्तिस्क़ा पढ़ी और जब क़िब्ले की तरफ़ रूख़ किया तो अपनी चादर पलटी।

(1167) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैहि, हदीस़: 1161 में देखें, मौता: 1/190.

फ़ायदा : ख़ुत्बे के दौरान में दुआ़ के मौक़े पर ये अ़मल बतौर नेक फ़ाल मसनून है।

﴿3﴾ باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الاِسْتِسْقَاءِ

बाब : 3
इस्तिस्क़ा में हाथ उठा कर दुआ माँगना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ، وَعُمَرَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى بَنِي آبِي اللَّحْمِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَسْقِي عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ قَرِيبًا مِنَ الزَّوْرَاءِ قَائِمًا يَدْعُو يَسْتَسْقِي رَافِعًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ لاَ يُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَهُ

(1168) हज़रत उमैर मौला बनी अबी अल लहम (ﷺ) का बयान है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को मक़ामे ज़ौरा के क़रीब अहजारे ज़ैत के पास बारिश की दुआ करते देखा, आप अपने चेहरे के सामने हाथ उठाये खड़े थे, मगर हाथ सर से ऊँचे न थे।

(1168) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/223.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَوَاكِي فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ " . قَالَ فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ .

(1169) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ लोग (बारिश न बरसने की वजह से) रोते हूए आये तो आपने यूँ दुआ फ़रमाई: (अल्लाहुम्मस्क़ैना! ग़ैसन मुग़ीसन मरीअन नाफ़िअन ग़ैरा ज़ार्रिन आजिलन ग़ैरा आजिलिन) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश इनायत फ़रमा, अज़ हद मुफ़ीद, मददगार, बेहतरीन अंजाम वाली, जो शादाबी लाये, नफ़ावर हो, किसी ज़रर (नुक़सान) का बाइस न बने और जल्दी आये, देर न करे।'

हजरत जाबिर (ﷺ) ने बयान किया कि ... (इस दुआ के बाद फ़ौरन) उन पर बादल छा गया।

(1169) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद, हदीस: 1125, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1416, हाकिम: 1/327

फ़वाइद व मसाइल : (1) इंसान को अपनी इन्फ़ेरादी और इज्तेमाई हाजतों में हमेशा अल्लाह ही से दुआ करनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर बार–बार दुआ करनी चाहिए। (2) अपने सालेहीन से भी दुआ करानी चाहिए जो कि एक शरई और मसनून वसीला है। (3) इस हदीस के एक नुस्ख़े में ये अल्फ़ाज़ नक़ल हूए हैं कि (अतैतुन्नबी (ﷺ) युवाकिउ) इसका तर्जुमा यूँ है कि 'मैं आपकी ख़िदमत में आया और आप अपने हाथों पर टेक लगाये हूए थे।'

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنَ الدُّعَاءِ إِلاَّ فِي الاِسْتِسْقَاءِ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ إِبْطَيْهِ .

(1170) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) किसी दुआ में अपने हाथ इतने बलन्द न करते थे जितने कि इस्तिस्क़ा में, यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देती थी।

(1170) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 3565, व सही मुस्लिम: 896.

फ़ायदा : दुआ के आदाब में से एक ये है कि हाथ उठाकर दुआ की जाये और नबी (ﷺ) ने जिन कुछ मौक़ो पर हाथ उठाकर दुआ की है, उनमें एक इस्तिस्क़ा का मौक़ा है। बल्कि इस मौक़े पर तो आपने हाथ उठाने में मुबालग़े से काम लिया यानी ख़ूब हाथ उठाये जैसा कि अगली रिवायत में सराहत है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَسْقِي هَكَذَا يَعْنِي وَمَدَّ يَدَيْهِ وَجَعَلَ بُطُونَهُمَا مِمَّا يَلِي الأَرْضَ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(1171) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बारिश के लिये इस तरह दुआ करते थे, और उन्होंने हाथ लम्बे करके दिखाये और हथेलियों को ज़मीन की तरफ़ किया, (और इतने बलन्द किये कि) मैंने उनकी बग़लों की सफ़ेदी देखी।

(1171) तख़रीज : सही मुस्लिम.

फ़ायदा : इस्तिस्क़ा में उलटे हाथों से दुआ करना नेक फ़ाल के तौर पर है और मुस्तहब अमल है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه

(1172) जनाब मुहम्मद बिन इब्राहीम कहते हैं कि मुझे उन साहब ने ख़बर दी जिन्होंने नबी (ﷺ) को अहजारे ज़ैत के पास अपनी हथेलियाँ फैलाए दुआ करते देखा था। (गुज़िश्ता हदीस: 1168)

(1172) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 5/427, हदीस: 1168 में देखें।

(1173) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की कि बारिश नहीं हो रही तो आपने नमाज़गाह में मिम्बर रखने का हुक्म दिया और लोगों से एक दिन का वादा किया कि वह इसमें बाहर आयें। आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उस रोज़ (नमाज़े इस्तिस्क़ा के लिये) उस वक़्त निकले जब सूरज की टिक्या निकल आई थी, आप मिम्बर पर बैठे और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तकबीर व तहमीद की, फिर फ़रमाया: 'तुमने शिकायत की है कि तुम्हारे इलाक़े ख़ुश्क हो रहे हैं और बारिश में अपनी आमद के वक़्त से ताख़ीर हो रही है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हें हुक्म दिया है कि उसे पुकारो, और तुमसे उसका वादा है कि वह क़बूल करेगा।' फिर फ़रमाया: 'तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेइन्तिहा रहम करने वाला और मेहरबान है। रोज़े जज़ा का बादशाह है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। वह जो चाहता है करता है। ऐ अल्लाह! तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं, तू ग़नी और बेपरवा है और हम फ़क़ीर व मोहताज हैं, हम पर बारिश नाज़िल फ़रमा और जो तू नाज़िल फ़रमाये उसे हमारे लिये क़ूव्वत और एक

وسلم يَدْعُو عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ بَاسِطًا كَفَّيْهِ

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ شَكَى النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُحُوطَ الْمَطَرِ فَأَمَرَ بِمِنْبَرٍ فَوُضِعَ لَهُ فِي الْمُصَلَّى وَوَعَدَ النَّاسَ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَبَّرَ صلى الله عليه وسلم وَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ قَالَ " إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ " . ثُمَّ قَالَ " { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ

वक़्त तक के लिये गुज़रान बना दे।' फिर आपने अपने हाथ उठाये और उठाते गये, यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी दिखाई देने लगी। फिर आपने लोगों की तरफ़ पीठ कर ली (यानी क़िब्ला रूख़ हो गये) और अपनी चादर पलटाई जब कि आप अपने हाथ उठाये हूए थे। इसके बाद लोगों की तरफ़ मुँह किया और मिम्बर से उतर आये और दो रकअतें पढ़ाईं। तब अल्लाह ने एक बदली पैदा फ़रमाई, वह कड़की और चमकी और अल्लाह के हुक्म से बरसने लगी, आप अपनी मस्जिद तक न पहुँचे कि नाले बहने लगे। जब आपने लोगों को देखा कि वह सायों और छपरों की तरफ़ जल्दी जल्दी भाग रहे हैं तो आप हँसे, यहाँ तक कि आपकी डाढ़ें नज़र आने लगीं। आपने फ़रमाया: 'मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर है और मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ ग़रीब है। (यानी इसके रूवात में तफ़र्रूद है) और सनद के ऐतबार से जय्यद (उ़म्दा) है। (यानी इसमें कोई इल्लते क़ादिहा नहीं) और ये हदीस़ अहले मदीना की दलील है कि वह लोग (मलिकियौमिद्दीन) पढ़ते हैं।

(1173) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 3/349, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 604, हाकिम: 1/328.

الرَّحِيمِ * مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ " . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمْ يَزَلْ فِي الرَّفْعِ حَتَّى بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ثُمَّ حَوَّلَ عَلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ وَقَلَّبَ أَوْ حَوَّلَ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَنْشَأَ اللَّهُ سَحَابَةً فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّى سَالَتِ السُّيُولُ فَلَمَّا رَأَى سُرْعَتَهُمْ إِلَى الْكِنِّ ضَحِكَ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فَقَالَ " أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ وَأَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقْرَءُونَ { مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } وَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ حُجَّةٌ لَهُمْ .

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُنَا يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْكُرَاعُ هَلَكَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَسْقِيَنَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلُ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ ثُمَّ أَنْشَأَتْ سَحَابَةً ثُمَّ اجْتَمَعَتْ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاءُ عَزَالِيَهَا فَخَرَجْنَا نَخُوضُ الْمَاءَ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ يَزَلِ الْمَطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا " . فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ يَتَصَدَّعُ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ .

(1174) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अहले मदीना को क़हत पेश आया। जुमे का रोज़ था आप हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे कि एक आदमी खड़ा हो गया और कहने लगा। ऐ अल्लाह के रसूल! घोड़े मर गये, बकरियाँ हलाक हो गयीं, अल्लाह से दुआ फ़रमायें कि हमें बारिश इनायत फ़रमाये। आपने अपने हाथ फैलाये और दुआ की। हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि आसमान शीशे की मानिन्द साफ़ था, सो हवा चलने लगी और बादल का एक टुकड़ा नमूदार हूआ और फैलता चला गया, फिर आसमान ने अपना दहाना खोल दिया। हम जो (नमाज़ पढ़ कर) निकले तो पानी में से गुज़रते हूए अपने घरों को पहुँचे। फिर बारिश होती रही और अगले जुमे तक होती रही। तब वही आदमी या कोई दूसरा खड़ा हूआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! घर गिरने लगे हैं, अल्लाह से दुआ फ़रमायें कि इस बारिश को रोक दे। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुस्कुराए और दुआ फ़रमाई: '(ऐ अल्लाह! ये बारिश) हमारे इर्द गिर्द हो, हमारे ऊपर न हो।' (अनस ने कहा) मैंने बादल को देखा कि वह मदीने के इर्द गिर्द फटने लगा गोया कि वह (मदीना) ऐसे हो गया जैसे ताज।

(1174) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 932.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जुमा में इस्तिस्क़ा की दुआ करना बिल्कुल बजा और सुन्नत है। **(2)** इस्तिस्क़ा या दीगर इज्तेमाई उमूर के लिये ख़ुत्बा के बीच में इज्तेमाई तौर पर हाथ उठाकर दुआ करना जायज़ है। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1029) **(3)** इंसान बेहद कमज़ोर पैदा किया गया है। ख़ुश्की व गर्मी बर्दाश्त कर सकता है न बारिश और पानी।

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ بِحِذَاءِ وَجْهِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِنَا " . وَسَاقَ نَحْوَهُ

(1175) शरीक बिन अ़ब्दुल्लाह बिन अबी नमिर ने हज़रत अनस (ﷺ) को कहते हूए सुना और हदीसे अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (यानी साबिक़ा हदीस़) की मानिन्द ज़िक्र किया और (इसमें इज़ाफ़ा बयान करते हूए) कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे के बराबर उठाये और दुआ फ़रमाने लगे: (अल्लाहुम्मस्क़िना! .....) और इसी के मिस्ल हदीस़ बयान की।

(1175) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1013, व स़ही मुस्लिम: 897.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ " اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ " . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ مَالِكٍ .

(1176) अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद (शुऐब) से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) जब बारिश के लिये दुआ फ़रमाते तो यूँ कहते थे: (अल्लाहुम्मस्क़ि! इबादका वबहाइमका वन्शुर रहमतका वह्यी बलदकल मय्यिता) 'ऐ अल्लाह! अपने बंदों और अपने जानवरों को पानी पिला। अपनी रहमत आम कर दे और अपनी ख़ुश्क ज़मीन को तरो ताज़ा कर दे।' ये मालिक की हदीस़ के लफ़्ज़ हैं।

(1176) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मौता: 1/190, 191, (तम्हीद: 23/432)

صَلاَةِ الْكُسُوفِ

नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के अहकाम व मसाइल

सूरज या चाँद के बे'नूर हो जाने को कुसूफ़ और ख़ुसूफ़ से ताबीर किया जाता है। ये दोनों अल्लाह तआला की क़ुदरत का अज़ीम नमूना और निशानियाँ हैं इनकी रोशनी और हरारत का मद्धिम पड़ जाना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना नज़्मे कायनात में बिलाशिर्कते ग़ैर, अल्लाह के तसर्रूफ़ और इख़्तियार की अलामत है। यही वजह है कि ऐसे मौक़ों पर रसूलुल्लाह (ﷺ) पर सख़्त घबराहट तारी हो जाती और अल्लाह के ख़ौफ़ से परेशान हो जाते और फिर अल्लाह तआला की तरफ़ मुतवज्जा होने के लिये नमाज़ का एहतिमाम फ़रमाते। इसकी तफ़्सील कुछ इस तरह है: हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ। आपने बा'जमाअत दो रकअतें नमाज़ पढ़ी। आपने सूरह बक़र: तिलावत करने की मिक़्दार के क़रीब लम्बा क़याम किया फिर लम्बा रूकू किया। फिर सर उठाकर लम्बा क़याम किया फिर पहले रूकू से कम लम्बा रूकू किया। फिर दो सज्दे किये। फिर खड़े होकर लम्बा क़याम किया, फिर दो रूकू किये फिर दो सज्दे किये और तशहहुद पढ़ कर सलाम फेरा फिर ख़ुत्बा दिया जिसमें अल्लाह की हम्द व सना और जन्नत व जहन्नम का तज़करा किया। (सही बुख़ारी, हदीस: 1052, व सही मुस्लिम: 907)

नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ से मुताल्लिक़ चंद अहम अहकाम व मसाइल:

- ये नमाज़ मस्जिद में अदा की जा सकती है।
- इसमें क़िराअत लम्बी और बलन्द आवाज़ से की जाये।
- इस नमाज़ की दोनों रकअतों में दो, तीन या चार रूकू किये जा सकते हैं, ताहम सही तरीन अहादीस में हर रकअत में दो दो रूकू का ज़िक्र है। जैसा कि हाफ़िज़ इब्ने अब्दुल बर ने कहा है। देखिये: (तम्हीद: 3/302, 305, 308) शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) फ़रमाते हैं कि सही ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हर रकअत में दो दो रूकू किये हैं और आपने सिर्फ़ एक ही मर्तबा सूरज ग्रहण की नमाज़ अदा की है देखिये: (अत्तवस्सुल वलवसीला: 86) हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़रमाते हैं कि इमाम अहमद, इमाम बुख़ारी और इमाम शाफ़ेई (रह.) जैसे किबारे अइम्मा उन रिवायतों की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज़्यादा रूकू का ज़िक्र है, तसहीह नहीं करते: देखिये: (ज़ादुल मआद: 1/453, 455) अल्लामा सनआनी, अल्लामा

शौकानी और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने भी हर रकअ़त में दो दो रूकू वाली रिवायात को लिया है।

- रूकू के बाद क़ौमा करने की बजाये दोबारा क़िराअत शूरू कर देना एक ही रकअ़त का तसलसुल है, लिहाज़ा इस मौक़े पर नये सिरे से सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़ी जायेगी।
- नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया जाये क्योंकि सही अहादीस़ में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा देने का ज़िक्र है। चाहे सूरज ग्रहण इख़्तितामे नमाज़ तक ख़त्म ही क्यों न हो जाये। इसमें वाज़ व नस़ीहत और ख़ौफ़े इलाही का तज़करा हो।
- औरतें भी नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ में शामिल हो सकती हैं।
- नमाज़ के बाद क़िब्ला रू होकर ख़ूब गिड़गिड़ा कर दुआ की जाये। हज़रत उबय बिन कअ़ब(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद क़िब्ला रू होकर दुआ करते रहे यहाँ तक कि ग्रहण स़ाफ़ हो गया। (तारीख़े दमिश्क़: 7/129)
- नमाज़ और ख़ुत्बे से फ़राग़त तक भी अगर ग्रहण स़ाफ़ नहीं होता तो फिर दुआ और ज़िक्र व अज़कार में मशग़ूल रहना चाहिए यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये।
- अहादीस़ में इस मौक़े पर स़दक़ा करने, अ़ज़ाबे क़ब्र से पनाह माँगने और गुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया गया है। मक़सूद ये है कि इस मौक़े पर ज़िक्र व दुआ, तकबीर व तहलील, इस्तग़फ़ार और स़दक़ा वग़ैरह करना चाहिए।

﴾1﴿ بَاب صَلَاةِ الْكُسُوفِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَخْبَرَنِي مَنْ، أُصَدِّقُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

बाब : 1 नमाज़े कुसूफ़ का बयान

(1177) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ तो नबी (ﷺ) ने ख़ूब क़याम किया। आप लोगों के साथ क़याम फ़रमाते, फिर रूकू करते, फिर खड़े होते। फिर रूकू करते, फिर खड़े होते, फिर रूकू करते। चुनांचे आपने दो रकअ़तें पढ़ाईं।

وسلم فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قِيَامًا شَدِيدًا يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ يَرْكَعُ الثَّالِثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى إِنَّ رِجَالاً يَوْمَئِذٍ لَيُغْشَى عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ حَتَّى إِنَّ سِجَالَ الْمَاءِ لَتُصَبُّ عَلَيْهِمْ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَإِذَا رَفَعَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ فَإِذَا كُسِفَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ " .

हर रकअ़त में तीन रूकू किये, तीसरा रूकू फ़रमाते, फिर सज्दा करते। यहाँ तक कि कुछ लोगों को उस दिन तवील क़याम की वजह से ग़शी होने लगी यहाँ तक कि पानी के डोल उन पर डाले गये। आप जब रूकू को जाते तो (अल्लाहु अकबर) कहते। यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी की वजह से बे'नूर नहीं होते बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। वह इनके ज़रिये से अपने बंदों को डराता है, सो जब ये बे'नूर हो जायें तो नमाज़ की तरफ़ जल्दी किया करो।'

(1177) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2068.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रूकू के बाद क़याम में सूरह फ़ातिहा पढ़ने की सराहत नहीं है सिर्फ़ दोबारा क़िराअत शुरू करने का ज़िक्र है क्योंकि दोबारा क़िराअत शुरू कर देना एक ही रकअ़त का तसलसुल है, लिहाज़ा नये सिरे से सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, ताहम कुछ अइम्मा दोबारा सूरह फ़ातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं लेकिन ये दुरूस्त नहीं। **(2)** नमाज़े कुसूफ़ में भी ख़ुत्बा देना चाहिए जिसमें अहम उमूर की निशानदेही की जाये। **(3)** किसी बड़े छोटे इन्सान की मौत व हयात के साथ इन अजरामे फ़लकी का कोई ताल्लुक़ नहीं है। **(4)** शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें तीन रूकू के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। महफ़ूज़ अल्फ़ाज़ 'दो रूकू' हैं जैसा कि सहीहैन में है। और हदीस: 1180 में भी है।

बाब : 2
नमाज़े कुसूफ़ में चार रूकू करने का बयान

﴿2﴾
باب مَنْ قَالَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ

(1178) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ और ये वही दिन था जिसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रज़न्द जनाब इब्राहीम फ़ौत हूए थे तो लोगों ने कहा: ये इब्राहीम की वफ़ात पर गहनाया है। सो नबी (ﷺ) ने क़याम फ़रमाया और लोगों को चार सज्दों में छः रूकू कराये। (यानी हर रकअत में तीन तीन रूकू किये) आपने अल्लाहु अकबर कहा फिर लम्बी क़िराअत की, फिर रूकू किया, इस क़द्र जितना कि क़याम किया था। फिर सर उठाया और क़िराअत की जो कि पहली क़िराअत से कम थी। फिर रूकू किया जितना कि क़याम किया था। फिर सर उठाया और क़िराअत की जो कि पहली क़िराअत से कम थी। फिर रूकू किया जितना कि क़याम किया था। फिर सर उठाया और तीसरी बार क़िराअत की जो कि दूसरी बार की क़िराअत से कम थी। फिर रूकू किया जिस क़द्र कि क़याम किया था। फिर सर उठाया और सज्दे में चले गये और दो सज्दे किये। फिर खड़े हूए और तीन रूकू किये, सज्दे से पहले। हर पहला रूकू दूसरे से ज़्यादा लम्बा होता था, अलबत्ता हर

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النَّاسُ إِنَّمَا كُسِفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ ابْنِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ كَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الثَّالِثَةَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَانْحَدَرَ لِلسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلاَّ الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي

بَعْدَهَا إِلاَّ أَنَّ رُكُوعَهُ نَحْوٌ مِنْ قِيَامِهِ قَالَ ثُمَّ تَأَخَّرَ فِي صَلاَتِهِ فَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ مَعَهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَامَ فِي مَقَامِهِ وَتَقَدَّمَتِ الصُّفُوفُ فَقَضَى الصَّلاَةَ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ بَشَرٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ " . وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ .

रूकू क़याम के बराबर लम्बा होता था। (हज़रत जाबिर (ﷺ) ने) बयान किया कि फिर आप नमाज़ के बीच में पीछे हटे तो सफ़ें भी आपके साथ पीछे हो गयीं, फिर आप आगे बढ़े और अपनी जगह पर खड़े हो गये तो सफ़ें भी आगे बढ़ गयीं, इस तरह आपने नमाज़ पूरी की यहाँ तक कि सूरज साफ़ निकल आया। फिर आपने फ़रमाया: 'लोगो! सूरज और चाँद अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी इन्सान की मौत के बाइस बे'नूर नहीं होते। जब तुम उनमें से कुछ देखो तो नमाज़ पढ़ा करो यहाँ तक कि साफ़ हो जायें।' और बक़िया हदीस बयान की।

(1178) तख़रीज : मुसनद अहमद: 3/217, 218, व सही मुस्लिम: 904.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ वाज़ेह नहीं है मगर ये कि नमाज़े कुसूफ़ में हर पहला क़याम और रूकू लम्बा और दूसरा इससे कम होना चाहिए। **(2)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपने मुसल्ले से आगे बढ़ना जन्नत के मुशाहिदे की बिना पर था और पीछे हटना जहन्नम के दिखाये जाने के बाइस था। **(3)** शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें भी 'छः रूकू' के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। महफ़ूज़ (सुरक्षित) अल्फ़ाज़ 'चार रूकू' हैं। जैसा कि अगली हदीस में है।

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1179) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में एक इन्तेहाई गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने अस्हाब को नमाज़ पढ़ाई और लम्बा क़याम किया यहाँ तक कि लोग गिरने लगे। फिर आपने रूकू किया और लम्बा रूकू किया। फिर आपने सर उठाया

और बहुत देर तक खड़े रहे। फिर (दूसरा) रूकू किया और लम्बा रूकू किया फिर सर उठाया और बहुत देर खड़े रहे फिर सज्दा किया और दो सज्दे किये फिर क़याम किया जैसे कि पहले किया था। सो आपने चार रूकू और चार सज्दे किये और हदीस़ बयान की।

(1179) तख़रीज : स़ही मुस्लिम, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

بِأَصْحَابِهِ فَأَطَالَ الْقِيَامَ حَتَّى جَعَلُوا يَخِرُّونَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(1180) नबी (ﷺ) की ज़ौज–ए–मुतह्हरा सय्यदा आयशा (ؓ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़िन्दगी में सूरज ग्रहण हुआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये और खड़े हूए और तकबीर कही और लोगों ने आपके पीछे स़फ़ें बनाई, चुनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने क़िराअत शूरू की और लम्बी क़िराअत की। फिर आपने तकबीर कही और रूकू किया, लम्बा रूकू, फिर अपना सर उठाया और कहा: (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) और खड़े रहे और क़िराअत की, लम्बी क़िराअत, जो कि पहली क़िराअत से कम थी, फिर आपने तकबीर कही और रूकू किया, लम्बा रूकू, मगर पहले रूकू से कम। फिर कहा: (समिअ़ल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना वलकल हम्द) फिर दूसरी रकअ़त में भी इसी तरह किया और चार रूकू और चार सज्दे मुकम्मल किये और आपके फ़ारिग़ होने से पहले सूरज स़ाफ़ हो गया।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِرَاءَةً طَوِيلَةً ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً هُوَ أَدْنَى مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " . ثُمَّ

فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَانْجَلَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ .

(1180) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1046, व सही मुस्लिम: 901.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ كَانَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ مِثْلَ حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ .

(1181) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरज ग्रहण में नमाज़ पढ़ी जैसे कि उर्वा अन आयशा अन रसूलुल्लाह (ﷺ) की (ऊपर दी गई) हदीस में गुज़रा है। यानी आपने दो रकअतें पढ़ाईं और हर रकअत में दो रूकू किये।

(1181) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1046, व सही मुस्लिम: 902.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ بْنِ خَالِدٍ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، - وَهَذَا لَفْظُهُ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ فَقَرَأَ سُورَةً مِنَ الطُّوَلِ وَرَكَعَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ

(1182) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ और नबी (ﷺ) ने उन्हें नमाज़ पढ़ाई और लम्बी सूरतों में से एक सूरत की क़िराअत की और पाँच रूकू और दो सज्दे किये फिर दूसरी रकअत में खड़े हूए और लम्बी सूरतों में से एक सूरत पढ़ी और पाँच रूकू और दो सज्दे किये, फिर आप क़िब्ला रू होकर बैठे और दुआ करते रहे, यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया।

(1182) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/134.

وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ كَمَا هُوَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَدْعُو حَتَّى انْجَلَى كُسُوفُهَا .

नोट : इस हदीस़ में पाँच रूकू का ज़िक्र है लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ وَالأُخْرَى مِثْلُهَا .

(1183) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी(ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने सूरज ग्रहण में नमाज़ पढ़ाई तो क़िराअत की और रूकू किया, फिर क़िराअत की और रूकू किया, फिर क़िराअत की और रूकू किया, फिर क़िराअत की और रूकू किया। फिर सज्दा किया और दूसरी रकअत में भी ऐसे ही किया।

(1183) तख़रीज : सही मुस्लिम: 909.

फ़ायदा : यानी हर दो रकअत में चार चार रूकू किये। शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक हर रकअत में दो दो रूकू करने वाली रिवायतें ही सही हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ عِبَادٍ الْعَبْدِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةً يَوْمًا لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ سَمُرَةُ بَيْنَمَا أَنَا وَغُلاَمٌ مِنَ الأَنْصَارِ نَرْمِي غَرَضَيْنِ لَنَا حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ فِي عَيْنِ النَّاظِرِ مِنَ الأُفُقِ اسْوَدَّتْ حَتَّى آضَتْ كَأَنَّهَا تَنُّومَةٌ فَقَالَ أَحَدُنَا لِصَاحِبِهِ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَاللَّهِ لَيُحْدِثَنَّ شَأْنُ هَذِهِ الشَّمْسِ لِرَسُولِ اللَّهِ

(1184) जनाब स़ालबा बिन इबाद अब्दी ... अहले बसरा में से एक शख़्स ... बयान करते हैं कि वह हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (ﷺ) के एक ख़ुत्बे में हाज़िर हूए, समुरा ने कहा: एक दफ़ा मैं और एक अन्सारी नोजवान निशाना बाज़ी कर रहे थे यहाँ तक कि देखने वाले की आँख में जब सूरज से दो या तीन नेज़े पर था तो वह स्याह हो गया जैसे कि तन्नूमा (घास) हो। हममें से एक ने अपने साथी से कहा: चलो आओ मस्जिद की तरफ़ चलें, क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह(ﷺ) सूरज की इस कैफ़ियत में उम्मत को ज़रूर कोई नई बात तालीम फ़रमायेंगे। सौ हम फ़ौरन वहाँ पहुँच गये

صلى الله عليه وسلم فِي أُمَّتِهِ حَدَّثَا قَالَ فَدَفَعْنَا فَإِذَا هُوَ بَارِزٌ فَاسْتَقْدَمَ فَصَلَّى فَقَامَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا قَامَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا رَكَعَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا ثُمَّ سَجَدَ بِنَا كَأَطْوَلِ مَا سَجَدَ بِنَا فِي صَلاَةٍ قَطُّ لاَ نَسْمَعُ لَهُ صَوْتًا . ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَوَافَقَ تَجَلِّي الشَّمْسِ جُلُوسَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَشَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَشَهِدَ أَنَّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ سَاقَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(जैसे गोया हमें धकेल दिया गया हो) तो वहाँ आप घर से तशरीफ़ लाये हूए थे। पस आप आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें निहायत लम्बा क़याम कराया ऐसा कि किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर आपने हमें निहायत लम्बा रूकू कराया जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर आपने हमें निहायत लम्बा सज्दा कराया जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे थे। फिर दूसरी रकअत में भी आपने ऐसे ही किया। और दूसरी रकअत में बैठने के दौरान में सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने सलाम फेरा। फिर खड़े हूए, अल्लाह की हम्द व सना की, अल्लाह की तौहीद और अपनी अब्दीयत व रिसालत की शहादत दी। और अहमद बिन यूनुस ने नबी (ﷺ) का ख़ुत्बा बयान किया।

(1184) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस:562, नसाई, हदीस:1485, इब्ने माजा, हदीस:1264, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस:1397, इब्ने हिब्बान, हदीस:597,598, हाकिम: 1/329, 331.

फ़ायदा : इस रिवायत में हर रकअत में एक रूकू का ज़िक्र है और ये कि क़िराअत भी सुनाई न देती थी और अहनाफ़ के मस्लक की बुनियाद यही हदीस है। लेकिन जिन रिवायात में एक एक रकअत में दो दो रूकू का ज़िक्र है, वह सहीहैन (बुख़ारी व मुस्लिम) की रिवायात हैं जो सनद के ऐतबार से अबू दाऊद की इस रिवायत से ज़्यादा क़वी हैं। दूसरे, इनमें ये एक ज़्यादती है जो सिका रावियों की तरफ़ से हो तो मक़बूल होती है। इसी तरह जहरी क़िराअत का इज़ाफ़ा भी सही रिवायात से साबित है। इस वज़ह से नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत भी जहरी होनी चाहिए और रूकू भी कम अज़ कम दो हों तो ज़्यादा बेहतर है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْجَلَتْ فَقَالَ " إِنَّمَا هَذِهِ الآيَاتُ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأَحْدَثِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ الْمَكْتُوبَةِ " .

(1185) हज़रत क़बीसा हिलाली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहणा गया। पस आप घबराये हूए, अपना कपड़ा घसीटते हूए निकले। मैं उन दिनों आपके साथ मदीने में था। आपने दो रकअतें पढ़ाईं और उनमें काफ़ी लम्बा क़याम किया, फ़ारिग़ हूए तो सूरज साफ़ हो चुका था। आपने फ़रमाया: 'ये निशानियाँ हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इनके ज़रिये से (बंदों को) डराता है। सो जब तुम ये देखो तो नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुमने अभी क़रीबी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी है।'

(1185) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1487, हाकिम: 1/333, बैहक़ी: 3/334.

फ़ायदा : इसमें नमाज़े कुसूफ़ को फ़र्ज़ नमाज़ की तरह पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए ये क़ाबिले हुज्जत नहीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ قَبِيصَةَ الْهِلاَلِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ الشَّمْسَ كُسِفَتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُوسَى قَالَ حَتَّى بَدَتِ النُّجُومُ

(1186) हज़रत क़बीसा हिलाली (ﷺ) से मरवी है कि सूरज को ग्रहण लगा। और मूसा बिन इस्माईल की (ऊपर दी गई) हदीस की मानिन्द बयान किया। इसमें बयान किया: यहाँ तक कि सितारे ज़ाहिर हो गये।

(1186) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/334.

फ़ायदा : गुज़िश्ता रिवायतों में रूकू की तादाद दो दो, तीन तीन, चार चार बताई गई है। जबकि बेशतर में ये सराहत भी है कि ये उस दिन पेश आया था जिस दिन नबी (ﷺ) के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हूई थी। इसलिए तआरूज़ ज़ाहिर है और तत्बीक़ (हल) का कोई इम्कान नहीं। इसलिए मुहक्क़िक़ीन की राय ये है कि तर्जीह की राह इख़्तियार की जायेगी और तर्जीह दो रूकू वाली रिवायात को है क्योंकि ये सहीहैन और बिलख़ुसूस बुख़ारी में मरवी है। जबकि इससे ज़्यादा रूकू वाली रिवायात सही मुस्लिम और कुतूबे सुन्नत की हैं। लिहाज़ा ये रिवायात सहीहैन की रिवायत के हम पल्ला नहीं हो सकतीं। वल्लाहू आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्आतुल मफ़ातीह, सलातुल कुसूफ़, हदीस: 1496)

बाब : 3 नमाज़े कुसूफ़ में क़िराअत का बयान

﴿3﴾ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ قَدْ حَدَّثَنِي عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ - ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِرَاءَةَ فَحَزَرْتُ قِرَاءَتَهُ فَرَأَيْتُ أَنَّهُ قَرَأَ بِسُورَةِ آلِ عِمْرَانَ .

(1187) उम्मुल मोमिनीन आयशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहणाया तो रसूलुल्लाह (ﷺ) निकले और लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हूए। पस मैंने आपकी क़िराअत का अन्दाज़ा लगाया तो महसूस किया कि आपने सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई है। और हदीस़ बयान की। फिर आपने दो सज्दे किये, फिर खड़े हूए और लम्बी क़िराअत की। मैंने आपकी क़िराअत का अन्दाज़ा लगाया तो मैंने समझा कि आपने सूरह आले इमरान तिलावत की है।

(1187) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/335, हाकिम: 1/333, 334, 1191 में देखें।

फ़ायदा : इस नमाज़ में क़िराअत जहाँ तक हो सके ख़ूब लम्बी होनी चाहिए।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً فَجَهَرَ بِهَا يَعْنِي فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ

(1188) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लम्बी क़िराअत की और ऊँची आवाज़ से। यानी नमाज़े कुसूफ़ में।

(1188) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 1066, व स़ही मुस्लिम: 901.

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों हदीसों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ (समाधान) यूँ है कि हज़रत

आयशा(ﷺ) चूंकि फ़ासले पर थीं इसलिए। नबी (ﷺ) की क़िराअत साफ़ सुन न सकी थीं। आवाज़ सुनी, इसलिए जाना कि क़िराअत जहरन हो रही है। लेकिन ये न जान सकीं कि क़िराअत क्या हो रही है, इसलिए इसका अन्दाज़ा लगाया।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - كَذَا عِنْدَ الْقَاضِي وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - قَالَ خُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً بِنَحْوٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(1189) सय्यदना इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: सूरज ग्रहण हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ी, लोग आपके साथ थे। आपने सूरह बक़र: के क़रीब लम्बा क़याम किया, फिर रूकू किया। और बाक़ी हदीस़ बयान की।

(1189) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 1052, मौता: 1/186, 187, व सही मुस्लिम: 907.

﴾4﴿
باب يُنَادَى فِيهَا بِالصَّلاَةِ

बाब : 4
नमाज़े कुसूफ़ के लिए ऐलान

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً فَنَادَى أَنَّ الصَّلاَةَ جَامِعَةٌ .

(1190)उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा (ﷺ) ने बयान किया कि सूरज ग्रहणाया तो रसूल (ﷺ) ने एक आदमी को हुक्म दिया उसने ऐलान किया: (अस्सलातु जामिअतुन) यानी नमाज़ के लिए जमा हो जाओ।

(1190) **तख़रीज** : बुख़ारी, हदीस़: 1066, व सही मुस्लिम: 901.

फ़ायदा : नमाज़े कुसूफ़ के लिए ऐलाने आम तो मुस्तहब है मगर मारूफ़ अज़ान व इक़ामत नहीं है।

﴾5﴿ باب الصَّدَقَةِ فِيهَا

बाब : 5 सूरज ग्रहण के मौक़े पर सदक़ा करना

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا " .

(1191) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौत या विलादत की वजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम ये (कैफ़ियत) देखो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ किया करो, उसकी तकबीर बयान करो और सदक़ा दिया करो।'

(1191) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1044, मौता: 1/186, हदीस: 2519, व सही मुस्लिम: 901.

फ़ायदा : कुसूफ़ के मौक़े पर मारूफ़ नमाज़ के अलावा माली सदक़ा करना भी मुस्तहब है।

﴾6﴿ باب الْعِتْقِ فِيهِ

बाब : 6 इस मौक़े पर ग़ुलाम आज़ाद करना

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ فِي صَلاَةِ الْكُسُوفِ .

(1192) सय्यदना अस्मा बिन्ते अबीबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) नमाज़े कुसूफ़ के मौक़े पर ग़ुलाम आज़ाद करने का हुक्म दिया करते थे।

(1192) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2519.

फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाब व तर्ग़ीब के लिये है और किसी इंसान को मुआशरे में उसका हक़ और मक़ाम दिलाना बड़ा अज़ीम अमल है। बिलख़ुसूस मुसलमान के लिये।

बाब : 7
उन हज़रात की दलील जो कहते हैं कि (कुसूफ़ में मारूफ़ नमाज़ की तरह) दो रकअतें पढ़े

﴿7﴾

بَابُ مَنْ قَالَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ عَنْهَا حَتَّى انْجَلَتْ .

(1193) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) के दौर में सूरज को ग्रहण लगा तो आप दो दो रकअतें पढ़ने लगे और सूरज के मुताल्लिक़ भी दरयाफ़्त फ़रमाते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो गया।

(1193) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)** नसाई, हदीस: 1486, इब्ने माजा, हदीस: 1262, बैहक़ी: 3/333.

फ़ायदा : सही हदीसों से साबित है कि इस नमाज़ में रकअतें तो दो ही हैं लेकिन हर रकअत में कम अज़ कम दो रूकू और ख़ूब लम्बी क़िराअत होनी चाहिए। (देखिये गुज़िश्ता अहादीसे कुसूफ़)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَكَدْ يَرْكَعُ ثُمَّ رَكَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ

(1194) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़याम किया, (इतना लम्बा क़याम कि) लगता था कि आप रूकू नहीं करेंगे। फिर रूकू किया, (इतना लम्बा रूकू किया कि) लगता था कि आप रूकू से सर नहीं उठायेंगे फिर सर उठाया, (इतना लम्बा क़याम किया कि) लगता था कि आप सज्दा नहीं करेंगे फिर सज्दा किया, (इतना लम्बा सज्दा किया कि) लगता था कि आप सज्दे से सर

يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ فَلَمْ يَكَدْ يَسْجُدُ ثُمَّ سَجَدَ فَلَمْ يَكَدْ يَرْفَعُ ثُمَّ رَفَعَ وَفَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ نَفَخَ فِي آخِرِ سُجُودِهِ فَقَالَ " أُفْ أُفْ " . ثُمَّ قَالَ " رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ " . فَفَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ صَلاَتِهِ وَقَدْ أَمْحَصَتِ الشَّمْسُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

नहीं उठायेंगे फिर सर उठाया और (इतनी देर बैठे रहे कि) लगता था कि आप सज्दा नहीं करेंगे फिर सज्दा किया) इतना लम्बा सज्दा किया) लगता था कि आप सर नहीं उठायेंगे फिर सर उठाया और दूसरी रकअ़त में भी ऐसे ही किया। और आख़री सज्दे में ज़ोर ज़ोर से साँस लेने लगे और 'उफ़ उफ़' की आवाज़ निकाली और कहा: 'ऐ मेरे रब! क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया है कि जब तक मैं इनमें मौजूद हूँ तू इनको अ़ज़ाब नहीं देगा। क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया है कि जब तक ये इस्तेग़फ़ार करते रहेंगे तू इनको अ़ज़ाब न देगा।' अलग़र्ज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो सूरज साफ़ हो चुका था ... और हदीस़ बयान की।

(1194) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1483.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़े कुसूफ़ की हर रकअ़त में एक रूकू भी जायज़ है, ताहम दो रूकू वाली रिवायत को तर्जीह हासिल है। **(2)** क़याम, रूकू और सुजूद हस्बे हिम्मत लम्बे होने चाहिए।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا أَنَا أَتَرَمَّى، بِأَسْهُمٍ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَنَبَذْتُهُنَّ وَقُلْتُ لأَنْظُرَنَّ مَا أُحْدِثَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كُسُوفِ

(1195) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) कहते हैं कि दौरे रिसालत की बात है। मैं तीर अन्दाज़ी की मश्क़ कर रहा था कि सूरज ग्रहण लग गया तो मैंने तीर फैंक दिये और कहा: मैं ज़रूर देखूंगा कि आज सूरज ग्रहण वाले दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) क्या नया काम करते हैं, चुनांचे मैं आपके पास पहुँचा और देखा कि आप अपने हाथ उठाये तस्बीह, तहमीद और तहलील में मशग़ूल दुआ कर रहे थे यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो

الشَّمْسِ الْيَوْمَ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يُسَبِّحُ وَيُحَمِّدُ وَيُهَلِّلُ وَيَدْعُو حَتَّى حُسِرَ عَنِ الشَّمْسِ فَقَرَأَ بِسُورَتَيْنِ وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ .

गया। इस मौक़े पर आपने दो रकअतों में दो सूरतें पढ़ीं।

(1195) तख़रीज : सही मुस्लिम: 913.

«8» باب الصَّلاَةِ عِنْدَ الظُّلْمَةِ وَنَحْوِهَا

बाब : 8 तारीकी छा जाने या इस तरह के दीगर हवादिस के मौक़े पर नमाज़ पढ़ना

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ النَّضْرِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى عَهْدِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَ - فَأَتَيْتُ أَنَسًا فَقُلْتُ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنْ كَانَتِ الرِّيحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ الْمَسْجِدَ مَخَافَةَ الْقِيَامَةِ .

(1196) जनाब उ़बैदुल्लाह बिन नज़र से रिवायत है कि उनके वालिद का बयान है कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) की ज़िन्दगी में एक रोज़ (आँधी या बादल की वजह से) अन्धेरा छा गया तो मैं हज़रत अनस (ﷺ) के पास आया और कहा: ऐ अबू हमज़ा! क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में भी आप लोगों को ऐसी कैफ़ियत से दो चार होना पड़ता था? उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! अगर हवा भी तुन्द हो जाती तो हम जल्दी जल्दी मस्जिद का रूख़ करते थे कि कहीं क़यामत न आ जाये।

(1196) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/342, 343, हाकिम: 1/334.

नोट : इस हदीस़ में बयान है कि इन लोगों में क़यामत का डर और ख़ौफ़ बहुत ज़्यादा था मगर अब आफ़तों पर आफ़तें गुज़र जाती हैं मगर क़यामत का ख़्याल ही नहीं आता, न अपनी इस्लाह ही की कोई फ़िक्र करते हैं।

﴿9﴾
باب السُّجُودِ عِنْدَ الآيَاتِ

बाब : 9
जब कोई बड़ा वाक़िया या हादसा पेश आये तो सज्दा करना चाहिए

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ قِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَاتَتْ فُلاَنَةُ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَّ سَاجِدًا فَقِيلَ لَهُ أَتَسْجُدُ هَذِهِ السَّاعَةَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا رَأَيْتُمْ آيَةً فَاسْجُدُوا " . وَأَىُّ آيَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَهَابِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1197) जनाब इक्रमा कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ख़बर दी गई कि नबी (ﷺ) की अज़्वाज (बिवियों) में से फ़लां फ़ौत हो गई हैं तो आप सज्दे में गिर गये। उनसे कहा गया कि आप इस मौक़े पर सज्दा करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया है: 'जब कोई बड़ा वाक़िया या हादसा देखो तो सज्दा किया करो।' और भला ज़ौज-ए-नबी (ﷺ) की वफ़ात से बढ़ कर भी कोई हादसा होगा?

(1197) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3891.

फ़ायदा : किसी घराने या मुआशरे का अपने नेक और सालेह अफ़राद से महरूम हो जाना बहुत बड़ी आफ़त है। मगर कम ही लोगों को इसका एहसास होता है। बहरहाल वाजिब है कि हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ़ रूजू किया जाये।

كتاب صلاة السفر

नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल

दीने इस्लाम का एक सुतून (पिल्लर) नमाज़ है और ये इस्लाम का एक ऐसा हुक्म है जिसका कोई मुसलमान इंकारी नहीं, क़ुर्आन मजीद और हदीसों में इसे अदा करने की बड़ी ताकीद की गई है। नमाज़ किसी भी सूरत में माफ़ नहीं है, ख़्वाह जंग हो रही हो या आदमी सफ़र की मुश्किलात से दो चार हो या बीमार हो, हर हाल में नमाज़ फ़र्ज़ है, ताहम मौक़े की मुनासिबत से नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। सफ़र में नमाज़ क़स्र करना यानी चार फ़र्ज़ की बजाये दो फ़र्ज़ अदा करना, जैसे ज़ोहर, अस्र और इशा की नमाज़ें हैं, ये अल्लाह तआला का अपने बंदों पर इनाम है, लिहाज़ा इससे फ़ायदा उठाना मुस्तहब है। सफ़र की नमाज़ से मुताल्लिक़ा चंद अहम उमूर नीचे दिये गये हैं:

- ज़ोहर, अस्र और इशा की नमाज़ों में दो दो फ़र्ज़ पढ़े जायें मग़रिब और फ़ज्र के फ़र्ज़ों में क़स्र नहीं है।

- सफ़र में सुन्नतें और नवाफ़िल पढ़ना ज़रूरी नहीं, दो गाना ही काफ़ी है, अलबत्ता इशा के दोगाने के साथ वित्र ज़रूरी हैं। इसी तरह फ़ज्र की सुन्नतें भी पढ़ी जायें क्योंकि इनकी फ़ज़ीलत बहुत है और नबी (ﷺ) सफ़र में भी इनका एहतिमाम करते थे।

- नमाज़े क़स्र करना कितनी मसाफ़त पर जायज़ है? इसके बारे में हज़रत अनस (رضي الله عنه) की रिवायत है: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तीन मील या तीन फ़रसख़ का सफ़र इख़्तियार फ़रमाते तो दो रकअत नमाज़ अदा करते।' (सही मुस्लिम: 691) हाफ़िज़ इब्ने हजर इस हदीस के मुताल्लिक़ लिखते हैं: 'ये सबसे ज़्यादा सही और सबसे ज़्यादा सरीह हदीस है जो मुद्दते सफ़र के बयान में वारिद हूई है।' ऊपर दी गई हदीस में रावी को शक है तीन मील या तीन फ़रसख़? इसलिए तीन फ़रसख़ को राजेह क़रार दिया गया है। इस ऐतबार से 9 मील तक़रीबन 22, 23 किलोमीटर मसाफ़त हद हो गई। यानी अपने शहर की हुदूद से निकल कर 22 किलोमीटर या उससे ज़्यादा मसाफ़त पर दोगाना अदा किया जाये।

- क़स्र करना उस वक़्त जायज़ है जब क़याम की नियत तीन दिन की होगी अगर शुरू दिन ही से

चार या उससे ज़्यादा दिन की नियत होगी, तो मुसाफ़िर नहीं माना जायेगा, इस सूरत में नमाज़ शूरू ही से पूरी पढ़नी चाहिए, ताहम दौराने सफ़र में क़स्र कर सकता है।

- नियत तीन दिन या उससे कम ठहरने की हो लेकिन फिर किसी वजह से एक या दो दिन मज़ीद ठहरना पड़ जाये तो तर्दीद की सूरत में नमाज़ क़स्र अदा की जा सकती है, चाहे उसे वहाँ महीना गुज़र जाये।
- सफ़र में दो नमाज़ें इकट्ठी भी पढ़ी जा सकती हैं यानी जमा तक़दीम (अस्र को ज़ोहर के वक़्त और इशा को मग़रिब के वक़्त में अदा करना) और जमा ताख़ीर (ज़ोहर को अस्र के वक़्त और मग़रिब को इशा के वक़्त में अदा करना) दोनों तरह जायज़ है।

كتاب صلاة السفر

नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب صَلاَةِ الْمُسَافِرِ

बाब : 1
मुसाफ़िर की नमाज़ का बयान

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ.

(1198) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि (शूरू में) सफ़र और हज़र की नमाज़ दो दो रकअतें ही फ़र्ज़ हूई थी, फिर सफ़र की नमाज़ बहाल रखी गई और मुक़ीम की नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया।

(1198) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 350, मौता, हदीस: 1/146, व मुस्लिम: 685 (वलक़अनबी, स़फ़ा: 188, 189)

फ़ायदा : ये हज़रत आयशा (ﷺ) का क़ौल है, इसका मफ़हूम ये हो सकता है कि मक्का मुकर्रमा में नमाज़ फ़र्ज़ होने से पहले लोग अपने तौर पर दो दो रकअत नमाज़ अदा करते हों। वल्लाहू आलम!

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا خُشَيْشٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَصْرَمَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرَأَيْتَ إِقْصَارَ النَّاسِ الصَّلاَةَ وَإِنَّمَا قَالَ تَعَالَى { إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا } فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ الْيَوْمُ . فَقَالَ عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ " .

(1199) जनाब यअ़ला बिन उमैया कहते हैं मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से कहा: बताइये कि लोगों का (सफ़र में) नमाज़ क़स्र करना क्योंकर है? हालांकि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ने फ़रमाया है: 'अगर तुम्हें डर महसूस हो कि कुफ़्फ़ार तुम्हें फ़ितने में डाल देंगे ...' और अब कुफ़्फ़ार से डर ख़ौफ़ वाली कैफ़ियत तो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे भी यही ताज्जुब हूआ था जो तुम्हें हूआ है। पस मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ की थी। आपने फ़रमाया था: 'ये स़दक़ा है जो अल्लाह तआ़ला ने तुम पर किया है। सो उसका स़दक़ा क़बूल करो।'

(1199) तख़रीज : स़ही मुस्लिम: 686.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी सफ़र में नमाज़ क़स्र करना, सिर्फ़ दो रकअ़त पढ़ना ये अल्लाह तआ़ला का इनाम है जो उसने अपने बंदों पर किया है ख़्वाह ख़ौफ़ हो या न हो, लिहाज़ा इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। हालते सफ़र में क़स्र मसनून है। **(2)** स़ही हदीसें क़ुर्आन करीम की तफ़्सीर हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي عَمَّارٍ، يُحَدِّثُ فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ كَمَا رَوَاهُ ابْنُ بَكْرٍ .

(1200) जनाब इब्ने जुरैज कहते हैं कि मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन अबी अ़म्मार को सुना, वह बयान करते थे। और ऊपर दी गई हदीस़ की मानिन्द रिवायत किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अबू आ़सिम और हम्माद बिन मसअ़दा ने भी इब्ने बक्र की मानिन्द रिवायत किया है।

(1200) तख़रीज : (सनद स़ही) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

बाब : 2
मुसाफ़िर कब क़स्र करे?

«2» باب مَتَى يُقْصِرُ الْمُسَافِرُ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاَثَةِ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ شَكَّ - يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(1201) यहया बिन यज़ीद हुनाई कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से नमाज़ क़स्र करने के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने फ़रमाया: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) जब तीन मील या तीन फ़रसख़ की मसाफ़त पर जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे।' ये शक शोबा को हूआ है।

(1201) तख़रीज : सही मुस्लिम: 691.

फ़ायदा : तीन मील की मसाफ़त को फ़रसख़ (फ़ारसी में फ़रसंग) कहते हैं। इस तरह क़स्र के लिए कम अज़ कम मसाफ़त नो मील हूई। तीन मील की बात चूंकि मश्कूक है, इसलिए हुज्जत नहीं और तीन फ़रसख़ की मसाफ़त एहतियात व यक़ीन पर मबनी है। इसलिए सफ़र की मसाफ़त (अपने शहर की हद छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील यानी 22, 23 किलोमीटर होगी।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، سَمِعَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

(1202) हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) के साथ मदीने में ज़ोहर की नमाज़ चार रकअत पढ़ी और अस्र की नमाज़ ज़ूलहुलैफ़ा में दो रकअत।

(1202) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1089, व सही मुस्लिम: 690.

फ़ायदा : यानी सफ़र शूरू हो जाने के बाद शहर से निकल कर नमाज़ क़स्र पढ़ी जायेगी। ज़ूलहुलैफ़ा मौजूदा नाम (आबारे अली) मदीने से मक्का की जानिब पहला पड़ाव है और फ़ासला छः मील है। ख़्याल रहे कि ये हदीस नबी (ﷺ) के सफ़रे हज की बाबत है जबकि आप मक्का के क़सद (इरादे) से निकले थे और कोई बईद नहीं कि पिछली हदीस में इसी वाक़िया को दूसरे उस्लूब में बयान किया गया हो।

बाब : 3
सफ़र में नमाज़ के लिये अज़ान कहना

﴿3﴾ باب الأَذَانِ فِي السَّفَرِ

(1203) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमाते थे: 'तुम्हारा रब बकरियों के उस चरवाहे पर ताज्जुब करता (ख़ूश होता) है जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हूए) नमाज़ के लिए अज़ान कहता और नमाज़ पढ़ता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: देखो मेरे इस बंदे को जो नमाज़ के लिए अज़ान और इक़ामत कहता है (और) मुझी से डरता है। मैंने अपने इस बंदे को बख़्श दिया है और जन्नत में दाख़िल कर दिया है।'

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّي فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ " .

(1203) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 667, इब्ने हिब्बान, हदीस: 260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का 'ताज्जुब करना' उसी तरह है जो उसकी शाने जलालत के लायक़ है। या फिर 'यअ्जबु' के मानी में है यानी ख़ूश होता है। (लैसा कमिस्लिही शैउन) अहले सुन्नत वल जमात क़ुर्आन करीम और अहादीसे सहीहा में वारिद तमाम सिफ़ाते इलाहिया पर ईमान रखते और उनका इस्बात करते हैं। किसी क़िस्म की तश्बीह, तमसील, तावील या तातील के क़ाइल नहीं हैं। **(2)** इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है कि अकेला चरवाहा अपनी नमाज़ के लिए अज़ान और इक़ामत कह सकता है तो मुसाफ़िर के लिए भी अज़ान व इक़ामत कहनी मुस्तहब है।

बाब : 4
मुसाफ़िर को नमाज़ के वक़्त में शक हो और वह (इमाम के साथ) नमाज़ पढ़ ले तो?

﴿4﴾
باب الْمُسَافِرِ يُصَلِّي وَهُوَ يَشُكُّ فِي الْوَقْتِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْمِسْحَاجِ بْنِ مُوسَى، قَالَ قُلْتُ لأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حَدِّثْنَا مَا، سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَقُلْنَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلْ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ارْتَحَلَ .

(1204) मिसहाज बिन मूसा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से कहा: आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से जो सुना है बयान कीजिये! तो उन्होंने कहा: हम जब रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में हूआ करते तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच करते हालांकि हमें शुब्हा सा होता था कि सूरज ढला भी है या नहीं।

(1204) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/113.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ के औक़ात की मारफ़त और उसका वक़्त हो जाना सेहते नमाज़ की अहम शर्तों में से है और इस सिलसिले में इमाम और मुअज़्ज़िन ही ज़िम्मेदार हैं। किसी एक फ़र्द के शुब्हा का कोई ऐतबार नहीं। हज़रत अनस (ﷺ) ने जो शुब्हा ज़ाहिर किया है वह हक़ीकत में शुब्हा ही है क्योंकि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ोहर की नमाज़ कभी भी ज़वाल से पहले नहीं पढ़ी। इसलिए मुक़तदियों को अपने इमाम पर ऐतमाद करना चाहिए। (2) इसमें ये भी है कि नबी (ﷺ) सूरज ढलते ही अव्वले वक़्त में नमाज़ पढ़ा करते थे और सफ़र में भी इसी का एहतिमाम फ़रमाते थे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ الْعَائِذِيُّ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي ضَبَّةَ - قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا

(1205) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब किसी मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो उस वक़्त तक कूच न करते जब तक कि ज़ोहर की नमाज़ न पढ़ लेते। एक शख़्स ने उनसे कहा: अगरचे निस्फ़े नहार (आधा दिन) ही होता? उन्होंने

نَزَلَ مَنْزِلاً لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ .

कहा कि (हाँ!) अगरचे निस्फ़े नहार ही होता।

(1205) **तख़रीज:(सनद सही)** नसाई, हदीस: 499

फ़ायदा : ये इस सूरत में होता जब ज़वाल (सूरज ढलने) से पहले कूच न किया होता। अगर ज़वाल से पहले ही सफ़र में चल पड़ते तो ज़ोहर को मुअख़्ख़र (लेट) करके अस्र के साथ इकट्ठा करके पढ़ते थे। इसके अलावा इस हदीस का मतलब ये भी नहीं है कि निस्फ़े नहार (ज़वाल) से पहले ही नबी (ﷺ) ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते थे बल्कि मतलब ये है कि ज़वाल के होते ही फ़ौरन ज़ोहर की नमाज़ अदा कर लेते और फिर सफ़र शुरू करते क्योंकि ज़वाल से पहले तो ज़ोहर का वक़्त ही नहीं होता।

﴿5﴾ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ

बाब : 5 दो नमाज़ों को जमा करने का बयान

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ، خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَأَخَّرَ الصَّلاَةَ يَوْمًا ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا .

(1206) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) का बयान है कि वह लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व ए तबूक के लिए निकले तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ज़ोहर व अस्र और मग़रिब व इशा की नमाज़ों को जमा किया करते थे। आपने एक दिन नमाज़ को मुअख़्ख़र (लेट) कर दिया, फिर तशरीफ़ लाये और ज़ोहर और अस्र इकट्ठी पढ़ाईं, फिर अपने ख़ैमे में चले गये, फिर तशरीफ़ लाये और मग़रिब और इशा इकट्ठी पढ़ाईं।

(1206) **तख़रीज** : मौता: 1/143, 144, (वलक़अनबी, सफ़ा: 183), व सही मुस्लिम: 706.

फ़ायदा : मुसाफ़िर किसी मन्ज़िल पर पड़ाव किये हूए हो या असना-ए-सफ़र (सफ़र के बीच) में हो, दोनों सूरतों में नमाज़ों को जमा कर सकता है और ज़्यादा अफ़राद हों तो वह जमाअत के साथ ऐसा कर सकते हैं।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَارَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَبَدَتِ النُّجُومُ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فِي سَفَرٍ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ . فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَنَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

(1207) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को मक्का में उनकी अहलिया हज़रत सफ़िया की बाबत पुकारा गया। (यानी उनकी वफ़ात की ख़बर दी गई) तो आपने सफ़र किया, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया और सितारे निकल आये और कहा: नबी (ﷺ) जब सफ़र में जल्दी में होते तो इन दोनों नमाज़ों (यानी मग़रिब और इशा) को जमा कर लिया करते थे, चुनांचे आप चलते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब हो गई, तब उतरे और दोनों नमाज़ों को जमा करके पढ़ा।

(1207) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 3/159, इब्ने माजा, हदीस: 555.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَإِنْ يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِنْ

(1208) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ग़ज़्व-ए-तबूक में अगर कूच करने से पहले सूरज ढल जाता तो ज़ोहर और अस्र को जमा कर लेते और अगर सूरज ढलने से पहले ही कूच करते तो ज़ोहर को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते, यहाँ तक कि अस्र के वक़्त उतरते (और उन्हें जमा करके पढ़ते) और मग़रिब में भी ऐसे ही करते यानी अगर सफ़र शुरू करने से पहले सूरज गुरूब हो जाता तो मग़रिब और इशा को जमा कर लेते। और अगर सूरज ग़ायब होने से पहले ही चल पड़ते तो मग़रिब को मुअख़्ख़र कर लेते, यहाँ तक कि इशा के लिए उतरते और इन दोनों को इकट्ठे पढ़ते।

يَرْتَحِلْ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ الْمُفَضَّلِ وَاللَّيْثِ .

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को हिशाम बिन उर्वा ने हुसैन बिन अ़ब्दुल्लाह से, उन्होंने कुरैब से, उन्होंने इब्ने अ़ब्बास से, उन्होंने नबी (ﷺ) से हदीस़े मुफ़ज़्ज़ल और लैस़ की मानिन्द बयान किया है।

(1208) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/162, 163, दारकुतनी: 1/392, हदीस़: 1206 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) सफ़र के दरम्यान में दो नमाज़ों को जमा करना सून्नत से साबित है। **(2)** अ़स्र को ज़ोहर के वक़्त में और इशा को मग़रिब के वक़्त में पढ़ना जमा तक़दीम कहलाता है और ज़ोहर को अ़स्र के वक़्त में और मग़रिब को इशा के वक़्त में पढ़ना जमा ताख़ीर और हालात के हिसाब से दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ जमा सूरी जायज़ है जिसका तरीक़ा ये है कि ज़ोहर को उसके आख़री वक़्त में पढ़ा जाये और अ़स्र को उसके इब्तेदाई वक़्त में पढ़ा जाये लेकिन इस तरह जमा करके पढ़ने को क्या जमा करके पढ़ना कहा जा सकता है? ये तो हर नमाज़ अपने अपने वक़्त ही पर अदा हूई है, इसे जमा कहना ही ग़लत है इसलिए इसका नाम ही उन्होंने जमा सूरी रखा है, यानी देखने में जमा है लेकिन हक़ीक़त में जमा नहीं। लेकिन नबी (ﷺ) ने जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर की है, क्या वह जमा सिर्फ़ सूरतन इसी तरह थीं जिस तरह जमा सूरी का तरीक़ा बयान किया गया है? ज़ाहिर बात है, हदीस़ के अल्फ़ाज़ इसको क़बूल नहीं करते। हदीस़ से तो वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा है कि जमा तक़दीम की सूरत में नबी (ﷺ) ने एक नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में (ज़ोहर या मग़रिब की नमाज़ को) पढ़ा और उसके साथ ही फ़ौरन दूसरी नमाज़ (अ़स्र या इशा की नमाज़) पढ़ ली। और ताख़ीर की सूरत में पहली नमाज़ का वक़्त निकल जाने के बाद दूसरी नमाज़ के वक़्त में आपने दोनों नमाज़ें (अ़स्र के वक़्त में अ़स्र के साथ नमाज़े ज़ोहर भी। और इशा के वक़्त में इशा की नमाज़ के साथ मग़रिब की नमाज़ भी) पढ़ीं। इनको किसी तरह भी जमा सूरी नहीं कहा जा सकता, ये हक़ीक़ी जमा थीं, इसलिए हालात के मुताबिक़ जमा तक़दीम और जमा ताख़ीर दोनों तरीक़े जायज़ हैं और ये वाज़ेह तौर पर नबी (ﷺ) से स़ाबित हैं। ये इस्लाम के उन महासिन (खूबियों) में से एक है जिनकी बिना पर इस्लाम को दीने युस्र (आसान दीन) और दीने रहमत कहा जाता है। इसको सिर्फ़ जमा सूरी की शक्ल में महदूद कर देने वाले इस युस्र (आसानी) और रहमत से मुसलमानों को महरूम कर देना चाहते हैं जो नबी (ﷺ) ने अपने उम्मतियों को अ़ता की है। या अल्लाह ऐसे लोगों को सिराते मुस्तकीम की तौफ़ीक़ अता फ़रमा!

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي مَوْدُودٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَطُّ فِي السَّفَرِ إِلاَّ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يُرَ ابْنُ عُمَرَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَطُّ إِلاَّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ يَعْنِي لَيْلَةَ اسْتُصْرِخَ عَلَى صَفِيَّةَ وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ .

(1209) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़े मग़रिब और इशा को सफ़र में सिर्फ़ एक ही बार जमा फ़रमाया था।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत बवास्ता अय्यूब, नाफ़े से और वह हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को सिर्फ़ उसी रात देखा गया था कि उन्होंने मग़रिब और इशा को जमा करके पढ़ा था, यानी जिस रात उन्हें उनकी अहलिया हज़रत सफ़िया की तशवीशनाक ख़बर पहुँची थी। जबकि मकहूल अज़ नाफ़े की सनद से ये मरवी है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने एक या दो बार ऐसे किया था।

(1209) तख़रीज : (सनद हसन)

नोट : ये रिवायत मरफ़ूअन सही साबित नहीं है, अलबत्ता हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का अमल साबित है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ . قَالَ مَالِكٌ أُرَى ذَلِكَ كَانَ فِي مَطَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نَحْوَهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَرَوَاهُ قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ فِي سَفْرَةٍ سَافَرْنَاهَا إِلَى تَبُوكَ .

(1210) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ोहर व अस्र और मग़रिब व इशा की नमाज़ें बग़ैर किसी ख़ौफ़ या सफ़र के इकट्ठी पढ़ीं।

इमाम मालिक कहते हैं: मेरा ख़याल है कि बारिश में ऐसा किया था।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हम्माद बिन सलमा ने अबू अज़्ज़ुबैर से इसकी मानिन्द रिवायत किया है जबकि कुर्रा बिन ख़ालिद ने अबू अज़्ज़ुबैर से रिवायत किया तो कहा: वह सफ़र जो हमने तबूक की जानिब किया था (उसमें आपने ये नमाज़ें जमा करके पढ़ी थीं।)

(1210) तख़रीज : मौता, हदीस: 1/144, (वलक़अनबी, सफ़ा: 185) व सही मुस्लिम: 705.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَطَرٍ . فَقِيلَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

(1211) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना में (मुक़ीम होते हूए) बग़ैर किसी ख़ौफ़ या बारिश के ज़ोहर व अस्र की और मग़रिब व इशा की नमाज़ें जमा करके पढ़ीं। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पूछा गया कि आपका इससे क्या मक़सद था? उन्होंने कहा: यही कि उम्मत को मशक़्क़त न हो।

(1211) तख़रीज : सही मुस्लिम: 706.

फ़ायदा : जुम्हूर उलमा–ए–हदीस का इससे इस्तेदलाल ये है कि ख़ौफ़, बारिश और मर्ज़ के अलावा अगर कभी कोई शख़्स किसी माक़ूल उज़्र और वजह से नमाज़ें इकट्ठी पढ़े तो जायज़ है मगर आदत न बनाये जैसे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) और उस्वा–ए–सहाबा से साबित है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ مُؤَذِّنَ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الصَّلاَةُ . قَالَ سِرْ سِرْ . حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ غُيُوبِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنَعْتُ فَسَارَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مَسِيرَةَ ثَلاَثٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ جَابِرٍ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ هَذَا بِإِسْنَادِهِ .

(1212) जनाब नाफ़े और अब्दुल्लाह बिन वाक़िद से मरवी है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने नमाज़ के लिये कहा, तो उन्होंने कहा: चलो चलो, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ुरूब होने से ज़रा पहले उतरे और मग़रिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इन्तेज़ार किया, यहाँ तक की शफ़क़ ग़ायब हो गई तो इशा पढ़ी, फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब किसी काम में जल्दी होती तो ऐसे ही करते थे जैसे कि मैंने किया है। फिर आपने उस दिन रात में तीन दिन की मसाफ़त तय की।

इमाम अबू दाऊद ने कहा; इब्ने जाबिर ने नाफ़े से अपनी सनद से इसकी मानिन्द रिवायत किया।

(1212) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी: 1/393, हदीस: 1452.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस वाक़िये में बज़ाहिर दो नमाजों को जमा करने की ये सूरत है कि पहली नमाज़ अपने आख़री वक़्त में और दूसरी अपने अव्वल वक़्त में पढ़ी गई, जिसे 'जमा सूरी' कहा जाता है। लेकिन इस रिवायत में शैख़ अल्बानी के नज़दीक शफ़क़ के गायब होने से पहले ... के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं, महफ़ूज़ अल्फ़ाज़ शफ़क़ के गायब होने के बाद .... ही हैं। जिससे जमा हक़ीक़ी यानी जमा ताख़ीर ही का इस्बात होता है जैसा कि ख़ूद नबी (ﷺ) से भी इस तरह जमा करना साबित है। (तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 1208 के फ़वाइद) के आगे आने वाली हदीस नम्बर 1217 में ख़ूद हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) का सही व मशहूर साबित शुदा अमल भी यही हैं कि आपने मग़रिब की नमाज़ ग़ुरूबे शफ़क़ के बाद पढ़ी थी। **(2)** 'जब किसी काम में जल्दी होती' वाली बात आम कामों से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि सफ़र से ख़ास है जैसे कि सही अहादीस में आया है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا .

(1213) ईसा ने इब्ने जाबिर से इसके हम मानी रिवायत किया है। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अला ने नाफ़े से रिवायत करते हूए कहा है: जब शफ़क़ ग़ुरूब होने लगी तो वह (इब्ने उमर) उतरे और नमाज़ें जमा करके पढ़ीं।

(1213) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 596.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ ثَمَانِيًا وَسَبْعًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ . وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ وَمُسَدَّدٌ بِنَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ صَالِحٌ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فِي غَيْرِ مَطَرٍ .

(1214) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीने में हम को आठ रकअतें और सात रकअतें यानी ज़ोहर व अस्र और मग़रिब व इशा की नमाज़ें (जमा करके) पढ़ाईं। सुलेमान और मुसद्दद ने ये नहीं कहा कि 'हमें पढ़ाई' (बल्कि ये कहा कि आपने पढ़ीं)

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सालेह मौला अत्तौअमा की रिवायत में जो इब्ने अब्बास से है, कहा; 'बग़ैर बारिश के।' (ये नमाज़ें जमा कीं)

(1214) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 543, व सही मुस्लिम: 705.

फ़ायदा : ग़र्ज़ इससे यही थी जो हदीस़ नम्बर 1211 में बयान हूई है कि 'उम्मत को मशक़्क़त न हो।' स़हाबा किराम और जुम्हूर उम्मत ने इसको आ़दत बना लेने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ़ निहायत ज़रूरत के वक़्त इजाज़त दी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ بِمَكَّةَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِسَرِفَ.

(1215) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सूरज मक्का में ग़ुरूब हो गया। फिर आपने (मग़रिब और इशा की नमाज़ें) वादी ए सरिफ़ में जाकर जमा करके पढ़ीं।

(1215) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 594.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، جَارُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ أَمْيَالٍ يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةَ وَسَرِفَ .

(1216) हिशाम बिन सअ़द बयान करते हैं कि मक्का और वादी ए सरिफ़ के दरम्यान दस मील का फ़ास़ला है।

(1216) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 3/164.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ قَالَ رَبِيعَةُ - يَعْنِي كَتَبَ إِلَيْهِ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَنَا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسِرْنَا فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنَا الصَّلاَةُ . فَسَارَ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَتَصَوَّبَتِ النُّجُومُ ثُمَّ إِنَّهُ نَزَلَ فَصَلَّى الصَّلاَتَيْنِ جَمِيعًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ صَلَّى صَلاَتِي هَذِهِ يَقُولُ يَجْمَعُ

(1217) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन दीनार कहते हैं कि सूरज ग़ुरूब हो गया (डूब गया) जबकि मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) के पास था। हम चलते रहे, जब हमने देखा कि ख़ूब शाम हो गई है तो हमने अ़र्ज़ किया: नमाज़? मगर वह चलते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ ग़ायब हो गई और सितारे निकल आये तो वह उतरे और दोनों नमाज़ें इकट्ठी करके पढ़ीं। फिर कहा: मैंने रसूल (ﷺ) को देखा कि आपको जब सफ़र में जल्दी होती तो नमाज़ें मेरी इसी नमाज़ की तरह पढ़ते थे। यानी अन्धेरा छा जाने के बाद दोनों को जमा करके पढ़ते थे।

بَيْنَهُمَا بَعْدَ لَيْلٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَالِمٍ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا مِن ابْنِ عُمَرَ كَانَ بَعْدَ غُيُوبِ الشَّفَقِ .

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको आ़सिम बिन मुहम्मद ने अपने भाई से, उन्होंने सालिम से रिवायत किया है। और इब्ने अबी नजीह ने इस्माईल बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ुऐब से रिवायत किया है कि हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का इन नमाज़ों को जमा करना ग़ुरूबे शफ़क़ के बाद था।

(1217) तख़रीज: (सनद सही) बैहक़ी: 3/160, 161

फ़ायदा : ऊपर दिये गये आसार दलील हैं कि हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का अ़मल (दो नमाज़ों का इकट्ठा करना) ग़ुरूबे शफ़क़ के बाद था। बख़िलाफ़ इसके जो पीछे (रिवायत: 1212 में) ग़रूबे शफ़क़ से पहले नमाज़ों को कजा करना, उनकी तरफ़ मन्सूब किया गया है जो सही नहीं है जैसा कि वहाँ इसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ، مَوْهَبٍ - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ صلى الله عليه وسلم . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ مُفَضَّلٌ قَاضِيَ مِصْرَ وَكَانَ مُجَابَ الدَّعْوَةِ وَهُوَ ابْنُ فَضَالَةَ.

(1218) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सूरज ढलने से पहले कूच करते, तो ज़ोहर को अ़स्र के वक़्त तक मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते। फिर उतरते और उन दोनों को जमा करके पढ़ते। और अगर सफ़र शुरू करने से पहले ही सूरज ढल जाता तो ज़ोहर पढ़ते और सवार हो जाते।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मुफ़ज़्ज़ल (ऊपर दी गई हदीस़ के एक रावी) मिस्र के क़ाज़ी थे। मुजाबुद्दअ़वा थे और वह फ़ज़ाला के साहबज़ादे हैं।

(1218) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1112, व सही मुस्लिम: 704.

फ़ायदा : इस हदीस़ से कुछ लोगों का इस्तेदलाल ये है कि जमा तक़दीम सही नहीं (यानी अ़स्र को ज़ोहर के वक़्त में न पढ़ा जाये) मगर दीगर कई सही अहादीस़ से जमा तक़दीम साबित है जैसे कि साबिक़ा हदीसे मुआज़ (ﷺ) (1208) में गुज़रा है। इन मुख़्तलिफ़ अहादीस़ को मुख़्तलिफ़ अहवाल पर महमूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُقَيْلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ .

(1219) जनाब उ़क़ैल ने अपनी सनद से ये हदीस़ बयान की, उन्होंने कहा: और मग़रिब को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते और इशा के साथ जमा करके पढ़ते, जबकि शफ़क़ ग़ुरूब हो चुकी होती।

(1219) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अ़लैह, मुस्लिम, हदीस़: 704, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَجْمَعَهَا إِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلاَّهَا مَعَ الْمَغْرِبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ قُتَيْبَةُ وَحْدَهُ .

(1220) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ग़ज़्व—ए—तबूक में जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर को मुअख़्ख़र (लेट) करते, यहाँ तक कि अ़स्र के साथ जमा करके पढ़ते। और जब सूरज ढलने के बाद कूच करते, तो ज़ोहर और अ़स्र को इकट्ठा पढ़ते, फिर सफ़र शुरू करते। और जब मग़रिब से पहले रवाना होते तो मग़रिब को मुअख़्ख़र (लेट) करते, यहाँ तक कि इशा के साथ मिला के पढ़ते। और जब मग़रिब के बाद कूच करते, तो इशा को जल्दी करके मग़रिब के साथ पढ़ लेते।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को सिर्फ़ क़ुतैबा ने रिवायत किया है। (यानी लैस से रिवायत करने में मुन्फ़रिद हैं।)

(1220) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 553.

बाब : 6
सफ़र में नमाज़ की क़िराअत मुख़्तसर करना

﴿6﴾ باب قِصَرِ قِرَاءَةِ الصَّلاَةِ فِي السَّفَرِ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ .

(1221) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक सफ़र में निकले, आपने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई तो आपने उसकी एक रकअत में सूरह (वत्तीनि वज़्ज़ैतून) तिलावत फ़रमाई।

(1221) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 767, व सही मुस्लिम: 464.

फ़ायदा : इमाम को चाहिए कि अपने मुक़्तदियों के अहवाल का ख़ास ख़्याल रखे। ऐसे ही सफ़र में नमाज़ की क़िराअत को मुख़्तसर रखना मुस्तहब है।

बाब : 7
सफ़र में नवाफ़िल पढ़ना

﴿7﴾ باب التَّطَوُّعِ فِي السَّفَرِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي بُسْرَةَ الْغِفَارِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ .

(1222) हज़रत बराअ बिन आज़िब अन्सारी(ﷺ) बयान करते हैं कि मैं अठारह सफ़र में रसूल (ﷺ) के साथ रहा हूँ। मैंने नहीं देखा कि आपने सूरज ढल जाने के बाद ज़ोहर से पहले दो रकअतें छोड़ी हों।

(1222) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 550, हाकिम: 1/315.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ

(1223) जनाब हफ़्स बिन आसिम बिन उमर बिन ख़त्ताब का बयान है कि मैं एक सफ़र में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के साथ था, उन्होंने हमको दो रकअतें पढ़ाई, फिर

صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ - قَالَ - فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلاَءِ قُلْتُ يُسَبِّحُونَ . قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي يَا ابْنَ أَخِي إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَصَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } .

(अपनी मन्ज़िल में) आ गये और कुछ लोगों को क़याम करते देखा तो पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा: ये नफ़ल पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा: अगर मुझे नफ़ल ही पढ़ने होते तो मैं अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ पूरी कर लेता। ऐ भतीजे! मैं सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रहा हूँ, आपने दो रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको क़ब्ज़ कर लिया। और मैं हज़रत अबूबक्र (ﷺ) की सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने उनको क़ब्ज़ कर लिया। और मैं हज़रत उमर (ﷺ) की सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको क़ब्ज़ कर लिया। और मैं हज़रत उस्मान (ﷺ) की सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उनको क़ब्ज़ कर लिया और अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।'

(1223) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1102, व सही मुस्लिम: 689.

फ़ायदा : सफ़र में फ़राइज़ से पहले या बाद, सुनन रातिबा बहैसियते सुनने मुअक़्क़दा रसूलुल्लाह (ﷺ) से और ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन के अमल से साबित नहीं हैं, सिवाए फ़ज्र की सुन्नतों के। इसके अलावा अगर कोई आम नफ़ल की हैसियत से पढ़ना चाहे तो मना नहीं है जैसे कि अगले बाब की अहादीस से साबित है कि नबी (ﷺ) दौराने सफ़र में अपनी सवारी पर भी नवाफ़िल पढ़ा करते थे। इस मसले का ताल्लुक़ इंसान के अपने शौक़ से है।

बाब : 8 सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ना

﴿8﴾ باب التَّطَوُّعِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَالْوِتْرِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَيَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَيْهَا .

(1224) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ा करते थे, उसका रूख़ ख़्वाह किसी तरफ़ ही होता मगर आप फ़र्ज़ नमाज़ उस पर न पढ़ते थे।

(1224) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1098, व सही मुस्लिम: 700.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ .

(1225) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र में होते और नफ़ल पढ़ना चाहते तो अपनी ऊँटनी को क़िब्ला रूख़ करते और तकबीरे तहरीमा कह कर नमाज़ शूरू कर लेते, फिर नमाज़ पढ़ते रहते, ख़्वाह उसका रूख़ किसी भी तरफ़ होता रहता।

(1225) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/203.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दौराने सफ़र में नफ़ल पढ़ना अपने वक़्त का बेहतरीन मस्रफ़ और अल्लाह जुलजलाल के यहाँ तक़र्रूब का बेहतरीन अमल है। (2) सवारी पर नफ़ल ही पढ़े जा सकते हैं, फ़राइज़ नहीं। मगर ये उस वक़्त जब कि सवारी मुसाफ़िर के अपने काबू में हो। हमारे दौर की सवारियाँ और निज़ामे सफ़र रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वग़ैरह चूंकि मुसाफ़िरों के अपने काबू में नहीं होते इसलिए उन पर फ़र्ज़ भी अदा कर सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो फ़राइज़ क़रीब तरीन पड़ाव पर अदा किये जायें जैसे कश्ती या बहरी जहाज़ में अगर साहिल क़रीब न हो तो बिला इत्तेफ़ाक इनमें फ़र्ज़ नमाज़ जायज़ है, ऐसे ही बस और हवाई जहाज़ वग़ैरह का मामला है। गोया जिस तरह भी

मुमकिन हो फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी कर ली जाये या फिर जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर पर अ़मल कर लिया जाये। (3) इस हदीस़ से ये भी मालूम हूआ कि वित्र फ़र्ज़ नहीं हैं बल्कि ताकीदी नफ़ल हैं।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ .

(1226) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपने गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे और आपका मुँह ख़ैबर की तरफ़ था।

(1226) तख़रीज : मौता: 1/150, 151, (वलक़अनबी, स़फ़ा: 195), व स़ही मुस्लिम: 700.

फ़ायदा : गधा, उसका गोश्त खाना हराम है मगर उसका जिस्म, अगर उस पर नजासत न लगी हो तो पाक है और उस पर नमाज़ भी स़ही है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، - قَالَ - بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ قَالَ فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ .

(1227) हज़रत जाबिर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे किसी काम के लिए भेजा। मैं वापस आया तो देखा कि आप अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ रहे थे, आपका रूख़ मश्रिक़ की तरफ़ था और आप सज्दे के लिए रूकू से ज़्यादा झुकते थे।

(1227) तख़रीज : (सनद स़ही) स़ही मुस्लिम: 540.

बाब : 9
उ़ज़्र की वजह से सवारी पर फ़र्ज़ पढ़ना

﴾9﴿ بَابُ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ مِنْ عُذْرٍ

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله

(1228) जनाब अ़ता बिन अबी रबाह ने हज़रत आ़यशा (ﷺ) से सवाल किया कि क्या औ़रतों को इजाज़त है कि अपनी सवारी के जानवरों पर नमाज़ पढ़ लिया करें? उन्होंने जवाब दिया कि किसी हाल में उन्हें इसकी

عنها - هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّينَ عَلَى الدَّوَابِّ قَالَتْ لَمْ يُرَخَّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ . قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا فِي الْمَكْتُوبَةِ .

इजाज़त नहीं दी गई है, परेशानी की कैफ़ियत हो या इत्मिनान की।

मुहम्मद बिन शोबा ने कहा: ये फ़राइज़ की बात है।

(1228) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 2/7.

फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 411 में बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने कीचड़ के बाइस अपनी सवारी पर नमाज़ अदा की थी और कई एक उलमा इसके क़ाइल हैं। इमाम अहमद और इस्हाक़ (रह.) का फ़तवा भी यही है कि शरई उज़्र की सूरत में सवारी पर नमाज़ जायज़ है। इस बारे में मरफ़ूअ हदीस ज़ईफ़ है।

﴾10﴿
باب مَتَى يُتِمُّ الْمُسَافِرُ

बाब : 10
मुसाफ़िर कितने दिन तक क़स्र करे?

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَشَهِدْتُ مَعَهُ الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ لَيْلَةً لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَقُولُ " يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ " .

(1229) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्वे किये हैं और फ़तहे मक्का में भी आपके साथ था। आप मक्का में अठारह रातें ठहरे। उन दिनों में आप दो दो रकअतें ही पढ़ते रहे और फ़रमाते: 'ऐ अहले शहर! तुम चार रकअतें पढ़ो, हम लोग मुसाफ़िर हैं।'

(1229) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस 545.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالاَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

(1230) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में सतरह दिन ठहरे और नमाज़ क़स्र करते रहे। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: जो शख़्स

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ .

सतरह दिन इक़ामत करे वह क़स्र करे और जो उससे ज़्यादा ठहरे वह पूरी नमाज़ पढ़े।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अ़ब्बाद बिन मन्सूर ने इकरिमा से उन्होंने इब्ने अ़ब्बास से रिवायत करते हूए कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्नीस दिन क़याम किया।

(1230) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1080.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ وَسَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ ابْنَ عَبَّاسٍ .

(1231) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) बयान करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्के में पन्द्रह दिन रहे और क़स्र करते रहे।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस़ को अ़ब्दा बिन सुलेमान, अहमद बिन ख़ालिद वहबी और सलमा बिन फ़ज़ल ने इब्ने इस्हाक़ से रिवायत किया है। ये लोग हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) का ज़िक्र नहीं करते।

(1231) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 1076, नसाई, हदीस़: 1454.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَامَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(1232) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में सतरह दिन ठहरे और दो दो रकअ़तें पढ़ते रहे।

(1232) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद, 1/315, हदीस़: 2886, हदीस़: 1230 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत भी कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ज़ईफ़ मुन्कर है, और स़ही 19 दिन ही है। जिनके नज़दीक ये रिवायात स़ही हैं और उनमें फ़तहे मक्का के सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) की मक्का में इक़ामत उन्नीस दिन, अठारह दिन, सतरह दिन और पन्द्रह दिन मरवी है। तो इस अ़दद में इख़्तिलाफ़ को इमाम बैहक़ी (रह.) ने यूँ हल फ़रमाया है कि जिस रावी ने आपकी आमद और रवानगी के दिन

शुमार किये उसने उन्नीस दिन बताये हैं और जिसने उनको ख़ारिज कर दिया उसने सतरह कहे और जिसने आमद और रवानंगी में से कोई एक दिन शुमार किया उसने उठारह दिन कहे और जिसने पन्द्रह दिन कहे उसके ख़्याल में अस़ल इक़ामत मअ अय्याम आमद व रफ़्त सतरह दिन होगी और फिर उसने आमद व रवानगी के दो दिन छोड़ दिये तो पन्द्रह दिन हूए। (इन्तिहा मुलख़्ख़स) ख़्याल रहे कि नबी (ﷺ) का ये सफ़र सफ़रे जिहाद था। और मुजाहिदीन की इक़ामत कहीं भी बिलजज़्म नहीं हूआ करती। इसलिए सफ़रे जिहाद में किसी जगह इक़ात को हालते अमन के आम सफ़र में इक़ामत पर क़यास नहीं किया जा सकता। इस बिना पर हमारे मशाइख़ (रह.) का फ़तवा यही है कि आम सफ़र में तीन या चार दिन की इक़ामत तक क़स्र और उससे ज़्यादा में इतमाम है। जैसे कि इमाम शाफ़ेई (रह.) का फ़तवा है और यही राजेह है। वल्लाहू आलम!

(1233) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हूए। आप (इस सफ़र में) दो दो रकअतें ही पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हम मदीना लौट आये। हमने पूछा: क्या आप लोग वहाँ कुछ ठहरे भी थे? उन्होंने कहा: दस दिन ठहरे थे।

(1233) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1081, व सही मुस्लिम: 693.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ فَقُلْنَا هَلْ أَقَمْتُمْ بِهَا شَيْئًا قَالَ أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا

फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा का क़िस्सा है। नबी (ﷺ) और सहाबा की इक़ामत मक्का और उसके मज़ाफ़ात में अमले हज की तकमील के सिलसिले में कुल दस दिन और सिर्फ़ मक्का में चार दिन है। इससे इमाम शाफ़ेई (रह.) का इस्तेदलाल व फ़तवा ये है कि जो शख़्स कहीं चार दिन की इक़ामत का अज़्म रखता हो तो क़स्र करे और अगर उससे ज़्यादा का इरादा हो तो मुकम्मल नमाज़ पढ़े। और तीन दिन के क़ाइलीन की बुनियाद भी यही हदीस है, वह इसमें से ख़ुरूज (निकलने) और दुख़ूल (दाख़िल होने) का दिन निकाल देते हैं जिसके बाद इक़ामत के दिन तीन ही होते हैं। बहर हाल तीन दिन और चार दिन, दोनों ही मस्लक सही हैं।

(1234) जनाब अम्र बिन अली बिन अबी तालिब से रिवायत है कि हज़रत अली (رضي الله عنه) जब सफ़र करते तो सूरज गुरूब होने के बाद

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، - وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ الْمُثَنَّى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو

चलते, यहाँ तक कि अन्धेरा छा जाने के क़रीब हो जाता। फिर (सवारी से) उतरते और मग़रिब की नमाज़ पढ़ते, खाना तलब करके इशाइया करते, फिर इशा की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच करते। और बयान करते थे कि रसूल (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे।

उस्मान (बिन अबी शैबा) ने अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अ़म्र बिन अ़ली से बसेग़-ए (अ़न) रिवायत किया है (जबकि इब्ने सिनी ने अख़बरनी) कहा है।) अबू अ़ली लूलूई कहते हैं कि) मैंने इमाम अबू दाऊद को सुना, वह कहते थे कि उसामा बिन ज़ैद ने हफ़्स बिन उ़बैदुल्लाह यानी इब्ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि हज़रत अनस (رضي الله عنه) मग़रिब और इशा की नमाज़ें जमा करते और गुरूबे शफ़क़ के बाद पढ़ते थे और कहते थे: नबी (ﷺ) ऐसे ही किया करते थे। ज़ोहरी की रिवायत अ़न अनस (رضي الله عنه) अ़न नबी (ﷺ) इसके मिस्ल है।

(1234) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 1/136, हदीस: 1143.

أُسَامَةَ. - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى - قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - كَانَ إِذَا سَافَرَ سَارَ بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ حَتَّى تَكَادَ أَنْ تُظْلِمَ ثُمَّ يَنْزِلُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْعُو بِعَشَائِهِ فَيَتَعَشَّى ثُمَّ يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَرْتَحِلُ وَيَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ . قَالَ عُثْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ وَرَوَى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا حِينَ يَغِيبُ الشَّفَقُ وَيَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُ ذَلِكَ وَرِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلُهُ .

बाब : 11
दुश्मन के इलाक़े में ठहरे, तो क़स्र करे

(11) باب إِذَا أَقَامَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ يَقْصُرُ

(1235) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तबूक में बीस दिन ठहरे और नमाज़ क़स्र करते रहे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلاَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ غَيْرُ مَعْمَرٍ لاَ يُسْنِدُهُ

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सिर्फ़ मअमर ही ने इसे मुसनद बयान किया है। (दूसरे मुर्सल बयान करते हैं)

(1235) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/295, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़, हदीस़: 4335.

फ़ायदा : मुजाहिदीन जब सरहदों पर हालते जंग में हों या उसका ख़तरा हो तो क़स्र नमाज़ें पढ़ें ... इसकी मुद्दत ख़्वाह कितनी ही तवील हो। लेकिन जब सरहदों पर हालते जंग न हो, न दुश्मन की तरफ़ से हमले का अन्देशा ही हो, तो फिर सरहद पर मुतअय्यन फ़ौजियों और मुजाहिदों के लिए मुस्तक़िल तौर पर क़स्र करते रहना सही नहीं है।

﴾12﴿ بَابُ صَلاَةِ الْخَوْفِ

बाब : 12 नमाज़े ख़ौफ़ के अहकाम व मसाइल

(नीचे दी गई हदीस़) उन हज़रात की दलील है जो कहते हैं कि इमाम उन्हें नमाज़ पढ़ाये जबकि मुजाहिदीन की दो स़फ़ें हों। इमाम उन सब को इकट्ठे ही नमाज़ शुरू कराये। और तकबीरे तहरीमा कहे। फिर ये सब रूकू करें। फिर इमाम और उसके साथ मुत्तस़िल (मिली) स़फ़ के लोग सज्दा करें, मगर पिछली स़फ़ वाले खड़े रहें और उनकी निगरानी करें। जब वह (सज्दे करके) खड़े हो जायें तो दूसरी स़फ़ वाले जो उनके पीछे खड़े थे सज्दा करें। फिर पहली स़फ़ वाले, दूसरी स़फ़ में हो जायें और दूसरी स़फ़ वाले पहली स़फ़ में आ जायें। फिर इमाम और सब लोग रूकू करें। फिर इमाम और उससे मुत्तस़िल स़फ़ वाले सज्दा करें, पिछली स़फ़ वाले खड़े निगरानी करते रहें। जब इमाम और उससे मुत्तस़िल स़फ़ वाले सज्दा कर के बैठ जायें तो (फिर) दूसरी स़फ़ वाले सज्दा करें और सब बैठ जायें और फिर मिलकर सलाम फेरें।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जनाब सुफ़ियान का यही क़ौल है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ

(1236) हज़रत अबू अय्याश ज़ुरक़ी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ उस्फ़ान में थे जबकि मुश्रिकीन की क़यादत ख़ालिद बिन वलीद के हाथ में थी।

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُسْفَانَ وَعَلَى الْمُشْرِكِينَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَصَلَّيْنَا الظُّهْرَ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لَقَدْ أَصَبْنَا غِرَّةً لَقَدْ أَصَبْنَا غَفْلَةً لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْقَصْرِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ فَصَفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَفٌّ وَصَفَّ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا صَلَّى هَؤُلَاءِ السَّجْدَتَيْنِ وَقَامُوا سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُمْ ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَامِ الآخَرِينَ وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكَعُوا جَمِيعًا ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَقَامَ الآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا

हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मुश्रिकीन ने कहा: हमें धोखे का मौक़ा मिला था, हमें ग़फ़लत का मौक़ा मिला था अगर हम उन पर हमला कर देते जबकि ये नमाज़ पढ़ रहे थे (तो ये बहुत अच्छा मौक़ा था) चुनांचे ज़ोहर और अस्र के दरम्यान आयते क़स्र (यानी नमाज़े ख़ौफ़) नाज़िल हो गई। जब अस्र का वक़्त हूआ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) क़िब्ले की जानिब खड़े हो गये और मुश्रिकीन उनके सामने थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे एक स़फ़ खड़ी हूई और दूसरी उसके पीछे। सो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रूकू किया और सब लोगों ने भी रूकू किया। फिर आपने सज्दा किया और आपके मुत्तस़िल (करीबतर) जो स़फ़ थी उसने सज्दा किया। दूसरी स़फ़ वाले खड़े उनकी निगरानी करते रहे। जब उन लोगों (पहली स़फ़ वालों) ने दो सज्दे कर लिये और खड़े हो गये तो जो लोग उनके पीछे थे उन्होंने सज्दा किया। फिर पहली स़फ़ दूसरी स़फ़ वालों की जगह पर आ गई और दूसरी स़फ़ वाले पहली स़फ़ वालों की जगह पर हो गये। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) और सब लोगों ने रूकू किया। फिर आपने और आपसे मुत्तस़िल स़फ़ वालों ने सज्दा किया और पिछली स़फ़ वाले खड़े उनकी निगरानी करते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) और पहली स़फ़ वाले बैठ गये तो दूसरों ने

جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا فَصَلاَّهَا بِعُسْفَانَ وَصَلاَّهَا يَوْمَ بَنِي سُلَيْمٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَيُّوبُ وَهِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ هَذَا الْمَعْنَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ وَكَذَلِكَ قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى فِعْلَهُ وَكَذَلِكَ عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ .

सज्दा किया। फिर सब बैठे और इकट्ठे सलाम फेरा। आप (ﷺ) ने उस्फ़ान और ग़ज़्व—ए—बनी सुलैम के मौक़े पर इस तरह नमाज़े (ख़ौफ़) पढ़ाई।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अय्यूब और हिशाम ने अबू अज़्ज़ुबैर से, उन्होंने हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से इसके हम मानी रिवायत बयान की है। ऐसे ही दाऊद बिन हुसैन ने इकरिमा से, उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। और ऐसे ही अ़ब्दुल मलिक ने अ़ता से, उन्होंने हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत किया है। इसी तरह क़तादा ने हसन से, उन्होंने हित्तान से, उन्होंने अबू मूसा से उनका अपना फ़ेअ़ल नक़ल किया है। और इस तरह इकरिमा बिन ख़ालिद ने मुजाहिद से, उन्होंने नबी (ﷺ) से। और हिशाम बिन उ़र्वा ने अपने वालिद से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। और सौरी का भी यही क़ौल है।

(1236) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1551, बैहक़ी, (3/257), वलबग़वी शरहुस्सुन्ना: 1096, दारक़ुतनी (2/60), इब्ने हिब्बान, हदीस: 587, 588, हाकिम (1/327, 338).

फ़वाइद व मसाइल : (1) नमाज़ एक ऐसा फ़रीज़ा है जो दौराने जंग में भी माफ़ नहीं। **(2)** ऐसे मौक़ो पर नमाज़ के दौरान में अ़मले कसीर भी जायज़ और मतलूब है। इससे नमाज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। **(3)** नमाज़े ख़ौफ़ के कई तरीक़ों में से एक तरीक़ा यही है इमाम और मुजाहिदीन को हाल के हिसाब से कोई सा तरीक़ा इख़्तियार कर लेना चाहिए।

बाब : 13
(नमाज़े ख़ौफ़ की एक और कैफ़ियत) एक स़फ़ इमाम के साथ हो और दूसरी दुश्मन के सामने

﴾13﴿

باب مَنْ قَالَ يَقُومُ صَفٌّ مَعَ الإِمَامِ وَصَفٌّ وِجَاهَ الْعَدُوِّ

चुनांचे इमाम अपने साथ वाले लोगों को एक रकअ़त पढ़ाये, फिर इमाम खड़ा इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग (अपने तौर पर) दूसरी रकअ़त पढ़ लें और दुश्मन के सामने चले जायें, फिर दूसरा गिरोह आ जाये और इमाम उन्हें एक रकअ़त पढ़ाये, फिर वह बैठ कर इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग अपने तौर पर दूसरी रकअ़त पढ़ लें। फिर इमाम उन सब के साथ मिलकर सलाम कहे।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي خَوْفٍ فَجَعَلَهُمْ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ فَصَلَّى بِالَّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةً ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُمْ رَكْعَةً ثُمَّ تَقَدَّمُوا وَتَأَخَّرَ الَّذِينَ كَانُوا قُدَّامَهُمْ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ تَخَلَّفُوا رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ .

(1237) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने अपने अस्हाब को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। आपने अपने पीछे उन लोगों की दो स़फ़ें बनाईं। तो जो लोग आपके साथ खड़े थे आपने उन्हें एक रकअ़त पढ़ाई। फिर आप खड़े हो गये और मुसल्सल खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने (पहली स़फ़ वालों) ने अपनी दूसरी रकअ़त पढ़ ली। फिर दूसरे गिरोह वाले आगे आ गये और जो आगे थे वह पीछे चले गये। पस नबी (ﷺ) ने उन लोगों को भी एक रकअ़त पढ़ाई फिर बैठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने (दूसरे गिरोह वालों) ने अपनी दूसरी रकअ़त पढ़ ली, फिर सलाम फेरा।

(1237) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4131, व स़ही मुस्लिम: 841.

﴿14﴾

باب مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً وَثَبَتَ قَائِمًا أَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ انْصَرَفُوا فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَاخْتُلِفَ فِي السَّلاَمِ

बाब : 14
(एक और कैफ़ियत) इमाम (दोनों गिरोहों को एक) एक रकअत पढ़ाये

इमाम जब एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाये तो फिर खड़ा इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग दूसरी रकअत मुकम्मल कर लें और सलाम फेर लें और फिर दुश्मन के मुक़ाबले में चले जायें। इस सूरत में सलाम में इख़्तिलाफ़ किया गया है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفُوا وَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا

(1238) स़ालेह बिन ख़व्वात उस शख़्स से रिवायत करते हैं जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ ग़ज़्व—ए ज़ातुर रिक़ा में नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी थी, उसने बयान किया कि एक गिरोह ने आप (ﷺ) के साथ स़फ़ बनाई और दूसरा गिरोह दुश्मन के सामने रहा। फिर आपने उस गिरोह को जो आपके साथ था एक रकअत पढ़ाई, फिर खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी रकअत मुकम्मल की। फिर ये लोग दुश्मन के सामने चले गये और दूसरा गिरोह आ गया। आपने उनको अपनी बाक़ी मान्दा दूसरी रकअत पढ़ाई, फिर आप बैठे रहे और उन लोगों ने अपने तौर पर अपनी नमाज़

مُقَدَّمَة... لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ .

मुकम्मल की। फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा।

इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि (नमाज़े ख़ौफ़ के सिलसिले में) जो मैंने सुना है (उनमें से यही) हदीस़ से यज़ीद बिन रूमान मुझे ज़्यादा पसन्द है।

(1238) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4129, मौता: 1/183, व स़ही मुस्लिम: 842.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةَ الْعَدُوِّ فَيَرْكَعُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَيَسْجُدُ بِالَّذِينَ مَعَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ سَلَّمُوا وَانْصَرَفُوا وَالإِمَامُ قَائِمٌ فَكَانُوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ثُمَّ يُقْبِلُ الآخَرُونَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُكَبِّرُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ فَيَرْكَعُ بِهِمْ وَيَسْجُدُ بِهِمْ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا رِوَايَةُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ إِلاَّ أَنَّهُ خَالَفَهُ فِي

(1239) स़ालेह बिन ख़व्वात अन्स़ारी से रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी हस्मा अन्स़ारी (ﷺ) ने उनसे बयान किया कि नमाज़े ख़ौफ़ (का तरीक़ा) ये है कि इमाम और उसके साथियों का एक गिरोह (नमाज़ के लिए) खड़े हो जायें और दूसरा गिरोह दुश्मन के मुक़ाबले में खड़ा रहे। इमाम अपने साथ वालों के साथ रूकू करे और सज्दा करे, फिर जब उठे तो खड़ा ही रहे और मुक़्तदी अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें, फिर सलाम फेरें और इमाम खड़ा रहे और ये दुश्मन के मुक़ाबले में चले जायें। फिर दूसरा गिरोह आ जाये जिन्होंने अभी नमाज़ शूरू नहीं की थी, पस वह इमाम के पीछे तकबीर कह कर (नमाज़ शूरू करें) फिर इमाम इनको रूकू और सज्दा कराये, फिर सलाम फेरे और ये लोग खड़े होकर अपनी बक़िया रकअत पढ़ें और फिर सलाम फेरें।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद की क़ासिम से रिवायत यज़ीद बिन रूमान की रिवायत की मानिन्द है सिर्फ़ सलाम के बारे में इख़्तिलाफ़

السَّلاَمِ وَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ نَحْوُ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ وَيَثْبُتُ قَائِمًا .

किया है। और उबैदुल्लाह की रिवायत यहया बिन सईद की रिवायत की मानिन्द है। इस (यहया) के लफ़्ज़ हैं (यस्बुतु क़ाइमन) (यानी इमाम खड़ा रहे)

(1239) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैह, ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है, मौता, 1/183, 184.

﴾15﴿

بَاب مَنْ قَالَ يُكَبِّرُونَ جَمِيعًا وَإِنْ كَانُوا مُسْتَدْبِرِي الْقِبْلَةِ

बाब : 15
(एक और कैफ़ियत) सब इकट्ठे तकबीरे (तहरीमा) कहें

तमाम मुजाहिदीन मिलकर तकबीरे (तहरीमा) कहें। अगर उनकी पीठ क़िब्ले की तरफ़ हो, तो इमाम अपने साथ एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाये, फिर ये लोग अपने साथियों की जगह चले आयें। फिर दूसरे (इमाम के पीछे) आकर अपनी पहली रकअत अपने तौर पर पढ़ें, फिर इमाम उन्हें दूसरी रकअत पढ़ाये, फिर वह गिरोह भी आ जाये जो दुश्मन के मुक़ाबले हो, और अपने तौर पर एक रकअत पढ़ें और इमाम बैठा रहे, फिर उन सब के साथ मिलकर सलाम फेरे।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ هَلْ صَلَّيْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ . قَالَ مَرْوَانُ مَتَى فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَامَ غَزْوَةِ نَجْدٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ

(1240) मरवान बिन हकम से रिवायत है कि उसने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से पूछा, क्या आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: हाँ! मरवान ने पूछा कब? उन्होंने कहा: ग़ज़्व–ए–नजद के साल। रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र की नमाज़ के लिए खड़े हूए और आपके साथ एक गिरोह था जबकि दूसरा दुश्मन के मुक़ाबिल था और क़िब्ले की तरफ़ उनकी पुश्त थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तकबीरे (तहरीमा) कही और सबने आपके साथ तकबीर कही,

مَعَهُ طَائِفَةٌ وَطَائِفَةٌ أُخْرَى مُقَابِلَ الْعَدُوِّ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَبَّرُوا جَمِيعًا الَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً وَاحِدَةً وَرَكَعَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي تَلِيهِ وَالآخَرُونَ قِيَامٌ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَامَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَهُ فَذَهَبُوا إِلَى الْعَدُوِّ فَقَابَلُوهُمْ وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ كَمَا هُوَ ثُمَّ قَامُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً أُخْرَى وَرَكَعُوا مَعَهُ وَسَجَدَ وَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ أَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي كَانَتْ مُقَابِلِي الْعَدُوِّ فَرَكَعُوا وَسَجَدُوا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدٌ وَمَنْ مَعَهُ ثُمَّ كَانَ السَّلاَمُ فَسَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا جَمِيعًا فَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَانِ وَلِكُلِّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً رَكْعَةً .

आपके साथ वालों ने भी और उन्होंने भी जो दुश्मन के बिलमुक़ाबिल थे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने साथ वाले गिरोह को एक रकअ़त पढ़ाई। उस गिरोह ने आपके साथ रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया तो उन्होंने भी सज्दा किया। जबकि दूसरे लोग दुश्मन के सामने खड़े रहे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हूए और आपके साथ वाला गिरोह भी खड़ा हो गया। फिर ये चले गये और दुश्मन के सामने जा खड़े हूए और दूसरा गिरोह जो पहले दुश्मन के सामने था (आपके पीछे) आ गया। उन्होंने (अपने तौर पर) रूकू और सुजूद किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) बदस्तूर खड़े रहे। फिर (जब ये लोग पहली रकअ़त से) खड़े हूए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको दूसरी रकअ़त पढ़ाई। उन्होंने आपके साथ रूकू और सुजूद किया। फिर वह गिरोह भी आ गया जो दुश्मन के सामने था, उन्होंने (अपने तौर पर) रूकू और सुजूद किया और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके साथ वाले बैठे रहे। फिर सलाम फेरा, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने और सबने इकट्ठे सलाम फेरा। पस (इस तरह) रसूलुल्लाह (ﷺ) की (जमाअ़त के साथ) दो रकअ़तें हूईं और दोनों गिरोहों में से हर हर शख़्स की एक एक रकअ़त।

(1240) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1544, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1361, 1362, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 585, हाकिम: 1/338, 339.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطَفَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظُهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ حَيْوَةَ وَقَالَ فِيهِ حِينَ رَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قَالَ فَلَمَّا قَامُوا مَشَوُا الْقَهْقَرَى إِلَى مَصَافِّ أَصْحَابِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ .

(1241) जनाब उ़र्वा बिन ज़ुबैर हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत करते हैं, उनका बयान है कि हम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नजद की जानिब निकले। यहाँ तक कि जब हम मक़ामे नख़्ल के ज़ातुर रिक़ा में पहुँचे तो बनू ग़तफ़ान की एक जमाअ़त से मुडभेड़ हो गई। और ऊपर दी गई रिवायत के हम मानी बयान किया। इसके अल्फ़ाज़ हैवा के अल्फ़ाज़ से मुख़्तलिफ़ हैं। इसमें कहा: जब आपने अपने साथ वालों के साथ रूकू और सज्दा किया और खड़े हूए तो ये लोग उलटे पाँव चलते हूए अपने साथियों की जगह जा खड़े हूए। और क़िब्ले की तरफ़ पुश्त करने का ज़िक्र नहीं किया।

(1241) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَتْ كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَتِ الطَّائِفَةُ الَّذِينَ صَفُّوا مَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعُوا ثُمَّ مَكَثَ رَسُولُ

(1242) इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उ़बैदुल्लाह बिन सअ़द ने हमसे बयान किया तो कहा कि मुझसे मेरे चचा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे ख़बर दी इब्ने इस्हाक़ से, उन्होंने कहा कि मुझसे मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ुबैर ने बयान किया है कि उ़र्वा बिन ज़ुबैर ने उनसे बयान किया कि हज़रत आ़यशा (ﷺ) ने उनसे यही वाक़िया बयान किया। कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तकबीर कही और उस गिरोह ने भी तकबीर कही जिसने आपके

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا ثُمَّ سَجَدُوا هُمْ لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَمْشُونَ الْقَهْقَرَى حَتَّى قَامُوا مِنْ وَرَائِهِمْ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَقَامُوا فَكَبَّرُوا ثُمَّ رَكَعُوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَجَدُوا مَعَهُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا لأَنْفُسِهِمُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ قَامَتِ الطَّائِفَتَانِ جَمِيعًا فَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَكَعَ فَرَكَعُوا ثُمَّ سَجَدَ فَسَجَدُوا جَمِيعًا ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدُوا مَعَهُ سَرِيعًا كَأَسْرَعِ الإِسْرَاعِ جَاهِدًا لاَ يَأْلُونَ سِرَاعًا ثُمَّ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمُوا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ شَارَكَهُ النَّاسُ فِي الصَّلاَةِ كُلِّهَا .

साथ सफ़ बनाई थी। फिर आपने रूकू किया तो उन्होंने भी रूकू किया। फिर आपने सज्दा किया तो उन्होंने भी सज्दा किया, फिर आपने सर उठाया तो उन्होंने भी उठाया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठे रहे और उन लोगों ने अपने तौर पर दूसरा सज्दा किया। फिर वह खड़े हूए और उलटे पाँव चलते हूए उन (यानी दूसरे गिरोह) के पीछे जा खड़े हूए और दूसरा गिरोह आ गया, वह खड़े हूए और उन्होंने तकबीर कही और अपने तौर पर रूकू किया, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सज्दा किया तो उन्होंने आपके साथ सज्दा किया, फिर रसूल (ﷺ) खड़े हो गये और उन लोगों ने अपने तौर पर दूसरा सज्दा किया। फिर दोनों गिरोह इकट्ठे खड़े हूए और रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने रूकू किया तो उन्होंने रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया तो सबने सज्दा किया। फिर पलट कर दूसरा सज्दा किया, उन्होंने भी आपके साथ जल्दी से सज्दा किया, निहायत जल्दी, जल्दबाज़ी में कोई कसर न छोड़ी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलाम फेरा, तो उन सबने भी सलाम फेरा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हो गये, और सब लोग आपके साथ सारी नमाज़ में शरीक रहे।

(1242) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/275, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1363, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 589, हाकिम: 1/336, 337.

बाब : 16
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और हर सफ़ (गिरोह) के लोग अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें

﴿16﴾
باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ فَيَقُومُ كُلُّ صَفٍّ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً

(1243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा गिरोह दुश्मन के सामने था। फिर ये लोग चले गये और दूसरों की जगह पर (दुश्मन के मुक़ाबिल) खड़े हो गये। फिर वह लोग (रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे) आ गये तो आपने उनको दूसरी रकअत पढ़ाई और सलाम फेर दिया। फिर ये लोग खड़े हूए और अपनी रकअत अदा की और दूसरे गिरोह वाले भी खड़े हूए और अपनी रकअत अदा की।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नाफ़े और ख़लिद बिन मअदान ने इब्ने उमर से, उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। मस्रूक़ और यूसुफ़ बिन मेहरान का भी इब्ने अब्बास (ﷺ) से यही क़ौल है। नीज़ यूनुस ने हसन से, उन्होंने हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से उनका फ़ेअल बयान किया है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً وَالطَّائِفَةُ الأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامِ أُولَئِكَ وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ وَقَامَ هَؤُلاَءِ فَقَضَوْا رَكْعَتَهُمْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ نَافِعٌ وَخَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَوْلُ مَسْرُوقٍ وَيُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّهُ فَعَلَهُ .

(1243) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4133, व सही मुस्लिम: 839.

फ़ायदा : इस सूरत में गोया इमाम अपने मुजाहिद मुक़्तदियों का मुहाफ़िज़ बना कि वह अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लें।

बाब : 17
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग उसके पीछे हों वह खड़े होकर अपनी (दूसरी) रकअत पढ़ लें, फिर दूसरे लोग उनकी जगह पर आ जायें और अपनी एक रकअत पढ़ लें

﴿17﴾
باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يُسَلِّمُ

(1244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई। (मुजाहिदीन ने दो सफ़ें बनाईं) एक सफ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे खड़ी हुई और दूसरी दुश्मन के सामने रही। आपने उनको (जो आपके पीछे थे) एक रकअत पढ़ाई, फिर दूसरे आ गये और उन लोगों की जगह पर खड़े हो गये और ये दुश्मन के मुक़ाबले में चले गये। नबी (ﷺ) ने उनको एक रकअत पढ़ाई और ख़ुद सलाम फेर दिया, तो उन लोगों ने उठ कर अपनी एक रकअत पढ़ी और सलाम फेरा, फिर चले गये और उन लोगों की जगह पर जा खड़े हुए। जो

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَامُوا صَفَّيْنِ صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفٌّ مُسْتَقْبِلَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ جَاءَ الآخَرُونَ فَقَامُوا مَقَامَهُمْ وَاسْتَقْبَلَ هَؤُلاَءِ الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ هَؤُلاَءِ

فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا ثُمَّ ذَهَبُوا فَقَامُوا مَقَامَ أُولَئِكَ مُسْتَقْبِلِي الْعَدُوِّ وَرَجَعَ أُولَئِكَ إِلَى مَقَامِهِمْ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا .

दुश्मन के सामने थे। फिर दूसरे उन लोगों की जगह पर आ गये और अपनी अपनी एक रकअ़त पढ़ी और सलाम फेरा।

(1244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/375, हदीस़: 1028 में देखें।

حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ - عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ فَكَبَّرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَبَّرَ الصَّفَّانِ جَمِيعًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ بِهَذَا الْمَعْنَى عَنْ خُصَيْفٍ وَصَلَّى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ هَكَذَا إِلاَّ أَنَّ الطَّائِفَةَ الَّتِي صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ مَضَوْا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَجَاءَ هَؤُلاَءِ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ كَابُلَ فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْخَوْفِ .

(1245) जनाब ख़ुसैफ़ ने अपनी सनद से इसके हम मानी बयान किया। उस रिवायत में है: अल्लाह के नबी (ﷺ) ने तकबीर कही तो दोनों स़फ़ों ने उनके साथ मिलकर तकबीर कही।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि स़ौरी ने भी ख़ुसैफ़ से इसके हम मानी रिवायत किया है। और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) ने भी ऐसे ही पढ़ाई थी, सिवाए इसके कि जिस गिरोह ने आख़िर में उनके साथ एक रकअ़त पढ़ी, वह इमाम के सलाम के बाद दुश्मन के सामने चले गये। फिर पहला गिरोह आया और उसने अपने तौर पर एक रकअ़त पढ़ी (जो बाक़ी थी) फिर ये दूसरे गिरोह की जगह पर लौट गये, बाद में दूसरा गिरोह आया और उसने एक रकअ़त पढ़ी।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: हमें ये मुस्लिम बिन इब्राहीम ने बयान किया कि हमें अ़ब्दुस्समद बिन हबीब ने बयान किया, वह अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन लोगों ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) के साथ काबुल में जिहाद किया और उन्होंने हमको नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई।

(1245) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस़ पहले गुज़र चुकी है।

फ़ायदा : इस बाब की दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं। इसलिए इनमें बयान करदा सूरतें ग़ैर मुस्तनद हैं।

बाब : 18
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को एक रकअ़त पढ़ाये और वह (बाद में ख़ुद) कोई अदायगी न करें

﴿18﴾
باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلاَ يَقْضُونَ

(1246) जनाब स़अ़लबा बिन ज़हदम बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत सईद बिन अलआ़स(ﷺ) के साथ तब्रिस्तान में थे, वह खड़े हूए और पूछा: तुममें से कौन है जिसने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी है? हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने कहा: मैं हूँ। चुनांचे उन्होंने एक गिरोह को एक रकअ़त पढ़ाई और दूसरे को एक, और फिर उन लोगों ने कोई अदायगी नहीं की (दूसरी रकअ़त अदा न की)

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उ़बैदुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह और मुजाहिद ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास(ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। और अ़ब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से और यज़ीद अलफ़क़ीर और अबू मूसा, ये एक ताबेई हैं (स़हाबी–ए–रसूल अबू मूसा) अशअ़री नहीं हैं। ये सब हज़रत जाबिर (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से। कुछ ने शोबा से यज़ीद अलफ़क़ीर की रिवायत में कहा है: उन्होंने एक रकअ़त अदा

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِطَبَرِسْتَانَ فَقَامَ فَقَالَ أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْخَوْفِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا فَصَلَّى بِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَبِهَؤُلاَءِ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَيَزِيدُ الْفَقِيرُ وَأَبُو مُوسَى - قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَجُلٌ مِنَ التَّابِعِينَ لَيْسَ بِالأَشْعَرِيِّ - جَمِيعًا عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ

الْفَقِيرِ إِنَّهُمْ قَضَوْا رَكْعَةً أُخْرَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَتْ لِلْقَوْمِ رَكْعَةً رَكْعَةً وَلِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ .

की थी। और ऐसे ही इसको सिमाक हनफ़ी ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। और ऐसे ही इसको हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है। इस सूरत में क़ौम के लिए एक एक रकअत हूई और नबी (ﷺ) के लिए दो रकअतें।

(1246) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1531, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1343, इब्ने हिब्बान, हदीस: 586, हाकिम: 1/335.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً .

(1247) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारे नबी (ﷺ) की ज़बान पर नमाज़ फ़र्ज़ की है। इक़ामत में चार रकअतें, सफ़र में दो रकअतें और ख़ौफ़ में एक रकअत।

(1247) तख़रीज : सही मुस्लिम: 687.

फ़ायदा : अल्लामा सिन्धी कहते हैं कि इस बात में कोई तआरूज़ नहीं कि ख़ौफ़ में एक रकअत वाजिब हो और दो पढ़ ली जायें। ऊपर दी गई रिवायात में जो आया है वह अफ़ज़ल और औला का मसला है। या हदीस का ये मक़सूद हो कि सख़्त ख़ौफ़ की हालत में कम अज़ कम एक रकअत फ़र्ज़ है।

﴾19﴿ باب مَنْ قَالَ يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ

बाब : 19
(एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह को दो दो रकअतें पढ़ाये

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه

(1248) हज़रत अबू बक्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ौफ़ में ज़ोहर पढ़ाई। कुछ ने आपके पीछे सफ़ बनाई और कुछ दुश्मन के सामने रहे। आपने उन

وسلم فِي خَوْفٍ الظُّهْرَ فَصَفَّ بَعْضَهُمْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْطَلَقَ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَهُ فَوَقَفُوا مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ ثُمَّ جَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّوْا خَلْفَهُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعًا وَلأَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ . وَبِذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَنُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ يَكُونُ لِلإِمَامِ سِتُّ رَكَعَاتٍ وَلِلْقَوْمِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكَذَلِكَ قَالَ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

लोगों को (जो आपके पीछे थे) दो रकअतें पढ़ाईं और सलाम फेर दिया। तब ये लोग अपने साथियों की जगह चले गये और वह आ गये और आप (ﷺ) के पीछे नमाज़ पढ़ी। आपने उनको दो रकअतें पढ़ाईं और सलाम फेरा। इस तरह रसूल (ﷺ) की चार रकअतें हुईं और आपके अस्हाब की दो दो। जनाब हसन इसका फ़तवा दिया करते थे।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं और ऐसे ही नमाज़े मग़रिब में (होगा कि) इमाम की छः रकअतें होंगी और क़ौम की तीन तीन।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कसीर ने अबू सलमा से, उन्होंने जाबिर (رضی اللہ عنہ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से ऐसे ही रिवायत किया है। और ऐसे ही सुलेमान यशकुरी ने हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से कहा है।

(1248) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 837.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही मुस्लिम की हदीस: 843 से ये सूरत साबित है। बहरहाल सलाते ख़ौफ़ की ये मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं। इमाम हस्बे अहवाल कोई भी सूरत इख़्तियार कर सकता है। क़ाबिले ग़ौर ये है कि इस परेशान कुन हालत में भी नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम व इल्तेज़ाम होना चाहिए।

﴿20﴾

باب صَلاَةِ الطَّالِبِ

बाब : 20
दुश्मन को ढूँढने निकले तो नमाज़ किस तरह पढ़े? (यानी अगर अन्देशा हो कि नमाज़ पढ़ने के लिए रूक गये तो दुश्मन झाँसा दे जायेगा या कोई और मुश्किल पेश आ जायेगी तो इस सूरत में कैसे करे?)

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ الْهُذَلِيِّ - وَكَانَ نَحْوَ عُرَنَةَ وَعَرَفَاتٍ - فَقَالَ " اذْهَبْ فَاقْتُلْهُ " . قَالَ فَرَأَيْتُهُ وَحَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَقُلْتُ إِنِّي لأَخَافُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَا إِنْ أُؤَخِّرُ الصَّلاَةَ فَانْطَلَقْتُ أَمْشِي وَأَنَا أُصَلِّي أُومِئُ إِيمَاءً نَحْوَهُ فَلَمَّا

(1249) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे ख़ालिद बिन सुफ़ियान हुज़ली के तआ़क़ुब में (पीछा करने के लिये) उरना और अ़रफ़ात की तरफ़ रवाना किया और फ़रमाया; 'जाओ और उसे क़त्ल कर दो।' मैंने उसे देखा और इधर अ़स्र का वक़्त हो गया। तो मैंने ख़्याल किया कि अगर मैंने नमाज़ मुअख़्ख़र (लेट) की तो मेरे और उसके दरम्यान कुछ हो जायेगा। चुनांचे मैं उसकी तरफ़ जाते हूए इशारे से नमाज़ पढ़ता गया। जब मैं उसके क़रीब हूआ तो उसने मुझसे पूछा: तुम कौन हो? मैंने कहा: मैं अहले अ़रब से हूँ और मुझे मालूम हूआ है कि

دَنَوْتُ مِنْهُ قَالَ لِي مَنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَجْمَعُ لِهَذَا الرَّجُلِ فَجِئْتُكَ فِي ذَاكَ . قَالَ إِنِّي لَفِي ذَاكَ فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً حَتَّى إِذَا أَمْكَنَنِي عَلَوْتُهُ بِسَيْفِي حَتَّى بَرَدَ .

तुम उस शख़्स के मुक़ाबले के लिए लश्कर जमा कर रहे हो, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहा: मैं भी इस मुहिम पर हूँ। चुनांचे मैं कुछ देर उसके साथ चलता रहा। जब मैंने मौक़ा पाया तो उस पर अपनी तलवार बलन्द की ... यहाँ तक कि वह ठण्डा हो गया।

(1249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/496, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 982, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 591, बैहक़ी: 4/42.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुलबारी में इसकी सनद को हसन कहा है। और इससे मालूम हूआ कि दौराने जंग में अगर सूरते हाल संगीन हो जाये और नमाज़ के लिए जमा होने की ऊपर दी गई कोई भी सूरत मुमकिन न हो तो मुजाहिदीन इशारे से नमाज़ पढ़ सकते हैं। **(2)** जंग में दुश्मन के सामने हीला और तौरिया से काम लेना जायज़ है। ये झूठ की गिनती में नहीं आता।

* * *

كتاب التطوع

नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकाम व मसाइल

﴾1﴿ باب التَّطَوُّعِ وَرَكَعَاتِ السُّنَّةِ

बाब :1 नवाफ़िल और सुन्नतों की रकअतों के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ"

(1250) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे हबीबा(ﷺ) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स एक दिन में बारह रकअतें बतौर नवाफ़िल नमाज़ पढ़ता है उसके लिए इनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता है।

(1250) तख़रीजः मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीसः 728.

फायदा : ये बशारत (खूशख़बरी) फ़राइज़ से पहले और बाद की सुन्नतों से मुताल्लिक़ है जिन्हें सुनने मुअक्कदा या सुनने रवातिब कहा जाता है। इस हदीस़ से सुनने मुअक्कदा की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। इन बारह रकअतों की तफ़सील दीगर अहादीस़ में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने यूँ बयान फ़रमाई है: चार रकअत ज़ोहर से पहले, दो रकअत इसके बाद, दो रकअत मग़रिब के बाद, दो रकअत इशा के बाद और दो रकअत नमाज़े फ़ज्र से पहले। देखें: (जामेअ अत्तिर्मिज़ी, अस्सलात, हदीस़: 415) सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से ज़ोहर से पहले दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र भी मिलता है। देखें: (सही बुख़ारी, अत्ततव्वोअ, हदीस़: 1172–1180 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 729) इससे मालूम हूआ कि जो शख़्स दिन में फ़राइज़ के अलावा दस रकअत ही अदा कर लेता है

उसके लिए भी जन्नत में घर बना दिया जाता है। ताहम उलमा इसकी बाबत फ़रमाते हैं कि अगर नमाज़े ज़ोहर से पहले इतना वक़्त हो कि चार रकअत पढ़ी जा सकती हों तो चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। और बेहतर है कि ये दो दो रकअत करके पढ़ी जायें, अगरचे एक सलाम से भी पढ़ना जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّطَوُّعِ فَقَالَتْ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا فِي بَيْتِي ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتِي فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ فِيهِنَّ الْوِتْرُ وَكَانَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا وَلَيْلاً طَوِيلاً جَالِسًا فَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَإِذَا قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ رَكَعَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِدٌ وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْفَجْرِ صلى الله عليه وسلم .

(1251) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के नवाफ़िल के मुताल्लिक़ मालूम किया तो उन्होंने कहा: 'आप ज़ोहर से पहले मेरे घर में चार रकअतें पढ़ते थे। फिर तशरीफ़ ले जाते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते। फिर मेरे घर में लौट आते और दो रकअतें पढ़ते। और आप लोगों को मग़रिब की नमाज़ पढ़ाते, फिर मेरे घर में लौट आते और दो रकअत पढ़ते। और आप उन्हें इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर मेरे घर में तशरीफ़ लाते और दो रकअतें पढ़ते और आप रात में नौ रकअत पढ़ते इनमें वित्र (भी) होता। आप एक लम्बी रात खड़े होकर नमाज़ पढ़ते और एक लम्बी रात बैठकर नमाज़ पढ़ते। जब आप खड़े होकर क़िराअत करते तो रूकू भी खड़े होकर करते और सज्दा करते और जब आप बैठकर क़िराअत करते तो रूकू भी बैठकर ही करते और सज्दा करते। और जब फ़ज्र तुलूअ हो जाती तो दो रकअतें पढ़ते, फिर आप (मस्जिद) तशरीफ़ ले जाते और लोगों को फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाते।'

(1251) तख़रीज: मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 730 व इब्ने माजा, हदीस: 1164.

फ़ायदा : मुअक़्क़दा सुन्नतें घर में पढ़नी ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। इससे घर में बरकत उतरती और घर वालों और बच्चों को नमाज़ और इबादत की तरग़ीब मिलती है। नबी (ﷺ) ने भी मुसलमानों को घरों में सुन्नतें पढ़ने की ताकीद की है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ - وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ - فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لاَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ .

(1252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ोहर से पहले दो रकअतें और इस (ज़ोहर) के बाद दो रकअतें, मग़रिब के बाद दो रकअतें अपने घर में और नमाज़े इशा के बाद दो रकअतें पढ़ा करते थे। और जुम्मा के बाद नहीं पढ़ते थे यहाँ तक कि लौट आते और दो रकअतें पढ़ते।

(1252) तख़रीज: बुख़ारी, हदीस: 937, व मुस्लिम, हदीस: 882, व मौता: 1/166,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

(1253) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ज़ोहर से पहले चार रकअतें और नमाज़े फ़ज्र से पहले की दो रकअतें न छोड़ा करते थे।

(1253) तख़रीज: बुख़ारी, हदीस: 1182.

फ़ायदा: ज़ोहर से पहले और बाद में दो दो और चार चार रकअत दोनों तरह सही है। (देखिये: हदीस, 1269)

باب رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ﴿2﴾

बाब : 2
फ़ज्र की सुन्नतों का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ عَلَى شَىْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ .

(1254) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी नवाफ़िल पर इतनी पाबन्दी न फ़रमाते थे जितनी कि फ़ज्र की सुन्नतों की करते थे।

(1254) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1169, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 724.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतें सफ़र में भी तर्क नहीं फ़रमाते थे। इसलिए कुछ मोहद्दिसीन जैसे हसन बसरी (रह.) इन्हें वाजिब कहते हैं, ऐसे ही इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) भी, इससे पता चला कि दूसरी सुन्नतों के मुक़ाबले में फ़ज्र की इन दो सुन्नतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है।

बाब : 3 फ़ज्र की सुन्नतें हल्की पढ़ने का बयान

﴾3﴿ بَابٌ فِي تَخْفِيفِهِمَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ حَتَّى إِنِّي لأَقُولُ هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

(1255) सय्यदा आयशा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि नबी (ﷺ) फ़ज्र से पहले की सुन्नतें इस क़द्र हल्की पढ़ते थे कि मैं कहती भला आपने इनमें फ़ातिहा भी पढ़ी है?

(1255) तख़रीज : बुख़ारी हदीस 1171 व मुस्लिम, हदीस: 724.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}

(1256) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ने फ़ज्र की सुन्नतों में 'कुल या अय्यूहल काफ़िरून' और 'कुल हूवल्लाहू अहद' की क़िराअत फ़रमाई।

(1256) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 726.

फ़ायदा : इस क़िराअत का इख़्तियार व इल्तिज़ाम मुस्तहब है और मअनवी एतबार से भी इसकी ख़ास अहमियत है कि दिन की इब्तेदाही में मुसलमान कुफ़्र व कुफ़्फ़ार से अपनी बराअत और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की तौहीद और उसके अस्मा व सिफ़ात का इज़हार व इक़रार करता है। इसके अलावा दीगर क़िराअत का ज़िक्र आगे आ रहा है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ،

(1257) हज़रत बिलाल (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को नमाज़े फ़ज्र की

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنِي أَبُو زِيَادَةَ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الْكِنْدِيُّ عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الْغَدَاةِ فَشَغَلَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - بِلاَلاً بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى فَضَحَهُ الصُّبْحُ فَأَصْبَحَ جِدًّا قَالَ فَقَامَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ وَتَابَعَ أَذَانَهُ فَلَمْ يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا خَرَجَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عَنْهُ حَتَّى أَصْبَحَ جِدًّا وَأَنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوجِ فَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَصْبَحْتَ جِدًّا. قَالَ " لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا "

(जमाअ़त का वक़्त हो जाने की) ख़बर देने के लिए आये तो हज़रत आयशा (ﷺ) ने इसको किसी बात में मशग़ूल कर लिया, यहाँ तक कि सुबह ख़ूब सफ़ेद हो गई। फिर बिलाल खड़े हूए और आप (ﷺ) को ख़बर दी और कई बार ख़बर दी, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ न लाये, बिलआख़िर निकले तो लोगों को नमाज़ पढ़ाई। तो बिलाल ने आप (ﷺ) से कहा कि सय्यदा आयशा (रज़ि.) ने इसको बातों में लगा लिया था और वह इससे कुछ पूछ रही थी, यहाँ तक कि ख़ूब सुबह हो गई और आपने भी तशरीफ़ लाने में ताख़ीर कर दी। आपने फ़रमाया: 'मैं फ़ज्र की रकअ़तें पढ़ रहा था।' कहा ऐ अल्लाह के रसूल! आपने बहुत सुबह कर दी। आपने फ़रमाया: 'अगर मैं इससे भी ज़्यादा सुबह करता तो मैं इन सुन्नतों को पढ़ता और उम्दगी और ख़ूबसूरती से पढ़ता।'

(1257) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, 2/471, मुसनद अहमद: 2/14, रियाज़ुस सालेहीन, हदीस: 1103.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَدَنِيَّ - عَنِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ سِيلاَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ "

(1258) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़ज्र की दो सुन्नतें मत छोड़ो अगरचे दुशमन के घोड़े तुम को खदेड़ रहे हों।'

(1258) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/405, इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, अलबत्ता दीगर अहादीस से सुबह की सुन्नतों की अहमियत वाज़ेह है और इनका हुक्म दीगर सुन्नतों के मुक़ाबले में बहुत ज़्यादा ताकीदी है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ كَثِيرًا، مِمَّا كَانَ يَقْرَأُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِـ {آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا} هَذِهِ الآيَةَ قَالَ هَذِهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ { آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ }

(1259) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों में अक्सर ये आयात तिलावत किया करते थे: 'आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना' पहली रकअत में। और दूसरी रकअत में 'आमन्ना बिल्लाहि वश्हद बिअन्ना मुस्लिमीन'

(1259) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 727.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، - يَعْنِي ابْنَ مُوسَى - عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ { قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا } فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَفِي الرَّكْعَةِ الأُخْرَى بِهَذِهِ الآيَةِ { رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ } أَوْ {إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ } شَكَّ الدَّرَاوَرْدِيُّ .

(1260) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने नबी (ﷺ) को फ़ज्र की सुन्नतों में ये आयात क़िराअत करते हूए सुना। 'पहली रकअत में 'कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना' और दूसरी रकअत में 'रब्बना आमन्ना बिमा अन्ज़ल्ता वत्तबअनर्रसूला फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन' या 'इन्ना अर्सल्नाक बिलहक़्क़ि बशीरव व नज़ीरव व ला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम' ये शक अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद दरावरदी को हूआ है।

(1260) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/43.

फ़ायदा : नमाज़ में क़िराअत करते हूए अगर मुन्तख़ब आयात या सूरतें मारूफ़ तर्तीब से आगे पीछे हो जायें तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : 4
फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेट जाना

﴾4﴿
باب الاِضْطِجَاعِ بَعْدَهَا

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو كَامِلٍ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ " . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أَمَا يُجْزِئُ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى الْمَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ لاَ . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى نَفْسِهِ . قَالَ فَقِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ هَلْ تُنْكِرُ شَيْئًا مِمَّا يَقُولُ قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ وَجَبُنَّا . قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فَمَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ حَفِظْتُ وَنَسُوا .

(1261) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई फ़ज्र से पहले सुन्नतें पढ़े, तो चाहिए कि अपनी दाएँ करवट पर लेट जायें।' मरवान बिन हकम ने उनसे कहा: 'क्या भला लेटना ही ज़रूरी है' क्या मस्जिद की तरफ़ चलना काफ़ी नहीं? (अब्दुल्लाह की रिवायत में है) कहा: नहीं। ये बात हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को पहुँची तो उन्होंने कहा: हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने अपनी जान पर बहुत बोझ डाल दिया है। (कहीं सह्व व ख़ता के मुरतकिब न हो जायें और लोग भी एतराज़ करते हैं) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से कहा गया: क्या आप इसका इन्कार करते हैं जो उन्होंने बयान किया है? उन्होंने कहा: नहीं, लेकिन हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) जुरअतमंद हैं और हम ख़ाइफ़ (बुज़दिल) ये बात हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को पहुँची तो उन्होंने कहा: इसमें मेरा क्या क़सूर है कि मैंने याद रखा है और ये भूल गये हैं।

(1261) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 420, इब्ने हिब्बान, हदीस: 612.

फ़ायदा : इस मसले में 'इलामु अहलिल अस्र बिअहकामि रकअतिल फ़ज्र' अल्लामा शम्सुल हक़ डयानवी (रह.) की एक अहम मुफ़स्सल किताब है। वह फ़रमाते हैं कि फ़ज्र की सुन्नतों के बाद दाएँ

करवट पर लेटना सुन्नत है। ख़्वाह किसी ने तहज्जूद पढ़ी हो या न। और इसके रावी हज़रत आयशा, अबू हुरैरह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) हैं।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً أَيْقَظَنِي وَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ فَيُؤْذِنَهُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ .

(1262) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) आख़िरी रात में जब अपनी नमाज़ मुकम्मल फ़रमा लेते तो देखते, अगर मैं जाग रही होती तो मुझसे बातें करने लगते और अगर सोई होती तो जगा देते और दो रकअतें पढ़ते, फिर लेट जाते, यहाँ तक कि आपके पास मुअज़्ज़िन आकर आपको नमाज़े सुबह के वक़्त की ख़बर देता, फिर आप हल्की सी दो रकअतें पढ़ते, फिर नमाज़ के लिए निकल जाते।

(1262) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1119, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 743.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस में वित्रों के बाद गुफ़्तगू करने और दो रकअतें पढ़कर लेट जाने का ज़िक्र है। जिससे ये इस्तेदलाल किया जाता है कि फ़ज्र की दो सुन्नतों के बाद लेटना सुन्नत नहीं है, नबी (ﷺ) तो यूँ ही इस्तेराहत के लिए लेट जाते थे, कभी नमाज़े तहज्जूद के बाद (जैसा कि इस हदीस में है) और कभी फ़ज्र की सुन्नतों के बाद। लेकिन ये इस्तेदलाल इसलिए सही नहीं कि इस हदीस में गुफ़्तगू करने और वित्रों के बाद लेटने वाली बात महफ़ूज़ नहीं है यानी एक रावी को वहम हूआ है, जबकि दूसरे तमाम रावीयों ने लेटने का ज़िक्र फ़ज्र की सुन्नतों के बाद ही किया है। इसलिए फ़ज्र की सुन्नतों के बाद लेटने को ग़ैर मुस्तहब क़रार देना सही नहीं है। मुलाहिज़ा हो: (फ़तहुलबारी: 3/56) इसके अलावा शैख़ अलबानी (रह.) ने भी फ़ज्र की दो सुन्नतों से पहले लेटने और गुफ़्तगू करने को शाज़ क़रार दिया है। (ज़ईफ़ अबू दाऊद) **(2)** इससे ये भी मालूम हूआ कि वित्रों के बाद दो रकअतें नफ़ल पढ़ना भी जायज़ है और नबी (ﷺ) ने जो ये फ़रमाया है कि 'तुम वित्र को अपनी रात की आख़री नमाज़ बनाओ' तो ये हुक्म वजूब के तौर पर नहीं, इस्तेहबाब के तौर पर है। (मिरआतुल मफ़ातीह)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ

(1263) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती है कि नबी (ﷺ)

سَعْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ - ابْنِ أَبِي عَتَّابٍ، أَوْ غَيْرِهِ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ وَإِنْ كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً حَدَّثَنِي .

जब फ़ज्र की दो रकअतें पढ़ लेते, तो अगर मैं सोई होती तो लेट जाते और अगर जाग रही होती तो मुझसे बातें करने लगते।

(1263) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ، - رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ - عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِصَلاَةِ الصُّبْحِ فَكَانَ لاَ يَمُرُّ بِرَجُلٍ إِلاَّ نَادَاهُ بِالصَّلاَةِ أَوْ حَرَّكَهُ بِرِجْلِهِ . قَالَ زِيَادٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفُضَيْلِ

(1264) अबु हुरैरह (ﷺ) से मरवी है मैं नबी(ﷺ) के साथ नमाज़े फ़ज्र के लिए निकला तो आप जिस किसी आदमी के पास से गुज़रते उसे नमाज़ के लिए आवाज़ देते या अपने पाँव से हरकत देते। ज़ियाद ने (हद्दसना अबू अलफ़ज़ल की बजाए) हद्दसना अबू अलफ़ुज़ैल कहा है।

(1264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/46

﴾5﴿
باب إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

बाब : 5
जिसने फ़ज्र की सुन्नतें न पढ़ी हों और जमाअत हो रही हो?

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الصُّبْحَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ

(1265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (ﷺ) बयान करते है कि एक शख़्स आया और रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ा रहे थे। उसने दो रकअत (फ़ज्र की सुन्नतें) पढ़ी फिर नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ में शामिल हो

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا فُلاَنُ أَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ أَوِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا " .

गया। जब आप फ़ारिग़ हूए तो पूछा: 'ऐ फलां! तुम्हारी नमाज़ कौनसी है? वह जो तुमने अकेले पढ़ी या वह जो हमारे साथ पढ़ी?'

(1265) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 721.

फ़ायदा : जमाअत हो रही हो तो किसी के लिए सुन्नत या नफ़ल पढ़ना जायज़ नहीं है। ख़्वाह यक़ीन हो कि सुन्नतों के बाद पहली रकअत पा लेंगे। यही हुक्म फ़ज्र की सुन्नतों का है। जमाअत के दौरान बाहर सहन में या किसी कोने में फ़ज्र की सुन्नतें पढ़नी जायज़ नहीं. जैसा कि अक्सर मसाजिद में ये देखा जाता है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ "

(1266) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब नमाज़ (जमाअत) खड़ी हो जाये तो फिर फ़र्ज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं।

(1266) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 710.

फ़ायदा : इस हदीस से भी जमाअत के होते हूए सुन्नतें पढ़ने की मुमानिअत का सुबूत मिलता है। और बैहकी की ये रिवायत कि 'जब जमाअत खड़ी हो जाये तो कोई नमाज़ नहीं सिवाए फ़र्ज़ नमाज़ के मगर ये कि सुबह की सुन्नतें हों।' बिल्कुल बे'असल और ज़ईफ़ है। देखें। (औनुल माबूद)

बाब : 6
फ़ज्र की सुन्नतें रह जायें तो कब अदा करे?

6
باب مَنْ فَاتَتْهُ مَتَى يَقْضِيهَا

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يُصَلِّي بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ " . فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ . فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسل

(1267) हज़रत क़ैस बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा जो फ़ज्र के बाद दो रकअतें पढ़ रहा था। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुबह की नमाज़ दो रकअतें हैं।' तो उस शख़्स ने जवाब दिया कि मैंने पहली दो सुन्नतें नहीं पढ़ी थी, जो अब पढ़ी हैं। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ामोश हो गये।

(1267) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 422, व इब्ने माजा, हदीस़:1104, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़:1116, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 624, वल हाकिम: 1/274, 275 वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुन्नतें रह जायें तो बाद में पढ़ना अफ़ज़ल है। बिलख़ुसूस फ़ज्र की सुन्नतों की नबी (ﷺ) इन्हें सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। **(2)** फ़ज्र की सुन्नतें फ़र्ज़ों के बाद अदा करना जायज़ है। और वह हदीस़ जिसमें है कि 'नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़ नहीं।' इससे मुराद आम नवाफ़िल हैं न कि इस क़िस्म की नमाज़ जो किसी सबब से पढ़ी जा रही हो। **(3)** अगर यक़ीन हो कि सूरज उगने के इन्तेज़ार में ये फ़ौत नहीं हो जायेंगी तो मुअख़्ख़र (लेट) कर ले। इस तरह इस हदीस पर अमल हो जायेगा कि 'नमाज़े फ़ज्र के बाद नमाज़ नहीं' **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का किसी काम को देख या सुनकर ख़ामोश रहना उसकी तौसीक़ की दलील समझा जाता है, इसलिए इस हदीस़ से ये इस्तेदलाल बिल्कुल स़ही है कि जो शख़्स फ़ज्र की दो सुन्नतें फ़ज्र की फ़र्ज नमाज़ से पहले नहीं पढ़ सका वह फ़र्ज़ों के बाद पढ़ सकता है।

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ قَالَ سُفْيَانُ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ

(1268) हज़रत हामिद बिन यहया बल्ख़ी ने कहा कि सुफ़ियान ने कहा: अता बिन अबी रबाह ये हदीस़ सईद बिन स़ईद से बयान किया करते थे इमाम अबू दाऊद ने कहा कि

وَرَوَى عَبْدُ رَبِّهِ وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلاً أَنَّ جَدَّهُمْ زَيْدًا صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ .

अ़ब्दे रब और यहया .. सईद के दोनों बेटों... ने ये हदीस़ मुरसल रिवायत की कि उनके दादा ज़ैद ने नबी(ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी और ये क़िस्सा बयान किया।

(1268) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : इसमें यहया और अ़ब्दे रब के दादा का नाम ज़ैद बतलाया गया है, ये स़ही नहीं है। बल्कि दादा का नाम 'क़ैस' है जैसा कि हदीस़ 1267 में है। (शैख़ अलबानी (रह.)

﴿7﴾ باب الأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا

बाब : 7 ज़ोहर से पहले और बाद चार चार सुन्नतें

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلَى النَّارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ

(1269) सय्यदा उम्मे हबीबा (ؓ) ज़ौज़ा नबी(ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ ज़ोहर से पहले और उसके बाद चार चार रकअ़तों की पाबन्दी करेगा, वह आग पर हराम कर दिया जायेगा।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: 'इस हदीस़ का अ़लाअ बिन हारिस़ और सुलेमान बिन मूसा ने मकहूल से अपनी सनद से इसी तरह रिवायत किया है।'

(1269) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1816, तिर्मिज़ी, हदीस़: 427, 428, व इब्ने माजा, हदीस़: 1160 वग़ैरहुम.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مِنْجَابٍ، عَنْ قَرْثَعٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه

(1270) हज़रत अबू हुरैरह (ؓ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमाया: 'ज़ोहर से पहले की चार रकआत कि इनमें सलाम न हो, उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं।'

وسلم قَالَ " أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ قَالَ لَوْ حَدَّثْتُ عَنْ عُبَيْدَةَ بِشَىْءٍ لَحَدَّثْتُ عَنْهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ عُبَيْدَةُ ضَعِيفٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ مِنْجَابٍ هُوَ سَهْمٌ .

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद क़त्तान से मुझे ये बात पहुँची है, उन्होंने कहा कि अगर मैं उ़बैदा से कुछ बयान करता तो ये हदीस़ रिवायत करता।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उ़बैद ज़ईफ़ है। और इब्ने मिंजाब का नाम सहम है।

(1270) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, हदीस़: 1157.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस़ को 'हसन' कहा है। जबकि आइन्दा हदीस़: 1295' उनके नज़दीक 'स़ही' है। जिसमें है कि दिन और रात के नफ़ल दो दो रकअ़त हैं' इसलिए सुन्नतों और नवाफ़िल को दो दो करके ही पढ़ना राजेह और अफ़ज़ल है। ताहम एक सलाम से चार रकअ़त पढ़ लेना भी जायज़ है।

﴿8﴾ باب الصَّلاَةِ قَبْلَ الْعَصْرِ

बाब : 8 अस्र से पहले नमाज़

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي جَدِّي أَبُو الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا "

(1271) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला उस शख़्स़ पर रहम फ़रमाये जो अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़े।'

(1271) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 430, इब्ने ख़ुज़ैमह हदीस़: 1193, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 616.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

(1272) सय्यदना अ़ली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) अ़स्र से पहले दो रकअ़तें पढ़ा करते थे।

(1272) तख़रीज : (सनद हसन) रियाज़ुस स़ालेहीन, हदीस़:1121.

फ़ायदा : ये सुन्नतें मुस्तहब हैं और सुनन रातिबा (मुअक्कदा सुन्नतों) में शुमार नहीं होती। नीज़ दो रकअतों वाली रिवायत चार रकअतों के मनाफ़ी नहीं, बल्कि इसको कभी कभार पर महमूल किया जायेगा यानी कभी चार रकअत अदा की तो कभी दो रकअत। तफ़सील के लिए देखें: (औनुल माबूद) शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत 'चार रकआत' के अलफ़ाज़ के साथ हसन है।

(9) بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

बाब : 9 अस्र के बाद नमाज़

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَقُلْ إِنَّا أُخْبِرْنَا أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُمَا . فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي بِهِ فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ . فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُمَا ثُمَّ رَأَيْتُهُ

(1273) जनाब कुरैब मौला इब्ने अब्बास से मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अब्दुर्रहमान बिना अज़हर और मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) ने मुझे नबी (ﷺ) की बीवी मुहतरमा आयशा (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा और कहा कि उन्हें हम सबकी तरफ़ से सलाम कहना और उनसे अस्र के बाद दो रकअतों का मसला पूछना और कहना कि हमें मालूम हूआ है कि आप ये रकअतें पढ़ती हैं जब कि हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इनसे मना फ़रमाया है। चूनांचे मैं (यानी कुरैब) उनकी ख़िदमत में हाज़िर हूआ और वह सब बात पहुँचाई जो उन्होंने मुझसे कही थी तो हज़रत आयशा (ﷺ) ने कहा कि जाओ उम्मे सलमा(ﷺ) से मालूम करो। मैं इन हज़रात के पास वापस आया और उनका जवाब बताया तो उन्होंने मुझे हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की ख़िदमत में भेज दिया, इस बात के साथ जो उन्होंने मुझे सय्यदा आयशा (ﷺ) के मुताल्लिक़ कही थी। हज़रत उम्मे सलमा

يُصَلِّيهِمَا أَمَّا حِينَ صَلاَّهُمَا فَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَصَلاَّهُمَا فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ فَقُلْتُ قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمَعُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ . قَالَتْ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ بِالإِسْلاَمِ مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ "

(ﷺ) ने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को सुना था कि आप उनसे (अस्र के बाद नमाज़ से) मना फ़रमाते थे लेकिन मैंने आपको पढ़ते हूए पाया। (एक दिन) आप अस्र की नमाज़ पढ़ाकर तशरीफ़ लाये और मेरे यहां अंसार के क़बीला बनी हराम की कुछ औरतें बैठी थी, आपने ये रकअतें पढ़ी तो मैंने ख़ादिमा को आप (ﷺ) के पास भेजा, मैंने उससे कहा कि जाकर आपके पास खड़ी हो जाना और कहना कि उम्मे सलमा पूछती हैं कि ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने आपको सुना है कि आप इनसे मना फ़रमाते हैं और मैं आपको देखती हूँ कि आप इन्हें पढ़ रहे हैं? अगर आप अपने हाथ से इशारा फ़रमा दें तो उनसे ज़रा दूर हो जाना। चूनांचे ख़ादिमा ने ऐसे ही किया तो आप (ﷺ) ने अपने हाथ से इशारा किया तो वह पीछे हट गई। जब आप फ़ारिग़ हूए तो फ़रमाया: 'ऐ दुख़्तरे बनी उमैया! तूने अस्र के बाद की इन दो रकअतों के मुताल्लिक़ पूछा है तो बात ये है कि मेरे पास क़बीला अब्दुल क़ैस के कुछ लोग अपनी क़ौम का इस्लाम लेकर आये और उन्होंने मुझे ज़ोहर के बाद की रकअतों से मशग़ूल कर दिया। तो ये वही दो रकअतें हैं।

(1273) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1233, व मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 834.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़ोहर की पिछली सुन्नतें मुअक्कदा सुन्नतों में से हैं और इनका पढ़ना मुस्तहब है। **(2)** ममनूअ वक़्त में किसी मशरूअ सबब से नमाज़ पढ़ना जायज़ है। **(3)** अस्र के बाद इन रकआत की हमेशगी नबी (ﷺ) की ख़ुसूसीयत थी। **(4)** हज़रत आयशा (रज़ि.) का मसले की

तहक़ीक़ में हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) की तरफ़ तहवील करना (भेजना), उन आदाब में से है कि आलिम और अहले फ़ज़ल की तरफ़ मुराजअत की जाये।

बाब : 10
उन हज़रात की दलील जो अस्र के बाद नमाज़ की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि सूरज ऊँचा हो

﴾10﴿
باب مَنْ رَخَّصَ فِيهِمَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ

(1274) सय्यदना अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने अस्र के बाद नमाज़ से मना फ़रमाया है मगर ये कि सूरज ऊँचा हो।

(1274) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 574 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1284, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 620.

फ़ायदा : ये रूख़सते अदा सबबी नमाज़ के लिए है, (यानी कोई नमाज़ रह जाये) आम नवाफ़िल मुराद नहीं हैं। जैसा कि अगली अहादीस में आ रहा है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِي إِثْرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

(1275) सय्यदना अली (ﷺ) से मरवी है 'उन्होंने कहाः रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र और अस्र के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद दो रकअत पढ़ा करते थे।

(1275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/124, नसाई, हदीस: 341, तिर्मिज़ी, हदीस: 597, 599, व बैहक़ी: 2/459 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, सही अहादीस से साबित है कि नबी (ﷺ) अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ा करते थे जिसका सबब पीछे (हदीस 1273 में) गुज़रा है।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .

(1276) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं, मुझे कई पसन्दीदा लोगों ने बताया, इनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) भी हैं बल्कि इन सबमें हज़रत उमर (ﷺ) सबसे बढ़कर पसन्दीदा है, उन्होंने बताया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सुबह की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये। और नमाज़े अस्र के बाद कोई नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये।'

(1276) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 581, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 826.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरज तुलूअ या गुरूब होने में देर हो तो सबबी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। वैसे आम नफ़ल पढ़ना नाजायज़ है। **(2)** अहले बैत और ख़ुल्फ़ा–ए–राशिदीन में इन्तेहाई उख़ुव्वत और मोहब्बत के रवाबित थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो इन मुक़द्दस हस्तियों को एक दूसरे का हरीफ़ साबित करने की मज़मूम (नापाक) कोशिश करते हैं।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ قَالَ " جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَرْتَفِعَ قِيْسَ رُمْحٍ أَوْ رُمْحَيْنِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَتُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ مَا

(1277) हज़रत अम्र बिन अबसा सुलमी (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! रात का कौनसा हिस्सा ज़्यादा मक़बूल होता है? आपने फ़रमाया: 'आख़री रात का दरमियानी हिस्सा। सो जिस क़द्र जी चाहे नमाज़ पढ़ो। बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते हैं और इसका अज्र लिखा जाता है यहाँ तक कि फ़ज्र पढ़ लो। फिर रूक जाओ यहाँ तक कि सूरज निकल आये और एक या दो नेज़ों के बराबर ऊँचा आ जाये। बेशक ये शैतान के दो सींगों के दरम्यान तुलूअ होता है और उस वक़्त कुफ़्फ़ार इसकी इबादत करते हैं। फिर नमाज़

شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَةٌ حَتَّى يَعْدِلَ الرُّمْحُ ظِلَّهُ ثُمَّ أَقْصِرْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ تُسْجَرُ وَتُفْتَحُ أَبْوَابُهَا فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ مَا شِئْتَ فَإِنَّ الصَّلاَةَ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ " . وَقَصَّ حَدِيثًا طَوِيلاً قَالَ الْعَبَّاسُ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلاَّمٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلاَّ أَنْ أُخْطِئَ شَيْئًا لاَ أُرِيدُهُ فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ .

पढ़ते रहो, बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते और उसका अज्र लिखा जाता है यहाँ तक कि नेज़े का साया उस (नेज़े) के बराबर हो जाये (यानी दोपहर हो जाये और कोई ज़ायद साया बाक़ी न रहे) तो रूक जाओ। बेशक (इस वक़्त) जहन्नम भड़काई जाती है और उसके दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जब सूरज ढल जाये तो जिस क़द्र जी चाहे नमाज़ पढ़ो बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते हैं, यहाँ तक कि अस्र पढ़ लो, फिर रूक जाओ यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो जाये। बेशक ये शैतान के दो सींगों के बीच ग़ुरूब होता है और (इस वक़्त) कुफ़्फ़ार इसकी इबादत करते हैं।' और लम्बी हदीस़ बयान की। अ़ब्बास बिन सालिम ने कहा कि अबू सलाम ने मुझे अबू उमामा से ऐसे ही बयान किया है मगर ये कि मुझसे कोई नादानिस्ता भूल हो गई हो तो अल्लाह से इस्तेग़फ़ार और तौबा करता हूँ।

(1277) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3579, हाकिम: 1/163, 165, स़ही मुस्लिम, हदीस़: 832.

फ़ायदा : इस हदीस़ में तीन वक़्तों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया है। नमाज़े फ़ज्र के बाद, ऐन निस्फ़ुन्नहार (ज़वाल) के वक़्त और नमाज़े अ़स्र के बाद। दीगर अहादीस़ में है कि सूरज के तुलूअ और ग़ुरूब होने के वक़्त भी नमाज़ ममनूअ है। देखिये (स़ही मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 831) इनमें से ऐन निस्फ़ुन्नहार (ज़वाल) और सूरज के तुलूअ व ग़ुरूब होने के औक़ात ख़ास़ ममनूअ औक़ात हैं जबकि फ़ज्र और अ़स्र के बाद सबबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। कुछ उलमा इस बात के क़ायल हैं कि जुमा के दिन ज़वाल के वक़्त भी नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं लेकिन इसकी बाबत जितनी भी रिवायात आई हैं वह

सब ज़ईफ़ हैं। इसलिए जुमा का इख़्तिसास सही नहीं। इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने अल क़य्यिम (रह.) ने भी पिछली अहादीस की वजह से यही मौक़िफ़ इख़्तियार किया है जुमा के दिन ज़वाल के वक़्त नवाफ़िल की अदायगी सही है। दीगर (मजमूअ फ़तावा इब्ने तैमिया: 12/122, बतहक़ीक़ आमिर अलजज़ार, अनवर अलबाज़, ज़ादूलमआद: 1/378, बतहक़ीक़ शुऐब अल अरनूत) शैख़ अलबानी (रह.) भी इसके क़ायल हैं। देखिये (अल अज्विबतुन्नाफ़िला स: 34, 35) लेकिन इन हज़रात के मौक़िफ़ की कोई मज़बूत बुनियाद नहीं है। इसलिए जुमा के दिन भी ज़वाल के वक़्त नवाफ़िल पढ़ना सही नहीं।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي، بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ "لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ"

(1278) हज़रत यसार मौला इब्ने उमर कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने मुझे देखा कि मैं तुलूअे फ़ज्र के बाद नमाज़ पढ़ रहा था तो उन्होंने फ़रमाया: ऐ यसार! रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और हम ये नमाज़ पढ़ा करते थे तो आपने फ़रमाया: 'तुम्हारा हाज़िर (मौज़ूद) शख़्स अपने ग़ायब को बता दे कि सिवाए दो रकअतों के तुलूअे फ़ज्र के बाद नमाज़ न पढ़ा करो।'

(1278) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 419, सही मुस्लिम, हदीस: 723.

फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सही है। इससे मालूम हूआ कि तुलूअे फ़ज्र के बाद फ़र्ज़ों से पहले सिर्फ़ दो रकअत सुन्नतें ही पढ़ी जायें। ताहम रात के वित्र दिन चढ़े पढ़ना मुश्किल हो तो उस वक़्त में अदायगी जायज़ है। जैसे कि सबबी नमाज़ का मसला है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَمَسْرُوقٍ، قَالاَ نَشْهَدُ عَلَى عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ مَا مِنْ يَوْمٍ يَأْتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ

(1279) अस्वद और मसरूक़ (दोनों) ने कहा: हम हज़रत आयशा (ﷺ) की बाबत गवाही देते हैं कि उन्होंने बयान किया कि कोई दिन ऐसा न गुज़रता था कि नबी (ﷺ) अस्र के बाद दो रकअतें न पढ़ते हों। (यानी हर रोज़ बिलानाग़ा (छुट्टी) पढ़ा करते थे)

(1279) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 593, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 835.

फ़ायदा : ये हमेशगी नबी (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी और इन रकअतों की असल इब्तेदा ज़ोहर की सुन्नतें क़ज़ा पढ़ने से हूई थी। (देखें हदीस: 1273)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ ذَكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ وَيَنْهَى عَنْهَا وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عَنِ الْوِصَالِ

(1280) जनाब ज़कवान मौला आयशा से रिवायत है कि हज़रत आयशा (ﷺ) ने उनसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अस्र के बाद नमाज़ पढ़ा करते थे जबकि लोगों को इससे मना करते थे। ख़ूद विसाल करते (यानी दो दो दिन के इकट्ठे रोज़े रखते या इससे ज़्यादा के भी और दरम्यान में इफ़्तार न करते) और लोगों को विसाल से मना फ़रमाते थे।

(1280) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

मल्हूज़ : मुन्ज़िरी कहते हैं कि इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार है और इसकी हदीस के हुज्जत होने में इख़्तिलाफ़ है। (औनुल माबूद) मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है।

﴾11﴿ بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

बाब : 11 नमाज़े मग़रिब से पहले नफ़ल

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ" . ثُمَّ قَالَ " صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ لِمَنْ شَاءَ " . خَشْيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

(1281) हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ा करो' फिर फ़रमाया: 'नमाज़े मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ा करो' जो चाहे।' ये इस डर से कि कहीं लोग उसे सुन्नत न बना लें।

(1281) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 563.

फ़ायदा : अज़ाने मग़रिब के बाद इक़ामत से पहले दो रकअत सुन्नत अदा करना मन्दूब और मुस्तहब अमल है। अहदे रिसालत में सहाबा किराम (ﷺ) इन्हें ज़ौक व शौक़ से पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

दो मर्तबा इनकी बाबत फ़रमाया: 'मग़रिब की नमाज़ से पहले नमाज़ पढ़ो।' तीसरी मर्तबा फ़रमाया: 'जिसका दिल चाहे।' (सही बुख़ारी, हदीस: 1183 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 838) आपने ये इसलिए फ़रमाया कि कहीं लोग इसे सुन्नत न समझ लें। (सुन्नते मुअक़्क़दा न बना लें) सहाबा किराम (ﷺ) का मामूल था कि अज़ाने मग़रिब के फ़ौरन बाद और इक़ामत से पहले दो रकअतें पढ़ा करते थे जैसा कि हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मुअज़्ज़िन अज़ाने मग़रिब से फ़ारिग़ होता तो हम सब सतूनों की तरफ़ दौड़ते और दो रकअतें अदा करते, लोग इस कसरत से दो रकअतें पढ़ते कि नो वारिद समझता मग़रिब की नमाज़ हो चुकी है। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 837) नीज़ मर्सद बिन अब्दुल्लाह (रह.) एक मर्तबा हज़रत उक़बा बिन आमिर(ﷺ) के पास आये और कहा: 'क्या ये अजीब बात नहीं कि अबू तमीम मग़रिब की नमाज़ से पहले दो रकअत पढ़ते हैं?' हज़रत उक़बा बिन आमिर (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'हम भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इसी तरह पढ़ते थे' उन्होंने पूछा: 'अब क्यों नहीं पढ़ते?' फ़रमाने लगे कि मसरूफ़ियत की वजह से। देखें : (सही बुख़ारी, हदीस: 1184) इसके अलावा सही इब्ने हिब्बान में मरवी है कि नबी अकरम(ﷺ) ने ख़ूद भी मग़रिब से पहले दो रकअतें अदा की हैं। देखिए: (सही इब्ने हिब्बान, हदीस: 1588) रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअल के होते हूए ऐसी महबूब व मरग़ूब सुन्नत को क़ौले इमाम और फ़तवा-ए मज़हब की बिना पर छोड़ देना बहुत बडी महरूमी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَرَآكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا

(1282) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में मग़रिब से पहले दो रकअतें पढ़ी हैं। (मुख़्तार कहते हैं) मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से कहा: क्या आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा था? उन्होंने कहा: हाँ! आपने हमको हुक्म दिया, न मना फ़रमाया।

(1282) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 836.

फ़ायदा : यानी लाज़मी हुक्म नहीं दिया कि ज़रूर पढ़ा करो बल्कि तरग़ीब के तौर पर पढ़ने का हुक्म दिया जैसा कि इससे पहली रिवायत में है। इसके अलावा पढ़ने वालों को मना नहीं फ़रमाया जबकि आपकी ख़ामोशी इस अमल की तौसीक़ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ لِمَنْ شَاءَ"

(1283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर दो अज़ानों के दरम्यान नमाज़ है।' जो चाहे।'

(1283) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 624, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 838.

फ़ायदा : 'दो अज़ानों' से मुराद मारूफ़ अज़ान और इक़ामत है। और इन दोनों के बीच जिन नवाफ़िल की रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पाबन्दी व ताकीद की और तरग़ीब दी है, इन्हें सुनन रातिबा (मुअक्क़दा) कहते हैं और जिनकी पाबन्दी नहीं की उन्हें ग़ैर मुअक्क़दा कहते हैं।

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ، قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّيهِمَا . وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ هُوَ شُعَيْبٌ يَعْنِي وَهِمَ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ

(1284) जनाब ताऊस कहते हैं कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मग़रिब से पहले की दो रकअतों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा: मैंने किसी को नहीं देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इसे पढ़ता हो। और अस्र के बाद दो रकअतों की रूख़सत दी। इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यहया बिन मईन को सुना, कहते थे कि रावी हदीस अबू शुऐब दरअसल शुऐब है, शोबा को इसके नाम में वहम हूआ है।

(1284) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 804.

फ़ायदा : इस हदीस में बयान करदा बशर्ते सेहत हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) की नफ़ी को उनकी ला'इल्मी पर महमूल किया जायेगा, क्योंकि सही अहादीस से सहाबा किराम का मग़रिब की अज़ान के बाद दो रकअतें पढ़ना साबित है।

बाब : 12 नमाज़े चाश्त के अहकाम व मसाइल

﴿12﴾ باب صَلاَةِ الضُّحَى

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنِ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاطَتُهُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعَةُ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رَكْعَتَانِ مِنَ الضُّحَى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الأَمْرَ وَالنَّهْىَ زَادَ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ كَذَا وَكَذَا وَزَادَ ابْنُ مَنِيعٍ فِي حَدِيثِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدُنَا يَقْضِي شَهْوَتَهُ وَتَكُونُ لَهُ صَدَقَةٌ قَالَ " أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِلِّهَا أَلَمْ يَكُنْ يَأْثَمُ

(1285) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'सुबह होती है तो इब्ने आदम के अंग अंग पर स़दक़ा लाज़िम हो चुका होता है। चुनांचे उसका अपने मिलने वालों को सलाम कहना स़दक़ा है। नेकी का हुक्म देना स़दक़ा है। बुराई से रोकना स़दक़ा है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ दूर करना स़दक़ा है। और अहलिया से हमबिस्तर होना स़दक़ा है। और इन सबसे चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।'

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अ़ब्बाद की रिवायत ज़्यादा कामिल है। और मुसद्दद ने अपनी रिवायत में अम्र व नही का बयान नहीं किया बल्कि कहा: ये और ये। और इब्ने मनीअ़ ने अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया: स़हाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! इन्सान अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पूरी करे और ये उसके लिए स़दक़ा बने? (क्यों कर?) आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर वह ये काम हलाल जगह में न करता (यानी ज़िना करता) तो क्या गुनाह न होता।'

(1285) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/178, व नसाई सुनन कुब्रा, हदीस़: 9028.

फ़ायदा : सूरज तुलूअ़ होते (उगते) ही जो नमाज़ पढ़ी जाये वह 'इश्राक़' और जो सूरज के क़द्रे बलन्द होने पर पढ़ी जाये 'ज़ुहा' (चाश्त) कहलाती है। हक़ीक़त में ये एक ही नमाज़ है, इसकी कम अज़कम दो और ज़्यादा से ज़्यादा आठ रकआत हैं।

(1286) जनाब अबू अस्वद दुअली कहते हैं कि हम हज़रत अबू ज़र (ﷺ) के पास थे कि उन्होंने कहा: 'सुबह होती है तो तुम्हारे एक एक के अंग अंग पर सदक़ा लाज़िम हो चुका होता है और हर रोज़ ऐसे होता है। चुनांचे उसकी हर नमाज़, रोज़ा, हज, तस्बीह, तकबीर और तहमीद सदक़ा होती है।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये आमाले सालेहा शुमार फ़रमाए, फिर फ़रमाया: 'तुम्हें इन सबसे चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।'

(1286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 720.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ قَالَ " يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلاَمَى مِنْ أَحَدِكُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ فَلَهُ بِكُلِّ صَلاَةٍ صَدَقَةٌ وَصِيَامٍ صَدَقَةٌ وَحَجٍّ صَدَقَةٌ وَتَسْبِيحٍ صَدَقَةٌ وَتَكْبِيرٍ صَدَقَةٌ وَتَحْمِيدٍ صَدَقَةٌ " . فَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ ثُمَّ قَالَ " يُجْزِئُ أَحَدَكُمْ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَا الضُّحَى "

तौज़ीह : ये दो रकअतें उस सदक़-ए-लाज़िमा से किफ़ायत करती है। इससे ये न समझा जाये कि फ़राइज़ से भी किफ़ायत हो जाती है।

(1287) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन अनस जोहनी (ﷺ) अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स फ़ज्र की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर अपनी जाय-नमाज़ पर बैठा रहे और ज़ुहा (चाश्त) की दो रकअतें पढ़कर उठे और उस दौरान में ख़ैर ही की बात करे तो उसकी ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हैं, ख़्वाह समन्दर के झाग से ज़्यादा हों।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلاَّهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَىِ الضُّحَى لاَ يَقُولُ إِلاَّ خَيْرًا غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ "

(1287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/438.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةٌ فِي أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ "

(1288) हज़रत अबू उमामा (ﷺ) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ इस तरह कि इनके बीच कोई लग्व न हो' (इस अमल से) इल्लिय्यीन में नाम दर्ज हो जाता है।'

(1288) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/49, हदीस: 558 में देखें।

फ़ायदा : 'इल्लिय्यीन' वह मक़ाम है जहाँ सालेहीन के आमालनामे रखे गये हैं और उनमें उनके आमाल दर्ज होते हैं। इसके बिलमुक़ाबिल कुफ़्फ़ार व फुज्ज़ार के लिए 'सिज्जीन' है। जैसा कि सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन में ज़िक्र है।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ أَبِي شَجَرَةَ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْنِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي أَوَّلِ نَهَارِكَ أَكْفِكَ آخِرَهُ"

(1289) हज़रत नुऐम बिन हम्मार (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है: ऐ इब्ने आदम! तू मेरे लिए शूरू दिन में चार रकआत पढ़ने से आजिज़ न रह, मैं आख़िर दिन तक तेरी किफ़ायत करूंगा।'

(1289) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/287 हदीस: 466, इब्ने हिब्बान, हदीस: 634.

तौज़ीह : रसूलुल्लाह (ﷺ) को 'जवामिउल कलिम' (कम शब्द ज़्यादा मानी) से मुशर्रफ़ फ़रमाया गया था। आपके इस फ़रमान में 'शूरू दिन' से मुराद तुलूअे फ़ज्र हो तो सुबह की नमाज़ में चार रकअतें होती हैं। और इसका मफ़हूम उस हदीस के मुवाफ़िक़ होगा जिसमें है कि 'जो सुबह की नमाज़ पढ़ ले वह अल्लाह की अमान में आ गया।' (सही मुस्लिम, हदीस: 257) अगर इससे मुराद दिन की इब्तेदा तुलूअे शम्स हो तो इसमें नमाज़े चाश्त की तरग़ीब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي

(1290) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब(ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के रोज़ चाश्त की आठ रकआत

عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ السَّرْحِ إِنَّ أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَذْكُرْ سُبْحَةَ الضُّحَى بِمَعْنَاهُ

पढ़ी थी। आप हर दो रकअत पर सलाम फेरते थे। अहमद बिन सालेह ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के दिन चाश्त की नमाज़ पढ़ी और उसी के मिस्ल ज़िक्र किया। इब्ने सरह ने कहा: उम्मे हानी(ؓ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये। और नमाज़े चाश्त का नाम नहीं लिया। (बल्कि वैसे ही कहा कि आपने आठ रकआत पढीं) साबिक़ा हदीस़ के मानी में।

(1290) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1323 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़:1234, बुख़ारी, हदीस़: 280 वग़ैरह.

फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) ने इसकी तज़ईफ़ की है। मतलब ये है कि ये रिवायत तो सही है क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इनमें 'हर दो रकअत पर सलाम फेरते थे।' के अल्फ़ाज़ नहीं हैं। ये अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं और इसकी वजह से रिवायत ज़ईफ़ है, वरना असल वाक़िआ सही है।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ مَا أَخْبَرَنَا أَحَدٌ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الضُّحَى غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اغْتَسَلَ فِي بَيْتِهَا وَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلاَّهُنَّ بَعْدُ

(1291) जनाब इब्ने अबी लैला कहते हैं कि हमें उम्मे हानी (ؓ) के अलावा किसी ने ख़बर नहीं दी कि उसने देखा हो कि नबी (ﷺ) ने नमाज़े चाश्त पढ़ी, उम्मे हानी (ؓ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के रोज़ उसके घर में गुस्ल किया और आठ रकअतें पढ़ी (इसके सिवा) और किसी ने नहीं देखा कि उसके बाद आपने ये रकआत पढ़ी हों।

(1291) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1103, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) ने नमाज़े चाश्त पाबन्दी से नहीं पढ़ी है। और आपकी इस नमाज़ को 'सलातुल फ़तह' का नाम भी दिया गया है। **(2)** सफ़र में भी नवाफ़िल पढ़ने चाहिए, मगर सुनने रातिबा (मुअक्क़दा) साबित नहीं हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضُّحَى فَقَالَتْ لاَ إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ . قُلْتُ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ

(1292) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ؓ) से पूछा: 'क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) चाश्त की नमाज़ पढ़ा करते थे? कहा नहीं, मगर ये कि सफ़र से तशरीफ़ लाते।' मैंने पूछा: 'क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) सूरतें मिलाकर पढ़ लिया करते थे?' उन्होंने कहा: 'हाँ' मुफ़स्सल में से (यानी आख़री मन्ज़िल की सूरतों में से)

(1292) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 717.

फ़ायदा : सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामूल था कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाते, दो रकअतें पढ़ते, अहबाब से मुलाक़ात होती फिर घर तशरीफ़ ले जाते। (सही बुख़ारी, अलमग़ाज़ी, हदीस: 4418)

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ مَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبْحَةَ الضُّحَى قَطُّ وَإِنِّي لأُسَبِّحُهَا وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ

(1293) हज़रत आयशा (ؓ) ज़ोजा नबी (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ुहा के नफ़ल कभी नहीं पढ़े, मैं अलबत्ता पढ़ती हूँ। बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ अमल करना चाहते मगर छोड़ देते थे, कि लोग अमल करेंगे तो कहीं उन पर फ़र्ज़ न कर दिया जाये।

(1293) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1128 व मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 718, व मौता: 1/152, 153.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ؓ) के बयान का मफ़हूम ये है कि नबी (ﷺ) ने ये नवाफ़िल पाबन्दी से नहीं पढ़े।

حَدَّثَنَا ابْنُ نُفَيْلٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، قَالَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَكُنْتَ تُجَالِسُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ نَعَمْ كَثِيرًا فَكَانَ لاَ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ صلى الله عليه وسلم

(1294) जनाब सिमाक कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन समुरह (ﷺ) से पूछा कि क्या आप रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में बैठा करते थे? उन्होंने कहा: हाँ बहुत ज़्यादा। आप (ﷺ) जहां फ़ज्र की नमाज़ अदा फ़रमाते वहाँ से उस वक़्त तक न उठते जब तक कि सूरज तुलूअ न हो जाता। जब (सूरज) तुलूअ हो जाता तो फिर आप(ﷺ) खड़े हो जाते।

(1294) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 670.

फ़ायदा : ये हदीस सही मुस्लिम में भी है और इमाम नववी ने इस पर ये बाब दर्ज फ़रमाया है: (बाबो फज़्लिल जुलूस फ़ी मुसल्लाहू बअदस्सुब्हि व फ़ज़्लुल मसाजिद, सही मुस्लिम, अलमसाजिद, हदीस: 670) मगर इसमें नबी (ﷺ) का नमाज़े इश्राक़ या चाश्त पढ़ने का बयान नहीं है।

﴾13﴿ بَابٌ فِي صَلاَةِ النَّهَارِ

बाब : 13 दिन के नवाफ़िल (किस तरह पढ़े जायें)

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَارِقِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " صَلاَةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى "

(1295) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात और दिन की नमाज़ दो दो रकअत है।'

(1295) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 597, नसाई, हदीस: 1667, व इब्ने माजा, हदीस: 1322, मौता, हदीस: 260.

फ़ायदा : मुस्तहब और अफ़ज़ल ये है कि नवाफ़िल दिन के हों या रात के दो दो रकअत करके पढ़े जायें। एक सलाम से चार रकअत भी जायज़ हैं जैसा कि गुज़िश्ता हदीस (1270) में गुज़रा है। इमाम नसाई (रह.) ने इस हदीस में 'दिन' के ज़िक्र को वहम क़रार दिया है। (जब कि दूसरे उलमा ने इसे सिक़ा रावी की ज़ियादती क़रार दिया है जो कि मक़बूल है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: अत्तअलीकातुस्सलफ़िया: 1/198 इसलिए सुनन व नवाफ़िल चाहे दिन के हों या रात के दो दो करके पढ़ना राजेह है, भले एक सलाम में चार रकआत भी जायज़ हैं।)

(1296) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन हारिस़ (ﷺ) मुत्तलिब से वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने (ﷺ) फ़रमाया: 'नमाज़ दो दो रकअ़त है। यूँ कि तुम हर दो रकअ़त पर तशह्हुद पढ़ो, अपनी ज़ारी और मिस्कीनी का इज़हार करो दोनों हाथ उठाओ और कहो 'ऐ अल्लाह! ऐ अल्लाह!' और जो यूँ न करे तो उसकी ये नमाज़ नाक़िस़ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) से रात की नमाज़ दो रकअ़त होने के मुताल्लिक़ पूछा गया तो कहा: चाहो तो दो दो रकअ़त पढ़ लो और चाहो तो चार चार।

(1296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1325, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1212.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الصَّلاَةُ مَثْنَى مَثْنَى أَنْ تَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ تَبَاءَسَ وَتَمَسْكَنَ وَتُقْنِعَ بِيَدَيْكَ وَتَقُولَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهِيَ خِدَاجٌ " . سُئِلَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى قَالَ إِنْ شِئْتَ مَثْنَى وَإِنْ شِئْتَ أَرْبَعًا

मल्हूज़ : ये हदीस़ तो ज़ईफ़ है मगर चार रकआ़त पढ़ने का ज़िक्र हज़रत आ़यशा (ﷺ) की हदीस़ में मौजूद है जिसमें रमज़ान की रात की नमाज़ का सवाल किया गया था। देखें: (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1147) (लेकिन दूसरी रिवायत में स़राहत है कि नबी (ﷺ) की रात की नमाज़ (नमाज़े तहज्जुद) दो दो रकअ़त हूआ करती थी, सिवाए वित्र के, इसलिए आप (ﷺ) का ज़्यादा अ़मल दो दो करके ही पढ़ने का था न कि चार चार करके पढ़ने का। स़िर्फ़ बयाने जवाज़ के लिए आप (ﷺ) ने कभी कभी चार चार करके पढ़ी हैं। यानी नवाफ़िल दो दो करके पढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो: फ़तहुलबारी: 2/618 अवाइले किताबिल वित्र हदीस़: 990, 992.

बाब : 14
नमाज़े तस्बीह के अहकाम व मसाइल

﴿14﴾
بَاب صَلاَةِ التَّسْبِيحِ

(1297) अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्बास बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब (ﷺ) से फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्बास! ऐ चचा जान! क्या

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ‏"‏ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلاَ أُعْطِيكَ أَلاَ أَمْنَحُكَ أَلاَ أَحْبُوكَ أَلاَ أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ سِرَّهُ وَعَلاَنِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً ‏"‏

मैं आपको एक हदिया न दूँ? अतिया और तोहफ़ा न दूँ? क्या मैं आपको दस बातें न सिखा दूँ। जब आप उन पर अमल करेंगे तो अल्लाह आपके अगले पिछले, क़दीम जदीद, ख़ता, अमदन छोटे बड़े, पोशीदा और ज़ाहिर सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। दस बातें ये हैं कि आप चार रकअ़ात पढ़ें। हर रकअ़त में आप सूरह फ़ातिहा और एक सूरह पढ़ें। जब आप पहली रकअ़त में क़िराअत से फ़ारिग़ हो जायें और क़याम में हों तो पन्द्रह बार ये तस्बीह पढ़ें। 'सुब्हान अल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहू अकबर' फिर रूकू करें और हालते रूकू में दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर रूकू से सर उठायें और दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर सज्दा करें और सज्दे में दस बार ये पढ़ें। फिर सज्दे से सर उठायें तो यही तस्बीह दस बार पढ़ें। फिर दूसरा सज्दा करें तो इसमें भी दस बार पढ़ें। फिर सर उठायें तो दस बार पढ़ीं। हर रकअ़त में ये कुल पचहत्तर (75) तस्बीहात हूए। और आप चारों रकअ़तों में ऐसे ही करें। अगर हिम्मत हो तो हर रोज़ (ये नमाज़) पढ़ा करें। अगर हर रोज़ न पढ़ सकें तो हर हफ़्ते में एक बार, अगर हफ़्ते में न पढ़ सकें तो एक महीने में एक बार पढ़ें। अगर ये न कर सकें तो साल में एक बार पढ़ें। अगर साल में भी न पढ़ सकें तो अपनी ज़िन्दगी में एक बार पढ़ लें।'

(1297) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1387.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الأُبُلِّيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ أَبُو حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُرَوْنَ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ائْتِنِي غَدًا أَحْبُوكَ وَأُثِيبُكَ وَأُعْطِيكَ " . حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُعْطِينِي عَطِيَّةً قَالَ " إِذَا زَالَ النَّهَارُ فَقُمْ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ " تَرْفَعُ رَأْسَكَ - يَعْنِي مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ - فَاسْتَوِ جَالِسًا وَلاَ تَقُمْ حَتَّى تُسَبِّحَ عَشْرًا وَتَحْمَدَ عَشْرًا وَتُكَبِّرَ عَشْرًا وَتُهَلِّلَ عَشْرًا ثُمَّ تَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ " . قَالَ " فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ " . قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ قَالَ " صَلِّهَا مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ خَالُ هِلاَلٍ الرَّائِيِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَوْقُوفًا وَرَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيَّبِ

(1298) जनाब अबू अलजोज़ाअ कहते हैं कि मुझसे एक सहाबी ने बयान किया जिन्हें लोग अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) समझते हैं कि नबी(ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'कल मेरे पास आना मैं तुम्हें एक हदिया दूंगा, अतिया दूंगा।' मुझे ख़्याल हूआ कि आप (ﷺ) कोई माल इनायत फ़रमायेंगे। (मैं हाज़िर हूआ तो) आपने फ़रमाया: 'जब सूरज ढल जाये तो खड़े हो जाओ और चार रकअतें पढ़ो।' और पिछली रिवायत की मानिन्द ज़िक्र किया। इस रिवायत में कहा: 'जब तुम दूसरे सज्दे से सर उठाओ तो ठीक तरह से बैठ जाओ और दस बार सुब्हानल्लाह, दस बार अलहम्दुलिल्लाह, दस बार अल्लाहु अकबर और दस बार ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो। जब तक ये न पढ़ लो खड़े न हो। और फिर चार रकअतों में ऐसे ही करो।' फ़रमाया: 'अगर तुम अहले ज़मीन में सबसे ज़्यादा गुनाहगार भी हूए तो उससे वह सब माफ़ कर दिए जायेंगे।' मैंने कहा: 'अगर मैं उस वक़्त में न पढ़ सकूं तो?' आपने फ़रमाया: 'रात दिन में किसी भी वक़्त पढ़ लो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिब्बान बिन हिलाल, हिलाल अर्राई (अर्राज़ी) के मामूं हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को मुस्तमिर बिन रय्यान ने अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मौक़ूफ़न बयान किया है। और उसे रौह बिन मुसय्यब और जाफ़र

وَجَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ النُّكْرِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَقَالَ فِي حَدِيثِ رَوْحٍ فَقَالَ حَدِيثُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

बिन सुलेमान ने अम्र बिन मालिक नुकरी से उन्होंने अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने इब्ने अब्बास से उनका क़ौल बयान किया है। रौह की रिवायत में है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: ये नबी (ﷺ) की हदीस है। (मेरी अपनी बात नहीं है) यानी मुझे हदीसे नबवी कहकर बयान की गई।

(1298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/52.

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ، رُوَيْمٍ حَدَّثَنِي الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِجَعْفَرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَذَكَرَ نَحْوَهُمْ قَالَ فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الأُولَى كَمَا قَالَ فِي حَدِيثِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ

(1299) उर्वा बिन रूवैम, अंसारी से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत जाफ़र को फ़रमाया: बक़िया हदीस के अल्फ़ाज़ वही हैं जो कि महदी बिन मैमून ने नक़ल फ़रमाये लेकिन इस रिवायत में इन अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है कि उन्होंने पहली रकअत के दूसरे सज्दे के बारे में फ़रमाया।

(1299) तख़रीज : (सनद हसन) अलबैहक़ी: 3/52

फ़ायदा : सलाते तस्बीह की अहादीस की असानीद पर कुछ कलाम है मगर मजमूई लिहाज़ से सही साबित है। जैसा कि अल्लामा अलबानी (रह.) ने तहक़ीक़ की है। अल्लामा इब्ने अलजोज़ी (रह.) का इसको मौज़ूआत में शुमार करना क़तअन सही नहीं है। गुज़री हुई पहली हदीस जुज़्उल क़िरात ख़ल्फ़ुल इमाम बुख़ारी के अलावा सुनन इब्ने माजा, सही इब्ने ख़ुज़ैमह और मुस्तदरक हाकिम में मरवी है। इमाम बैहक़ी वग़ैरह ने इसको सही कहा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) के फ़रज़न्द अबूबक्र से मरवी है कि मैंने अपने वालिद से सुना कि सलातुत तस्बीह में ये हदीस सबसे ज़्यादा सही है। इब्ने मन्दह 'आजुरी' ख़तीब अबू सईद सूमआनी, अबू मूसा मदनी, अबू अलहसन बिन मुफ़ज़्ज़ल, मुन्ज़िरी, इब्ने अस्सलाह और नववी (रह.) ने इस हदीस को हसन कहा है। इमाम इब्नुल मुबारक इसके क़ायल व फ़ाइल थे। (औनुल माबूद)

﴾15﴿ بَابِ رَكْعَتَيِ الْمَغْرِبِ أَيْنَ تُصَلَّيَانِ

बाब : 15
मग़रिब की सुन्नतें कहाँ पढ़ी जायें?

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنِي أَبُو مُطَرِّفٍ، مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَتَى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَصَلَّى فِيهِ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا قَضَوْا صَلاَتَهُمْ رَآهُمْ يُسَبِّحُونَ بَعْدَهَا فَقَالَ " هَذِهِ صَلاَةُ الْبُيُوتِ "

(1300) हज़रत कअ़ब बिन उ़ज्रा से रिवायत है कि नबी (ﷺ) क़बीला बनी अ़ब्दुल अशहल की मस्जिद में तशरीफ़ लाये और वहाँ मग़रिब की नमाज़ पढ़ी नमाज़ के बाद आपने उनको देखा कि वह इसके बाद नफ़ल पढ़ रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'ये घरों की नमाज़ है।'

(1300) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 604, नसाई, हदीस़: 1601 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1201.

फ़ायदा : मुस्तहब यही है कि मग़रिब की सुन्नतें या उसके बाद दीगर नवाफ़िल घरों में पढ़े जायें।

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَرْجَرَائِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُطِيلُ الْقِرَاءَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ حَتَّى يَتَفَرَّقَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ الْقُمِّيِّ وَأَسْنَدَهُ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ حَدَّثَنَا نَصْرٌ الْمُجَدَّرُ عَنْ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ

(1301) जनाब सईद बिन जुबैर, हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से रावी (रिवायत करने वाले) हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़रिब के बाद की रकअ़तों में क़िराअत इस क़द्र तवील करते कि अहले मस्जिद (घरों को) चले जाते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि नस़रूल मुजद्दर ने याक़ूब क़ुमी से इसके मिस्ल मुसनद रिवायत किया है। नीज़ मुहम्मद बिन ईसा बिन तब्बा ने बवास्ता नस़रूल मुजद्दर याक़ूब से इसके मिस्ल रिवायत किया है।

(1301) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 379.

फ़ायदा : मुमकिन है कि कुछ औक़ात आपने ये रकआत मस्जिद में और तवील क़िराअत से पढ़ी हों।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حُمَيْدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ يَعْقُوبَ يَقُولُ كُلُّ شَىْءٍ حَدَّثْتُكُمْ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ مُسْنَدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(1302) जनाब सईद बिन जुबैर ने नबी (ﷺ) से पिछली हदीस़ के हम मानी मुर्सल बयान किया।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं : मैंने मुहम्मद बिन हुमैद से सुना, उन्होंने कहा: मैंने याक़ूब कुमी से सुना, वह कहते थे हर वह रिवायत जो मैं तुम्हें जाफ़र से वह सईद बिन जुबैर से वह नबी (ﷺ) से बयान करता हूँ वह सब बवास्ता इब्ने अ़ब्बास, नबी (ﷺ) से मुसनद (मौसूल) हैं।

(1302) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/190.

﴾16﴿ باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

बाब : 16 इशा के बाद नमाज़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ بَشِيرٍ الْعِجْلِيُّ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَ سَأَلْتُهَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَىَّ إِلاَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ

(1303) शुरैह बिन हानी हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत करते हैं, शुरैह ने कहा कि मैंने उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के बारे में दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी इशा की नमाज़ पढ़कर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो चार या छ: रकआत पढ़ते। एक रात बारिश हो गई हमने आपके लिए चमड़ा बिछा दिया, पस गोया मैं देख रही हूँ कि उसके एक सूराख़ से पानी निकल रहा था। और मैंने आपको कभी नहीं देखा कि (नमाज़ के दरम्यान में) अपने

وَلَقَدْ مُطِرْنَا مَرَّةً بِاللَّيْلِ فَطَرَحْنَا لَهُ نِطْعًا فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ثُقْبٍ فِيهِ يَنْبُعُ الْمَاءُ مِنْهُ وَمَا رَأَيْتُهُ مُتَّقِيًا الأَرْضَ بِشَيْءٍ مِنْ ثِيَابِهِ قَطُّ

कपड़ों को मिट्टी से बचाते हों।

(1303) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/58, नसाई हदीस़: 391, इब्ने हिब्बान: 7/509.

क़यामुल लैल या नमाज़े तहज्जूद और तरावीह के अहकाम व मसाइल

- रात के पिछले पहर नर्म व गुदाज़ बिस्तर छोड़कर उठना और अल्लाह की इबादत करना, क़यामुल लैल या तहज्जूद कहलाता है। ये फ़र्ज़ तो नहीं है, एक नफ़ली इबादत है लेकिन रसूलुल्लाह (ﷺ) इसका भी ख़ुसूसी एहतिमाम फ़रमाते थे और पाबन्दी से रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत करते हूए गुज़ारते। इसके अलावा अपनी उम्मत को भी आपने इसकी तरग़ीब दी, फ़रमाया: 'तुम क़यामुल लैल का एहतिमाम करो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुज़र जाने वाले नेक लोगों का तरीक़ा रहा है, इसके अलावा ये तुम्हारे रब के क़ुर्ब (करीब होने) का, बुराईयाँ दूर करने का और गुनाहों से बाज़ रहने का सबब और ज़रिया है।' (जामेअ़ अत्तिर्मिज़ी, अद्दअ़वात, हदीस: 3549)
- इसकी वजह ये है कि रात के आख़री तिहाई हिस्से में, जो तहज्जूद का ख़ास वक़्त है, अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फ़रमाता है और कहता है: 'कौन है जो मुझे पुकारे, मैं उसकी पुकार को क़बूल करूं? कौन है जो मुझसे माँगे तो मैं उसको दूँ? कौन है जो मुझसे माफ़ी माँगे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ?'
- इस एतबार से रात का ये आख़री हिस्सा अल्लाह से दुआ व मुनाजात का, तौबा व इस्तेग़फ़ार का और उसकी इबादत करके उसको राज़ी करने का ख़ास वक़्त और ख़ास तरीक़ा है। अल्लाह तआला हम सबको इस इबादत की ख़ुसूसी तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। इसे क़यामुल लैल भी कहा जाता है और तहज्जूद भी और रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह कहा जाता है। पिछली तफ़्सील से वाज़ेह है कि इस क़यामुल लैल का असल वक़्त तो रात का वह आख़री तीसरा हिस्सा है जब पहले दो हिस्से गुज़र जायें। ताहम इसका आग़ाज़ इशा की नमाज़ के बाद ही से हो जाता है, यानी अगर कोई शख़्स इशा के बाद तहज्जूद की नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसी तरह निस्फ़ रात में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है और दो हिस्से गुज़र जाने के बाद रात के तीसरे हिस्से में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। नबी (ﷺ) ने ये नमाज़ कभी इब्तेदाई वक़्त में, कभी दरम्यानी वक़्त में और कभी आख़री वक़्त में पढ़ी है। ताहम आपका ज़्यादा मअ़मूल आख़री वक़्त ही में पढ़ने का रहा है।

- नमाज़े तहज्जूद में नबी (ﷺ) का क़याम, रूकू, क़ौमा और सज्दा हर रूक्न लम्बा होता था, गोया निहायत ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से ये नमाज़ अदा फ़रमाते, कभी कभी आपके पैर सूज जाते। इस ख़ुशूअ और इतमिनान का एहतमाम निहायत ज़रूरी है।
  - नबी (ﷺ) का आम मअमूल, रमज़ान होता या ग़ैर रमज़ान, ग्यारह रकअत का था, यानी आप दो दो करके आठ रकअत तहज्जूद और तीन वित्र या दस रकआत और एक वित्र पढ़ते कुछ दफ़अ वित्र के बाद दो मुख़्तसर रकअत और पढ़ते और यूँ कभी 13 रकअत हो जाती।
  - जो शख़्स क़यामुल लैल का आदी या इसकी नियत रखने वाला हो तो उसे चाहिए कि वह इशा की नमाज़ के साथ वित्र न पढ़े, वित्र तहज्जूद की नमाज़ के पढ़ने के बाद आख़िर में पढ़े, इसलिए कि वित्र को रात की आख़री नमाज़ बनाना मुस्तहब है।
  - जिस शख़्स ने वित्र पढ़ लिए हों और फिर उसे तहज्जूद पढ़ने का मौक़ा मिल जाये तो वह तहज्जूद के नवाफ़िल पढ़ ले, इसे वित्र तोड़ने या दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
  - बेहतर है कि तहज्जूद की 8 रकआत ही पढ़ी जायें अगर इबादत में ज़्यादा वक़्त सर्फ़ करना चाहे तो तादाद में इज़ाफ़ा करने की बजाये क़याम और रूकू व सुजूद वग़ैरह अरकाने नमाज़ को लम्बा करे जैसा कि नबी (ﷺ) का मअमूल था।
  - ताहम कोई 8 रकआत से कम पढ़ना चाहे तो कम भी पढ़ सकता है।
- मुस्तक़िल तहज्जूद गुज़ार से किसी वक़्त तहज्जूद की नमाज़ रह जाये तो वह अगर सिर्फ़ वित्र पढ़ना चाहें तो नमाज़े फ़ज्र से पहले या नमाज़े फ़ज्र के बाद वित्र पढ़ लें और अगर तहज्जुद की क़ज़ा करना चाहता है तो सूरज निकलने के बाद 12 रकआत पढ़ ले। ताहम अगर वह ये क़ज़ा नहीं देगा तो गुनाहगार नहीं होगा।

क़यामे रमज़ान यानी नमाज़े तरावीह

- पहले बताया जा चुका है कि तरावीह भी दरअसल तहज्जूद ही की नमाज़ है जिसे हदीस़ में क़यामुल लैल से तअबीर किया गया है और इसकी फ़ज़ीलत में कहा गया है: 'जिसने रमज़ान (में रात) को क़याम किया ईमान के साथ और स़वाब की नियत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' (स़ही बुख़ारी, स़लातुत तरावीह, बाब फ़ज़्ल मन क़ामा रमज़ान, हदीस़, 2008, व स़ही मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, बाबुत तरग़ीब फ़ी क़यामे रमज़ान ...हदीस़: 759)

🖎 रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा तीन रातों को सहाबा किराम (رضي الله عنهم) के साथ बा'जमाअत क़याम किया और चौथी रात को लोग मुन्तज़िर रहे लेकिन आप तशरीफ़ नहीं लाये। बाद में आपने बतलाया कि 'मुझे तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ और इन्तेज़ार का पता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम पर ये क़याम फ़र्ज़ न कर दिया जाये अगर ऐसा हो गया तो तुम इस पर अमल नहीं कर सकोगे। इसलिए तुम रमज़ान का ये क़याम अपने अपने घरों में किया करो।' (अबू दाऊद, बाब फ़ी क़यामे शहरे रमज़ान, हदीस: 1375 व जामेअ तिर्मिज़ी, अस्सौम, बाब माजा फ़ी क़यामे शहरे रमज़ान, हदीस: 806 व सही बुख़ारी, अलअदब, बाब मायजूज़ मिनल ग़ज़ब ... हदीस: 61113, 7290 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब इस्तेहबाब सलातुन नफ़ल फ़ी बैतिही ... हदीस: 781)

🖎 इसके बाद ये क़याम अपने अपने घरों में इन्फ़ेरादी तौर पर होता रहा यहाँ तक कि हज़रत उमर(رضي الله عنه) ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में हज़रत उबय बिन कअब और तमीम दारी (رضي الله عنهما) को हुक्म दिया कि वह लोगों को जमाअत के साथ ग्यारह रकअत पढ़ाया करें। (मौता इमाम मालिक, अस्सलात फ़ी रमज़ान, बाब माजाअ फ़ी क़यामे रमज़ान: 1/115, तबअ बैरूत) इसलिए कि यही तरीक़—ए—नबवी था हज़रत उमर (رضي الله عنه) के ज़माने में अपने अपने तौर पर लोग मुख़्तलिफ़ तादाद के साथ क़याम करते थे, कोई 16, कोई 20, कोई 32 और कोई चालीस रकआत पढ़ता था। हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़्वाहिश के मुताबिक़ आसानी के लिए रात के पहले हिस्से में मसनून अदद के साथ इसके बा'जमाअत कराने का इन्तेज़ाम फ़रमा दिया, जो अब तक उम्मत में मअमूल है। 20 रकअत का कोई सुबूत सही सनद से न रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित है न हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضي الله عنه) से। दोनों से सही तौर पर जो साबित है, वह वित्र समेत ग्यारह रकआत ही हैं। (तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा हो हमारा रिसाला, 'रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल' मतबूआ दारूस्सलाम)

बाब : 17
नमाज़े तहज्जूद में आसानी का ज़िक्र और ये कि उसका वाजिब होना मन्सूख़ है

﴿17﴾
باب نَسْخِ قِيَامِ اللَّيْلِ وَالتَّيْسِيرِ فِيهِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ ابْنُ شَبُّويَةَ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْمُزَّمِّلِ { قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً * نِصْفَهُ} نَسَخَتْهَا الآيَةُ الَّتِي فِيهَا {عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } وَنَاشِئَةُ اللَّيْلِ أَوَّلُهُ وَكَانَتْ صَلاَتُهُمْ لأَوَّلِ اللَّيْلِ يَقُولُ هُوَ أَجْدَرُ أَنْ تُحْصُوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا نَامَ لَمْ يَدْرِ مَتَى يَسْتَيْقِظُ وَقَوْلُهُ { أَقْوَمُ قِيلاً } هُوَ أَجْدَرُ أَنْ يُفْقَهَ فِي الْقُرْآنِ وَقَوْلُهُ { إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلاً } يَقُولُ فَرَاغًا طَوِيلاً .

(1304) जनाब इक्रिमा रावी हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने सूरह मुज़्ज़म्मिल की तफ़्सीर में फ़रमाया कि قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا को इसी सूरह की दूसरी आयत عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ने मन्सूख़ कर दिया। और نَاشِئَةَ اللَّيْلِ से रात के इब्तेदाई हिस्से में जागना मुराद है। और सहाबा किराम की नमाज़ (क़यामुल लैल) रात के इब्तेदाई हिस्से में हूआ करती थी। और उस वक़्त में अल्लाह का फ़र्ज़ करदा क़यामुल लैल ठीक ठीक अदा करने में ज़्यादा आसानी है क्योंकि सो जाने के बाद इन्सान को ख़बर नहीं होती कि कब बेदार होगा। (या न बेदार हो सकेगा) وَأَقْوَمُ قِيلًا का मफ़हूम ये है कि क़ुर्आन को समझने के लिए ये वक़्त बहुत बेहतर है और إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا से मुराद लम्बी फ़ुरसत है। (यानी दिन के वक़्त दुनियावी उमूर में मशग़ूलियत होती है इसलिए रात का वक़्त इबादत में लगाओ)

(1304) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/500.

फ़ायदा : आयात का तर्जुमा ये है: **(1)** रात में क़याम कीजिए (नमाज़ पढ़िये) मगर थोड़ा सा, यानी रात का निस्फ़। **(2)** उसे इल्म है कि तुम उसे निभा नहीं सकोगे, चूनांचे उसने तुम पर मेहरबानी की, फिर

क़ुर्आन में से जितना आसान हो तुम पढ़ो। (3) बिलाशुब्हा रात का उठना (नफ़्स के) कुचलने में ज़्यादा सख़्त और दुआ व ज़िक्र के लिए मुनासिबतर है। (4) यक़ीनन दिन में आपके लिए बहुत मसरूफ़ियत है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي الْمَرْوَزِيَّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ أَوَّلُ الْمُزَّمِّلِ كَانُوا يَقُومُونَ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى نَزَلَ آخِرُهَا وَكَانَ بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا سَنَةٌ

(1305) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) कहते हैं: जब सूरह मुज़्ज़म्मिल का इब्तेदाई हिस्सा नाज़िल हूआ तो सहाबा किराम ऐसे क़याम करते थे जैसे कि रमज़ान में क़याम करते हैं यहाँ तक कि इस सूरह का आख़री हिस्सा नाज़िल हूआ। और इन दोनों हिस्सों में एक साल का फ़र्क़ था।

(1305) तख़रीज : (सनद सही) तफ़्सीरे तबरी: 29/78, 79.

﴾18﴿ باب قِيَامِ اللَّيْلِ

बाब : 18
रात के क़याम का बयान

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ "

(1306) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी के पास तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये दम करता है। 'रात लम्बी है सोया रह' अगर वह जाग जाये, अल्लाह का ज़िक्र करे तो एक गिरह खुल जाती है अगर वह वुज़ू कर ले तो दूसरी खुल जाती है। और अगर नमाज़ पढ़ ले तो तीसरी भी खुल जाती है और वह हश्शाश बश्शाश ख़ूशी ख़ूशी सुबह करता है। वरना बुरी हालत और आलसी की कैफ़ियत में सुबह करता है।'

(1306) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1142, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 776 व मौता.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैतान का दम करना और गिरह लगाना उमूरे ग़ेबिया में से है, इनकी कैफ़ियत हम जान नहीं सकते हैं। (2) ये और इस क़िस्म की दीगर अहादीस़ में जिस शैतान का ज़िक्र आता है वह ग़ालिबन 'क़रीन' ही होता है। यानी जो हर इन्सान के साथ रहता है। (3) इस हदीस़ में नमाज़े तहज्जूद और बित्तबअ़ नमाज़े फ़ज्र अव्वले वक़्त में बा'जमाअ़त की ज़ाहिरी बरकत का बयान है और तजुर्बा इसका बेहतरीन शाहिद है कि दुनिया के क़ीमती से क़ीमती मक्वियात भी ये फ़रहत व सूरूर नहीं दे सकते जो इस अ़मल से हासिल होते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَيْسٍ، يَقُولُ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا

(1307) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस(ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत आ़यशा(ﷺ) ने फ़रमाया: 'रात का क़याम मत छोड़ो क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) इसे न छोड़ते थे। अगर आप बीमार होते या कसलमंदी की कैफ़ियत होती तो बैठकर नमाज़ पढ़ लिया करते थे।'

(1307) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/249.

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ "

(1308) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रहम फ़रमाये अल्लाह तआ़ला उस बंदे पर जो रात को उठकर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को जगाता है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह पर पानी के छींटे मारता है। और रहम फ़रमाये अल्लाह तआ़ला उस बंदी पर जो रात को उठकर नमाज़ पढ़ती और अपने शौहर को जगाती है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह पर पानी के छींटे मारती है।'

(1308) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 1611, इब्ने ख़ुजेमा, हदीस़: 1148, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 646, व हाकिम.

फ़ायदा : पिछली रिवायत अमल تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (अल मायदा: 2) की शानदार अमली तफ़सीर है। और इसमें ये भी है कि अपने करीबी लोगों को ख़ैर के कामों पर ज़ोर से आमादा करना मुस्तहब और मतलूब अमल है।

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، - الْمَعْنَى - عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّيَا أَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا فِي الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ " . وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَلاَ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ جَعَلَهُ كَلاَمَ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ وَأُرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ سُفْيَانَ مَوْقُوفٌ

(1309) हज़रत अबू सईद और हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब शौहर अपनी अहलिया को रात के वक़्त जगाता है और वह दोनों नमाज़ पढ़ते या दो रकअतें पढ़ते हैं तो उनका इन्द्राज (उनकी गिनती) ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात में हो जाता है।' इब्ने कसीर ने इसको मरफ़ूअ ज़िक्र नहीं किया और न हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का नाम ही लिया बल्कि उसे अबू सईद का कलाम बताया।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इब्ने महदी ने सुफ़ियान से रिवायत किया और कहा: मेरा ख़्याल है कि उसने अबू हुरैरह का नाम लिया। इमाम अबू दाऊद ने कहा: सुफ़ियान की हदीस मौक़ूफ़ है।

(1309) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1335, इब्ने हिब्बान, हदीस: 645.

फ़ायदा : इस हदीस में गोया आयते करीमा 'अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अज्रे अज़ीम तैयार फ़रमाया है।' (अल अहज़ाब: 35) की तफ़्सीर की तरफ़ इशारा है।

باب النُّعَاسِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : ... नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो ...

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ "

(1310) हज़रत आयशा (ﷺ) ज़ोजाए नबी(ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम में से किसी को नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो उसे चाहिए कि सो जाये यहाँ तक कि उसकी नींद पूरी हो जाये क्योंकि जब कोई ऊंघते हूए नमाज़ पढ़े तो हो सकता है कि वह इस्तेग़फ़ार करना चाहता हो मगर अपने आपको गालियाँ देने लगे।'

(1310) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 212, व मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 786 व मौता, हदीस़: 1/118

फ़वाइद व मसाइल : (1) जैसे 'अल्लाहुम्मग़ फ़िरली' की बजाये 'अल्लाहुम्मग़ फ़िरली' (ऐन के साथ) कह बैठे तो उसका मानी ये होगा 'ऐ अल्लाह! मुझे ख़ाक आलूद कर।' **(2)** नमाज़ में ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ और दिल व दिमाग का हाजिर होना मतलूब है। **(3)** जिस शख़्स़ पर नींद का बहुत ज़्यादा ग़ल्बा हो तो उसे चाहिए कि पहले अपनी नींद पूरी कर ले, फिर नमाज़ पढ़े, और बक़ौल इमाम नववी (रह.) ये इरशाद दिन रात, फ़र्ज़ और नफ़ल तमाम नमाज़ों के लिए आम है, मगर मुसलमान को किसी तरह रवा नहीं कि अपनी नमाज़ को ज़ाया करे। चाहिए कि अपने मअमूलात (दिनभर के काम) को स़ही अन्दाज़ से तर्तीब दे ताकि उसकी नमाज़ मुतास्सिर न हो।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ

(1311) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई रात को उठकर नमाज़ पढ़े और फिर क़ुर्आन को अपनी ज़ुबान पर भारी महसूस करने लगे उसे मालूम न हो कि क्या कह रहा है तो चाहिए कि सो जाये।'

الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ "

(1311) **तख़रीज :** मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 787 व मुसनद अहमद: 2/318.

फ़ायदा : नींद के ग़ल्बे या मुसलसल नमाज़ व क़िराअत करने से थकावट के बाइस भी ज़ुबान अटकने लगती है। ऐसी सूरत में इन्सान को आराम कर लेना चाहिए।

حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ " مَا هَذَا الْحَبْلُ " . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ تُصَلِّي فَإِذَا أَعْيَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِتُصَلِّ مَا أَطَاقَتْ فَإِذَا أَعْيَتْ فَلْتَجْلِسْ " . قَالَ زِيَادٌ فَقَالَ " مَا هَذَا " . فَقَالُوا لِزَيْنَبَ تُصَلِّي فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ أَمْسَكَتْ بِهِ . فَقَالَ " حُلُّوهُ " . فَقَالَ " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ "

(1312) हज़रत अनस (ﷺ) ने कहा कि नबी(ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुए और दो सुतूनों के दरम्यान एक रस्सी लटकी हूई थी। पूछा: 'ये रस्सी कैसी है?' कहा गया: 'ऐ अल्लाह के रसूल! ये हमना बिन्ते जहश नमाज़ पढ़ती है, जब थक जाती है तो इसके साथ लटक जाती है।' तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तक ताक़त हो नमाज़ पढ़े और जब थक जाये तो बैठ जाये।' ज़ियाद ने रिवायत किया: 'आपने पूछा ये क्या है?' वह (सहाबा किराम) कहने लगे: ये ज़ैनब की है, नमाज़ पढ़ती रहती है, जब सुस्त हो जाती है या थक जाती है तो इसे थाम लेती है। आपने फ़रमाया: 'इसे खोल दो। तुम्हें चाहिए कि जब तक चुस्ती से नमाज़ पढ़ी जाये पढ़ो, जब सुस्ती महसूस करो या थक जाओ तो बैठ जाओ।'

(1312) **तख़रीज :** मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 784 व बुख़ारी, हदीस: 1150.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब दीन की हलावत (लज़्ज़त और मिठास) हासिल होती है तो इसका इज़हार इन्तेहाई बंदगी और कसरते नमाज़ की सूरत में होता है। हमारे सल्फ़ सालेहीन मर्द और औरतें सब ही इसी मैयार पर पूरे उतरते थे (ﷺ), **(2)** औरतों को भी मसाजिद में नवाफ़िल पढ़ने की रूख़्सत है

बशर्ते कि हिजाब का इन्तेज़ाम हो। (3) ग़लती और बुराई को हाथ से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। (4) इबादत में दरम्याना अमल ही अहसन अमल है। (5) इस हदीस में ज़ैनब (ﷺ) का ज़िक्र ही सही है न कि हमना बिन्ते जहश का। (शैख़ अलबानी (रह.).

बाब : 19
जो शख़्स अपने मअमूल के वज़ीफ़े से सो जाये

﴾19﴿
باب مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ قَالاَ عَنِ ابْنِ وَهْبِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ "

(1313) इब्ने वहब बिन अब्दुल क़ारी से रिवायत है कि उन्होंने कहा: मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को सुना, बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपना विर्द वज़ीफ़ा न पढ़ सका हो और सो गया हो और फिर उसे फ़ज्र और ज़ोहर के दरम्यान पढ़ ले तो उसके लिए ऐसे ही लिखा जाता है गोया उसने उसको रात में पढ़ा हो।'

(1313) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 747.

फ़ायदा : नवाफ़िल की क़ज़ाई देना, मनदूब व मुस्तहब है।

﴾20﴿
باب مَنْ نَوَى الْقِيَامَ فَنَامَ

बाब : 20
जिसने रात को उठने की नियत की मगर उठ न सका हो

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عِنْدَهُ رَضِيٍّ أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ يَغْلِبُهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ إِلاَّ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صَلاَتِهِ وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً "

(1314) सय्यदा आयशा (ﷺ) ज़ोजाए नबी(ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात को नमाज़ अदा करता हो मगर किसी रात उस पर नींद ग़ालिब आ जाये तो उसके लिए उसकी नमाज़ का अज्र लिख दिया जाता है और नींद उसके लिए सदक़ा होती है।'

(1314) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1785, मौता, हदीस: 1/117.

फ़ायदा : इस हदीस से अल्लाह के फ़ज़ल व करम की उस वुसअत का सुबूत मिलता है जो वह अपने नेक बंदों के साथ फ़रमाता है।

﴾21﴿
باب أَىُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ

बाब : 21
रात का कौन सा हिस्सा (इबादत के लिए) अफ़ज़ल है?

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ مَنْ

(1315) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमारा रब अज़्ज़ व जल्ल हर रात जब रात का आख़री तीसरा हिस्सा बाक़ी होता है आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और फ़रमाता है: कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं क़बूल करूं। कौन है जो मुझसे माँगें और मैं उसे दूं। और कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे

يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ

और मैं उसको बख़्श दूं।

(1315) तख़रीज : बुख़ारी, ह: 1145, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, मौता: 1/214.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हूआ कि रात का आख़री तीसरा पहर बहुत ज़्यादा अफ़ज़ल है। **(2)** ऐसी आयाते कुर्आन और अहादीसे सहीहा को जिनमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इस क़िस्म की सिफ़ात (जैसे) उतरना, आना, कलाम करना, हँसना, तअज्जुब करना और अर्श पर बैठना वग़ैरह का ज़िक्र है, अहले सुन्नत वल जमाअत के मुहक़्क़िक़ीन (यानी अहले हदीस़) इनके ज़ाहिर पर महमूल करते हैं, वह किसी तावील, तशबीह या तअतील व तहरीफ़ के क़ायल नहीं और न इनकी हक़ीक़त और कुनह ही के दरपे होते हैं। ये सिफ़ात ऐसी ही हैं जैसा कि उसकी ज़ात मुक़द्दस के शयाने शान हैं। जिस तरह अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की 'ज़ात' दीगर ज़वात के मुशाबा नहीं, उसी तरह उसकी सिफ़ात भी किसी से मुशाबा नहीं। لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (अश्शूराअ: 11) जो लोग ऊपर दी गई हदीस़ की तावील यूं कर देते हैं कि अल्लाह की रहमत उतरती है या उसका अम्र उतरता है वह ज़रा ग़ौर करें कि ये जुम्ले: 'कौन है जो मुझसे दुआ करे, मैं क़बूल करूं। कौन है जो मुझसे माँगे, मैं उसको दूं। कौन है जो मुझसे माफ़ी चाहे, मैं उसको माफ़ कर दूं।' किस तरह रहमत या अम्र पर फिट हो सकते हैं। ये बिलाशुब्हा रब्बे किबरिया ही से मुताल्लिक़ हैं, नीज़ रहमत का उतर कर आसमाने दुनिया तक रह जाना मख़्लूक़ के लिए क्योंकर नफ़ावर है। हालांकि वह ख़ूद फ़रमाता है: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (अल आराफ़: 152) अलग़र्ज़ ज़ाहिरे कुर्आन व हदीस़ पर ईमान और उसके मुताबिक़ अमल और उस्व–ए रसूल (ﷺ) का इत्तेबाअ और सबीलुल मुमिनीन (सहाबा किराम) इख़्तियार करना ही एक मुसलमान के लिए बाइसे निजात व तक़र्रूब है। (फ़वाइद अज़ अल्लामा वहीदज़्ज़मा)

﴿22﴾ باب وَقْتِ قِيَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ اللَّيْلِ

बाब : 22
नबी (ﷺ) रात को किस वक़्त उठते थे?

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُوقِظُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِاللَّيْلِ

(1316) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ؓ) बयान करती है कि बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल नबी (ﷺ) को रात में जगा देता था। चूनांचे सहर (सुबह) न हो पाती थी कि आप अपने मअमूल की इबादत से फ़ारिग़ हो चुके होते थे।

فَمَا يَجِيءُ السَّحَرُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِزْبِهِ

(1316) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/3.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि हर हर फ़र्द को नेकी की तौफ़ीक़ अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल ही की तरफ़ से मिलती है। और उससे हमेशा यही दुआ करनी चाहिए जैसा कि मारूफ़ हदीस़ में है: 'ऐ अल्लाह! अपना ज़िक्र करने , शुक्र करने और ड़म्दा तौर से अपनी इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।'

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، - وَهَذَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ - عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهَا أَىُّ حِينٍ كَانَ يُصَلِّي قَالَتْ كَانَ إِذَا سَمِعَ الصُّرَاخَ قَامَ فَصَلَّى

(1317) मसरूक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ड़ायशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा कि आप किस वक़्त नमाज़ पढ़ा करते थे? तो उन्होंने कहा: 'आप जब मुर्ग़ की पुकार सुनते तो उठ खड़े होते और नमाज़ पढ़ते थे।'

(1317) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 1132 व बुख़ारी, हदीस़: 1132.

फ़ायदा : मुर्ग़ बिलड़मूम रात के आख़री पहर ही को पुकारता है और कभी आधी रात को भी आवाज़ दे देता है।

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ عِنْدِي إِلاَّ نَائِمًا، تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(1318) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ड़ायशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब भी मेरे यहां होते तो सहरी के वक़्त सोए हूए होते थे।

(1318) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1132, व मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़ : 742.

तौज़ीह : नबी (ﷺ) का ये सोना क़यामुल लैल के बाद राहत के लिए होता था। कुछ औक़ात लेटना होता और कुछ औक़ात हज़रत ड़ायशा (ﷺ) से गुफ़्तगू फ़रमाते। और मुमकिन है कि ये लम्बी रातों की बात हो न कि छोटी रातों की। अ़ल्लामा क़स्तलानी (रह.) फ़रमाते हैं कि क़यामुल लैल के बाद आराम करना, बदन को राहत देता और जागने की मशक़्क़त दूर करता है इसके अ़लावा जिस्म को कमज़ोर भी नहीं होने देता। बख़िलाफ़ सुबह तक जागते रहने के, इससे कमज़ोरी हो जाती है। (औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدُّؤَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَخِي، حُذَيْفَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى

(1319) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब कोई ग़म लाहिक़ होता तो नमाज़ पढ़ने लगते थे।

(1319) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/388.

फ़ायदा : इमाम साहब की तर्तीब से ये इशारा मिलता है कि इससे मुराद रात की नमाज़ का एहतमाम है, वैसे ये किसी भी वक़्त से ख़ास न होती थी, बशर्ते कि वक़्ते कराहत न होता।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ السَّكْسَكِيُّ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ كَعْبٍ الأَسْلَمِيَّ، يَقُولُ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آتِيهِ بِوَضُوئِهِ وَبِحَاجَتِهِ، فَقَالَ : " سَلْنِي " . فَقُلْتُ : مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ . قَالَ : " أَوَغَيْرَ ذَلِكَ " . قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : " فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ "

(1320) हज़रत रबीआ बिन कअब असलमी(ﷺ) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रात गुज़ारता था, आपको वुज़ू का पानी और दीगर ज़रूरियात पेश करता था। (एक बार) आपने फ़रमाया: 'माँगो ...!' मैंने अर्ज़ किया: जन्नत में आपकी रफ़ाक़त (का साइल हूँ) फ़रमाया: 'कोई दूसरी चीज़?' मैंने अर्ज़ किया: पस यही है। आपने फ़रमाया: 'तो तू अपने इस मतलब के लिए कसरते सुजूद से मेरी मदद कर।'

(1320) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस; 489.

फ़ायदा : यानी मैं तेरी सिफ़ारिश करूंगा कि तू मेरे साथ जन्नत में रहे मगर कसरते इबादत ज़रूरी है। सज्दे बहुत किया करो। हज़रत रबीआ (ﷺ) की पैनी नज़र पर ज़बान बेसाख़्ता अश अश कर उठती है। (रज़ि अल्लाहु तआला अन्हु व अरज़ाहू)

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ

(1321) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) इस आयते करीमा: 'इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं, वह अपने रब को ख़ौफ़ और उम्मीद से पुकारते हैं और जो हमने उनको

الْمَضَاجِعِ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } قَالَ : كَانُوا يَتَيَقَّظُونَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يُصَلُّونَ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : قِيَامُ اللَّيْلِ

दिया उसमें से ख़र्च करते हैं।' की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि ये लोग (सहाबा (ﷺ) मग़रिब और इशा के दरम्यान जागते थे, यानी नमाज़ पढ़ते थे। और जनाब हसन बसरी इससे रात का क़याम (तहज्जुद) मुराद लेते हैं।

(1321) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/19, तिर्मिज़ी, हदीस: 3196 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، فِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَزَّ { كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } قَالَ : كَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، زَادَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى : وَكَذَلِكَ {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ } .

(1322) हज़रत अनस (ﷺ) ने आयते करीमा: 'ये लोग रात में बहुत कम सोते थे।' की तफ़्सीर में फ़रमाया कि सहाबा किराम (ﷺ) मग़रिब और इशा के बीच नमाज़ पढ़ा करते थे। और यहया की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि आयते करीमा: 'इनके पहलू बिस्तरों से दूर रहते हैं।' से भी यही मुराद है।

(1322) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 3/19.

फ़ायदा : पिछली आयात में क़यामुल लैल की तरग़ीब है और इसके वक़्त में तौसीअ है। अगर कोई शख़्स मग़रिब और इशा के दरम्यान नवाफ़िल पढ़े जैसा कि सहाबा से मनक़ूल है तो ये भी क़यामुल लैल में शामिल है। तरजीह और अफ़ज़लियत रात के आख़री हिस्से को है।

﴿23﴾ بَابُ افْتِتَاحِ صَلاَةِ اللَّيْلِ بِرَكْعَتَيْنِ

बाब : 23
तहज्जुद शुरू करते वक़्त पहले दो रकअतें पढ़ना

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ

(1323) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई रात को उठे तो चाहिए कि (पहले) दो हल्की रकअतें पढ़े।'

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ"

(1323) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 768.

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - عَنْ رَبَاحِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : " إِذَا " . بِمَعْنَاهُ زَادَ : " ثُمَّ لْيُطَوِّلْ بَعْدُ مَا شَاءَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ : فِيهِمَا تَجَوُّزْ

(1324) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया कि 'जब ...' और पिछली हदीस के हम मानी बयान किया और इसमें मज़ीद कहा: 'फिर इसके बाद जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े।' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को हम्माद बिन सलमा, ज़ुहैर बिन मुआविया और एक जमाअत ने हिशाम बिन मुहम्मद से रिवायत किया है, तो उन्होंने इसको हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) पर मौक़ूफ़ किया है। और इसी तरह इस (हदीस) को अय्यूब और इब्ने औन ने रिवायत किया है, तो उन्होंने भी इसको हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) पर मौक़ूफ़ किया है। और इब्ने औन मुहम्मद बिन सीरीन से रिवायत करते हैं, तो इसमें है कि इन दोनों (पहली रकआत) को मुख़्तसर रखे।

(1324) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : तहज्जूद शुरू करते हुए पहली दो रकअतें हल्की और मुख़्तसर पढ़ना मुस्तहब है और रसूलुल्लाह (ﷺ) के मअमूलात से इसी तरह साबित है। इससे तबीअत में फुर्ती आ जाती है। और इसके बाद जिस क़द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़ता रहे।

حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، - يَعْنِي أَحْمَدَ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ : " طُولُ الْقِيَامِ "

(1325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़सअमी (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) से पूछा गया: 'कौन सा अमल अफ़ज़ल है?' आपने फ़रमाया: '(नमाज़ में) लम्बी क़याम'

(1325) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2527, मुसनद अहमद: 3/411, 412.

फ़ायदा : और इसका मसनून अदब ये है कि पहली दो रकअतें हल्की हों और ये हदीस बित तफ़्सील (विस्तार से) आगे आ रही है। (हदीस: 1449).

बाब : 24
रात की नमाज़ दो दो रकअत करके पढ़ना

﴿24﴾
باب صَلاَةِ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، : أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى "

(1326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'रात की नमाज़ दो दो रकअत है। जब तुममें से किसी को सुबह हो जाने का अन्देशा हो तो एक रकअत पढ़ ले। ये इसकी पढ़ी हूई नमाज़ को वित्र बना देगी।'

(1326) तख़रीज : बुख़ारी, ह:990, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 749, मौता: 1/123.

बाब : 25
रात की नमाज़ में क़िराअत जहरी करना

﴿25﴾ باب فِي رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ

(1327) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि (रात की नमाज़ में) रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत इस क़द्र (बलन्द) होती थी कि सहन में बैठा आदमी सुन सकता था जबकि आप घर में (यानी कमरे में) होते थे।

(1327) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/172, तिर्मिज़ी.

(1328) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) रात को कभी बलन्द आवाज़ से और कभी धीमी आवाज़ से क़िराअत करते थे।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अबू ख़ालिद व अल्बी का नाम हुरमुज़ है।

(1328) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1159, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 657, व हाकिम: 1/310.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَالِبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفِضُ طَوْرًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو خَالِدٍ الْوَالِبِيُّ اسْمُهُ هُرْمُزُ

(1329) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि एक रात नबी (ﷺ) निकले और अबूबक्र(ﷺ) के पास से गुज़रे, वह नमाज़ पढ़ रहे थे और उनकी आवाज़ धीमी थी। और उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के पास से गुज़रे, वह भी नमाज़ पढ़ रहे थे, इनकी आवाज़ बलन्द थी। जब वह दोनों नबी (ﷺ) के पास आ खड़े हुए तो आपने फ़रमाया: 'ऐ अबूबक्र! मैं तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम नमाज़ पढ़ रहे थे और तुम्हारी आवाज़ धीमी थी?' उन्होंने कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने जिससे मुनाजात की उसे सुनाया।' फिर आपने उमर से कहा: 'मैं तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम बलन्द आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे?' उन्होंने कहा: 'ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सोते को जगा रहा था और शैतान को भगा रहा था।'

हसन ने अपनी रिवायत में इज़ाफ़ा किया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबूबक्र! अपनी आवाज़ कुछ बलन्द किया करो।' और उमर से फ़रमाया: 'तुम

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ لَيْلَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - يُصَلِّي يَخْفِضُ مِنْ صَوْتِهِ - قَالَ - وَمَرَّ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَهُ - قَالَ - فَلَمَّا اجْتَمَعَا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي تَخْفِضُ صَوْتَكَ " . قَالَ : قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ وَقَالَ لِعُمَرَ : " مَرَرْتُ بِكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي رَافِعًا صَوْتَكَ " . قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

أُوقِظُ الْوَسْنَانَ وَأَطْرُدُ الشَّيْطَانَ . زَادَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " يَا أَبَا بَكْرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا " . وَقَالَ لِعُمَرَ : " اخْفِضْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا "

अपनी आवाज़ कुछ धीमी रखा करो।'

(1329) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 447, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1161, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 656, व हाकिम: 1/310.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) मुअल्लिमे किताब व हिकमत और लोगों के दिलो दिमाग की गंदगियों को साफ़ करने वाले थे, इसलिए अपने अस्हाबे किराम के हवाले का जायज़ा लेते रहते थे, लिहाज़ा उस्तादों और और दावत देने वाले को अपने अन्डर में रहने वाले तलबा का हर हाल में ख़्याल रखना चाहिए। **(2)** हज़रात साहेबैन (رضی اللہ عنہما) की हुस्ने नियत कमाल दर्जे की थी, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) का अपना मअमूल इन दोनों का जामेअ था जिसका ज़िक्र क़ुर्आन में है। 'अपनी नमाज़ की क़िराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की राह इख़्तियार करें।' (अश्शूरा: 110) और बक़ौल अल्लामा तीबी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत सिद्दीक़े अकबर (رضی اللہ عنہ) से फ़रमाया कि मुनाजाते रब्बानी के मक़ाम से ज़रा नीचे रह कर अपनी क़िराअत से मख़्लूक़ को भी फ़ायदा दो। और हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) से फ़रमाया कि इफ़ाद–ए–मख़्लूक़ के मक़ाम से क़द्रे बलन्द होकर मुनाजाते रब्बानी से भी हिस्सा हासिल करो। **(3)** अल्लाह की रहमतों के हुसूल और शैतान को भगाने और उसके शर से महफ़ूज़ रहने का बेहतरीन नुस्ख़ा नमाज़ पढ़ना और क़ुर्आन करीम की तिलावत है।

حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينِ بْنُ يَحْيَى الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِهِ الْقِصَّةِ لَمْ يَذْكُرْ فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ : " ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئًا" . وَلِعُمَرَ : " اخْفِضْ شَيْئًا " . زَادَ : " وَقَدْ سَمِعْتُكَ يَا بِلاَلُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ " . قَالَ : كَلاَمٌ طَيِّبٌ يَجْمَعُ

(1330) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) नबी (ﷺ) से यही क़िस्सा बयान करते हैं मगर इस हदीस में ये नहीं है कि हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) से कहा: 'अपनी आवाज़ क़द्रे ऊंची करो।' और हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) से कहा: 'अपनी आवाज़ कुछ धीमी रखो।'

इस रिवायत में मज़ीद ये है कि आप (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (رضی اللہ عنہ) से फ़रमाया: 'मैंने सुना तुम कुछ इस सूरत से और कुछ उस सूरत से पढ़ रहे थे।' उन्होंने कहा: ये एक उ़म्दा कलाम है। अल्लाह ने इसके कुछ को कुछ के साथ जमा फ़रमा दिया है तो नबी

اللَّهُ تَعَالَى بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : "كُلُّكُمْ قَدْ أَصَابَ"

(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम सब ने दुरूस्त किया।'

(1330) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 3/11.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَجُلاً، قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " يَرْحَمُ اللَّهُ فُلاَنًا، كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ أَذْكَرَنِيهَا اللَّيْلَةَ كُنْتُ قَدْ أَسْقَطْتُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ هَارُونُ النَّحْوِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ فِي الْحُرُوفِ (وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ)

(1331) सय्यदा आयशा (ﷺ) से मरवी है कि एक शख़्स रात को उठा और क़िराअत करने लगा और अपनी आवाज़ बलन्द रखी। जब सुबह हूई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह फ़लां पर रहम फ़रमाये! उसने आज रात मुझे कितनी ही आयतें याद दिला दी जिनमें मुझे ज़हूल हो रहा था।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको हारून नहवी ने हम्माद बिन सलमा से बयान किया तो सूरह आले इमरान की आयत 'व कअय्यिम मिन नबिय्यिन' नक़ल की।

(1331) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 3/12, बुख़ारी, हदीस: 2655, व मुस्लिम, हदीस: 788.

तौज़ीह : इमाम इस्माईल फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का कुर्आन को भूलना दो तरह से हो सकता है। एक आरज़ी, दूसरा दायमी। आरज़ी निस्यान बनी आदम की तबीअतों में फ़ितरतन रखा गया है, इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) भी शामिल हैं। नमाज़ की रकआत भूल जाने पर आप फ़रमाते हैं: 'मैं बशर हूँ, जैसे तुम भूलते हो मैं भी भूल जाता हूँ।' (सही बुख़ारी, अस्सलात हदीस: 401 व सही मुस्लिम, अलमसाजिद, हदीस: 572). और इस क़िस्म के निस्यान का इज़ाला हो जाता है, कभी अज़ ख़ूद और कभी दूसरे के याद दिलाने से और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हिफ़ाज़ते कुर्आन का ज़िम्मा लिया हूआ है। इरशादे रब्बानी है:'हमने इस ज़िक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफ़ाज़त करने वाले हैं।' (अल हिज्र:9) निस्यान की दूसरी क़िस्म ये है कि आपके सीने से इन आयात का हिफ़्ज़ बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाये। ये नस्ख़ की एक क़िस्म और सूरत है। इरशादे बारी तआला है: 'हम आपको पढ़ायेंगे, फिर आप भूलेंगे नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे।' (अलआला: 6,7) दूसरी जगह फ़रमाया:'जब कोई आयत हम मन्सूख़ करें या भूलवा दें तो उससे बेहतर या उस जैसी ले आयेंगे।' (अलबक़र:102) हदीस में जिस भूलने का ज़िक्र है वह पहली सूरत है जो कोई ऐब नहीं। (बज़्लुल मज्हूद)

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ : اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ : " أَلاَ إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلاَ يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ " . أَوْ قَالَ : " فِي الصَّلاَةِ "

(1332) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में एतकाफ़ फ़रमाया। आपने लोगों को सुना कि वह ऊंची आवाज़ से क़िराअत कर रहे हैं। आपने परदा उठाया और फ़रमाया: 'ख़बरदार! तुम बिलाशुब्हा सब के सब अपने रब से मुनाजात कर रहे हो मगर कोई दूसरे को हरगिज़ तकलीफ़ न दे और क़िराअत में अपनी आवाज़ दूसरे पर बलन्द न करे।' या फ़रमाया: 'नमाज़ में (अपनी आवाज़ बलन्द न करे)'

(1332) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/94 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1162, व मुसनद अहमद: 3/94.

फ़ायदा : नमाज़ी और ग़ैर नमाज़ी को अपने इर्द गिर्द ओर माहौल का ख़याल रखते हुए क़िराअते क़ुर्आन में अपनी आवाज़ बलन्द करनी चाहिए। इसका क़तअन जवाज़ नहीं कि कोई शख़्स दूसरे के लिए इबादत में अज़ीयत (तकलीफ़) का बाइस बने। इससे ज़िम्नन ये भी समझ में आता है कि मसाजिद में किसी मअक़ूल वजह के बग़ैर लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। ऐसे ही घरों में रेडियो और टेप की आवाज़ से हमसायों को अज़ीयत देना भी जायज़ नहीं है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ"

(1333) हज़रत उक्बा बिन आमिर जोहनी(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ुर्आन को ऊंची आवाज़ से पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई दिखाकर सदक़ा करे। और धीमी आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई मख़फ़ी तौर पर सदक़ा दे।'

(1333) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2919, इब्ने हिब्बान, हदीस: 658,1791.

फ़ायदा : यानी इन्सान की नियत के मुताबिक़ उसको अज्र मिलता है। अगर क़िराअत में आवाज़ बलन्द करने से दूसरों को तरग़ीब देना मक़सूद हो तो यक़ीनन मुबाह और मतलूब व माजूर है, वरना नहीं।

बाब : 26
रात की नमाज़ (तहज्जूद) का बयान

﴿26﴾
بابٌ فِي صَلاَةِ اللَّيْلِ

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِسَجْدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ الْفَجْرِ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

(1334) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) फ़रमाती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में दस रकअतें पढ़ा करते, और एक रकअत वित्र पढ़ते। और (बादे अज़ान) दो रकअतें फ़ज्र की पढ़ते। इस तरह ये कुल तेरह रकआत हूईं।

(1334) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:1140, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस : 738.

फ़ायदा : फ़ज्र की सुन्नतों को भी कुछ रिवायात में रात की नमाज़ में शुमार किया गया है। इसलिए कि ये अव्वल वक़्त में पढ़ी जाती थी और वित्रों के साथ गोया मिली हुई होती थी। इस तरह रात की नमाज़ की तअदाद तेरह हो जाती है। ताहम ज़्यादा रिवायात में ये तअदाद ग्यारह ही बयान हूई है, यानी इनमें फ़ज्र की दो सुन्नतें शामिल नहीं की गई।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ

(1335) सय्यदा आयशा (ﷺ) ज़ोजा नबी(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। इनमें से एक रकअत वित्र होती। इनसे फ़ारिग़ होने के बाद आप अपनी दायें करवट पर लेट जाते थे।

(1335) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 736, मौता: 1/120.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَنَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، - وَقَالَ نَصْرٌ : عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، وَالأَوْزَاعِيِّ، - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَنْصَدِعَ الْفَجْرُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ ثِنْتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَمْكُثُ فِي سُجُودِهِ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ بِالأُولَى مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ

(1336) हज़रत आयशा (ﷺ) बयान करती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े इशा से फ़ारिग़ होने के बाद से फ़ज्र तुलूअ होने के दरम्यान में ग्यारह रकअतें पढ़ा करते थे। हर दो रकअतों पर सलाम कहते और एक रकअत वित्र पढ़ते। आप अपने सज्दे में इतनी देर रहते कि जिसमें तुम पचास आयतें पढ़ लो। और मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान कहता, आप उठकर हल्की हल्की दो रकअतें पढ़ते, फिर अपनी दायें करवट पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन आ जाता।

(1336) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1358.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُمْ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ،، قَالَ : وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَيَسْجُدُ سَجْدَةً قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَتَبَيَّنَ لَهُ الْفَجْرُ .

(1337) इब्ने शिहाब ने अपनी साबक़ा सनद से, और पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया। इसमें है: आप एक रकअत वित्र पढ़ते और सज्दे में इतनी देर रहते कि तुममें से एक शख़्स पचास आयतें पढ़ ले। और मुअज़्ज़िन जब अज़ाने फ़ज्र से फ़ारिग़ होता और फ़ज्र वाज़ेह तौर पर तुलूअ हो चुकी होती। और पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया, अलबत्ता रिवायत एक दूसरे से कुछ इज़ाफ़े से बयान करते हैं।

وَسَاقَ مَعْنَاهُ . قَالَ : وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضٍ

(1337) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 736.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ مِنْهَا بِخَمْسٍ، لاَ يَجْلِسُ فِي شَىْءٍ مِنَ الْخَمْسِ حَتَّى يَجْلِسَ فِي الآخِرَةِ فَيُسَلِّمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، نَحْوَهُ

(1338) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में तेरह रकअत पढ़ते, उनमें से पाँच रकअत वित्र होतीं। आप इन पाँचों रकअत में किसी में भी (तशहहुद) न बैठते। बल्कि आख़िर में बैठते और सलाम फेरते।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत को इब्ने नुमैर ने हिशाम से पिछली हदीस की मानिन्द बयान किया है।

(1338) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 737.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، ثُمَّ يُصَلِّي إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

(1339) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते, फिर जब सुबह की अज़ान सुनते तो हल्की सी दो रकअतें पढ़ते।

(1339) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1170, मौता: 1/121.

फ़ायदा : ये तेरह रकअतें, उन मुख़्तसर दो रकअतों को मिलाकर होती हैं जो क़ियामुल लैल (नमाज़े तहज्जुद) के आग़ाज़ में कुछ दफ़ा नबी (ﷺ) पढ़ा करते थे। नीचे दी गई रिवायत में भी यही बयान किया गया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ

(1340) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते। आप (पहली) आठ रकआत पढ़ते, फिर एक रकअत वित्र पढ़ते। इसके बाद बैठ कर दो

ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَكَانَ يُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي - قَالَ مُسْلِمٌ : بَعْدَ الْوِتْرِ، ثُمَّ اتَّفَقَا - رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي بَيْنَ أَذَانِ الْفَجْرِ وَالإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ

रकअतें पढ़ते। जब आपका इरादा होता कि रूकू करें तो खड़े होकर रूकू करते। फिर अज़ाने फ़ज्र और इक़ामत के बीच दो रकअतें पढ़ते।

(1340) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 738.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً : يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ قَالَ : " يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنَىَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي "

(1341) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने हज़रत आयशा (ﷻ) से पूछा कि रमज़ान में नबी (ﷺ) की नमाज़ कैसे होती थी? तो उन्होंने कहा कि नबी (ﷺ) रमज़ान या ग़ैर रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा न पढ़ा करते थे। आप चार रकअतें पढ़ते, मत पूछो कि वह कितनी उम्दा और कितनी तवील (लम्बी) होती थी! फिर चार रकअतें पढ़ते, मत पूछो कि वह कितनी उम्दा और कितनी तवील होती थी! (यानी इतना ही ठहराव और इत्मिनान से पढ़ते और क़िराअत अज़ हद तवील होती थी) फिर तीन रकआत पढ़ते। हज़रत आयशा (ﷻ) कहती हैं कि मैंने आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप वित्रों से पहले सो जाते हैं? आपने फ़रमाया: 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोती हैं, मगर दिल नहीं सोता।'

(1341) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1147, व मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 737, मौता: 1/120.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) का क़यामुल लैल दो दो रकआत और चार चार रकआत दोनों तरह साबित है। ताहम आपका अक्सर मअमूल दो दो रकअत पढ़ने का था। (2) हज़रत आयशा(ﷻ) का ख़ुसूसियत से ये बताना कि आप रमज़ान और ग़ैर रमज़ान में कभी भी ग्यारह रकआत से ज़्यादा न

पढ़ते थे, उन लोगों पर तअरीज़ है, जिन्होंने रमज़ान में क़यामुल लैल की रकआत में इज़ाफ़ा करना शुरू कर दिया था, मगर उन्होंने ये भी बयान किया कि आपका क़याम, रूकू और सुजूद भी बहुत लम्बा होता था। इसलिए सुन्नते नबवी के आमेलीन पर लाज़िम है कि दोनों उमूर का एहतमाम किया करें, गिनती का भी और कैफ़ियत का भी। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़ुसूसियत थी कि सोने से बेवुज़ू नहीं होते थे। और नबी का दिल किसी भी वक़्त ग़ाफ़िल नहीं होता क्योंकि वह महबते वह्य होता है। और ये सवाल कि आप और आपके सहाबा सफ़र में फ़ज्र की नमाज़ के वक़्त सोते रह गये थे? तो उसका जवाब ये है कि तुलूअे फ़ज्र का ताल्लुक़ आँख के देखने से है न कि दिल की मअरूफ़ियत से। **(4)** हज़रत आयशा (ﷺ) के सवाल जवाब से ये इशारा मिलता है कि आम लोगों को वित्रों से पहले नहीं सोना चाहिए कि कहीं रह न जायें और रसूलुल्लाह (ﷺ) का मामला ख़ास है।

(1342) सअद बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और मदीने चला आया ताकि यहां की अपनी जायदाद फ़रोख़्त करके अस्लहा (हथियार) वग़ैरह ख़रीद लूं और जिहाद के लिए निकल जाऊं। चूनांचे मैं कुछ सहाबा किराम से मिला तो उन्होंने बताया कि हममें से छः आदमियों ने ऐसे ही करना चाहा था, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको मना फ़रमा दिया था। और फ़रमायाः 'तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल (ﷺ) में बेहतरीन नमूना है।' चूनांचे मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास आया। मैंने उनसे नबी(ﷺ) के वित्रों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहाः मैं तुम्हें वह शख़्सीयत बताता हूं जो रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्रों के मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा बाख़बर है। सय्यदा आयशा (ﷺ) के पास चले जाओ। मैं हज़रत आयशा (ﷺ) के यहां आया और हकीम बिन अफ़लह को अपने साथ चलने को कहा, उन्होंने इन्कार किया। मैंने उनको क़सम दी तो

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لأَبِيعَ عَقَارًا كَانَ لِي بِهَا، فَأَشْتَرِيَ بِهِ السِّلاَحَ وَأَغْزُوَ، فَلَقِيتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا : قَدْ أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ " . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ النَّاسِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأْتِ عَائِشَةَ رضى الله عنها . فَأَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيمَ بْنَ أَفْلَحَ فَأَبَى

فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِي، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ : مَنْ هَذَا قَالَ : حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحَ . قَالَتْ : وَمَنْ مَعَكَ قَالَ : سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ الَّذِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : نِعْمَ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرًا . قَالَ قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ} يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ {قَالَ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ أَوَّلَ هَذِهِ السُّورَةِ نَزَلَتْ، فَقَامَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا فِي السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ . قَالَ قُلْتُ : حَدِّثِينِي عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى، لاَ

वह मेरे साथ चल पड़े। हमने ह़ज़रत आयशा (ﷺ) से मुलाक़ात की इजाज़त चाही तो उन्होंने पूछा: कौन हो? कहा: हकीम बिन अफ़लह। पूछा: तुम्हारे साथ और कौन है? कहा: सईद बिन हिशाम। कहने लगीं: वही हिशाम बिन आमिर जो उहुद के रोज़ क़त्ल हो गये थे? मैंने कहा: हाँ। वह कहने लगीं: आमिर बहुत भले इन्सान थे। मैंने कहा: ऐ उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के ख़ुलूक़ (अख़्लाक़ व आदात) के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें। कहने लगीं: क्या तुम क़ुर्आन नहीं पढ़ते हो? रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ुलुक़ (सामाजिक जीवन) बस क़ुर्आन ही था। मैंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़यामुल लैल के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें। कहने लगीं: क्या तुम सूरह 'या अय्यूहल मुज़्ज़म्मिल' नहीं पढ़ते हो? मैंने कहा: क्यों नहीं। उन्होंने कहा: इस सूरत का इब्तेदाई हिस्सा नाज़िल हूआ तो सहाबा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़याम करना शूरू किया, यहाँ तक कि उनके पाँव सूज जाते। और इस सूरत का आख़री हिस्सा बारह महीने आसमान पर रोके रखा गया। (यानी नाज़िल नहीं हूआ) फिर कहीं इसका आख़री हिस्सा नाज़िल हूआ तो रात का क़याम नफ़ल क़रार पाया जबकि पहले फ़र्ज़ था। मैंने कहा: मुझे नबी (ﷺ) के वित्र के मुताल्लिक़ बयान फ़रमायें। वह कहने लगीं: आप आठ रकआत पढ़ते, इनमें आप सिर्फ़ आठों रकअत पर

يَجْلِسُ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ، وَلاَ يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي السَّابِعَةِ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يَا بُنَيَّ، وَلَمْ يَقُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً يُتِمُّهَا إِلَى الصَّبَاحِ، وَلَمْ يَقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ قَطُّ، وَلَمْ يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلاَةً دَاوَمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ مِنَ اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . قَالَ : فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ . فَقَالَ : هَذَا وَاللَّهِ هُوَ الْحَدِيثُ، وَلَوْ كُنْتُ أُكَلِّمُهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى أُشَافِهَهَا بِهِ مُشَافَهَةً . قَالَ قُلْتُ : لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لاَ تُكَلِّمُهَا مَا حَدَّثْتُكَ

तशह्हुद बैठते, फिर उठते और एक और रकअ़त पढ़ते। आप आठवें और नवें रकअ़त ही पर बैठते और नौवें पर सलाम फेरते इसके बाद आप दो रकअ़तें पढ़ते, बैठे हूए। बेटे! या ग्यारहवें। फिर जब आप बड़ी उम्र के हो गये और कुछ फ़रबा भी, तो सात रकआ़त वित्र पढ़ने लगे। आप छठी और सातवें रकअ़त पर बैठते और सातवें ही पर सलाम फेरते। फिर दो रकअ़तें पढ़ते जबकि आप बैठे हूए होते। बेटे! ये इस तरह नो रकआ़त होतीं। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कभी भी सारी रात सुबह तक क़याम नहीं फ़रमाया। और आपने कभी भी एक रात में कुर्आन ख़त्म नहीं किया। और रमज़ान के अ़लावा किसी भी महीने के पूरे रोज़े नहीं रखे। और जब कोई नमाज़ (यानी नफ़ल) शूरू कर लेते तो उस पर हमेशगी फ़रमाते। अगर कभी किसी रात नींद का ग़ल्बा हो जाता तो दिन में बारह रकआ़त पढ़ते। (सईद कहते हैं) फिर मैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) के पास आया और उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने कहा: क़सम अल्लाह की! यही हदीस़ है (जो मैं चाहता था) अगर मैं उनसे बोलता होता तो मैं ख़ूद इनकी ख़िदमत में हाज़िर होता और बिलमुशाफ़ा सुनता। सईद ने कहा: अगर मुझे मालूम होता कि आप इनसे नहीं बोलते हैं तो मैं आपको ये हदीस़ न सुनाता।

(1342) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 746.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जनाब सईद बिन हिशाम (रह.) जैसा अन्दाज़े फ़िक्र व अमल कि इन्सान नफ़्स व दुनिया की लज़्ज़तों से बिल्कुल ही मुन्क़तअ (अलग) हो जाये, उस्व–ए–रसूल (ﷺ) और अमले सहाबा के ख़िलाफ़ है। (2) तहक़ीक़ी मसाइल में साइल को अफ़ज़ल व आला इल्मी शख़्सीयत की तरफ़ तहवील (भेजना) करना आदाबे इल्मी का हिस्सा है। (3) रात की नमाज़ के कई नाम हैं। क़यामुल लैल, तहज्जूद और वित्र रमज़ान की मुनासिबत से 'तरावीह' का लफ़्ज़ बाद के ज़माने में मुरव्वज (प्रचलित) हूआ है। (4) रसूलुल्लाह (ﷺ) का ख़ुलूक़ क़ुर्आन था, यानी आप इसके अवामिरो नवाही और दीगर आदाब के मुजस्सम नमूना थे। (5) तहज्जूद और वित्र पढ़ने के तक़रीबन तेरह तरीक़े हैं। देखें: (महल्ली: 2/82–91 मसला: 29) और इनमें कोई तआरूज़ नहीं। (6) नो रकअत मुसलसल की नियत बाँधना बिल्कुल जायज़ और सुन्नत हैं इस सूरत में आठवीं रकअत पर तशहहूद पढ़कर नोवें रकअत पढ़ी जायें और फिर सलाम फेरा जाये। सात रकअत की नियत हो तो छठी पर तशहहूद के लिए बैठे और सातवीं पर सलाम फेरे। तीन और पाँच रकअतों में सिर्फ़ एक आख़री तशहहूद होता है। (7) वित्रों के बाद कभी कभी दो रकअत भी मुस्तहब हैं। (8) तहज्जूद क़ज़ा हो जाये तो फ़ज्र की नमाज़ से पहले या बादे वित्र अदा कर ले। या फिर दिन में बारह रकअत पढ़ ली जायें। (9) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का हज़रत आयशा (ﷺ) से कलाम न करना या तो उनके यहां न जाने की बिना पर था या उन सियासी अहवाल की बिना पर जो हज़रत अली और हज़रत मुआविया (ﷺ) के बीच ज़ाहिर हूए थे। वल्लाहु आलम, ताहम इसके बावजूद एज़ाज़े शख़्सी और जलालते इल्मी का कामिल एतराफ़ व इक़रार मलहूज़ ख़ातिर था। (ﷺ)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ قَالَ : يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ لاَ يَجْلِسُ فِيهِنَّ إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ يَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(1343) सईद ने क़तादा से अपनी सनद से इसी पिछली हदीस की मानिन्द रिवायत किया। कहा: आप (ﷺ) आठ रकआत पढ़ते, इनमें किसी में भी न बैठते, सिर्फ़ आठवें रकअत पर बैठते, अल्लाह का ज़िक्र और दुआ करते फिर सलाम फेरते इस तरह कि हमें सुनवाते (यानी बलन्द आवाज़ से सलाम कहते) फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअतें पढ़ते, फिर एक रकअत पढ़ते। बैठे! ये कुल ग्यारह रकअतें होतीं। फिर जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बड़ी उमर के हो गये और

عليه وسلم وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، بِمَعْنَاهُ إِلَى مُشَافَهَةً

कुछ फ़रबा भी तो आप सात रकअ़त वित्र पढ़ने लगे और सलाम के बाद बैठे बैठे दो रकअ़तें पढ़ते। साबक़ा हदीस़ के हम मानी 'बिलमुशाफ़ा सुनता' तक बयान किया।

(1343) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : तहज्जूद में आठ रकअ़त इकट्ठी भी नियत की जा सकती है। और दरम्यान में कोई तशहहुद नहीं होगा। और सलाम ऊंची आवाज़ से कहना भी मुबाह व मसनून है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

(1344) सईद ने यही हदीस़ बयान की। उन्होंने कहा: सलाम कहते इस तरह कि हमें सुनवाते। जैसे कि यहया बिन सईद ने रिवायत किया।

(1344) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا

(1345) मुहम्मद बिन बशीर ने इब्ने अबी अ़दी से, उन्होंने सईद से यही हदीस़ रिवायत की। इब्ने बशीर ने यहया बिन सईद की हदीस़ की मानिन्द बयान किया, मगर कहा: आप (ﷺ) सलाम कहते एक सलाम और हमें सुनाते।

(1345) तख़रीज : (सनद सही).

फ़ायदा : नमाज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ़ एक सलाम भी काफ़ी होता है। तहज्जूद में नबी (ﷺ) इस पर अ़मल किया करते थे।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، : أَنَّ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقَالَتْ : كَانَ

(1346) बहज़ बिन हकीम ने कहा कि ज़ुरारह बिन औफ़ा बयान करते हैं कि हज़रत आयशा(رضي الله عنها) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा: आप इशा की जमाअ़त के बाद घर लौटते तो चार रकअ़त (सुन्नते इशा) पढ़ते। फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और सो जाते।

يُصَلِّي صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَنَامُ وَطَهُورُهُ مُغَطًّى عِنْدَ رَأْسِهِ، وَسِوَاكُهُ مَوْضُوعٌ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ سَاعَتَهُ الَّتِي يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ وَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاَّهُ فَيُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِنَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ، وَلاَ يَقْعُدُ فِي شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يَقْعُدَ فِي الثَّامِنَةِ، وَلاَ يُسَلِّمُ، وَيَقْرَأُ فِي التَّاسِعَةِ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَدْعُو بِمَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَهُ، وَيَسْأَلُهُ وَيَرْغَبُ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً شَدِيدَةً، يَكَادُ يُوقِظُ أَهْلَ الْبَيْتِ مِنْ شِدَّةِ تَسْلِيمِهِ، ثُمَّ يَقْرَأُ وَهُوَ قَاعِدٌ بِأُمِّ الْكِتَابِ، وَيَرْكَعُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الثَّانِيَةَ فَيَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ، ثُمَّ يَدْعُو مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَدْعُوَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ وَيَنْصَرِفُ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَّنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ، فَجَعَلَهَا إِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ

और आपके वुज़ू का पानी आपके सिरहाने ढाँप कर रखा होता, मिस्वाक भी रखी होती यहाँ तक कि अल्लाह आप को रात में आपके मुक़र्ररह वक़्त पर उठा देता। फिर आप (जागते) मिस्वाक और कामिल वुज़ू करते और अपने मुसल्ले पर तशरीफ़ ले आते। आप आठ रकअ़ात पढ़ते, इनमें आप उम्मुल क़ुर्आन (सूरह फ़ातिहा) और क़ुर्आन की कोई सूरत पढ़ते और जो अल्लाह चाहता। आप इन रकअ़ात में (कोई तशहहुद) न बैठते, सिर्फ़ आठवें रकअ़त में बैठते मगर सलाम न फेरते, फिर नोवें में क़िराअत करते, फिर बैठते और दुआ करते जो अल्लाह चाहता। इन दुआओं में अल्लाह से सवाल करते और उसकी तरफ़ रूजूअ व रग़बत का इज़हार फ़रमाते, फिर सलाम कहते एक ही सलाम बड़ी ऊंची आवाज़ से, इस क़द्र ऊंची आवाज़ कि क़रीब होता कि घर वाले जाग जायें, फिर (बैठे बैठे दो रकअ़तें पढ़ते) सूरह फ़ातिहा पढ़ते और रूकू करते बैठे हूए, फिर दूसरी रकअ़त पढ़ते और रूकू और सज्दा करते बैठे हूए, फिर ख़ूब दुआ करते जो अल्लाह चाहता, फिर सलाम फेरते और उठ जाते। रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ इसी अन्दाज़ से रही, मगर जब आप फ़रबा हो गये तो आपने नो रकअ़तों में से दो रकअ़तें कम कर लीं, यानी वित्र के बग़ैर छः रकअ़ात और वित्र के साथ सात रकअ़ात पढ़ने लगे और इनके बाद दो रकअ़तें पढ़ते

وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ صلى الله عليه وسلم

जबकि आप बैठे हूए होते, यहाँ तक कि इसी आदत पर आपकी रूह क़ब्ज़ हूई।

(1346) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/236.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुबह उठने के लिए रात ही को तैयारी करके सोना बहुत अहम मसला है। **(2)** पानी ओर दीगर ग़िज़ाओं और मशरूबात को हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ : يُصَلِّي الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، لَمْ يَذْكُرِ الأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ فِيهِ : فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلاَ يَجْلِسُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ وَلاَ يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ حَتَّى يُوقِظَنَا، ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ

(1347) बहज़ बिन हकीम ने अपनी पहली सनद से ये हदीस़ बयान की और कहा ... आप(ﷺ) इशा की नमाज़ पढ़कर अपने बिस्तर पर आ जाते। उसने चार रकअ़त पढ़ने का ज़िक्र नहीं किया ... और बयान किया कि आप (ﷺ) आठ रकआ़त पढ़ते, इनकी क़िराअत, रूकू और सुजूद में बराबरी होती और दरम्यान में कोई तशह्हूद न बैठते सिवाए आठवें के। आप (ﷺ) इस आठवें रकअ़त में बैठते मगर सलाम न फेरते, बल्कि खड़े होकर एक रकअ़त वित्र पढ़ते। फिर सलाम कहते, एक सलाम, इसमें आपकी आवाज़ बहुत ऊंची होती यहाँ तक कि हमें जगा देते। फिर पिछली रिवायत के हम मानी बयान किया।

(1347) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/236.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - عَنْ بَهْزٍ، حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله

(1348) बहज़ ने ज़ुरारह बिन औफ़ा से रिवायत किया वह कहते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आ़यशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने कहा: आप (ﷺ) लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाकर घर तशरीफ़ लाते और

عليه وسلم فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ فَيُصَلِّي أَرْبَعًا، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ : يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي التَّسْلِيمِ : حَتَّى يُوقِظَنَا

चार रकअतें पढ़ते फिर अपने बिस्तर पर आ जाते ... और हदीस तफ़्सील के साथ बयान की ....मगर इसमें ये ज़िक्र नहीं किया कि आप (तहज्जुद की रकआत में) क़िराअत, रूकू और सुजूद बराबर रखते और न सलाम ही के बारे में ये कहा कि आप इससे हमें जगा देते।

(1348) तख़रीज : (सनद सही)

फ़ायदा : इसमें भी चार रकआत की बजाये महफ़ूज़ अलफ़ाज़ दो रकअत ही हैं, जैसा कि पहले गुज़रा। (शैख़ अलबानी (रह.).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِي تَمَامِ حَدِيثِهِمْ

(1349) बहज़ बिन हकीम, ज़ुरारह बिन औफ़ा से, वह सईद बिन हिशाम से वह हज़रत आयशा(ﷺ) से यही हदीस रिवायत करते हैं मगर ये हदीस इनकी रिवायत के बराबर नहीं है। (रिवायत यज़ीद बिन हारून, इब्ने अबी अदी और मरवान बिन मुआविया)

(1349) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 1342 में देखें।

حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

(1350) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) रात को तेरह रकआत पढ़ते। नो रकअतें वित्र होतीं ... या जैसे कि कहा ... और आप दो रकअतें पढ़ते बैठे हूए। और अज़ान और इक़ामत के दरम्यान फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ते।

(1350) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/32, मुसनद अहमद: 6/55, 182.

(1351) अलक़मा बिन वक़्क़ास हज़रत आयशा(ﷺ) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) (पहले) नो रकअत वित्र पढ़ा करते थे, फिर सात रकअत पढ़ने लगे। आप वित्रों के बाद बैठकर दो रकअत पढ़ा करते थे, आप इनमें क़िराअत भी किया करते थे। जब आप रूकू करना चाहते तो खड़े हो जाते और रूकू करते फिर सज्दा करते।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ख़ालिद बिन अब्दुल्लाह वास्ती ने ये दोनों हदीसें (यानी हदीसे अबी सलमा और अलक़मा) मुहम्मद बिन अम्र से इसी के मिस्ल रिवायत की हैं। इनमें है कि अलक़मा बिन वक़्क़ास ने कहा: ऐ अम्मा जान! आप (ﷺ) दो रकअतें कैसे पढ़ा करते थे? तो उन्होंने उसी के हम मानी बयान किया।

(1351) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 731.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، وَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ الْوِتْرِ يَقْرَأُ فِيهِمَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو مِثْلَهُ، قَالَ فِيهِ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ : يَا أُمَّتَاهُ كَيْفَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ

(1352) सईद बिन हिशाम बयान करते हैं कि मैं मदीने आया और हज़रत आयशा (ﷺ) से मुलाक़ात की। मैंने अर्ज़ किया कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) की नमाज़ के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर अपने बिस्तर पर आकर सो जाते, फिर रात के दरम्यानी हिस्से में उठते, ज़रूरियात से फ़ारिग़ होते और पानी लेकर वुज़ू करते, फिर अपने मुसल्ले पर आ जाते और आठ रकअतें पढ़ते। मुझे महसूस होता कि उनकी क़िराअत रूकू

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ : أَخْبِرِينِي عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ، فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى حَاجَتِهِ

وَإِلَى طَهُورِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُ يُسَوِّي بَيْنَهُنَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ يَضَعُ جَنْبَهُ، فَرُبَّمَا جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، ثُمَّ يُغْفِي، وَرُبَّمَا شَكَكْتُ أَغَفَى أَوْ لاَ، حَتَّى يُؤْذِنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَكَانَتْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى أَسَنَّ وَلَحُمَ، فَذَكَرَتْ مِنْ لَحْمِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ

और सुजूद बराबर होते, फिर एक रकअत वित्र पढ़ते, फिर बैठकर दो रकअतें पढ़ते, फिर अपना पहलू रखते, फिर बसाऔक़ात बिलाल आ जाते और आपको नमाज़ की ख़बर देते, फिर आप थोड़ा सा सो जाते, मुझे शक होता कि आप सोए भी हैं या नहीं यहाँ तक कि वह आपको नमाज़ की ख़बर देते आपकी नमाज़ ऐसे ही रही यहाँ तक कि आप बड़ी उमर के हो गये और कुछ भारी भी। और (हज़रत आयशा (ﷺ) ने) आपके कुछ फ़रबा हो जाने का ज़िक्र किया। और हदीस़ बयान की।

(1352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 1652, बैहक़ी: 2/501, 502.

फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) लिखते हैं कि वित्रों के बाद दो रकअत पढ़ना नबी (ﷺ) का कुछ औक़ात का मअमूल है जो बयाने जवाज़ के लिए है, हमेशा का अमल नहीं। और अहादीस़ में वारिद लफ़्ज़ (काना) हर जगह दवाम व इस्तेमरार का मानी नहीं देता। कई मशहूर सही अहादीस़ में आया है कि नबी (ﷺ) की नमाज़े तहज्जुद में वित्र आख़िर में हूआ करते थे जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने पेश आमद अहादीस़ में साबित किया है। इसके अलावा आपका इरशादे गिरामी भी है कि 'अपनी रात की नमाज़ का आख़िर वित्रों को बनाओ।' अलग़र्ज़ वित्रों के बाद दो रकअत पढ़ना और तर्क करना दोनों साबित हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، : أَنَّهُ

(1353) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि वह (एक बार) रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहां सोए थे। उन्होंने देखा कि आप जागे, मिस्वाक की और वुज़ू किया। इस दौरान में आप 'इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस्समावाति वल्अर्ज़' से लेकर आख़िर सूरत तक तिलावत फ़रमा रहे थे। फिर आप नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हूए। आपने दो रकअतें पढ़ीं, इनका क़याम, रूकू और सुजूद बहुत

رَقَدَ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَرَآهُ اسْتَيْقَظَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ) حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، ثُمَّ إِنَّهُ انْصَرَفَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِسِتِّ رَكَعَاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَقْرَأُ هَؤُلاَءِ الآيَاتِ، ثُمَّ أَوْتَرَ - قَالَ عُثْمَانُ : بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ، فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ فَخَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ - وَقَالَ ابْنُ عِيسَى : ثُمَّ أَوْتَرَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - وَهُوَ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي لِسَانِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي سَمْعِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي بَصَرِي نُورًا، وَاجْعَلْ خَلْفِي نُورًا، وَأَمَامِي نُورًا، وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، اللَّهُمَّ وَأَعْظِمْ لِي نُورًا "

लम्बा किया। फिर आप पलटे और सो गये यहाँ तक कि ख़र्राटे लेने लगे। आपने इस तरह तीन बार किया। छः रकअतें पढ़ीं। हर बार आप उठ कर मिस्वाक करते, वुज़ू करते और पिछली आयात की तिलावत करते। फिर आपने वित्र पढ़ीं। उस्मान का बयान है कि आपने तीन रकअतें पढ़ीं। फिर मुअज़्ज़िन आ गया तो आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गये। मुहम्मद बिन ईसा ने बयान किया कि फिर आपने वित्र पढ़ीं, फिर बिलाल आ गये, उन्होंने आपको नमाज़ का वक़्त हो जाने की खबर दी जब कि फ़ज्र तुलूअ हुई। फिर आपने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ीं, फिर आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गये। इसके बाद दोनों रावियों (इब्ने ईसा और उस्मान) का मुत्तफ़क़ा बयान है कि नमाज़ के लिए जाते हूए आप पढ़ रहे थे। 'अल्लाहुम्मज़ अल फी लिसानी नूरव वज्अल फी समई नूरन वज्अल फी बसरी नूरन वज्अल ख़ल्फ़ी नूरन व अमामी नूरन वज्अल मिन फ़ौक़ी नूरन व मिन तहती नूरन अल्लाहुम्मा व आज़िम ली नूरन' 'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी ज़बान में नूर कर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, मेरी आँखों में नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे लिए नूर को बहुत अज़ीम कर दे।'

(1353) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 58 में देखें, व सही मुस्लिम, हदीस: 763.

حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، نَحْوَهُ قَالَ : " وَأَعْظِمْ لِي نُورًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ عَنْ حَبِيبٍ فِي هَذَا، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي رِشْدِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

(1354) ख़ालिद ने हुसैन से इसके मिस्ल बयान किया और कहा: 'व आज़िम ली नूरन' यानी 'अल्लाहुम्मा' के बग़ैर।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं : अबू ख़ालिद दालानी ने हबीब से साबक़ा रिवायत में और इस रिवायत में भी ऐसे ही कहा है। और सलमा बिन कुहैल ने बवास्ता अबू रिश्दीन, हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत की है।

(1354) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुबह बेदार होने पर मिस्वाक करना मसनून व मुस्तहब अमल है। **(2)** रात को जागने के विर्दों में से एक अहम विर्द सूरह आले इमरान की आख़री आयात की तिलावत भी है। **(3)** तहज्जुद की नमाज़ को मुख़्तलिफ़ हिस्सों में बाँटकर पढ़ना भी जायज़ है। **(4)** फ़ज्र की नमाज़ के लिए जाते हूए मसनून दुआ 'अल्लाहुम्मा इज्अल फ़ी क़ल्बी नुरा ... अलख़' है। और इसका मफ़हूम या तो ज़ाहिरी और हक़ीक़ी नूर के हुसूल की दुआ है, जिससे क़यामत के अंधेरों में नबी(ﷺ) ख़ूद और आपके मुत्तबेइन (पैरवी करने वाले) रोशनी हासिल करेंगे या इल्म व हिदायत और आमाले ताअत की तौफ़ीक़ और सबात मुराद है या ये दोनों ही मुराद हैं। **(5)** हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का ततब्बोअे बसीरत का शौक़ क़ाबिले तअज्जुब है और इनके रूतब-ए-आलिया की दलील भी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي فَقَامَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قِيَامُهُ مِثْلُ رُكُوعِهِ، وَرُكُوعُهُ مِثْلُ سُجُودِهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ ثُمَّ قَرَأَ بِخَمْسِ آيَاتٍ مِنْ آلِ

(1355) हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने एक रात नबी (ﷺ) के घर में गुज़ारी ताकि देखूं कि आप नमाज़ कैसे पढ़ते हैं। चूनांचे आप उठे, वुज़ू किया और दो रकअतें पढ़ीं। आपका क़याम आपके रूकू की मानिन्द था, और आपका रूकू आपके सज्दे के मिस्ल। फिर आप सो गये, फिर जागे, वुज़ू किया, मिस्वाक की, फिर सूरह आले इमरान की आख़री पाँच आयतें तिलावत की, आप इसी अन्दाज़ में करते रहे यहाँ तक कि दस रकअतें पढ़ीं, फिर

عِمْرَانَ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ } فَلَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ هَذَا حَتَّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى سَجْدَةً وَاحِدَةً فَأَوْتَرَ بِهَا، وَنَادَى الْمُنَادِي عِنْدَ ذَلِكَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّى الصُّبْحَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : خَفِيَ عَلَيَّ مِنِ ابْنِ بَشَّارٍ بَعْضُهُ

खड़े हूए और एक रकअ़त पढ़ी और इससे अपनी नमाज़ को वित्र बनाया। और इसी बीच में मुअज़्ज़िन ने अज़ान कही, तो उसके ख़ामोश होने के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हल्की सी दो रकअ़तें पढ़ीं फिर बैठे रहे यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मैं इब्ने बशीर की हदीस़ का कुछ हिस्सा सुन नहीं सका (जिस तरह कि मैं चाहता था)

(1355) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 18/296, 297.

फ़ायदा : ये रिवायत स़ही सनद से पहले गुज़र चुकी है, देखें हदीस़: 1353.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الأَسَدِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ مَا أَمْسَى فَقَالَ : " أَصَلَّى الْغُلاَمُ " . قَالُوا : نَعَمْ . فَاضْطَجَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَامَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى سَبْعًا أَوْ خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ لَمْ يُسَلِّمْ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ

(1356) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना (رضي الله عنها) के यहां रात गुज़ारी, रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये जबकि रात हो चुकी थी। आपने पूछा: 'क्या लड़के ने नमाज़ पढ़ ली है?' उन्होंने कहा: हाँ। चूनांचे आप भी लेट गये यहाँ तक कि जब रात का कुछ हिस्स़ा गुज़र गया जो अल्लाह ने चाहा तो आप उठे और वुज़ू किया। फिर आपने सात या पाँच रकआ़त पढ़ीं और उन्हें वित्र बनाया। और इन रकआ़त में आपने (दरम्यान में) कोई तशह्हुद नहीं किया।

तख़रीज : बुख़ारी, मुसनद अहमद, हदीस़: 1/354.

फ़ायदा : घर वालों की बिलख़ुसूस़ माँ की ज़िम्मेदारी है कि नोख़ेज़ बच्चों को नमाज़ और दीगर आ़माले ख़ैर का आ़दी बनाये और वालिद या सरपरस्त का हक़ है कि उन उमूर के मुताल्लिक़ ख़बरदार रहे और बाज़पुरसी करता रहे।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَصَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى خَمْسًا ثُمَّ نَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ - أَوْ خَطِيطَهُ - ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ

(1357) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का बयान है कि मैंने अपनी ख़ाला मैमूना बिन्ते हारिस (ﷺ) के यहां रात गुज़ारी। चूनांचे नबी (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में तशरीफ़ लाये और चार रकअतें पढ़ीं, फिर सो गये, फिर जागे और नमाज़ पढ़ने लगे। मैं भी उठा और आपकी बायें जानिब खड़ा हूआ, तो आपने मुझको अपनी दायें जानिब फेर लिया। फिर आपने पाँच रकअतें पढ़ीं। फिर सो गये यहाँ तक कि मैंने आपके ख़र्राटे सुने। फिर आप उठे और दो रकअतें पढ़ीं, फिर नमाज़े फ़ज्र के लिए तशरीफ़ ले गये।

(1357) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 117.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ فِي، هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ : فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُنَّ

(1358) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने इस क़िस्से में बयान किया कि आप उठे और दो दो रकअतें करके नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि आठ रकअतें पढ़ीं, फिर पाँच रकअतें वित्र पढ़े और इनके दरम्यान में तशहहुद के लिए नहीं बैठे।

(1358) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1344.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي

(1359) सय्यदा आयशा (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों समेत तेरह रकअतें पढ़ा करते थे। छः रकअतें दो दो करके, फिर पाँच वित्र और इनमें सिर्फ़ आख़री ही में बैठते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 3/28.

ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيْهِ قَبْلَ الصُّبْحِ : يُصَلِّي سِتًّا مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِخَمْسٍ لاَ يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

(1360) सय्यदा आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) रात में फ़ज्र की सुन्नतों समेत तेरह रकआत पढ़ा करते थे।

(1360) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 737.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْمُقْرِئَ، أَخْبَرَهُمَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ قَائِمًا، وَرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الأَذَانَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا . قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ فِي حَدِيثِهِ : وَرَكْعَتَيْنِ جَالِسًا بَيْنَ الأَذَانَيْنِ، زَادَ : جَالِسًا

(1361) सय्यदा आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर खड़े होकर आठ रकअतें पढ़ीं। और दोनों अज़ानों (फ़ज्र की अज़ान और इक़ामत) के दरम्यान दो रकअतें पढ़ीं और आप उन्हें तर्क न किया करते थे।

जाफ़र बिन मुसाफ़िर की रिवायत है कि दो अज़ानों के बीच दो रकअतें बैठकर पढ़ते। ये इज़ाफ़ा (बैठकर) जाफ़र बिन मुसाफ़िर का है।

(1361) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1159.

फ़ायदा : इस रिवायत में शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक 'दोनों अज़ानों के दरम्यान' के अलफ़ाज़ साबित नहीं। बल्कि असल अलफ़ाज़ (जैसा कि सही बुख़ारी में है) 'बअदल वित्र' हैं। यानी वित्रों के बाद नबी (ﷺ) ने दो रकअतें पढ़ीं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ

(1362) अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि नबी(ﷺ) कितनी रकआत वित्र पढ़ा करते थे? उन्होंने कहा: आप (कभी) चार और

قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضى الله عنها : بِكَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ قَالَتْ : كَانَ يُوتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلاَثٍ، وَسِتٍّ وَثَلاَثٍ، وَثَمَانٍ وَثَلاَثٍ، وَعَشْرٍ وَثَلاَثٍ، وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ، وَلاَ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثَ عَشْرَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : وَلَمْ يَكُنْ يُوتِرُ بِرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ . قُلْتُ : مَا يُوتِرُ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَلِكَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ : وَسِتٌّ وَثَلاَثٍ

तीन, (कभी) छः और तीन (कभी) आठ और तीन और (कभी) दस और तीन रकआत पढ़ा करते थे। आप के वित्र सात से कम और तेरह रकअत से ज़्यादा न होते थे।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अहमद बिन सालेह ने मज़ीद रिवायत किया कि आप फ़ज्र से पहले दो रकअतें 'वित्र' न करते थे। मैंने पूछा कि वित्र करने का क्या मानी? हज़रत आयशा (ﵻ) ने कहा: कि आप ये रकअतें छोड़ा न करते थे। और अहमद ने छः और तीन रकआत का ज़िक्र नहीं किया।

(1362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/149.

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ . فَقَالَتْ : كَانَ يُصَلِّي ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ إِنَّهُ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَتَرَكَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُبِضَ صلى الله عليه وسلم حِينَ قُبِضَ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَكَانَ آخِرُ صَلاَتِهِ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ

(1363) अस्वद बिन यज़ीद से रिवायत है कि वह हज़रत आयशा (ﵻ) के पास आये और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, तो उन्होंने कहा: आप रात में तेरह रकआत पढ़ा करते थे। फिर ग्यारह रकआत पढ़ने लगे और दो रकअतें छोड़ दीं। फिर जब आपकी वफ़ात हूई है तो आप रात को नो रकआत पढ़ते थे। और आपकी आख़री नमाज़ वित्र हूआ करती थी।

(1363) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 740.

फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में ये रिवायत सिर्फ़ इन अल्फ़ाज़ के साथ है: 'रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को (नफ़ली) नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी आख़री नमाज़ वित्र होती थी।' (हदीस: 740)

(1364) कुरैब मौला इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहा: मैंने एक रात आप (ﷺ) के यहां गुज़ारी जबकि आप हज़रत मैमूना (ﷺ) के घर में थे। आप सो गये, जब तिहाई रात गुज़र गई या आधी, तो आप उठे, मशकीज़े की तरफ़ गये, उसमें पानी था, आपने वुज़ू किया, तब मैंने भी आपके साथ वुज़ू किया। फिर आप खड़े हो गये, मैं भी आपके बायें पहलू में खड़ा हो गया, तो आपने मुझे दायें तरफ़ कर लिया। फिर आपने अपना हाथ मेरे सर पर रखा गोया आप मेरे कान को छू रहे हों, मुझे जगा रहे हों, तो आपने दो रकअतें पढ़ीं हल्की हल्की, मैं समझता हूं कि आपने हर रकअत में सूरह फ़ातिहा पढ़ी, फिर सलाम फेरा। यहाँ तक कि ग्यारह रकअतें वित्र समेत, फिर सो गये यहाँ तक कि आपके पास हज़रत बिलाल (ﷺ) आये और कहा: नमाज़, ऐ अल्लाह के रसूल! आप खड़े हूए, दो रकअतें पढ़ीं। फिर लोगों को नमाज़ पढ़ाई।

(1364) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 992, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 763.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ كُرَيْبًا، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ قَالَ : بِتُّ عِنْدَهُ لَيْلَةً وَهُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ، فَنَامَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفُهُ اسْتَيْقَظَ فَقَامَ إِلَى شَنٍّ فِيهِ مَاءٌ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأْتُ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي كَأَنَّهُ يَمَسُّ أُذُنِي كَأَنَّهُ يُوقِظُنِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قُلْتُ : فَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى حَتَّى صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ، ثُمَّ نَامَ فَأَتَاهُ بِلاَلٌ فَقَالَ : الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى لِلنَّاسِ .

फ़ायदा : नमाज़ में हस्बे ज़रूरत कोई अमल जायज़ और मुबाह है, ख़्वाह दूसरे की इस्लाह ही करनी हो।

(1365) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला हज़रत मैमूना (ﷺ) के यहां रात गुज़ारी पस नबी (ﷺ) रात

حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِقَدْرِ { يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ } لَمْ يَقُلْ نُوحٌ : مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ .

को उठे और नमाज़ पढ़ने लगे। आपने तेरह रकआत पढ़ीं, इनमें फ़ज्र की सुन्नतें भी शामिल थी। मैंने हर रकअत में आपके क़याम का अन्दाज़ा लगाया कि सूरह मुज़्ज़म्मिल के बराबर था। नूह ने अपनी रिवायत में फ़ज्र की सुन्नतों का ज़िक्र नहीं किया।

(1365) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/365 नसाई, हदीस: 1425.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ - قَالَ - لأَرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ، قَالَ : فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً

(1366) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जोहनी (ﷺ) कहते हैं कि मैंने कहा: आज रात में रसूलुल्लाह(ﷺ) की नमाज़ देखूंगा। चूनांचे मैंने आपके दरवाज़े या ख़ेमे की चौखट को अपना तकिया बना लिया, पस आपने दो रकअतें पढ़ीं हल्की हल्की, फिर दो रकअतें पढ़ीं लम्बी लम्बी, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो इनसे क़द्रे कम लम्बी थी, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो इनसे कम थीं, फिर (एक) वित्र पढ़ा। ये (मुकम्मल) तेरह रकआत हूईं।

(1366) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 765.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ، بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ - قَالَ - فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ - أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ - اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي فَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ الْقَعْنَبِيُّ : سِتَّ

(1367) कुरैब मौला इब्ने अ़ब्बास का बयान है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) ने उनको बताया कि मैंने उम्मूल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) के यहां रात गुज़ारी और वह इनकी ख़ाला थी। फ़रमाते हैं: मैं तकिये के अ़रज़ में लेट गया और रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपकी अहलिया उसके तवील में लेट गये। रसूलुल्लाह(ﷺ) सो गये, यहाँ तक कि जब आधी रात हूई या इससे कुछ पहले का वक़्त होगा या बाद का तो रसूलुल्लाह (ﷺ) जाग गये। आप उठकर बैठ गये और अपने हाथ से अपना चेहरा मला, गोया नींद दूर करते हों। फिर आपने सूरह आले इमरान की आख़री दस आयतें पढ़ीं, फिर आप एक मशकीज़े की तरफ़ गये जो लटक रहा था, इससे आपने वुज़ू किया और अच्छा वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने खड़े हो गये। हज़रत अ़ब्दुल्लाह फ़रमाते हैं : फिर मैं भी उठ खड़ा हूआ और जैसे आपने किया था मैंने भी किया और आपके (बायें) पहलू में जा खड़ा हूआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा, मेरा कान पकड़ा और उसे कुछ मरोड़ा। आपने दो रकअ़तें पढ़ीं, फिर दो रकअ़तें, फिर दो रकअ़तें, फिर दो रकअ़तें, फिर दो रकअ़तें, फिर दो रकअ़तें। क़अनबी ने कहा कि छः बार (दो दो रकअ़तें पढ़ीं) फिर (एक) वित्र पढ़ा। इसके बाद लेट गये, यहाँ तक कि आपके

مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

पास मुअज़्ज़िन आया तो आपने उठकर हल्की सी दो रकअतें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले गये और फ़ज्र की नमाज़ पढी।

(1367) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि, हदीस: 1364 में देखें, मौता: 1/121, 122.

﴿27﴾ باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّلاَةِ

बाब : 27 नमाज़ (और दीगर इबादात) में म्याना रवी इख़्तियार करने का हुक्म

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " اكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ " . وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَثْبَتَهُ

(1368) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अमल इसी क़द्र इख़्तियार करो जिसकी तुममें ताक़त हो क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल (तुम्हें सवाब देने से) नहीं उकताता, यहाँ तक कि तुम ही (अमल से) उकता जाओ। बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को वही अमल महबूब (प्यारा) है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा ही हो।' और नबी(ﷺ) जब कोई अमल इख़्तियार करते तो उस पर हमेशगी करते थे।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5861, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 782, नसाई, हदीस: 763.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَمِّي، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ

(1369) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (ﷺ) को अपने पास बुलाया। वह आपके पास आये तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उस्मान! क्या तुमने मेरी सुन्नत (तौर तरीक़े) से एराज़ कर

مَظْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ : " يَا عُثْمَانُ أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِي " . قَالَ : لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَكِنْ سُنَّتَكَ أَطْلُبُ . قَالَ : " فَإِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ، فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ، فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصَلِّ وَنَمْ"

लिया है?' उन्होंने कहा: नहीं, क़सम अल्लाह की! ऐ अल्लाह के रसूल! बल्कि मैं तो आपकी सुन्नत ही का मुतलाशी हूँ। आपने फ़रमाया: 'फिर मैं तो सोता भी हूँ और नमाज़ भी पढ़ता हूँ। रोज़े रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। औरतों से निकाह भी किया है। पस अल्लाह से डरो, ऐ उस्मान! यक़ीनन तुम्हारे घर वालों का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारे मेहमान का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारी जान का भी तुम पर हक़ है। लिहाज़ा रोज़े रखो और छोड़ भी दिया करो। नमाज़ पढ़ा करो और सोया भी करो।'

(1369) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 6/268.

फ़ायदा : अल्लाह की इबादत और रियाज़त में अपनी जान को घुला देना और मशरूअ दुनियावी मामलात से मुँह मोड़ लेना दीन नहीं, बल्कि बेदीनी है। अहले किताब में ये कैफ़ियत 'रूहबानियत' कहलाती थी जिसका इस्लाम में कोई तसव्वूर नहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلْ كَانَ يَخُصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ قَالَتْ : لاَ، كَانَ كُلُّ عَمَلِهِ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يَسْتَطِيعُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَطِيعُ

(1370) जनाब अलक़मा बयान करते हैं, मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) के आमाल का क्या अन्दाज़ था, क्या आपने कोई दिन ख़ास कर रखे थे? उन्होंने कहा: नहीं, आपके हर अमल में हमेशगी होती थी और तुममें वह इस्तेताअत कहां जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को हासिल थी।

(1370) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6466, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 783.

फ़ायदा : हमेशगी उस अमल पर हो सकती है जो इफ़रात व तफ़रीत से हट कर ऐतदाल (बीच) पर मबनी हो, और हमेशगी इख़्तियार करना ही सबसे बड़ी रियाज़त है।

كتاب شهر رمضان

माहे रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ بَابٌ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

बाब : 1 रमज़ान में क़यामुल लैल के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، - قَالَ الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ ثُمَّ يَقُولُ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رضى الله عنه . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ عُقَيْلٌ وَيُونُسُ وَأَبُو أُوَيْسٍ " مَنْ قَامَ رَمَضَانَ " . وَرَوَى عُقَيْلٌ " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ "

(1371) सय्यदना अबूहुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़यामे रमज़ान की तरग़ीब दिया करते थे बग़ैर इसके कि आप वाजिबी तौर पर उनको हुक्म दें। फिर फ़रमाते थे: 'जिसने ईमान की बिना पर और तक़र्रुब व सवाब की ग़र्ज़ से रमज़ान का क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) की रहलत हो गई और मामला ऐसे ही रहा। उसके बाद ख़िलाफ़ते अबूबक्र (ﷺ) और हज़रत उमर (ﷺ) के इब्तेदाई दौर में भी यही सूरत रही।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उक़ैल, यूनुस और अबू उवैस ने ऐसे ही रिवायत किया है: 'यानी जिसने रमज़ान का क़याम किया।' और उक़ैल की रिवायत है: 'जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और उसका क़याम किया।'

तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 759 व मौता, हदीस: 1/113, 114.

फ़ायदा : रमज़ान की रातों का क़याम मसनून व मुस्तहब अमल है और इन्तेहाई फ़ज़ीलत का हामिल, मगर वाजिब नहीं है। और इसमें ग़फ़लत करना बहुत बड़ी महरूमी है।

حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ

(1372) सय्यदना अबूहुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से मरफ़ूअन बयान करते हैं: 'जिसने ईमान और तक़र्रूब व स़वाब की नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह बख़्श दिए जाते हैं। और जिसने ईमान और तक़र्रूब व स़वाब के लिए लैलतुल कद्र का क़याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन अबी कस़ीर और मुहम्मद बिन अ़म्र ने अबू सलमा से ऐसे ही रिवायत किया है।

(1372) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2014.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ " قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ " . وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

(1373) सय्यदा आ़यशा (ﷺ) ज़ोजा नबी(सअव) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने मस्जिद में नमाज़ पढ़ी (यानी रमज़ान की रात में क़याम फ़रमाया) तो लोगों ने भी आपके साथ नमाज़ पढ़ी। आपने अगली रात फिर नमाज़ पढ़ी तो लोग भी बहुत हो गये। फिर जब वह तीसरी रात जमा हूए तो रसूलुल्लाह (ﷺ) घर से निकले ही नहीं। जब सुबह हूई तो फ़रमाया: 'तुमने जो किया वह मैंने देखा है और मुझे तुम्हारी तरफ़ निकलने से पस यही मानेअ (रूकावट) रहा कि मुझे अन्देशा हूआ कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये।' और ये रमज़ान की बात है।

तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 761 व बुख़ारी, हदीस़: 2012.

फ़ायदा : सही बुख़ारी में तीसरी रात भी नमाज़ पढ़ने का ज़िक्र है। देखिए: (सही बुख़ारी, अलजुमअ, हदीस:924)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ فِي رَمَضَانَ أَوْزَاعًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَضَرَبْتُ لَهُ حَصِيرًا فَصَلَّى عَلَيْهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَتْ فِيهِ قَالَ - تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم - " أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا وَاللَّهِ مَا بِتُّ لَيْلَتِي هَذِهِ بِحَمْدِ اللَّهِ غَافِلاً وَلاَ خَفِيَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ "

(1374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि लोग मस्जिद में टुकड़ियों में बंट कर नमाज़ पढ़ते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने आपके लिए चटाई बिछा दी। आपने नमाज़ पढ़ी ... और ये क़िस्सा बयान किया ... और आपने फ़रमाया: 'लोगों! मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से रात ग़फ़लत में नहीं गुज़ारी और न तुम्हारा यहाँ जमा होना मुझ पर मख़्फ़ी रहा है।'

(1374) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 1368 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ

(1375) हज़रत अबूज़र (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, आपने हमारे साथ कोई क़याम न किया, यहाँ तक कि महीने में एक हफ़्ता बाक़ी रह गया, तो आपने हमें क़याम करवाया, यहाँ तक कि तिहाई रात हो गई। जब (आख़िर से) छठी रात आई तो आपने क़याम न कराया। जब पाँचवीं आई तो हमें क़याम करवाया, यहाँ तक कि आधी रात गुज़र गई। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! काश आप हमें बक़िया रात भी इसका क़याम करवा देते? तो आपने फ़रमाया: 'इन्सान जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता है

هَذِهِ اللَّيْلَةِ . قَالَ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ " . قَالَ فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ فَلَمَّا كَانَتِ الثَّالِثَةُ جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ وَالنَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلاَحُ . قَالَ قُلْتُ مَا الْفَلاَحُ قَالَ السُّحُورُ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ

और उसके फ़ारिग़ होने तक उसके साथ रहता है तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार किया जाता है।' जब चौथी रात आई तो आपने क़याम न कराया। जब तीसरी रात आई तो आपने अपने अक़ारिब, बीवियों और दूसरे लोगों को जमा फ़रमाया और हमें क़याम कराया, यहां तक कि हमें फ़िक्र हुई कि कहीं हमारी 'फ़लाह' ही न रह जाये। (जुबैर ने कहा) मैंने पूछा कि 'फ़लाह' से क्या मुराद है? उन्होंने कहा 'सहरी'। फिर बक़िया रातों में आपने हमको क़याम नहीं कराया।

(1375) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 806, व नसाई, हदीस: 1365, व इब्ने माजा, हदीस:1327, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2206, इब्ने हिब्बान, हदीस: 919.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इन तीन रातों में मस्जिद में इज्तेमाई तौर पर ये क़याम कराके साबित फ़रमा दिया कि ये नमाज़ (अलमअरूफ़ ब तरावीह) जमाअत और इज्तेमाइयत के साथ मुस्तहब व मसनून है, मगर फ़र्ज़ होने के अन्देशे से आपने इस तसलसुल को क़ायम न रखा। **(2)** इमाम के साथ क़याम मुकम्मल कर लेने में पूरी रात का क़याम लिखा जाता है। वल्लाहु ज़ुलफ़ज़लिल अज़ीम। **(3)** इस रिवायत में क़याम की रकआत का ज़िक्र नहीं ताहम हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) की सराहत वारिद है कि 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको माहे रमज़ान में आठ रकआत पढ़ाईं और वित्र पढ़ाया।' ये रिवायत तबरानी सग़ीर, मुसनद अबी यअला क़यामुल लैल मरवज़ी, सही इब्ने ख़ुज़ैमह और सही इब्ने हिब्बान में आई है। और अल्लामा ज़हबी ने अलमीज़ान, जि. 2 स: 311 में इसकी सनद को 'वसत' कहा है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، وَدَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ سُفْيَانَ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، - وَقَالَ دَاوُدُ عَنِ ابْنِ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ، - عَنْ أَبِي

(1376) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) से मरवी है कि जब रमज़ान का (आख़री) अशरह शुरू होता, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) रातों को जागते, अपनी कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी

الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ أَحْيَا اللَّيْلَ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو يَعْفُورٍ اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ نِسْطَاسٍ

जगाते।

इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि अबू यअ़फ़ूर का नाम अ़ब्दुर्रहमान बिन उ़बैद बिन निस्तास है।

(1376) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 2024, व मुस्लिम, हदीस़: 1174.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا أُنَاسٌ فِي رَمَضَانَ يُصَلُّونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ " مَا هَؤُلاَءِ " . فَقِيلَ هَؤُلاَءِ نَاسٌ لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّي وَهُمْ يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَصَابُوا وَنِعْمَ مَا صَنَعُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ

(1377) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये और देखा कि लोग रमज़ान में मस्जिद की एक जानिब में नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने पूछा: 'इनको क्या है?' कहा गया कि इन लोगों को क़ुर्आन याद नहीं है और उबय बिन कअ़ब (ﷺ) नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो ये लोग भी उनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो नबी(सअव) ने फ़रमाया: 'उन्होंने दुरूस्त किया और बहुत ख़ूब किया।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ क़वी नहीं है। मुस्लिम बिन ख़ालिद ज़ईफ़ है।

(1377) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/495 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2208 व इब्ने हिब्बान, नं. 921.

फ़ायदा : इस रिवायत को शैख़ अलबानी (रह.) ने सुनन अबू दाऊद में ज़ईफ़ क़रार दिया है। लेकिन अपनी ही किताब 'स़लातुत तरावीह' में इसे बतौर मुताबेअ़ और शाहिद के क़ाबिले क़बूल क़रार दिया है और एक हसन दरजे की मुरसल रिवायत की बुनियाद पर इस वाक़ये की अस़लियत को तस्लीम किया है जिससे स़लातुत तरावीह का तक़रीरी स़बूत नबी (ﷺ) से मुहैया होता है। (देखिए: स़लातुत तरावीह, अल अलबानी, स़: 9).

बाब : 2 लैलतुल क़द्र के अहकाम व मसाइल

﴿2﴾ باب فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ قُلْتُ لأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ أَخْبِرْنِي عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، يَا أَبَا الْمُنْذِرِ فَإِنَّ صَاحِبَنَا سُئِلَ عَنْهَا . فَقَالَ مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْهَا . فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ - زَادَ مُسَدَّدٌ وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يَتَّكِلُوا أَوْ أَحَبَّ أَنْ لاَ يَتَّكِلُوا ثُمَّ اتَّفَقَا - وَاللَّهِ إِنَّهَا لَفِي رَمَضَانَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ لاَ يَسْتَثْنِي . قُلْتُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّى عَلِمْتَ ذَلِكَ قَالَ بِالآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ لِزِرٍّ مَا الآيَةُ قَالَ تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةِ مِثْلَ الطَّسْتِ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ حَتَّى تَرْتَفِعَ

(1378) ज़िर बिन हुबैश कहते हैं कि मैंने हज़रत उबई बिन कअ़ब (ﷺ) से कहा: ऐ अबू अलमुन्ज़िर! मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बताइये क्योंकि हमारे साहब (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा: जो शख़्स सारा साल क़याम करता रहे, वह उसे पा लेगा। तो उन्होंने कहा: अल्लाह अबू अ़ब्दुर्रहमान (यानी इब्ने मसऊ़द (ﷺ) पर रहम फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! उन्हें ख़ूब मालूम है कि ये रमज़ान में होती है। (मुसद्दद ने इज़ाफ़ा किया) लेकिन उन्होंने नापसन्द किया कि लोग (सिर्फ़ रमज़ान ही पर) तकिया कर लें या उन्होंने चाहा है कि लोग इसी पर तकिया न कर लें। (फिर सुलेमान और मुसद्दद दोनों ने कहा) क़सम अल्लाह की! ये रमज़ान की सत्ताईसवीं शब को होती है, इंशाअल्लाह न कहा: मैंने कहा: ऐ अबू अलमुन्ज़िर! आपको इसका कैसे इल्म हूआ? उन्होंने कहा: उस अ़लामत से, जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें बताई है। (आ़सिम ने कहा) मैंने जनाब ज़िर से पूछा: वह अ़लामत क्या है? उन्होंने कहा: उस रात की सुबह को सूरज तशत (ताबने की बड़ी प्लेट) की तरह निकलता है और ऊंचा होने तक उसमें किरणें (और हिद्दत) नहीं होती।

(1378) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 762.

फ़वाइद व मसाइल : (1) लैलतुल क़द्र की इबादत दीगर रातों के मुक़ाबले में हज़ार महीने की इबादत से अफ़ज़ल है। لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (अलक़द्र: 3) और ये मुद्दत तेरासी साल चार महीने बनती है। **(2)** ये दावा बिज़्ज़अम (मनसे) तो क़तअन सही नहीं कि ये रात सताइसवीं रमज़ान ही को होती है, बल्कि इम्कान होता है। इसी तरह दीगर ताक़ रातों में भी मुमकिन है। **(3)** बताई गई अलामत अगरचे रात गुज़र जाने के बाद की है, इसमें फ़ायदा ये है कि अगर इस रात से इस्तेफ़ादा किया हो तो इन्सान शुक्र करे। अगर महरूम रहा हो तो आइन्दा के लिए शौक़ करे। **(4)** ये अलामत हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) को किसी साल सत्ताईसवीं की सुबह नज़र आई होगी तो उसी से उन्होंने यक़ीन कर लिया कि हर साल यही रात लैलतुल क़द्र होती है, मगर सही ये है कि ये लैलतुल क़द्र आख़री अशरह की ताक़ रातों में मुन्तक़िल होती रहती है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسِ بَنِي سَلِمَةَ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ، فَقَالُوا مَنْ يَسْأَلُ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَذَلِكَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ . فَخَرَجْتُ فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ قُمْتُ بِبَابِ بَيْتِهِ فَمَرَّ بِي فَقَالَ " ادْخُلْ " . فَدَخَلْتُ فَأُتِيَ بِعَشَائِهِ فَرَآنِي أَكُفُّ عَنْهُ مِنْ قِلَّتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " نَاوِلْنِي نَعْلِي " . فَقَامَ وَقُمْتُ مَعَهُ فَقَالَ " كَأَنَّ لَكَ حَاجَةً " .

(1379) ज़मरह बिन अब्दुल्लाह बिन उनैस अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बनी सलमा की एक मजलिस में था और मैं उन सबसे छोटा था, उन्होंने कहा: कौन है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से हमारे लिए लैलतुलक़द्र के मुताल्लिक़ पूछ आये? और ये रमज़ान की इक्कीसवीं तारीख़ की सुबह थी। पस मैं निकला और मग़रिब की नमाज़ नबी (ﷺ) के साथ पढ़ी। फिर मैं आपके घर के दरवाज़े पर खड़ा हो गया। आप मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'अंदर आ जाओ' मैं अंदर चला गया, आपको इशाइया (डिनर) पेश किया गया। मुझे याद है कि मैं खाना कम होने की वजह से झुक रहा था (यानी बहुत कम खा रहा था) जब फ़ारिग़ हो गये तो फ़रमाया: 'मुझे मेरे जूते दो।' चूनांचे आप खड़े हो गये और मैं भी आपके साथ उठ खड़ा हूआ। आपने फ़रमाया: 'शायद तुम किसी काम से आये थे?' मैंने अर्ज़ किया: हाँ! बनी सलमा की एक जमाअत ने मुझे

قُلْتُ أَجَلْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ رَهْطٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ " كَمِ اللَّيْلَةُ " . فَقُلْتُ اثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ قَالَ " هِيَ اللَّيْلَةُ " . ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ " أَوِ الْقَابِلَةُ" . يُرِيدُ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ

आपकी ख़िदमत में भेजा है, वह लोग लैलतुल क़द्र के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करना चाहते हैं। आपने फ़रमाया: 'आज कौन सी रात है? मैंने कहा: आज बाईसवीं है। आपने फ़रमाया: 'यही रात है।' फिर आपने अपनी बात दोहराई और फ़रमाया: 'अगली रात है।' यानी तेईसवीं रात।

(1379) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 3401.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाइसवीं की रात इस एतबार से लैलतुलक़द्र हो सकती है जैसे कि आइन्दा हदीस़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (1381) में है कि 'उसे आख़री दस रातों में तलाश करो। आख़री नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में तलाश करो।' लिहाज़ा अगर महीना तीस रातों का हो तो आख़री नवीं रात बाइसवीं तारीख़ बनती है। वल्लाहू आलम **(2)** उस्ताद, मुअल्लिम व मुरब्बी से मसाइल दरयाफ़्त करने का अदब.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُنَيْسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بَادِيَةً أَكُونُ فِيهَا وَأَنَا أُصَلِّي فِيهَا بِحَمْدِ اللَّهِ فَمُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزِلُهَا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ . فَقَالَ " انْزِلْ لَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ" . فَقُلْتُ لاِبْنِهِ كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ فَلاَ يَخْرُجُ مِنْهُ لِحَاجَةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ فَإِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَجَدَ دَابَّتَهُ عَلَى

(1380) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उनैस जोहनी(ﷺ) का बयान है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं दिहात में रहता हूँ और बिहम्दिल्लाह वहीं नमाज़ पढ़ता हूं। तो आप मुझे किसी रात (लैलतुलक़द्र) के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायें कि उस रात में यहां इस मस्जिद में आ जाऊं। आपने फ़रमाया: 'तेईसवीं की रात को आ जाना।'

(मुहम्मद बिन इब्राहीम ने कहा:) मैंने उनके बेटे (ज़मरह बिन अ़ब्दुल्लाह) से कहा: तो तुम्हारे वालिद कैसे किया करते थे? उन्होंने कहा: वह अ़स्र पढ़कर मस्जिद में दाख़िल हो जाया करते थे और किसी हाजत के लिए बाहर न निकलते थे, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ते। पस नमाज़े सुबह के बाद अपनी

بَابِ الْمَسْجِدِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَلَحِقَ بِبَادِيَتِهِ

सवारी मस्जिद के दरवाज़े पर पाते थे, उस पर बैठते और अपनी मन्ज़िल पर (दिहात में) चले आते।

(1380) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 4/309, 310, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2200, मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इबादत के ख़ास अज्र के लिए दुनिया की तीन मसाजिद ख़ास हैं और इस मक़सद से उनका सफ़र करना मशरूअ है। मस्जिदुल हराम, मस्जिदे नबवी और बैतुल मक्दिस। और बग़र्ज़े फ़ज़ीलते इबादत किसी और मक़ाम का सफ़र करना नाजायज़ है, नीज़ औक़ाते फ़ज़ीलत में इबादत का ख़ास एहतमाम करना मरग़ूब है। **(2)** ख़्याल रहे कि औक़ाते फ़ज़ीलत भी शरीअत ने बयान कर दिए हैं। ये क़यासी मसला नहीं है जैसे कि आज कल लोगों ने मिलादुन्नबी या मेअराज की रात और दिन को अपनी तरफ़ से ख़ास फ़ज़ीलत का हामिल तसव्वुर कर लिया है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى وَفِي سَابِعَةٍ تَبْقَى وَفِي خَامِسَةٍ تَبْقَى "

(1381) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'लैलतुलक़द्र को रमज़ान की आख़री दस (रातों) में तलाश करो। आख़री नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में।'

(1381) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2021.

फ़ायदा : अरब का तारीख़ शुमार करने में एक दस्तूर ये भी है कि जब महीना निस्फ़ से आगे बढ़ जाता है तो वह इसके बक़िया दिनों से तारीख़ बताते हैं। और क़मरी महीना कभी तीस दिन का होता है और कभी उन्तीस का। इस तरह आख़री नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात के दो एहतमाम होते हैं। अगर महीना तीस दिनों का हो तो ये रातें बाईसवीं, चौबीसवीं और छब्बीसवीं बनती हैं। और आख़िर की जानिब से ताक़ रातें बनती हैं। और अगर उन्तीस दिनों का हो तो ये रातें इक्कीसवीं, तईसवीं और पच्चीसवीं होती हैं ... इस दो मानी वाले इरशाद से रमज़ान के आख़री पूरे अशरे बिलख़ुसूस इन तीन रातों की फ़ज़ीलत साबित होती है। और इस लैलतुलक़द्र को मख़फ़ी रखने की हिकमत ये है कि बन्दे ज़्यादा से ज़्यादा इबादत का एहतमाम करके अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करें।

बाब : 3
इक्कीसवीं रात के लैलतुल क़द्र होने की दलील

﴿3﴾ باب فِيمَنْ قَالَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ فَاعْتَكَفَ عَامًا حَتَّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ قَالَ " مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ مِنْ صَبِيحَتِهَا فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ وَالْتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ " . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمُطِرَتِ السَّمَاءُ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ فَوَكَفَ الْمَسْجِدُ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَبْصَرَتْ عَيْنَاىَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أَثَرُ الْمَاءِ وَالطِّينِ مِنْ صَبِيحَةِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ

(1382) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रमज़ान के दरम्यानी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे। आपने एक साल एतकाफ़ किया, यहाँ तक कि जब इक्कीसवीं रात आ गई और (इससे पहले) आप इस रात को अपने एतकाफ़ से निकल आया करते थे, तो आपने फ़रमाया: 'जिसने मेरे साथ एतकाफ़ किया है तो वह आख़री अशरह एतकाफ़ करे। मैंने इस रात (लैलतुल क़द्र) को देखा है, मगर भूला दिया गया हूँ। और मैंने अपने आपको देखा है कि इसकी सुबह को पानी और मिट्टी (कीचड़) में सज्दा कर रहा हूँ। चूनांचे तुम उसे आख़री अशरे में तलाश करो और उसे हर ताक़ रात में तलाश करो।'

हज़रत अबू सईद (ﷺ) फ़रमाते हैं: चूनांचे इस रात बारिश हो गई और मस्जिद की छत, जो झाड़ियों की बनी हूई (छप्परनुमा) थी, टपक पड़ी। मेरी आँखों ने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की पेशानी और नाक पर पानी और मिट्टी (कीचड़) का निशान था और ये इक्कीसवीं रात की सुबह थी।

(1382) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2027, व मुस्लिम, हदीस: 1167, मौता, हदीस: 1/319, हदीस: 794, 795, 911 में देखें।

(1383) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे रमज़ान के आख़री अशरे में तलाश करो। नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात में तलाश करो।' (यानी आख़िर महीना से)

मैंने कहा: ऐ अबू सईद! आप गिनती हमसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा: हाँ। मैंने कहा: नवीं, सातवीं और पाँचवीं से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: जब इक्कीसवीं गुज़र जाये तो उसके बाद वाली नवीं है और जब तेईसवीं गुज़र जाये तो उसके बाद वाली सातवीं है और जब पच्चीसवीं गुज़र जाये तो उसके बाद वाली पांचवीं है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मुझे नहीं मालूम कि इस हदीस में मुझ पर कोई अम्र मख़्फ़ी रहा है या नहीं। (क्योंकि हतमी तारीख़ के ताय्युन में शुब्हा सा रहता है)

(1383) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 1167.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ " . قَالَ قُلْتُ يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا . قَالَ أَجَلْ . قُلْتُ مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ قَالَ إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ وَإِذَا مَضَى ثَلاَثٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لاَ أَدْرِي أَخَفِيَ عَلَىَّ مِنْهُ شَىْءٌ أَمْ لاَ

बाब : 4
सतरहवीं रात के लैलतुल क़द्र होने की रिवायत

﴿4﴾ باب مَنْ رَوَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ

(1384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमसे फ़रमाया: 'इसे यानी लैलतुल क़द्र को) रमज़ान की सतरहवीं, इक्कीसवीं और तेईसवीं रात में तलाश करो।' फिर ख़ामोश हो रहे।

حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - عَنْ زَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي أُنَيْسَةَ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اطْلُبُوهَا لَيْلَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ مِنْ رَمَضَانَ وَلَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَلَيْلَةَ ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ " . ثُمَّ سَكَتَ

(1384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 4/310.

﴿5﴾ باب مَنْ رَوَى فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ

बाब : 5 आख़री सात रातों में लैलतुल क़द्र का होना

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ"

(1385) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आख़री सात रातों में शबे क़द्र तलाश करो।'

(1385) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 1165, मौता, हदीस: 1/320.

फ़ायदा : इसमें भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। आख़री सात रातों में ताक़ और जुफ़्त दोनों ही शामिल हैं। अगर सिर्फ़ ताक़ रातें मुराद ली जायें तो सतरहवीं रात से शुमार करना होगा।

﴿6﴾ باب مَنْ قَالَ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ

बाब : 6 सत्ताईसवीं रात के लैलतुल क़द्र होने का बयान

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُطَرِّفًا، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قَالَ " لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ "

(1386) हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़ियान(ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'सत्ताईसवीं की रात शबे क़द्र है।'

(1386) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस: 4/321, इब्ने हिब्बान, हदीस: 925.

फ़ायदा : इमाम शाफ़ेई वग़ैरह कहते हैं कि जिन मुख़्तलिफ़ रातों में लैलतुल क़द्र होने का ज़िक्र है, वह हमेशा के लिए नहीं है बल्कि ये हस्बे हाल सवालों के जवाबात थे। जैसे वह कहते कि क्या हम इसे फ़लां रात में तलाश करें? आप फ़रमाते: हाँ! फ़लां रात में तलाश करो। वल्लाहू आलम और जिसने जो सुना उसी का क़ायल रहा। और सत्ताईसवीं रात के शबे क़द्र होने के क़ायलीन की तादाद बहुत ज़्यादा है।

﴿7﴾ بَاب مَنْ قَالَ هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ زَنْجُويَهْ النَّسَائِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَقَالَ " هِيَ فِي كُلِّ رَمَضَانَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عُمَرَ لَمْ يَرْفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

बाब : 7
पूरे रमज़ान में लैलतुल क़द्र होने का बयान

(1387) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा गया जबकि मैं सुन रहा था, आपने फ़रमाया: 'ये सारे रमज़ान में होती है।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको सुफ़ियान और शौबा ने अबू इस्हाक़ से, इब्ने उमर से मौक़ूफ़न रिवायत किया है और नबी (ﷺ) तक मरफ़ूअ बयान नहीं किया है।

(1387) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 4/307, मुसनद अहमद, हदीस: 5/318, 361, 364 वग़ैरह.

फ़ायदा : लैलतुल क़द्र के रमज़ानुल मुबारक में होने में तो कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। इसके अलावा दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि ये आख़री अशरे की ताक़ रातों में से कोई एक रात होती है और इनमें से भी कुछ के नज़दीक 27वीं शब का इम्कान ज़्यादा है। वल्लाहू आलम, बाक़ी रही ये रिवायत जिसमें सारे रमज़ान में होने की सराहत है, इसके मरफ़ूअ होने में इख़्तिलाफ़ है, जैसा कि ख़ुद इमाम अबू दाऊद ने भी वज़ाहत की है। शैख़ अलबानी (रह.) ने भी इसको मौक़ूफ़ ही सही तस्लीम किया है। इसी तरह हदीस: 1384 भी ज़ईफ़ है जिसमें सतरहवीं रात में भी होने के इम्कान का ज़िक्र है।

क़िराअते कुर्आन, इसके जुज़ मुक़र्रर करने और तरतील से पढ़ने के मसाइल

बाब : 8
कुर्आन करीम कम से कम कितने दिनों में ख़त्म किया जाये?

﴾8﴿
باب فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عِشْرِينَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي عَشْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْ فِي سَبْعٍ وَلاَ تَزِيدَنَّ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسْلِمٍ أَتَمُّ

(1388) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया था: 'क़ुर्आन करीम को एक महीने में ख़त्म किया करो।' उन्होंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'बीस दिनों में ख़त्म किया करो।' कहा: मुझे इससे ज़्यादा की ताक़त है। फ़रमाया: 'पन्द्रह दिनों में ख़त्म किया करो।' उन्होंने कहा: मैं इससे भी ज़्यादा की ताक़त पाता हूँ। आपने फ़रमाया: 'दस दिनों में ख़त्म किया करो।' कहा: मुझे इससे भी ज़्यादा की हिम्मत है। फ़रमाया: 'सात दिन में ख़त्म किया करो और इससे कम हरगिज़ न करना।'

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि मुस्लिम बिन इब्राहीम की रिवायत ज़्यादा कामिल है।

(1388) तख़रीज : (सनद सही) मुत्तफ़क़ अ़लैहि, बुख़ारी, हदीस: 5054, व मुस्लिम, हदीस: 1159.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद को कम अज़ कम एक हफ़्ते में ख़त्म करना चाहिए और ये अफ़ज़ल है। ताहम तीन दिन से कम में क़ुर्आन मजीद ख़त्म करना अज़ हद मकरूह है जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है। इसी मुनासिबत से क़ुर्आन मजीद के तीस पारे और सात मनाज़िल बनाई गई हैं, मगर ये रसूलुल्लाह (ﷺ), या सहाबा किराम (رضي الله عنهم) की तक़सीम नहीं है बल्कि बाद की है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ فَقَالَ " صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " . قَالَ عَطَاءٌ وَاخْتَلَفْنَا عَنْ أَبِي فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَقَالَ بَعْضُنَا خَمْسًا

(1389) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़रमाया: 'हर महीने तीन दिन रोज़े रखो और एक महीने में क़ुर्आन पढ़ो।' आप मुझसे कमी करवाते रहे और मैं कमी करता रहा। बिलआख़िर आपने फ़रमाया: 'एक दिन रोज़ा रखो और एक दिन इफ़्तार करो।'

अ़ता कहते हैं कि मैंने और मेरे साथियों ने मेरे वालिद (सायब) से रिवायत करने में इख़्तिलाफ़ किया। हममें से कुछ सात दिन रिवायत करते हैं और कुछ पाँच (यानी क़िराअते क़ुर्आन में)

(1389) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 2/162, 216.

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَمْ أَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ - يُرَدِّدُ الْكَلاَمَ أَبُو مُوسَى - وَتَنَاقَصَهُ حَتَّى قَالَ " اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ " . قَالَ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ

(1390) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर (رضي الله عنه) कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह(सअव)! मैं कितने दिनों में क़ुर्आन पढ़ूं? आपने फ़रमाया: 'एक महीने में' उन्होंने कहा: मैं इससे ज़्यादा की ताक़त रखता हूं। अबू मूसा (इब्ने मुसन्ना) ने ये जुमला बार बार दोहराया। यानी उन्होंने इस मुद्दत में कमी चाही। बिलआख़िर आपने फ़रमाया: 'सात दिनों में पढ़ो।' उन्होंने कहा: मैं इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने

. قَالَ " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ "

फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तीन दिन से कम में क़ुर्आन पढ़ा, उसने उसे समझा ही नहीं।'

(1390) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/195, व इब्ने माजा, हदीस: 1347, व तिर्मिज़ी, हदीस: 2949.

फ़ायदा : क़ुर्आन मजीद की तिलावत फ़हम पर मबनी होनी चाहिए ख़्वाह थोड़ी हो या ज़्यादा। आमी और अजमी लोगों के लिए बग़ैर समझे तिलावत भी यक़ीनन बाइसे अज्र व सवाब है और मतलूब भी, मगर इल्म व फ़हम की अहमियत और फजीलत मुसल्लम है। ज़ाती अमल की इस्लाह और अम्र बिलमअरूफ़ व नही अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा इसी पर मबनी है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَطَّانُ، خَالُ عِيسَى بْنِ شَاذَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا الْحَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ " . قَالَ إِنَّ بِي قُوَّةً . قَالَ " اقْرَأْهُ فِي ثَلاَثٍ " . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ - يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ - يَقُولُ عِيسَى بْنُ شَاذَانَ كَيِّسٌ

(1391) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया: 'क़ुर्आन एक महीने में पढ़ा करो।' उन्होंने कहा: मुझमें (इससे ज़्यादा की) ताक़त है। आपने फ़रमाया: 'इसे तीन रोज़ में मुकम्मल पढ़ा करो।'

अबू अली लूलूई (रावी सुनन अबी दाऊद) कहते हैं: मैंने इमाम अबू दाऊद को ये कहते हूए सुना कि इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे कि ईसा बिन शाज़ान दाना आदमी है।

(1391) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 2/188.

फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम हूआ कि एक रात मैं क़ुर्आन ख़त्म करना मकरूह और ग़लत है। और कुछ लोग जो अपने इमामों की शान में ये बयान करते हैं कि वह रात के वुज़ू से फ़ज्र की नमाज़ अदा करते थे, रात को हज़ार रकअत पढ़ते और क़ुर्आन मजीद ख़त्म करते थे, तो ये सब बातें नादान लोगों की ख़ूद साख़्ता हैं। इनमें उन बुज़ुर्गों की तरफ़ ग़लती और मुख़लिफ़ते सुन्नत की निस्बत है। हालांकि अइम्म–ए किराम सुन्नते रसूल पे अमल करने वाले और इसी के क़ायल व फ़ाइल थे। ऐसी बेसरो पा बातों से उनका मक़ाम व मर्तबा किसी तौर बढ़ता नहीं है। (देखिए: मैयारूल हक़ अज़ शैख़ुल कुल सईद नज़ीर हुसैन

मोहद्दिस देहलवी (रह.) ग़ौर करने की बात है कि बीच दर्जे के दिनों की रातें बारह घंटे की होती हैं। इसमें से इशा और फ़ज्र के औक़ात जो कम व बेश चार घंटे होते हैं इन्हें अलग कर दें तो सिर्फ़ आठ घंटे यानी 480 मिनट बाक़ी बचते हैं। अगर इतनी देर में एक हज़ार रकअतें पढ़ी जायें तो एक रकअत के लिए बमुश्किल बीस पच्चीस सैकण्ड मिलेंगे। आख़िर इतने वक़्त में जिस रफ़्तार से नमाज़ पढ़ी जायेगी वह इबादत होगी या खेल? बल्कि मशीन बनकर रह जायेगी इसलिए ये यक़ीनी है कि इस तरह की बातें अक़ीदतमंदों ने गढ़कर इमाम की तरफ़ मन्सूब कर दी है वरना हाल ये कि ख़ूद इमाम ने ये काम नहीं किया है।

बाब : 9
क़ुर्आन मजीद के पारे और हिस्से करना

﴿9﴾
باب تَحْزِيبِ الْقُرْآنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، قَالَ سَأَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَقَالَ لِي فِي كَمْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقُلْتُ مَا أُحَزِّبُهُ . فَقَالَ لِي نَافِعٌ لاَ تَقُلْ مَا أُحَزِّبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " قَرَأْتُ جُزْءًا مِنَ الْقُرْآنِ " . قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ ذَكَرَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

(1392) इब्ने अलहाद कहते हैं कि जनाब नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम (ताबेई) ने मुझसे पूछा कि तुम कितने दिनों में क़ुर्आन पढ़ते हो? मैंने कहा कि मैं इसके (लाज़मी) हिस्से नहीं करता हूँ (बल्कि जो तोफ़ीक़ होती है पढ़ लेता हूँ) इस पर जनाब नाफ़ेअ ने कहा कि इस तरह मत कहो कि मैं इसके हिस्से नहीं करता क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'मैंने क़ुर्आन का एक जुज़ (हिस्सा) पढ़ा।' (इब्ने अलहाद ने) कहा: मेरा ख़याल है कि शैख़ ने इसको मुग़ीरह बिन शौबा (رضي الله عنه) से रिवायत किया है।

(1392) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद.

फ़ायदा : 'हिज़्ब' (हिस्सा) का मतलब है 'बतौर विर्द और वज़ीफ़े के कोई हिस्सा मुक़र्रर कर लेना' बुज़ुर्ग मोसूफ़ ने ऐसा करने का इन्कार किया, जिस पर नाफ़ेअ (रह.) ने कहा, उसके इन्कार की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हिस्से हिस्से करके क़ुर्आन पढ़ना ख़ूद नबी (ﷺ) से साबित है। चूनांचे क़ुर्आन करीम के जो हिस्से (रूबअ, निस्फ़, सुलुस और जुज़ (पारह वग़ैरह) बने हूए हैं , इस तरह रूकूअ भी,

ये अगरचे रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुक़र्रर करदा नहीं हैं लेकिन ये अवाम की आसानी के लिए बनाये गये हैं। और इसकी बुनियाद यही हदीस़ और इस क़िस्म की दीगर अहादीस़ हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ جَدِّهِ، - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ أَوْسُ بْنُ حُذَيْفَةَ - قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ - قَالَ - فَنَزَلَتِ الأَحْلاَفُ عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَأَنْزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَنِي مَالِكٍ فِي قُبَّةٍ لَهُ . قَالَ مُسَدَّدٌ وَكَانَ فِي الْوَفْدِ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ثَقِيفٍ قَالَ كَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ يَأْتِينَا بَعْدَ الْعِشَاءِ يُحَدِّثُنَا . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ قَائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يُرَاوِحَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ وَأَكْثَرُ مَا يُحَدِّثُنَا مَا لَقِيَ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَقُولُ لاَ سَوَاءً كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مُسْتَذَلِّينَ - قَالَ مُسَدَّدٌ بِمَكَّةَ - فَلَمَّا خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتْ سِجَالُ

(1393) हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा (ﷺ) बयान करते हैं कि हम स़क़ीफ़ के वफ़्द के साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए। (इस वफ़्द में से) हलीफ़ लोग हज़रत मुग़ीरह बिन शौबा (ﷺ) के मेहमान बन गये और (दूसरे) बनी मालिक को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने एक ख़ैमे में इक़ामत दी। मुसद्दद ने कहा कि औस बिन हनीफ़ा इस वफ़्द में शामिल थे जो स़क़ीफ़ की तरफ़ से रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था। औस बिन हनीफ़ा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इशा के बाद हमारे यहां रोज़ाना तशरीफ़ लाते और बातचीत करते थे। अबू सईद ने कहा: आप अपने पाँव पर खड़े खड़े बातें करते और ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से कभी एक पाँव पर ज़ोर देकर खड़े होते कभी दूसरे पर। और आप (ﷺ) बिलउमूम अपनी क़ौम क़ुरैश के साथ बीते हालात बयान फ़रमाया करते। फ़रमाते: 'हम बराबर न थे, बल्कि कमज़ोर व नातवां थे ... मुसद्दद के अलफ़ाज़ हैं: 'मक्के में ... जब हम मदीने आ गये तो हममें और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। कभी हम उन पर ग़ालिब आते कभी वह। 'एक रात आप (ﷺ) ने अपने मुक़र्रर वक़्त पर आने में ताख़ीर कर दी तो हमने कहा आज रात आप ताख़ीर से तशरीफ़ लाये हैं? फ़रमाया: 'मेरा

الْحَرْبِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ نُدَالُ عَلَيْهِمْ وَيُدَالُونَ عَلَيْنَا فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةً أَبْطَأَ عَنِ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَأْتِينَا فِيهِ فَقُلْنَا لَقَدْ أَبْطَأْتَ عَنَّا اللَّيْلَةَ . قَالَ إِنَّهُ طَرَأَ عَلَىَّ جُزْئِي مِنَ الْقُرْآنِ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجِيءَ حَتَّى أُتِمَّهُ . قَالَ أَوْسٌ سَأَلْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَيْفَ يُحَزِّبُونَ الْقُرْآنَ قَالُوا ثَلاَثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَإِحْدَى عَشْرَةَ وَثَلاَثَ عَشْرَةَ وَحِزْبُ الْمُفَصَّلِ وَحْدَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ أَتَمُّ

एक जुज़ कुर्आन का रह गया था, मैंने उसकी तिलावत मुकम्मल किये बग़ैर आना पसन्द न किया।'

औस कहते हैं: मैंने अस्हाबे रसूलुल्लाह (ﷺ) से मालूम किया कि आप लोग कुर्आन के हिस्से किस तरह करते हैं? तो उन्होंने कहा कि पहला हिस्सा तीन सूरतों का (बक़र:, आले इमरान और निसा) दूसरा हिस्सा पाँच सूरतों का (मायदा से बराअत तक) तीसरा हिस्सा सात सूरतों का (यूनुस से नहल तक) चौथा हिस्सा नो सूरतों का (बनी इस्राईल से फ़ुरक़ान तक) पांचवाँ हिस्सा ग्यारह सूरतों का (शूअरा से यासीन तक) छठा हिस्सा तेरह सूरतों का (साफ़्फ़ात से हुजूरात तक) और सातवां हिस्सा मुफ़स्सल का (क़ाफ से आख़िर तक).

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू सईद की हदीस सही है।

(1393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1345, इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : इस रिवायत में इशारा है कि मौजूदा मारूफ़ मनाज़िले कुर्आन, करने अव्वल में मअमूल बिहा थीं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ "

(1394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने तीन दिन से कम में कुर्आन पढ़ा उसने उसे समझा ही नहीं।'

(1394) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2949, व इब्ने माजा, हदीस: 1347.

حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ " فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا " . ثُمَّ قَالَ " فِي شَهْرٍ " . ثُمَّ قَالَ " فِي عِشْرِينَ " . ثُمَّ قَالَ " فِي خَمْسَ عَشْرَةَ " . ثُمَّ قَالَ " فِي عَشْرٍ " . ثُمَّ قَالَ " فِي سَبْعٍ " . لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ

(1395) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने नबी (ﷺ) से पूछा कि कितने दिनों में क़ुर्आन पढ़ा जाये? आपने फ़रमाया: 'चालीस दिनों में' फिर फ़रमाया: 'एक महीने में' फिर कहा: 'बीस दिनों में' फिर कहा: 'पन्द्रह दिनों में' फिर कहा: 'दस दिनों में' फिर कहा: 'सात दिनों में' और सात से कम नहीं किया।

(1395) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2947.

फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें (लम यन्ज़िल मिन सबइन) के अलफ़ाज़ सही नहीं, क्योंकि सही रिवायत (1391) में 'तीन दिन में पढ़' का हुक्म है।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدِ، قَالاَ أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ . فَقَالَ أَهَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ وَنَثْرًا كَنَثْرِ الدَّقَلِ لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ النَّظَائِرَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ الرَّحْمَنَ وَالنَّجْمَ فِي رَكْعَةٍ وَاقْتَرَبَتْ وَالْحَاقَّةَ فِي رَكْعَةٍ وَالطُّورَ وَالذَّارِيَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَإِذَا وَقَعَتْ وَن فِي رَكْعَةٍ وَسَأَلَ سَائِلٌ وَالنَّازِعَاتِ فِي رَكْعَةٍ وَوَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَعَبَسَ فِي رَكْعَةٍ وَالْمُدَّثِّرَ

(1396) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) के पास एक शख़्स आया और कहने लगा कि मैं एक रकअ़त में पूरा जुज़्वे मुफ़स्सल (आख़री मन्ज़िल) पढ़ लेता हूँ। उन्होंने कहा: क्या तुम शेअ़रों की तरह जल्दी जल्दी पढ़ते हो? या सूखी रद्दी खजूरों की तरह बिखेरते हो? हालांकि नबी(सअव) यकसां क़िस्म की दो दो सूरतें एक रकअ़त में पढ़ा करते थे। 'अन्नज़्म और अर्रहमान' एक रकअ़त में। 'इक़्तरबत और अलहाक़्क़ा' एक रकअ़त में। 'अत्तूर और अज़ ज़ारियात' एक रकअ़त में। 'इज़ा वक़अ़त और नुन' एक रकअ़त में। 'सअला साइल और अन्नाज़ियात' एक रकअ़त में। 'वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन और अबस' एक रकअ़त में। 'अलमुद्दस्सिर और अलमुज़्ज़म्मिल' एक

وَالْمُزَّمِّلَ فِي رَكْعَةٍ وَهَلْ أَتَى وَلاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي رَكْعَةٍ . وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلاَتِ فِي رَكْعَةٍ وَالدُّخَانَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ فِي رَكْعَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا تَأْلِيفُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

रकअत में। 'हल अता और ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामति' एक रकअत में। 'अम्मा यतसाअलून और अलमुरसलात' एक रकअत में। 'अद्दुख़ान और इज़श्शम्सु कुव्विरत' एक रकअत में।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सूरतों की ये मज़कूरह तर्तीब हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की तालीफ़ है। (यानी इनके मुसहफ़ की तर्तीब इस तरह थी)

(1396) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 1/418, बुख़ारी, हदीस: 4993, व मुस्लि, हदीस: 822.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें सूरतों की तफ़सील सही नहीं है। **(2)** क़ुर्आन मजीद को तरतील और फ़हम के बग़ैर पढ़ना मकरूह व मअ़यूब है। अलबत्ता आमी और सादा लोह लोग अलग हैं। **(3)** रसूलुल्लाह (ﷺ) का नमाज़े तहज्जुद में सूरह बक़रः, निसा और आले इमरान वग़ैरह पढ़ना कुछ औक़ात पर महमूल है, वरना आपकी क़िराअत मुतवस्सित हूआ करती थी। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी ज़िन्दगी ही में क़ुर्आन मजीद मुदव्वन व मुरत्तब करवा दिया था, मगर वह मुख़्तलिफ़ औराक़, तख़्तीयों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया था। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ और बाद अज़ां हज़रत उस्मान (ﷺ) ने एक मुसहफ़ और एक क़िराअत पर जमा फ़रमाया। मुख़्तलिफ़ सहाबा किराम(ﷺ) के पास जो अपने अपने नुस्ख़े थे उनकी तर्तीब मुख़्तलिफ़ थी।

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ "

(1397) अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से पूछा जबकि वह बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात को सूरह बक़रः की आख़री दो आयतें पढ़ ले, ये उसको काफ़ी हो जाती हैं।'

(1397) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5008, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 807.

फ़ायदा : सूरह बक़रः की आख़री आयात का 'काफ़ी' होना, या किफ़ायत करना, कई मानी का मुहतमिल है। जैसे क़यामुल लैल से काफ़ी हैं। या शैतान और दीगर आफ़ात वग़ैरह से तहफ़्फ़ुज़ (सुरक्षा) का बाइस़ हैं। ये सभी मुराद हैं। ये भी हो सकता है कि कम से कम ये क़िराअत लम्बी क़िराअत से किफ़ायत करती हैं।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا سَوِيَّةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ حُجَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ حُجَيْرَةَ الأَصْغَرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ

(1398) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अलआ़स (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(सअव) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने दस आयतों से क़याम किया वह ग़ाफ़िलों में शुमार नहीं होता। और जो सो आयतों से क़याम करे वह 'क़ानितीन' (आ़बिदीन) में लिखा जाता है। और जो हज़ार आयतों से क़याम करे वह 'मुक़ंतरीन' (बेइन्तेहा स़वाब जमा करने वालों) में लिखा जाता है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने हुजेरह अलअ़स़गर से मुराद अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन हुजेरह है।

(1398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1144, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 662.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلاَلٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،

(1399) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कुछ क़ुर्आन पढ़ायें। आपने फ़रमाया: 'तीन सूरतें पढ़ो जिनकी इब्तेदा में 'अलिफ लाम रा' है। (यूनुस, हूद और यूसुफ़) उसने कहा:

قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَقْرِئْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ " اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ الرَّاءِ " . فَقَالَ كَبِرَتْ سِنِّي وَاشْتَدَّ قَلْبِي وَغَلُظَ لِسَانِي . قَالَ " فَاقْرَأْ ثَلاَثًا مِنْ ذَوَاتِ حم " . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ . فَقَالَ " اقْرَأْ ثَلاَثًا مِنَ الْمُسَبِّحَاتِ " . فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْرِئْنِي سُورَةً جَامِعَةً . فَأَقْرَأَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا . فَقَالَ الرَّجُلُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَزِيدُ عَلَيْهَا أَبَدًا ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ " . مَرَّتَيْنِ

मेरी उमर बड़ी हो गई है। दिल सख़्त हो गया है (निस्यान ग़ालिब है) और ज़बान मोटी हो गई है (इस वजह से ये बड़ी बड़ी सूरतें याद नहीं कर सकता) आपने फ़रमाया: तो 'हा मीम' वाली तीन सूरतें पढ़ लो। उस पर भी उसने अपनी पहली बात ही कही। आपने फ़रमाया: तो 'मुसब्बिहात वाली तीन सूरतें याद कर लो' (जिनके शुरू में सब्बह या युसब्बिहु आता है) उस पर भी उसने अपनी वही बात दोहराई और कहने लगा। ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई जामेअ सूरत पढ़ा दिजिए। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसको सूरह 'इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु' पढ़ाई, आख़िर तक। तब वह शख़्स कहने लगा क़सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है! मैं इससे कभी ज़्यादा न करूंगा। फिर वह पीठ फेरकर चला गया तो नबी (ﷺ) ने दो मर्तबा फ़रमाया: 'इस छोटे से मर्द ने निजात पाई।'

(1399) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 2/169, नसाई हदीस: 8027, इब्ने हिब्बान, हदीस: 472, हाकिम, हदीस: 2/532.

बाब : 10
आयतों का शुमार करना

﴿10﴾
باب في عدد الآي

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُشَمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً تَشْفَعُ لِصَاحِبِهَا حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ)

(1400) सय्यदना अबूहुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'क़ुर्आन करीम की एक सूरत तीस आयतों वाली, अपने पढ़ने वाले के लिए सिफ़ारिश करेगी, यहाँ तक कि उसे बख़्श दिया जायेगा।' (मुराद है)

' تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ '

(1400) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3786, तिर्मिज़ी, हदीस़: 2891 इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1766, हाकिम, हदीस़: 2/497, 498.

फ़ायदा : इस हदीस़ में सूरह मुल्क को बतौरे विर्द वज़ीफ़ा इख़्तियार करने की फ़ज़ीलत का बयान है, नीज़ ये भी है कि बिस्मिल्लाह सूरत की आयात का जुज़ (हिस्सा) नहीं है।

كتاب سجود القرآن

सज्द-ए-तिलावत के अहकाम व मसाइल

- सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है, लिहाज़ा इसे बिला वजह तर्क नहीं करना चाहिए, अलबत्ता ये सज्दा वाजिब नहीं है कि इन्सान के तर्क करने पर वह गुनाहगार हो क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) ने नबी करीम(ﷺ) के सामने सूरह अन नज्म की आयत तिलावत की और सज्दा न किया। (सही अलबुख़ारी, सुजूदुल कुर्आन व सुननुहा, हदीस: 1072, 1073) इसी तरह अमीरूल मोमिनीन हज़रत उमर (ﷺ) से साबित है कि उन्होंने मिम्बर पर सूरह नहल की आयते सज्दा पढ़ी और मिम्बर से उतरकर सज्दा किया और फिर उन्होंने दूसरे जुमा में इस आयत की तिलावत की और सज्दा न किया और फ़रमाया कि अल्लाह तआला ने हम पर सज्द-ए-तिलावत फ़र्ज़ नहीं किया। मगर ये कि हम ख़ूद सज्दा करना चाहें और आपने ये काम कई बार सहाबा की मौजूदगी में किया। (सही अल बुख़ारी, सुजूदुल कुर्आन, हदीस: 1077)
- नबी करीम (ﷺ) और हज़रत उमर (ﷺ) के अमल से वाज़ेह होता है कि सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न किया जाये, ख़्वाह फ़ज्र के बाद का वक़्त ही क्यों न हो, जिसमें नमाज़ पढ़ने की मुमानिअत है।

⊙ सज्द-ए-तिलावत भी सज्द-ए-नमाज़ की तरह है। अफ़ज़ल ये है कि आदमी सीधा खड़ा होकर फिर सज्दे के लिए झुके, सात आज़ा (पार्ट) पर सज्दा करे। सज्दे को जाते और सज्दे से सर उठाते हूए अल्लाहु अकबर कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये साबित है कि आप नमाज़ में हर बार नीचे झुकते और ऊपर उठते वक़्त अल्लाहू अक़बर कहते थे, जब सज्दे से सर उठाते तो भी अल्लाहू अकबर कहते। (सुनन नसाई, अत्तत्बीक, हदीस: 1150, 1151) हज़रत अबू हुरैरह और कई दीगर सहाबा किराम (ﷺ) से मरवी अहादीस में इसी तरह बयान किया गया है। सज्द ए-तिलावत भी चूंकि सज्द-ए-नमाज़ ही है और दलाइल से यही ज़ाहिर होता है, लिहाज़ा इसके लिए भी अल्लाहू अकबर कहा जाये लेकिन नमाज़ से बाहर सज्दे की सूरत में सिर्फ़ सज्दे के आग़ाज़ में अल्लाहू अकबर कहना मरवी है और यही तरीक़ा मअरूफ़ है जैसा कि इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद (रह.) ने रिवायत किया है। (सुनन अबी दाऊद, सुजूदुल कुर्आन, हदीस: 1413 व मुसनद अहमद: 2/17) नमाज़ के अलावा सज्दे से सर उठाते वक़्त अल्लाहू अकबर या सलाम कहना मरवी नहीं। कुछ अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि सज्दे को जाते वक़्त अल्लाहू अकबर कहे और फ़ारिग़ होकर सलाम भी फेरे लेकिन ये किसी हदीस से साबित नहीं, लिहाज़ा नमाज़ के अलावा सज्दे की सूरत में

सिर्फ़ तकबीरे ऊला ही लाज़िम है।

- सज्द-ए-तिलावत क़ारी और सामेअ़ (पढ़ने और सुनने वाले) के लिए सुन्नत है। अगर क़ारी सज्दा करे तो सामेअ़ को भी क़ारी की इत्तेबाअ़ की वजह से सज्दा करना चाहिए।
- जहरी नमाज़ों में ऐसी सूरतों की क़िराअत भी जायज़ है जिसकी आख़री या दरम्यानी या कोई भी आयत सज्दे वाली हो।
- अफ़ज़ल और औला यही है कि सज्द-ए-तिलावत बावुज़ू और क़िब्ला रू होकर किया जाये।
- क़ुर्आन मजीद में कुल 15 सज्दे हैं। अहनाफ़ और शवाफ़ेअ 14 सज्दों के क़ायल हैं। अहनाफ़ सूरह हज में एक सज्दे के क़ायल हैं जबकि सूरह हज में दो सज्दों का सुबूत अहादीस़ से मिलता है, ये अहादीस़ अगरचे सनदन ज़ईफ़ हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने कस़ीर (रह.) फ़रमाते हैं कि इनके कुछ शवाहिद भी हैं जो एक दूसरे की तक़वीयत का बाइस हैं (तफ़सीर इब्ने कस़ीर, सूरह अल अंबिया, आयत: 18) नीज़ मुहक़्क़िक़े अ़स्र शैख़ अलबानी (रह.) ने भी इसे स़हीह क़रार दिया है। (तअ़लीक़ातुल मिश्कात, बाब सुजूदुल क़ुर्आन, हदीस़: 1030) नीज़ अबू दाऊद की हदीस़ को, जिसमें सूरह हज के दो सज्दों का ज़िक्र है, शैख़ ज़ुबैर अ़ली ज़ई (रह.) ने हसन क़रार दिया है। मुलाहिज़ा हो हदीस़: 1402 की तख़रीज व तहक़ीक़। शवाफ़ेअ सूरह सॉद के सज्दे के क़ायल नहीं हैं जबकि स़हीह बुख़ारी में रिवायत है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को सूरह सॉद का सज्दा करते हूए देखा है। (स़ही अलबुख़ारी, सुजूदुल क़ुर्आन, हदीस़: 1069) अहादीस़ से क़ुर्आन पाक में 15 सुजूदे तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा क़ुर्आन मजीद की तिलावत करते हूए 15 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है।
- सज्द-ए-तिलावत की मअ़रूफ़ दुआ 'सजदा वज्हिया लिल्लज़ी खलक़हू व सव्वरहू व शक्का सम्अ़हू व बस़रहू तबारकल्लाहु अहसनुल खालिक़ीन' (स़हीह मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 771) का सज्द-ए-नमाज़ में पढ़ना तो स़ही स़ाबित है मगर सज्द-ए-क़ुर्आन में इसका पढ़ना स़ही सनद से स़ाबित नहीं। ताहम एक दूसरी दुआ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (رضي الله عنه) से मरवी है, और वह ये है: (अल्लाहुम्मा उक्तुब ली बिहा इन्दका अज्रन व ज़अ़ अन्नी विज़्रन ली इन्दका ज़ुख़्रन व तक़ब्बलहा मिन्नी कमा तकब्बलता मिन अब्दिका दाऊद) (जामेअ़ तिर्मिज़ी, अल्जुमुआ़, बाब मा जाआ मा यक़ूलु फ़ी सुजूदिल क़ुर्आन, हदीस़: 579 व सुनन इब्ने माजा, हदीस़: 1053 व स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमा हदीस़: 562, 563) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसे हसन क़रार दिया है। फ़ुतूहाते रब्बानिया: 2/276 नीज़ इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा, 'हाकिम' इब्ने हिब्बान और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने भी इसे स़ही क़रार दिया है, लिहाज़ा इस दुआ को सज्द-ए तिलावत में पढ़ना चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील के लिए देखें, हदीस़: 1414 के फ़वाइद)

كتاب سجود القرآن

सुजूदे क़ुर्आन के अहकाम व मसाइल

﴿1﴾ باب تَفْرِيعِ أَبْوَابِ السُّجُودِ وَكَمْ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الْبَرْقِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ الْعُتَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنَيْنٍ، - مِنْ بَنِي عَبْدِ كُلاَلٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِي الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ

बाब : 1 सुजूदे तिलावत का बयान और ये कि क़ुर्आन मजीद में कितने सज्दे हैं?

(1401) हज़रत अम्र बिन अलआस़ (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने मुझे क़ुर्आन में पन्द्रह सज्दे पढ़ाये, उनमें से तीन जुज़ मुफ़स्सल (आख़री मंज़िल) में (सूरह अन नज्म, सूरह अल इंशिक़ाक़, और सूरह अलअलक़ में) और दो सूरह हज में है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू अद्दरदा(ﷺ) के वास्ते से नबी (ﷺ) से ग्यारह सज्दे मनक़ूल हैं, अलबत्ता इसकी सनद कमज़ोर है।

(1401) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1057, तिर्मिज़ी, हदीस़: 568, 569, व इब्ने माजा, हदीस़: 1055.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ مِشْرَحَ

(1402) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या सूरह अल हज्ज में

بْنَ هَاعَانَ أَبَا الْمُصْعَبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ قَالَ " نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا"

दो सज्दे हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ! और जो ये न करना चाहे वह इनकी तिलावत ही न करे।'

(1402) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 578.

फ़ायदा : इस हदीस़ से सूरह अलहज में दो सज्दों का सुबूत मिलता है।

﴿2﴾ بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ السُّجُودَ فِي الْمُفَصَّلِ

बाब : 2 उन हज़रात की दलील जो मुफ़स्सल (आख़री मंज़िल) में सज्दे के क़ायल नहीं

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ، - قَالَ مُحَمَّدٌ رَأَيْتُهُ بِمَكَّةَ - حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ

(1403) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मदीना तशरीफ़ लाने के बाद जुज़्वे मुफ़स्सल में किसी मक़ाम पर सज्दा नहीं किया।

(1403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस़: 560, मुस्लिम.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है ताहम सहीह हदीस़ आगे आ रही है। (हदीस़: 1407)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّجْمَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

(1404) हज़रत ज़ैद बिन स़ाबित (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सूरह अन नज्म की तिलावत की, मगर आपने इसमें सज्दा नहीं किया।

(1404) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1073, व मुस्लिम.

फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं है, इसलिए छोड़ा जा सकता है मगर इससे सुस्ती और ग़फ़लत को अपनी आदत बना लेना किसी तरह दुरूस्त नहीं।

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرٍ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ زَيْدٌ الإِمَامَ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا

(1405) ख़ारजा बिन ज़ैद बिन साबित अपने वालिद से वह नबी (ﷺ) से ऊपर दर्ज की गई हदीस के हम मअ़नी रिवायत करते हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ज़ैद इमाम थे और उन्होंने सज्दा नहीं किया।

(1405) तख़रीज : (सनद सही) दारक़ुतनी, हदीस: 1/409, 410, हदीस: 1512, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 566.

फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मफ़हूम ये है कि चूंकि हज़रत ज़ैद (رضي الله عنه) क़िराअत कर रहे थे और साथ ही वह भी इमाम थे, जब इमाम ने सज्दा छोड़ दिया तो नबी (ﷺ) ने भी बहैसियते सामेअ छोड़ दिया। वल्लाहू आलम (औनुल माबूद)

﴾3﴿ بَابُ مَنْ رَأَى فِيهَا السُّجُودَ

बाब : 3 आख़री मंज़िल में सज्द-ए-तिलावत के क़ायेलीन का सबूत

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ فِيهَا وَمَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ

(1406) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूरह अन्नज्म की तिलावत की और इसमें सज्दा किया और हाज़िरीन में से सबने सज्दा किया, सिवाए एक आदमी के। उसने कंकरियों की या मिट्टी की एक मुट्ठी ली और अपने चेहरे की तरफ़ उठाई और कहा: मुझे यही काफ़ी है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह (رضي الله عنه)

يَكْفِينِي هَذَا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا

बयान करते हैं कि बाद में मैंने उसे देखा कि हालते कुफ़्र में क़त्ल कर दिया गया।

(1406) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1070.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** सूरह अन्नज्म में सज्द-ए-तिलावत है। **(2)** पढ़ने और सुनने वाले सब ही सज्दा करें। **(3)** तकब्बुर से ख़ैर की तौफ़ीक छीन ली जाती है और ये शख़्स जिसने सज्दा नहीं किया था, उमैया बिन ख़ल्फ़ था जो कुफ़्फ़ारे मक्का के सरदारों में से था।

(4) بَابُ السُّجُودِ فِي ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ وَ ﴿اقْرَأْ﴾

बाब : 4 सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) और (इक़रा) में सज्द-ए-तिलावत का बयान

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} وَ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ } .

(1407) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) और (इक़रा बिस्मिरब्बिकल्लज़ी ख़लक़) में सज्दे किये। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) फ़तहे ख़ैबर के मौक़े पर सन छः हिजरी में मुसलमान हूए हैं। और ये सज्दे करना रसूलुल्लाह(ﷺ) का आख़री अमल है।

(1407) तख़रीज : मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ

(1408) अबू राफ़ेअ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने नमाज़ में सूरह (इजस्समाउन शक़्क़त) तिलावत की और

صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ .

सज्दा भी किया। मैंने पूछा कि ये कैसा सज्दा है? उन्होंने कहा: मैंने हज़रत अबू अलक़ासिम (ﷺ) के पीछे ये सज्दा किया है। और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि आपसे जा मिलूं।

(1408) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1078.

फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत नमाज़ के दौरान में भी किया जाता है, नमाज़ ख़्वाह फ़र्ज़ हो या नफ़ल।

﴿5﴾ بَابُ السُّجُودِ فِي ﴿ص﴾

बाब : 5 सूरह सॉद में सज्द-ए-तिलावत का बयान

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَيْسَ { ص } مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا

(1409) इकरिमा से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि सूरह सॉद का सज्दा वाजबी सज्दों में से नहीं है, जबकि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा है कि आप इसमें सज्दा करते थे।

(1409) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1069.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ { ص } فَلَمَّا

(1410) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने मिम्बर पर सूरह सॉद की तिलावत की। जब सज्दे की आयत पर पहुँचे तो आप मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाये और सज्दा किया और आपके साथ लोगों ने भी सज्दा किया। फिर एक दूसरा मौक़ा आया और आपने उसकी तिलावत फ़रमाई। जब आप सज्दे की आयत पर पहुँचे तो लोग सज्दे

بَلَغَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ آخَرُ قَرَأَهَا فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ تَشَزَّنَ النَّاسُ لِلسُّجُودِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةُ نَبِيٍّ وَلَكِنِّي رَأَيْتُكُمْ تَشَزَّنْتُمْ لِلسُّجُودِ " . فَنَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدُوا

के लिए तैयार हो गये। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये एक नबी (हज़रत दाऊद (अलैहि.) की तौबा का ज़िक्र है लेकिन मैंने तुम्हें देखा है कि तुम सज्दा करना चाहते हो।' चूनांचे आप उतरे और सज्दा किया और लोगों ने भी सज्दा किया।

(1410) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, हदीस: 1474, 1562, व इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 1455, 1795, इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हदीस: 689, 690, हाकिम, हदीस: 1/284, 285, बैहक़ी, हदीस: 2/319 वग़ैरह.

फ़ायदा : ख़तीब दौराने ख़ुत्बा में अगर सज्दा की आयत तिलावत करे, तो मिम्बर से उतरकर सज्दा कर सकता है और सामेईन भी उसकी इक़तदा करें।

﴾6﴿ بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ السَّجْدَةَ وَهُوَ رَاكِبٌ وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ

बाब : 6 जब कोई सज्दे की आयत सुने और सवारी पर हो या नमाज़ में न हो तो ...?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو الْجُمَاهِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَامَ الْفَتْحِ سَجْدَةً فَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْهُمْ

(1411) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़तहे मक्का के मौक़े पर सज्दे की आयत तिलावत फ़रमाई तो सब लोगों ने सज्दा किया। इनमें से कुछ सवारियों पर सवार थे और कुछ ज़मीन पर सज्दा करने वाले थे। सवार लोगों ने अपने अपने हाथ पर सज्दा किया।

(1411) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने

الرَّاكِبُ وَالسَّاجِدُ فِي الأَرْضِ حَتَّى إِنَّ الرَّاكِبَ لَيَسْجُدُ عَلَى يَدِهِ

ख़ुज़ैमा, हदीस़: 556, हाकिम, हदीस़: 1/219.

फ़ायदा : बसूरते उ़ज़्र इशारे से झुककर भी सज्दा करना जायज़ है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، - الْمَعْنَى - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ - قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي غَيْرِ الصَّلاَةِ ثُمَّ اتَّفَقَا - فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى لاَ يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ

(1412) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हम पर कोई सूरत तिलावत फ़रमाते... इब्ने नुमैर ने कहा: नमाज़ के अ़लावा, आम हालत में, फिर दोनों का बयान है ... कि आप सज्दा करते और हम भी आपके साथ सज्दा करते, यहाँ तक कि हममें से कुछ लोगों को पेशानी रखने के लिए जगह न मिलती थी।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1075, व मुस्लिम, हदीस़: 575, मुसनद अहमद, हदीस़: 2/17.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहुलबारी में तबरानी के हवाले से ज़िक्र किया है कि इज़्दहाम (भीड़) की वजह से अगर किसी को सज्दा करने की जगह न मिलती तो वह अपने साथी की कमर ही पर सज्दा कर लेता। (फ़तहुलबारी : 2/723) **(2)** इमाम नववी (रह.) फ़रमाते हैं जब क़ारी और सामेअ़ नमाज़ में न हों तो उन दोनों का आपस में रब्त ज़रूरी नहीं। ख़्वाह कोई लम्बा सज्दा करे और दूसरा मुख़्तसर। एक पहले उठ जाये और दूसरा बाद में। इसी तरह अगर पढ़ने वाला सज्दा न भी करे तो सुनने वाला कर सकता है। बावुज़ू हो या बेवुज़ू मर्द हो या औ़रत या बच्चा।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا

(1413) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हम पर क़ुर्आन पढ़ा करते थे। जब सज्दे की आयत से गुज़रते अल्लाहू अकबर कहते और सज्दे में चले जाते और हम भी आपके साथ सज्दा करते।
जनाब अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक ने बयान किया कि इमाम

الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لأَنَّهُ كَبَّرَ

सौरी को ये हदीस़ बहुत पसन्द थी।
इमाम अबू दाऊद ने बयान किया ... क्योंकि इसमें तकबीर का ज़िक्र है।

(1413) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी, हदीस़: 2/325, हदीस़: 1156 में देखें।

फ़ायदा : इससे मअलूम हूआ कि सजद-ए-तिलावत के लिए जाते और उठते वक़्त तकबीर कहनी चाहिए। लेकिन शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें 'तकबीर' का ज़िक्र मुन्कर है, तकबीर के बग़ैर स़ही है।

﴾7﴿ باب مَا يَقُولُ إِذَا سَجَدَ

बाब : 7 सज्द-ए-तिलावत की दुआ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ يَقُولُ فِي السَّجْدَةِ مِرَارًا " سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ "

(1414) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रात को सज्द-ए क़ुर्आन में ये दुआ तकरार से पढ़ा करते थे: 'सजदा वज़्हिया लिल्लज़ी ख़लक़हू व शक़्क़ा सम्अहू व बस़रहू बिहौलिही व क़ुव्वतिही' 'मेरा चेहरा उस ज़ात के लिए सज्दा रेज़ है जिसने इसको पैदा किया और अपनी ताक़त और क़ूव्वत से इसके कान और आँख बनाये।'

(1414) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 580, हदीस़: 760 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम शैख़ अलबानी (रह.) ने इसे स़ही क़रार दिया है लेकिन हमारे मुहक़्क़िक़ (रह.) फ़रमाते हैं कि इसमें एक रावी मजहूल है, जैसे इमाम अबू दाऊद ने 'अ़न रजुल' कहा है, इसलिए ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि यही दुआ स़ही मुस्लिम में भी है लेकिन वहां इसे सुजूदे

नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र है न कि सुजूदे क़ुर्आन में (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 771) नीज़ इमाम नसाई (रह.) भी इस दुआ को अपनी सुनन में लाये हैं लेकिन उन्होंने भी इसे सज्दे की दुआओं में मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से ज़िक्र किया है। (देखें: सुनन अन्नसाई, अद्दुआ फिस सुजूद) अलबत्ता इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा और इमाम इब्ने माजा (रह.) ने इसे सज्द-ए-तिलावत के बाब में ज़िक्र किया है। अबू दाऊद की रिवायत की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसमें एक रावी है, जिसे इमाम अबू दाऊद ने 'अन रजुल' कहा है। इसी इल्लत की बिना पर इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा ने भी इसे ज़ईफ़ कहा है। (देखें: सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा: 1/283, 284) सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत भी ज़ईफ़ है क्योंकि ख़ालिद अलहज़्ज़ाअ का अबू अलआलिया से सिमाअ साबित नहीं। (देखें: सुनन अत्तिर्मिज़ी 'अस्सलात' हदीस: 580) और सुनन इब्ने माजा की रिवायत सही तो है लेकिन वह भी मुतलक़ सज्दे की दुआ है, हदीस में सराहत नहीं है कि इसे सज्द-ए-तिलावत में पढ़ा जाये लेकिन इमाम इब्ने माजा ने इसे सज्द-ए-तिलावत की दुआ के बाब में दर्ज किया है। इसके अलावा ये रिवायत भी हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है और सही मुस्लिम की रिवायत मुतलक़ सज्दे वाली भी हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है इससे मअलूम होता है कि ये भी मुतलक़ सज्दे के बारे में मरवी है। (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 771 और सुनन इब्ने माजा, इक़ामतुस्सलात, हदीस: 1054) सज्द-ए-तिलावत की सही दुआ जो इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है इसे इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नववी और हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) ने हसन कहा है। (फ़ुतूहाते रब्बानिया: 2/276) इमाम इब्ने ख़ुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, हाकिम ज़हबी और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने सही क़रार दिया है और शेख़ अलबानी (रह.) ने भी हसन कहा है। ये दुआ इब्तेदाअ में सज्द-ए-तिलावत के अहकाम व मसाइल में दर्ज है। इन दलाइल की रोशनी में दूसरी दुआ ही पढ़ना बेहतर है। हाज़ा माइन्दी वल्लाहू आलम बिलस्सवाब.

बाब : 8
जो शख़्स सुबह के बाद आयाते सुजूद की तिलावत करे

﴿8﴾ باب فِيمَنْ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيُّ، قَالَ لَمَّا بَعَثْنَا الرَّكْبَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ - كُنْتُ أَقُصُّ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَأَسْجُدُ فَنَهَانِي ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ أَنْتَهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ إِنِّي صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ - رضى الله عنهم - فَلَمْ يَسْجُدُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

(1415) अबू तमीमा हुजैमी कहते हैं कि जब हम क़ाफ़िले वालों के साथ मदीना आये तो मैं नमाज़े फ़ज्र के बाद वअ़ज़ किया करता था और इसमें सज्द ए-तिलावत किया करता था। पस हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने मुझ को रोका, तीन बार। मगर मैं न रूका। फिर पलट कर उन्होंने कहा कि मैंने नबी (ﷺ) के पीछे और हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) के साथ नमाज़ें पढ़ी हैं। ये हज़रात सज्दा न करते थे, यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाता।

(1415) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 2/326, मुसनद अहमद, हदीस: 2/24, 106.

फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है इसलिए मकरूह वक़्त में नमाज़ तो यक़ीनन नाजायज़ है। मगर सज्द-ए तिलावत नमाज़ नहीं है। इस वजह से औक़ाते मकरूहा में सज्द-ए-तिलावत जायज़ है।

كتاب الوتر

वित्र के अहकाम व मसाइल

बाब :1 वित्र के इस्तेहबाब का बयान

﴿1﴾ باب اسْتِحْبَابِ الْوِتْرِ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "

(1416) सय्यदना अली (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ कुर्आन वालो! वित्र पढ़ा करो। बिलाशुब्हा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल वित्र (अकेला) है, वित्र को पसन्द करता है।'

(1416) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 453, 454, नसाई, हदीस: 1676, 1677, व इब्ने माजा, हदीस: 1169 मुसनद अहमद: 1/107 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (वित्र) का इतलाक़ दो मानी पर होता है। एक नमाज़े वित्र जिसकी तादाद एक, तीन और पाँच है। ये नमाज़ अगरचे नफ़्ल है मगर बहुत अहम और ताकीदी है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र में भी इसका एहतिमाम फ़रमाया करते थे। इस बिना पर कुछ अइम्मा इसे 'वाजिब' कहते हैं। और दूसरा मानी 'क़यामुल लैल और वित्र' है। चूंकि वित्र का असल वक़्त और मौक़ा यही है। इसलिए इसे 'वित्र' से ताबीर किया जाता है। ऊपर वाली हदीस में यही दूसरा मफ़हूम मुतबादिर (ज़्यादा करीब) है। रिवायत में इसका इशारा मौजूद है। **(2)** ये इरशाद 'अहले कुर्आन' को है और तमाम ही मुसलमान 'अहले कुर्आन' हैं मगर हाफ़िज़ और उलमा इसके बिलख़ुसूस मुख़ातब हैं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ

(1417) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इसके हम मानी रिवायत की है और मज़ीद ये इज़ाफ़ा किया है कि एक देहाती बोला, आप क्या कहते हैं?

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ مَا تَقُولُ فَقَالَ " لَيْسَ لَكَ وَلاَ لأَصْحَابِكَ"

(हज़रत अब्दुल्लाह(ﷺ) ने) कहा: ये हुक्म तुम्हें और तुम्हारे साथियों के लिए नहीं है।

(1417) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1170, हदीस: 995 में देखें।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ الزَّوْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُرَّةَ الزَّوْفِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ، - قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْعَدَوِيُّ - قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ "

(1418) ख़ारजा बिन हुज़ैफ़ा अदवी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला ने एक (मज़ीद इज़ाफ़ी) नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई है और ये तुम्हारे लिए सुर्ख़ ऊँट से भी बढ़कर है। ये नमाज़े वित्र है और इसका वक़्त इशा से तुलूअे फ़ज्र के दरम्यान मुक़र्रर फ़रमाया है।'

(1418) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 452, इब्ने माजा, हदीस: 1168, मुसनद अहमद: 2/7.

फ़ायदा : इस हदीस में शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ 'और ये तुम्हारे लिए सुर्ख़ ऊँटों से भी बढ़कर है' ज़ईफ़ हैं।

﴿2﴾ باب فِيمَنْ لَمْ يُوتِرْ

बाब : 2
जो शख़्स वित्र न पढ़े?

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْوِتْرُ

(1419) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उनका बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सुना, आप फ़रमाते थे: 'वित्र हक़ है' जो वित्र न पढ़े वह हममें से नहीं।' 'वित्र हक़ है' जो वित्र न पढ़े वह हममें से नहीं।' 'वित्र हक़ है' जो वित्र न

حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا "

पढ़े वह हममें से नहीं।'

(1419) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/357, हाकिम: 1/305, 306.

फ़ायदा : 'हममें से नहीं' का मतलब है, हमारी सुन्नत और तरीक़े पर नहीं।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمُخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلاً، بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ . قَالَ الْمُخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ "

(1420) इब्ने मुहैरीज़ से मरवी है कि बनु किनाना के एक शख़्स मुख़्दजी नामी ने शाम में एक शख़्स को सुना जिसे अबू मुहम्मद कहा जाता था, वह कहता था कि वित्र वाजिब है। मुख़्दजी ने कहा कि मैं हज़रत उबादा बिन सामित(ﷺ) के पास गया और उन्होंने अबू मुहम्मद की बात बतायी। तो हज़रत उबादा ने कहा: अबू मुहम्मद ने ग़लत कहा। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना है, आप फ़रमाते थे: 'पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह ने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। जिसने उन्हें अदा किया और उनका हक़ हल्का समझते हूए उनमें से कुछ ज़ाया न किया तो ऐसे शख़्स के लिए अल्लाह के ज़िम्मे ये अहद है कि वह उसे जन्नत में दाख़िल करेगा। और जिसने उनको अदा न किया तो ऐसे शख़्स के लिए अल्लाह के यहां कोई अहद नहीं, चाहे तो उसे अज़ाब दे और चाहे तो जन्नत में दाख़िल कर दे।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 462, मालिक, इब्ने माजा, हदीस: 1401, मौता: 1/123, इब्ने हिब्बान: 252, 253, हदीस: 425 में देखें।

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हूआ कि 'वित्र' फ़र्ज़ नमाज़ों की तरह वाजिब नहीं हैं और यही

हाल दीगर सुनन का है। जैसे तहियतुल मस्जिद वग़ैरह। **(2)** तर्के नमाज़ कुफ्र है। ऐसे शख़्स का मामला भी अल्लाह की मशियत में है, चाहे तो अ़ज़ाब दे या चाहे तो बख़्श दे। 'अल्लाह जो करे उसका सवाल नहीं हो सकता, पूछ गछ बंदों से होगी।' (अल अंबिया: 23)

﴾3﴿ باب كَمِ الْوِتْرُ

बाब : 3
वित्र में कितनी रकअ़ात हैं?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ فَقَالَ بِأُصْبُعَيْهِ هَكَذَا مَثْنَى مَثْنَى وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

(1421) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि एक देहाती आदमी ने नबी (ﷺ) से रात की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने अपनी ऊंगलियों से इशारा करते हूए फ़रमाया: 'इस तरह' दो दो रकअ़त। और वित्र एक रकअ़त है रात के आख़िर में।'

(1421) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस : 749.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ"

(1422) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वित्र नमाज़ हर मुसलमान पर हक़ है' चूनांचे जो पाँच पढ़ना चाहे, पढ़ ले। और जो तीन पढ़ना चाहे, पढ़ ले। और जो एक पढ़ना चाहे, वह एक पढ़ ले।'

(1422) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1712, व इब्ने माजा, हदीस: 1190, हाकिम, हदीस: 1/302.

फ़ायदा : ऊपर वाली रिवायत में वित्र की तादाद एक, तीन पाँच का ज़िक्र है, जबकि सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाई में सात, नौ और ग्यारह रकअ़त का ज़िक्र भी है। तफ़्सील के लिए

देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 736, 737, 738 व सुनन नसाई, क़यामुल लैल, हदीस: 1697, 1698, 1705, 1707, 1710 व सुनन इब्ने माजा, इक़ामते सलवात, हदीस: 1190, 1191, 1192) हमारे यहां अक्सर लोग तीन वित्र पढ़ते हैं और वह भी सुन्नत के ख़िलाफ़ और एक रकअत वित्र को सही नहीं समझते और एक वित्र पढ़ने वाले को भी अच्छा ख़्याल नहीं करते, हालांकि एक रकअत वित्र हदीसे रसूल (ﷺ) से साबित है। तीन रकअत वित्र पढ़ने का सही तरीक़ा ये है कि दो रकअत पढ़ कर सलाम फ़ेर दिया जाये और फिर एक रकअत वित्र अलग पढ़ा जाये। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस:1177) ताहम एक सलाम के साथ दरम्यान में तशहहुद के बग़ैर भी जायज़ है। दरम्यान में तशहहुद बैठने से नमाज़े मग़रिब से मुशाबिहत हो जाती है और नबी करीम (ﷺ) ने नमाज़े मग़रिब की मुशाबिहत से मना फ़रमाया है। देखिए (सुनन दारकुतनी: 2/25, 27 व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 680)

﴾4﴿ باب مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الأَبَّارُ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } وَ { قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا} وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ .

बाब : 4
नमाज़े वित्र में क़िराअत

(1423) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े वित्र में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कुल या अय्यूहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद) पढ़ा करते थे।

(1423) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1171, इब्ने हिब्बान, हदीस: 676, 677, हाकिम: 1/305, 2/520 वग़ैरह.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا خُصَيْفٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ

(1424) अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ बिन जुरैज कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से सवाल किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) वित्रों में क्या पढ़ा करते थे? तो पिछली हदीस के हम मानी बयान किया और कहा: 'तीसरी रकअत में (कुल हूवल्लाहू अहद) और 'मुअव्विज़तैन' (सूरह अलफ़लक़ और सूरह अन्नास) पढ़ा करते थे।'

(1424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 463, व इब्ने माजा, हदीस: 1173.

﴾5﴿

باب الْقُنُوتِ فِي الْوِتْرِ

बाब : 5
नमाज़े वित्र में दुआए क़ुनूत का बयान

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ، قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رضى الله عنهما عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ

(1425) अबू इस्हाक़ ने बुरैद बिन अबू मरयम से उन्होंने अबू अलहौराअ से रिवायत की कि जनाब हसन बिन अ़ली (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कुछ कलिमा तालीम फ़रमाये जिन्हें मैं वित्र में कहा करूं। (उस्ताद) इब्ने हव्वास के लफ़्ज़ हैं: 'मैं उन्हें वित्र के क़ुनूत में पढ़ा करूं।' और वह ये हैं: 'ऐ अल्लाह! जिन लोगों को तूने हिदायत दी है मुझे भी उनके साथ हिदायत दे। और जिनको तूने आफ़ियत दी है मुझे भी उनके साथ आफ़ियत दे (यानी हर क़िस्म की बुराइयों और परेशानियों वग़ैरह से) और जिनका तू वाली (दोस्त और

وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ
تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ "

मुहाफ़िज़ बना है उनके साथ मेरा भी वाली बन) और जो नेमतें तूने इनायत फ़रमाई हैं उनमें मुझे बरकत दे। और जो फ़ैसले तूने फ़रमाये हैं उनके शर से मुझे महफ़ूज़ रख। बिलाशुब्हा फ़ैसले तू ही करता है, तेरे मुक़ाबले में कोई फ़ैसला नहीं होता। और जिसका तू वाली और मुहाफ़िज़ हो वह कहीं ज़लील नहीं हो सकता। और जिसका तू मुख़ालिफ़ हो वह कभी इज़्ज़त नहीं पा सकता, बड़ी बरकतों (और अज़मतों वाला है तू) ऐ हमारे रब! और बहुत बलन्द व बाला है।

(1425) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1746 तिर्मिज़ी, हदीस: 464, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1095, 1096.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ुनूत के कई मानी हैं यानी इताअत, ख़ुशू, नमाज़, दुआ, इबादत, क़याम, तवील क़याम और सुकूत और नमाज़े वित्र में बमानी दुआ है। **(2)** इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि क़ुनूत की दुआओं में इससे बढ़कर उम्दा दुआ नबी (ﷺ) से मरवी नहीं है। **(3)** इस दुआ के पाँचवें जुमले 'वक़िनी शर्रमा क़ज़ैत' की तफ़्सील ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के तमामतर फ़ेसले हक़ और ख़ैर ही होते हैं। मगर इन्सानों या मख़्लूक़ के अपने तासीर या एतबार से, उनके अपने हक़ में बुरे या शर समझे जाते हैं, वरना उनका अन्जाम आखिर में ख़ैर ही पर मबनी (मुसल्लम) होता है। **(4)** दुआ के आख़िर में 'रब्बना व तआलैत' के बाद 'नस्तग़फ़िरूका व नतूबु इलैक़' के अल्फ़ाज़ किसी सही हदीस से साबित नहीं हैं, लिहाज़ा इन्हें दौराने दुआ में नहीं पढ़ना चाहिए। **(5)** दुआ के आख़िर में (सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद) के अल्फ़ाज़ सुनन नसाई की रिवायत में हैं लेकिन हाफ़िज़ इब्ने हजर, इमाम क़सतलानी और इमाम ज़रक़ानी (रह.) ने इन अल्फ़ाज़ को ज़ईफ़ क़रार दिया है। ताहम इन अल्फ़ाज़ को दुआ के आख़िर में पढ़ लेने में कुछ क़बाहत नहीं क्योंकि अबू हलीमा मुआज़ अंसारी के बारे में है कि वह क़ुनूते वित्र में रसूलुल्लाह (ﷺ) पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। देखिए: (फ़ज़लुस सलात अन्नबी (ﷺ) अज़ इस्माईल अलक़ाज़ी, रक़म: 107) सलातुन नबी: 180, इसी तरह हज़रत उबय बिन कअब (رضی اللہ عنہ) के बारे में है कि वह भी क़ुनूते वित्र में नबी करीम (ﷺ) पर दरूद

व सलात पढ़ा करते थे। इस असर की सनद भी सही है, इसे इमाम इब्ने ख़ुज़ैमह (रह.) ने सहीह क़रार दिया है। तफ़सील के लिए देखिए: (सिफ़तु सलातुन नबी (ﷺ) सफ़ा: 180) **(6)** 'वला यइज़्ज़ु मन आदैत' के अल्फ़ाज़ की बाबत कुछ उल्मा–ए मुहक़्क़िक़ीन ने लिखा है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ़ सुनन बैहक़ी में हैं। इसकी असल वजह ये है कि ये अल्फ़ाज़ सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में नहीं हैं। ताहम सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्ख़ों में मौजूद हैं। मुलाहिज़ा हो: सुनन अबू दाऊद मतबूअ दारूस्सलाम और मतबूअ दारूल कुतुब इल्मिया बैरूत, वग़ैरह।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي آخِرِهِ قَالَ هَذَا يَقُولُ فِي الْوِتْرِ فِي الْقُنُوتِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَوْرَاءِ رَبِيعَةُ بْنُ شَيْبَانَ

(1426) अबू इस्हाक़ ने अपनी सनद से पिछली हदीस के हम मानी बयान किया। इस रिवायत के आख़िर में है कि इसे वित्र के कुनूत में कहे और ये जुमला नहीं कहा कि मैं इन्हें वित्र में कहूं।

अबू अलहवराअ का नाम रबीआ बिन शैबान है।

(1426) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمْرٍو الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وِتْرِهِ ‏"‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هِشَامٌ أَقْدَمُ شَيْخٍ لِحَمَّادٍ وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ‏.‏

(1427) हज़रत अली बिन अबी तालिब (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने वित्र के आख़िर में ये कहा करते थे। 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से बचते हुए तेरी रज़ा की पनाह में आता हूँ। तेरे मुवाख़िज़े से बचते हुए तेरे अफ़्वो करम की पनाह लेता हूँ। मैं तुझसे (यानी तेरे ग़ैज़ व ग़ज़ब से) तेरी (रहमत की) अमान चाहता हूँ। मैं तेरी तअरीफ़ें शुमार नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जैसे कि तूने ख़ूद अपनी सिफ़ात बयान फ़रमाई हैं।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिशाम, हम्माद के क़दीम तरीन उस्ताद हैं। और यहया बिन मईन से मरवी है कि इन (हिशाम) से सिवाए हम्माद बिन सलमा के और किसी ने रिवायत नहीं की।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ - يَعْنِي فِي الْوِتْرِ - قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ وَرُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَذْكُرِ الْقُنُوتَ وَلاَ ذَكَرَ أُبَيًّا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ وَسَمَاعُهُ بِالْكُوفَةِ مَعَ

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने सईद बिन अरूबा अरूबा से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अबज़ा से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रूकू से पहले कुनूत पढ़ी। यानी वित्र में।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने ये हदीस़ भी फ़ितर बिन ख़लीफ़ा से, उन्होंने ज़ुबैद से, उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वह अपने वालिद से, वह हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से, उन्होंने नबी (ﷺ) से पिछली रिवायत के मिस्ल (जैसी) रिवायत की है।

और हफ़्स बिन ग़ियास़ से मरवी है, वह मिसअ़र से वह ज़ुबैद से, वह सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, वह अपने वालिद से, वह हज़रत उबय बिन कअ़ब(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वित्र में रूकू से पहले कुनूत पढ़ी।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सईद बिन अबी अ़रूबा की (ऊपर वाली) रिवायत जो उन्होंने क़तादा से रिवायत की है उसको यज़ीद बिन ज़ुरैअ़ ने सईद से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने अ़ज़रह से, उन्होंने सईद बिन अ़ब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से, उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत की है, मगर इसमें कुनूत का ज़िक्र किया न उबय बिन कअ़ब का (यानी मुरसल है)

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको अ़ब्दुल अ़ला और मुहम्मद बिन बिश्र अ़ब्दी ने भी ऐसे ही

عِيسَى بْنِ يُونُسَ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْقُنُوتَ وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ وَلَمْ يَذْكُرَا الْقُنُوتَ وَحَدِيثُ زُبَيْدٍ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ وَشُعْبَةُ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ كُلُّهُمْ عَنْ زُبَيْدٍ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْقُنُوتَ إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ زُبَيْدٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّهُ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ بِالْمَشْهُورِ مِنْ حَدِيثِ حَفْصٍ نَخَافُ أَنْ يَكُونَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ غَيْرِ مِسْعَرٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُرْوَى أَنَّ أُبَيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

रिवायत किया है। और इन (मुहम्मद बिन बिश्र) का सिमाअ़ ईसा बिन यूनुस के साथ कूफ़ा में साबित है। उन्होंने क़ुनूत का ज़िक्र नहीं किया है। और इसको हिशाम दस्तवाई और शोबा ने भी क़तादा से रिवायत किया है और इन दोनों ने क़ुनूत का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: और हदीसे ज़ुबैद को सुलेमान आमश शोबा, अ़ब्दुल मलिक बिन उबय सुलेमान और जरीर बिन हाज़िम सभी ने ज़ुबैद से रिवायत किया है, मगर इनमें से किसी ने भी क़ुनूत का ज़िक्र नहीं किया सिवाए हफ़्स बिन ग़ियास के जिसे उन्होंने बवास्त मिसअ़र, ज़ुबैद से रिवायत किया है कि 'आपने रूकू से पहले क़ुनूत पढ़ी।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हफ़्स की ये हदीस मशहूर नहीं है, अंदेशा है कि मिसअ़र के अ़लावा किसी और से रिवायत होगी।

अबू दाऊद कहते हैं: रिवायत है कि हज़रत उबय (ﷺ) निस्फ़ रमज़ान में क़ुनूत पढ़ा करते थे।

(1427) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3566 नसाई, हदीस: 1738, व इब्ने माजा, हदीस: 1179.

फ़वाइद व मसाइल : (1) दुआ–ए–क़ुनूते वित्र की बाबत हज़रत उबय बिन कअ़ब से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) तीन वित्र पढ़ते और दुआए क़ुनूत रूकू से पहले पढ़ते। देखिए: (सुनन नसाई क़यामुल लैल, हदीस: 1700 व सुनन इब्ने माजा, इक़ामते सलात, हदीस: 1182) नीज़ मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द और दीगर सहाबा किराम (ﷺ) का अ़मल मज़कूर है कि ये क़ुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ते थे। देखिए: (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 2/97) वाज़ेह रहे कि मसनून तरीक़ा तो यही है कि वित्रों में दुआए क़ुनूत से पहले रूकू हो, अलबत्ता क़ुनूते नाज़ला बिलख़ुसूस रूकू के बाद ही साबित है। ताहम कुछ उ़लमा दुआए क़ुनूते वित्र रूकू के बाद पढ़ने के

क़ायल हैं और वह भी जायज़ है। लेकिन उ़लमा-ए- मुहक़्क़िक़ीन हाफ़िज़ इब्ने हजर, शैख़ अल्बानी (रह.) साहिबे मिरआ़त मौलाना उ़बैदुल्लाह रहमानी (रह.), हाफ़िज़ जुबैर अ़ली ज़ई (रह.) और दीगर उ़लमा ने कुनूते वित्र रूकू से पहले वाली रिवायत को ज़्यादा सहीह कहा है और उन्हें बाद अज़ रूकू वाली रिवायत पर तरजीह दी है। जिससे ये बात समझ में आती है कि अफ़ज़ल और अव्वल यही है कि कुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ी जाये। (वल्लाहू आ़लम) **(2)** दुआ़ए कुनूते वित्र में हाथ उठाने के बारे में कोई मरफ़ूअ़ रिवायत नहीं है। ताहम मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में कुछ आसार मिलते हैं, जिनमें सिर्फ़ हाथ उठाने का तज़्किरा है। देखिए: (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 2/101) कुछ उ़लमा के नज़दीक हाथ उठा कर या हाथ उठाए बग़ैर, दोनों तरीक़ों से कुनूते वित्र पढ़ना सही है। ताहम हाथ उठाकर दुआ़ए कुनूत पढ़ना इसलिए राजेह है कि एक तो कुनूते नाज़ला में नबी (ﷺ) से हाथ उठाना साबित है, तो उस पर क़यास करते हूए कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने सही होंगे। दूसरे कुछ सहाबा से कुनूते वित्र में हाथ उठाने का सुबूत मिलता है। **(3)** आ़म दुआ़ के इख़्तेताम पर हाथों को मुँह पर फेरना भले किसी सही हदीस़ से साबित नहीं। मगर कुछ सहाबा, जैसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन जुबैर (رضی اللہ عنہ) से ये अ़मल साबित है। देखिए: (अल अदबुल मुफ़रद, हदीस़: 609) इसलिए इसका जवाज़ है। ताहम अगर कोई शख़्स दुआ़ए कुनूत के बाद अपने हाथ मुँह पर नहीं फेरता तो उसका ये अ़मल सही है, क्योंकि उसका सबूत सहाबा (رضی اللہ عنہم) से भी नहीं मिलता।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِهِ أَنَّ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ، أَمَّهُمْ - يَعْنِي فِي رَمَضَانَ - وَكَانَ يَقْنُتُ فِي النِّصْفِ الآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

(1428) मुहम्मद बिन सीरीन अपने कुछ अस्हाब से रिवायत करते हैं कि हज़रत उबय बिन कअ़ब (رضی اللہ عنہ) ने उनकी रमज़ान में इमामत कराई और वह रमज़ान के निस्फ़ आख़िर में कुनूत पढ़ा करते थे।

(1428) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/498.

حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَمَعَ النَّاسَ عَلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَانَ يُصَلِّي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَةً وَلاَ يَقْنُتُ بِهِمْ إِلاَّ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي فَإِذَا كَانَتِ

(1429) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (رضی اللہ عنہ) ने लोगों को हज़रत उबय बिन कअ़ब (رضی اللہ عنہ) पर जमा फ़रमा दिया। वह उन्हें बीस रात नमाज़ पढ़ाते थे और कुनूत न करते थे, मगर निस्फ़ आख़िर में कुनूत करते थे। और जब आख़िरी अ़शरह आ जाता तो जमाअ़त कराना छोड़

الْعَشْرُ الأَوَاخِرُ تَخَلَّفَ فَصَلَّى فِي بَيْتِهِ فَكَانُوا يَقُولُونَ أَبَقَ أُبَيٌّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الَّذِي ذُكِرَ فِي الْقُنُوتِ لَيْسَ بِشَىْءٍ وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلاَّنِ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ أُبَىٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ فِي الْوِتْرِ

देते और अपने घर में पढ़ते थे तो लोग कहते कि उबय भाग गये।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ये दलील है कि कुनूत के बारे में जो ज़िक्र हुवा वह सही नहीं है। और ये दोनों हदीसें हज़रत उबय से मरवी इस हदीस के ज़ईफ़ होने की दलील हैं जिसमें है कि नबी (ﷺ) वित्र में कुनूत पढ़ा करते थे।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/498.

﴾6﴿ بَابٌ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوِتْرِ

बाब : 6
वित्रों के बाद की दुआ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ الأَيَامِيِّ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ فِي الْوِتْرِ قَالَ "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ "

(1430) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब वित्र से सलाम फेरते तो कहते 'सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस' 'पाक है वह ज़ात जो हाकिमे मुतलक़ है और हर एतबार से पाक है।'

(1430) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1735.

फ़ायदा : सुनन नसाई (बाब ज़िक्रुल इख़्तिलाफ़ अला शौबा फ़ीह, हदीस: 1733) में है कि नबी (ﷺ) मज़कूरह अल्फ़ाज़ तीन बार कहते और आख़री बार आवाज़ बलन्द करते। नीज़ सुनन दारक़ुतनी की सही रिवायत में है कि नबी करीम (ﷺ) हदीस में मज़कूर अल्फ़ाज़ तीन मर्तबा पढ़ने के बाद बा'वाज़े बलन्द ये अल्फ़ाज़ भी पढ़ते 'रब्बुल मलाइकति वर्रूह' (सुनन दारक़ुतनी: 2/30, हदीस: 1644)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ

(1431) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अपने वित्र पढ़ने से सो जाये (और न पढ़ सके) या भूल जाये तो जब याद आये पढ़ ले।'

يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا ذَكَرَهُ "

(1431) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 465, व इब्ने माजा, हदीस: 1188, हाकिम: 1/302, बुख़ारी, हदीस: 1178, 1971, व मुस्लिम, हदीस: 721 वग़ैरहुम.

फ़ायदा : ये हदीस इस बाब से मुताल्लिक़ नहीं है। शायद यहां बाब और इसका उनवान सवारा गया है। (औनुल माबूद) बहरहाल इस हदीस में वित्र की अहमियत का सुबूत मिलता है कि अगर वह सोते रह जाने से या भूल जाने की वजह से रह जाये, तो याद आने और जागने के बाद उसे पढ़ ले। इससे ये मालूम होता है कि वित्र की क़ज़ा भी ज़रूरी है और इस हदीस की रू से इसे फ़ज्र की नमाज़ से पहले, या नमाज़े फ़ज्र के बाद पढ़ लिया जाये, क्योंकि मकरूह औक़ात में क़ज़ा शुदा नमाज़ की क़ज़ा जायज़ है। एक दूसरी राय इस सिलसिले में ये है कि वित्र अपने वक़्त में न पढ़े जा सकें तो फिर उन्हें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इस मौक़िफ़ की ताईद में भी कुछ रिवायात आती हैं। लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो जान बुझकर वित्र छोड़ दें। देखिए: (हाशिया तिर्मिज़ी, अहमद मुहम्मद शाकिर, ज़ि: 2, स: 333) और कुछ रिवायात में नबी (ﷺ) का ये अमल बयान हूआ है कि अगर कभी नींद या बीमारी की वजह से आपका क़यामुल लैल रह जाता, तो आप सूरज निकलने के बाद बारह रकअत पढ़ते। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, बाब: 18, हदीस: 746) इस हदीस से इस्तेदलाल करते हूए अक्सर उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज निकलने के बाद उसकी क़ज़ा जुफ़्त की शक्ल में दे, यानी एक वित्र की जगह दो रकअत, तीन वित्र की जगह चार रकआत पढ़े। लेकिन हमारे ख़्याल में ऐसा उस शख़्स के लिए ज़रूरी होगा जो क़यामुल लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी होगा, आम शख़्स के लिए वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में मुनासिब मालूम होती है। वल्लाहू आलम!

(7) بَابٌ فِي الْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ

बाब : 7
सोने से पहले वित्र पढ़ना

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، - مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم

(1432) हज़रत अबूहुरैरह (رضي الله عنه) का बयान है कि मेरे ख़लील (ﷺ) ने मुझे तीन बातों की वसीयत फ़रमाई थी, मैं उन्हें सफ़र व हज़र में नहीं छोड़ता, चाश्त की दो रकअतें, हर महीने में तीन रोज़े और ये कि वित्र पढ़े बग़ैर न सोऊँ।

بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ رَكْعَتَي الضُّحَى وَصَوْمِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ وَأَنْ لاَ أَنَامَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ

(1432) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1178, 1981, व मुस्लिम.

फ़ायदा : जिस शख़्स को सो जाने के बाद फ़ज्र तक सोए रह जाने का अन्देशा हो, उसे सोने से पहले वित्र पढ़ लेने चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ السَّكُونِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ " أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ لِشَىْءٍ أَوْصَانِي بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَلاَ أَنَامُ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ وَبِسُبْحَةِ الضُّحَى فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

(1433) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे ख़लील (ﷺ) ने मुझे तीन बातों की वसीयत फ़रमाई थी, मैं इन्हें किसी सूरत में नहीं छोड़ता। मुझे वसीयत फ़रमाई कि हर महीने तीन दिन के रोज़े रखूं, वित्र पढ़कर सोया करूं और ज़ुहा के नफ़्ल पढ़ूं सफ़र और हज़र में ।

(1433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/451, मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इस रिवायत में 'सफ़र और हज़र में' के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। **(2)** ये हज़रात यक़ीनन तहज्जुद गुज़ार थे मगर बमोजिबे वसीयते रसूलुल्लाह (ﷺ) सोने से पहले वित्र पढ़ा करते थे। **(3)** इन अहादीस में कामकाज वाले और तालिबे इल्मों के लिए तसहील व तरग़ीब है कि रात के पहले हिस्से में क़यामुल लैल कर लिया करें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لأَبِي بَكْرٍ " مَتَى

(1434) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से पूछा: 'तूम वित्र किस वक़्त पढ़ते हो?' उन्होंने कहा: मैं रात के अव्वल हिस्से में पढ़ता हूं। हज़रत उमर (ﷺ) से पूछा कि तुम वित्र किस वक़्त पढ़ते हो?' उन्होंने कहा: मैं रात के आख़री हिस्से में

تُوتِرُ " قَالَ أُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ . وَقَالَ لِعُمَرَ "مَتَى تُوتِرُ" . قَالَ آخِرَ اللَّيْلِ . فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ "أَخَذَ هَذَا بِالْحَزْمِ" وَقَالَ لِعُمَرَ "أَخَذَ هَذَا بِالْقُوَّةِ" .

पढ़ता हूं। आपने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के मुताल्लिक़ फ़रमायाः 'उसने एहतियात को इख़्तियार किया है।' और हज़रत उमर (ﷺ) के बारे में फ़रमायाः 'उसने अज़्म व क़ूव्वत को इख़्तियार किया है।'

(1434) **तख़रीज : (सनद हसन)** हदीसः 1329 में देखें, व इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीसः 1084.

फ़ायदा : इंसान को हमेशा एतमाद वाला अमल इख़्तियार करना चाहिए। अगर आख़िर रात में उठना मुश्किल महसूस होता हो, तो सोने से पहले वित्र पढ़ लेने चाहिए और सुबह को उठ कर तहज्जुद पढ़ ले, वित्र दोहराने की ज़रूरत नहीं।

﴿8﴾ بَابٌ فِي وَقْتِ الْوِتْرِ

बाब : 8 नमाज़े वित्र का वक़्त

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَتَى كَانَ يُوتِرُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَوَسَطَهُ وَآخِرَهُ وَلَكِنِ انْتَهَى وِتْرُهُ حِينَ مَاتَ إِلَى السَّحَرِ

(1435) मसरूक़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि नबी (ﷺ) किस वक़्त वित्र पढ़ा करते थे? उन्होंने कहाः आपने सब ही औक़ात में वित्र पढ़े हैं। रात के शूरू में, दरम्यान में और आख़िर में भी। लेकिन आख़री ज़िन्दगी में आपके वित्र सहर (फ़ज्र से पहले) के वक़्त होने लगे थे।

(1435) **तख़रीज :** मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीसः 745.

फ़ायदा : नमाज़े इशा का वक़्त आधी रात तक है। और वित्रों का सहर (सुबह सादिक़ से पहले) तक।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ

(1436) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सुबह होने से पहले पहले वित्र पढ़ लो।'

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ "

(1436) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 467, मुस्लिम, हदीस: 750.

फ़ायदा : रात को वित्र रह जायें तो फ़ज्र सादिक़ के बाद पढ़े जा सकते हैं।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ مِنْ آخِرِهِ . قُلْتُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَتُهُ أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَاءَةِ أَمْ يَجْهَرُ قَالَتْ كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا أَسَرَّ وَرُبَّمَا جَهَرَ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُ قُتَيْبَةَ تَعْنِي فِي الْجَنَابَةِ

(1437) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी क़ैस बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) के वित्रों के मुताल्लिक़ पूछा, तो उन्होंने कहा: कभी तो आप रात के पहले हिस्से में पढ़ लेते थे और कभी रात के आख़िर में। मैंने आपकी क़िराअत के बारे में पूछा कि क्या आप ख़ामोशी से पढ़ते थे या बलन्द आवाज़ से? उन्होंने कहा: आप हर तरह कर लेते थे, कभी ख़ामोशी से पढ़ते और कभी बलन्द आवाज़ से। और कभी ग़ुस्ल करके सो जाते और कभी वुज़ू करके सोये रहते।

इमाम अबू दाऊद ने कहा, कुतैबा के अलावा दूसरे रावियों ने कहा कि हज़रत आयशा (ﷺ) का इशारा गुस्ले जनाबत की तरफ़ था।

(1437) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 449, मुस्लिम: 307.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "

(1438) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी रात की आख़री नमाज़ वित्र को बनाओ।'

(1438) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 998, व मुस्लिम, हदीस: 751, मुसनद अहमद: 2/20.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जिसे यक़ीन हो कि वह सुबह से पहले उठ सकता है तो वह इस इरशाद पर अमल करके फ़ज़ीलत का सवाब हासिल करे। वरना सोने से पहले वित्र पढ़ने की रूख़सत मालूम

है, जैसे कि पीछे गुज़रा। (2) इस हदीस़ से इस्तेदलाल करके कहा गया है कि वित्र पढ़ने के बाद कोई नफ़ली नमाज़ पढ़नी जायज़ नहीं। लेकिन दूसरे ़उलमा ने इस अम्र को इस्तेहबाब पर महमूल किया है, क्योंकि ख़ूद नबी (ﷺ) से भी वित्र के बाद दो रकअ़त नफ़ल पढ़ना स़ाबित है।

बाब : 9
वित्र तोड़ने का मसला

﴿9﴾ بابٌ فِي نَقْضِ الْوِتْرِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ زَارَنَا طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَمْسَى عِنْدَنَا وَأَفْطَرَ ثُمَّ قَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدِهِ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا بَقِيَ الْوِتْرُ قَدَّمَ رَجُلاً فَقَالَ أَوْتِرْ بِأَصْحَابِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ"

(1439) क़ैस बिन तलक़ बयान करते हैं कि हज़रत तलक़ बिन अ़ली (ﷺ) रमज़ान में एक दिन हमारे यहां आये और हमारे ही यहां शाम की और इफ़्तार किया, और फिर हमें इस रात नमाज़ पढ़ाई और वित्र भी पढ़ाये, फिर अपनी मस्जिद की तरफ़ चले गये और वहां अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई और जब वित्र बाक़ी रहे तो एक शख़्स़ को आगे कर दिया और कहा: अपने साथियों को वित्र पढ़ाओ बेशक मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे 'एक रात में दो वित्र नहीं' (यानी दोबार वित्र नहीं)

(1439) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 470, नसाई, हदीस़: 1680, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 1101, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 671.

फ़ायदा : कुछ हज़रात इस बात के क़ायल हैं कि अगर इन्सान ने इशा के वक़्त वित्र पढ़ लिए हों और फिर जब वह तहज्जुद के लिए उठे तो पहले एक रकअत पढ़े ताकि पहले की पढ़ी हूई नमाज़े वित्र जुफ़्त बन जाये। बाद अज़ां अपनी नमाज़ पढ़ता रहे और फिर आख़िर में एक रकअ़त पढ़ ले, ताकि इस इरशाद पर अ़मल हो जाये जिसमें है कि 'अपनी रात की नमाज़ का आख़री हिस्सा वित्र को बनाओ।' मगर राजेह यही है कि वित्र को न तोड़ा जाये क्योंकि इस बारे में मरवी रिवायत ज़ईफ़ है। (गोया पढ़े हूए वित्र को तोड़ कर जुफ़्त बनाना नबी (ﷺ) से स़ाबित नहीं। इसलिए जो शख़्स़ तहज्जुद का आ़दी न हो, उसके लिए यही बेहतर है कि वह वित्र इशा के साथ ही पढ़ ले। फिर अगर उसे तहज्जुद के वक़्त

उठने का मौक़ा मिल जाये, तो वह दो दो रकअत करके नमाज़े तहज्जुद पढ़ ले, आख़िर में उसे वित्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है) ·

बाब : 10
आम नमाज़ों में क़ुनूत पढ़ना

﴿10﴾
بَابُ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ

फ़ायदा : इससे मुराद ऐसी दुआ है जो मुसलमानों और उम्मत से मुताल्लिक़ हो, जैसे इस्लाम और मुसलमानों के लिए नुसरत मुजाहिदीन के लिए साबित क़दमी और कामयाबी, या किसी वबा और मुसीबते आम्मा से निजात की दुआ, या ज़ालिमों के लिए बद्दुआ। इसे इस्तेलाहन 'दुआए क़ुनूते नाज़ला' कहते हैं। इसे पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों में हस्बे ज़रूरत आख़री रकअत में रूकू के बाद पढ़ा जा सकता है। इमाम जहरी (बलन्द) आवाज़ में दुआ पढ़े और मुक़तदी आमीन कहें। इमाम हस्बे अहवाल दुआ कराये। जहां नाम लेने की ज़रूरत हो नाम भी ले सकता है। इस दुआए क़ुनूते नाज़ला में दवाम नहीं है।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، - يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ - حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ وَاللَّهِ لأُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ وَصَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ

(1440) जनाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने कहा: क़सम अल्लाह की! मैं तुम्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की सी नमाज़ पढ़ाऊंगा। चूनांचे वह नमाज़े ज़ोहर, इशा और फ़ज्र की आख़री रकअत में क़ुनूत पढ़ते थे, मोमिन के लिए दुआ करते और कुफ़्फ़ार (जालिमों) पर लानत।

(1440) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 676.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالُوا، كُلُّهُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ

(1441) हज़रत बराअ (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) सुबह की नमाज़ में क़ुनूत पढ़ा करते थे।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने मुआज़ ने

عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ وَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ

मज़ीद कहा कि नमाज़े मग़रिब में भी।

(1441) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 678.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ شَهْرًا يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ " اللَّهُمَّ نَجِّ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَدْعُ لَهُمْ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " وَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا"

(1442) जनाब अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं कि हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इशा की नमाज़ में एक महीने तक कुनूत पढ़ी। आप अपने कुनूत में ये दुआ करते थे। 'ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को निजात दे। ऐ अल्लाह! सलमा बिन हिशाम को निजात दे। ऐ अल्लाह ज़ईफ़ मोमिन को निजात दे। ऐ अल्लाह! क़बीला, मुज़र पर अपनी सज़ा सख़्त कर दे। ऐ अल्लाह! इन पर क़हत मुसल्लत कर दे जैसा कि क़ौमे युसूफ़ पर आया था। 'हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि एक दिन आपने दुआ न की तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'क्या देखते नहीं कि वह आ गये हैं।'

(1442) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 675.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا مُتَتَابِعًا

(1443) जनाब इक्रिमा से हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) का ये बयान मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक महीना मुतवातिर (लगातार) ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ों में कुनूत पढ़ी। हर नमाज़ की आख़री रकअत में रूकू से 'समिअल्लाहु

فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلاَةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ إِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ

लिमन हमिदा' कहने के बाद बनू सुलैम में से रिअ़ल, ज़कवान और उ़सय्या के क़बाइल पर बद्दुआ करते थे और आपके पीछे वाले आमीन कहते थे।

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस़: 1/301, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 618, हाकिम: 1/225, दारकुतनी: 2/37, हदीस़: 1671 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सिर्री नमाज़ों में भी कुनूत, जहरी (बलन्द आवाज़ से) पढ़ा जायेगा और मुक़तदी आमीन कहेंगे। **(2)** रिअ़ल, ज़कवान और उ़सय्या वह क़बीले हैं जिन्होंने अस्हाबे बीरे मऊ़ना पर हमला करके उन्हें शहीद कर डाला था।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ فَقَالَ نَعَمْ . فَقِيلَ لَهُ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ . قَالَ مُسَدَّدٌ بِيَسِيرٍ

(1444) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से पूछा गया: क्या नबी (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र में कुनूत पढ़ी थी? उन्होंने कहा: हाँ पूछा गया: रूकू से पहले या बाद? कहा: रूकू के बाद।

मुसद्दद की रिवायत में है कि ... थोड़ी मुद्दत तक।

(1444) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1001, मुस्लिम, हदीस़: 677.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَنَتَ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهُ

(1445) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने एक महीने तक कुनूत पढ़ी, फिर छोड़ दी।

(1445) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 677.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ

(1446) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन कहते हैं मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिसने नबी (ﷺ) के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी थी

حَدَّثَنِي مَنْ، صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْغَدَاةِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَامَ هُنَيَّةً

कि जब आपने दूसरी रकअ़त से सर उठाया तो थोड़ी देर खड़े रहे। (क़ुनूत के लिए)

(1446) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1073.

﴿11﴾
باب فِي فَضْلِ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

बाब : 11
घर में नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ - عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ حُجْرَةً فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي فِيهَا قَالَ فَصَلَّوْا مَعَهُ بِصَلاَتِهِ - يَعْنِي رِجَالاً - وَكَانُوا يَأْتُونَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي لَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحْنَحُوا وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ وَحَصَبُوا بَابَهُ - قَالَ - فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُغْضَبًا فَقَالَ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَا زَالَ

(1447) हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद में हुजरा बना लिया, आप रात को घर से तशरीफ़ लाते और उस हुजरे में नमाज़ पढ़ते। कहा कि लोगों ने भी आपकी नमाज़ के साथ नमाज़ पढ़ी और वह हर रात आपके पास आते, यहाँ तक कि एक रात आप तशरीफ़ न लाये तो वह खांसने लगे। (ताकि आप (ﷺ) को ख़बर मिल जाये) कुछ ने अपनी आवाज़ें बलन्द किये और (कुछ ने) आपके दरवाज़े पर कंकरियाँ भी मारीं। बिल आख़िर आप तशरीफ़ लाये तो ग़ुस्से में थे और फ़रमाया: 'लोगो! तुम्हारा बराबर यही हाल रहा, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हुआ कि तुम पर फ़र्ज़ न कर दी जाये। सो अपने घरों में नमाज़ पढ़ो। बिलाशुब्हा फ़र्ज़ के अलावा मर्द की बेहतरीन नमाज़ वही है जो वह अपने घर में पढ़े।'

(1447) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6113, मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 781.

بِكُمْ صَنِيعُكُمْ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُكْتَبَ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ "

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये नमाज़ें रमज़ान के क़यामुल लैल के सिलसिले की हैं जिनकी तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। (2) मर्दों के लिए नवाफ़िल घर में पढ़ना अफ़ज़ल हैं, मगर औरतों के लिए फ़र्ज़ भी घरों में अफ़ज़ल हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا "

(1448) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा घरों में भी पढ़ा करो और उन्हें कब्रिस्तान मत बना डालो।'

(1448) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 432, मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 777.

फ़ायदा : इससे मुराद सुनन और नवाफ़िल हैं। और 'क़ब्रिस्तान' का ज़िक्र इसलिए फ़रमाया कि वहां नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया गया है, गोया क़ब्रिस्तान नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, पस तुम घरों में नफ़ली नमाज़ें और सुन्नतें नहीं पढ़ोगे, तो घर भी क़ब्रिस्तान बन जायेंगे। ये हदीस़ पहले भी गुज़र चुकी है। (हदीस़: 1043)

باب ﴿12﴾

बाब : 12
लम्बे क़याम की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ،

(1449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी अलख़स़अमी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) से पूछा गया। कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'लम्बे क़याम' कहा गया: कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " طُولُ الْقِيَامِ " . قِيلَ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " جُهْدُ الْمُقِلِّ " . قِيلَ فَأَىُّ الْهِجْرَةِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ هَجَرَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ " . قِيلَ فَأَىُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ "مَنْ جَاهَدَ الْمُشْرِكِينَ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ".قِيلَ فَأَىُّ الْقَتْلِ أَشْرَفُ قَالَ "مَنْ أُهْرِيقَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ"

है? फ़रमाया: 'जो क़लील (थोड़ा) माल वाला मेहनत करके सदका दे।' कहा गया: कौन सी हिजरत अफ़ज़ल है? फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह के हराम करदा उमूर को छोड़ दे।' कहा गया: कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है? फ़रमाया: 'जो शख़्स मुशरिकीन से अपने माल और अपनी जान के साथ जिहाद करे।' पूछा गया: कौन सा क़त्ल शर्फ़ वाला है? आपने फ़रमाया: 'जिसका ख़ून बहा दिया गया और उसके घोड़े को भी काट दिया गया।'

(1449) तख़रीज : (सनद हसन)
हदीस: 1325 में देखें।

फ़ायदा : अल्लाहु अकबर सहाबा किराम (ﷺ) को दीन व ईमान की समझ आ जाने के बाद गोया दुनियावी ख़्वाहिशात उनके दिलों से उतर ही गई थी। रोटी, कपड़े और मकान के बारे में न उन हज़रात ने पूछा न आपने फ़रमाया। दर हक़ीक़त ये चीज़ें दुनिया के सफ़र में रात गुज़ारी के लिए हैं, मगर अफ़सोस कि अब लोगों के ज़हनों पर ये माद्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग़ालिब आ गई हैं। वलिल्लाहिल मुश्तकी.

﴾13﴿ بَابُ الْحَثِّ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ

बाब : 13 क़यामुल लैल की तरग़ीब

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي

(1450) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रहम करे अल्लाह उस शख़्स पर जो रात को उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को जगाता है और वह भी नमाज़ पढ़ती है। अगर इन्कार करती है, तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। और रहम करे अल्लाह

وَجْهِهَا الْمَاءَ رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ "

तआला उस औरत पर जो रात को उठती और नमाज़ पढ़ती और अपने शौहर को भी जगाती है। और अगर वह इन्कार करता है, तो उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारती है।'

(1450) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 1308 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस पीछे भी गुज़री है। (1308)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي، هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكْعَتَيْنِ جَمِيعًا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ "

(1451) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी और हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रात को जागे और अपनी बीवी को भी जगाये, फिर वह दोनों दो रकअतें पढ़ें तो उनका शुमार ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात में होता है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने वाले होते हैं।'

(1451) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1309 में देखें।

फ़ायदा : ये हदीस भी पीछे गुज़र चुकी है। (1309)

﴾14﴿ بَابٌ فِي ثَوَابِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ

बाब : 14 कुरआन पढ़ने का सवाब

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "

(1452) हज़रत उस्मान (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम में सबसे बेहतर वह शख़्स है जो कुरआन सीखता और सिखाता है।'

(1452) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5027.

फ़ायदा : तालीमे कुर्आनि करीम के साथ साथ हदीसे नबवी भी ज़िमनन इस शर्फ़ में शामिल है। क्योंकि ये कुर्आन की तफ़्सीर और इसका नबवी बयान है और बित्तबअ दीगर उलूमे शरइया भी। और ये हदीस मुअल्लिमीने कुर्आन व सुन्नत के लिए फ़ख़्र व इम्बिसात का बाइस है। अहले दुनिया ख़्वाह उन्हें किसी नज़र से देखें।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أُلْبِسَ وَالِدَاهُ تَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْؤُهُ أَحْسَنُ مِنْ ضَوْءِ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهَذَا "

(1453) हज़रत सहल बिन मुआज़ जोहनी अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उनका बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने कुर्आन पढ़ा और जो उसमें है, उसने उस पर अमल किया, तो उसके माँ बाप को क़यामत के दिन एक ताज पहनाया जायेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़ कर ख़ूबसूरत होगी, अगर वह दुनिया में तुम्हारे घरों में होता। (जब माँ बाप का ये दर्जा है) तो तुम्हारा क्या ख़याल है ख़ुद उस पर अमल करने वाले का क्या मक़ाम होगा।'

(1453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 3/440, हाकिम, हदीस: 567, 568, हदीस: 1287 में देखें।

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ فَلَهُ أَجْرَانِ "

(1454) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कुर्आन पढ़ता है और वह उसमें माहिर है, वह आमाल नामा लिखने वाले मुअज़्ज़ज़ और इताअत गुज़ार फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो शख़्स कुर्आन पढ़ता है, मगर उसे पढ़ने में मशक्क़त होती है (अटक अटक कर पढ़ता है) तो उसके लिए दो अज्र हैं।'

(1454) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 4937, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 798.

फ़ायदा : 'दो अज्र हैं' एक क़ुर्आन पढ़ने का और दूसरा मशक़्क़त बरदाश्त करने और बद दिल न होने का।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ "

(1455) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होकर किताबुल्लाह की तिलावत करते और आपस में उसका दर्स व मुज़ाकरह करते हैं तो उन पर सकीनत नाज़िल होती है, रहमत उन्हें ढाँप लेती है, फ़रिश्ते उन्हें अपने घेरे में ले लेते हैं और अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उनका ज़िक्र उनमें करता है जो उसके पास होते हैं।' (मलाइका मुक़र्रबीन (करीबतरीन फ़रिश्तों) में)

(1455) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2699.

फ़ायदा : तिलावते क़ुर्आन दर्स व तदरीस और वअ़ज़ व तब्लीग़ मस्जिद में हो या मदरसे में या किसी और मक़ाम पर, इस फ़ज़ल की हर जगह उम्मीद है। इन्शाअल्लाह तआ़ला।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَىٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى بُطْحَانَ أَوِ الْعَقِيقِ فَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ بِغَيْرِ إِثْمٍ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ " . قَالُوا كُلُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " فَلأَنْ يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى

(1456) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर जोहनी(ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां तशरीफ़ लाये जबकि हम स़फ़्फ़ा में थे। आपने फ़रमाया: 'तुममें से कौन पसन्द करता है बुतहान या अ़क़ीक़ वादी में जाये और वहाँ से मोटी ताज़ी ख़ूबसूरत ऊंचे कोहान वाली दो ऊँटनियाँ ले आये और इसमें किसी गुनाह या क़तअ रहमी का मुरतकिब भी न हों कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हम सब ये चाहते हैं। आपने फ़रमाया: 'तुम्हारा हर रोज़ मस्जिद जाकर किताबुल्लाह से दो आयतें सीख लेना, दो ऊँटनियों के हुसूल से बेहतर है,

الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَإِنْ ثَلاَثٌ فَثَلاَثٌ مِثْلُ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ"

अगर तीन आयतें सीखे तो तीन ऊँटनियों से बेहतर है। इसी तरह मज़ीद आयतों की तादाद के मुताबिक़ ऊँटनियों से बेहतर है।'

जनाब अबू उ़बैद ने 'कूमाअ' का तर्जुमा बयान किया कि, ऊँचे कोहान वाली ऊँटनी।

(1456) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 803.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बुतहान और अ़क़ीक़ मदीने के क़रीब दो वादियों के नाम हैं। और यहां ऊँटनियों की मंडियाँ लगा करती थी। **(2)** मुहब्बते दुनिया, जबकि वह दीन के ताबेअ़ हो तो जायज़ है। **(3)** क़तअ़ रहमी नाजायज़ और हराम है। **(4)** ये हदीस़ तालीमे क़ुर्आन की अफ़ज़लियत पर दलालत करती है।

﴾15﴿ باب فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

बाब : 15
सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أُمُّ الْقُرْآنِ وَأُمُّ الْكِتَابِ وَالسَّبْعُ الْمَثَانِي " .

(1457) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन' उम्मुल क़ुर्आन है, उम्मुल किताब और अस्सबउल मसानी है।'

(1457) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4704.

फ़ायदा : (उम्मुल) बमानी अस़ल है। चूंकि ये सूरते मुबारका मज़ामीने क़ुर्आन का ख़ुलास़ा है बिलख़ुसूस़ तोहीद (तौहीदे उलूहियत, रूबूबियत, अस्मा व स़िफ़ात) रिसालत और क़यामत। इसलिए इसे उम्मुल क़ुर्आन और उम्मुल किताब का नाम दिया गया है। और 'अस्सबउलमसानी' यानी वह सात आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। सूरह अलहज, आयत: 87 में है: (व लक़द आतैनाका सब्अ़म मिनल मसानी वल क़ुर्आनल अज़ीम) 'बिलाशुब्हा हमने आपको सात आयतें दी हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और अ़ज़मत वाला क़ुर्आन दिया है।'

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ عَاصِمٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَعَاهُ قَالَ فَصَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ قَالَ فَقَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي " . قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي . قَالَ " أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } لأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ " . شَكَّ خَالِدٌ " قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَكَ . قَالَ " { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي الَّتِي أُوتِيتُ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ"

(1458) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) इनके पास से गुज़रे जब कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे। पस आपने उनको बुलाया। वह कहते हैं कि मैंने अपनी नमाज़ मुकम्मल की फिर आप की ख़िदमत में हाज़िर हूआ। आपने पूछा: 'तुम को मुझे जवाब देने से क्या चीज़ मानेअ हूई' (हाज़िर क्यों नहीं हूए?) उन्होंने कहा: मैं नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमाया: 'क्या अल्लाह ने ये नहीं फ़रमाया: ऐ ईमान वालो! अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दो जब वह तुम्हें बुलायें ऐसी चीज़ की तरफ़ जो तुम्हें ज़िन्दगी दे।' (जो वह हुक्म दें उस पर फ़ौरन अमल पैरा हो जाओ) (फ़िर फ़रमाया:) 'मैं तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले आज़म (अफ़ज़ल) सूरत सिखाऊंगा। 'ख़ालिद को शक हूआ कि हदीस़ के लफ़्ज़ 'मिन कुर्आन' हैं या 'फ़िल कुर्आन' (फिर कुछ देर गुज़री तो) मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमाया था ... आपने फ़रमाया ... ' (वह सूरत) (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) है। ये अस्सबअुल मसानी अलमस़ानी है जो मुझे दी गई है और अलक़ुर्आनल अज़ीम है।'

(1458) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4474.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) का मक़ाम ये है कि आपकी पुकार का फ़ौरन जवाब देना फ़र्ज़ था। ख़्वाह इन्सान नमाज़ में भी हो। और अब ये है कि मोमिन को चाहिए कि किताब व सुन्नत के अहकाम सुनकर बिला हीलो हुज्जत इन पर अमल करे और तरद्दुद व पस़ो पेश (टालमटोल)

की कैफ़ियत से बाज़ रहे और इसी में हयात और निजात है। (2) 'अ़ज़ीम' के मानी मिक़दार (मात्रा) में बड़ा होना ही नहीं हैं बल्कि मक़ाम व रूतबे के लिहाज़ से भी बड़े को 'अ़ज़ीम' कहते हैं। इससे ज़बान ज़दअवाम रिवायत (फ़इजा रअयतुम इख़्तिलाफ़न फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म) (सुनन इब्ने माजा, अलफ़ितन, हदीस: 3950) के मानी भी मुतअय्यन हो जाते हैं। 'सवादे आज़म की इत्तेबा करो' यानी वह जमाअत जो अफ़ज़ल हो। ये रिवायत अगरचे सख़्त ज़ईफ़ है, लेकिन अगर इसे किसी दर्जे में तस्लीम कर लिया जाये तो अ़ज़ीम के मानी यहाँ अक्सर के नहीं, अफ़ज़ल के होंगे। और अफ़ज़लियत इत्तेबा–ए–क़ुर्आन व सुन्नत में है न कि भीड़ जमा हो जाने में।

बाब : 16
उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि फ़ातिहा लम्बी सूरतों में से है

﴾16﴿
باب مَنْ قَالَ هِيَ مِنَ الطُّوَلِ

(1459) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को सात आयतें दी गई हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं और बड़ी लम्बी हैं। और मूसा अ़लैहिस्सलाम को छः दी गई थी। जब उन्होंने तख़्तीयों को ज़मीन पर डाल दिया तो उनमें से दो को उठा लिया गया और चार बाक़ी रहीं।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي الطُّوَلِ وَأُوتِيَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ سِتًّا فَلَمَّا أَلْقَى الأَلْوَاحَ رُفِعَتْ ثِنْتَانِ وَبَقِيَ أَرْبَعٌ

(1459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 916.

फ़ायदा : बार बार दोहराई जाने वाली सात आयतें फ़ातिहा की हैं जो लफ़्ज़ों के हिसाब से अगरचे मुख़्तसर हैं मगर बा'एतबारे मानी बड़ी लम्बी लम्बी हैं।

बाब : 17
आयतलकुर्सी की फ़ज़ीलत

﴾17﴿

باب مَا جَاءَ فِي آيَةِ الْكُرْسِيِّ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَبَا الْمُنْذِرِ أَىُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " أَبَا الْمُنْذِرِ أَىُّ آيَةٍ مَعَكَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَعْظَمُ " . قَالَ قُلْتُ { اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ } قَالَ فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ " لِيَهْنِ لَكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ الْعِلْمُ " .

(1460) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'ऐ अबू मुन्ज़िर! तुम्हें किताबुल्लाह में से सबसे अ़ज़ीम आयत कौनसी याद है?' मैंने अ़र्ज़ किया: अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने (फिर) फ़रमाया: 'ऐ अबू मुन्ज़िर! तुम्हें किताबुल्लाह में से कौनसी आयत याद है जो सबसे अ़ज़ीम हो?' मैंने अ़र्ज़ कि 'अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल हय्यूल क़य्युम' इस पर आप(ﷺ) ने मेरे सीने में मारा और फ़रमाया: 'ऐ अबू मुन्ज़िर! तुम्हें इल्म मुबारक हो।'

(1460) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़: 810.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ आयतुलकुर्सी की फ़ज़ीलत पर दलालत करती है। **(2)** आयतलकुर्सी दीगर आ़म आयात की निस्बत से लम्बी होने के साथ साथ मानी और फ़ज़ीलत व स़वाब के लिहाज़ से बहुत बड़ी है। क्योंकि ये अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ात पर मुश्तमिल है। **(3)** इल्म अल्लाह तआ़ला की ख़ास़ दैन है जिसे वह इनायत फ़रमा दे और बिलख़ुसूस़ कुर्आन व सुन्नत का इल्म। **(4)** रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद आयतलकुर्सी पढ़े, उसको मौत के अ़लावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ़ (रूकावट) नहीं है।' (सुनन कुबरा नसाई, अ़मलुल यौम वल लैला, हदीस़: 9927) **(5)** ये हदीस़ ताज़ीमे रसूल (ﷺ) पर भी दलालत करती है। **(6)** इससे कुर्आन मुक़द्दस के कुछ हिस्से की कुछ पर फ़ज़ीलत स़ाबित होती है। **(7)** दीनी मस़लिहत की बिना पर किसी शख़्स़ की मुँह पर मदह सराई जायज़ है जबकि उसके ख़ुद पसन्दी और तकब्बुर में मुब्तला होने का अन्देशा न हो। वल्लाहू आ़लम.

बाब : 18
सूरह इख़्लास की फ़ज़ीलत

﴾18﴿
بَابٌ فِي سُورَةِ الصَّمَدِ

(1461) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मनक़ूल है कि एक शख़्स ने दूसरे को सुना कि वह 'क़ुल हुवलाहु अहद' बार बार पढ़ रहा था। सुबह हूई तो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और इस बात का आपसे ज़िक्र किया ... और वह गोया उसको कम समझ रहा था। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये तिहाई क़ुर्आन के बराबर है।'

(1461) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5013, मौता: 1/208.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، سَمِعَ رَجُلاً، يَقْرَأُ ‏{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}‏ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَانَ الرَّجُلُ يَتَقَالُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ‏"‏

बाब : 19
मुअव्विज़तैन की फ़ज़ीलत

﴾19﴿ بَابٌ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

(1462) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ﷺ) ने कहा कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) की ऊँटनी की नकेल पकड़े चल रहा था कि आपने मुझसे फ़रमाया: 'ऐ उ़क़्बा! क्या मैं तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी गई सूरतें न सीखा दूं।' चूनांचे आपने मुझे 'क़ुल अऊ़ज़ुबि रब्बिल फ़लक़' और 'क़ुल अऊ़ज़ुबिरब्बिन्नास' सिखाई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने महसूस किया कि मैं इन पर कोई बहुत ज़्यादा ख़ूश नहीं हूआ हूं। कहा: फिर जब

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لِي ‏"‏ يَا عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا ‏"‏ ‏.‏ فَعَلَّمَنِي ‏{‏ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ‏}‏ وَ ‏{‏ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } قَالَ فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ " يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़े फ़ज्र के लिए उतरे और लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ में यही दो सूरतें तिलावत कीं। जब आप नमाज़ से फ़ारिग़ हूए तो मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए और फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! कैसा पाया' (इन सूरतों को?)

(1462) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 5438, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 535.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उक़्बा (ﷺ) शायद समझे कि कोई ख़ास़ लम्बी सूरतें पढ़ाई जायेंगी मगर ये मुख़्तसर थीं, इसलिए शुरू में कोई ज़्यादा ख़ुश नहीं हूए तो नबी (ﷺ) ने नमाज़े फ़ज्र में इनकी क़िराअत करके इनकी फ़ज़ीलत व अहमियत वाज़ेह फ़रमा दी। नीज़ स़ाबित है कि ये सूरतें जादू और नज़रे बद को दूर करने के काम भी आते हैं। **(2)** और कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि वह लम्बे लम्बे पुर मशक़्क़त के शायक़ रहते हैं। हालांकि चाहिए कि सुन्नते स़हीहा से स़ाबित शुदा (आसान) और हल्के अज़कार को अपना मअ़मूल बनाया जाये, इसमें मेहनत कम और अज्र व फ़ज़ीलत ज़्यादा है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَسِيرُ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْجُحْفَةِ وَالأَبْوَاءِ إِذْ غَشِيَتْنَا رِيحٌ وَظُلْمَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ بِـ {أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } وَيَقُولُ " يَا عُقْبَةُ تَعَوَّذْ بِهِمَا فَمَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِهِمَا " . قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَؤُمُّنَا بِهِمَا فِي الصَّلاَةِ .

(1463) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक बार मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहा था, हम जुहफ़ा और अबवा के दरम्यान थे कि आँधी आई और सख़्त अन्धेरा छा गया, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) 'कुल अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक' और 'कुल अऊज़ुबिरब्बिन्नास' पढ़ने लगे और फ़रमाने लगे 'ऐ उक़्बा! इनकी तिलावत से तअव्वूज़ किया करो। (अल्लाह से पनाह माँगा करो) किसी पनाह माँगने वाले ने इनसे बढ़ कर अफ़ज़ल कलिमात से पनाह नहीं माँगी।' उक़्बा कहते हैं: मैंने सुना कि आप इन्हीं सूरतों के साथ नमाज़ में हमारी इमामत फ़रमाते थे।

(1463) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 2/394, 395.

बाब : 20
क़िराअत की तरतील का इस्तेहबाब

﴿20﴾ بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا " .

(1464) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'स़ाहिबे क़ुर्आन से कहा जायेगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, और इसी तरह ठहर ठहर कर पढ़, जैसे कि दुनिया में पढ़ा करता था, जहां आख़री आयत ख़त्म करेगा वहीं तेरा मक़ाम होगा।'

(1464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2914, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1790, तल्ख़ीसुल मुसतदरक: 1/553, इब्ने माजा, हदीस़: 3780.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह मुज़्ज़म्मिल में हुक्म है कि 'वरत्तिलिल क़ुर्आन तरतीला' यानी क़ुर्आन करीम को ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी जल्दी न की जाये और अल्फ़ाज़ व मानी से नसीहत हासिल किया जाये। **(2)** इस हदीस़ में मुख़्लिस़ बिलअ़मल हुफ़्फ़ाज़, क़ारी और क़ुर्आन की तिलावत को अपना मअ़मूल बनाने वालों की फ़ज़ीलत का बयान है कि आ़म मुसलमानों के मुक़ाबले में ये लोग सबसे अफ़ज़ल होंगे जबकि कुछ उ़लमा का ये क़ौल भी है कि क़ुर्आन के तक़ाज़ों पर अ़मल भी बमानी क़िराअत ही है जैसा कि इरशादे बारी तआ़ला है: 'ये अ़ज़ीम किताब है जो हमने आपकी तरफ़ नाज़िल की है, बड़ी बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयात में ग़ौर व फ़िक्र करें और अ़क़्ल वाले नस़ीहत पकड़ें।'(सॉद: 29) और ऐसा हिफ़्ज़ और ऐसी तिलावत जो इख़्लास़ और अ़मल से ख़ाली हो उस पर बताये गए दरजात मुरत्तब नहीं होंगे। अलअ़याज़ बिल्लाह.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ قِرَاءَةِ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم فَقَالَ كَانَ يَمُدُّ مَدًّا

(1465) क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत अनस(ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो उन्होंने कहा: आप अल्फ़ाज़ को मद के साथ (खींच कर लम्बा करके) पढ़ा करते थे।

(1465) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 5040.

फ़ायदा : यानी जिन अल्फ़ाज़ में मद है उनको मद से और जिनमें लीन है उनको लीन से। मक़सद ये कि मारूफ़ अरबी लहन के साथ पढ़ते थे।

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ عَنْ قِرَاءَةِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَلاَتِهِ فَقَالَتْ وَمَا لَكُمْ وَصَلاَتَهُ كَانَ يُصَلِّي وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ مَا نَامَ ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى حَتَّى يُصْبِحَ وَنَعَتَتْ قِرَاءَتَهُ فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ قِرَاءَتَهُ حَرْفًا حَرْفًا

(1466) यअ़ला बिन ममलक से रिवायत है कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िराअत और आपकी नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा: तुम्हारा उनकी नमाज़ से क्या मुक़ाबला? आप नमाज़ पढ़ते थे फिर उसी क़द्र सो जाते थे जितना कि नमाज़ पढ़ी होती थी। फिर उठ कर नमाज़ पढ़ते थे जिस क़द्र कि सोये होते। फिर सो जाते जिस क़द्र नमाज़ पढ़ी होती, यहाँ तक कि सुबह हो जाती। उन्होंने आप (ﷺ) की क़िराअत का अन्दाज़ भी बताया कि एक एक हरफ़ अलग अलग होता था।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 2923.

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفَتْحِ وَهُوَ يُرَجِّعُ

(1467) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़तहे मक्का के दिन देखा कि आप अपनी ऊंटनी पर सवार सूरह फ़तह पढ़ रहे थे और तरजीअ़ से पढ़ रहे थे।

(1467) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7540, व मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 794.

फ़ायदा : सही हदीस में है कि जनाब मुआविया बिन कुर्रा ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) की क़िराअत पढ़ कर सुनाई और कहा कि अगर लोगों के इकट्ठे हो जाने का अन्देशा न होता, तो मैं तुम्हें सय्यदन इब्ने मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) की क़िराअत सुनाता जो उन्होंने मुझे नबी (ﷺ) से सुनाई थी। शौबा कहते हैं: मैंने पूछा इनकी तरजीअ़ किस तरह थी? उन्होंने कहा: आ आ आ, तीन बार' (सही बुख़ारी, अत्तौहीद, हदीस: 7540) तरजीअ़ से मुराद आवाज़ को हल्क़ में लौटाना और बलन्द करना है ताकि लहन लज़ीज़ बन जाये। मालूम हूआ तरजीअ़ और उम्दा लहन से क़ुर्आन पढ़ना मुस्तहब और मतलूब है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ "

(1468) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपनी आवाज़ों से कुर्आन को ज़ीनत दो।'

(1468) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस:1016 इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1551, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 660, इब्ने माजा, हदीस: 1342.

फ़ायदा : उम्दा आवाज़ और मशरूअ लहन से कुर्आन पढ़ने में लज़्ज़त आती है और सुनने में दिल लगता है और इसके बरअक्स अगर आवाज़ भद्दी और लहन ग़लत और ग़ैर मशरूअ हो तो तबीअत में गिरानी (भारीपन) महसूस होती है। अल्लामा मुन्ज़िरी इस हदीस के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं कि इसमें मक़लूब तरकीब (इल्मे बयान की एक सिफ़त का नाम है कि जिसकी इबारत उल्टी सीधी जिस तरह भी पढ़ी जाये मफ़हूम वही रहे) इस्तेमाल हुई है। और असल ये है कि 'अपनी आवाज़ को कुर्आन से ज़ीनत दो।' यानी इसकी क़िराअत को अपना मअमूल व आदत बना लो। इस मफ़हूम में वह एक रिवायत भी लाये हैं। (तफ़्सील के लिए देखिए: औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، بِمَعْنَاهُ أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، - وَقَالَ يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، وَقَالَ، قُتَيْبَةُ هُوَ فِي كِتَابِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ "

(1469) अबू अल वलीद तयालिसी की सनद से हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) से रिवायत है... और यज़ीद (रावी) की सनद में हज़रत सईद बिन अबी सईद (ﷺ) से रिवायत है और क़ुतैबा ने भी यही कहा कि मेरी किताब में सईद बिन अबी सईद है ... उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स कुर्आन को ख़ूश इल्हानी से न पढ़े वह हममें से नहीं।'

(1469) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/170, अल हुमैदी, हदीस: 76, 77.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी कुर्आन करीम को अच्छी आवाज़ से पढ़ना, ताकीदी इरशाद है। लिहाज़ा बच्चों को छोटी उमर से इसकी तरबियत दी जानी चाहिए, मगर ये दर्स माहिर उस्ताद से लिया

जाये। अज़ख़ूद मश्क़ करने से बहुत सी ग़लतियाँ होती हैं और गाने के अन्दाज़ से बहुत मुशाबहत हो जाती है जो कि मना है। इसके अलावा दिखावा भी नहीं होना चाहिए, जो उस्ताद के बग़ैर अपने तौर पर आवाज़ को ख़ूबसूरत बनाने से बिलउमूम पैदा हो जाता है। **(2)** इस हदीस का एक दूसरा मफ़हूम भी है जिसे अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने ज़िक्र किया कि। यानी जो शख़्स क़ुर्आन पढ़ कर उसका इल्म हासिल करके तलबे दुनिया और दीगर लायानी उलूम बिलख़ुसूस लग्व शेअर व सुख़न से बेपरवाह न हो जाये वह हममें से नहीं है। मक़सद ये है कि क़ारी क़ुर्आन और आलिमे दीन को चाहिए कि इस शर्फ़ के हासिल हो जाने पर हुतामे दुनिया (दुनिया के माल व दौलत) को जमा करने और बेहूदा कामों से अलग रहे।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

(1470) हज़रत सअद (ﷺ) ने कहा कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया ... और ऊपर वाली हदीस के मिस्ल बयान किया।

(1470) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 1/179, हुमैदी, हदीस: 76, हाकिम, हदीस: 1/569.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْوَرْدِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ مَرَّ بِنَا أَبُو لُبَابَةَ فَاتَّبَعْنَاهُ حَتَّى دَخَلَ بَيْتَهُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا رَجُلٌ رَثُّ الْبَيْتِ رَثُّ الْهَيْئَةِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ " . قَالَ فَقُلْتُ لاِبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَرَأَيْتَ إِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَنَ الصَّوْتِ قَالَ يُحَسِّنُهُ مَا اسْتَطَاعَ

(1471) उबेदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने बयान किया कि हज़रत अबू लुबाबा (ﷺ) हमारे पास से गुज़रे, हम उनके पीछे हो लिए, यहाँ तक कि वह अपने घर में दाख़िल हो गये तो हम भी अंदर गये। हमने देखा कि बड़ा ही पुराना घर और उनकी अपनी हालत भी बहुत सादा सी थी। मैंने उनसे सुना, कहते थे: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमाते थे: 'जो शख़्स क़ुर्आन करीम को ख़ूश इल्हानी से न पढ़े वह हममें से नहीं।' (रावी हदीस अब्दुल जब्बार ने) कहा: मैंने इब्ने अबी मुलैका से कहा: अगर वह ख़ूश आवाज़ न हो तो? उन्होंने कहा: जहां तक मुमकिन हो आवाज़ को उम्दा बनाये।

(1471) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 2/54, बुख़ारी, हदीस: 7527.

फ़ायदा : जनाब इब्ने अबी मुलैका ने हदीस के अल्फ़ाज़ को 'ख़ूश इल्हानी' पर महमूल किया है जबकि हज़रत अबू लुबाबा (ﷺ) का ज़ाहिर हाल ज़ाती और घर बार का ये था कि उन्होंने इस तरफ़ को तव्वजोह ही नहीं रखी थी। ग़ालिबन उन्होंने अल्फ़ाज़े हदीस के मानी 'इस्तग़ना' मुराद ले रखे थे। वल्लाहू आलम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالَ قَالَ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ ‏.‏

(1472) मुहम्मद बिन सुलेमान अंबारी बयान करते हैं कि हज़रत वकीअ और इब्ने उयय्ना (रह.) पिछली हदीस के मानी ये लेते थे कि इससे मुराद 'इस्तग़ना' है।

(1472) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مَالِكٍ، وَحَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏"‏ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَىْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ

(1473) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल किसी चीज़ को इस क़द्र कान लगाकर नहीं सुनता, जितना कि किसी ख़ूश इल्हानी नबी के बलन्द आवाज़ से क़ुर्आन पढ़ने पर कान लगाता है।'

(1473) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 792 व बुख़ारी, हदीस: 7544.

फ़ायदा : यहां 'यतग़न्ना बिलक़ुर्आन' के मानी 'यज्हरूबिही' यानी बलन्द आवाज़ से पढ़ना लिये गये हैं।

﴿21﴾ باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ

बाब : 21
क़ुर्आन याद करके भुला देने की मज़म्मत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ قَالَ

(1474) हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स क़ुर्आन पढ़कर भुला दे, वह क़यामत के रोज़ अल्लाह से इस

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا مِنِ امْرِئٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ يَنْسَاهُ إِلاَّ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ "

हालत में मिलेगा कि वह जोज़ाम (कोढ़) ज़दा होगा।'

(1474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 749में देखें, मुसनद अहमद: 4/285, व दारमी, हदीस: 3343.

मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। यज़ीद बिन अबी ज़ियाद नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल ये बहुत बड़ा ऐब है कि इन्सान क़ुर्आन पढ़कर या हिफ़्ज़ करके या तर्जुमा पढ़कर भुला दे। ज़ाहिर है कि ये उसी वक़्त होता है जब इन्सान ग़फ़लत शेआर हो, वरना अगर हाफ़ज़ा ही साथ छोड़ जाये तो वह और बात है। वह इंशाअल्लाह मुआफ़ है।

(22) باب أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ

बाब : 22 क़ुर्आन मजीद सात हूरूफ़ पर उतारा गया है

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ

(1475) अ़ब्दुर्रहमान बिन अ़ब्दुल क़ारी कहते हैं कि मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को सुना, वह बयान करते थे कि मैंने हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम को सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना, मगर उसकी क़िराअत उसके ख़िलाफ़ थी जो मैं पढ़ता था और रसूलुल्लाह (ﷺ) ही ने मुझे ये सूरत पढ़ाई थी। क़रीब था कि मैं उस पर जल्दी करता (और झपट पड़ता) मगर मैंने उसको मोहलत दी यहाँ तक कि वह फ़ारिग़ हूआ, फिर मैंने उसकी गर्दन अपनी चादर से पकड़ ली और रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में ले आया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मैंने उसको सूरह फ़ुरक़ान पढ़ते सुना है और ये

الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ " . فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ لِي " اقْرَأْ " . فَقَرَأْتُ فَقَالَ " هَكَذَا أُنْزِلَتْ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ "

इसके ख़िलाफ़ पढ़ता है जो आपने मुझे पढ़ाई है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'पढ़ो' चूनांचे उसने उसी क़िराअत में पढ़ी जो मैंने उससे सुनी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस तरह उतारी गई है। 'फिर मुझे फ़रमाया: 'पढ़ो' चूनांचे मैंने भी पढ़ी, तो आपने फ़रमाया: 'ऐसे ही उतारी गई है' फिर फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा ये क़ुर्आन सात हर्फ़ पर नाज़िल किया गया है, तो उससे जो आसान लगे पढ़ो।'

(1475) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2419, व मुस्लिम सलातुल मुसाफ़िरीन, हदीस: 818, मौता, 1/201.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उमर (رضي الله عنه) का ये हीजान इस ग़ैरत की बिना पर था जो उनके इल्म के मुताबिक़ ख़िलाफ़े सुन्नते नबवी क़िराअत सुनकर पैदा हूई थी। **(2)** 'सात हर्फ़' की मुख़्तलिफ़ तावीलात हैं और इस सिलसिले में अल्लामा सुयूती ने 'अलइतक़ान' में तीन अक़्वाल ज़िक्र किये हैं। इन अक़्वाल में से क़रीब तर क़ौल और अल्लामा शम्सुलहक डयानवी (रह.) साहिबे औनुल माबूद की तरजीह के मुताबिक़ ये है कि इससे वह लुग़ात और बोलने के तरीके मुराद हैं जो अहम सात क़बाइले अरब में प्रचलित थे। उन लोगों के लिए इस दौर में किसी दूसरे क़बीले की लुग़त और उस्लूब को क़बूल कर लेना कुछ अस्बाब की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वह क़बाइल ये हैं: हिजाज, हुज़ैल, हवाज़िन, यमन, तै, सक़ीफ़ और बनी तमीम। ख़िलाफ़ते उस्मान (رضي الله عنه) के शुरू तक इन क़िराअतों और हर्फ़ में क़ुर्आन पढ़ा जाता रहा, मगर जब ममालिके इस्लामिया की हुदूद हद से ज़्यादा वसीअ हो गई और अजम की कसीर तादाद इस्लाम में दाख़िल हो गई, और मुख़्तलिफ़ क़िराअतों से उनके आपस में उलझने के वाक़िआत में कसरत आ गई तो हज़रत उस्मान (رضي الله عنه) ने अहले इल्म सहाबा किराम (رضي الله عنهم) और दीगर अस्हाबे हल व अक़्द (जानकारों) के मशवरे से एक क़िराअत (क़िराअते क़ुरैश) पर मसाहिफ लिखवा कर ममालिक में फेला दिए ताकि उम्मत, क़ुर्आन में इख़्तिलाफ़ व इफ़तराक़ से महफ़ूज़ रहे, बिलाशुब्हा उनका ये एहसान क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। (رضي الله عنه)
(तफ़सील के लिए देखिए: उलूमुलक़ुर्आन)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ قَالَ الزُّهْرِيُّ إِنَّمَا هَذِهِ الأَحْرُفُ فِي الأَمْرِ الْوَاحِدِ لَيْسَ تَخْتَلِفُ فِي حَلاَلٍ وَلاَ حَرَامٍ

(1476) ज़ोहरी (ﷺ) ने कहा कि ये (सात मुख़्तलिफ़) हर्फ़ एक ही मानी व मफ़हूम के हामिल होते हैं। इनसे हलाल व हराम में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं होता।

(1476) तख़रीज : (सनद सही) जामेअ मअमर बिन राशिद, सफ़ा: 219, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 20370.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أُبَىُّ إِنِّي أُقْرِئْتُ الْقُرْآنَ فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى حَرْفَيْنِ . قُلْتُ عَلَى حَرْفَيْنِ . فَقِيلَ لِي عَلَى حَرْفَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِي مَعِي قُلْ عَلَى ثَلاَثَةٍ . قُلْتُ عَلَى ثَلاَثَةٍ . حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ مِنْهَا إِلاَّ شَافٍ كَافٍ إِنْ قُلْتَ سَمِيعًا عَلِيمًا عَزِيزًا حَكِيمًا مَا لَمْ تَخْتِمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ أَوْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ "

(1477) हज़रत उबय बिन कअब (ﷺ) ने कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ उबय! मुझे क़ुरआन पढ़ाया गया तो कहा गया: एक हर्फ़ पर (पढ़ना पसन्द करते हो) या दो हर्फ़ों पर? तो वह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था, उसने कहा कि कहो: दो हर्फ़ों पर। तो मैंने कहा: दो हर्फ़ों पर। फिर मुझे कहा गया: दो हर्फ़ों पर या तीन हर्फ़ों पर? वह फ़रिश्ता जो मेरे साथ था, उसने कहा कि कहो तीन पर। मैंने कहा: तीन हर्फ़ों पर, यहाँ तक कि बात सात हर्फ़ों तक पहुँची। फिर कहा: इनमें से हर एक हर्फ़ शाफ़ी काफ़ी है। अगर आप 'समीअन अलीमन' की बजाये 'अज़ीज़न हकीमन' कह दें तो सही है, मगर किसी आयते अज़ाब को रहमत के साथ या किसी आयते रहमत को अज़ाब के साथ न बदलें।

(1477) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/124, हदीस: 29 में देखें।

फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। ताहम अवाख़िरे आयात में सिफ़ाते इलाहिया में तग़य्युर की रूख़सत सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ही को हासिल थी। उम्मत में से किसी को ये हक़ हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित शुदा मुतवातिर क़िराअत का इल्तेज़ाम वाजिब है।

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى حَرْفٍ . قَالَ " أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ إِنَّ أُمَّتِي لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ " . ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِيَةً فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُقْرِئَ أُمَّتَكَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا

(1478) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) क़बीला बनी ग़िफ़ार के तालाब के पास थे कि आप पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल हूए और फ़रमाया: बेशक अल्लाह तआ़ला आपको ये हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को एक हर्फ़ पर क़ुर्आन पढ़ायें। आप (ﷺ) ने कहा: 'मैं अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल से अ़फ़्वो मग़फ़िरत का साइल हूं, क्योंकि मेरी उम्मत इसकी ताक़त नहीं रखती। 'फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरी बार आये और पहले की मानिन्द ज़िक्र किया, यहाँ तक कि सात हर्फ़ों तक पहुँचे। फ़रमाया: अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अपनी उम्मत को (कलामुल्लाह) सात हर्फ़ों पर पढ़ायें, जिस हर्फ़ पर भी वह पढ़ेंगे, स़ही होगा।

(1478) तख़रीज : मुस्लिम, स़लातुल मुसाफ़िरीन, हदीस़ : 821.

﴿23﴾ باب الدُّعَاءِ

बाब : 23
(आदाबे) दुआ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ يُسَيْعٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)

(1479) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दुआ इबादत ही है। तुम्हारे रब ने फ़रमाया है: मुझे पुकारो, मैं क़बूल करूंगा।'

(1479) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2969, व इब्ने माजा, हदीस़: 3828, व स़ही इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2396, हाकिम: 1/490, 491.

फ़ायदा : जब दुआ इबादत है तो ग़ैरूल्लाह से दुआ करना शिर्क हूआ। लिहाज़ा ज़बान ज़द आम कलिमात या रसूलल्लाह (ﷺ), या अली, या हुसैन, या ग़ौस़ वग़ैरह क़िस्म के अन्दाज़ से दुआयें करना, नारे लगाना या उनके तग़रे लिखना और लटकाना स़रीह शिर्क है और इनसे बचना फ़र्ज़ है और ऊलामाए हक़ पर वाजिब है कि अ़वाम को मसल–ए–तौहीद की अहमियत और नज़ाकत से आगाह करते रहा करें।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ، عَنْ أَبِي نُعَامَةَ، عَنِ ابْنٍ لِسَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعَنِي أَبِي، وَأَنَا أَقُولُ اللَّهُمَّ، إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَبَهْجَتَهَا وَكَذَا وَكَذَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَسَلاَسِلِهَا وَأَغْلاَلِهَا وَكَذَا وَكَذَا فَقَالَ يَا بُنَىَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ " . فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَإِنْ أُعِذْتَ مِنَ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ

(1480) हज़रत सअ़द (ﷺ) के एक साहबज़ादे कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझे सुना कि मैं इस तरह से दुआ कर रहा था: ऐ अल्लाह! मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और उसकी नेमतों का और रौनक़ों का और ये और ये। और जहन्नम से पनाह माँगता हूं और उसकी ज़न्जीरों और तौक़ों से और उसकी ऐसी ऐसी बलाओं से। तो उन्होंने कहा: बैटे! मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आप फ़रमाते थे: 'अंक़रीब कुछ लोग होंगे जो दुआ में मुबालग़ा करेंगे।' तो ख़्याल रखो कहीं उनमें से न बन जाना। अगर तुझे जन्नत मिल गई तो उसकी तमाम ख़ैरात तुम्हें मिल जायेंगी। और अगर जहन्नम से बच गये तो उसकी तमाम आफ़तों से भी बच जाओगे।

(1480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/183, हदीस़: 1584.

फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक स़ही है। हमारे फ़ाज़िल मुहक़्क़िक़ के नज़दीक भी इसका पहला हिस्सा स़ही है, क्योंकि इतना हिस्सा दूसरे तरीक़े से स़ाबित है, देखिए हदीस़: 96.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ، حُمَيْدُ بْنُ هَانِئٍ أَنَّ أَبَا عَلِيٍّ، عَمْرَو بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُ

(1481) स़हाबी रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत फ़ज़ाला बिन उबैद (ﷺ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स़ को नमाज़ में दुआ करते हूए सुना कि उसने अल्लाह की

أَنَّهُ، سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلاَتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ تَعَالَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَجِلَ هَذَا " . ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ

हम्द व स़ना न की थी और न नबी (ﷺ) के लिए दरूद पढ़ा था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसने जल्दी की' फिर उसको बुलाया और उसे या किसी दूसरे से फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो पहले अपने रब की हम्द व स़ना बयान करे, फिर नबी (ﷺ) के लिए दरूद पढ़े, इसके बाद जो चाहे दुआ करे।'

(1481) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3477, स़हीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस़: 709, 710, व इब्ने हिब्बान, हदीस़: 510, व हाकिम: 1/230, 268.

फ़ायदा : नमाज़ में तशह्हुद की तरतीब यही है और नमाज़ के अलावा दुआओं का अदब भी यही है।

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِي نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ الْجَوَامِعَ مِنَ الدُّعَاءِ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ

(1482) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जामेअ़ दुआयें पसन्द फ़रमाया करते थे और उसके अ़लावा को छोड़ देते थे।

(1482) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 6/148, 188, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2412, हाकिम: 1/539.

फ़ायदा : यानी ऐसी दुआयें जो दुनिया व आख़िरत की भलाईयों की जामेअ़ हों, नीज़ इनके अल्फ़ाज़ कम और मानी बहुत ज़्यादा हों जैसे कि मारूफ़ दुआ है। (रब्बना आतैना फ़िद्दुनिया हसनतव व फ़िल आख़िरति हसनतव व क़िना अज़ाबन्नार).

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(1483) हज़रत अबूहुरैरह (رضي الله عنه) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम में से कोई ऐसे दुआ मत करे कि या अल्लाह!

صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ "

मुझे बख़्शश दे अगर चाहे तो। या अल्लाह मुझ पर रहम फ़रमा अगर चाहे तो। जो माँगना है अ़ज़ीमत और पुख़्तगी से माँगो। अल्लाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता।'

(1483) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6339, मौता: 1/213.

फ़ायदा : इस अंदाज़ से दुआ में गोया दुआ करने वाला ख़ूद राग़िब नहीं होता और उसे ज़रूरत नहीं है। होना ये चाहिए कि पुख़्तगी और अ़ज़ीमत से माँगा जाये: 'ऐ अल्लाह! मुझे ये चीज़ इनायत फ़रमा।' क्योंकि अल्लाह जब देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي "

(1484) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से एक की दुआ क़बूल होती रहती है जब तक कि वह जल्दी न करे। यानी यूं कहे कि मैंने दुआ की मगर क़बूल नहीं हुई।'

(1484) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 6340, व मुस्लिम, हदीस़: 6340, मौता: 1/213, (अबू मुसअ़ब: हदीस़: 618, इब्ने क़ासिम: स़फ़ा: 129).

तौज़ीह : यानी ताख़ीर से बेचेन हो जाये या वैसे ही मायूसी का इज़हार करने लगे और ये दोनों ही सूरतें ठीक नहीं हैं। ख़्याल रहे कि क़बूलियत के लिए एक वक़्त मुक़र्रर है, लिहाज़ा बंदे को हमेशा माँगते रहना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अ़लैहि.) की फ़िरऔन के लिए बद्दुआ चालीस साल बाद क़बूल हूई थी। और मायूसी (क़नूत वयास) काफ़िरों की सिफ़त है। नीज़ क़बूलियते दुआ की कई सूरतें होती हैं। (1) ऐ़न जो दुआ की गई है उसका बरवक़्त मिल जाना। (2) ताख़ीर से मिलना, जिसमें कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। (3) कुछ औक़ात ऐ़न मतलूब तो नहीं दिया जाता मगर उसके बदले कोई और शर दूर कर दिया जाता है या फ़ायदा पहुँचा दिया जाता है। (4) या उसकी दुआ को आख़िरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है जब कि इन्सान बहुत ज़्यादा मोहताज होगा। (औनुल माबूद) कभी ऐसे भी होता है कि ऐक नाफ़रमान और आ़सी क़िस्म का आदमी दुआ करता है तो उसका मतलूब उसे बड़ी जल्दी मिल जाता है, मगर स़ालेह इन्सान माँगता रहता है और उसे नहीं दिया जाता। उसकी हक़ीक़ी हिकमत तो अल्लाह ही जाने, मगर बक़ौल

कुछ बुज़ुर्गों के चूंकि दस्ते दुआ बलन्द करना और ऐ अल्लाह! ऐ अल्लाह! पुकारना बज़ाते खूद इबादत और महबूब अमल है और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को अच्छा लगता है कि ये बंदा उसकी चौखट पर बैठा रहे, इसलिए उसका मतलूब उसको नहीं दिया जाता बल्कि उसके दर्जात बलन्द किये जाते और कुछ दूसरी नेमतें दी जाती हैं। जबकि दूसरा आसी इन्सान अल्लाह का मबग़ूज़ होता है और अल्लाह को उसकी अपने दरबार में हाज़िरी पसन्द नहीं होती, तो जूँ हीं वह कोई तलब पेश करता है, तो अल्लाह की मशियत होती है तो फ़ौरन उसे दे दी जाती है, नतीजतन वह अपना मतलूब पाकर फिर से अल्लाह से ग़ाफ़िल हो जाता है। इस तरह वह अल्लाह की क़ुर्बत और अज्र व सवाब से महरूम कर दिया जाता है। वल्लाहू आलम.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَسْتُرُوا الْجُدُرَ مَنْ نَظَرَ فِي كِتَابِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ فِي النَّارِ سَلُوا اللَّهَ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ كُلُّهَا وَاهِيَةٌ وَهَذَا الطَّرِيقُ أَمْثَلُهَا وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا

(1485) मुहम्मद बिन कअब क़ुरज़ी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीवारों को (कपड़ों वग़ैरह से) मत ढाँपो। जिस शख़्स ने अपने भाई की किताब (या तहरीर) में उसकी इजाज़त के बग़ैर देखा वह आग में देखता है। अल्लाह से माँगो तो हथेलियाँ फैला कर माँगो, हाथों की पुश्त से मत माँगों और जब तुम दुआ से फ़ारिग़ हो तो उन्हें अपने चेहरों पर फेर लिया करो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस मुहम्मद बिन कअब से कई सनदों से मरवी है और सभी ज़ईफ़ हैं। और ये (पिछली) सनद इन सबमें से अच्छी है, मगर ये भी ज़ईफ़ है।

(1485) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी, हदीस: 2/212, इब्ने माजा, हदीस: 3866 वग़ैरह.

फ़ायदा : 'दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने' की अहादीस इन्फ़ेरादन ज़ईफ़ हैं, मगर बक़ौल हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) मजमूई लिहाज़ से दर्जा, हसन तक पहुँचती हैं। (बुलुग़ूल मराम, हदीस: 1554) शैख़ अल्बानी (रह.) और हमारे मुहक़्क़िक़ शैख़ ज़ुबैर अली जई (रह.) वग़ैरह, हाफ़िज़ इब्ने हजर की इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। लेकिन कुछ दूसरे शुयूख़ कुछ आसारे सहाबा की बुनियाद पर, जिनमें हज़रत

अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) का ये अमल बयान किया गया है कि वह दुआ के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर लेते थे। देखिये: (अलअदब अलमुफ़रद, हदीस: 609) दुआ के बाद हाथों को चेहरे पर फेरने को जायज़ क़रार देते हैं। इसी तरह दुआये कुनूत भी इन उलमा के नज़दीक दुआ ही है। इस बुनियाद पर ये इनके नज़दीक हाथ फेरने के उमूम से इस्तेदलाल करते हूए इसके बाद भी चेहरे पर हाथ फेरना जायज़ होगा। एक जलीलुल क़द्र ताबेई हज़रत हसन बसरी और इमाम अहमद से कुनूते वित्र में भी हाथ फेरने का अमल साबित है। देखिए: (क़यामुल लैल, स: 236 व मसाइले इमाम अहमद रिवायत इब्ने अब्दुल्लाह, जि. 2, सं: 300) ताहम दुआए कुनूते वित्र चूंकि नमाज़ का एक हिस्सा है। इसलिए दुआए कुनूते वित्र के बाद मुँह पर हाथ फेरने से बचना बेहतर है। क्योंकि इसका सुबूत हदीस से मिलता है न अमले सहाबा से। वल्लाहू आलम.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ قَرَأْتُهُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ - حَدَّثَنِي ضَمْضَمٌ عَنْ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَةَ أَنَّ أَبَا بَحْرِيَّةَ السَّكُونِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ السَّكُونِيِّ ثُمَّ الْعَوْفِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ بِبُطُونِ أَكُفِّكُمْ وَلاَ تَسْأَلُوهُ بِظُهُورِهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ لَهُ عِنْدَنَا صُحْبَةٌ يَعْنِي مَالِكَ بْنَ يَسَارٍ

(1486) अबू बहरिया सकूनी मालिक बिन यसार सकूनी औफ़ी से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुम अल्लाह से सवाल करो (दुआ करो) तो अपने हाथों की हथेलियों से माँगा करो, हाथों की पुश्त से न माँगा करो।'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल हमीद ने कहा कि हमारे इल्म के मुताबिक़ मालिक बिन यसार को शरफ़े सहाबियत हासिल है।

(1486) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, हदीस:1639. (मज्मउज़्ज़वाइद: 10/169).

फ़ायदा : आम दुआओं में हथेलियाँ ही फेलानी चाहिए, मगर नमाज़े इस्तिस्क़ा में जब क़हत और ख़ुश्की दूर करने की दुआ की जाये तो बतौर तफ़ावूल (नेक शगून) हाथों की पुश्त ऊपर की जानिब की जाये जो कि सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित है।

حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَبْهَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى

(1487) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा आप अपने हाथों की हथेलियों की जानिब से और पुश्त की जानिब से भी दुआ करते थे।

الله عليه وسلم يَدْعُو هَكَذَا بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَظَاهِرِهِمَا

(1487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सही है लेकिन इन अल्फ़ाज़ के साथ कि 'आपने हथेलियों का ज़ाहिर मुँह की तरफ़ और पुश्त ज़मीन की तरफ़ की।'

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مَيْمُونٍ صَاحِبَ الأَنْمَاطِ - حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا "

(1488) हज़रत सलमान फ़ारसी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा तुम्हारा रब बहुत हया वाला और सख़ी है। बंदा जब उसकी तरफ़ अपने हाथ उठाता है तो उसे हया आती है कि उन्हें ख़ाली लौटा दे।'

(1488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी हदीस: 3556, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2399.

फ़वाइद व मसाइल : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का 'हया करना' उसकी ख़ास सिफ़त है और इसी तरह है जैसे उसकी ज़ात को लायक़ है। अहले सुन्नत का अल्लाह तआला की तमाम सिफ़ात पर ईमान है। इनकी तफ़्सील व कैफ़ियत में जाना और पड़ना दुरूस्त नहीं है।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ - حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْمَسْأَلَةُ أَنْ تَرْفَعَ، يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ نَحْوَهُمَا وَالاِسْتِغْفَارُ أَنْ تُشِيرَ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ وَالاِبْتِهَالُ أَنْ تَمُدَّ يَدَيْكَ جَمِيعًا

(1489) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है कहा कि सवाल (यानी दुआ का अदब) ये है कि तुम अपने हाथ अपने कंधों के बराबर या उसके क़रीब बलन्द करो। और इस्तेग़फ़ार ये है कि अपनी एक ऊंगली से इशारा करो और इब्तेहाल (आजज़ी व इन्केसारी) यूँ है कि अपने दोनों हाथों को लम्बा करो।

(1489) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 1491 में देखें।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ وَالاِبْتِهَالُ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ ظُهُورَهُمَا مِمَّا يَلِي وَجْهَهُ

(1490) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन माबद बिन अब्बास ने इसी पिछली हदीस को बयान किया तो उसमें कहा कि इब्तेहाल (आजज़ी व इन्केसारी और दुआ में मुबालग़ा) ऐसे है और (अमलन) अपने दोनों हाथ उठाए और उनकी पुश्त को अपने चेहरे की तरफ़ किया।

(1490) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : जैसे कि दुआ–ए–इस्तिस्क़ा में साबित है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَخِيهِ، إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(1491) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन माबद बिन अब्बास अपने भाई इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह से, वह हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया ... और उसकी मानिंद ज़िक्र किया।

(1491) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ

(1492) साइब बिन यज़ीद अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) जब दुआ करते और अपने हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर फेर लिया करते थे।

(1492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/221.

फ़ायदा : इस मसले की तौज़ीह के लिए देखिये, हदीस: 1485 के फ़वाइद। नीज़ ख़याल रहे कि हर मौक़े की दुआ में हाथ उठाना भी साबित नहीं है। बेशुमार मौक़े हैं कि वहां दुआ मशरूअ है, मगर हाथ उठाना साबित ही नहीं हैं। जैसे खाने के बाद या नींद के मौक़े पर वग़ैरह.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ . فَقَالَ " لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِالاِسْمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ "

(1493) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि उनके वालिद का बयान है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने एक शख़्स को दुआ करते सुना वह कह रहा था: 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूं इस बिना पर कि मैं गवाही देता हूं कि तू ही अल्लाह है। तेरे सिवा और कोई माबूद नहीं। तू अकेला है, बेन्याज़ है जिसने न जना और न जना ही गया और कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं।' तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तूने अल्लाह से उसके इस नाम से सवाल किया है कि जब उससे उस नाम से माँगा जाये तो इनायत फ़रमाता है, दुआ की जाये तो क़ुबूल करता है।'

(1493) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3857, तिर्मिज़ी, हदीस: 3475, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2383, हाकिम: 1/504.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के अस्मा–ए–हुस्ना और सिफ़ाते आलिया के वसीला से दुआ करना मुस्तहब, मसनून और मतलूब है और मशरूअ वसीला की एक सूरत है। **(2)** अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के तमाम बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इनमें फ़र्क़ करना या एक को दूसरे पर फ़ौक़ीयत देना जायज़ नहीं जिसके क़ायल अबूल हसन अलअशअरी और अबूबक्र मुहम्मद अलबाक़लानी वग़ैरह हैं। इनके नज़दीक आज़म, अज़ीम के मानी है। इब्ने हिब्बान का ख़याल है कि यहां 'आज़मियत' से मुराद दाई के लिए मज़ीद अज्र व सवाब है। इमाम तीबी कहते हैं। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह तआला के लिए इस्मे आज़म है कि जब उसके साथ दुआ की जाये तो अल्लाह तआला कुबूल फ़रमाता है। (औनुल माबूद)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

(1494) मालिक बिन मिग़वल ने यही हदीस बयान की, इसमें कहा: 'बेशक उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उसके बड़े नाम (इस्मे आज़म के वास्ते) से सवाल किया है।'

بِاسْمِهِ الأَعْظَمِ "

(1494) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी हदीस: 3475.

फ़ायदा : मालूम हूआ कि अस्माए हुस्ना में 'इस्मे आज़म' भी है और वह सूरह इख़्लास में है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ حَفْصٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَخِي أَنَسٍ - عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ يَا حَىُّ يَا قَيُّومُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَقَدْ دَعَا اللَّهَ بِاسْمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى "

(1495) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठे हूए थे और एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। उसने दुआ की 'ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूं इसलिए कि तेरी ही तारीफ़ है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू बेइन्तिहा एहसान करने वाला है, आसमान व ज़मीन को बेमाद्दा व बे नमूना पैदा करने वाला है। ऐ जलाल व इकराम वाले! ऐ ज़िन्दा! ऐ निगरानी करने वाले!' तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहक़ीक़ उसने अल्लाह से उसके उस अज़ीम नाम के वास्ते से दुआ की है जिससे दुआ की जाये तो वह क़बूल करता है, माँगा जाये तो देता है।'

(1495) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1301, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2382, हाकिम, 1/503, 504.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اسْمُ اللَّهِ الأَعْظَمُ فِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ { وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ }

(1496) शहर बिन हौशब हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह का इस्मे आज़म इन दो आयतों में है: 'व इलाहुकुम इलाहुव वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम' और सूरह आले इमरान की इब्तेदाई आयत में 'अलीफ़ लाम मीम, अल्लाहू ला इलाह इल्ला हुवल हय्यूल क़य्यूम'

وَفَاتِحَةُ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ {الم * اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ} .

(1496) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी हदीस़: 3478.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُرِقَتْ مِلْحَفَةٌ لَهَا فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَى مَنْ سَرَقَهَا فَجَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُسَبِّخِي عَنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لاَ تُسَبِّخِي أَىْ لاَ تُخَفِّفِي عَنْهُ

(1497) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(رضي الله عنها) बयान करती हैं कि उनका एक लिहाफ़ चोरी हो गया तो वह चोर पर बद्दुआ करने लगीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाने लगे: 'उसके गुनाह को हल्का मत करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं 'ला तुसब्बिख़ी' के मानी 'ला तुख़फ़्फ़िफ़ी' हैं, यानी हल्का न करो कम न करो।

(1497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस़: 6/45, नसाई, हदीस़: 7359, अहमद, हदीस़: 6/215.

तौज़ीह : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए इससे वह मसला स़ाबित नहीं होता जो इसमें बयान किया गया है।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، - رضى الله عنه - قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الْعُمْرَةِ فَأَذِنَ لِي وَقَالَ " لاَ تَنْسَنَا يَا أُخَىَّ مِنْ دُعَائِكَ " . فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا قَالَ شُعْبَةُ ثُمَّ لَقِيتُ عَاصِمًا بَعْدُ بِالْمَدِينَةِ فَحَدَّثَنِيهِ وَقَالَ " أَشْرِكْنَا يَا أُخَىَّ فِي دُعَائِكَ "

(1498) हज़रत उमर (رضي الله عنه) का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उमरह करने की रूख़्स़त चाही। आपने मुझे इजाज़त दे दी और फ़रमाया: 'मेरे प्यारे भाई! हमें अपनी दुआ में मत भूलना' आपने ऐसे लफ़्ज़ फ़रमाये कि मुझे उनके बदले दुनिया भी मिले तो पसन्द नहीं। शौबा कहते हैं कि मैं बाद में जनाब आसिम से मदीना में मिला तो उन्होंने मुझे ये हदीस़ बयान की। उनके लफ़्ज़ थे: 'मेरे अज़ीज़ भाई! हमें अपनी दुआ में शरीक रखना।'

(1498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी हदीस़: 3562, इब्ने माजा, हदीस़: 2894.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत सनदन अगरचे ज़ईफ़ है लेकिन मअनन सही है। यानी इससे जो बातें साबित होती हैं दूसरी दलीलों से भी वह साबित हैं। जैसे रसूलुल्लाह (ﷺ) का हज़रत उमर को अपना भाई कहना। (2) इज्तेमाई ज़िन्दगी में किसी बड़े अहम काम के इक़दाम के लिए बुज़ुर्गों से इजाज़त लेना। (3) अहले फ़ज़ल से दुआए ख़ैर की दरख़्वास्त करना बिलख़ुसूस जब वह किसी फ़ज़ीलत वाले अमल में हों।

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ مَرَّ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَدْعُو بِأُصْبُعَىَّ فَقَالَ " أَحِّدْ أَحِّدْ " . وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ

(1499) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) मेरे पास से गुज़रे और मैं अपनी दो ऊंगलियाँ उठाये दुआ कर रहा था तो आपने फ़रमाया: 'एक से, एक से' और शहादत की ऊंगली से इशारा फ़रमाया।

(1499) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस:1274, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2405 वग़ैरह

फ़ायदा : नमाज़ में एक ऊंगली से इशारा अल्लाह की तौहीद का इस्बात और उसकी तरफ़ इशारा है।

(24) بَابُ التَّسْبِيحِ بِالْحَصَى

बाब : 24 (शुमार की ग़र्ज़ से) कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، حَدَّثَهُ عَنْ خُزَيْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ

(1500) आयशा बिन्ते सअद बिन अबी वक़्क़ास अपने वालिद हज़रत सअद (ﷺ) से रिवायत करती हैं कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ एक औरत के पास आये जबकि उस औरत के सामने गुठलियाँ थी या कंकरियाँ, वह उनके साथ तस्बीह पढ़ रही थी। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें वह चीज़ न बताऊं जो तुम्हारे लिए इससे आसान

فَقَالَ " أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ " . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ . وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ "

तर या अफ़ज़ल हो?' तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह की तस्बीह है उस मख़्लूक़ की तादाद में जो उसने आसमान में पैदा की। अल्लाह की तस्बीह है उस मख़्लूक़ की तादाद में जो उसने ज़मीन में पैदा की। अल्लाह की तस्बीह है उस मख़्लूक़ की तादाद में जो उसने इन दोनों के बीच पैदा की, अल्लाह की तस्बीह है उस मख़्लूक़ की तादाद में जो वह पैदा करेगा। और 'अल्लाहु अकबर' उसके मिस्ल और 'अल हम्दुलिल्लाह' उसके मिस्ल और 'ला इलाह इल्लल्लाह' उसी के मिस्ल और 'ला हैल वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाह' उसी के मिस्ल।'

(1500) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी हदीस़: 3568, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2330, हाकिम: 1/547, 548.

फ़ायदा : अल्लाह का ज़िक्र मारूफ़ तस्बीह के दानों पर शुमार करके पढ़ना रसूलुल्लाह (ﷺ) के क़ौल व फ़ेअल के ख़िलाफ़ है। नबी (ﷺ) ऊंगलियों पर पढ़ा करते और यही तालीम फ़रमाया करते थे। जैसे कि आइन्दा अहादीस़ में आ रहा है। सच्चे मुहब्बत करने वाले को इन्हीं उमूर पर क़ानेअ़ रहना चाहिए जो आपने इरशाद फ़रमाये हैं। ताहम अगर किसी को हिसाब में मुश्किल पेश आती हो और आसानी की ग़र्ज़ से तस्बीह पर पढ़ता हो तो मुबाह है, मगर इस्तेहबाब व फ़ज़ीलत के ख़िलाफ़ है। अगर रियाकारी मक़सद हो तो सरासर हराम है। मज़ीद देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया 22/506) ये ख़्याल न किया जाये कि ये चीज़ें उस दौर में नापेद थीं। हज़रत आयशा (رضي الله عنها) का हार टूटने का वाक़िआ मारूफ़ है। गले का हार और तस्बीह मिलती जुलती चीज़ें हैं।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ يَاسِرٍ،

(1501) हज़रत युसैरा (رضي الله عنها) ने ख़बर दी की नबी (ﷺ) ने उन्हें (स़हाबियात को) हुक्म दिया था कि वह अल्लाह की तकबीर

عَنْ يُسَيْرَةَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّقْدِيسِ وَالتَّهْلِيلِ وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولاَتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ

'अल्लाहू अकबर' तक़दीस 'सुब्हानल मलिकिल क़ुद्दुस' और तहलील 'ला इलाह इल्लल्लाहू' की पाबन्दी इख़्तियार करें और ये कि अपनी ऊंगलियों पर शुमार किया करें क्योंकि इनसे सवाल होगा और ये बुलवाई जायेंगी।

(1501) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी हदीस: 3583, तल्ख़ीसुल मुसतरदक: 1/547.

फ़ायदा : रोज़े क़यामत जिस्म के हिस्से बुलवाये जायेंगे और शहादत देंगे जैसा कि क़ुर्आन मजीद में है: 'आज हम इनके मुँहों पर मुहर कर देंगे और इनके हाथ हम से बात करेंगे और इनके पाँव इनके किये की गवाही देंगे।' (यासीन:65) और सूरह अन्नूर में है: 'उस दिन इनकी ज़बानें, इनके हाथ और इनके पाँव इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो ये अमल करते रहे।' (अन्नूर: 24)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا عَثَّامٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ - بِيَمِينِهِ

(1502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को देखा कि आप अपने हाथ (कि ऊंगलियों) पर तस्बीह शुमार करते थे। (उस्ताद) इब्ने क़ुदामा ने वज़ाहत की कि अपने दायें हाथ से।

(1502) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी हदीस: 3411.

फ़ायदा : तस्बीहात सिर्फ़ दायें हाथ ही पर शुमार करना सुन्नत है।

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِ جُوَيْرِيَةَ - وَكَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ فَحَوَّلَ

(1503) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत जुवैरिया (ﷺ) के यहां से निकले ... इससे पहले उनका नाम 'बर्रा' था। और आपने उनका नाम तब्दील कर दिया था ... आप इनके यहां से निकले ओर वह अपने मुसल्ले पर थीं, फिर वापस तशरीफ़ लाये तो (देखा

اسْمَهَا - فَخَرَجَ وَهِيَ فِي مُصَلاَّهَا وَرَجَعَ وَهِيَ فِي مُصَلاَّهَا فَقَالَ " لَمْ تَزَالِي فِي مُصَلاَّكِ هَذَا " . قَالَتْ نَعَمْ . قَالَ " قَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "

कि) वह अपने मुसल्ले ही पर हैं। आपने पूछा: 'क्या तुम उस वक़्त से अपने मुसल्ले ही पर हो?' वह कहने लगीं: हाँ! आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हारे (यहां से जाने के) बाद चार कलिमात तीन बार कहे हैं, अगर उनको तुम्हारी तस्बीहात और ज़िक्र से वज़न किया जाये तो ये (मेरे कलिमात) भारी हो जायेंगे। यानी 'सुब्हान अल्लाहि वबिहमदिही अदद ख़लक़िही व रिज़ा नफ़्सिही व ज़िनता अरशिही व मिदाद कलिमातिही' पाकीज़गी है अल्लाह की उसकी तारीफ़ों के साथ, इस क़द्र जितनी कि उसकी मख़्लूक़ है और इतनी कि उससे वह राज़ी हो जाये और उसके अर्श के वज़न के बराबर और इस क़द्र जितनी कि उसके कलिमात की रोशनाई है।'

(1503) तख़रीज : मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऐसे नाम रखना जिनमें ख़ूद सताई का मफ़हूम निकलता हो, मुनासिब नहीं है। इसी तरह जिनमें कोई बुरा मानी हो, नबी (ﷺ) ऐसे नामों को तब्दील कर दिया करते थे। **(2)** जामेअ और मुख़्तसर विर्द इख़्तियार करना अफ़ज़ल है और ऊपर वाली तस्बीह इन्तेहाई मुख़्तसर और जामेअ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا

(1504) हज़रत अबुहूरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि हज़रत अबूज़र (رضي الله عنه) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! ये माल व दौलत वाले तो अज्र व सवाब ले गये (और हम ख़ाली रह गये!) वह नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे कि हम पढ़ते हैं, वह रोज़े रखते हैं जैसे कि हम रखते हैं और इनके पास ज़ायद अमवाल हैं जो वह सदक़ा करते हैं लेकिन हमारे पास

نَصُومُ وَلَهُمْ فُضُولُ أَمْوَالٍ يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَلَيْسَ لَنَا مَالٌ نَتَصَدَّقُ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا ذَرٍّ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تُدْرِكُ بِهِنَّ مَنْ سَبَقَكَ وَلاَ يَلْحَقُكَ مَنْ خَلْفَكَ إِلاَّ مَنْ أَخَذَ بِمِثْلِ عَمَلِكَ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " تُكَبِّرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَحْمَدُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتُسَبِّحُهُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَتَخْتِمُهَا بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "

नहीं हैं कि सदक़ा करें। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबूज़र! क्या तुम्हें ऐसे कलिमात न सीखा दूं जिनसे तुम अपने से आगे बढ़ने वालों को पालो और पीछे रहने वाले तुम्हें न पा सकें मगर ये कि कोई तुम्हारी तरह का अ़मल करे?' कहा: हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) आपने फ़रमाया: 'हर नमाज़ के बाद तैंतीस (33) बार 'अल्लाहु अकबर' तैंतीस (33) बार 'अल हम्दुलिल्लाह' और तैंतीस (33) बार 'सुब्हानल्लाह' कहा करो और इनका इख़्तितेताम 'ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीकलहू, लहूल मुल्कु व लहूल हम्दू व हूवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर' पर हो, इससे उसके गुनाह बख़्श दिये जायेंगे अगरचे समन्दर की झाग के बराबर हों।'

(1504) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/238.

फ़ायदा : सही मुस्लिम, अलमसाजिद, व सुनन नसाई, अस्सहव, हदीस: 1353 और सुनन बैहक़ी (दअ़वात) में इस विर्द की तर्तीब सुब्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह और अल्लाहू अकबर वारिद है। शैख़ अलबानी (रह.) की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इस रिवायत में आख़री जुमला 'गुफ़िरत लहू ज़ुनूबुहू ... अलख़' सही नहीं है बल्कि मुदरज है। ताहम दूसरी रिवायत से ये जुमला मरफ़ूअन साबित है।

﴾25﴿ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَلَّمَ

बाब : 25
आदमी सलाम फ़ेरने के बाद कौनसे अज़कार बजा लाये

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ

(1505) हज़रत मुग़ीरह बिन शौबा (रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने हज़रत मुग़ीरा (रज़ि.) को ख़त लिखा और पूछा कि

وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَيُّ شَىْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ فَأَمْلاَهَا الْمُغِيرَةُ عَلَيْهِ وَكَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ "

रसूल(ﷺ) नमाज़ से सलाम के बाद क्या पढ़ा करते थे? तो हज़रत मुग़ीरह ने हज़रत मुआविया(رضي الله عنه) की तरफ़ लिखवा भेजा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पढ़ा करते थे: 'ला इलाह इल्लल्लाहू वहदहू ला शरीकलहू, लहूलमुल्कु वलहूल हम्दु वहुवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ़ लिमा आतैता वला मुअ़तिय लिमा मनअ़ता वला यन्फ़उ ज़लजद्दि मिन्कल जद्दु' 'अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई साझी नहीं। मुल्क उसी का है। तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है। ऐ अल्लाह! जो तू इनायत फ़रमा दे उसे कोई नहीं रोक सकता और जो तू रोक ले वह कोई दे नहीं सकता और किसी भी मालदार को तेरे मुक़ाबले में उसका माल फ़ायदा नहीं दे सकता।'

(1505) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 593 व बुख़ारी, हदीस़: 844.

फ़ायदा : कहां ये ज़बाने रिसालत मा'ब (ﷺ) के औरदे मुबारका और कहां जाहिल सूफ़ियों के ख़ूदसाख़्ता वज़ीफ़े! सच है 'क़दरे ज़रज़र गरबदानद या बदानद जौहरी' ये अस्हाबुल हदीस़ ही का शर्फ़ है कि वह रिसालत मा'ब (ﷺ) के हर हर फ़ेअ़ल को अपना लेना ही सआ़दत (ख़ूशनसीबी) जानते हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله

(1506) अबू अज़्ज़ुबैर कहते हैं कि मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (رضي الله عنه) को मिम्बर पर ये कहते हुए सुना कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ से फेरते (यानी सलाम के बाद) तो ये पढ़ा करते थे: 'ला इलाह इल्लल्लाहू वहदहू ला शरीकलहू लहूल मुल्कू वलहूल

عليه وسلم إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلاَةِ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ أَهْلُ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ"

हम्दू व हुवा अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख्लिसीना लहुद्दीना व लौ करिहल काफिरून अहलुन्निअ़मति वल फज़्लि वस्सनाइल हसन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़्लिसीना लहुद्दीना व लौ करिहल काफ़िरून' 'एक अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक नहीं। मुल्क उसी का है, तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। हम ख़ालिस़ उसी की इताअ़त करते हैं, ख़्वाह काफ़िरों को ये नापसन्द हो। (ऐ अल्लाह!) तू ही नेमत व फ़ज़ीलत वाला और बेहतरीन तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं! हम ख़ालिस़ उसी की इताअ़त करते हैं ख़्वाह काफ़िरों को ये नापसन्द ही हो।'

(1506) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 594.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يُهَلِّلُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ فَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا الدُّعَاءِ زَادَ فِيهِ " وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ " . وَسَاقَ بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ

(1507) अबू ज़ुबैर कहते हैं कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) हर नमाज़ के बाद 'ला इलाह इल्लल्लाहू वहदहू ... अलख़' पढ़ा करते थे और ऊपर वाली हदीस़ की मानिन्द दुआ ज़िक्र की और ये इज़ाफ़ा किया: 'वला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला नअ़बुदु ... और बक़ीया हदीस़ बयान की।

(1507) तख़रीज : (सनद स़ही) बैहक़ी: 2/184, 185.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَاوِيَّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْبَجَلِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَقَالَ سُلَيْمَانُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبِ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ " رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ " " اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ "

(1508) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) कहते हैं कि मैंने नबी (ﷺ) से सुना कि आप नमाज़ के बाद ये पढ़ा करते थे: 'अल्लाहुम्मा! रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन अना शहीदुन अन्नका अन्तर्रब्बु वहदका ला शरीका लका अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन अना शहीदुन अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुका व रसूलुका अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन अना शहीदुन अन्नल इबादा कुल्लुहुम इख़्वतुन अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन इज्अ़ल्नी मुख़्लिसल लक व अहली फ़ी कुल्लि साअ़तिन फ़िद्दुनिया वल आख़िरति या जल जलालि वल इकराम इस्मा वस्तजिब अल्लाहु अकबरूल अकबर अल्लाहुम्मा नूरूस्समावाति वल अर्ज़ अल्लाहु अकबरूल अकबर हस्बियल्लाहु व निअ़मल वकील अल्लाहु अकबरूल अकबर' 'ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर हर शै के रब! मैं गवाह हूं कि तू अकेला ही रब है। तेरा कोई साझी नहीं। ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर शै के रब! मैं गवाह हूं कि मुहम्मद (ﷺ) तेरे बंदे और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर हर शै के रब! मैं गवाह हूं कि सारे बंदे (एक दूसरे के) भाई हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब और हर हर शै के रब! मुझे और मेरे अहल को दुनिया और आख़िरत के अन्दर हर घड़ी में अपना मुख़्लिस बनाये रख। ऐ जलाल व इकराम वाले! मेरी दुआ सुन और क़बूल

फ़रमा। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा। ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन का नूर है... सुलेमान बिन दाऊद ने 'नूर' के बजाये 'रब' का लफ़्ज़ कहा है। (यानी) ऐ आसमानों और ज़मीन के रब ... अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मुझे अल्लाह काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है। अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा।'

(1508) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/369, नसाई, अमलुल यौम वल्लैला, हदीस: 101.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ "

(1509) हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब (ﷺ) से मरवी है वह कहते हैं कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ से सलाम फेरते तो ये पढ़ा करते थे: 'अल्लाहुम्मग़ फिर ली मा क़द्दम्तु व मा अख़्ख़र्तु व मा अस्रर्तु व मा आलन्तु व मा अस्रफ़्तु व मा अन्ता आलमु बिही मिन्नी अन्तल मुक़द्दिम वल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अन्ता' 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे वह कोताहियाँ, जो मैंने पहले किये, जो बाद में किये, जो पोशीदा किये और जिन्हें ज़ाहिरन किया और जो मैं हदसे गुज़रता रहा, और वह जिनके मुताल्लिक़ तू मुझसे ज़्यादा बाख़बर है तू ही (जिसे चाहे) आगे करने वाला और (जिसे चाहे) पीछे रखने वाला है। (नेकी की तौफ़ीक़ देता है या महरूम कर देता है) तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं।'

(1509) तख़रीज : (सनद सही) हदीस:760 में देखें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ طُلَيْقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو " رَبِّ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَاىَ إِلَيَّ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مِطْوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوْ مُنِيبًا رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثَبِّتْ حُجَّتِي وَاهْدِ قَلْبِي وَسَدِّدْ لِسَانِي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي

(1510) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है वह कहते हैं कि नबी (ﷺ) ये दुआ किया करते थे: 'रब्बा अइन्नी व ला तुइन अलय्या वन्सुरनी व ला तन्सुर अलय्या वम्कुर ली व ला तम्कुर अलय्या वह दिनी व यस्सिर हुदाया इलय्या वन्सुर्नी अला मम बग़ा अलय्या अल्लाहुम्मज्अल्नी लका शाकिरन लका ज़ाकिरन लक राहिबन लका मितवाअन इलैका मुख़्बितन औ मुनीबन रब्बि तक़ब्बल तौबती वग़सिल हौबती व अजिब दअवती व सब्बित हुज्जती वह दि कल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमता कल्बी' 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ किसी की मदद न कर (जो मुझे तेरी इताअत से रोक दे) मेरी नुसरत (मदद) फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ किसी की नुसरत न कर। मेरे हक़ में तदबीर फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ तदबीर न कर। मेरी रहनुमाई फ़रमा और हिदायत को मेरे लिए आसान फ़रमा दे। और जो मेरे ख़िलाफ़ बग़ावत करे उसके मुक़ाबले में मेरी मदद फ़रमा, या अल्लाह! मुझे बना दे अपना शुक्रगुज़ार, अपना ज़िक्र करने वाला, तुझ ही से डरने वाला, बहुत ज़्यादा इताअत गुज़ार और बहुत ही तवाज़ोअ करने वाला। ऐ मेरे रब! मेरी दुआ क़बूल कर ले। मेरी ख़तायें धो डाल। मेरी दुआ क़बूल फ़रमा। मेरी हुज्जत क़ायम फ़रमा दे। मेरे दिल को हिदायत दे (और हिदायत पर साबित क़दम

रख) मेरी ज़बान को हक़ पर मुस्तक़ीम रख और मेरे दिल से मैल कुचैल (बुग़्ज़, हसद ओर कीना वग़ैरह) निकाल दे।'

(1510) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3551, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2414, 2415, हाकिम: 1/519, 520.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مُرَّةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَىَّ " . وَلَمْ يَقُلْ " هُدَاىَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعَ سُفْيَانُ مِنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالُوا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا

(1511) अम्र बिन मुर्रा ने अपनी सनद से ऊपर वाली हदीस के हम मानी बयान किया और 'व यस्सिरिल हुदा इलय्या' कहा 'हुदाया' नहीं कहा।

(1511) तख़रीज : (सनद सही)

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ"

(1512) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) जब सलाम फेरते तो पढ़ते: 'ऐ अल्लाह तू (सरापा) सलामती है और तुझ ही से सलामती (हासिल होती) है तू बड़ी बरकतों वाला है ऐ जलाल व इकराम वाले!'

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुफ़ियान ने अम्र बिन मुर्रा से सुना है। और मोहद्दिसीन का कहना है कि उन्होंने इनसे अठारह अहादीस सुनी हैं।

(1512) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 592.

मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये मक़ूला साबिक़ा सनद से मुताल्लिक़ है। और मज़कूरह दुआ के अल्फ़ाज़ सही अहादीस में इसी क़द्र हैं जो बयान हूए और कुछ लोग जो पढ़ते हैं 'व इलैका यर्जिउस्सलामु व अदख़िल्ना दारस्सलामि तबारक्ता रब्बना व तआलैत या जल जलालि वल इकराम' सही सनद से साबित नहीं हैं। पस आप (ﷺ) की दुआ में इनका इज़ाफ़ा (ज़्यादा करना) ऐसे ही है जैसे ख़ालिस दूध में पानी मिला दिया जाये, जो बहरहाल ग़लत है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ "اللَّهُمَّ" . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رضى الله عنها

(1513) हज़रत सौबान (ﷺ) (मोला) नबी(ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) जब नमाज़ से उठकर जाना चाहते तो तीन बार इस्तिग़फ़ार 'अस्तग़फ़िरूल्लाह' कहते थे। फिर उसके बाद पढ़ते 'अल्लाहुम्मा अन्तस्सलामु ...अलख़' और हदीस़ हज़रत आयशा की हदीस़ के हम मानी बयान की।

(1513) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 591.

﴾26﴿ باب فِي الاِسْتِغْفَارِ

बाब : 26
इस्तेग़फ़ार का बयान

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ الْعُمَرِيُّ، عَنْ أَبِي نُصَيْرَةَ، عَنْ مَوْلًى، لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً "

(1514) सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो इस्तेग़फ़ार को इख़्तियार कर ले वह 'मुस़िर' (इस़रार करने वाले) लोगों में नहीं, ख़्वाह एक दिन में सत्तर बार गुनाह का एआदा करे।'

(1514) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3559, इब्ने कसीर, 1/416, तबरानी, हदीस़: 1797.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्तेग़फ़ार का मानी ये है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगना कि वह इनको अपनी रहमत से ढाँप दे और बंदे को रूस्वा ना करे। **(2)** अपने गुनाहों पर अड़ना और इस़रार करना, ज़ालिमों और गुनाहगारों की आदत है। 'अल्लाह की आयत को सुनता है जो कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर अड़ा रहता है (अपने गुनाहों पर) तकब्बूर करते हूए, गोया उसने इनको सुना ही नहीं, तो ऐसे को दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए।' (अलजासिया: 8) जबकि मुत्तक़ी इन्सान की सिफ़त इसके बरख़िलाफ़ होती है। 'मुत्तक़ी अपने किये पर इस़्रार नहीं करते और वह जानते हैं।' (आले इमरान: 135)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ"

(1515) हज़रत अग़र्र मुज़नी (ﷺ) से मरवी है ... मुसद्दद की रिवायत में है कि इनको शर्फ़े सोहबत हासिल था ... कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरे दिल पर भी परदा सा आ जाता है और मैं अल्लाह से एक एक दिन में सो सो बार इस्तेग़फ़ार करता हूं।'

(1515) तख़रीज : मुस्लिम: 2702.

तौज़ीह: रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़िदा अबी व उम्मी के शब व रोज़ (दिन–रात) अल्लाह की इताअत में गुज़रते थे और इनमें कोई लम्हा ग़फ़लत का न होता था। नीज़ आपका दिल मुबारक इन तमाम अवारिज़ से पाक साफ़ और बालातर था जो आम इन्सानों को लाहिक़ होते हैं। इसके बावजूद आप(ﷺ) का ये फ़रमाना कि 'मेरे दिल पर परदा सा आ जाता है' इसकी तफ़्सील हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए इमामे लुग़त असमई ने कहा है कि 'अगर ग़ैर नबी के दिल की बात होती तो मैं इस पर बात करता।' अल्लामा सिन्धी भी 'तफ़्वीज' को तरजीह देते हैं और कहते हैं कि बतौर फ़हमो व तफ़हीम के बात इस क़द्र रहे कि आपकी हालत इस तरह की हो जाती थी कि आप इस पर इस्तेग़फ़ार फ़रमाते। (औनुल माबूद) जब रसूलुल्लाह (ﷺ) रसूल होते हूए भी इस्तेग़फ़ार फ़रमाते थे तो आम इन्सानों की क्या हालत होनी चाहिए।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ مِائَةَ مَرَّةٍ " رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَىَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ "

(1516) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) कहते हैं कि बिलाशुब्हा हम शुमार करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक एक मजलिस में सो सो बार ये कलिमा दोहराते थे: 'रब्बिग़फिरली वतुब अलय्या इन्नका अन्तत तव्वाबुर्रहीम' 'ऐ मेरे रब! मुझे बख़्श दे और (रहमत के साथ) मेरी तरफ़ रूजूअ फ़रमा। बिलाशुब्हा तू बहुत ज़्यादा रूजूअ फ़रमाने वाला और रहम करने वाला है।'

(1516) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3814, तिमिर्ज़ी, हदीस: 3434, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2459.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الشَّنِّيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ بِلاَلَ بْنَ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُنِيهِ عَنْ جَدِّي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ "مَنْ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ"

(1517) हज़रत ज़ैद (ﷺ) (मोला नबी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते हूए सुना: 'जो शख़्स यूं कहता है: 'मैं मुआफ़ी माँगता हूँ अल्लाह से, वह ज़ात कि उसके अलावा और कोई माबूद नहीं, वह ज़िन्दा है और निगरानी करने वाला है। और मैं उसकी तरफ़ तौबा और रूजूअ करता हूँ।' तो उसको बख़्श दिया जाता है अगरचे वह जिहाद से भी भाग गया हो।'

(1517) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3577, हाकिम, हदीस: 1/511, 2/117, 118.

फ़ायदा : ज़बान ज़द आम इस्तेग़फ़ार के अल्फ़ाज़ 'अस्तग़फ़िरूल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन वअतूबु इलैह' अगरचे मअनन सही हैं, मगर रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमूदा नहीं हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमूदा अल्फ़ाज़ को इख़्तियार करना ही सुन्नत और आप (ﷺ) से मुहब्बत है।

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُصْعَبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَزِمَ الاِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ "

(1518) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने इस्तेग़फ़ार का इल्तेज़ाम किया, अल्लाह तआला उसके लिए हर तंगी से निकलने की राह और हर ग़म से राहत का सामान पैदा फ़रमा देगा। और ऐसे ऐसे मक़ामात से रिज़्क़ मुहैया फ़रमायेगा जिसका उसे वहम व गुमान भी न होगा।'

(1518) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3819, हाकिम: 4/262.

फ़वाइद व मसाइल : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस्तेग़फ़ार की अहमियत व फ़ज़ीलत क़ुर्आन व अहादीसे सहीहा से साबित है। इसलिए इस्तेग़फ़ार की कसरत (ज़्यादा से ज़्यादा मुआफ़ी

माँगना) हर साहिबे तक़वा का शैवा है। कुर्आन मजीद में है: 'जो अल्लाह का तक़वा इख़्तियार करे अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने की राह पैदा फ़रमा देता है और ऐसे मक़ाम से रिज़्क़ देता है जिसका उसे गुमान भी न हो।' (अत्तलाक़: 2, 3) इस्तेग़फ़ार के होते हूए मोमिने मुत्तबेअ़े सुन्नत को किसी दस्त ग़ैब और बिदई अ़मल की हाजत नहीं। रिज़्क़ की तंगी दामनगीर हो या दुनिया के हुमूमो अफ़कार का हुजूम, तो इस्तेग़फ़ार करे वुसअ़त हो जायेगी और रंज व फ़िक्र से निजात पायेगा। अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया: 'अल्लाह से बख़्शिश माँगो, बेशक वह बहुत ही बख़्शने वाला है। वह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसायेगा (क़हत व तंगदस्ती जाती रहेगी और फ़राख़ी हासिल होगी) और मालों और औलाद से तुम्हारी मदद फ़रमायेगा और तुम्हें बाग़ात और नहरें देगा।' (नूह: 10–12).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، ح وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - الْمَعْنَى - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، قَالَ سَأَلَ قَتَادَةُ أَنَسًا أَيُّ دَعْوَةٍ كَانَ يَدْعُو بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ قَالَ كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا " اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ " . وَزَادَ زِيَادٌ وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ دَعَا بِهَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ دَعَا بِهَا فِيهَا

(1519) अ़ब्दुल अ़ज़ीज बिन सुहैब बयान करते हैं कि जनाब क़तादा ने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा कि नबी (ﷺ) कौन सी दुआ ज़्यादा किया करते थे? उन्होंने कहा: आपकी अक्सर दुआ ये हूआ करती थी। 'ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में हर तरह की भलाईयाँ इनायत फ़रमा और आख़िरत में भी तमाम हसनात व ख़ैरात से सरफ़राज़ फ़रमा और आग के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रख।'

ज़ियाद ने मजीद कहा कि हज़रत अनस (ﷺ) जब कोई दुआ करना चाहते तो इन्हीं अल्फ़ाज़ से दुआ करते और जब कोई (ख़ास) दुआ करना चाहते तो इसमें इसे भी शामिल कर लेते थे।

(1519) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6389.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِيهِ،

(1520) अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ अपने वालिद से रिवायत करते हैं वह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स ने सच्चे दिल से शहादत का सवाल किया अल्लाह तआ़ला उसको शहादत की

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ "

मनाज़िल तक पहुँचा देगा ख़्वाह अपने बिस्तर ही पर उसे मौत आये।'

(1520) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 1909.

फ़ायदा : दुआ की क़बूलियत के लिए, सच्चे दिल से दुआ करना, शर्त है क्योंकि सच्चाई व इख़्लास़ ही पर तमाम आमाल का दारोमदार है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الأَسَدِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ الْحَكَمِ الْفَزَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يَقُولُ كُنْتُ رَجُلاً إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدِيثًا نَفَعَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ اسْتَحْلَفْتُهُ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّقْتُهُ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلاَّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ " . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ .

(1521) सय्यदना अ़ली (ﷺ) फ़रमाते थे कि मैं ऐसा शख़्स़ था कि जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई हदीस़ सुनता तो अल्लाह तआ़ला मुझे उससे जो चाहता फ़ायदा इनायत फ़रमाता। और जब कोई और स़हाबी हदीस़ बयान करता, तो मैं उससे क़सम लेता था और जब वह क़सम उठाता तो मैं उसकी तस्दीक़ करता था। कहा: मुझ से हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने हदीस़ बयान की और उन्होंने सच कहा, उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सुना आप फ़रमा रहे थे: 'कोई बंदा ऐसा नहीं जो कोई गुनाह कर बैठे फिर वुज़ू करे अच्छी तरह, फिर खड़ा हो और दो रकअ़तें पढ़े और अल्लाह से इस्तेग़फ़ार करे, मगर अल्लाह उसे मुआ़फ़ कर देता है। फिर आपने ये आयत पढ़ी: 'मुत्तक़ी वह लोग हैं जो अगर कभी कोई बेहयाई का काम करें या अपनी जानों पर कोई ज़ुल्म कर बैठें, तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की मुआ़फ़ी माँगते हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह बख़्श दे। और ये लोग जानते बूझते

अपने किये पर नहीं अड़ते और न इस्रार करते हैं।'

(1521) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस:1304, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 751, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम: 1/273.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अली (ﷺ) का दीगर सहाबा किराम (ﷺ) से अहादीस के सिलसिले में क़सम लेना एतमादे मज़ीद (तहकीक) के लिए होता था। और फ़रमाने नबी (ﷺ) पर उसी वक़्त अमल वाजिब होता है जब वह कामिल शर्त के साथ सही साबित हो। **(2)** इस क़द्र एहतिमाम के बावजूद वह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) से क़सम लेने की हिम्मत न करते थे। इसमें हज़रत सिद्दीक़(ﷺ) के मर्तबे की बलन्दी, उनका एहतराम, उनके सच्चा होने पर गहरा एतमाद और उनके बाहमी बिरादराना रवाबित का शानदार सबूत है। **(3)** तौबा व इस्तेग़फ़ार की नियत से नमाज़ मुस्तहब है।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ، يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنِ الصُّنَابِحِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ " يَا مُعَاذُ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ وَاللَّهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ " . فَقَالَ " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " . وَأَوْصَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ الصُّنَابِحِيَّ وَأَوْصَى بِهِ الصُّنَابِحِيُّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ

(1522) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनका हाथ पकड़ा और फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! क़सम अल्लाह की! मुझे तुमसे मुहब्बत है।' फिर फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि किसी नमाज़ के बाद ये दुआ हरगिज़ तर्क न करनाः 'अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका' 'ऐ अल्लाह अपना ज़िक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन अन्दाज़ में अपनी इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' चूनांचे मुआज़ (ﷺ) ने ये वसीयत (अपने शागिर्द) सनाबिही को की, और फिर सनाबिही ने ये वसीयत (अपने शागिर्द) अबू अब्दुर्रहमान को की।

(1522) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 1304, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 751, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम, हदीस: 1/273.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क्या मर्तबा बलन्द है हज़रत मुआज़ (ﷺ) का कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क़सम उठाकर फ़रमाते हैं, मुझे तुमसे मुहब्बत है।'(ﷺ), चूनांचे हम भी यही कहते हैं 'क़सम अल्लाह की! हमें मुआज़ से और तमाम सहाबा से मुहब्बत है।'(ﷺ) **(2)** आमाले ख़ैर की तौफ़ीक़ अल्लाह तआला ही की तरफ़ से मिलती है। चूनांचे चाहिए कि ऊपर दी गई दुआ को अपना विर्द और मअमूल बना लिया जाये। **(3)** कुछ रिवयातों में सराहत है कि हज़रत मुआज़ (ﷺ) ने अपने शागिर्द व सनाबिही को जब ये हदीस सुनाई तो उसका हाथ पकड़ कर और अल्लाह की क़सम उठा कर कि 'मुझे तुमसे मुहब्बत है' ये हदीस सुनाई जिस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम उठाई थी, इसी तरह जनाब सनाबिही (रह.) ने भी हाथ पकड़ कर और क़सम उठाकर कि 'मुझे तुमसे मुहब्बत है' अपने शागिर्द को ये हदीस सुनाई।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ حُنَيْنَ بْنَ أَبِي حَكِيمٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ

(1523) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से मनक़ूल है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे हुक्म दिया था कि नमाज़ के बाद मुअव्विज़ात पढ़ा करो।

(1523) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 1337, तिर्मिज़ी, हदीस: 2903, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 755, इब्ने हिब्बान, हदीस: 755, हाकिम: 1/253.

फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी में ये रिवायत मुअव्विज़ात की बजाये तसनिया के सेग़ा से मुअव्विज़तैन आया है और इनसे मुराद सूरह फ़लक और सूरह नास है और इन्हें इस रिवायत में सेग़ा जमा के साथ बयान किया गया है और मुमकिन है कि इनके साथ सूरह क़ाफ़िरून और सूरह इख़्लास भी मुराद हो क्योंकि ये सब सूरतें तमाम तअव्वूज़ात की जामेअ हैं। सूरह अलकाफ़िरून में शिर्क से बराअत और सूरह अलइख़्लास में इज़हार व इक़रारे तौहीद और मुअव्वज़तैन में हर शर (बुराई) से अल्लाह की पनाह लेने का बयान है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْدِ

(1524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये बात पसन्द थी कि दुआ के कलिमात तीन तीन बार दोहरायें और तीन बार इस्तेग़फ़ार करें।

(1524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 10291, मुसनद अहमद: 1/394, 397, सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2410.

اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلاَثًا وَيَسْتَغْفِرَ ثَلاَثًا

(1525) हज़रत अस्मां बिन्ते उमैस (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखा दूं जो तुम परेशानी की सूरत में पढ़ा करो ... यानी 'अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है मैं उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं बनाती (बनाता)।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि रावी हदीस हिलाल, ये अम्र बिन अब्दुल अज़ीज (रह.) का मोला है। और इब्ने जअफ़र से मुराद अब्दुल्लाह बिन जअफ़र है।

(1525) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 3882, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2369.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا هِلاَلٌ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَابْنُ جَعْفَرٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ

फ़ायदा : इस दुआ में राज़ ये है कि बंदा जिस क़द्र अपने ख़ालिक़ व मालिक से रब्त व ताल्लूक़ में मज़बूत होगा, उसी क़द्र दुनियावी परेशानियों से महफ़ूज़ रहेगा। उससे कट कर ना मुम्किन है कि कोई राहत व सुकून पा सके। और जो नाफ़रमानी के बावजूद अपने आप को राहत में समझते हैं, फ़रेब ख़ूरदा हैं। दरहक़ीक़त अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी हूई है और आख़िरत में उनके लिए कुछ नहीं है।

(1526) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) ने बयान किया कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ था। जब हम मदीना के क़रीब पहुँचे तो लोगों ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहना शूरू कर दिया और अपनी आवाज़ें ऊँची किये, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगो! तुम किसी

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَنَوْا

مِنَ الْمَدِينَةِ كَبَّرَ النَّاسُ وَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَعْنَاقِ رِكَابِكُمْ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا أَبَا مُوسَى أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ " . فَقُلْتُ وَمَا هُوَ قَالَ "لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ"

बहरे या ग़ायब को नहीं पुकार रहे हो, बेशक जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों गर्दनों के दरम्यान (निहायत क़रीब है, लिहाज़ा चिखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं) है।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अबू मूसा! क्या मैं तुम्हें जन्नत का एक ख़ज़ाना न बताऊं?' मैंने अ़र्ज़ किया: वह क्या है? फ़रमाया: 'ला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाह' किसी बुराई से बचना और दूर रहना और किसी नेकी और ख़ैर की हिम्मत पाना अल्लाह के बग़ैर मुमकिन नहीं।'

(1526) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/399, 400, हदीस़: 19804, बुख़ारी, हदीस़: 2992, व मुस्लिम, हदीस़ : 2704.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल अपनी जात के साथ अ़र्शे मुअ़ल्ला पर है और अपने इल्म, समअ़, बस़र और क़ुदरत के लिहाज़ से अपने बंदों और मख़्लूक़ के इन्तेहाई क़रीब है। इसी मफ़हूम में यहां ज़िक्र हूआ है कि 'वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' **(2)** क़ुर्आन करीम और अहादीसे स़हीहा में अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ात दो अन्दाज़ से मज़कूर हूई हैं: इस़्बाती और सलबी, जैसे कि सूरह इख़्लास़ में है कि वह अकेला है। स़मद है। इनमें इस़्बात है। 'उसने जना नहीं, वह जना नहीं गया, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। 'इन में सलब का इस़्बात है। ऊपर दी गई हदीस़ में दूसरी नोअ़ की सिफ़ात का ज़िक्र है। 'वह बहरा नहीं है' यानी समीअ़ है। 'वह ग़ायब नहीं है' यानी क़रीब है। **(3)** चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह का ज़िक्र करना बे अ़क़्ली है। जिन मौक़ों पर ऊंची आवाज़ से ज़िक्र करने का बयान आया है वहां आवाज़ बिल्कुल मुनासिब और मअ़क़ूल रखने की तालीम है। इरशादे बारी तआ़ला है। 'अपनी सलात (दुआ़) को न ख़ूब ज़ोर से और न बिल्कुल आहिस्ते से बल्कि इन दोनों के दरम्यान करा करो।' (बनी इस्राईल:110) **(4)** इमाम नववी ने कलिमा 'ला हौला वला क़ूव्वता' को कलिमा इस्तेसलाम व तफ़्वीज़ से तअ़बीर किया है यानी बंदा अपने तौर पर किसी चीज़ का मालिक नहीं मगर वही जो अल्लाह चाहे। **(5)** शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें 'बेशक जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' के अल्फ़ाज़ मुन्कर (ज़ईफ़) हैं।

(1527) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से मनक़ूल है कि वह लोग अल्लाह के नबी (ﷺ) के साथ थे और एक घाटी पर चढ़ रहे थे एक आदमी जब भी किसी घाटी पर चढ़ता तो ख़ूब ऊंची आवाज़ से कहता: 'ला इलाहा इल्लल्लाहू वल्लाहू अकबर' तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम किसी बहरे या ग़ायब को नहीं पुकारते हो।' (वह समीअ़ और क़रीब है, चिल्लाते क्यों हो?) फिर फ़रमाया: 'ऐ अ़ब्दुल्लाह बिन क़ैस!' (अबू मूसा अशअ़री) और पिछली हदीस़ के हम मानी बयान किया।

(1527) तख़रीज : अलबुख़ारी हदीस़: 6610, व मुस्लिम, हदीस़ : 2704.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَتَصَعَّدُونَ فِي ثَنِيَّةٍ فَجَعَلَ رَجُلٌ كُلَّمَا عَلاَ الثَّنِيَّةَ نَادَى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ لاَ تُنَادُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا " . ثُمَّ قَالَ " يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ " . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(1528) अबू उ़स्मान ने, हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) से यही हदीस़ रिवायत की है और इसमें कहा कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'लोगो! अपने आप पर रहम करो।' (चिल्लाओ नहीं)

(1528) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 4206, व मुस्लिम, हदीस़: 4206.

حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ"

(1529) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स 'रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन' 'मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद(ﷺ) के रसूल होने पर राज़ी हूं। कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।'

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ، زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَلِيٍّ الْجَنْبِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ "

(1529) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, अमलुलयौम वल्लैला, हदीस: 5.

फ़ायदा : शर्त ये है कि क़ौल के साथ साथ अमल और किरदार की ताईद भी हो।

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا "

(1530) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स एक बार मुझ पर दरूद (सलात) पढ़ता है, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाज़िल करता है।'

(1530) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 408.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَىَّ " . قَالَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ قَالَ يَقُولُونَ بَلِيتَ . قَالَ " إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ "

(1531) हज़रत औस बिन औस (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का दिन फ़ज़ीलत वाला है, सो इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो। बिलाशुब्हा तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जायेगा हालांकि आपका जिस्म (क़ब्र में) बोसीदा हो चुका होगा? फ़रमाया: 'बेशक अल्लाह तआला ने अंबिया अलैहि. के जिस्म ज़मीन पर हराम कर दिये हैं।'

(1531) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 1047 में देखें।

बाब : 27
अपने माल और औलाद को बद दुआ करना मना है

﴾27﴿
باب النَّهْيِ عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإِنْسَانُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ مُتَّصِلُ الإِسْنَادِ فَإِنَّ عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ لَقِيَ جَابِرًا

(1532) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अपने आपको बद दुआ न दो, अपनी औलाद को बद दुआ न दो, अपने ख़ादिमों को बद दुआ न दो और अपने मालों को बद दुआ न दो, ऐसा न हो कि वह अल्लाह की तरफ़ से अ़ता व क़बूलियत की घड़ी हो (इधर तुम कोई बद दुआ करो कि अल्लाह तआ़ला उसे) तुम्हारे लिए क़बूल कर ले।'

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुत्तसिल है, उ़बादा बिन वलीद बिन उ़बादा ने हज़रत जाबिर (ﷺ) से मुलाक़ात की है।

(1532) तख़रीज : (सनद स़ही) हदीस़: 485, 634 में देखें।

फ़ायदा : कुछ घड़ियाँ अल्लाह की जानिब से क़बूलियत की होती हैं। उनका इल्म अल्लाह ही को है, इसलिए बंदे को हमेशा मोहतात (सतर्क) रहना चाहिए और किसी भी वक़्त ज़बान से कोई ग़लत बात नहीं निकालनी चाहिए, हो सकता है पूरी हो जाये और फिर पछताता फिरे।

बाब : 28
नबी (ﷺ) के अलावा दूसरों के लिए सलात

﴾28﴿
باب الصَّلاَةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ"

(1533) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ؓ) से मरवी है कि एक औरत ने नबी (ﷺ) से कहा: मेरे और मेरे शौहर के लिए दुआए रहमत फ़रमा दीजिए, तो नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तुझ पर और तेरे शौहर पर अपनी रहमतें (और बरकतें) नाज़िल फ़रमाये।'

(1533) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/397, नसाई, हदीस: 423, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1950–1952.

तौज़ीह : लफ़्ज़ 'सलात' के मुतअद्दिद (कई) मानी हैं, इनमें से एक मानी 'दुआ' है। और जो 'सलात' रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिए है वह अपने मफ़हूम में जामेअ और अज़ीमतर है और इसके ख़ास अल्फ़ाज़ हम मुसलमानों को तालीम कर दिये गये हैं जैसे कि दरूदे इब्राहीमी वग़ैरह में है। ग़ैर नबी के लिए 'सलात' दरूद शरीफ़ में बिल इत्तिबा उमूमन पढ़ी जाती है जिसे कि 'सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिव व अला आलिही व सहबिही अज्मईन' और 'सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व सल्लीम' जैसे मुख़्तसर दरूद में आल व अस्हाब का ज़िक्र मारूफ़ है और आप (ﷺ) को हुक्म दिया गया था कि ज़कात पेश करने वालों के लिए ख़ास दुआ 'सलात' फ़रमाया करें जैसे अल्लाह का फ़रमान है: 'इनके मालों में से सदक़ा लिजिए जिससे आप इन्हें पाक करें और इनका तज़किया फ़रमायें और उनके हक़ में दुआए ख़ैर फ़रमायें। बिलाशुब्हा आपकी दुआ इनके लिए सकून का बाइस है।' (अत्तौबा: 103) चूनांचे नबी (ﷺ) लफ़्ज़ 'सलात' से सहाबा को दुआ दिया करते थे जैसे कि इस हदीस में आया है मगर ये 'सलात' बमानी दुआए रहमत है, क्योंकि 'सलात' का लफ़्ज़ कई मअनों में इस्तेमाल होता है।

बाब : 29
ग़ायबाना दुआ की फ़ज़ीलत

﴾29﴿
بَابُ الدُّعَاءِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ

حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ ثَرْوَانَ، حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ حَدَّثَنِي سَيِّدِي أَبُو الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ "

(1534) उम्मुद्दरदा (ﷺ) बयान करती हैं कि मेरे सरताज हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) ने बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई शख़्स अपने भाई के लिए ग़ायबाना दुआ करता है तो फ़रिश्ते कहते हैं 'आमीन' (ऐ अल्लाह! क़बूल फ़रमा) और तुझे भी यही कुछ हासिल हो।'

(1534) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2732.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू अद्दरदा (ﷺ) की दो बीवियाँ थी और दोनों की कुन्नियत 'उम्मुद्दरदा' थी। बड़ी सहाबिया थीं उनका नाम 'ख़ैरह' है और जिनका इस सनद में ज़िक्र है, वह ताबेइया हैं इनका नाम 'हुजैमह या जुहैमा या जमानह' वारिद है। रहिमहल्लाहु तआला। **(2)** इसमें तरग़ीब है कि इन्सान अपने क़रीबी और बईदी तमाम अज़ीज़ों को बल्कि आम मुसलमानों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखा करे ताकि फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करें और फ़रिश्तों की दुआ (इंशाअल्लाह) क़बूलियत के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةً دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ"

(1535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अलआस़ (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बहुत जल्दी क़बूल होने वाली दुआ ये है कि इन्सान किसी ग़ैर मौजूद के लिए ग़ायबाना दुआ करे।

(1535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1980.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ"

(1536) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन दुआओं के क़बूल होने में शक नहीं। बाप की दुआ, मुसाफ़िर की दुआ और मज़लूम की दुआ।'

(1536) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़:1905, इब्ने माजा, हदीस़: 3862. इब्ने हिब्बान, हदीस़: 2406, हाकिम: 1/417, 18, मज्मउज़्ज़वाइद: 10/151.

फ़ायदा : ये तीनों शख़्सियात बिलउमूम ऐसी होती हैं कि इनमें इख़्लास़, 'सि़द्क़' रिक्क़ते क़ल्ब और इन्किसारी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी दुआ में ख़ैर और शर के दोनों पहलू मुमकिन हैं, लिहाज़ा बेटे को चाहिए कि बाप के साथ बाअदब, मुआविन और मुतीअ रहे और उसकी दुआओं से हिस्सा हासिल करने वाला बने। मुसाफ़िर के साथ हुस्ने सलूक का मामला भी वाज़ेह है कि उसकी बद दुआ बहुत ज़्यादा नुक़सानदेह साबित हो सकती है, इसलिए किसी पर कभी ज़ुल्म नहीं करना चाहिए और इन हज़रात को भी यही लायक़ है कि अल्लाह की रहमतों के साइल रहें और मुश्किलात पर सब्र करके अल्लाह से अज्र लें।

(30) بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْمًا

बाब : 30 इंसान को अगर किसी से कोई ख़ौफ़ हो तो कौनसी दुआ करे?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ "اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ"

(1537) हज़रत अबूमूसा अशअरी (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) को जब किसी क़ौम से कोई अंदेशा होता तो इस तरह दुआ करते: 'अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम वनऊज़ुबिक मिन शुरूरिहिम' 'ऐ अल्लाह हम तुझे इनके मुक़ाबले में पेश करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह में आते हैं।'

(1537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 601, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 4745, हाकिम: 2/142.

फ़ायदा : दुशमनों और बद तीनत लोगों के शरों (बुराइयों) से बचने के लिए मशरूअ माद्दी अस्बाब (दिफ़ाई सामान) इख़्तियार करना भी तवक्कल (भरोसे) का लाज़मी हिस्सा है और अल्लाह की रहमत का साइल रहना मुसलमान का फ़रीज़ा और उसका शेआर है।

बाब : 31
इस्तिख़ारे के अहकाम व मसाइल

﴾31﴿
باب في الاستخارة

(1538) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें इस्तिख़ारे की (इस एहतमाम से) तालीम फ़रमाते थे जैसे कि क़ुर्आन की कोई सूरत। आप हमें फ़रमाते कि जब तुम में से कोई किसी काम का इरादा करे तो उसे चाहिए कि फ़र्ज़ों के अलावा दो रकअतें पढ़े और यूँ दुआ करें: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तख़ीयूरूक बिइल्मिक वअस्तक़दिरूक बिक़ुदरतिक ... अलख़' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी क़ुदरत के वास्ते से क़ुदरत तलब करता हूं। और तेरे फ़ज़्ले अज़ीम का सवाल करता हूं। बेशक तू क़ुदरत रखता है और मैं क़ुदरत नहीं रखता। तू जानता है और मैं नहीं जानता। और तू तमाम ग़ैबों और पोशीदा मामलात से पूरी तरह बाख़बर है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इल्म में ये मामला (यहां अपने काम का नाम ले) मेरे दीन, दुनिया आख़िरत और अंजाम के लिहाज़ से बेहतर है तो इसे मेरे हक़ में मुक़द्दर फ़रमा दे, इसे मेरे लिए आसान कर दे और मुझे इसमें बरकत दे। और अगर ये मामला

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُقَاتِلٍ، خَالُ الْقَعْنَبِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْمَوَالِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ لَنَا" إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ وَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ - يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ الَّذِي يُرِيدُ - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي

وَيَسِّرْهُ لِي وَبَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُهُ شَرًّا لِي مِثْلَ الأَوَّلِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ " . أَوْ قَالَ " فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ " . قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَابْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ

(यहां अपने काम का नाम ले) तेरे इल्म के मुताबिक़ मेरे लिए बुरा है, दीन दुनिया और आख़िरत या अंजाम के लिहाज़ से, तो मुझे इससे फेर दे और इसको मुझसे फेर दे और मेरे लिए ख़ैर मुक़द्दर फ़रमा दे जहां भी हो, फिर मुझे उस पर राज़ी कर दे।' रावी ने कहा या शायद 'ख़ैरूल ली फ़ी दीनी व मआशी व मआदी व आक़िबते अमरी' की बजाये 'फ़ी आजिले अमरी व आजिलिही' के लफ़्ज़ फ़रमाये 'यानी मेरे मामले में ये जल्द या देर से ... बेहतर हो।'

इब्ने मसलमा और इब्ने ईसा इस सनद को लफ़्ज़ 'अन' से बयान करते हैं। 'अन मुहम्मद बिन अलमुन्कदिर अन जाबिर'.

(1538) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:1162.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इस्तिख़ारे' के मानी हैं ख़ैर (भलाई) माँगना और इस (ख़ैर) के लिए आसानी की तौफ़ीक़ तलब करना। और ये ऐसे उमूर में होता है जिनमें ख़ैर और शर के दोनों पहलूओं का एहतमाल हो। फ़राइज़ और वाजिबाते शरइया में इस्तिख़ारे के कोई मानी नहीं। हाँ वक़्त व कैफ़ियत के मुताल्लिक़ इस्तेख़ारा हो सकता है। जैसे या अल्लाह! हज को इस साल जाऊं या आइन्दा साल। फ़ज़ाई रास्ता इख़्तियार करूं या बर्री वग़ैरह। **(2)** इस्तिख़ारे का यही तरीक़ा मशरूअ और सुन्नत है। ये नमाज़ और दुआ औक़ाते कराहत के अलावा किसी भी वक़्त हो सकती है। इससे इन्सान का इज़्तेराब ख़त्म और किसी एक जानिब पर इस्तेक़रार हासिल हो जाता है। तब इन्सान को वह काम कर गुज़रना चाहिए। अल्लाह इसमें बरकत देगा। और अगर इज़्तिराब क़ायम रहे तो मुसलसल कई रोज़ तक ये अमल दोहराना चाहिए। इंशाअल्लाह किसी एक पहलू पर दिल टिक जायेगा। ख़्याल रहे कि ये कोई ज़रूरी नहीं कि ख़्वाब ही में नज़र आये ... और ऐसा हो भी सकता है ... कुछ लोग दूसरों से इस्तिख़ारा कराते हैं, ये बे मानी बात है। साहिबे मामला को ख़ूद नमाज़ पढ़ कर दुआ करानी चाहिए। शरीअत का इसरार इसी अम्र पर है कि हर बंदा अपने रब से बराहे रास्त तअल्लूक़ क़ायम करे। **(3)** इस दुआ में हाज़ा अलअम्र ... की जगह अपनी हाजत का नाम ले, जैसे हाज़ा अन निकाह या हाज़ा अल बैअ वग़ैरह पर पहुँच कर अपने इस काम की नियत हाज़िर कर ले जिसके लिए वह इस्तिख़ारा कर रहा है।

बाब : 32
तअव्वुज़ात का बयान

﴾32﴿
باب فِي الاِسْتِعَاذَةِ

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمْرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ

(1539) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने कहा कि नबी (ﷺ) पाँच बातों से अल्लाह की पनाह माँगा करते थे बुज़दिली, बख़ीली, इन्तेहाई बुढ़ापे और लाचारी की उम्र से, सीने के फ़ितने से (हसद, कीना और बुरे अख़्लाक़ व अक़ाइद से) और अज़ाबे क़ब्र से।

(1539) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3844,. इब्ने हिब्बान, हदीस: 2445, हाकिम: 1/530.

फ़वाइद व मसाइल : (1) यानी तमाम क़िस्म की उलझनों, परेशानियों और दुखों वग़ैरह से अल्लाह की पनाह, हिफ़ाज़त और अमान तलब करना। शरीअत से साबित 'तअवीज' यही हैं जिनका ज़िक्र आगे आ रहा है। और जो लोग कुछ लिख लिखाकर अपने गले में डाल लेते या बाज़ू पर बाँध लेते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की तालीम व तौजीह से साबित नहीं है, लिहाज़ा इससे बचना चाहिए और कुछ तो ऐसे हैं कि इन तअवीज़ात में कुफ़्रिया और शिर्किया अल्फ़ाज़ व कलिमात लिखते हैं जो सरासर जहन्नम ख़रीदने का सौदा है। **(2)** इस मौज़ूअ और मफ़हूम की और भी अहादीस हैं उन सबको देख लिया जाये तो ज़्यादा मुफ़ीद होगा।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

(1540) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ किया करते थे। 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इजज़ि वल कस्लि वल जुब्नि वल बुख़्लि वल हरमि व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ुबिका मिन

وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ "

फ़ित्नतिल महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं आजिज़ आ जाने से, कसलमंदी व सुस्ती से, बुज़दिली, बख़ीली और इन्तेहाई बुढ़ापे से। और तेरी पनाह चाहता हूं क़ब्र के अज़ाब से और ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से।'

(1540) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2823, मुस्लिम, हदीस : 2823.

फ़ायदा : दीन व दुनिया की भलाईयों के हुसूल में महरूमी तीन अस्बाब से होती है कि इन्सान में इनके करने की हिम्मत ही नहीं होती, या सुस्ती ग़ालिब आ जाती है, या हिम्मत का फ़ुक़दान होता है। (बख़ीली) से मुराद वह कैफ़ियत है कि जहां ख़र्च करना मशरूअ व मुस्तहब हो, लेकिन इन्सान वहां ख़र्च न करे। (हरम) बड़ी उमर होने की ये हालत कि इन्सान दूसरों पर बोझ बन जाये। न इबादत कर सके और न दुनिया का काम। 'जिन्दगी के फ़ितने' ये कि आज़माइश और परेशानियाँ ग़ालिब आ जायें , नेकी के कामों से महरूम रहे। 'मौत का फ़ितना' ये कि इन्सान आमाले ख़ैर से महरूम रह जाये या मरते दम तक कलिमा तौहीद नसीब न हो। और 'क़ब्र' आख़िरत की सब से पहली मन्ज़िल है इसमें बंदा अगर फिसल या फंस गया तो बहुत बड़ी हलाकत है और 'अजाबे क़ब्र' से तअव्वुज़ उम्मत के लिए तालीम है वरना अम्बियाए किराम अलैहि. इससे महफ़ूज़ हैं।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ سَعِيدٌ الزُّهْرِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " . وَذَكَرَ بَعْضَ مَا ذَكَرَهُ التَّيْمِيُّ

(1541) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था और मैं आपको बकसरत सुनता था कि आप ये दुआ करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिनल हम्मि वलहज़नि वज़लइद्दैन व ग़लबतिर रिजाल' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं परेशानी और ग़म से, क़र्ज़े के बोझ से और लोगों (ज़ालिमों) के ग़ल्बे और ज़ोरावरी से।' नीज़ कुछ वह भी ज़िक्र किया जिसे तैमी (मुअतमिर बिन सुलेमान) ने (ऊपर वाली हदीस में) बयान किया है।

(1541) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6369.

फ़ायदा : (अलहुज़्न) ये लफ़्ज़ 'हा' के ज़म्मा (पेश) और 'ज़ा' के सुकून (साकिन) से पढ़ा जाता है और दोनों की फ़तह से भी। (हम) और (हज़न) में फ़र्क़ ये है कि (हम) मुस्तक़बिल के अन्देशों को कहा जाता है और (हज़न) उन परेशानियों को जो माज़ी के किसी वाक़िआ की वजह से हों। (ज़लअ) और (ज़लअ) तक़रीबन हम मानी हैं, सही बुख़ारी में (ज़लअ) ज़ाद के साथ आया है।

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ "

(1542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें ये दुआ इस तरह सिखाते थे जैसे कि क़ुर्आन: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ुबिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि, व अऊज़ुबिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्ज़ाल, व अऊज़ुबिक मिन फ़ितनतिल महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अज़ाब से, क़ब्र के अज़ाब से, मसीह दज़ाल के फ़ितने से और ज़िन्दगी व मौत के फ़ितने से।'

(1542) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 590.

फ़ायदा : दुआ के अल्फ़ाज़ में 'अऊज़ु' का तकरार उन उमूर की दहशत व अहमियत के पेशे नज़र है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَمِنْ شَرِّ الْغِنَى وَالْفَقْرِ "

(1543) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा(ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन कलिमात से दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिक मिन फ़ितनतिन्नार व अज़ाबिन्नार, व मिन शर्रिल ग़िना वलफ़क़्र' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं आग के फ़ितने से और आग के अज़ाब से, मालदारी के शर से और फ़क़ीरी के शर से।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 6368, व मुस्लिम, हदीस: 589.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़ित्नतिन्नार' से मुराद ऐसे अमल हैं जो दुख़ूल जहन्नम का ज़रीया बनें। या जहन्नम के दारोग़ों के वह सवाल मुराद हैं जो वह बतौर ज़ज्रो तौबीख़ करेंगे। इरशादे बारी तआला है: 'जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जायेगा तो उसके दारोग़े उससे पूछेंगे: क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था?' (अलमुल्क: 8) और 'अज़ाबुन नार' ये कि इन्सान जहन्नमी बन कर अज़ाब पाये। वल्लाहू आलम। **(2)** 'मालदारी का शर' ये है कि इन्सान मालदार हो कर फ़ख़्र व नाफरमानी और ज़ुल्म का मुरतकिब होने लगे या हराम कमाये और हराम में ख़र्च करने लगे। **(3)** और 'फ़क़ीरी का शर' ये है कि इन्सान मालदारों पर हसद करने लगे या अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी न रहे। या हक़ के बग़ैर उनके माल में तमअ करने लगे, या उनके सामने अपनी इज्ज़त को दाव पर लगा दे या इस्लाम ही से दूर हो जाये। वग़ैरह.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ "

(1544) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिनल फ़क़्रि वलक़िल्लति वज़्ज़िल्लति वअऊज़ुबिक मिन अन अज़लिम अव उज़लम' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं मुहताजी से, क़िल्लत से और ज़िल्लत से, और तेरी पनाह चाहता हूं, इस बात से कि मैं ज़ुल्म का इरतेकाब करूं या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये।'

(1544) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 5462, इब्ने हिब्बान, हदीस; 2443, हाकिम: 1/541.

फ़ायदा : 'फ़क़ीर' दो तरह से होता है, माल का या दिल का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का ग़नी और सैरे चश्म हो तो ये क़ाबिले तारीफ़ है मगर इसके उलटा इन्सान 'हिर्स' का मरीज़ हो ये तो बहुत ही बदतर ख़सलत है। नीज़ फ़क़ीरी और ग़रीबी की ये कैफ़ियत कि इन्सान ज़रूरियाते ज़िन्दगी के हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़मी वाजिबात भी अदा न कर सके। इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पनाह माँगी है। 'क़िल्लत' से मुराद आमाले ख़ैर और उनके असबाब की क़िल्लत है और 'ज़िल्लत' ये कि इन्सान नाफरमानी का मुरतकिब होकर अल्लाह के सामने रूस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में

उसका वक़ार न रहे कि उसकी दावत ही न सुनी जाये। इससे अल्लाह की पनाह माँगने की तालीम दी गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे में ज़ालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना कोई भी सूरत दुरूस्त नहीं।

حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ "

(1545) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की दुआओं में से ये दुआ थी: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन ज़वालि निअमतिक, व तहवीलि आफ़ियतिक व फ़जाअति निक़मतिक, व जमीअे सख़तिक' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि तेरी कोई नेमत छिन जाये या तेरी दी हूई तंदुरूस्ती व राहत पलट जाये या कोई ना गहानी अज़ाब आ जाये। और तेरे तमाम गुस्से और नाराज़ियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(1545) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2739.

फ़ायदा : नेमतों में सब से बड़ी और अज़ीम नेमत इस्लाम, हिदायत और इस्तेक़ामत की नेमत है। सेहत व आफ़ियत और माद्दी नेमतें भी सरासर उसी का फ़ज़ल व एहसान है। 'तहवील' कुछ नुस्ख़ों में 'तहव्वुल' भी वारिद है, मानी दोनों के एक ही हैं।

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّلِيكِ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ "

(1546) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिन शिक़ाक़ि वन्निफाकि व सूउल अख़लाक़' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस बात से कि (हक़ की) मुख़ालफ़त करूं या मुनाफ़िक़ और बदअख़लाक़ बनूं।'

(1546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5473.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ "

(1547) हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिनल जूइ फ़इन्नहू बिअ्सज़्ज़जीउ व अऊज़ु बिका मिनल ख़ियानति फ़इन्नहा बिअसल बितानतु' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं भूख से, बेशक ये बहुत बुरी हम ख़्वाब है। और मैं तेरी पनाह चाहता हूं ख़यानत से, बेशक पोशीदा ख़स्लतों में से ये बहुत बुरी ख़स्लत है।'

(1547) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 5470, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2444.

फ़ायदा : इस हदीस और दुआ से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि महज़ भूख और फ़ाक़े में कोई सवाब नहीं, अल्लाह इससे महफ़ूज़ रखे। वही भूख अल्लाह के यहां मुफ़ीद है जो तक़र्रुब की नियत से हो यानी 'रोज़ा' और 'ख़यानत' जो 'अमानत' की ज़िद (उल्टा) है दीनी, दुनियावी और मद्दी व मानवी तमाम उमूर को शामिल है। अल्लाह इससे बचाये।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ "

(1548) हज़रत अब्बाद बिन अबी सईद से मरवी है कि उन्होंने हज़रत अबूहुरैरह (ﷺ) को ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ किया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल अरबइ मिन इल्मिन ला यन्फउ व मिन कल्बिन ला यख़्शउ व मिन नफ्सिन ला तश्बउ व मिन दुआइन ला युस्मउ' 'ऐ अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूँ: ऐसा इल्म जो फ़ायदा न दे, ऐसा दिल जिसमें ख़ुशूअ न हो (तेरे सामने झुकता न हो) ऐसी तबीअत जो सैर न होती हो और ऐसी दुआ जो क़बूल न हो।'

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5469, इब्ने माजा, हदीस: 3837, हाकिम: 1/104, 534.

फ़ायदा : इस दुआ में ऐसे उ़लूम जो दीन व दुनिया के फ़वाइद से ख़ाली बल्कि वक़्त और स़लाहियत ज़ाया करने वाले हों, उनसे अल्लाह की पनाह तलब की गई है। गुल व बुलबुल की दास्तानें और कोकिल व कमर के अफ़साने इसका हिस्सा हैं। दीन का बुनियादी इल्म फ़राइज़ और वाजिबात का हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, मज़ीद अल्लाह का फ़ज़ल है, हस्बे स़लाहियत कोशिश करनी चाहिए। दुनियावी उ़लूम जो फ़र्द और मुआशरा की अहम ज़रूरत हैं, उनका हुसूल दुरूस्त है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ قَالَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ أُرَى أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَلاَةٍ لاَ تَنْفَعُ " . وَذَكَرَ دُعَاءً آخَرَ

(1549) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान किया कि नबी (ﷺ) ये दुआ किया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन स़लातिल ला तन्फ़अ़ु' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं ऐसी नमाज़ से जो फ़ायदा न दे।' और एक दूसरी दुआ भी ज़िक्र की।

(1549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़).

फ़ायदा : नमाज़ के नुमायां फ़वाइद में से एक ये है जो क़ुर्आन करीम ने ज़िक्र किया है: 'बेशक नमाज़ बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं।' (अलअ़न्कबूत: 45) और इस तरह जो अल्लाह के यहां क़बूल न हो वह भी ग़ैर नाफ़ेअ़ है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ الأَشْجَعِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ "

(1550) फ़रवह बिन नोफ़ल अशजई कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन (ﷺ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) क्या दुआ माँगा करते थे? उन्होंने कहा: आप फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन शर्रिमा अ़मिल्तु व मिन शर्रिमा लम आ़मल' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं उन आ़माल के शर से जो मैंने किये हैं और उन आ़माल के शर से भी जो मैंने नहीं किये।'

(1550) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 2716.

फ़ायदा : यानी ऐ अल्लाह! मुझे बुरे आमाल से बचने की तौफ़ीक़ दे और जो कर चुका हूं उनकी नहूसत और अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रख और आइन्दा के लिए भी महफ़ूज़ रख। ऐसा न हो कि ग़लत कश बना रहूं और इसी पर ख़ुश रहूं। कुछ औक़ात कुछ लोग अपनी माज़ी की ग़लतियों पर बड़े ख़ुश होते हैं। चाहिए कि इन्सान इस पर नादिम हो और तौबा करे।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، - الْمَعْنَى - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلٍ الْعَبْسِيِّ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي حَدِيثِ أَبِي أَحْمَدَ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ - قَالَ - قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ قَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي "

(1551) शुतैर बिन शकल (अबू अहमद यानी मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की सनद में उस रावी का नाम शकल बिन हमीद है) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ)! मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए। आपने फ़रमाया ये कहो: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन शर्रि समई वमिन शर्रि बस़री, व मिन शर्रि लिसानी, वमिन शर्रि क़ल्बी, वमिन शर्रि मनिय्यी' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं अपने कान की बुराई से, आँख की बुराई से, ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से और माद्दा मनविया ये की बुराई से।'

(1551) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 3492, मुसनद: 3/429, हाकिम: 1/532, 533.

फ़ायदा : इस दुआ में तमाम क़िस्म के गुनाहों और उनके अस्बाब से तहफ़्फ़ुज़ (हिफ़ाज़त) की दुआ है। कान से इन्सान बुरी बातें, मज़ामीर (साज़ व आवाज़ यानी गाने–बजाने) ग़ीबत और झूठ वग़ैरह सुनता है। आँख से ग़ैर महरम और हराम चीज़ों को देखना और पढ़ना मुराद है। ज़बान से कुफ़्र, शिर्क बिदअ़त, झूठ, बोहतान, ग़ीबत और गाली गलोच वग़ैरह होती है। दिल की बुराई निफ़ाक़, हसद, बुख़्ल, तमअ़ और किब्र वग़ैरह हैं। माद्दा मनविया की बुराई ये है कि इन्सान अपने जज़्बाते जिन्सी पर क़ाबू न रख सके और इस वजह से ख़बास़त पर आमादा हो या बेमहल नुतफ़ा बहाये ... या इससे ऐसी औलाद पैदा हो जो फ़ितना व फ़साद का बाइस़ बने।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا

(1552) हज़रत अबू अलयसर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हदम व अऊज़ुबिका मिनत्तरद्दी व अऊज़ुबिका मिनल गरक़ वल हरक़ वल हरम व अऊज़ुबिका मिन अय्यत खब्बतनियश शैतान इन्दल मौत व अऊज़ुबिका अन अमूता फिसबीलिक मुदबिरन व अऊज़ु बिका अन अमूता लदीग़न' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं कि कोई मकान या दीवार मुझ पर आ गिरे या किसी बलन्द मक़ाम से गिर पडूं, मैं तेरी पनाह चाहता हूं ग़र्क़ होने से, जलने या बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाने से। तेरी पनाह चाहता हूं इससे कि शैतान मुझे मौत के वक़्त बदहवास कर दे, या इस बात से कि जिहाद में पीठ देते हूए मरूं या इस कैफ़ियत से कि ज़हरीले जानवर के काटे से मुझे मौत आये।'

(1552) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5533–5535.

फ़ायदा : ये दुआ और इस क़िस्म की दीगर दुआयें उम्मत की तालीम के लिए हैं वरना रसूल अकरम(ﷺ) जिहाद से पीठ फेरने और शैतान से महफ़ूज़ थे, इसी तरह आप सख़्त क़िस्म की बीमारियों से भी महफ़ूज़ थे। (औनुल माबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस की तसहीह की है।

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي مَوْلًى، لأَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، زَادَ فِيهِ " وَالْغَمِّ "

(1553) हज़रत अबू अय्यूब (ﷺ) के एक मोला हज़रत अबू अलयसर (ﷺ) से रिवायत करते हैं ... इस रिवायत में 'वलग़म्मि' का इज़ाफ़ा भी है।

(1553) तख़रीज : (सनद हसन)

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ"

(1554) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि नबी(ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन बरसि वलजुनून वलजुज़ामि व सय्येइल अस्क़ाम' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं बर्स (फलबहरी) से, पागलपन से, कोढ़ से और बुरी बीमारियों से।'

(1554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद:3/192, नसाई: 8/270, हदीस: 5495.

फ़ायदा : इस क़िस्म की बीमारियों में कुछ औक़ात इन्सान अपने आप से भी बेज़ार हो जाता है और तीमारदारों (देख रेख करने वालों) को भी मशक़्क़तों का सामना करना पड़ता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغُدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا غَسَّانُ بْنُ عَوْفٍ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ فَقَالَ " يَا أَبَا أُمَامَةَ مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلاَةِ " . قَالَ هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ " . قَالَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ اللَّهُمَّ

(1555) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रोज़ मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो क्या देखते हैं कि एक अंसारी आदमी है जिसका नाम अबू उमामा था, आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमामा! क्या बात है कि मैं तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूं और नमाज़ का वक़्त भी नहीं है?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल!(ﷺ) मुझे ग़मों और क़र्ज़ों ने घेर रखा है, तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखा दूं, अगर तुम उन्हें पढ़ने लगो, तो अल्लाह तआला तुम्हारे ग़म दूर कर देगा और तुम्हारे क़र्ज़े अदा कर देगा।' (अदा करने का सबब पैदा फ़रमा देगा) मैंने कहा: क्यों नहीं ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) फ़रमाया: 'सुबह व शाम ये कलिमात पढ़ा करो'

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ " . قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي

'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिनल हम्मि वल हज़नि, व अऊज़ुबिका मिनल अजज़ि वल कसलि व अऊज़ुबिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ुबिका मिन ग़लबतिद्दैन व कहरिर्रिजाल' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूं परेशानी और ग़म से, आज़िज रह जाने और कस्ल मंदी (सुस्ती) से और तेरी पनाह चाहता हूं बुज़दिली और बख़ीली से और तेरी पनाह चाहता हूं क़र्ज़ और ज़ालिमों के ग़ल्बे से।' हज़रत अबू उमामा(ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने ये दुआ करनी शुरू की तो अल्लाह तआला ने मेरी परेशानियाँ दूर कर दीं और क़र्ज़ों (की अदायगी) का सबब भी पैदा फ़रमा दिया।

(1555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़).

मल्हूज़ : ये हदीस़ अगरचे ज़ईफ़ है मगर इसके मानी दीगर मुख़्तलिफ़ (कई) दुआओं में सही सनदों से स़ाबित हैं।

كتاب الزكاة

ज़कात की अहमियत व फ़ज़ीलत

- नमाज़ और ज़कात दीन के ऐसे रूक्न (स्तम्भ) हैं जिनका हर दौर और हर मज़हब में आसमानी तालीमात के पैरोकारों को हुक्म दिया गया है, गोया ये दोनों फ़रीज़े ऐसे हैं जो हर नबी की उम्मत पर आयद होते रहे हैं और दीने इस्लाम ने भी ज़कात की इस अहमियत को न सिर्फ़ बरक़रार रखा बल्कि इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा किया और इसे इस्लाम के पाँच बुनियादी रूक्न में तीसरा रूक्न क़रार दिया। क़ुर्आन मजीद में नमाज़ की इक़ामत और ज़कात की अदायगी का हुक्म उमूमन साथ साथ है। दो दर्जन से ज़्यादा मक़ामात पर क़ुर्आन करीम ने 'अक़ीमुस्सलात' के साथ 'वातुज़्ज़क़ात' का हुक्म दिया है। क़ुर्आन मजीद के इस उस्लूबे बयान से वाज़ेह है कि दीन में जितनी अहमियत नमाज़ की है, उतनी ही ज़कात की है। इन दोनों में इस तौर पर तफ़रीक़ करने वाला कि एक पर अमल करे और दूसरे पर न करे, सिरे से इनका आमिल नहीं समझा जायेगा। बल्कि जिस तरह तर्के नमाज़ इन्सान को कुफ़्र तक पहुँचा देता है, इसी तरह ज़कात भी शरीअत में उतना ही मक़ाम रखती है कि इसकी अदायगी से इन्कार, एराज़ और फ़रार मुसलमानों के फ़ेहरिस्त से निकाल देने का बाइस़ बन जाता है। ज़कात की फ़रज़ियत मशहूर क़ौल के मुताबिक़ हिजरत के दूसरे साल हूई।
- लुगवी (डिक्श्नरी) एतबार से ज़कात के एक मानी बढ़ोतरी और इज़ाफ़े के और दूसरे मानी पाक व साफ़ होने के हैं। शरई इस्तेलाह के मुताबिक़ ज़कात में दोनों ही मफ़हूम पाये जाते हैं। ज़कात की अदायगी से बक़िया माल पाक साफ़ हो जाता है और अदमे अदायगी (अदा न करने) से इसमें गरीबों व मिस्कीनों का हक़ शामिल रहता है जिससे बक़िया माल नापाक हो जाता है। जैसे किसी जायज़ और हलाल चीज़ में नाजायज़ और हराम चीज़ मिल जाये तो वह जायज़ और हलाल चीज़ को भी हराम कर देती है। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह ने ज़कात इसीलिए फ़र्ज़ की है कि वह तुम्हारे बक़िया माल को पाक कर दे।' (सुनन अबी दाऊद, अज़्ज़कात, बाब फ़ी हुक़ूक़िल माल, हदीस़: 1664) क़ुर्आन मजीद में भी ये बात बयान की गई है। '(ऐ पैग़म्बर! (ﷺ) इनके मालों से सदक़ा लेकर इसके ज़रिये से इनकी तत्हीर और इनका तज़किया कर दें।' (अत्तौबा: 103)
- इससे मालूम हूआ कि ज़कात व सदक़ात से इन्सान को तहारत व पाक़ीजगी हासिल होती है। तहारत किस चीज़ से? गुनाहों से और अख़्लाक़े रज़ीला से। माल की ज़्यादा मुहब्बत इन्सान को ख़ूद ग़र्ज़, ज़ालिम, घमन्डी, बख़ील, बद दयानत वग़ैरह बनाती है, जबकि ज़कात, माल की शदीद मुहब्बत को कम करके इसे एतदाल पर लाती है और इन्सान में रहम व करम, हमदर्दी व

भाईचारगी, ईसार व कुर्बानी और फ़ज़ल व एहसान के जज़्बात पैदा करती है और इन्सान जब अल्लाह के हुक्म पर ज़कात अदा करता है तो उससे यक़ीनन उसके गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं। 'बिलाशुब्हा नेकियाँ, बुराईयों को दूर कर देती हैं।' (हूद: 114)

- ज़कात के दूसरे मानी बढ़ौतरी और इज़ाफ़े के हैं। ज़कात अदा करने से बज़ाहिर तो माल में कमी वाक़ेअ होती नज़र आती है, लेकिन हक़ीक़त में इससे इज़ाफ़ा होता है, कुछ दफ़ा तो ज़ाहिरी इज़ाफ़ा ही अल्लाह तआला फ़रमा देता है, ऐसे लोगों के कारोबार में तरक्क़ी हो जाती है। और अगर ऐसा न भी हो तो माल में मअनवी बरकत ज़रूर हो जाती है। मअनवी बरकत का मतलब है ख़ैर व सआदत के कामों की ज़्यादा तौफ़ीक़ मिलना। इसीलिए नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सदक़े से माल में कमी नहीं होती।' (सही मुस्लिम, 'अलबिर' बाब इस्तेहबाब अलअफ़्व वत्तवाज़ोअ, हदीस: 2588)
- मज़कूरह गुज़ारिशात के बाद ज़कात व सदक़ात के कुछ फ़ज़ाइल व बरकात बयान किये जाते हैं ताकि पाठक मसले की हक़ीक़त को पूरा समझ सके, हदीसे क़ुदसी है: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है (ऐ इब्ने आदम!) तू (मेरे ज़रूरतमंद बंदों पर) ख़र्च करें (ख़ज़ाना ग़ैब से) तुझको देता रहूंगा।' (सही अलबुख़ारी, अत्तौहीद, बाब: 35, हदीस: 7496)
- इसकी बाबत हज़रत अस्मा (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(अल्लाह की राह में कुशादा दिली से) ख़र्च करती रहो और गिन गिन कर मत रखो, अगर तुम गिन गिन कर और हिसाब करके ख़र्च करोगी तो वह भी तुम्हें हिसाब ही से देगा और दौलत जोड़ जोड़ कर बंद करके मत रखो, वरना अल्लाह तआला भी तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। इसलिए जितनी तौफ़ीक़ हो फ़राख़ दिली से ख़र्च करती रहो।' (सही अलबुख़ारी, अलहिबा बाब: 5, हदीस: 2591, वज़्ज़कात, बाब 22, हदीस: 1434, व सहीह मुस्लिम, अज़्ज़कात, बाब अलहस़ अलल इन्फ़ाक़ ..., हदीस: 1029)
- सदक़ा की बाबत नबी (ﷺ) से पूछा गया, कौनसा सदक़ा अज्र में ज़्यादा बड़ा है? आपने फ़रमाया: 'ज़्यादा अज्र व सवाब वाला सदक़ा वह है जो तंदुरूस्ती की हालत में उस वक़्त किया जाये जब इन्सान के अंदर दौलत की चाहत और उसे अपने पास रखने की हिर्स हो और उसे ख़र्च की सूरत में मोहताजी का ख़तरा और रोक रखने की सूरत में दौलतमंदी की उम्मीद हो। ऐसा न हो कि तुम सोचते और टालते रहो यहां तक कि तुम्हारा आख़री वक़्त आ जाये और उस वक़्त तुम माल के बारे में वसीयत करने लगो कि इतना माल फ़ुलाँ को और इतना फ़ुलाँ को (अल्लाह के लिए) दे दिया जाये, इस हाल में कि उस वक़्त वह माल (तुम्हारी मिल्कियत से निकल कर) फ़ुलाँ (वारिसों) का हो चुका हो।' (सही मुस्लिम, ज़कात, बाब बयानु अफ़ज़ल अस्सदक़तु

सदक़तुस्सहीहुश्शहीह, हदीस: 1032)

- इन फ़ज़ाइल व बरकात की पूरी अहमियत उस वक़्त तक वाज़ेह नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा पहलू यानी सदक़ात व ख़ैरात से पहलू तही और एराज़ की सख़्त वईद और उस पर अज़ाबे शदीद की तम्बीह सामने न हो। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे अल्लाह तआला ने माल व दौलत से नवाज़ा, लेकिन उसने उसकी ज़कात न दी तो वह दौलत क़यामत के दिन उसके लिए गंजे साँप की शक्ल में बना दी जायेगी जिसकी आँखों के ऊपर दो नुक़्ते होंगे (ये दोनों निशानियाँ सख़्त ज़हरीले साँप की हैं) वह साँप उसके गले का तौक़ बना दिया जायेगा, फिर वह साँप अपनी दोनों बांछों से उसको पकड़ कर खींचेगा और कहेगा: मैं तेरा माल हूँ, तेरा ख़ज़ाना हूं। ये फ़रमाने के बाद नबी (ﷺ) ने सूरह आले इमरान की आयत (180) तिलावत फ़रमाई: 'वह लोग जो अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हासिल करदा माल में बुख़्ल करते हैं (ज़कात अदा नहीं करते) ये न समझें कि ये उनके हक़ में बेहतर है (नहीं) बल्कि ये उनके हक़ में (अंजाम के लिहाज़ से) बदतर है। ये माल जिसमें वह बुख़्ल करते हैं (और उसकी ज़कात भी नहीं निकालते) क़यामत के दिन उनके गले में तौक़ बना के डाल दिया जायेगा।' (सही अलबुख़ारी, ज़कात, बाब इस्मु मानिइज़्ज़क़ात, हदीस: 1403)
- हज़रत अबूज़र (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, या (फ़रमाया) क़सम है उस ज़ात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, या जैसे भी आपने हल्फ़ उठाया (हल्फ़ के अल्फ़ाज़ सहाबी को सही याद नहीं रहे) जिस आदमी के पास भी कुछ ऊँट, गायें, या जानवर दुनिया के मुक़ाबले में ज़्यादा क़दावर और ज़्यादा मोटे ताज़ा होंगे, वह उसे अपने पैरों से रौंदेंगे और अपने सींगों से टक्करें मारते हुए गुज़रेंगे, जब आख़िर तक सब गुज़र जायेंगे तो पहले वाले फिर इस तरह उस पर लौटाये जायेंगे यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान फ़ैसले होने तक उसके साथ यही मामला जारी रहेगा।' (सही अलबुख़ारी, ज़कात, बाब ज़कातुल बक़्र, हदीस: 1460)
- क़ुर्आन करीम की ये आयत भी उन्हीं लोगों की वईद में नाज़िल हूई है जो अपने सोने चाँदी और अपने माल दौलत में से ज़कात नहीं निकालते: 'और लोग सोना चाँदी बतौर ख़ज़ाना जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए। जिस दिन कि इनकी दौलत को दोज़ख़ की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनके माथे, उनके पहलू और उनकी पीठें दाग़ी जायेंगी (और कहा जायेगा) ये है तुम्हारी वह दौलत जिसे तुमने जोड़ जोड़ कर रखा था, पस तुम अपनी इस दौलत अंदोज़ी का आज मज़ा चखो।' (अत्तौबा: 9/34-35) लेकिन इस वईद से वह लोग ख़ारिज हैं जो अपने माल में से ज़कात निकालते और सदक़ा ख़ैरात करते रहते हैं।

- इस आख़िरत के अज़ाब के अलावा अल्लाह तआला दुनिया में भी उस क़ौम को जो ज़कात की अदायगी से एराज़ करती है, बारिशों को रोक कर और क़हत साली जैसे आजमाइश से दो चार कर देता है, जैसा कि फ़रमाने नबवी है। 'जो क़ौम भी ज़कात से इंकार करती है, अल्लाह तआला उसे भूख और क़हत साली में मुब्तला कर देता है।' (अत्तबरानी फ़िल औसत, हदीस़: 4577, 6788 व स़हीह अत्तरग़ीब लिल अल्बानी: 1/467)
- एक दूसरी रिवायत में है: 'जो लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते वह बाराने रहमत से महरूम कर दिए जाते हैं अगर चौपाये न हों तो उन पर कभी भी बारिश का नुज़ूल न हो।' (सुनन इब्ने माजा अलफ़ितन, बाबुल उक़ूबात, हदीस़: 4019, व हस्सनहू अलबानी फ़िस स़हीह, हदीस़:1–106/216, 217)
- यहां ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस्लाम का मुतालबा सिर्फ़ ज़कात ही पर ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि स़ाहिबे इस्तेताअ़त को हर ज़रूरत के मौक़े पर अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहना चाहिए। क़ुर्आन मजीद ने इसीलिए कई मक़ामात पर 'ज़कात' की बजाये 'इन्फ़ाक़' का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है जो आ़म है और ज़कात और दीगर स़दक़ात दोनों को शामिल है। 'मुत्तक़ीन' की सिफ़ात में बताया गया है: 'और वह हमारे दिए हूए माल में से इन्फ़ाक़ (ख़र्च) करते हैं।' (अलबक़र:3) नीज़ फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालों! अपनी पाकीज़ा कमाई से इन्फ़ाक़ (ख़र्च) करो।' (अलबक़र: 267)
- ज़कात स़दक़ात देते वक़्त इस अम्र का ख़्याल रखना भी ज़रूरी है कि इनके अव्वलीन मुस्तहिक़ आदमी के दर्जा ब दर्जा अपने क़राबतदार हैं। क़राबतदारों के हुक़ूक़ की अदायगी, जिसमें ग़रीब व बेसहारा अफ़राद की और दूसरे नम्बर पर उसके दीगर क़रीब तरीन रिश्तेदार। अगर इंसान के पास अहले ख़ाना और वालिदैन की किफ़ालत के बाद कुछ माल बच रहे तो उसे दर्जा ब दर्जा अपने क़रीब तरीन रिश्तेदारों पर ख़र्च करना चाहिए। इसे शरीअ़त में सिला रहमी कहते हैं। इससे दोगुना अज्र मिलेगा, एक सिला रहमी का और दूसरा स़दक़े का।
- ज़कात उस माल में से निकाली जाये जिसमें इंसान को पुरी मिल्कियत हासिल हो, पुरी मिल्कियत का मतलब है कि वह माल उसके दस्ते तस़र्रूफ़ में हो। उसको जिस तरह चाहे ख़र्च करे, उसमें कोई रूकावट न हो, उसमें किसी और का कोई दख़ल न हो और उस माल के तिजारती फ़वाइद में वह बिला शिरकते ग़ैरे मालिक हो।
- मुशतरक (शामिल) कम्पनियों में से सबके मजमूई मालों में से भी सबकी तरफ़ से ज़कात निकाली जानी चाहिए। (मुलख़्ख़स़ अज़ किताब 'ज़कात व उश्र' तालीफ़ हाफ़िज़ स़लाहुद्दीन यूसुफ़, मतबूअ दारूस्सलाम)

كتاب الزكاة

ज़कात के अहकाम व मसाइल

बाब : 1
ज़कात वाजिब होने का बयान

﴿1﴾ باب وُجُوبِ الزَّكَاةِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي بَكْرٍ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَّ بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1556) हज़रत अबु हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हो गई और आपके बाद हज़रत अबूबक्र (ﷺ) को ख़लीफ़ा बनाया गया और क़बाइले अ़रब में से जिन्होंने कुफ़्र इख़्तियार करना था, उन्होंने कुफ़्र इख़्तियार कर लिया, तो हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (ﷺ) से कहा: आप लोगों से किस बिना पर क़िताल (जंग) करेंगे? हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमा गये हैं: 'मुझे हुक्म दिया गया है कि लोगों से क़िताल करूं यहाँ तक कि वह 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहें। तो जिसने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा, उसने मुझसे अपना माल और अपनी जान को महफ़ूज़ कर लिया, मगर ये कि इस्लाम का कोई हक़ हो, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है।' इस पर हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने जवाब दिया: क़सम अल्लाह की! मैं हर उस शख़्स से लाज़िमी जंग करूंगा जो नमाज़ और ज़कात में फ़र्क़

لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ - قَالَ - فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعِقَالُ صَدَقَةُ سَنَةٍ وَالْعِقَالاَنِ صَدَقَةُ سَنَتَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عِقَالاً . وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَنَاقًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَمَعْمَرٌ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا . وَرَوَى عَنْبَسَةُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنَاقًا .

करेगा क्योंकि ज़कात माल का (शरई) हक़ है। क़सम अल्लाह की! अगर इन लोगों ने मुझसे वह रस्सी भी रोक ली जो वह रसूलुल्लाह (ﷺ) को अदा किया करते थे तो मैं उसके रोक लेने पर भी इनसे जंग करूंगा। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने कहा: क़सम अल्लाह की! मैंने देखा कि अल्लाह तआला ने इस जंग के लिए अबूबक्र का सीना खोल दिया है और बिलआख़िर मेरी समझ में भी ये बात आ गई कि यही बात हक़ है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस़ रबाह बिन ज़ैद और अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने मअमर से, उन्होंने ज़ोहरी से इस की सनद से रिवायत की है। कुछ ने (इक़ालन) 'रस्सी' का लफ़्ज़ बयान किया है, जबकि इब्ने वहब ने यूनुस से (अ़नाक़न) 'बकरी का बच्चा' रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि शुऐब बिन अबी हम्ज़ा, मअमर और ज़ुबैदी ने भी ज़ोहरी से इस हदीस़ में इस तरह कहा है (कि अबूबक्र (ﷺ) ने कहा) (लौ मनऊनी अ़नाक़न) 'अगर इन लोगों ने मुझसे बकरी का एक बच्चा भी रोक लिया तो ...' ऐसे ही अंबसा ने यूनुस से, उन्होंने ज़ोहरी से लफ़्ज़ : (अ़नाक़न) 'बकरी का बच्चा' रिवायत किया है।

(1556) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 7284, 7285, व मुस्लिम, हदीस़: 20, मुसनद अहमद: 1/47, 48, हदीस़: 2916.

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ حَقَّهُ أَدَاءُ الزَّكَاةِ وَقَالَ عِقَالاً.

(1557) यूनुस ने ज़ोहरी से ये हदीस़ रिवायत करते हूए कहा कि हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: माल का हक़ है कि ज़कात अदा की जाये। और इस रिवायत में लफ़्ज़ (इक़ालन) 'रस्सी' बयान किया।

(1557) तख़रीज : मुत्तफ़क़ अलैहि.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हक़ीक़ी वफ़ात थी। 'परदापोशी' वाली बात सहाबा किराम (ﷺ) में कहीं भी समझी नहीं गई, जैसे कि आजकल कुछ लोग बावर कराने की कोशिश करते हैं। (2) क़बाइले अरब तीन तरह से काफ़िर हूए थे। एक वह लोग थे जो इस्लाम से मुर्तद होकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरो हो गये थे। दूसरे वह थे जिन्होंने नमाज़, ज़कात और दीगर अहकामे शरीअत से सरताबी की थी। और तीसरे वह थे जिन्होंने सिर्फ़ ज़कात की अदायगी से इन्कार किया था। इनका ये इंकार भी कुफ्र ही कहलाया था। (तफ़्सील आगे आ रही है) (3) इस्लामी हुकूमत और मुआशरे में नमाज़ और ज़कात लाज़िम व मल्ज़ूम हैं और ज़कात के इन्कार पर जंग हो सकती है। (4) दीन में फ़हम व बसीरत के एतबार से सहाबा किराम (ﷺ) में भी फ़र्क़ था और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) सब से फ़ायक़ थे। (5) जिहाद की हक़ीक़त, इशाअते तौहीद व सुन्नत और ग़ल्बा, दीन के अलावा और कुछ नहीं। (6) हुकूमते इस्लामिया में जनता की जान व माल और आबरू हर तरह से महफ़ूज़ होती है और रहनी चाहिए। (7) हुकूमते इस्लामिया बजा तौर पर ये हक़ रखती है कि अपनी जनता से हुक़ूक़ व फ़राइज़े इस्लाम की पाबन्दी का मुतालबा करे और इस मक़सद के लिए क़िताल भी जायज़ है। (8) हदीस़ में वारिद लफ़्ज़ (अनाक़न) 'बकरी का बच्चा' से मोहद्दिसीन इस्तेदलाल करते हैं कि जानवरों के बच्चे माओं के ताबेअ हैं जैसे कि कुछ सूरतों में माले मुस्तफ़ाद का हुक्म है। (9) इख़्तिलाफ़े रिवायत को बयान करना दलील है कि मोहद्दिसीने किराम नक़ले अहादीस़ में ग़ायत दर्जा मोहतात और अमीन थें।

- **राफ़ज़ीयों के कुछ शुब्हात और उनका जवाब:** राफ़ज़ीयों का तोहमत है कि हज़रत अबूबक्र(ﷺ) पहले वह शख़्स है जिन्होंने मुसलमानों को क़ैदी बनाया हालांकि ये लोग, जिनसे क़िताल किया गया, अस्हाबे तावील थे (इनके ज़अम में ज़कात का एक ख़ास़ मफ़हूम था) इनका ख़्याल था कि कुर्आन करीम का ये इरशाद: '(ऐ पैग़म्बर) इनसे सदक़ात लिजिए, इससे आप इन्हें पाक करें और इनका तज़कीया करें। आप इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुब्हा आपकी दुआ इनके लिए सकीनत का बाइस है।' (अत्तौबा: 103) ये ख़िताब ख़ास़ है। इसका ताल्लूक़ सिर्फ़

रसूलुल्लाह (ﷺ) से है, कोई और इसका मुख़ातब या इसमें शरीक नहीं है। इसमें ऐसी शर्तें हैं जो किसी और में नहीं हैं, यानी तत्हीर व तज़किया और साहिबे सदक़ा के लिए सलात, यानी दुआ। ये उमूर सिर्फ़ नबी (ﷺ) के साथ ख़ास हैं। और जब ज़हनों में इस क़िस्म के शुब्हात मौजूद हों तो ऐसे लोगों को मअज़ूर जानना चाहिए इन पर तलवार उठाना किसी तौर रवा नहीं। इन लोगों के ख़्याल में इनसे क़िताल ज़ुल्म व ज़्यादती था।

☞ **जवाब:** हक़ीक़त ये है कि इन (राफ़ज़ीयों) का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। इनका कुल सरमाया बोहतान, तकज़ीब और सहाबा किराम (رضی اللہ عنہم) की ऐब चीनी है। और ये खुली हक़ीक़त है कि मुर्तद्दीन कई तरह के थे। एक वह थे जिन्हों ने सिरे से इस्लाम ही का इंकार किया था और नबूवते मुसैलमा कज़्ज़ाब या किसी और मुद्दइये नबूवत की दावत कुबूल की थी। दूसरे वह थे जिन्होंने नमाज़ और ज़कात छोड़ते हूए शरीअत का इंकार किया। इन्हीं लोगों को सहाबा (رضی اللہ عنہم) ने काफ़िर कहा और इसी बिना पर हज़रत अबूबक्र (رضی اللہ عنہ) ने इन की औलादों को क़ैदी बनाया और इसमें सहाबा किराम (رضی اللہ عنہم) की कसीर तादाद इनकी ताईद करने वाली और मदद करने वाली थी। इस मौक़े पर एक लौंडी हज़रत अली अलमुर्तज़ा (رضی اللہ عنہ) को मिली थी जो कि बनी हनीफ़ा के क़बीले से थी, इससे उनकी औलाद भी हूई। मुहम्मद बिन हनीफ़ा हज़रत अली (رضی اللہ عنہ) के फ़रजंद गिरामी कद्र इसी लौंडी से हैं ... (अलबत्ता अवाख़िरे दौरे सहाबा (सहाबा के ज़माने के अन्त) में इनका ये इज़्मा हो गया था कि मुर्तद्दीन को क़ैदी न बनाया जाये) तीसरे वह लोग थे जिन्होंने सिर्फ़ ज़कात का इन्कार किया था, इसके अलावा बाक़ी उमूर दीन में वह इस पर पूरी तरह कारबंद रहे थे। ये लोग 'बाग़ी' थे। इनमें से किसी को भी इन्फ़ेरादी तौर पर 'काफ़िर' नहीं कहा गया, अगरचे लफ़्ज़े इरतेदाद और मुर्तद इन पर भी बोला गया है क्योंकि इंकारे ज़कात व हुक़ूक़े दीन में ये दूसरों के मुशाबा हो गये थे। और लुग़वी ऐतबार से जो शख़्स एक अमल करता हो फिर उससे इंकार कर दे तो वह उस से 'मुर्तद' ही होता है। चूंकि उन लोगों ने इताअत से सरताबी की और हक़्क़े इस्लाम का इंकार किया इस वजह से मदह व सना का लफ़्ज़ उनसे छिन गया और एक बुरा लकब उनके हिस्से में आया।

☞ रहे ये शुब्हात के (ख़ुज़मिन अमवालिहीम ...) का ख़िताब रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ास है तो मालूम होना चाहिए कि किताबुल्लाह के ख़िताब तीन तरह के हैं: एक आम ख़िताब, जैसे: 'ऐ ईमान वालों! जब नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करो तो अपने चेहरे धो लिया करो ...' (अल मायदा: 6) दूसरा वह जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से मख़सूस होता है, दूसरों का इससे कोई ताल्लूक नहीं होता। ऐसे ख़िताबात में औरों की शराकत का शुब्हा सरीह अल्फ़ाज़ से ख़त्म कर

दिया जाता है, जैसे: 'और रात में कुछ जागा करें (कुर्आन के साथ), ये हुक्म मज़ीद है आपके लिए।' (बनी इस्राईल: 79) दूसरी जगह निकाह के मसले में है: '(अगर कोई खातून अपने आपको नबी को बख़्श दे तो नबी का उससे निकाह करना जायज़ है) ...(अल अहज़ाब: 50) ये रूख़्सत ख़ास है आपके लिए न कि दूसरे मोमिन के लिए। ख़िताब की तीसरी किस्म वह है जिसमें मुख़ातब तो रसूलुल्लाह (ﷺ) को क्या होता है मगर मुराद आप और आपकी उम्मत दोनों ही होते हैं। आपका ज़िक्र मुबारक इसलिए होता है कि आप अल्लाह की तरफ़ दावत देने वाले हैं। अहकामे इलाही के पहुँचाने वाले हैं। इसमें उम्मत को हिदायत होती है कि जिस तरह आप (ﷺ) करके दिखायें उसी तरह करें, जैसे: 'नमाज़ क़ायम कीजिए सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक' (बनी इस्राईल: 78) और 'जब आप कुर्आन पढ़ने लगें तो अल्लाह की पनाह इख़्तियार किया करें।' (अन्नहल: 98) ज़ेरे बहस मसला और ख़िताब (ख़ुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन ...) इसी आख़री किस्म से ताल्लूक़ रखता है। ये नबी (ﷺ) से मख़सूस नहीं बल्कि आपके साथ आपकी उम्मत के ख़ुल्फ़ा व उमरा भी इसमें शरीक हैं ... रहा मसला तत्हीर व तज़किया और साहिबे ज़कात के लिए दुआ का ... तो ये एक आम अमल है। कोई भी मुख़्लिस मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करके ये मक़ाम व मर्तबा हासिल कर सकता है। वह तमाम अज्र व सवाब जिनका आपके ज़माने में वादा फ़रमाया गया है वह क़यामत तक के लिए जारी हैं। इनमें किसी क़िस्म का इन्क़ताअ नहीं। (माख़ूज़ अज़ नैलुल अवतार: 4/132)

बाब : 2
किन चीज़ों में ज़कात वाजिब है?

﴾2﴿
باب مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ

(1558) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं। और पाँच औक़िया (चाँदी) से कम में ज़कात नहीं। और पाँच वस्क़ से कम (ग़ल्ले) में ज़कात नहीं।'

(1558) तख़रीज : अलबुख़ारी, हदीस:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ

1447, मौता (यहया), 1/244. صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ
وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" .

फ़वाइद व मसाइल : (1) सोने चाँदी, माल मवेशी और दीगर अजनास के लिए मुक़र्रर निसाब से कम में ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। वैसे कोई देना चाहे तो सदक़ा है और महबूब अमल है। (2) एक औक़िया में चालीस दिहरम और एक दिहरम तक़रीबन 2,975 ग्राम चाँदी का होता है। इस तरह एक औक़िया का वज़न एक सौ उन्नीस ग्राम, और पाँच औक़या चाँदी का वज़न पाँच सौ पचानवे ग्राम हूआ। जिसका वज़न तोला के हिसाब से 51 तोला (और साबिक़ उलमा के हिसाब से साढ़े बावन तोला) होता है। (3) एक वस्क़ में साठ साअ होते हैं जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है, और एक साअ में चार मुद। एक साअ का वजन तक़रीबन ढाई किलो होता है। इस हिसाब से पाँच वस्क़ का कुल वज़न सात सौ पचास किलो हो जायेगा। यानी तक़रीबन 19 मन। ज़कात की अदायगी में बुनियादी अहमियत का सवाल ये है कि ज़कात किस किस माल पर फ़र्ज़ है? सुनन अबू दाऊद में जो अहादीस़ बयान की गई हैं इनमें सोना, चाँदी, चरने वाले ऊँट, गायें भेड़ और बकरियों का तफ़्सील से ज़िक्र है। ज़रई अज्नास में जो ज़कात अदा की जाती है, उसे उश्र (दस्वाँ हिस्सा) कहा जाता है। इस हवाले से वह हदीसें ज़िक्र की गई हैं जिनमें क़ाबिले ज़कात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) अज्नास का तफ़्सील से ज़िक्र नहीं। अलबत्ता ये वज़ाहत है कि जो खेतियाँ बारिश, दरयाओं, चश्मों या ज़मीन की रतूबत से सैराब किया जाता है उनकी ज़कात (निस्फ़ उश्र) यानी बीस्वाँ हिस्सा है।

- इस पर तमाम फुक़हा का इत्तेफ़ाक़ है कि ज़रई अज्नास पर ज़कात, उश्र (दस्वाँ हिस्सा) या निस्फ़े उश्र (बीसवा हिस्सा) है। इख़्तिलाफ़े अज्नास के हवाले से इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) घास, ईंधन और बेशुमार दरख़्तों को छोड़कर ज़मीन से उगाई जाने वाली हर चीज़ पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के क़ाइल हैं। उन्होंने हज़रत जाबिर (ﷺ) की रिवायत, 'जो खेतियाँ बारिश, दरयाओं और चश्मों से सेराब हों उनमें उश्र और जिनकी आबपाशी ऊँटों के ज़रिये से की जाये इनमें निस्फ़े उश्र (बीसवा हिस्सा) है।' के अल्फ़ाज़ में पाये जाने वाले उमूम से इस्तेदलाल किया है। इसके अलावा वह क़ुर्आनी आयत: (वमिम्मा अख़रजनालकुम मिनल अरज़ि) (अलबक़र: 267) उमूम से इस्तेदलाल करते हूए ये भी कहते हैं कि ज़मीन की पैदावार थोड़ी हो या ज़्यादा, उसमें उश्र (दस्वाँ हिस्सा) या निस्फ़े उश्र (बीसवा हिस्सा) होगा। हालांकि इस उमूम तख़्सीसे हदीसे रसूल (ﷺ) से साबित है कि 19 मन से कम पैदावार उश्र (दस्वाँ हिस्सा) से अलग है।
- इनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद (रह.) सिर्फ़ उन अज्नास पर ज़कात ज़रूरी समझते हैं जो बाआसानी साल तक बाक़ी रह सकती हैं और इनका लेन देन नाप से होता हो या

वज़न से, इनके मुताबिक़ हर क़िस्म के ग़ल्ले, शक्कर, कपास वग़ैरह पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) देना होगा। इमाम मालिक (रह.) इन्सान की उगाई हूई तमाम ऐसी जरई अज्नास पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) ज़रूरी समझते जो ख़ुश्क करके महफ़ूज़ की जा सकती है। इमाम अहमद (रह.) ख़ुश्क होने वाले फल और हर क़िस्म के बीजों पर ज़कात के क़ायल थे।

- जलीलुल क़द्र फ़ुक़हा तबेईन इमाम हसन बसरी, इमाम शअ़बी, मूसा बिन तलहा और मुजाहिद (रह.) सिर्फ़ गन्दुम, जौ, खजूर और किशमिश में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के क़ायल हैं जिनका नाम रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ूद लिया है। इमाम बैहक़ी (रह.) ने इन ताबेईन के हवाले से वह सारी रिवायात ज़िक्र की हैं जिनमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ उन चीज़ों में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लेने का हुक्म दिया है। ये रिवायात मुर्सल हैं। लेकिन हज़रत मूसा बिन तलहा (رضي الله عنه) ने वज़ाहत की है कि हमारे पास रसूलुल्लाह (ﷺ) की वह तहरीर मौजूद है जो आपने लिखवा कर हज़रत मुआज़ बिन जबल(رضي الله عنه) को अ़ता फ़रमाई थी। उसमें ये लिखा हूआ है कि उश्र (दस्वाँ हिस्सा) इन चार चीज़ों में है। इन सारी रिवायात को ज़िक्र करके इमाम बैहक़ी (रह.) कहते हैं : 'ये तमाम रिवायात मुर्सल हैं लेकिन मुस्तनद असानीद से एक दूसरे की ताईद करती हैं। इनके साथ हज़रत अबू बुरदा (رضي الله عنه) के तरीक़े से हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (رضي الله عنه) की रिवायत है जो इन्हीं चार चीज़ों के उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के बारे में है। (बैहक़ी ...) अबू बुरदा (رضي الله عنه) वाली रिवायत की स़ेहत के बारे में इमाम बैहक़ी का फ़ैसला है: 'यानी इसके रावी सिक़ा हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है'।
- इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इन्हीं चार चीज़ों पर क़यास करके ये कहा है 'उश्र (दस्वाँ) उन बुनियादी ग़िज़ाई अज्नास पर है जो बतौर ख़ुराक इस्तेमाल होती हों और जिनका ज़ख़ीरा (जमाख़ोरी) किया जा सकता है।' गन्दुम, जौ, खज़ूर, किशमिश की तरह जिन इलाक़ों में चावल वग़ैरह बुनियादी ग़िज़ाई जिन्स हैं वहां इन पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) होगा। कपास और दीगर बहुत सी क़ीमती चीज़ों और ताज़ा सब्जियों पर अगरचे बराहे रास्त उश्र (दस्वाँ हिस्सा) नहीं लेकिन इनकी आमदनी के हवाले से अगर निस़ाब और मुद्दते निस़ाब मुकम्मल हो जाये तो ज़कात की अदायगी ज़रूरी होगी। इसी तरह चरने वाले (सायमा) जानवरों के रेवड़ों की ज़कात की तफ़्सील अहादीस़ में बयान कर दी गई है। लेकिन जदीद दौर के मवेशी फ़ार्मों के जानवर चराकर नहीं पाले जाते बल्कि उनकी ख़ुराक का मुस्तक़िल इन्तेज़ाम किया जाता है, इसलिए इनको सायमा (चरने वाले) जानवरों में शुमार नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनकी ज़कात आमदनी पर होगी।
- पहले सोना और चाँदी नक़दी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। आजकल करेंसी नोट इस्तेमाल होते हैं। उ़लमा–ए–उम्मत का इज्मा है कि करेंसी पर क़यास किया जायेगा। सऊ़दी उ़लमा और पाक व

हिन्द के उलमा ने करेंसी नोटों के लिए चाँदी को निसाब बनाया है। इनकी दलील ये है कि इस तरह ज़कात देने वालों की तादाद ज़्यादा होगी जिसमें ग़रीबों व मिस्कीनों का फ़ायदा ज़्यादा है। अगर सोने को निसाब बनाया जायेगा तो बहुत से अस्हाबे हैसियत भी ज़कात देने वालों में से निकल जायेंगे। मिसाल के तौर पर जिसके पास 75 हज़ार रूपये से कम फ़ाज़िल बचत के तौर पर एक साल पड़े रहे होंगे, वह भी साहिबे निसाब मुतसव्विर नहीं होगा, क्योंकि साढ़े सात तोला सोने की क़ीमत (10 हज़ार रूपये फ़ी तोला के हिसाब से) 75 हज़ार होगी। यूँ लाखों अफ़राद साहिबे हैसियत के दायरे से निकल जायेंगे जिसका सारा नुक़सान ग़रीबों व मिस्कीनों और मदारिसे दीनिया को होगा। इस पहलू से देखा जाये तो ये मौक़िफ़ राजेह लगता है। बहरहाल ये इज्तेहादी मसला है, और दोनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। चाँदी का निसाब बुनियाद मानने की सूरत में साढ़े बावन तोला चाँदी की क़ीमत जितनी फ़ाज़िल रक़म रखने वाला साहिबे निसाब होगा और सोने को करेंसी की बुनियाद मानने की सूरत में 75 हज़ार रूपये फ़ाज़िल रक़म रखने वाला साहिबे निसाब मुतसव्विर होगा और इससे कम रक़म रखने वाला शख़्स ज़कात से अलग होगा।

- रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में और सदियों बाद तक क़ीमती पत्थरों, जवाहिरात और मोतियों का इस्तेमाल दुनिया के बहुत से हिस्सों में ज़ीनत और फ़ख़्र के लिए तो था, क़दर या मालियत को महफ़ूज़ करने का ज़रिया सोना चाँदी ही थे। जवाहरात के खरे खोटे होने की पहचान चूंकि आम ताजिर के बस में न थी और इनकी क़ीमतों के तअय्युन का कोई एक बाक़ायदा मैयार भी मौजूद न था। मुख़्तलिफ़ माहिरीन की राय क़ीमतों के बारे में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख़्तलिफ़ होती थी। सोने चाँदी की तरह मैयारी टकसालों में ढालकर उनको दिहरम व दीनार की शक्ल भी न दी जा सकती थी इसलिए ये करेंसी या मालियत के तहफ़्फ़ुज के लिए मुनासिब न थे। माले तिजारत के तौर पर तो इनकी ज़कात थी, अलबत्ता बराहे रास्त इन पर ज़कात की वसूली मुमकिन न थी। लेकिन आजकल साइंसी बुनियादों पर इनकी पहचान, क़ीमत का तअय्युन और इसके लिए क़ाबिले क़बूल मैयार सब कुछ आसान हो गया है। इनकी बाक़ायदा मंडियाँ क़ायम हो गई हैं और इन ख़ूबियों की वजह से ये ज़ैब व ज़ीनत के अलावा बड़े पैमाने पर मालियत क़दर के तहफ़्फ़ुज, ज़ख़ीरे और बैंकों में नोट जारी करने की ग़र्ज़ से महफ़ूज़ ज़मानतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
- इस बात का इम्कान मौजूद है कि वक़्त के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़कात से बचने के लिए अपने मालियाती असासे जवाहिरात की सूरत में महफ़ूज़ करने शुरू कर दें। अमीर ख़्वातीन तो अब सोने चाँदी के बजाये इनसे कई गुना ज़्यादा क़ीमती जवाहिरात को ज़ैब व ज़ीनत और असासों के तहफ़्फ़ुज के लिए इस्तेमाल करने लगी हैं और इन पर ज़कात भी नहीं देनी पड़ती। ये

सूरते हाल फुक़रा और मुस्तहेक़ीने ज़कात के मफ़ाद के ख़िलाफ़ है। जिस तरह हज़रत उमर (ﷺ) ने अम्बर के बारे में, इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में कोई हिदायत मौजूद न थी, सहाबा (ﷺ) से मशवरह किया था और इसकी रोशनी में ख़ुमुस की वसूली का फ़ैसला फ़रमाया था। (अलमोसूअतुल अफ़िक़ह, कुवेत, ज़कात, बाब ज़कात अलमुस्तख़रज मिनल बिहार) मज़ीद ये कि हज़रत उमर (ﷺ) के पास शाम से कुछ लोग आये कि हमें घोड़ों और गुलामों की सूरत में कुछ माल मिला है, हम इनकी ज़कात अदा करके इसे पाक करना चाहते हैं। तो हज़रत उमर (ﷺ) ने सहाबा किराम (ﷺ) से मशवरह करके जिनमें हज़रत अली (ﷺ) भी शामिल थे, ज़कात लेने का फ़ैसला किया। (हाकिम, हदीस: 1456) इसी तरह अब उलमा अगर क़ीमती पत्थरों के हवाले से ग़ौर करें और मुत्तफ़क़ा तौर पर इनकी ज़कात के बारे में फ़ैसला करें तो ये ऐन मसलिहते इस्लामी का तक़ाज़ा होगा। याद रहे कि पत्थरों पर ज़कात न होने की जो मरफ़ूअ रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्दिही के हवाले से मनक़ूल है वह ज़ईफ़ है, इसलिए क़ाबिले एतबार नहीं। (बैहक़ी)

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ الأَوْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ زَكَاةٌ " . وَالْوَسْقُ سِتُّونَ مَخْتُومًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ

(1559) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) नबी(ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हूए बयान करते हैं: 'पाँच वस्क़ से कम (ग़ल्ले) में ज़कात नहीं।' और एक 'वस्क़' साठ मेयारी 'साअ' का होता है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि अबू अलबख़्तरी ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से बराहे रास्त नहीं सुना।

(1559) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1832.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا مَخْتُومًا بِالْحَجَّاجِيِّ

(1560) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) का बयान है कि एक वस्क़ साठ मुहर लगे हूए हज्जाजी साअ का होता है।

(1560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी शैबा, हदीस: 3/138

फ़वाइद व मसाइल : (1) वस्क़ की मिक़दार (मात्रा) दौरे सहाबा से साठ साअ ही मारूफ़ और मुअय्यन फ़िक्स है। **(2)** हज्जाजी: अमीर हज्जाज बिन यूसुफ़ की तरफ़ निस्बत है कि हुकूमत की तरफ़ से इस पर मुहर लगी होती थी।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا صُرَدُ بْنُ أَبِي الْمَنَازِلِ، قَالَ سَمِعْتُ حَبِيبًا الْمَالِكِيَّ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَا أَبَا نُجَيْدٍ إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونَنَا بِأَحَادِيثَ مَا نَجِدُ لَهَا أَصْلاً فِي الْقُرْآنِ . فَغَضِبَ عِمْرَانُ وَقَالَ لِلرَّجُلِ أَوَجَدْتُمْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا شَاةً شَاةٌ وَمِنْ كُلِّ كَذَا وَكَذَا بَعِيرًا كَذَا وَكَذَا أَوَجَدْتُمْ هَذَا فِي الْقُرْآنِ قَالَ لاَ . قَالَ فَعَنْ مَنْ أَخَذْتُمْ هَذَا أَخَذْتُمُوهُ عَنَّا وَأَخَذْنَاهُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَشْيَاءَ نَحْوَ هَذَا .

(1561) हबीब मालकी का बयान है कि एक शख़्स ने (सहाबी ए रसूल) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) से कहा: ऐ अबू नुजैद! आप लोग हमें कुछ ऐसी अहादीस़ बयान करते हैं जिनकी अस़ल हमें क़ुर्आन में नहीं मिलती। इस पर हज़रत इमरान(ﷺ) गुस्से में आ गये और उससे कहा: क्या तुम्हें क़ुर्आन में ये मिलता है कि हर चालीस दिरहम में एक दिरहम (ज़कात) है? और हर इतनी इतनी तादाद बकरियों में एक बकरी है? और इतने इतने ऊँटों में ये कुछ (ज़कात) है? क्या तुम लोगों को ये सब क़ुर्आन में मिलता है? उसने कहा: नहीं। हजरत इमरान (ﷺ) कहने लगे: तो तुमने ये (मसाइल व अहकाम) किस से लिये हैं? बिलाशुब्हा तुम ये हम (स़हाबा) ही से लेते हो और हमने इन्हें अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ) से लिया है। (हज़रत इमरान (ﷺ) ने) इस तरह की और भी कई चीज़ें ज़िक्र कीं।

(1561) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 18/219, हाकिम: 1/109, 110, व इब्ने हिबान, हदीस़ : 7/247, 248.

मल्हूज़ : इसमें ये इशारा है कि फ़ित्न-ए-इन्कारे हदीस़ एक क़दीम (पुराना) फ़ितना है जिसकी इब्तेदा दौरे सहाबा (ﷺ) के आख़िर में हो गई थी। बिलाशुब्हा अक्सर बारीक मसले हमें स़ही अहादीस़ ही में मिलते हैं। क़ुर्आन हकीम ने उसूल ज़िक्र किये हैं और कहीं कहीं अहम फ़ुरूअ भी। इस हदीस़ में

सहाबिये रसूल हज़रत इमरान (ﷺ) ने निहायत अच्छे अन्दाज़ और एजाज़ से फ़ित्न–ए–इन्कारे हदीस की बेख़ कनी कर दी है। (रोकथाम कर दी)

बाब : 3
क्या सामाने तिजारत में ज़कात है?

﴿3﴾ باب الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاةٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ .

(1562) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ﷺ) ने फ़रमाया: अम्माबाद! बिलाशुब्हा रसूल (ﷺ) हमें हुक्म दिया करते थे कि 'जो माल हम तिजारत के लिए तैयार करें उससे सदक़ा (ज़कात) दिया करें।'

(1562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/146, 147, तिर्मिज़ी, हदीस: 616, हदीस: 1955 में देखें।

मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद और अल्लामा मुन्ज़िरी (रह.) इस हदीस पर साकित (खामोश) हैं। इब्ने अब्दुलबर (रह.) ने इसकी सनद को हसन कहा है। अल्लामा इब्ने हजर (रह.) ने इसकी सनद के बारे में कहा है कि इसमें जहालत है। (रावी मजहूल है) शैख़ शोकानी (रह.) ने भी 'अस्सैलुल ज़र्रार' में ऐसे ही लिखा है। (अस्सैलुल जर्रार: 2/26,27) अरवा अलग़लील फ़ी तख़रीज़ अहादीसे मनारिस्सबील अलबानी में है कि माले तिजारत में ज़कात की अहादीस ज़ईफ़ हैं। फ़तावा इब्ने तैमिया में है कि अमवाले तिजारत में ज़कात है (25/15) इब्ने अलमुन्ज़िर ने फ़रमाया है कि अहले इल्म का इस मसले पर इज्मा है कि साल गुज़रने पर माले तिजारत में ज़कात है। हज़रत उमर, इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (ﷺ) से यही मरवी है। फ़ुक़हा–ए–सबअ, हसन, जाबिर बिन ज़ैद, मैमून बिन मेहरान, ताऊस, नख़ई, सौरी, औज़ाई, अबू हनीफ़ा, अहमद, इस्हाक़, अबू उबैद और इमाम इब्ने तैमिया (रह.) का यही फ़तवा है। अलग़र्ज़ एहतियात का तक़ाज़ा यही है कि माले तिजारत किसी भी क़िस्म का हो उसकी क़ीमत का एतबार करके उसकी ज़कात अदा कर दी जाये।

↪ अमवाले तिजारत में ज़कात की अदायगी का तरीक़ा ये है कि साल ब साल जितना तिजारती माल दूकान या गोदाम वग़ैरह में हो, उसकी क़ीमत का अन्दाज़ा कर लिया जाये। इसके अलावा जितनी रक़म गर्दिश में हो और जो रक़म मौजूद हो, उसको भी शुमार कर लिया जाये। नक़द रक़म, कारोबार में लगा हूआ सरमाया और सामाने तिजारत की अन्दाज़न क़ीमत सब मिलाकर जितनी रक़म हो, उस पर ढाई फ़ीसद के हिसाब से ज़कात अदा की जाये। ताहम कोई तिजारती माल इस तरह का है कि वह ख़रीदा, लेकिन वह कई साल तक फ़रोख़्त नहीं हूआ, तो उस माल की ज़कात उसके फ़रोख़्त होने पर सिर्फ़ एक साल की अदा की जायेगी। वरना आम माल जो दूकान में फ़रोख़्त होता रहता है और नया स्टॉक आता रहता है, वहां चूंकि फ़रदन फ़रदन एक एक चीज़ का हिसाब मुश्किल है, इसलिए साल के बाद सारे माल का बहैसियते मजमूई क़ीमत का अन्दाज़ा करके ज़कात निकाली जाये। अगर कोई रक़म किसी कारोबार में मुन्जमिद हो गई हो, जैसा कि कुछ दफ़ा ऐसा हो जाता है और वह रक़म दो तीन साल या उससे ज़्यादा देर तक फंसी रहती है या किसी ऐसी पार्टी के साथ साबक़ा पेश आ जाता है कि कई साल रक़म वसूल नहीं होती तो ऐसी डूबी हूई रक़म की ज़कात साल ब साल देनी ज़रूरी नहीं। जब रक़म वसूल हो जाये, उस वक़्त साल की ज़कात अदा कर दी जाये, वह जब भी वसूल हो।

बाब : 4
कन्ज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात की ज़कात का मसला

﴾4﴿
باب الْكَنْزِ مَا هُوَ وَزَكَاةِ الْحُلِيِّ

(1563) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से और वह (शुऐब) अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन उम्र (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि एक ख़ातून रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आयीं। उनके साथ उनकी बेटी भी थी और बेटी के हाथ में सोने के दो मोटे मोटे कंगन थे। आपने उस ख़ातून से पूछा: 'क्या तुम इसकी ज़कात देती हो?' उसने कहा: नहीं। आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि क़यामत के

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، - الْمَعْنَى - أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا " أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا " . قَالَتْ لاَ . قَالَ

" أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ " . قَالَ فَخَلَعَتْهُمَا فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَتْ هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ .

रोज़ अल्लाह तुम्हें इनके बदले आग के दो कंगन पहनाये?' चूनांचे उस औरत ने उनको उतारा और नबी (ﷺ) के सामने डाल दिया और कहने लगी: ये अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं।

(1563) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2481, तिर्मिज़ी, हदीस: 637

फ़वाइद व मसाइल : (1) माल को जोड़ जोड़ कर रखना, ख़ज़ाना बनाना और अल्लाह का हक़ अदा न करना, इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) बहुत मायूब और अज़ाबे अलीम का बाइस है जैसे कि सूरह तौबा में इरशाद है: 'और वह जो सोने चाँदी को जोड़ जोड़ कर रखते हैं और अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दीजिए। जिस दिन कि उसे जहन्नम की आग में गर्म किया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियों, पहलू और पीठें दाग़ी जायेंगी, (और कहा जायेगा) ये है वह जिसे तुमने अपने लिए ख़ज़ाना बना रखा था, अब इस ख़ज़ाना जोड़ने का मज़ा चखो।' (अत्तौबा: 34, 35) लुग़त में (कन्ज़) ये है कि दौलत को ज़मीन में दफ़न करके रखा जाये, मगर उर्फ़े शरअ में जिस माल की ज़कात न दी जाये, वह कन्ज़ कहलाता है। सोने चाँदी के ज़ेवर की ज़कात में कुछ इख़्तिलाफ़ है। ताहम जुम्हूर उलमा ज़ेवर में ज़कात के क़ायल हैं और एहतियात के लिहाज़ से भी यही मस्लक ज़्यादा सही है। ज़ेवर की ज़कात दोनों तरीक़ों से निकाली जा सकती है। ज़ेवर में चालीसवाँ हिस्सा सोना या चाँदी बतौर ज़कात निकाल दी जाये या चालीसवें हिस्से की क़ीमत अदा कर दी जाये। दोनों तरह जायज़ है। ताहम किसी के पास अगर हदे निसाब (साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चाँदी) से कम ज़ेवर है तो उस पर ज़कात आयद नहीं होगी। **(2)** बच्चे बच्चियाँ जब अपने माँ बाप की सरपरस्ती में हों तो उन पर वाजिब है कि उनके माल की ज़कात अदा करें या करवायें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ فَقَالَ " مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ " .

(1564) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) बयान करती हैं कि मैं सोने के हार पहना करती थी। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये कन्ज़ हैं? आपने फ़रमाया: 'जो ज़कात की मिक़दार को पहुँच जाये और उसकी ज़कात अदाकर दी जाये तो वह कन्ज़ नहीं है।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/390.

(1565) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) के यहां गये तो उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये। आपने देखा कि मेरे हाथों में चाँदी की (मोटी मोटी) अंगूठियाँ हैं तो आपने पूछा: 'आयशा! ये क्या है?' मैंने अर्ज़ किया: मैंने इन्हें आपकी ख़ातिर ज़ीनत के लिए पहना है ऐ अल्लाह के रसूल! आपने कहा: क्या तू इनकी जक़ात अदा करती हैं मैंने कहा नहीं, या इसी तरह की कोई बात की। आपने फ़रमाया: 'तुझे जहन्नम में ले जाने के लिए यही काफ़ी है।'

(1565) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 2/105, 106, हदीस: 1934, हाकिम: 1/389, 390.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ " . فَقُلْتُ صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ " . قُلْتُ لاَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ . قَالَ " هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये और पिछली अहादीस दलील हैं कि इस्तेमाल के ज़ेवरात में भी ज़कात वाजिब है। (2) मुख्य लोगों और दाई हज़रात को चाहिए कि लोगों को हमेशा इनका अन्जाम याद दिलाते रहा करें। आख़िरत की फ़िक्र ही से आमाल की इस्लाह और इनमें इख़्लास पैदा होता है। (3) औरतों का ये शरई और अख़्लाक़ी फ़रीज़ा है कि अपनी ज़ैब व ज़ीनत और सार सिंगार सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहरों की दिलदारी के लिए किया करें।

(1566) सुफ़ियान ने अम्र बिन यअला से रिवायत की और अंगूठी वाली हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया ... सुफ़ियान से पूछा गया कि इसकी ज़कात कैसे दे? (यानी अंगूठी वग़ैरह की) तो उन्होंने फ़रमाया: दूसरे ज़ेवरात के साथ मिला ले (और निसाब के मुताबिक़ ज़कात दे)

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/145

حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ . قِيلَ لِسُفْيَانَ كَيْفَ تُزَكِّيهِ قَالَ تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ

बाब : 5
जंगल में चरने वाले जानवरों की ज़कात

﴿5﴾
بابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ

(1567) हम्माद बयान करते हैं कि मैंने ये तहरीर जनाब सुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन अनस से हासिल की है। वह कहते थे कि उसे हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने हज़रत अनस (ﷺ) के लिए लिखा था जबकि उनको सदक़े के लिए तहसीलदार बना के भेजा था और इस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुहर थी ... इसमें तहरीर था: ये फ़रीज़-ए-ज़कात की तफ़सील है जिसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया था, जिसका अल्लाह ने अपने नबी (ﷺ) को हुक्म दिया था। सो जिस भी मुसलमान से इसके मुताबिक़ मुतालबा किया जाये, वह अदा करे और जिससे इसके अलावा मज़ीद माँगा जाये तो वह न दे।

पच्चीस से कम ऊँटों में (ज़कात बकरियों की सूरत में है) हर पाँच ऊँट पर एक बकरी है। जब पच्चीस हो जायें तो इनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक बरस की मादा ऊँटनी) है, पैंतीस तक। अगर इनमें कोई एक बरस की (बिन्ते मख़ाज़) न हो तो दो बरस का नर ऊँट दे (जिसे इब्ने लबून कहते हैं) और जब छत्तीस हो जायें तो इनमें दो साल की मादा ऊँटनी (बिन्ते लबून) है, पैंतालीस तक। और

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَخَذْتُ مِنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ كِتَابًا زَعَمَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَتَبَهُ لأَنَسٍ وَعَلَيْهِ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ فَإِذَا فِيهِ " هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَمَنْ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلاَ يُعْطِهِ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ . فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلاَثِينَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا

وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَأَنْ يَجْعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ

जब छियालीस हो जायें तो इनमें हिक़्क़ा है (तीन साल की मादा ऊँटनी) जो जुफ़्ती के लायक़ हो, साठ तक। जब इक्सठ हो जायें तो इनमें जज़आ (चार साल की मादा ऊँटनी) है, पचहत्तर तक। और जब छिहत्तर हो जायें तो इनमें दो अदद बिन्ते लबून (दो दो बरस की मादा ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक। और जब इकानवे हो जायें तो इनमें दो अदद हिक़्क़ा (तीन तीन साल की मादा ऊँटनियाँ) हैं, जो जुफ़्ती के लायक़ हों, एक सौ बीस तक। और एक सौ बीस से बढ़ जायें तो हर चालीस में बिन्ते लबून (दो साल की मादा ऊँटनी) और हर पचास में हिक़्क़ा (तीन साल की मादा ऊँटनी) है। अगर ज़कात में वाजिब होने वाले जानवरों की उमरों में फ़र्क़ हो, तो जिस पर जज़आ लाज़िम हो (चार साल की मादा) मगर उसके पास जज़आ न हो बल्कि (उससे कम उमर) हिक़्क़ा (तीन साल की ऊँटनी) हो तो इससे हिक़्क़ा ले ली जाये और वह इसके साथ दो बकरियाँ मिला दे अगर मयस्सर हों या बीस दिरहम (चाँदी के) और जिस पर ज़कात में हिक़्क़ा (तीन साल की) वाजिब हुई हो, मगर उसके पास हिक़्क़ा न हो बल्कि जज़आ (चार साल की) हो तो उससे जज़आ ले ली जाये और तहसीलदार उसको बीस दिहरम दे दे या दो बकरियाँ। और जिस पर हिक़्क़ा (तीन साल की ऊँटनी) वाजिब हुई हो मगर मौजूद न हो बल्कि बिन्ते लबून (दो साल की मादा) हो तो उससे बिन्ते लबून ले

ली जाये ... इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं : हदीस़ के इस हिस्से के बाद मुझे अपने शैख़ मूसा बिन इस्माईल से कमा हक़्क़हू ज़ब्त नहीं है ... और साहिबे माल इसके साथ दो बकरियाँ दे अगर मयस्सर हों, या बीस दिरहम। और जिस पर ज़कात में बिन्ते लबून (दो साल की मादा) लाज़िम आई हो मगर उसके पास हिक़्क़ा (यानी तीन साल की मादा) हो तो उससे वह हिक़्क़ा ले ली जाये ... इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इस हिस्से के बाद मुझे ख़ूब ज़ब्त है ... और तहस़ीलदार उसे बीस दिरहम दे दे या दो बकरियाँ। और जिस पर बिन्ते लबून (दो साला मादा) लागू हुई हो मगर उसके पास एक साल (बिन्ते मख़ाज़) हो तो उससे वही क़बूल कर ली जाये और साथ दो बकरियाँ ली जायें या बीस दिरहम। और जिस पर बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) लाज़िम आई हो मगर उसके पास दो साला नर (इब्ने लबून) मौजूद हो तो उससे वही ले लिया जाये मगर उसके साथ कुछ (वापस) नहीं होगा। और जिस शख़्स के पास सिर्फ़ चार ऊँट हों तो उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है मगर ये कि उनका मालिक चाहे।

और चरने वाली बकरियों की ज़कात (की तफ़्सील) ये है कि चालीस से लेकर एक सौ बीस तक में एक बकरी है। अगर इससे बढ़ जायें तो दो बकरियाँ हैं दो सौ तक। दो सौ से ज़्यादा में तीन बकरियाँ हैं, तीन सौ तक।

لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مِنْ هَا هُنَا لَمْ أَضْبِطْهُ عَنْ مُوسَى كَمَا أُحِبُّ " وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ - إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ - أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَى هَا هُنَا ثُمَّ أَتْقَنْتُهُ " وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ مَخَاضٍ وَلَيْسَ عِنْدَهُ إِلاَّ ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَىْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلاَّ أَرْبَعٌ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ

ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ أَرْبَعِينَ فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلاَّ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا "

अगर बकरियाँ तीन सौ से बढ़ जायें तो हर हर सौ में एक एक बकरी है।

ज़कात में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी न ली जाये और न बकरा (जुफ़्ती वाला नर) ही लिया जाये मगर ये कि तहसीलदारे ज़कात की ख़्वाहिश हो। और ज़कात के ख़ौफ़ से दो अलग ग्रूपों को जमा न किया जाये और न इकट्ठे माल को अलग अलग किया जाये। और जिन दो मुश्तरक मालिकों का माल इकट्ठा हो और ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो वह आपस में बराबर बराबर लेन–देन कर लें। अगर किसी की जंगल में चरने वाली बकरियाँ चालीस की गिनती को न पहुँचती हो तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि उनका मालिक चाहे।

चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा है। अगर माल सिर्फ़ एक सौ नव्वे दिरहम हो तो उसमें कोई ज़कात नहीं मगर ये कि उसका मालिक चाहे।

(1567) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1448.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़रीज़–ए–ज़कात की इस तफ़्सील से मक़ामे रिसालत की भी वज़ाहत होती है। जैसा कि अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'हमने आपकी तरफ़ ये ज़िक्र नाज़िल किया है ताकि आप लोगों को उनकी तरफ़ नाज़िल करदा बात की ख़ूब वज़ाहत फ़रमा दें।' (अन्नहल: 44) **(2)** अहादीसे नबवीया का एक मअ़कूल हिस्सा दौरे रिसालत में आपकी ज़िन्दगी ही में ज़ब्ते तहरीर में लाया गया था, उनमें से पिछली तफ़्सीलाते ज़कात भी हैं, लिहाज़ा मुन्किरीने हुज्जियते हदीस को ग़ौर करना चाहिए। **(3)** शरई हुक़ूक़े मालिया तलब करने पर अदा करना वाजिब हैं। अगर हुकूमत इस फ़रीज़े से ग़ाफ़िल हो तो मुसलमानों को ख़ूद से इनका अदा करना फ़र्ज़ है। **(4)** मुक़र्रर मिक़दारे ज़कात से ज़्यादा का मुतालबा हो तो जुर्अत (बहादुरी) से इन्कार करना चाहिए। मगर ये कि हालात अच्छे न हों। **(5)** मुक़र्रर निसाब से कम में ज़कात वाजिब नहीं। मालिक ख़ूशी से पेश करे तो क़बूल कर ली जाये जो उसके लिए बाइसे अज्र व सवाब है। टेक्स और ज़कात व सदक़ात में यही बुनियादी फ़र्क़ है कि मुसलमान शरई वाजिबात तंगी

तुरशी में बख़ूशी अदा करता है बख़िलाफ़ टेक्सों के। (6) ऊँटों की पिछली ज़कात के जानवरों की उ़मरें बिलकुल पूरी होनी चाहिए। जैसे 'बिन्ते मख़ाज़' वह ऊँटनी है जो एक साल की होकर दूसरे साल में दाख़िल हो चुकी हो। 'बिन्ते लबून' वह ऊँटनी है जो दो साल की होकर तीसरे में लग चुकी हो, इस तरह बाक़ी भी। (7) लागू होने वाली ज़कात में हस्बे मस़लिहत जानवरों को बदलना या उनकी क़ीमत लेना देना भी जायज़ है। (8) इकट्ठे रेवड़ों को अलग करना यूं है कि ... जैसे एक रेवड़ में दो मालिकों की कुल पचास बकरियाँ हों तो उनमें एक बकरी ज़कात आती है मगर तहस़ीलदारे ज़कात की आमद के मौक़े पर ये दोनों अपने अपने जानवर अलग कर लें तो पच्चीस पच्चीस बकरियों में कोई ज़कात न आयेगी। ये हीला नाजायज़ और हराम है। इसी तरह अलग अलग रेवड़ों को इकट्ठे दिखाना भी नाजायज़ और हराम है। जैसे साठ साठ बकरियों के दो रेवड़ों पर दो बकरियाँ ज़कात लागू होगी लेकिन अगर इनको एक ही रेवड़ शुमार कराया जाये तो एक सौ बीस में सिर्फ़ एक बकरी आयेगी। इस तरह एक बकरी बचा लेना हराम होगा। (9) लागू शुदा ज़कात के जानवरों में मादा जानवर लेना देना इसलिए ताक़ीदी है कि इनकी अफ़ज़ाइश होती रहती है जबकि नर सिर्फ़ जुफ़्ती का फ़ायदा देता है। यही वजह है कि ऊँटों में अगर बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) लाज़िम आई हो मगर मौजूद न हो तो इब्ने लबून (दो साला नर) लिया जाये और कुछ वापस न किया जाये। (10) ज़कात में अल्लाह तआ़ला ही को राज़ी करना मतलूब है इसलिए उसे इख़्लास़ से उ़म्दा माल पेश किया जाये। ज़ईफ़, बीमार या ऐबदार जानवर पेश करना या क़बूल करना नाजायज़ है। (11) ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, जंगल में चरने नहीं जाते उन पर इस अंदाज़ से ज़कात नहीं बल्कि अगर वह तिजारत के लिए हैं तो उनकी मजमूई क़ीमत पर ज़कात आयेगी या उनसे हास़िल आमदनी पर ज़कात होगी। वल्लाहू आलम (12) जिन दो मुश्तरक मालिकों का माल इकट्ठा हो और ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो वह आपस में बराबर लेन देन कर लें। इसकी मिस़ाल ये है कि दो शरीक थे। साठ साठ बकरियाँ हर एक की थी। मजमूई तौर से एक बकरी ज़कात ली गई। ज़ाहिर है आधी आधी बकरी दोनों पर लाज़िम आई। तो अब जिसके माल से एक बकरी ली गई है वह अपने दूसरे साथी से आधी बकरी के दाम ले लेगा और वह दूसरा उसे आधी बकरी के दाम देगा। इस तरह दोनों पर ज़कात बराबर बराबर हो जायेगी।

(1568) सालिम अपने वालिद (अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से नक़ल करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने ज़कात की तफ़्सील लिखी थी मगर उसे अपने आ़मिलों की तरफ़ भेजने न पाये थे कि आपकी वफ़ात हो गई जब कि आपने उसको अपनी तलवार

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابَ

الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ " فِي خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ وَفِي خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي

के साथ (नियाम में) रखा हूआ था। चूनांचे हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने इस पर अमल किया यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई, फिर हज़रत उमर (ﷺ) ने अमल किया यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई। इसमें ये तहरीर था: 'पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में दो बकरियाँ, पन्द्रह में तीन बकरियाँ और बीस में चार बकरियाँ हैं। पच्चीस ऊँटों में एक साला मादा ऊँटनी (बिन्ते मख़ाज़) है, पैंतीस तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उसमें बिन्ते लबून (दो साला ऊँटनी) है, पैंतालिस तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें हिक़्क़ा (तीन साला ऊँटनी है, साठ तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें जज़आ है (चार साला ऊँटनी) पचहत्तर तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो साला की ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें दो हिक़्क़ा (तीन तीन साल की मादा) हैं, एक सौ बीस तक। अगर ऊँट इससे ज़्यादा हों तो हर पच्चास में एक हिक़्क़ा (तीन साल की मादा) और हर चालीस में एक बिन्ते लबून (दो साला) है, और बकरियों में हर चालीस में एक बकरी है, एक सौ बीस तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो दो बकरियाँ हैं दो सौ तक। अगर दो सौ से एक भी ज़्यादा हो जाये तो इसमें तीन बकरियाँ है तीन सौ तक अगर बकरियाँ इससे ज़्यादा हों तो हर सौ में एक बकरी है। और सौ से कम में कुछ नहीं यहाँ तक कि सौ पूरी हो जायें।

كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَيْبٍ " . قَالَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثْلاَثًا ثُلُثًا شِرَارًا وَثُلُثًا خِيَارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ .

इकट्ठे जानवरों को ज़कात के डर से अलग अलग न किया जाये और अलग अलग को ज़मा न किया जाये। और जिनके जानवर इकट्ठे हों वह दोनों आपस में बराबर बराबर लेन देन कर लें। और ज़कात में कोई बूढ़ा या ऐब वाला जानवर न लिया जाये।'

इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि जब ज़कात वसूल करने वाला आये तो बकरियों को तीन हिस्सों में बाँट लिया जाये यानी हल्की, उम्दा और दरम्याने दर्जे में और तहसीलदारे ज़कात दरम्याने दर्जे से ले। इमाम ज़ोहरी ने गायों का ज़िक्र नहीं किया।

(1568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 621, इब्ने माजा, हदीस: 1798, तालीक़े, बुख़ारी, हदीस: 1450.

फ़ायदा : बकरियाँ तीन सौ हों तो तीन बकरियाँ ज़कात होगी, तीन सौ निन्यानवे तक। चार सौ पूरी हों तो चार बकरियाँ होगी चार सौ निन्यानवे तक।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ " فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ " . وَلَمْ يَذْكُرْ كَلاَمَ الزُّهْرِيِّ .

(1569) सुफ़ियान बिन हुसैन ने अपनी (पिछली) सनद से और इसके हम मानी बयान किया ... और कहा: 'अगर बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) न हो तो इब्ने लबून (दो साला नर) पेश कर दे। और ज़ोहरी का कलाम ज़िक्र नहीं किया।

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/88.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ

(1570) जनाब इब्ने शिहाब ने कहा: ये नक़ल है उस तहरीर की जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सदक़ा (ज़कात) के बारे में लिखी थी और ये आले उमर बिन ख़त्ताब के पास महफ़ूज़

صلى الله عليه وسلم الَّذِي كَتَبَهُ فِي الصَّدَقَةِ وَهِيَ عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَقْرَأَنِيهَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجْهِهَا وَهِيَ الَّتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ

थी। इब्ने शेहाब ने कहा: इसे मुझे सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर ने पढ़वाया और मैंने इसको उसी तरह याद कर लिया और यही वह तहरीर है जिसे हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (ﷺ) ने अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर और सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर से नक़ल करवाया था ... और हदीस़ बयान की। कहा: 'जब (ऊँटनियों की तादाद) एक सौ इक्कीस हो जाये तो इनमें तीन बिन्ते लबून (दो दो साला मादा) हैं, एक सौ उन्तीस तक। जब एक सौ तीस हो जायें तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो साला मादा) और एक हिक़्क़ा (तीन साला मादा) होगी, एक सौ उन्तालीस तक। और जब एक सौ चालीस हो जायें तो इनमें दो हिक़्क़ा (तीन तीन साला मादा) और एक बिन्ते लबून (दो साला मादा) होगी एक सौ उन्चास तक। जब एक सौ पचास हो जायें तो इनमें तीन अ़दद हिक़्क़ा होंगी (तीन तीन साला मादा) एक सौ उन्सठ तक। जब एक सौ साठ हो जायें तो इनमें चार अ़दद बिन्ते लबून होंगी एक सौ उन्हत्तर तक। जब एक सौ सत्तर हो जायें तो इनमें तीन अ़दद बिन्ते लबून और एक हिक़्क़ा होगी एक सौ उनासी तक। जब एक सौ अस्सी हो जायें तो इनमें दो अ़दद हिक़्क़ा और दो अ़दद बिन्ते लबून होंगी, एक सौ नवासी तक जब एक सौ नव्वे हो जायें तो इनमें तीन अ़दद हिक़्क़ा और एक बिन्ते लबून

تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً فَفِيهَا ثَلاَثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَىُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ " . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ وَفِيهِ " وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ مِنَ الْغَنَمِ وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ "

होंगी। एक सौ निन्यानवे तक। और जब दो सौ हो जायें तो इनमें चार अदद हिक़्क़ा या पाँच अदद बिन्ते लबून होंगी, जिस उमर का जानवर भी हो, ले लिया जाये। और चरने वाली बकरियों में। हदीसे सुफ़ियान इब्ने हुसैन की मानिन्द ज़िक्र किया। इसमें है: सदक़े में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी न ली जाये और न नर बकरा, मगर ये कि तहसीलदारे ज़कात चाहे।'

(1570) तख़रीज : (सनद हसन) दारक़ुतनी: 2/116, 117, हदीस: 1967, हाकिम: 1/493.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ऊँटों में ज़कात की ये तफ़्सील इसी क़ायदे के तहत है जो गुज़िश्ता हदीस में बयान हो चुका है कि 'एक सौ बीस से ज़्यादा हो जायें तो (इनके हिस्से बना लिये जायें) हर पचास में एक हिक़्क़ा और हर चालीस में एक बिन्ते लबून और कसर (दो चार ज़्यादा हों वह) माफ़ है। **(2)** ख़लीत ब'मानी शरीक ही है, मगर कुछ फ़र्क़ किया गया है। इमाम मालिक (रह.) फ़रमाते हैं: जब इनके माल एक दूसरे से नुमायाँ और अलग हों तो ये ख़लीत नहीं होते (शरीक होते हैं) और जब चरवाहा, चारागाह, बाड़ा और उनका नर एक हो तो ख़लीत कहलाते हैं ... इसके अलावा ये भी है कि हर एक के माल की तादाद भी निसाब के मुताबिक़ हो ... जबकि इमाम शाफ़ेई (रह.) कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है बल्कि जब मज्मूई माल निसाब को पहुँचता हो तो ये ख़लीत हैं ख़्वाह एक का हिस्सा एक बकरी ही क्यों न हो। **(3)** इकट्ठे माल को अलग करना या अलग को जमा करना दो ग़र्ज़ से हो सकता है ज़कात साक़ित करने के लिए या उसकी मिक़दार (तादाद) कम करने के लिए। जैसे साठ बकरियों को जुदा जुदा कर दिया जाये तो कोई ज़कात न होगी ... या पचास पचास के रेवड़ पर दो बकरियाँ आती हैं मगर जमा कर दी जायें तो एक ही आयेगी और इस तरह एक बकरी बचा ली जाये ... ये हुक्म मालिक, चरवाहों और तहसीलदारे ज़कात सभी को है क्योंकि मुमकिन है तहसीलदार किसी को फ़ायदा पहुँचाने की ग़र्ज़ से ये काम करे ... या ज़कात में इज़ाफ़े के लिए कोई तदबीर करना चाहे, ऐसा करना किसी को भी रवा नहीं है।

(1571) इमाम मालिक (रह.) ने बयान किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का फ़रमान है: अलग–अलग माल को जमा या इकट्ठे माल को जुदा जुदा न किया जाये। वह यूं कि जैसे हर शख़्स की चालीस चालीस बकरियाँ हों जब तहसीलदारे ज़कात आये तो वह अपने माल को इकट्ठा करके दिखायें, ताकि इसमें एक बकरी ही आये। और इकट्ठे माल को जुदा जुदा न किया जाये। यानी दो ख़लीत (शरीक) हों और हर एक की एक सौ एक बकरी हो (मजमूई तौर पर) तो इसमें तीन बकरियाँ ज़कात है मगर तहसीलदारे ज़कात की आमद पर ये अपने अपने माल को जुदा जुदा कर लें तो हर एक पर सिर्फ़ एक एक बकरी आयेगी। (इस तरह एक बकरी बचा लें) इसकी मैंने यही तफ़्सील सुनी है।

(1571) तख़रीज : (सनद सही) मौता, (यहया) हदीस: 1/264

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ قَالَ مَالِكٌ وَقَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . هُوَ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعُونَ شَاةً فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلاَّ يَكُونَ فِيهَا إِلاَّ شَاةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ . أَنَّ الْخَلِيطَيْنِ إِذَا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلاَّ شَاةٌ فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ .

(1572) हज़रत अली (ﷺ) से मरवी है, (रावी हदीस) ज़ुहैर कहते हैं कि मेरे ख़्याल में उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान किया, आपने फ़रमाया: 'चालीसवाँ हिस्सा अदा करो, हर चालीस दिरहम में से एक दिरहम। और जब तक दो सौ दिरहम पूरे न हो जायें, तुम पर कुछ लाज़िम नहीं। जब दो सौ दिरहम हो जायें तो उनमें पाँच दिरहम (ज़कात) है। और जो इससे ज़्यादा हो वह इसी हिसाब से है (उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात दी

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَعَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَىْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَىْ

دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ " . وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ " وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ " . فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ " وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ " . ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ " فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً - يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ - فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِنْ كَانَتِ الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ

जाये) और बकरियों में हर चालीस में एक बकरी है। ये अगर उन्तालीस हों तो तुम पर इनमें कुछ नहीं। और इनकी तफ़्सील इस तरह बयान की जैसे कि ज़ोहरी की रिवायत में बयान हो चुकी है। और गायों बैलों की ज़कात में फ़रमाया: 'हर तीस जानवरों में एक साला बछड़ा है और हर चालीस में दो साला। और ऐसे जानवर जिनसे काम लिया जाता है उन पर कोई ज़कात नहीं। और ऊँटों की ज़कात' ... साबक़ा हदीसे ज़ोहरी की मानिन्द बयान की। कहा: 'पच्चीस ऊँटों में पाँच बकरियाँ हैं। अगर एक भी बढ़ जायें तो इनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) है। अगर बिन्ते मख़ाज़ न हो तो इब्ने लबून मुज़क्कर (दो साला ऊँट), पैंतीस तक।' अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें एक बिन्ते लबून है (दो साला मादा) पैंतालिस तक। जब एक भी पढ़ जाये तो इनमें एक हिक़्क़ा है (तीन साला मादा) जो जुफ़्ती के क़ाबिल हो, साठ तक। फिर हदीसे ज़ोहरी की मानिन्द बयान किया। और कहा: अगर एक भी बढ़ जाये यानी इकानवे हो जायें तो इनमें दो हिक़्क़ा हैं जोकि जुफ़्ती के क़ाबिल हों। एक सौ बीस तक। जब ऊँटों की तादाद इससे ज़्यादा हो जाये तो हर पचास में एक हिक़्क़ा (तीन साला मादा) है। ज़कात के ख़ौफ़ से इकट्ठे जानवरों को जुदा जुदा न किया जाये और न अलग अलग को जमा किया जाये। और ज़कात में

الصَّدَقَةِ وَلاَ تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ " . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ " الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ " . قَالَ زُهَيْرٌ أَحْسَبُهُ قَالَ " مَرَّةً " . وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ " إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلاَ ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ " .

कोई बूढ़ा या ऐबदार या नर (जुफ़्ती वाला) जानवर न लिया जाये, मगर ये कि तहसीलदार चाहे (नर ले सकता है) और ज़रई अज्नास (अनाजों) में जो ज़मीनें दरया या बारिश से सैराब होती हों उनमें दसवां हिस्सा है और जो डोल (रहट, टियूब वैल वग़ैरह) से सैराब होती हों इनमें बीसवाँ हिस्सा है। आसिम और हारिस की रिवायत में है: ज़कात हर साल है। ज़ोहरी ने कहा: मेरा ख़्याल है कि उन्होंने कहा: (हर साल) एक बार है। आसिम की रिवायत में है। अगर ऊँटों में बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) या इब्ने लबून (दो साला नर) न हो तो दस दिरहम या दो बकरियाँ दे।'

(1572) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1790, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2262, 2297.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सही तर हदीसों में ऊँटों की ज़कात की बाबत ये मरवी है कि चौबीस तक में चार बकरियाँ हैं। पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) है। **(2)** गायों की ज़कात की तफ़्सील यूँ बनती है कि तीस से उन्तालीस तक एक साला बछड़ी, ख़्याल रहे लफ़्ज़े 'तबीअ' (बछड़ा–बछड़ी) मुज़क्कर मुअन्नस (नर–मादा) दोनों के लिए बोला जाता है। चालीस में दो साला, उन्सठ तक। साठ से उन्हत्तर तक में एक एक साला दो बछड़िया सत्तर हो जायें तो एक अदद एक साला और एक अदद दो साला, उन्नासी तक। अस्सी गायों में दो दो साला दो अदद, नवासी तक। नव्वे गायों में तीन अदद एक साला बछड़ियाँ, निनानवे तक। और सौ गायों में दो अदद एक साला और एक अदद दो साला जानवर देना होगा। (इसी तरीके से) ख़्याल रहे कि भैंस भी गायों के हुक्म में हैं। इमाम इब्ने अलमुन्ज़िर ने इस पर इज्मा लिखा है। देखिए: (फ़तावा इब्ने तैमिया: 25/37) **(3)** हल चलाने, पानी खींचने, गाड़ियाँ चलाने में ज़ेरे इस्तेमाल या दूध के लिए पाले गये जानवरों पर कोई ज़कात नहीं। इनकी आमदनी पर ज़कात है। **(4)** बारानी और सैलाबी ज़मीनों से दसवां हिस्सा जब कि नहरी, चाही और टियूब वैल वग़ैरह से सैराब होने वाली ज़मीनों की काश्त पर

बीसवाँ हिस्सा आता है। बशर्ते कि मजमूई हासिल पाँच वस्क़ हो। (बर्रे सग़ीर में ये माप तक़रीबन बीस मन ग़ल्ला के बराबर कहा जाता है।)

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَسَمَّى، آخَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَىْءٌ - يَعْنِي فِي الذَّهَبِ - حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ " . قَالَ فَلاَ أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ . أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " . إِلاَّ أَنَّ جَرِيرًا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

(1573) सय्यदना अली (ﷺ) नबी (ﷺ) से रिवायत करते हैं ... इसका कुछ इब्तेदाई हिस्सा वही है जो ज़िक्र हूआ ... कहा: 'जब तुम्हारे पास दो सौ दिरहम हों और इन पर एक साल गुज़र जाये तो इन पर पाँच दिरहम (ज़कात) है। और सोने में तुम पर कुछ नहीं यहाँ तक कि तुम्हारे पास बीस दीनार हों, पस जब तुम्हारे पास बीस दीनार हों और इन पर एक साल गुज़र जाये तो इन पर आधा दीनार (ज़कात) है और जो ज़्यादा हो तो वह इसी हिसाब से होगा।' (अबू इस्हाक़ ने) कहा: मुझे नहीं मालूम कि 'इस हिसाब से' वाली बात हज़रत अली (ﷺ) ने ख़ूद कही है या नबी(ﷺ) की जानिब से। और किसी माल पर ज़कात नहीं यहाँ तक कि इस पर साल गुज़र जाये।' (रावी हदीस़) जरीर का बयान है कि इब्ने वहब हदीस़ में ये इज़ाफ़ा करते थे कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी माल पर ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल गुज़र जाये।'

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/138.

फ़वाइद व मसाइल : दिरहम का वज़न मौजूदा हिसाब से 2,975 ग्राम और दीनार (सोने) का वज़न 425 ग्राम होता है। इस तरह चाँदी का निसाबे ज़कात पाँच सौ पचानवे ग्राम और सोने का पच्चासी ग्राम हूआ।

- इमाम अबू दाऊद (रह.) ने किताबुज़्ज़कात के आग़ाज़ ही से निसाब के हवाले से जो अहादीस़ ज़िक्र की हैं उनसे साबित होता है कि इस्लाम में सोना, चाँदी (चाहे दिरहम व दीनार वग़ैरह करेंसी

की शक्ल में हों, ज़ेवर की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में), बुनियादी ग़िज़ाई अज्नास और चरने वाले मवेशियों पर हर जिन्स के लिए अलग अलग ज़कात फ़र्ज़ की गई है। इनका अलग अलग निसाब मुक़र्रर किया गया है। हर मुस्तक़िल जिन्स में से जिसका निसाब पूरा हो जायेगा और साल गुज़र जायेगा उस पर मुक़र्र शरह से ज़कात की अदायगी ज़रूरी हो जायेगी। अगर किसी भी चीज़ का निसाब पूरा न होगा, या उस पर साल न गुज़रा होगा तो उस पर ज़कात न होगी।

- कुछ लोग ये समझते हैं कि क़ाबिले ज़कात चीज़ें, ख़ुसूसन सोना, चाँदी में दोनों को मिलाकर मजमूई हैसियत से निसाब को मुतअय्यन किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी शख़्स के पास साल भर सोने का आधा निसाब और चाँदी का आधा निसाब मौजूद रहा हो तो उस पर ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता वह दोनों में से अलग अलग ढाई फ़ीसद ज़कात अदा करेगा।
- लेकिन अहादीसे मुबारक के अल्फ़ाज़ इसकी ताईद नहीं करते। वह हदीस, जिसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) के पूछने पर इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही क़रार दिया है। (जामेअ अत्तिर्मिज़ी, हदीस: 620) इस सिलसिले में वाज़ेह है कि अगर किसी के पास 190 दिरहम चाँदी हो तो ज़कात वसूल नहीं दी जायेगी। और अगर सोने के निसाब में आधा दीनार भी कम होगा तो ज़कात वाजिब न होगी। इसी तरह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रह.) से मरवी है कि अगर चाँदी पाँच औक़ीया (या दो सौ दिरहम) से कम हो तो उसमें ज़कात नहीं होगी। देखिए: (सही अलबुख़ारी, हदीस: 1447, सही मुस्लिम: 979) सहाबा किराम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (ﷺ) और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) से यही बात बयान की है। देखिए: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 1790, 1791)
- इस्लाम में जहां फ़ुक़रा और मसाकीन के लिए शफ़क़त व रहमत के तौर पर ज़कात का निज़ाम क़ायम किया गया वहां देने वालों के लिए भी आसानी का रास्ता इख़्तियार किया गया है और हर चीज़ का अलग अलग निसाब रखा गया है। यही वजह है कि दौरे ज़वाल में जब ज़कात की वसूली का सही निज़ाम मौजूद न रहा तब भी अस्हाबे माल की एक बड़ी तादाद ख़ूद ब ख़ूद इसकी अदायगी का एहतिमाम करती रही और अब भी करती है।
- एक सवाल ये भी किया जाता है कि चाँदी के निसाब की मालियत सोने के निसाब के मुक़ाबले में बहुत कम बनती है। ये दुरूस्त है। इस सिलसिले में बात ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात का निसाब मुक़र्रर फ़रमाते हूए ये इल्तेज़ाम नहीं फ़रमाया कि तमाम चीज़ों के निसाब हम मालियत हों। मुख़्तलिफ़ चीज़ों के निसाब जैसे पाँच ऊँट, तीस गायें, चालीस बकरियाँ और पाँच वस्क़ (750 किलोग्राम) ग़ल्ला या खजूर की मालियत मसावी न थी जैसा कि आगे दिये हूए क़ीमतों के चार्ट से वाज़ेह हो जायेगा। हमने ये चार्ट निम्नलिखित सही या हसन दरजे की रिवायात से मुरत्तब किया है।

❶ हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं : रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त आपकी ज़िरह एक

यहूदी के पास तीस साअ जौ के ऐवज़ रहन रखी हूई थी। (सही बुख़ारी: हदीस: 2916)

❷ हज़रत अनस (ﷺ) नक़दी के हवाले से ज़िरह रहन रखकर हासिल किये जाने वाले क़र्ज़ की मालियत बताते हूए फ़रमाते हैं : आप (ﷺ) ने अपनी ज़िरह एक दीनार के बदले में एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी, वफ़ात तक ये एक दीनार मयस्सर न आया कि देकर ज़िरह छुड़ा लेते। (सही इब्ने हिब्बान: हदीस: 5907)

❸ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दियत के लिए सौ ऊँट मुक़र्रर फ़रमाये, लेकिन शहर वालों के लिए इनकी क़ीमत चार सौ दीनार या उनकी हम मालियत चाँदी/दिरहम मुक़र्रर फ़रमाई। ये क़ीमत ऊँटों की क़ीमतों में कमी बेशी के मुताबिक़ घटती बढ़ती रहती थी, इसलिए आप (ﷺ) ही के अहद में ये क़ीमत चार सौ से आठ सौ दीनार तक पहुँच गई। (सुनन नसाई, हदीस: 2805, अरवाअ अलग़लील, हदीस: 2199)

❹ हज़रत जाबिर (ﷺ) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे उनका थका मांदा ऊँट एक औक़ीया चाँदी के ऐवज ख़रीद लिया। (नसाई, हदीस: 4641) और एक औक़ीया चाँदी चालीस दिरहम के बराबर थी।

❺ हज़रत अनस (ﷺ) कहते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान के मुताबिक़ फ़रीज़–ए–ज़कात के बारे में उनके लिए ये तहरीर लिखी... जिस आदमी के ज़िम्मे ज़कात में जज़आ (चार साल की ऊँटनी) हो लेकिन उसके पास हिक़्क़ा (तीन साल की ऊँटनी) हो तो हिक़्क़ा क़बूल कर लें और साथ दो बकरियाँ और अगर बकरियाँ मयस्सर न हों तो बीस दिरहम वसूल करें ... (सही बुख़ारी, हदीस: 1453)

☞ इन अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहद में मुख़्तलिफ़ चीज़ की क़ीमतों का चार्ट इस तरह बनता है। इसमें मुख़्तलिफ़ औक़ात में दियत की मिक़दार के तअय्युन को पेशे नज़र रखा गया है।

ऊँट	दीनार	दिरहम	शईर
100	400–800	8000	
	1		30 साअ

☞ हज़रत उमर (ﷺ) के ज़माने में ऊँट महंगे हो गये तो आपने दियत की क़ीमतों पर नज़रे सानी फ़रमाई और नई क़ीमतें ये सामने आयीं। देखिए: (अबू दाऊद: हदीस: 4542)

ऊँट	दीनार	दिरहम	बक़र	ग़नम
100	1000	12000	200	2000

इस दौर में ग़ल्ले की क़ीमतों का तअय्युन इन आहादीस की मदद से किया जा सकता है:

☞ हज़रत मुआविया (ﷺ) ने अपने दौर में लोगों को ख़िताब करते हूए फ़रमाया: 'मेरा ख़्याल है कि

शाम की गन्दुम 'समराअ' के दो मुद (आधा स़ाअ़) खजूर के एक स़ाअ़ के बराबर हैं। लोगों ने इसे क़बूल कर लिया, लेकिन इस हदीस़ को रिवायत करने वाले जलीलुल क़द्र स़हाबी हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने ख़ूद इस बात को क़बूल नहीं किया (अबू दाऊद: हदीस़: 1616)

- हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) से स़ाबित है कि आपने स़दक़तुल फ़ित्र के लिए गन्दुम (गेहूँ) का निस्फ़ और उन लोगों के लिए जिन्हें बैतुलमाल से (नक़द) अ़तिया मिलता था, निस्फ़ दिरहम मुक़र्रर फ़रमाया। (अल महल्ली अज़्ज़कात मस्अला मिक्दारू मा युख़रजु सदक़तुल फ़ित्र: 2/130) हज़रत मुआविया (ﷺ) और उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के ज़माने में ग़ल्ले की क़ीमत का चार्ट इस तरह बनेगा।

गन्दुम	जौ	दिरहम
आधा स़ाअ़	1 स़ाअ़	आधा

- हज़रत उ़मर बिन अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ (रह.) के ज़माने में ऊँट की क़ीमत 100 दिरहम हो गई तो इस तरह दियत 100 ऊँट के मुक़ाबले 10,000 दिरहम क़रार पाई। (अलमहल्ली, अद्दियतु अहकामे शिब्हे अलअ़मद: 10/300)
- इन तमाम अहादीस़ को सामने रखें तो पता चलता है कि ऊँट जिनके लिए अ़रब 'माल' का लफ़्ज़ बोलते थे, क़ीमत में सबसे ज़्यादा मुस्तहकम थे, इन्हीं को दियत में अस़ल क़रार दिया गया। इनके बाद सोना मुस्तहकम था और करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने के लायक़ था, इसीलिए क़ीमतों के तअ़य्युन के लिए इसको बुनियाद बनाया गया। पिछली अहादीस़ और चार्टों के ज़रिये से ज़कात के निस़ाब यानी 15 ऊँटों को बुनियाद बनाकर क़ीमतों का चार्ट इस तरह बनता है।

	ऊँट	दीनार	दिरहम	बकर	ग़नम	ग़ल्ला	शईर	तमर
अ़हदे रिसालत	1	4–8	40–80	–	8–4	–	120 स़ाअ़	2 वस्क़
अ़हदे उ़मर (ﷺ)	1	10	120	2	20	–	300 स़ाअ़	5 वस्क़

क़ीमतों के हवाले से 13 ऊँटों को बुनियाद बनायें, जो ज़कात का निस़ाब हैं, तो क़ीमतों का तनासुब ये होगा।

	ऊँट	दीनार	दिरहम	बक़र	ग़नम	ग़ल्ला	शईर	तमर
अ़हदे रिसालत	5	20–40	200–400	–	20–40	–	600 स़ाअ़	10 वस्क़
अ़हदे उ़मर (ﷺ)	5	50	600	10	100	–	1500 स़ाअ़	15 वस्क़

➪ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कात का जो निसाब मुक़र्रर फ़रमाया वह ये था।

ज़कात का निसाब	ऊँट	दीनार	दिरहम	बक़र	ग़नम	ग़ल्ला शईर	तमर
	5	20	200	30	40	300 साअ	5 वस्क़

रिसालते मा'ब के अहद में क़ीमतों के चार्ट और ज़कात के निसाब का मुवाज़ना (कम्प्रिजन) करें तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं:

➪ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तमाम चीज़ों के निसाब को लाज़मी तौर पर हम मालियत नहीं रखा। ये बात गायों और ग़ल्ले की मालियत के फ़र्क़ से ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है।

➪ ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में क़ीमतों में तब्दीली आ गई। आपने नक़द दियत क़ीमतों के मुताबिक़ बढ़ा दी, लेकिन ज़कात के निसाब में कोई तब्दीली नहीं की।

➪ हज़रत उमर (ﷺ) के ज़माने में क़ीमतों का फ़र्क़ और ज़्यादा हो गया। हज़रत उमर (ﷺ) ने भी दियत में दीनार और दिरहम बढ़ा दिये लेकिन ज़कात का निसाब ज्यों का त्यों रखा।

➪ हज़रत मुआविया (ﷺ) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने सदक़तुल फ़ित्र के मामले में क़ीमतों के पेशे नज़र इज्तेनाब फ़रमाया। (हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) जैसे सहाबी ने हज़रत मुआविया (ﷺ) के इज्तेहाद को क़बूल नहीं किया) लेकिन असल ज़कात के निसाब में किसी तब्दीली का सोचा तक नहीं। इन हक़ाइक़ से साबित हो जाता है।

➪ रसूलुल्लाहु (ﷺ) ने निसाब के तअय्युन में मुआशरे की ज़रूरतों को पेशे नज़र रखा है। मालियत को दूसरी हैसियत दी है। इसीलिए आपने ग़ल्ले का निसाब जिसकी ज़रूरत सबसे फ़ायक़ होती है, सबसे कम रखा ताकि बुनियादी ज़रूरत की ये चीज़ लोग आपस में ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम करें और कोई महरूम न रहे। इसके बाद ग़नम बकरियों में निसाब निस्बतन कम है कि एक घराने की बुनियादी ज़रूरतों के हवाले से बकरी की ऊँट या गाय की निस्बतन ज़रूरत ज़्यादा थी।

➪ आप (ﷺ) ने ऊँटों की मालियत के मुताबिक़ दीनार व दिरहम का निसाब मुक़र्रर फ़रमाया लेकिन जब ये नक़दी ऊँट के मुक़ाबले में सुस्ती हो गई तो दियत की क़ीमतों में तब्दीली की, ताहम ज़कात के निसाब को एक ही जगह बरकरार रखा। ख़ुल्फ़ाए राशिदीन (ﷺ) ने भी क़ीमतों की तब्दीलियों के बावजूद ज़कात का निस्बत अलल हाल क़ायम रखा और आज तक उसी सूरत में बरक़रार है। ज़कात चूंकि इबादत है, इसलिए इसके तरीक़े में तब्दीली नहीं आ सकती। इसके मुक़ाबले में दियत जान या अज़्व की क़ीमत है और इसमें ऊँट को बुनियाद बनाया गया, इसलिए वह क़ीमतों की तब्दीली के पेशे नज़र तब्दील की जाती रही।

➪ आजकल ज़कात को टेक्स के निज़ाम पर क़यास करके ये कहा जाता है कि ज़्यादा मालदारों से

ज़्यादा ज़कात वसूल करनी चाहिए इसलिए कि जितना किसी का माल बढ़ता है उसकी क़दर उस शख़्स की हक़ीक़ी ज़रूरत के मुक़ाबले कम होती जाती है क्योंकि उसे उतनी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि मोहताज को। ये क़यास दुरूस्त नहीं। ज़कात में अमीरों के लिए क़द्र में कमी की बजाए फ़क़ीरों की शदीद एहतियाज की नसबत से निसाब और शरह का तअय्युन किया गया है। 5 वस्क़ ग़ल्ला उस ज़माने में 5 ऊँटों की क़ीमत का आधा या उससे भी कम बनता था। फिर इसमें ज़कात भी चालीस फ़ीसद की बजाये दस फ़ीसद या अगर बारानी हो तो 20 फ़ीसद रखी गई है। मक़सद यही है कि फ़क़ीरों को ग़ल्ले की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मिक़्दार में उनको पहुँचाया जाये चाहे निस्बतन कम मालदारों को इस ग़र्ज़ से क़ुर्बानी देनी पड़े। फिर ये क़ुर्बानी उनके लिए अज़ीम अज्र व सवाब का बाइस है। इस्लामी मुआशरे का हुस्न ये है कि इसमें ईसार व क़ुर्बानी करने वालों का दायरा वसीअतरीन होता है। ज़कात इबादत है, टेक्स की तरह नहीं। हाँ ज़रूरत से ज़्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करवाने के लिए अलग तरीक़े मौजूद हैं। और मुसलमान किसी हुकूमत की तरफ़ से वसूली के बग़ैर भी इन्फ़ाक़ के इन तरीक़ों को अपनाते हैं, हुकूमत भी इस सिलसिले में इक़्दामात कर सकती है।

- तअय्युने निसाब के इस्लामी तरीक़े की एक और बड़ी हिकमत ये है कि हर चीज़ में अलग अलग निसाब इतना मुक़र्रर किया गया जो एक कुम्बे की ज़रूरियात के लिए किफ़ायत कर सकता हो। हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) फ़रमाते हैं : 'दो सौ दिरहम एक कुम्बे की साल भर की ज़रूरत के लिए किफ़ायत करते हैं।'
- अगर किफ़ालत का ज़रिया ऊँट हों तो एक कुम्बे के लिए कम अज़ कम 5 जानवर और अगर बकरियाँ हों तो तक़रीबन चालीस की ज़रूरत होगी, चाहे उनकी क़ीमत ऊँटों से कम बनती हो और खेती वालों के लिए साल भर का ग़ल्ला तक़रीबन 19 मन ज़रूरी होगा। ये भी मल्हूज़ रहे कि खेती में असल ज़मीन पर ज़कात नहीं बल्कि सिर्फ़ पैदावार पर ज़कात है, जबकि मवेशी वालों के असल सरमाये पर ज़कात है। निसाबे ज़कात की हिकमतों को समझने के लिए एक और बात जिस पर ध्यान देना चाहिए ये है कि खेत में हर साल एक या दो मर्तबा पैदावार होती है और बीज के मुक़ाबले में इसमें इज़ाफ़े की मिक़दार बहुत ज़्यादा है, जबकि ऊँट और गाय में इज़ाफ़े के लिए तीन या चार साल इन्तेज़ार करना पड़ता है। भेड़ बकरियों में नई नस्ल निस्बतन ज़्यादा जल्दी यानी डेढ़ दो साल में बड़ी हो जाती है। ये भी मल्हूज़ रहना चाहिए कि ऊँट या भेड़ बकरियाँ जिनकी ज़कात रखी गई है, जंगलों, चरागाहों से अपना रिज़्क़ हासिल करती हैं। गायों के लिए मज़ीद कुछ न कुछ एहतमाम करना पड़ता है। उनकी परवरिश में भी ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए उनका निसाब ऊँट के मुक़ाबले में ज़्यादा रखा है। फ़ुक़हा का इस पर भी इत्तेफ़ाक़ है कि भैंसों को भी, अगर बुनियादी तोर पर चरने वाली हों, जैसे जुनूबी ऐशिया और अफ़्रीक़ा के कुछ ममालिक में अब

भी यही तरीक़ा मौजूद है तो उनको गायों पर क़यास करना होगा। (अलफ़िक़्ह अल इस्लामी व अदिल्ला, हदीस़: 2, सफ़ा: 842) क्योंकि वह इस तरह गायों की हम जिन्स हैं: 'जिस तरह भेड़ें और बकरियाँ आपस में हम जिन्स हैं नीज़ गायों और भैंसों को मिलाकर निसाब शुमार होगा। देखिए: (मौता, अस्सदक़तु, बाब माजा फ़ी सदकतिल बक़र:).

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَىْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ كَمَا قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَدِيثَ النُّفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ .

(1574) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने (तुम से) घोड़े और गुलाम की ज़कात माफ़ कर दी है। सो तुम चाँदी की ज़कात लाओ, हर चालीस दिरहम में एक दिरहम और एक सौ नव्वे दिरहम में कोई ज़कात नहीं। जब दो सौ हो जायें तो इनमें पाँच दिरहम हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: इस हदीस़ को आ़मश ने अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है जैसे कि अबू अ़वाना ने कहा है, नीज़ शैबान अबू मुआविया और इब्राहीम बिन तहमान ने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने हारिस़ से, उन्होंने हज़रत अ़ली (ﷺ) से, उन्होंने नबी(ﷺ) से इसकी मिस्ल रिवायत किया है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अ़ब्दुल्लाह बिन मुहम्मद नुफ़ैली की हदीस़ (साबिक़ा: 1572) शौबा और सुफ़ियान वग़ैरह ने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने आ़सिम से, उन्होंने हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत की है मगर मरफ़ूअ़ नहीं कहा है बल्कि हज़रत अ़ली (ﷺ) पर मौकूफ़ किया है।

(1574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 620, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2284, शरहुस्सुन्नह लिल्बगवी, 6/47.

फ़ायदा : गुलाम और घोड़े की ज़कात के बारे में ज़्यादातर फ़ुक़हा (बड़े बड़े आलिम) यही कहते हैं कि मेहनत कश गुलाम और सवारी के घोड़े पर कोई ज़कात नहीं। कुछ अहले राय कहते हैं कि इनकी

क़ीमत लगाकर चालीसवाँ हिस्सा वसूल किया जायेगा। इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) कहते हैं कि अगर घोड़े नर मादा मिले जुले हों तो चूंकि इनमें इज़ाफ़ा होगा, इसलिए इन पर ज़कात की अदायगी लाज़मी होगी। अलबत्ता अगर नर हों या महज़ मादा तो चूंकि नस्ल में इज़ाफ़ा नहीं होगा इसलिए ज़कात भी नहीं होगी। मज़ीद वह कहते हैं कि घोड़ों के मालिक को इख़्तियार है कि चाहे तो उनकी क़ीमत पर ज़कात दे चाहे तो एक दीनार फ़ी घोड़ा अदा करे। ताहम हदीस़ से इसकी बाबत जो मालूम होता है, उसकी स़राहत सुनन अबू दाऊद की इस हदीस़ से हो जाती है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने घोड़ों और गुलामों को ज़कात से अलग क़रार दिया है। अलबत्ता हज़रत अनस (ؓ) के हवाले से ये बात मिलती है कि हज़रत ऊमर (ؓ) गुलाम और घोड़े पर एक एक दीनार लिया करते थे। (अलमहल्ली, जि. 5, अज़्ज़कात, अहकामे ज़कातिल ख़ैल, स़: 226).

- हज़रत ऊमर (ؓ) के इक़दाम की हक़ीक़त मंदरजाज़ैल रिवायतों से वाज़ेह हो जाती है: हारिस़ बिन मज़रूब फ़रमाते हैं कि उन्होंने हज़रत ऊमर (ؓ) के साथ हज किया। इस दौरान में शाम के कुछ शुरफ़ा ने उनकी ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया कि उनके पास गुलाम और (सवारी के) जानवर हैं, आप हमसे स़दक़ा (ज़कात) वसूल कर लें ताकि हमारे माल का तज़किया हो जाये। हज़रत ऊमर (ؓ) ने जवाब दिया: ये काम मुझसे पहले दोनों हस्तियों (नबी करीम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (ؓ) ने नहीं किया।' तो उन्होंने कहा कि आप इन्तेज़ार करें मैं इसकी बाबत मशवरा करता हूं, लिहाज़ा उन्होंने स़हाबा किराम (ؓ) से मशवरा किया तो हज़रत अ़ली (ؓ) ने कहा ये पेशकश अच्छी है, मगर ये आपके बाद हमेशा के लिए जिज़्या (की तरह लाज़मी) न हो जाये। (मुसनद अहमद: 1/14, 32)
- यअ़ला बिन उमैया कहते हैं कि मेरे भाई अ़ब्दुर्रहमान बिन उमैया ने एक घोड़ी सौ ऊँट के बदले ख़रीदी, बेचने वाले को बाद में नदामत हुई तो उसने आकर हज़रत ऊमर (ؓ) से शिकायत की कि यअ़ला और उसके भाई ने मुझे लूट लिया है। हज़रत ऊमर (ؓ) ने यअ़ला को लिख भेजा कि उनके पास पहुँचो। उन्होंने तफ़्सील बताई तो ऊमर (ؓ) ने फ़रमाया कि एक घोड़ी तुम्हारे यहां इस क़द्र महंगी बिकती है? यअ़ला ने जवाब दिया कि मेरे इल्म में भी यही है कि इतनी क़ीमत किसी और घोड़ी की आज तक नहीं लगी, हज़रत ऊमर (ؓ) ने फ़रमाया कि हम चालीस बकरियों पर एक बकरी ले लेते हैं तो इस क़द्र क़ीमती घोड़ों से कुछ न लें। आपने इसके बाद घोड़ों पर एक दीनार लागू कर दिया। (अलमहल्ली ज़ि: 5, अहकामे ज़कातिल ख़ैल)
- इन दोनों रिवायतों से ये स़ाबित होता है कि ख़ूद हज़रत ऊमर (ؓ) के बक़ौल रसूलुल्लाह (ﷺ) और आपके बाद हज़रत अबूबक्र (ؓ) घोड़ों पर ज़कात न लेते थे।

- हज़रत उमर (ﷺ) ख़ूद भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि जब लोगों ने पेशकश की तो उन्होंने सहाबा-ए-किराम (ﷺ) से मशवरा तलब किया कि रज़ाकाराना तौर पर देने वालों से घोड़ों वग़ैरह पर ज़कात क़बूल कर लेनी चाहिए या नहीं? तो हज़रत अली (ﷺ) ने हकीमाना राय दी कि इस शर्त पर लें कि कल को यही रज़ाकाराना दी हूई ज़कात दूसरों के लिए लाज़मी टेक्स न बन जाये। तीसरी रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (ﷺ) इस राय के बाद भी वसूली पर आमादा न थे, यहां तक कि घोड़ों की क़ीमतों में हैरतनाक इज़ाफ़ा सामने आने पर आपको ये ख़्याल हूआ कि ये घोड़े माल दौलत के ख़ज़ाने की मानिन्द हो गये हैं तो उन्होंने अपने अहद की क़ीमतों को पेशे नज़र रखते हूए एक दीनार फ़ी घोड़ा लागू कर दिया।
- इससे भी ज़ाहिर होता है कि उन्होंने घोड़ों को बाक़ी जानवरों पर क़यास करते हूए कम अज़ कम घोड़ों की तादाद का कोई निसाब मुक़र्रर न फ़रमाया। नीज़ चालीस घोड़ों में से एक घोड़ा लेने का हुक्म भी न दिया। ऐसा करते तो ये जानवरों की ज़कात के तरीक़े कार को आगे बढ़ाने के बराबर होता और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बतौर जानवर इस पर ज़कात न लेने की वज़ाहत फ़रमा दी थी।
- हज़रत उमर (ﷺ) ने घोड़ों पर नक़दी में टेक्स लगाकर ये वाज़ेह कर दिया कि बहैसियत जानवर घोड़े पर ज़कात नहीं, बल्कि ज़्यादा क़ीमत रखने वाले माल में से वसूल किया जाने वाला सदक़ा है। इस इन्तेज़ाम को बाक़ायदा ज़कात शुमार करना या हमेशा के लिए हर एक पर इसको लागू कर देना मुनासिब नहीं। हज़रत अली (ﷺ) का सहाबा के मशवरे के बाद इख़्तियार करदा एक तरीक़ा था, आइन्दा भी मुसलमान हुकूमतें हज़रत उमर (ﷺ) के तरीक़े को नमूना बना कर इज्तेहाद कर सकती हैं।
- इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ मालियत का ख़ज़ाना बन जाये तो चाहे पहले इसे अलग क़रार दिया जा चुका हो इससे फ़ुक़रा और दीगर ज़रूरतों के लिए कुछ वसूली का इन्तेज़ाम किया जा सकता है। क़ीमती पत्थरों के बारे में हज़रत उमर (ﷺ) के अमल को नमूना बनाया जा सकता है। नीज़ ऐसे इलाक़े भी हैं जहां घोड़े बुनियादी मवेशी की हैसियत रखते हैं जैसे वस्त एशिया में, वहां घोड़े ही दूध और गोश्त की फ़राहमी का बुनियादी ज़रिया हैं और चरने वाले रेवड़ों की सूरत में बकसरत मौजूद हैं। ऐसे इलाक़ों में भी घोड़े के हवाले से इज्तेहाद करना दुरूस्त होगा।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَهْزِ بْنِ

(1575) बहज़ बिन हकीम अपने वालिद से, वह उनके दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर चालीस ऊँटों में जो कि जंगल में चरते हों, एक बिन्ते

حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَلاَ يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا " . قَالَ ابْنُ الْعَلاَءِ " مُؤْتَجِرًا بِهَا " . " فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَىْءٌ" .

लबून (दो साला मादा) है और उन्हें उनके हिसाब से जुदा जुदा न किया जाये। जो शख़्स अज्र व स़वाब की नियत से देगा ... इब्ने अलअ़ला ने (मोतजिरनबिहा) के अल्फ़ाज़ कहे ... तो उसके लिए उसका अज्र व स़वाब है और जो (ज़कात को) रोकेगा तो हम उससे वसूल करेंगे और आधा माल (मज़ीद भी) ये हमारे रब तआ़ला अ़ज़्ज़ व जल्ल के व वाजिबात में से एक वाजिब है, इसमें आले मुहम्मद का कोई हिस्सा नहीं है।'

(1575) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 2446, स़हीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2266, हाकिम: 1/398.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ हसन दर्जे की है और इसमें ये इरशाद है कि ज़कात के रोकने वाले से पूरी ज़कात और उसका निस्फ़ माल बतौर जुर्माना लिया जायेगा। **(2)** स़दक़ा व ज़कात नबी(ﷺ) और आपकी आल के लिए हलाल न था। इसे लोगों की मैल क़रार दिया गया है। एक हदीस़ में है कि 'ये स़दक़ा तो लोगों की मैल होता है और ये मुहम्मद (ﷺ) और आले मुहम्मद के लिए हलाल नहीं है।' (सुनन अबी दाऊद, अलख़िराज, हदीस़: 2985) और आप (ﷺ) की आल में आपकी तमाम बीवियाँ और तमाम औलाद के अ़लावा आले अ़ली, आले अक़ील, आले जअ़फ़र और आले अ़ब्बास (ؓ) शामिल हैं। और हुरमते स़दक़ा में आपके मवाली का भी यही हुक्म है। इसी मफ़हूम की हदीस़ स़हीह मुस्लिम में भी मौजूद है। देखिए: (स़हीह मुस्लिम: 1072)

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلاَثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ -

(1576) हज़रत मुआ़ज़ (ؓ) से मनक़ूल है कि नबी (ﷺ) ने जब उनको यमन की तरफ़ भेजा तो फ़रमाया था: 'गायों में हर तीस में एक साला बछड़ा या बछड़ी लेना और हर चालीस में से दो साला। और हर (ग़ैर मुस्लिम) बालिग़ से एक दीनार या उसके बराबर मआ़फ़िरी कपड़ा जो कि यमन में होता है।'

يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

(1576) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2455.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़कात मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और उन्हीं से ली जाती है जबकि ग़ैर मुसलमानों से जिज़्या लिया जाना है। हदीस का यही मफ़हूम और मुराद है। **(2)** ऊँट की ज़कात में हुक्म यही है कि मादा जानवर लिया जाये। सिर्फ़ गायों के बारे में नर और मादा लेने में रूख़्सत है। वजह ये है कि नर ऊँट से सिर्फ़ गोश्त और सवारी का फ़ायदा होता है जबकि मादा इन दोनों फ़ायदों के अलावा दूध और नस्ल का भी फ़ायदा देती है। इसके बर ख़िलाफ़ बैल से मशक़्क़त का जो काम लिया जाता है, गाय से नहीं लिया जाता जबकि गाय से दूध और नस्ल का फ़ायदा है जो बैल से नहीं है। इसलिए फायदा पहुँचाने में दोनों को यकसां शुमार किया गया।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالنُّفَيْلِيُّ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(1577) जनाब मसरूक़ ने हज़रत मुआज़ (ﷺ) से उन्होंने नबी (ﷺ) से इसके मिस्ल बयान किया।

(1577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 623, नसाई, हदीस: 2454, इब्ने माजा, हदीस: 1803, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2268. इब्ने हिब्बान, हदीस: 794, हाकिम, हदीस: 1/398.

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرْ ثِيَابًا تَكُونُ بِالْيَمَنِ . وَلاَ ذَكَرَ يَعْنِي مُحْتَلِمًا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ جَرِيرٌ وَيَعْلَى وَمَعْمَرٌ وَشُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ - قَالَ يَعْلَى وَمَعْمَرٌ - عَنْ مُعَاذٍ مِثْلَهُ

(1578) हज़रत मुआज बिन जबल (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने उनको यमन की तरफ़ भेजा, और उसके मिस्ल ज़िक्र किया। इस रिवायत में ये ज़िक्र नहीं है कि 'ये कपड़े हैं जो यमन में होते हैं। और न लफ़्ज़ (मुहतलिमन) ही ज़िक्र किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को जरीर, यअ़ला, मअ़मर, शौबा, अबू अ़वाना और यहया बिन सईद ने आमश से, उन्होंने अबू वाइल से, उन्होंने मसरूक़ से (मुरसल) नक़ल किया है, जबकि यअ़ला और मअ़मर ने हज़रत मआज़ (ﷺ) से इसके मिस्ल (मुत्तसिल) बयान किया।

(1578) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مَيْسَرَةَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ سِرْتُ أَوْ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ، سَارَ مَعَ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنْ لاَ تَأْخُذْ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ وَلاَ تَجْمَعْ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " . وَكَانَ إِنَّمَا يَأْتِي الْمِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الْغَنَمُ فَيَقُولُ أَدُّوا صَدَقَاتِ أَمْوَالِكُمْ . قَالَ فَعَمَدَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كَوْمَاءَ - قَالَ - قُلْتُ يَا أَبَا صَالِحٍ مَا الْكَوْمَاءُ قَالَ عَظِيمَةُ السَّنَامِ - قَالَ - فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ خَيْرَ إِبِلِي . قَالَ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا قَالَ فَخَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا ثُمَّ خَطَمَ لَهُ أُخْرَى دُونَهَا فَقَبِلَهَا وَقَالَ إِنِّي آخِذُهَا وَأَخَافُ أَنْ يَجِدَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِي عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ فَتَخَيَّرْتَ عَلَيْهِ إِبِلَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ خَبَّابٍ نَحْوَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ "لاَيُفَرِّقُ"

(1579) सुवैद बिन ग़फ़ला बयान करते हैं कि मैं (नबी (ﷺ) के आमिल के साथ) चला, या कहा कि मुझे उस शख़्स ने बयान किया जो नबी (ﷺ) के अहदे (तहरीर) में ये था: 'ज़कात में कोई दूध वाला जानवर (बकरी वग़ैरह) या दूध पीता बच्चा न लेना, जुदा जुदा जानवरों को जमा न करना और न इकट्ठे (रहने, चरने वालों) को जुदा जुदा करना।' और आप (ﷺ) का तहसीलदारे ज़कात उनके पानियों (चश्मों, कूओं या तालाबों) पर पहुँचता था, जब बकरियाँ पानी पीने के लिए आती थी, तो वह (मालिकों से) कहता था: अपने मालों की ज़कात पेश करो। रावी ने बयान किया: चुनांचे एक शख़्स ने (कोमाअ) ऊँटनी का क़सद किया। रावी कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अबू सालेह! (कोमाअ) का क्या मानी है? कहा: बड़े कोहान वाली। तो आमिल ने लेने से इन्कार कर दिया (क्योंकि वह बहुत उम्दा थी) माल वाले ने कहा: मैं पसन्द करता हूं कि आप मेरी बेहतरीन ऊँटनी वसूल करें मगर उसने लेने से इन्कार कर दिया। तो वह दूसरी पकड़ लाया जो उससे ज़रा कम दर्जे की थी। तो उसने वह भी लेने से इन्कार कर दिया। चूंनाचे वह एक और ले आया जो उससे भी कम दर्जे की थी तो उसने वह ले ली और कहने लगा: मैं ये ले तो रहा हूं मगर अन्देशा है कि नबी (ﷺ) मुझ पर ख़फ़ा होंगे। आप मुझे

कहेंगे कि तुम उस आदमी की बेहतरीन ऊँटनी ले आये हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि हुशैम ने हिलाल बिन ख़ब्बाब से इसकी मानिन्द रिवायत किया मगर लफ़्ज़ (ला यूफ़र्रिक़) इस्तेमाल किया।

(1579) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2459.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़कात में नफ़ीस़ माल लेने से मना किया गया है मगर ये दीन व इख़्लास़ ही था कि लोग शानदार माल पेश करते थे मगर आ़मिलीन क़बूल न करते थे। टेक्स में ये बरकत कहां? **(2)** ज़कात वसूल करने के लिए आ़मिल को लोगों के डेरों पर पहुँचना चाहिए, न कि उन्हें अपने मराकिज़ व दफ़तर के तवाफ़ कराये जायें।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ أَتَانَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَقَرَأْتُ فِي عَهْدِهِ " لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ " . وَلَمْ يَذْكُرْ " رَاضِعَ لَبَنٍ " .

(1580) सुवैद बिन ग़फ़ला (ﷺ) का बयान है कि नबी (ﷺ) का तहसीलदारे ज़कात हमारे यहां आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके वसीक़े में पढ़ा: 'ज़कात के ख़ौफ़ से जुदा जुदा रहने वाले जानवरों को जमा न किया जाये और न इकट्ठे माल को अलग–अलग किया जाये' इस रिवायत में (राज़ेअ लबन) 'यानी दूध वाले जानवर या दूध पीते बच्चों' का ज़िक्र नहीं है।

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि (ला तज्मअ) 'तुम जमा न करो।' और (लायूजमअ) 'जमा न किये जायें' का एक ही हुक्म है।

(1580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1801.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हस्बे अहवाल हुकूमत के कारिन्दे से उसकी शनाख़्त और उसूले हुकूमती फ़रमान तलब कर लेने में कोई हर्ज नहीं। **(2)** इमाम अबू दाऊद (रह.) के आख़री जुम्ले (ला

तज्मअ) में आ़मिल को तम्बीह है कि अलग अलग जानवरों को जमा न करना ... और (लायूजमअ) (सेग़ा ग़ायब मजहूल) में साहिबे ज़कात और आ़मिल दोनों को तम्बीह है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ثَفِنَةَ الْيَشْكُرِيِّ، - قَالَ الْحَسَنُ رَوْحٌ يَقُولُ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ - قَالَ اسْتَعْمَلَ نَافِعُ بْنُ عَلْقَمَةَ أَبِي عَلَى عِرَافَةِ قَوْمِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَدِّقَهُمْ قَالَ فَبَعَثَنِي أَبِي فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَأَتَيْتُ شَيْخًا كَبِيرًا يُقَالُ لَهُ سَعْرُ بْنُ دَيْسَمٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي بَعَثَنِي إِلَيْكَ - يَعْنِي لأُصَدِّقَكَ - قَالَ ابْنَ أَخِي وَأَىَّ نَحْوٍ تَأْخُذُونَ قُلْتُ نَخْتَارُ حَتَّى إِنَّا نَتَبَيَّنُ ضُرُوعَ الْغَنَمِ . قَالَ ابْنَ أَخِي فَإِنِّي أُحَدِّثُكَ أَنِّي كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَنَمٍ لِي فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِيرٍ فَقَالاَ لِي إِنَّا رَسُولاَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَيْكَ لِتُؤَدِّيَ صَدَقَةَ غَنَمِكَ . فَقُلْتُ مَا عَلَىَّ فِيهَا فَقَالاَ شَاةٌ . فَأَعْمِدُ إِلَى شَاةٍ قَدْ عَرَفْتُ مَكَانَهَا مُمْتَلِئَةً مَحْضًا وَشَحْمًا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا . فَقَالاَ

(1581) मुस्लिम बिन शौबा बयान करते हैं कि जनाब नाफ़ेअ बिन अ़लक़मा ने मेरे वालिद को उनकी अपनी क़ौम का सरबराह, निगरांकार और मुंतज़िम बना दिया और हुक्म दिया कि इनसे ज़कात भी वसूल करें। चूनांचे मेरे वालिद ने मुझे (मुस्लिम को) एक जमाअ़त के पास भेजा, मैं एक बड़े बुजुर्ग के पास पहुँचा उनका नाम सिअ़र (बिन दैसम) था। मैंने अ़र्ज़ किया: मेरे वालिद ने मुझे भेजा है कि आपसे ज़कात ले आऊं। उन्होंने कहा: ऐ भतीजे! तुम किस क़िस्म का माल लेते हो? मैंने कहा: हम चुनकर थनों को देखकर उम्दा बकरियाँ लेते हैं। वह कहने लगे: भतीजे! मैं तुम्हें एक हदीस़ बयान करता हूं। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में उन वादियों में से एक वादी में अपनी बकरियों के साथ था कि मेरे पास दो आदमी आये जो एक ऊँट पर सवार थे। उन्होंने मुझसे कहा: हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से आपके पास आये हैं ताकि आप अपनी बकरियों की ज़कात दे दें। मैंने पूछा: मुझ पर इनमें से क्या वाजिब है? उन्होंने कहा: एक बकरी। तो मैंने एक बकरी का क़सद किया जो मैं जानता था कि वह दूध और चर्बी से भरी हुई थी। मैं उसे उनकी तरफ़ निकाल ले आया। तो वह कहने लगे: ये तो हामिला है और रसूलुल्लाह (ﷺ)

هَذِهِ شَاةُ الشَّافِعِ وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَأْخُذَ شَافِعًا . قُلْتُ فَأَيَّ شَيْءٍ تَأْخُذَانِ قَالاَ عَنَاقًا جَذَعَةً أَوْ ثَنِيَّةً . قَالَ فَأَعْمِدُ إِلَى عَنَاقٍ مُعْتَاطٍ . وَالْمُعْتَاطُ الَّتِي لَمْ تَلِدْ وَلَدًا وَقَدْ حَانَ وِلاَدُهَا فَأَخْرَجْتُهَا إِلَيْهِمَا فَقَالاَ نَاوِلْنَاهَا . فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثُمَّ انْطَلَقَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ أَيْضًا مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . كَمَا قَالَ رَوْحٌ

ने हामिला जानवर लेने से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: आप लोग किस तरह की क़बूल करेंगे? वह कहने लगे: एक साल की भेड़ या बकरी, जो दूसरे साल में जा लगी हो या दो साल की जो तीसरे साल में शुरू हो। अब मैं एक भेड़ ले आया जो मोटी ताज़ी थी और हामिला न हूई थी ... (मौतात) वह बकरी जो हामिला तो न हूई हो मगर उस उ़मर को पहुँच चुकी हो ... वह मैं उनके लिए निकाल लाया तो उन्होंने कहा: ये हमें दे दो, तो उन्होंने उसको अपने साथ ऊँट पर रख लिया और चल दिये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू आ़सिम ने ज़करिया से रिवायत करते हूए रावी का नाम मुस्लिम बिन शौबा कहा है, जैसे कि रौह ने बयान किया है।

(1581) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2464, व इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : ज़कात में हामिला जानवर लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये उ़म्दा और ज़्यादा क़ीमती होता है।

دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ النَّسَائِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مُسْلِمُ بْنُ شُعْبَةَ . قَالَ فِيهِ وَالشَّافِعُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ بِحِمْصَ عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْحِمْصِيِّ عَنِ

(1582) ज़करिया बिन इस्हाक़ ने अपनी सनद से ये हदीस़ बयान की और रावी का नाम मुस्लिम बिन शौबा ज़िक्र किया (न कि मुस्लिम बिन स़फ़ीना) इसमें ज़िक्र किया: (शाफ़ेअ़) वह होती है जिसके पेट में बच्चा हो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मैंने हिम्स़ में आले अ़म्र बिन हारिस़ हिम्स़ी के यहां अ़ब्दुल्लाह बिन सालिम की किताब में पढ़ा, जिसे उन्होंने

الزُّبَيْدِيِّ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ جَابِرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْغَاضِرِيِّ - مِنْ غَاضِرَةِ قَيْسٍ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ فَقَدْ طَعِمَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَعْطَى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ رَافِدَةً عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ وَلاَ يُعْطِي الْهَرِمَةَ وَلاَ الدَّرِنَةَ وَلاَ الْمَرِيضَةَ وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ أَمْوَالِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَهُ وَلَمْ يَأْمُرْكُمْ بِشَرِّهِ " .

ज़ुबेदी से रिवायत किया था, कहा:(अ़ब्दुल्लाह बिन मुआविया अलग़ाज़िरी) जो ग़ाज़रह क़ैस से हैं, कहते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसने तीन काम किये उसने ईमान का ज़ायक़ा चख लिया। जिसने एक अल्लाह की इबादत की और इक़रार किया कि अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं। और ख़ूशी ख़ूशी हर साल अपने माल की ज़कात दी, कोई बूढ़ा, ख़ारशी ज़दा, बीमार या रद्दी क़िस्म का जानवर न दिया बल्कि दरम्यानी माल से दिया। बिलाशुब्हा अल्लाह तआ़ला ने तुमसे उ़म्दा माल का मुतालबा नहीं किया है और न तुम्हें बुरा माल देने का हुक्म दिया है।'

(1582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2465. तबरानी: 1/102 वग़ैरहुम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُصَدِّقًا فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ فَلَمَّا جَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيهِ إِلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَقُلْتُ لَهُ أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ . فَقَالَ ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَلَكِنْ

(1583) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ को सदक़े का आ़मिल बनाकर भेजा, मैं एक आदमी के पास पहुँचा, जब उसने मेरे सामने अपना माल जमा कर दिया तो मैंने उस पर सिर्फ़ एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) ही वाजिब पाई। मैंने उससे कहा: एक बिन्ते मख़ाज़ दे दो, तुम्हारी यही ज़कात है। उसने कहा: दूध वाली है, न सवारी के क़ाबिल! इसकी बजाये ये एक जवान और मोटी ताज़ी ऊँटनी है इसे ले जाओ। मैंने उससे कहा: जिसका मुझे हुक्म नहीं है मैं वह क्योंकर ले सकता हूं, और अल्लाह के रसूल (ﷺ) तुमसे क़रीब ही हैं अगर चाहो तो उनकी ख़िदमत में

هَذِهِ نَاقَةٌ فَتِيَّةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَخُذْهَا . فَقُلْتُ لَهُ مَا أَنَا بِآخِذٍ مَا لَمْ أُومَرْ بِهِ وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْكَ قَرِيبٌ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ فَافْعَلْ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ وَإِنْ رَدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ . قَالَ فَإِنِّي فَاعِلٌ فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَتَانِي رَسُولُكَ لِيَأْخُذَ مِنِّي صَدَقَةَ مَالِي وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَيَّ فِيهِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَذَلِكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيهِ وَلاَ ظَهْرَ وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً فَتِيَّةً عَظِيمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ وَهَا هِيَ ذِهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . خُذْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرٍ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ " . قَالَ فَهَا هِيَ ذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ بِهَا فَخُذْهَا . قَالَ فَأَمَرَ

चले जाओ और जो कुछ मुझे दे रहे हो उन्हें जाकर पेश कर दो अगर आप क़बूल कर लें तो मुझे भी क़बूल है अगर वह नामन्ज़ूर करें तो मैं भी क़बूल नहीं करता: कहने लगा: मैं यही करता हूं, चूनांचे वह मेरे साथ चल पड़ा। और वह ऊँटनी भी साथ ले गया जो वह मुझे दे रहा था यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँच गये। उसने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के नबी! आपका नुमाइन्दा मेरे माल की ज़कात लेने के लिए मेरे यहां पहुँचा है और क़सम अल्लाह की! इससे पहले न तो अल्लाह के रसूल (ﷺ) मेरे माल में तशरीफ़ लाये हैं और न उनका कोई नुमाइन्दा ही। सो मैंने इसके लिए अपना माल जमा किया तो उसने बताया कि मेरे माल में सिर्फ़ एक बिन्ते मख़ाज़ वाजिब है, और इस उमर का जानवर न दूध देता है और न सवारी के क़ाबिल होता है। सो मैंने इसे एक शानदार जवान ऊँटनी पेश की कि उसे क़बूल कर ले मगर उसने इंकार कर दिया' और वह ये रही! ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसे आपकी ख़िदमत में ले आया हूं तो आप क़बूल फ़रमा लिजिए, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'तुझ पर वही फ़र्ज़ है लेकिन अगर तू खूशी से नेकी करना चाहे तो उसका अल्लाह तआला तुझे अज्र व सवाब अता करेगा और हम तुझसे ये क़बूल कर लेते हैं।' उसने कहा: और वह ये रही ऐ अल्लाह के रसूल! मैं इसे ले आया हूं तो

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَبْضِهَا وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ .

आपने उसके वसूल कर लेने का हुक्म दिया और उसके माल में बरकत की दुआ फ़रमाई।

(1583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 5/142, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2277, इब्ने हिबान, हदीस: 796, हाकिम: 1/399, 400.

फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हूआ कि साहिबे माल निहायत ख़ूशदिली से हक़्क़े वाजिब से ज़्यादा उम्दा माल देना चाहे तो क़बूल किया जा सकता है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ " .

(1584) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ (ﷺ) को यमन भेजा और फ़रमाया: 'तुम एक ऐसी क़ौम के पास जा रहे हो जो अहले किताब हैं, उन्हें शहादते तौहीद (ला इलाहा इल्लल्लाह) की और इस (शहादत) की कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, दावत देना। अगर वह तुम्हारी ये बात तस्लीम कर लें, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर हर दिन रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह ये भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर उनके मालों में सदक़ा (ज़कात) फ़र्ज़ की है, जो उनके अग़निया (मालदारों) से लेकर उनके फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी। अगर वह ये बात मान लें तो उनके उम्दा मालों से परहेज़ करना और मज़लूम की बद दुआ से बचना, बिलाशुब्हा मज़लूम की बद दुआ और अल्लाह के दरम्यान कोई परदा नहीं होता।'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस:2448,मुस्लिम, हदीस: 19.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तब्लीग़े दीन में तदरीज है जिसकी अव्वलीन बुनियाद शहादते तौहीद व रिसालत है, उसके बाद दीगर अहकाम हैं, मगर ख़्याल रहे कि उसके लिए मुनासिब हिकमते अमली इख़्तियार करनी ज़रूरी है। **(2)** कुफ़्फ़ार पर मुसलमानों के दीनी अहकाम की तन्फ़ीज़ ज़रूरी नहीं,

बल्कि उनसे पहले तौहीद व रिसालत के इक़रार का मुतालबा है। (3) आम फ़कीहों की राय यही है कि किसी जगह के मुसलमानों का माल उसी जगह के मुसलमानों पर ख़र्च होना चाहिए। (4) तक़सीमे ज़कात में अव्वल हक़ क़रीबी लोगों और हमसायों का है और इसे अहम ज़रूरत के बग़ैर दूसरे शहरों में मुन्तक़िल नहीं करना चाहिए। (5) मज़लूम की दुआ क़बूल की जाती है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ "الْمُعْتَدِي فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا" .

(1585) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़कात वसूल करने में ज़्यादती करने वाला, उसी तरह है जैसे कि ज़कात न देने वाला।'

(1585) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिर्ज़ी, हदीस: 646, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2335.

फ़ायदा : यानी जो आमिल ज़कात लेने में ज़ुल्म करता हो, उसका गुनाह ऐसे ही है जैसे ज़कात न देना। दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि ज़ालिम आमिल, मानेअ़े ज़कात है। यानी उसके ज़ुल्म के बाइस लोग अपना माल छुपायेंगे, झूठ बोलेंगे और ज़कात नहीं देंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज कल के टेक्सों के निज़ाम की नाकामी भी, ज़ुल्म और ख़्यानत के बाइस है।

《6》 باب رِضَا الْمُصَدِّقِ

बाब : 6 तहसीलदारे ज़कात को राज़ी करने का बयान

حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ حَفْصٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ دَيْسَمُ - وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ مِنْ بَنِي سَدُوسٍ - عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَةِ، - قَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرًا - وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمَّاهُ بَشِيرًا قَالَ قُلْنَا

(1586) हज़रत बशीर इब्ने अल ख़सासिया(ﷺ) से रिवायत है। इब्ने उबैद अपनी रिवायत में कहते हैं कि उनका नाम पहले बशीर न था बल्कि रसूल (ﷺ) ने ये नाम रखा था। वह बयान करते हैं कि हमने कहा: उम्माले (ज़कात वसूल करने वाले कर्मचारी) हम पर ज़्यादती करते हैं, तो क्या जिस क़द्र वह ज़्यादती करें हम अपना माल छुपा लिया करें? आपने फ़रमाया: 'नहीं'

إِنَّ أَهْلَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا أَفَنَكْتُمُ مِنْ أَمْوَالِنَا بِقَدْرِ مَا يَعْتَدُونَ عَلَيْنَا فَقَالَ " لاَ "

(1586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस: 5/83, ह. 3230.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَصْحَابَ الصَّدَقَةِ يَعْتَدُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ

(1587) अय्यूब ने अपनी सनद से पिछली हदीस के हम मानी रिवायत किया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़कात वसूल करने वाले कारिन्दे ज़्यादती करते हैं।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसे अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मअ़मर से मरफ़ूअ़ रिवायत किया है।

(1587) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 5/83, हदीस: 6818.

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الْغُصْنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبَغَّضُونَ فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلأَنْفُسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْغُصْنِ هُوَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ غُصْنٍ.

(1588) अ़ब्दुर्रहमान बिन जाबिर बिन अ़तीक अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूल (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अनक़रीब तुम्हारे पास कुछ नापसन्दीदा लोग आयेंगे। जब वह तुम्हारे पास आयें तो उन्हें ख़ूश आमदेद कहना और उनके और जो वह लेना चाहें, उनके दरम्यान आड़े न आना। अगर उन्होंने अ़दल व इन्साफ़ किया तो उसका उन्हें अज्र मिलेगा और अगर ज़ुल्म किया तो उसका वबाल उठायेंगे। तुम उन्हें राज़ी रखना, बिलाशुब्हा तुम्हारी ज़कात की तक्मील उनको राज़ी रखने में है और उन्हें चाहिए कि तुम्हारे लिए दुआए ख़ैर करें।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू अलग़सन से मुराद साबित बिन क़ैस बिन ग़सन है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/114.

(1589) हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास कुछ देहाती लोग आये और उन्होंने कहा: कुछ कर्मचारी हमारे पास आते हैं और हम पर ज़ुल्म करते हैं। आपने फ़रमाया: 'अपने स़दक़ा वसूल करने वालों को राज़ी रखो।' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) ख़्वाह वह हम पर ज़ुल्म करें? आपने फ़रमाया: 'अपने ज़कात वसूल करने वालों को राज़ी रखो।' उ़स्मान (बिन अबी शैबा) ने इज़ाफ़ा किया: 'अगरचे तुम पर ज़्यादती की जाये।'

अबू कामिल ने अपनी हदीस़ में बयान किया। जरीर ने कहा: ये फ़रमाने नबवी सुन लेने के बाद से आ़मिल हमेशा मुझसे राज़ी ही गया है।

(1589) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 989.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، - وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي كَامِلٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلاَلٍ الْعَبْسِيُّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ جَاءَ نَاسٌ - يَعْنِي مِنَ الأَعْرَابِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَا فَيَظْلِمُونَا . قَالَ فَقَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ ظَلَمُونَا قَالَ " أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ " . زَادَ عُثْمَانُ " وَإِنْ ظُلِمْتُمْ " . قَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ جَرِيرٌ مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ

फ़ायदा : 'आ़मिल को राज़ी करना' इस सूरत में है कि वह वाजिबे शरई का मुतालबा करे तो उसे अदा कर दिया जाये और उसके साथ अच्छे मामले का रवैया रखा जाये और ज़ाहिर है कि ये हुक्म आ़दिल और ग़ैर ज़ालिम आ़मिलीन के मुताल्लिक है।

बाब : 7
आ़मिल का ज़कात देने वालों को दुआ़ देना

﴾7﴿ باب دُعَاءِ الْمُصَدِّقِ لأَهْلِ الصَّدَقَةِ

(1590) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा(ﷺ) ने बयान किया कि मेरे वालिद उन लोगों में से थे जिन्होंने (बैअ़ते रिज़वान के मौक़े पर) दरख़्त के नीचे बैअ़त की थी,

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

أَوْفَى، قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ " . قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى" .

और नबी(ﷺ) के यहां जब भी कोई क़ौम अपनी ज़कात लेकर आती थी तो आप उन्हें यूँ दुआ देते थे: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले फुलां) 'ऐ अल्लाह! आले फुला पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें बरकत दे)' मेरे वालिद भी अपनी ज़कात लेकर आपकी ख़िदमत में पहुँचे तो आपने फ़रमाया: '(अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले औफ़ा)' ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें बरकत दे)'

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1497, व मुस्लिम.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) को हुक्म दिया गया था कि अहले सदक़ात के लिए ख़ास दुआ फ़रमाया करें सूरह तौबा में है: 'आप उनके अमवाल से ज़कात व सदक़ात वसूल फ़रमायें, इस तरह आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ फ़रमाया करें। बिलाशुब्हा आपकी दुआ उनके लिए सकीनत का बाइस होती है' (अत्तौबा: 103) लिहाज़ा इमाम और अमलिनीन को चाहिए कि असाहिबे ज़कात के लिए उमूमी दुआ ज़रूर किया करें। ये आयते करीमा दलील है कि ज़कात व सदक़ात इन्सान के अख़्लाक़ व किरदार की तहारत व पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया हैं। और ज़कात की वसूली इमामे वक़्त की ज़िम्मेदारी है।

बाब : 8
ऊँटों के दाँतों (उनकी उमरों) की तफ़्सील

(8)

قَالَ أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُهُ مِنَ الرِّيَاشِيِّ، وَأَبِي حَاتِمٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَمِنْ كِتَابِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، وَمِنْ كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ، وَرُبَّمَا ذَكَرَ أَحَدُهُمُ الْكَلِمَةَ،

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैंने (नीचे की तफ़्सील) रयाशी और अबू हातिम वग़ैरह से सुनी है। इसी तरह नज़्र बिन शुमैल और अबू उबैद की किताब से भी ली है और कहीं इसमें से कोई बात सिर्फ़ किसी एक ने

قَالُوا: يُسَمَّى الْحُوَارُ، ثُمَّ الْفَصِيلُ إِذَا فَصَلَ، ثُمَّ تَكُونُ بِنْتُ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَامِ سَنَتَيْنِ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي الثَّالِثَةِ فَهِيَ ابْنَةُ لَبُونٍ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ ثَلَاثُ سِنِينَ فَهُوَ حِقٌّ، وَحِقَّةٌ إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ أَنْ تُرْكَبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْفَحْلُ وَهِيَ تَلْقَحُ، وَلَا يُلْقِحُ الذَّكَرُ حَتَّى يُثَنِّيَ، وَيُقَالُ لِلْحِقَّةِ: طَرُوقَةُ الْفَحْلِ لِأَنَّ الْفَحْلَ يَطْرُقُهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ، فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ جَذَعَةٌ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ، فَإِذَا دَخَلَتْ فِي السَّادِسَةِ وَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ فَهُوَ حِينَئِذٍ ثَنِيٌّ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ سِتًّا، فَإِذَا طَعَنَ فِي السَّابِعَةِ سُمِّيَ الذَّكَرُ رَبَاعِيًا وَالْأُنْثَى رَبَاعِيَةً إِلَى تَمَامِ السَّابِعَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ وَأَلْقَى السِّنَّ السَّدِيسَ الَّذِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَةِ فَهُوَ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ إِلَى تَمَامِ الثَّامِنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ فِي التِّسْعِ وَطَلَعَ نَابُهُ فَهُوَ بَازِلٌ أَيْ بَزَلَ نَابُهُ، يَعْنِي طَلَعَ، حَتَّى يَدْخُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ، وَلَكِنْ يُقَالُ: بَازِلُ عَامٍ، وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ، وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ ثَلَاثَةِ أَعْوَامٍ إِلَى خَمْسِ سِنِينَ، وَالْخَلِفَةُ الْحَامِلُ. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ:

कही है। उन्होंने कहा: ऊँट के दूध पीते बच्चे को हुवार कहते हैं। फिर फ़सील होता है, जब दूध पीना छोड़ दे। फिर बिन्ते मख़ाज़ होती है एक साल की, दो साल पूरे होने तक। जब तीसरे में दाख़िल हो जाये तो उसे बिन्ते लबून कहते हैं। जब तीन साल पूरे हो जायें तो वह हिक़्क़ा और हिक़्क़ह कहलाती है, चार साल पूरे होने तक। क्योंकि वह सवारी और जुफ़्ती के क़ाबिल नहीं होता यहाँ तक कि उसके अगले दाँत गिर जायें और हिक़्क़ह को तरूफ़तुल फ़हल भी कहा जाता है क्योंकि नर उस पर चढ़ता है और ये चार साल मुकम्मल होने तक हिक़्क़ह ही कहलाती है। जब पाँचवें साल में दाख़िल हो जाये तो उसे जज़आ कहते हैं यहाँ तक कि पाँच साल पूरे हो जायें। जब छठे में लग जाये और अपने अगले दाँत गिरा दे तो उस वक़्त सनिय्या कहलाती है यहाँ तक कि छः साल पूरे हो जायें। जब सातवें में लग जाये तो नर को रबाई और मादा को रबाइया कहते हैं, सात साल पूरे होने तक। जब आठवें में लग जाये और छठा दाँत गिरा दे जो रबाईत के बाद होता है तो उसे सदीस कहते हैं, आठ साल पूरे होने तक। जब नवें में लग जाये और उसकी नाब (कुचलियाँ) निकल आयें तो उसे बाज़िल कहते हैं। इस मानी में कि उसकी कुचलियाँ निकल आई, यहाँ तक कि दसवें में लग जाये। अब उसका नाम मुख़्लिफ़ होता है। इसके बाद उनका कोई नाम नहीं। लेकिन इस तरह कहते हैं बाज़िल एक साल का, बाज़िल

وَالْجَذُوعَةُ وَقْتٌ مِنَ الزَّمَنِ لَيْسَ بِسِنٍّ، وَفُصُولُ الْأَسْنَانِ عِنْدَ طُلُوعِ سُهَيْلٍ. قَالَ أَبُو دَاوُد: وَأَنْشَدَنَا الرِّيَاشِيُّ: إِذَا سُهَيْلٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ طَلَعْ فَابْنُ اللَّبُونِ الْحِقُّ وَالْحِقُّ جَذَعْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَسْنَانِهَا غَيْرُ الْهُبَعْ وَالْهُبَعُ الَّذِي يُولَدُ فِي غَيْرِ حِينِهِ

दो साल का। या मुख़िलफ़ एक साल का, मुख़िलफ़ दो साल का, मुख़िलफ़ तीन साल का ... पाँच सालों तक ... और ख़लिफ़ा हामला को कहते हैं।

अबू हातिम ने बयान किया कि जज़ूआ एक वक़्त का नाम है कोई दाँत नहीं है और दाँतों के मौसम सुहैल (सितारे) के निकलने पर बदलते हैं।

इमाम अबू दाऊद ने बयान किया कि रयाशी ने हमें इस सिलसिले में ये शेर सुनाया: (इज़ा सुहैलुन अव्वल ल लैलि तलअ ...अलख़) 'जब सुहैल सितारा रात के शुरू में तुलूअ होता है तो इब्ने लबून, हिक़्क़ा हो जाता है और हिक़्क़ा, जज़आ, और कोई दाँत बाक़ी नहीं रहता सिवाए हूबअ के। और (हूबअ) वह है जो बे'वक़्त पैदा हो।

﴾9﴿ باب أَيْنَ تُصَدَّقُ الأَمْوَالُ

बाब : 9 मालों की ज़कात कहाँ वसूल की जाये

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ وَلاَ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلاَّ فِي دُورِهِمْ "

(1591) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'न जलब है और न जनब और उनके मालों की ज़कात उनके घरों ही पर वसूल की जाये।'

(1591) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 2/180, 16 (अहमद: 2/215), तोहफ़तुल मोहताज: 914.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (जलब) बमानी लाना और खींचना। यानी आमिल को ये क़तअन जायज नहीं कि अपना मरकज़ किसी ऐसी जगह बना ले जहां मालिकों को अपने जानवर खींच कर लाना पड़ें और वह मशक्क़त उठाते फिरें। और इसी तरह मालिकों को भी जायज़ नहीं कि तहसीलदारे ज़कात की आमद का सुन कर अपने जानवर अपने पड़ाव से दूर ले जायें और फिर वह उन्हें ढूंढ़ता फिरे, उनके इस अमल को (जनब) कहते हैं। इसका लुग़वी मानी है, पहलू तही करना' दूर होना।' **(2)** इस्लाम की ऐसी तालीमात ही इसके दीने फ़ितरत होने की दलील हैं।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، فِي قَوْلِهِ " لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ " . قَالَ أَنْ تُصَدَّقَ الْمَاشِيَةُ فِي مَوَاضِعِهَا وَلاَ تُجْلَبُ إِلَى الْمُصَدِّقِ وَالْجَنَبُ عَنْ غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضًا لاَ يُجْنَبُ أَصْحَابُهَا يَقُولُ وَلاَ يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ.

(1592) मुहम्मद बिन इस्हाक़ (ﷺ) ने (ला जलब वला जनब) की तौज़ीह में बयान किया: 'चौपायों की ज़कात उनके अपने डेरों पर वसूल की जाये, (जलब ये है कि) उन्हें तहसीलदारे ज़कात (आमिल) के पास खींच कर ना लाया जाये और (जनब) उस फ़रीज़े में ये है कि जानवरों वाले उन्हें दूर न ले जायें। (इब्ने इस्हाक़ ने कहा) आमिल को रवा नहीं कि वह ज़कात वालों के मुक़ामात से बहुत दूर जा बैठे और जानवरों को उसकी तरफ़ लाया जाये बल्कि ज़कात उनकी अपनी जगह पर ली जाये।'

तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/110.

﴾10﴿ بَابُ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ صَدَقَتَهُ

बाब : 10 कोई अपनी ज़कात (सदक़े में दिया हूआ माल) क़ीमतन ख़रीदना चाहे?

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

(1593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया,

الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " .

फिर देखा कि उसे बेचा जा रहा है तो उन्होंने उसे ख़रीद लेना चाहा और रसूलुल्लाह (ﷺ) से इस बारे में दरयाफ़्त किया तो आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे मत ख़रीदो और अपना सदक़ा मत वापस लो।'

(1593) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 1620, बुख़ारी, हदीस: 2636, मौता: 1/282.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो माल अल्लाह की राह में दे दिया हो, फिर दोबारा उसमें लालच नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखनी चाहिए। (नेकी कर दरिया में डाल) का यही मफ़हूम है। कुछ लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करके उसके मामले पर नज़र रखते हैं जो मुनासिब नहीं। इस हदीस में इसीलिए सदक़ा शुदा माल के ख़रीदने से मना किया गया है। ताहम जहां ये बात न हो वहां जुम्हूर के नज़दीक उसका जवाज़ है, जैसे किसी तीसरे शख़्स से उसे ख़रीद लिया जाये, या विरासत में वह चीज़ उसके पास आ जाये (शरह सुनन अबी दाऊद, अल्लामा बदरूद्दीन ऐनी, 6/294) **(2)** सहाब-ए-किराम (رضی الله عنهم) किसी भी नये पेशकदमी से पहले रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल कर लिया करते थे क्योंकि वह समझते थे कि ज़िन्दगी के तमाम उमूर ज़ाबत-ए-इस्लाम से मरबूत (जुड़े हुए) हैं, चूनांचे हर मुसलमान को ऐसे ही करना चाहिए और क़ुर्आन व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए।

﴿11﴾ بَابُ صَدَقَةِ الرَّقِيقِ

बाब : 11 गुलामों की ज़कात

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَيَّاضٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ زَكَاةٌ إِلاَّ زَكَاةُ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ "

(1594) हज़रत अबू हुरैरह (رضی الله عنه) से मरवी है, नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'घोड़े और गुलाम में ज़कात नहीं', अलबत्ता गुलाम की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र दिया जाये।'

(1594) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/117, मुस्लिम.

फ़ायदा : अगर ये ज़ाती मसरफ़ के लिए हों तो ज़कात नहीं है, लेकिन अगर तिजारत की ग़र्ज़ से हों तो ज़कात देनी चाहिए।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .

(1595) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़े में ज़कात नहीं।'

(1595) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 982, मौता: 1/277, हदीस: 1463.

फ़ायदा : हदीस 1574 के फ़वाइद में गुज़र चुका है कि उन पर ज़कात इस सूरत में नहीं है जब ये ज़ाती ज़रूरत के लिए हों। लेकिन अगर ये तिजारत के लिए हों तो फिर उन पर ज़कात होगी।

(12) بَابُ صَدَقَةِ الزَّرْعِ

बाब : 12 खेती की ज़कात

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي أَوِ النَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

(1596) जनाब सालिम बिन अ़ब्दुल्लाह अपने वालिद से नक़ल करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो खेतियाँ बारिश से सैराब होती हों या दरयाओं और चश्मों से या ज़मीन की तरी से तो उनमें दसवाँ हिस्सा है। और जो ऊँटों से (रहट के ज़रिये से) सैराब की जाती हों या जिनकी आबपाशी की जाती हो तो उनमें बीसवाँ हिस्सा है।'

(1596) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1483.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

(1597) हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ " .

फ़रमायाः 'जो ज़मीन दरयाओं से सैराब होती हो या चश्मों से तो उनमें दसवाँ हिस्सा है। और जिनको ऊँटों से (रहट के ज़रिये से) सैराब किया जाता हो तो उनमें बीसवाँ हिस्सा है।'

(1597) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 981.

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، وَحُسَيْنُ بْنُ الأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ، قَالاَ قَالَ وَكِيعٌ الْبَعْلُ الْكَبُوسُ الَّذِي يَنْبُتُ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ . قَالَ ابْنُ الأَسْوَدِ وَقَالَ يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ آدَمَ سَأَلْتُ أَبَا إِيَاسٍ الأَسَدِيَّ عَنِ الْبَعْلِ فَقَالَ الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ . وَقَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ الْبَعْلُ مَاءُ الْمَطَرِ .

(1598) जनाब वकीअ ने बयान किया कि (अल बअ़ल अलकबूस) से मुराद खेती है जो बारिश से सैराब होती हो। इब्ने अस्वद कहते हैं कि यहया, बिन आदम ने कहा कि मैंने अबू अयास अस्दी से बअ़ल के मुताल्लिक वज़ाहत पूछी तो कहाः जो खेती बारशि से सैराब होती हो। नज़्र बिन शुमैल ने कहाः बअ़ल से मुराद बारिश का पानी है।

(1598) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 394.

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، - يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ - عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ " خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَبَّرْتُ قِثَّاءَةً بِمِصْرَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ

(1599) हज़रत मुआज़ बिन जबल (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको यमन की तरफ़ (आमिल बनाकर) भेजा तो उनसे फ़रमायाः 'ग़ल्ले से ग़ल्ला, बकरियों से बकरी, ऊँटों से ऊँट और गायों से गाय वसूल करना।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मैंने मिस्र में एक ककड़ी को नापा तो उसे तेरह बालिश्त लम्बी पाया। इसी तरह एक ऊँट पर एक तरंज (नारंगी) लदी देखी कि दो टुकड़े करके बराबर बराबर रखी गई थी।

شِبْرًا وَرَأَيْتُ أُتْرُجَّةً عَلَى بَعِيرٍ بِقِطْعَتَيْنِ قُطِعَتْ وَصُيِّرَتْ عَلَى مِثْلِ عِدْلَيْنِ .

(1599) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 1814, अलमुसतदरक, 1/388.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कि बारिश और चश्मों से सैराब होने वाली ज़मीन, इसी तरह ज़ेरे ज़मीन नमी वाली ज़मीन की पैदावार में उश्र (दसवाँ हिस्सा) है और जिस ज़मीन को रहट वग़ैरह से सैराब किया जाये, उसमें निस्फ़े उश्र (बीसवाँ हिस्सा, पाँच फ़ीस़द) है। (स़हीह अलबुख़ारी, हदीस़: 1483) क़ुर्आनी आयत और हदीस़े रसूल, दोनों से ये बात वाज़ेह होती है कि ज़मीन से पैदा होने वाली हर चीज़ में ज़कात है। सिवाए सब्ज़ियों के, क्योंकि इसमें ज़कात न निकालने की स़राहत हदीस़ में है। अलबत्ता इसमें ये शर्त है कि पैदावार पाँच वस्क़ या उससे ज़्यादा हो। गोया अनाज और ग़ल्ले का निस़ाब पाँच वस्क़ है, इससे कम पैदावार में ज़कात आयद नहीं होगी, एक वस्क़, साठ स़ाअ का होता है, इस तरह पाँच वस्क़ में तीन सौ स़ाअ होंगे जिनका वज़न एशियाई हिसाब से तक़रीबन 20 मन बनता है। लिहाज़ा जिस शख़्स़ की पैदावार 20 मन या उससे ज़ायद है, तो वह ज़कात अदा करे, बसूरते दीगर नहीं।

- ज़मीन की पैदावार की ज़कात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की अदायगी फ़स़ल काटने के मौक़े पर होगी। अगर साल में दो फ़स़लें होंगी, तो उश्र (दस्वाँ हिस्सा) भी दो मर्तबा अदा करना ज़रूरी होगा। क्योंकि इसमें साल गुज़रने की शर्त नहीं है बल्कि फ़स़ल का होना शर्त है। वह जब भी हो और जो भी हो। अगर ज़मीन बारानी है यानी बारिश, क़ुदरती चश्मों वग़ैरह से सैराब होती है, और उसमें कुछ ख़र्च नहीं होता तो उसकी पैदावार से दसवाँ हिस्स़ा उश्र अदा किया जाये अगर ज़मीन ग़ैर बारानी है (चाही या नहरी है जिसकी सैराबी पर आबयाना वग़ैरह की सूरत में अख़्राज़ात बरदाश्त करने पड़ते हैं, या टियूब वैल के ज़रिये से उसे सैराब किया जाता है) तो उससे निस्फ़े उश्र (बीसवाँ हिस्स़ा) अदा किया जायेगा इसकी बुनियाद ये हदीस़ है जो पहले भी गुज़र चुकी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस पैदावार में जिसे आसमान (बारिश) या (क़ुदरती) चश्मे सैराब करें या वह ज़मीन नमी वाली हो (नहर और दरया के साथ होने की वजह से इसमें इतनी नमी रही हो कि उसे पानी देने की ज़रूरत ही पेश न आये) उश्र (दसवाँ हिस्स़ा) है और जिसे डोल (या रहट वग़ैरह) से सैराब किया जाये, इसमें निस्फ़े उश्र (बीसवाँ हिस्स़ा यानी पाँच फ़ीस़द) है' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1483). ज़कात सिर्फ़ उस पैदावार से अदा की जायेगी जो ज़ख़ीरा की जा सकती हो। जैसे गन्दुम, चावल, मकई, जौ वग़ैरह। इसलिए सब्ज़ियों पर ज़कात नहीं, क्योंकि उनका ज़्यादा देर तक ज़ख़ीरा मुमकिन नहीं। **(2)** इमाम स़ाहब ने जो ककड़ी और तरंज (मालटे) के बारे में फ़रमाया है तो ये ज़कात व स़दक़ात की बरकतों की तरफ़ इशारा है कि अल्लाह तआला इससे माल में बेइन्तेहा बरकत डाल देता है।

बाब : 13
शहद की ज़कात

(1600) जनाब अ़म्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा (अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि बनी मुतआन का एक आदमी हिलाल, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में अपने शहद का उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लेकर आया और आपसे दरख़्वास्त की कि 'सलबत' वादी इसके नाम कर दी जाये, चूनांचे रसूलुल्लाह(ﷺ) ने वह उसके नाम कर दी। जब हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब(ﷺ) ख़लीफ़ा बने तो हज़रत सुफ़ियान बिन वहब (ﷺ) ने तहरीरन हज़रत उ़मर (ﷺ) से इसके बारे में पूछा: तो हज़रत उ़मर (ﷺ) ने लिखा: अगर ये अपने शहद का वही उश्र (दस्वाँ हिस्सा) देता रहे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) को दिया करता था, तो वादी सलबा इसी के नाम रहने दो। वरना ये शहद की मक्खियाँ हैं। जो चाहे (उनका शहद खाये)।

(1600) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2501.

﴾13﴿
باب زَكَاةِ الْعَسَلِ

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ جَاءَ هِلاَلٌ - أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ الْوَادِي فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَكَتَبَ عُمَرُ رضى الله عنه إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ لَهُ فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ وَإِلاَّ فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ.

फ़ायदा : इमाम बुख़ारी, इमाम तिर्मिज़ी और अबूबक्र बिन अलमुन्ज़िर (रह.) के बयानात के मुताबिक़ शहद में ज़कात वाजिब होने की कोई सही सरीह हदीस नहीं है, जबकि ज़ेरे बहस पिछली हदीस सही सनद वाली है। तफ़्सील के लिए देखिए: (अर्वाउल ग़लील: 3/810) अ़ल्लामा ख़त्ताबी (रह.) वग़ैरह का ये क़ौल है कि हज़रत हिलाल मुतई (ﷺ) अपनी ख़ुशी से इसकी ज़कात ले आये, तो

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़बूल फ़रमा ली और उसकी दरख़्वास्त पर वादी, सलबा उसके नाम लिख दी। इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने भी यही समझा कि अव्वलन तो इसमें ज़कात है नहीं ताहम चूंकि उसने ये वादी अपने नाम करा ली थी, तो इसके बदले इसे ज़कात भी देनी चाहिए। अगर ये ज़कात न दे तो ये वादी इसके लिए मख़्सूस न रहेगी बल्कि आम मुसलमानों के लिए होगी जो चाहे इससे इस्तेफ़ादा करे। अलग़र्ज़ चूंकि ये 'माल' है इसलिए इससे ज़कात अदा करना ही राजेह और एहतियात का तक़ाज़ा है जिसे कि अइम्म-ए-किराम अबू हनीफ़ा, अहमद और इस्हाक़ (रह.) वग़ैरह का फ़तवा है। और सहाबा किराम (ﷺ) में हज़रत उमर (ﷺ) और इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी मरवी है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इमाम शाफ़ेई (रह.) का भी एक क़ौल यही है कि शहद में ज़कात वाजिब है। वल्लाहू आलम बिस्सवाब.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، - وَنَسَبَهُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ شَبَابَةَ، - بَطْنٌ مِنْ فَهْمٍ - فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ مِنْ كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ وَقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ قَالَ وَكَانَ يُحَمِّي لَهُمْ وَادِيَيْنِ زَادَ فَأَدَّوْا إِلَيْهِ مَا كَانُوا يُؤَدُّونَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَحَمَّى لَهُمْ وَادِيَيْهِمْ .

(1601) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से वह अपने दादा से बयान करते हैं कि शबाबा, बनू फ़हम के ताल्लूकदार थे (शबाबा छोटी बिरादरी का नाम है और फ़हम बड़े क़बीले का) और हदीस पहले की तरह बयान की। (मुग़ीरह के वालिद अब्दुर्रहमान बिन हारिस ने) कहा: शहद की हर दस मशकों में से एक मशक दी जाये। और (उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के आमिल) सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी ने ज़िक्र किया। और कहा कि इनके नाम दो वादियाँ लिख दी गई थी (जबकि अम्र बिन हारिस ने एक वादी का ज़िक्र किया है) अब्दुर्रहमान ने मज़ीद कहा: चूनांचे वह लोग वही कुछ अदा करते रहे जो रसूलुल्लाह(ﷺ) को दिया करते थे और ये वादियाँ उन्हीं के नाम रहीं ।

(1600) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2324, इब्ने माजा, हदीस: 1824.

फ़ायदा : ये हदीस हसन दर्जे की है और पिछली हदीस की ताईद करने वाली है कि शहद की ज़कात देनी चाहिए।

(1602) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते हैं कि क़बीला फ़हम का एक गिरोह ... इसके बाद हदीसे मुग़ीरह की मानिन्द बयान किया, कहा: दस मशकों में से एक मश्क (देते थे) और दोनों वादियाँ उन्हीं के लिए मख़्सूस रहीं।

حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بَطْنًا، مِنْ فَهْمٍ بِمَعْنَى الْمُغِيرَةِ قَالَ مِنْ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةٌ . وَقَالَ وَادِيَيْنِ لَهُمْ .

(1602) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ख़ुज़ैमह हदीस: 2325, इब्ने माजा, हदीस: 1824.

बाब : 14
दरख़्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा लगाना

﴾14﴿
باب فِي خَرْصِ الْعِنَبِ

(1603) जनाब ज़ोहरी ने सईद बिन मुसय्यब से, उन्होंने हज़रत अत्ताब बिन उसैद (ﷺ) से रिवायत की कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया: 'अंगूरों के गुच्छे से फल का अंदाज़ा लगाया जायें जैसे कि खजूरों का लगाया जाता है। और उनकी ज़कात किशमिश की सूरत में वसूल की जाये, जैसे कि खजूरों में ख़ुश्क खजूर की सूरत में ली जाती है।'

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ السَّرِيِّ النَّاقِطُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا .

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस:644, नसाई, हदीस: 2619, इब्नेमाजा, हदीस: 1819, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2317, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 799, 800.

(1604) मुहम्मद बिन सालेह अत्तम्मार ने इब्ने शिहाब से इनकी सनद से पिछली हदीस के हम मानी बयान किया।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ التَّمَّارِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि सईद

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَتَّابٍ شَيْئًا .

(इब्ने मुसय्यब) ने हज़रत अ़त्ताब से कुछ नहीं सुना।

(1604) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : चूंकि अंगूर, खजूरें और दीगर फल आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते और इस्तेमाल में आते रहते हैं इसलिए इनकी उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के लिए ये क़ायदा है कि तजुर्बाकार साहिबे नज़र से अन्दाज़ा लगवाया जाता है जो दरख़्तों पर लगे गुच्छे फल को देखकर बताते हैं कि तैयार होने पर ये फल अन्दाज़न इस मिक़दार का होगा। इसे अ़रबी में (ख़रस़) और उर्दू में 'अंदाज़ा और तख़मीना लगाना' कहते हैं और इस अन्दाज़ा के वज़न में से तिहाई या चौथाई छोड़कर बाक़ी पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लागू किया जाता है। ऊपर की दोनों रिवायात इन्फ़ेरादी तौर पर ज़ईफ़ हैं मगर दीगर शवाहिद से क़ाबिले अ़मल हैं। तफ़्सील के लिए देखें : (अरवाउल ग़लील: 3/280, हदीस़: 805)

﴿15﴾ بَابٌ فِي الْخَرْصِ

बाब : 15 दरख़्तों पर फलों का अन्दाज़ा लगाना

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ جَاءَ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ إِلَى مَجْلِسِنَا قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا أَوْ تَجِدُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْحِرْفَةِ .

(1605) जनाब अ़ब्दुर्रहमान बिन मसऊ़द बयान करते हैं कि हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (ﷺ) हमारी मजलिस में आये और कहा कि नबी (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया था: 'जब तुम दरख़्तों पर फलों का अन्दाज़ा लगा लो, तो तुम उनका फल उतार सकते हो और अन्दाज़ा किये हूए फल से तीसरा हिस्सा छोड़ दिया करो। तहकीक अगर तुम तीसरा हिस्सा न छोड़ो तो चौथा हिस्सा छोड़ दिया करो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि अन्दाज़ा करने वाला अपने अ़मल के तख़मीने के बाइस तीसरा हिस्सा छोड़ दे।

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 643, नसाई, हदीस़: 2493, सहीह इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2319, 2320, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 798, हाकिम: 1/402.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। मगर दीगर श्वाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल है। और फलों का अन्दाज़ा लगाने वाला तीसरा या चौथा हिस्सा इसलिए छोड़े क्योंकि ये सब नज़र का मामला होता है और इसमें कमी बेशी का एहतमाल यक़ीनी है, नीज़ कुछ फल ज़ाया भी हो जाता है और कुछ जानवर वग़ैरह खा जाते हैं और कुछ फल मालिक भी ग़रीबों, मिस्कीनों वग़ैरह को देता है, लिहाज़ा तीसरा या चौथा (हिस्सा) छोड़ने में उन सबकी तलाफ़ी हो जायेगी।

बाब : 16
खजूरों का अन्दाज़ा कब लगाया जाये?

﴾16﴿
باب مَتَى يُخْرَصُ التَّمْرُ

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَرَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِصُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ .

(1606) हज़रत आयशा (ﷺ) ने ख़ैबर के सिलसिले में ज़िक्र किया कि नबी (ﷺ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) को यहूदियों की तरफ़ भेजा करते थे और वह खजूरों के फलों का अन्दाज़ा लगाया करते थे जबकि वह ख़ूब तैयार हो जाते, खाने के क़ाबिल होने से पहले पहले ये काम किया जाता।

(1606) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 6/163, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2315, मौता: 2/803, 804 वग़ैरह.

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है मगर दीगर शवाहिद से सहीह साबित है। जैसे कि आगे (किताबुल बुयूअ, बाब फ़िल ख़रस, हदीस: 3415) में हज़रत जाबिर (ﷺ) का बयान है: ख़ैबर का इलाक़ा फ़तह हो जाने के बाद वहां की ज़मीन और बाग़ात बतौर मुज़ारअत (खेती करने के) उन यहूदियों के पास ही रहे और समझौता के हिसाब से निस्फ़ (आधी) आमदनी उनसे ली जाती थी और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा (ﷺ) फलों का अन्दाज़ा लगाने का फ़रीज़ा सरअन्जाम देते थे।

बाब : 17 सदक़े और ज़कात में रद्दी क़िस्म का फल देना नाजायज़ है

﴿17﴾ باب مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ الثَّمَرَةِ فِي الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُعْرُورِ وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ . قَالَ الزُّهْرِيُّ لَوْنَيْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

(1607) जनाब अबू उमामा बिन सहल अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया था कि 'जूरूर और लून' क़िस्म की (रद्दी) खजूरें सदक़े में क़बूल की जायें।

इमाम ज़ोहरी (रह.) ने वज़ाहत की कि ये मदीने की खजूरों की दो क़िस्मों के नाम हैं। इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इसको अबुल वलीद ने भी बवास्ता सुलेमान बिन कसीर, इमाम ज़ोहरी से मुसनद ज़िक्र किया है।

(1607) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2313, दारक़ुतनी: 2/131, नसाई, हदीस: 2494.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي الْقَطَّانَ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْجِدَ وَبِيَدِهِ عَصًا وَقَدْ عَلَّقَ رَجُلٌ مِنَّا قِنًا حَشَفًا فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ

(1608) हज़रत औफ़ बिन मालिक (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे यहां मस्जिद में तशरीफ़ लाये जबकि ओपके हाथों में असा था और किसी ने रद्दी क़िस्म की ख़ुश्क सी खजूरों का एक गुच्छा लटका दिया था, आपने अपनी लाठी से उस गुच्छे में ठोक दिया और फ़रमाया: 'ये सदक़ा करने वाला इससे उम्दा भी सदक़ा कर सकता था।' और फ़रमाया: 'ये शख़्स क़यामत के रोज़ रद्दी खजूरें ही खायेगा।'

وَقَالَ " لَوْ شَاءَ رَبُّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهَا " . وَقَالَ " إِنَّ رَبَّ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

(1608) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1821, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2467, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 837, हाकिम: 4/425, 426.

फ़ायदा : सूरह बक़रः में आया है कि अच्छा और उ़म्दा माल ख़र्च किया जाये, आगे फ़रमाया: 'रद्दी और बुरे माल ख़र्च करने का इरादा न करो। हालांकि अगर तुम्हें मिले तो तुम न लोगे।' (अलबक़रः 267) हदीस़ के आख़िर में बहुत बड़ी तम्बीह है कि इन्सान जिस क़िस्म की चीज़ देगा क़यामत के रोज़ उसी क़िस्म से पायेगा। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ ही देने की कोशिश किया करे, ताहम ऐसा करना बेहतर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम रूतबे वाली चीज़ का स़दक़ा जायज़ ही नहीं या उसका स़वाब ही नहीं है। अल्लाह की राह में इख़्लास़ से जो कुछ भी दिया जाये, वह अल्लाह पाक कबूल करता है।

﴾18﴿ بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

बाब : 18 ज़काते फ़ित्र के अहकाम व मसाइल

حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلاَنِيُّ، - وَكَانَ شَيْخَ صِدْقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ - حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ مَحْمُودٌ الصَّدَفِيُّ - عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ .

(1609) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़दक़-ए-फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया ताकि रोज़े के लिए लग़्व और बेहूदा बातों व कामों से पाकीज़गी हो जाये और मिस्कीनों को खाना हास़िल हो। चूनांचे जिसने इसे नमाज़े (ईद) से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी ज़कात है जो क़बूल कर ली गई और जिसने इसे नमाज़ के बाद अदा किया तो ये आ़म स़दक़ात में से एक स़दक़ा है।

(1609) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 1827, हाकिम: 1/409.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नफ़्स के तज़किया की ग़र्ज़ से ग़ैर शऊरी तौर पर या ग़लती से किसी बे एहतियाती के इरतेकाब के नतीजे में पैदा होने वाली माली ख़राबी की तत्हीर (पाकी) के लिए ज़कात फ़र्ज़ की, इस तरह रोज़े के दौरान में सरज़द होने वाले किसी लग्व काम या नामुनासिब बात से रोज़े की तत्हीर के लिए ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया। आप (ﷺ) ने इसकी अदायगी को नमाज़े ईद की अदायगी के लिए निकलने से पहले ज़रूरी क़रार दिया। इस अदायगी को आप(ﷺ) ने ख़ूद अपने अल्फ़ाज़ में ज़कातुल फ़ित्र क़रार दिया और बाद की अदायगी को आम सदक़ात में से एक सदक़ा क़रार दिया जिसके ज़रिये ये असल फ़रीज़ा अदा नहीं होता।

- सही बुख़ारी की रिवायत में भी फ़ितराने को ज़कातुल फ़ित्र और फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। अहादीसे नबवीया में इस बात की सराहत कर दी गई कि इस ज़कात के लिए कोई निसाब मुक़र्रर नहीं। बल्कि हर छोटे, बड़े मर्द औरत और आज़ाद या गुलाम की तरफ़ से इसकी अदायगी फ़र्ज़ है। यहाँ तक कि एक रोज़ के बच्चे की तरफ़ से भी फ़ितराना देना ज़रूरी है। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) की रिवायत में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये तसरीह फ़रमा दी कि ज़कातुल फ़ित्र मुसलमानों में से हर नफ़्स पर फ़र्ज़ है और किसी जगह इशारतन भी ये नहीं फ़रमाया कि हर नफ़्स से वह लोग अलग हैं जिनके पास दूसरी ज़कात (ज़काते माल) का निसाब न हो। इसलिए साहिबे निसाब होने की शर्त जो कुछ लोगों ने महज़ अपनी राय से लगाई है दुरूस्त नहीं।
- हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) फ़रमाते हैं: दाऊद ज़ाहिरी के अलावा बाक़ी सबका इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि गुलाम की तरफ़ से उसका आक़ा अदा करेगा या जिस तरह उसका फ़र्ज़ है कि गुलाम के लिए नमाज़ की अदायगी मुमकिन बनाये इसी तरह उसका फ़र्ज़ है कि उसकी तरफ़ से ज़कातुल फ़ित्र की अदायगी मुमकिन बनाये बल्कि सही मुस्लिम में तो सराहत है कि 'मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़ों में ज़कात नहीं, ताहम गुलाम की तरफ़ से सदक़ ए फ़ित्र अदा किया जाये' इस तरह कम उमर बच्चों की तरफ़ से ज़कात की अदायगी का हुक्म वली (वालिद या किसी दूसरे सरपरस्त) को है। (फ़तहुल बारी, किताबुज ज़कात, बाब फ़र्ज़ सदक़तुल फ़ित्र, मुलख़्ख़सन) **(2)** सियामे रमज़ान के इख़्तिताम पर ज़कातुल फ़ित्र को फ़र्ज़ क़रार दिया गया है। जिसके दो मक़सद इस हदीस में बतलाये गये हैं। अव्वल ये कि रोज़े की हालत में बावजूद सई व कोशिश के तक़ाज़ाये बशरियत अगर कुछ इंसान कमज़ोरियों और कोताहियों का इरतेकाब हो गया हो तो उससे उसकी तलाफ़ी हो जाये। दूसरा ये कि नादिर और मुफ़्लिस लोग ख़ास एहतमाम करके इस मिल्ली त्यौहार की मसर्रतों (ख़ूशियों) में शरीक होने की इस्तेताअत नहीं रखते। इस सदक़े के ज़रिये से उनसे तआवुन करके उन्हें भी इस क़ाबिल बना दिया जाये कि वह ईद का ये इज़ाफ़ी ख़र्च इस तरह बरदाश्त कर लें और कर्ज़दार हूए बग़ैर ईद की मसर्रतों में शरीक होने के लिए कुछ न कुछ एहतमाम कर सकें।

बाब : 19 सदक़-ए-फ़ित्र कब दिया जाये?

﴿19﴾ باب مَتَى تُؤَدَّى

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ .

(1610) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सदक़-ए-फ़ित्र के मुताल्लिक हुक्म फ़रमाया था कि इसे लोगों के नमाज़े ईद की तरफ़ जाने से पहले पहले अदा कर दिया जाये। (नाफ़ेअ ने) कहा: हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) इसे ईद से एक दो दिन पहले ही अदा कर दिया करते थे।

(1610) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 986, बुख़ारी, हदीस: 1509.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस सदक़े को रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने हुक्म से जारी फ़रमाया था जो इसके वाजिब होने की दलील है जैसे कि दीगर अहादीस में (फ़र्ज़) का लफ़्ज़ आया है। **(2)** सदक़ ए फ़ित्र का हक़ ये है कि नमाज़े ईद के लिए निकलने से पहले पहले इसे अदा किया जाये।

बाब : 20 फ़ित्राने की मिक़दार

﴿20﴾ باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، - وَقَرَأَهُ عَلَى مَالِكٍ أَيْضًا - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(1611) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रमज़ान में सदक़ ए फ़ित्र फ़र्ज़ फ़रमाया, इस तरह कि हर मुसलमान आज़ाद, गुलाम, मर्द और औरत की तरफ़ से खजूर या जौ का एक साअ दिया जाये।

(1611) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 984, बुख़ारी, हदीस: 1504, मौता: 1/284.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन मसलमा की ये हदीस़ इमाम मालिक (रह.) से दो तरह से हासिल हुई है। एक बतौर तहदीस़ कि इमाम स़ाहब ने तलबा की जमाअ़त में बयान फ़रमाई या उन पर पढ़ी गई। और दूसरे, ख़ास़ अ़ब्दुल्लाह बिन मसलमा को पढ़कर सुनाई और इस दूसरी सूरत में (मिन रमज़ान) की स़राहत भी की। **(2)** (स़ाअ़) ग़ल्ला नापने का बर्तन होता है जिसमें चार 'मुद' होते हैं। और एक 'मुद' दरम्यानी हाथों वाले इन्सान के दोनों हाथ मिलाकर भरने की मिक़दार को कहते हैं और इस सिलसिले में मेअ़यार अहले मदीना ही का नाप है जैसे कि हदीस़ में है: 'यानी वज़न अहले मक्का का मौतबर है और केल (किसी चीज़ का भरकर माप) अहले मदीना का।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 3240) और ये गुज़र चुका है कि गन्दुम का एक स़ाअ़ कम व बेश ढाई किलो के बराबर होता है।

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا فَذَكَرَ بِمَعْنَى مَالِكٍ زَادَ وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ لَيْسَ فِيهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

(1612) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने स़दक़ ए फ़ित्र एक स़ाअ़ मुक़र्रर फ़रमाया। और पिछली रिवायते मालिक के हम मानी बयान किया। और मज़ीद कहा: छोटे और बड़े की तरफ़ से दिया जाये। और हुक्म दिया कि इसे लोगों के नमाज़ के लिए निकलने से पहले पहले अदा कर दिया जाये।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि अ़ब्दुल्लाह अलउमरी अ़न नाफ़ेअ़ की रिवायत में (अ़ला कुल्लि मुस्लिमीन) और सईद अल जुमही बवास्ता उ़बैदुल्लाह अ़न नाफ़ेअ़ की रिवायत में (मिनल मुस्लिमिन) के लफ़्ज़ बयान हुए हैं। मगर मशहूर ये है कि उ़बैदुल्लाह की रिवायत में (मिनलमुस्लिमीन) के लफ़्ज़ नहीं हैं।

(1612) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1503, मुस्लिम, हदीस़: 984.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَاهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ،

(1613) हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (﵁) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने स़दक़ ए फ़ित्र फ़र्ज़ फ़रमाया एक स़ाअ़ जौ या खजूर का जो हर छोटे बड़े, आज़ाद और

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ زَادَ مُوسَى وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَعَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي الْعُمَرِيَّ - فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ نَافِعٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى . أَيْضًا .

गुलाम पर वाजिब है। मूसा इब्ने इस्माईल ने 'मर्द और औरत' के लफ़्ज़ भी कहे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत में अय्यूब और अब्दुल्लाह अलउमरी भी नाफ़ेअ से (ज़कर औ उन्सा) 'मर्द और औरत' के अल्फ़ाज़ बयान करते हैं।

(1613) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अब्दुलबर तमहीद: 14/316.

حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّاسُ يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ . قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ - رضى الله عنه - وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعٍ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الأَشْيَاءِ

(1614) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में जौ, खजूर, बग़ैर छिलके के जौ या किशमिश में से एक एक साअ सदक़—ए—फ़ित्र अदा किया करते थे। जनाब नाफ़ेअ कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) ने कहा कि जब हज़रत उमर (ﷺ) का दौर आया और गन्दुम (गेहूँ) की कसरत हो गई तो उन्होंने उन चीज़ों के एक साअ के बजाये गन्दुम का आधा साअ मुक़र्रर कर दिया।

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2518.

मल्हूज़ : अल्लामा मुन्ज़िरी ने इस हदीस के रावी अब्दुल अज़ीज बिन अबी रव्वाद को ज़ईफ़ लिखा है, नीज़ हज़रत उमर (ﷺ) का ज़िक्र इस रिवायत में वहम है। सही ये है कि वह मुआविया (ﷺ) हैं। (अल्लामा अलबानी (रह.) ताहम सहाबा की एक जमाअत हज़रत अली, उस्मान, अबू हुरैरह, जाबिर, इब्ने अब्बास, इब्ने अज़्ज़ुबैर इनकी वालिदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र (ﷺ) से गन्दुम का आधा साअ देना साबित है। लेकिन इस इख़्तियार पर सहाबा (ﷺ) का इज्मा साबित नहीं बल्कि इख़्तिलाफ़ रहा है इसलिए इसे हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मंदरजाज़ेल दो अहादीस में हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) के अमल का ज़िक्र आ रहा है, लिहाज़ा सही और राजेह यही है कि एक साअ दिया जाये, गन्दूम (गेहूँ) हो या कुछ और।

(1615) जनाब नाफ़ेअ ने कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने बयान किया कि फिर लोग गन्दुम का आधा स़ाअ़ देने लगे। उन्होंने कहा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह खजूर दिया करते थे मगर एक साल अहले मदीना को खजूर की तंगी आ गई, तो उन्होंने जौ दिये।

तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़:1511, मुस्लिम, हदीस़:984

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَدَلَ النَّاسُ بَعْدُ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُعْطِي التَّمْرَ فَأَعْوَزَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ التَّمْرُ عَامًا فَأَعْطَى الشَّعِيرَ .

(1616) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) हममें मौजूद थे तो हम हर छोटे बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ़ से स़दक़—ए—फ़ित्र में तआ़म, पनीर, जौ, खजूर या किशमिश (में से किसी एक)का एक स़ाअ़ दिया करते थे। और हम ये इसी तरह देते रहे यहाँ तक कि हज़रत मुआ़विया (ﷺ) हज उ़मरे के लिए आये और बरसरे मिम्बर लोगों को ख़ुत्बा दिया। तमाम और बातों के उन्होंने लोगों से ये भी कहा: मैं समझता हूं कि शाम की गन्दुम के दो मुद (आधा स़ाअ़) खजूर के एक स़ाअ़ के बराबर है। चूनांचे लोगों ने उनकी बात ले ली। इस पर हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने कहा: मैं तो जब तक ज़िन्दा हूं एक स़ाअ़ ही देता रहूंगा।

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये रिवायत इब्ने उ़लय्या और अ़ब्दह वग़ैरह ने बसनद इब्ने इस्हाक़ अ़न अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह बिन उ़स्मान बिन हकीम बिन हिज़ाम अ़न अयाज़ अ़न अबी सईद,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ . فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَزَالُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَعَبْدَةُ

وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ عِيَاضٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكَرَ رَجُلٌ وَاحِدٌ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ . وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ .

इसके हम मानी रिवायत की है। और इसमें एक आदमी ने इब्ने उलय्या की रिवायत में (अव स़ाअम मिन हिन्ततिन) 'या एक स़ाअ गन्दुम का' ज़िक्र किया है, मगर ये महफ़ूज़ नहीं है।

(1616) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़: 985 व बुख़ारी, हदीस़: 1505.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जब स़हाबा किराम (ﷺ) की रायों में इख़्तिलाफ़ हो तो बिलाशुब्हा वही कौल (बात) और अ़मल हक़ और राजेह होगा जिस पर दौरे रिसालत में अ़मल होता रहा। स़दक़ ए फ़ित्र के मामले में कुछ स़हाबा किराम ने हज़रत मुआविया (ﷺ) की राय पर अ़मल करते हूए आधा स़ाअ़ गन्दुम देना शूरू कर दिया था मगर कुछ ने इसे क़बूल नहीं किया। तो उनकी राय हुज्जत न हूई। **(2)** लफ़्ज़ 'तआ़म' अगरचे आ़म है मगर कुछ उ़लमा इस तरफ़ गये हैं कि इसका इतलाक़ 'गन्दुम' पर बिलख़ुसूस होता है। (खत्ताबी इसलिए गन्दुम से स़दक़ ए फ़ित्र देना हो तो भी एक स़ाअ़ ही दिया जाये। **(3)** इस हदीस़ में ये दलील भी है कि नबी (ﷺ) ने मुख़्तलिफ़ क़ीमतों की हामिल मुख़्तलिफ़ अज्नास की तअ़य्युन (फिक्स) फ़रमाई और स़हाबा (ﷺ) भी यही अज्नास देते थे, कहीं भी क़ीमत अदा करने का इरशाद नहीं है, लिहाज़ा जिन्स की सूरत में अदायगी ज़्यादा अफ़ज़ल और राजेह है। तीनों अइम्मा इसी तरफ़ गये हैं। स़िर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) जवाज़े क़ीमत के क़ायल हैं। और इमाम बुख़ारी (रह.) ने भी (बाबुल अ़र्ज़ि फिज़्ज़कात) में यही स़ाबित किया है कि फ़र्ज़ ज़कात में बदल जायज़ है। और हज़रत मुआ़ज़ (ﷺ) ने अहले यमन से कहा था कि जौ और मकई की बजाये कपड़े पेश कर दो, ये तुम पर आसान है और ये मदीना में अस़्हाबे नबी (ﷺ) के लिए मुफ़ीदतर हैं। (स़ही बुख़ारी, किताबुज ज़कात, बाब: 33) अ़ल्लामा शौक़ानी (रह.) अस्सैलुल जर्रार में उज़्र की बिना पर क़ीमत की अदायगी को जायज़ बताते हैं (और मक़्स़द और फ़ायदा की नज़र से क़ीमत को नज़र अन्दाज़ भी नहीं किया जा सकता) राजेह बहरहाल जिन्स ही है। (मिश्कात, हदीस़: 1833)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرُ الْحِنْطَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ ذَكَرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ،

(1617) मुसद्दद बवास्ता इस्माईल की रिवायत में 'गन्दुम' का ज़िक्र नहीं है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुआविया बिन हिशाम ने स़ौरी से मरवी इस हदीस़ में अबू सईद से 'गन्दुम का आधा स़ाअ' ज़िक्र किया है

मगर ये मुआविया बिन हिशाम का या उनसे रिवायत करने वालों में से किसी का वहम है।

(1617) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

(1618) जनाब अयाज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से सुना, कहते थे कि मैं तो हमेशा एक स़ाअ ही देता रहूंगा। हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में खजूर, जौ, पनीर, किशमिश में से एक स़ाअ ही दिया करते थे। ये रिवायत यहया की है। सुफ़ियान की रिवायत में (स़ाअम मिन दक़ीक़) 'एक स़ाअ आटे का' ज़िक्र भी है।

हामिद ने कहाः उलाम–ए–हदीस़ ने इस इज़ाफ़े पर इन्कार किया तो सुफ़ियान ने इसे बयान करना छोड़ दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि यह इज़ाफ़ा इब्ने उयय्ना का वहम है।

(1618) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

बाब : 21
उन हज़रात की दलील जो गन्दुम का आधा स़ाअ बयान करते हैं

(1619) जनाब अब्दुल्लाह बिन सअलबा या स़अलबा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी सुऐर अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'हर दो

" نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ " . وَهُوَ وَهَمٌ مِنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ هِشَامٍ أَوْ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْهُ .

حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، سَمِعَ عِيَاضًا، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ لاَ أُخْرِجُ أَبَدًا إِلاَّ صَاعًا إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعَ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ هَذَا حَدِيثُ يَحْيَى زَادَ سُفْيَانُ أَوْ صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ قَالَ حَامِدٌ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ فَتَرَكَهُ سُفْيَانُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

﴿21﴾
بَابُ مَنْ رَوَى نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، - قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ ثَعْلَبَةَ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ، - عَنْ أَبِيهِ، - وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَوْ ثَعْلَبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ " . زَادَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ .

अफ़राद छोटे बड़े, आज़ाद गुलाम, मर्द और औरत की तरफ़ से एक स़ाअ गन्दुम है। चूनांचे जो तुम में से ग़नी है तो अल्लाह तआला उसे पाक कर देगा और जो फ़क़ीर है तो अल्लाह तआला उसे इससे ज़्यादा अता फ़रमायेगा जो उसने दिया।'

सुलेमान ने अपनी रिवायत में 'ग़नी और फ़क़ीर' का इज़ाफ़ा किया है। (यूँ कहा: आज़ाद गुलाम, मर्द व औरत 'ग़नी और फ़क़ीर की तरफ़ से ...)

(1619) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/432.

फ़ायदा : ज़कातुल माल की तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़कातुल फ़ित्र बुनियादी ग़िज़ाई अज्नास से एक स़ाअ के बराबर अदा करने का हुक्म फ़रमाया। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) वज़ाहत से बयान फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में आपके हुक्म पर हम खाने की चीज़ों में से एक स़ाअ ज़कातुल फ़ित्र अदा करते थे। और हमारे खाने की अज्नास जौ, किशमिश, पनीर और खजूर थी। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1510) यानी उस दौर में गेहूँ आम न थी। बाद में जब गन्दुम आम हो गई तो ज़कातुल फ़ित्र इसमें से अदा की जाने लगी। हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) की रिवायत से पता चलता है कि लोगों ने क़ीमत को बुनियाद बनाकर गन्दुम से एक स़ाअ या चार मुद की बजाये दो मुद या निस़्फ़ स़ाअ अदा करना शूरू कर दिया। (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1507) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) ये भी वज़ाहत फ़रमाते हैं कि गन्दुम में आधा स़ाअ देने का तरीक़ा लोगों में उस वक़्त शूरू हूआ जब 'हज़रत मुआविया आये और समराअ यानी शामी गन्दुम आई तो हज़रत मुआविया ने फ़रमाया की मेरी राय में इस गन्दुम का एक मुद (दूसरी ग़िज़ाई अज्नास के) दो मुदों के बराबर है।' (स़ही बुख़ारी, हदीस़: 1808) अबू दाऊद में हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) की रिवायत (हदीस़ नम्बर 1614) में ये कहा गया है कि गन्दुम के आधे स़ाअ को हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने बाक़ी चीज़ों के निस़्फ़ स़ाअ के बराबर क़रार दिया था लेकिन ये रिवायत कुछ उलमाए जरह व तादील के नज़दीक तो सिरे से ज़ईफ़ है। (ज़ईफ़ अबी दाऊद अलबानी, 'अज़्ज़कात' बाब कम यूअद्दा फ़ी स़दक़तिल फ़ित्र) वरना इस पर इत्तेफ़ाक़ है कि इस हदीस़ में हज़रत उमर (رضي الله عنه) का नाम इमाम मुस्लिम ने इस हदीस़ के रावी अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी रवाद का वहम क़रार दिया है। (फ़तहुलबारी, ज़कात बाब स़दक़तुल फ़ित्र स़ाअम मिन तमर)

☞ निस़्फ़ स़ाअ की राय हज़रत अबू हुरैरह, जाबिर, इब्ने अब्बास, इब्ने ज़ुबैर और इनकी वालिदा माजिदा

अस्मा बिन्ते अबीबक्र के अलावा हज़रत उस्मान और हज़रत अली (ﷺ) से मनकूल है। लेकिन इस पर सहाबा का इज्मा नहीं क्योंकि कुछ दीगर सहाबा जैसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(ﷺ) इस राय के मुख़ालिफ़ हैं। हज़रत अली (ﷺ) से जिस तरह ये मरवी है कि आपने क़ीमत का लिहाज़ करते हूए एक वक़्त में निस्फ़ साअ की इजाज़त दी वहां ये भी मरवी है कि आपने बाद में गन्दुम की अरज़ानी देखकर दोबारा पूरा साअ अदा करने का हुक्म दिया। (सुनन अबी दाऊद, ज़कात, हदीस: 1622)

- हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.) सहाबा का ये इख़्तिलाफ़ बयान करने के बाद ये तब्सरह करते हैं कि हर ज़माने में अगर क़ीमत को बुनियाद बनाकर ज़कातुल फ़ित्र अदायगी का सिलसिला शूरू हो गया तो इसकी मिक़्दार कभी एक नहीं रह सकेगी बल्कि हो सकता है कि (क़ीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से) किसी वक़्त ख़ूद गन्दुम के बहुत से साअ मुक़र्रर करने पड़े (फ़तहुलबारी, ज़कात, बाब साअम मिन ज़बीब) और अब ये वक़्त आ गया है कि अगर किशमिश और खजूर की क़ीमत को बुनियाद बनायें तो वाक़ई गन्दुम अब मनों के हिसाब से देनी पड़ेगी। इसलिए क़ीमतों से क़तअे नज़र हर इलाक़े की बुनियादी ग़िज़ाई जिन्स से एक साअ ज़कातुल फ़ित्र का तरीक़ा ही क़ाबिले अमल है जो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुद, अपने दौर की मुख़्तलिफ़ बुनियादी अज्नास के हवाले से मुक़र्रर फ़रमाया। आपने जिन चीज़ों का नाम लिया वह सौ फ़ीसद हम क़ीमत न थीं, लेकिन आपने क़ीमतों के फ़र्क़ को एक तरफ़ रखते हूए रायज चीज़ का नाम ले कर हर एक में साअ की मिक़दार मुतअय्यन (फ़िक्स) फ़रमाई। दूसरे लफ़्ज़ों में रिसालत मा'ब (ﷺ) ने बुनियादी ग़िज़ाई अज्नास की क़ीमतों को बुनियाद बनाने की बजाये मिक़दार को बुनियाद बनाया और तमाम अज्नास में यकसां मिक़्दार मुक़र्रर फ़रमाई।
- इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस बाब में रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब रिवायात जमा कर दी हैं जो आधी साअ का नुक़्ता–ए–नज़र रखने वाले दलील के तौर पर पेश करते हैं और उनकी पूरी सनदें बयान कर दी हैं जिनसे साबित होता है कि ये सब रिवायतें ज़ईफ़ हैं। और आख़री रिवायत में तो हज़रत अली (ﷺ) से क़ीमतों के हवाले से गन्दुम की मिक़्दार (मात्रा) में तब्दीली का भी ज़िक्र किया है।
- इमाम हाकिम (रह.) ने इस हदीस को सही अस सनद कहा है। (अलमुस्तरदक, अज़्ज़कात, हदीस: 1424) इसके मुतअद्दिद (कई) शवाहिद मौजूद हैं। जैसे इमाम हाकिम सहल बिन अबी हस्मा(ﷺ) ही से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (ﷺ) ने (भी) उनको खजूर के फल का तख़्मीना लगाने के लिए भेजा और फ़रमाया: जब तुम किसी जमीन में पहुँचो तो तख़्मीना लगाओ और जितनी वह खा लें उतनी मिक़दार छोड़ दो। इमाम हाकिम ने इस शाहिद के बारे में कहा है कि इसकी सहब पर सबका इत्तेफ़ाक़ है। (अल मुस्तरदक, ज़कात, हदीस: 1425) मरवान बिन हकम ने भी इनको भेजा था।
- ये काश्तकारों के लिए इस्लाम की रहमत व शफ़्क़त का बेहतरीन मुज़ाहिरा है कि तख़्मीने के बाद पैदावार तैयार हालत में घर ले जाने से पहले जो कमी आ सकती है, चाहे लोगों के खाने ही से आये,

उसको तख़्मीने से निकाल कर ज़कात दी जाये। आजकल खेतियाँ मुख़्तलिफ़ आफ़ाते समावी से ज़ाया हो जाती हैं या उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है, बीमारियाँ बकसरत फ़सलों और बाग़ों पर हमलावर होती हैं, लिहाज़ा किसान अपनी फ़सल को इन बीमारियों से बचाने के लिए (बहुत ज़्यादा अख़्राजात) का भार उठाता है। नतीजतन वह अक्सर मक़रूज़ हो जाता है और कुछ औक़ात फ़सल की तबाही इस पैमाने पर होती है कि उसके बुनियादी अख़्राजात उसके ज़िम्मे बतौर क़र्ज़ वाजिब हो जाते हैं।

- ग़ालिबन इसलिए मुहद्दिस अल हाफ़िज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी (रह.) ने ऐसे तमाम अख़्राजात निकाल कर बक़िया माल की ज़कात देने का फ़तवा दिया है। (फ़तावा अहले हदीस, हाफ़िज़ मुहम्मद अब्दुल्लाह रोपड़ी, जिल्द: दोम, बाब: ज़कात)

- सहाबा किराम (ﷺ) के दौर में इस बात पर कोई इख़्तिलाफ़ मरवी नहीं कि अगर साहिबे माल पर कोई क़र्ज़ है तो उसे निकाल कर बाक़ी माल पर ज़कात होगी। बाद के दौर में रबीआ, हम्माद बिन अबी सुलेमान और शाफ़ेई (रह.) ने अपने नये क़ौल के मुताबिक़ ये राय दी कि क़र्ज़ होने या न होने का एतबार नहीं होगा। सारी मौजूदा पैदावार पर ज़कात होगी। लेकिन उस दौर की भी अक्सरियत जैसे अता, सुलेमान बिन यसार, मैमून बिन मेहरान, हसन, नख़ई, लैस, सौरी और इस्हाक़ (रह.) का फ़तवा ये है कि अमवाले ज़ाहिर हों या बातिना क़र्ज़ निकाल कर बाक़ी माल अगर निसाब को पहुँच जाये तो उस पर ज़कात देनी होगी।

- इमाम मालिक, औज़ाई, अबू सौर और फुक़हा–ए–इराक़ (रह.) अमवाले बातिना में क़र्ज़ निकाल कर बाक़ी माल की ज़कात के क़ायल हैं लेकिन अमवाले ज़ाहिरा में नहीं, हालांकि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में अमवाले ज़ाहिरा ख़ुसूसन खेती पर जो भी ख़र्च होता था उसका ताल्लुक़ पानी से था और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़र्च का एतबार करते हूए उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की मिक़्दार आधी कर दी। अब रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला ज्यों का त्यों क़ायम रहेगा। (इब्ने क़ुदामा, अलमुग़नी, किताबुज ज़कात, मसला: अद्दैनु यम्नउ ज़ कातल अम्वालिल बातिना बिशर्तिही)

- ख़ुलफ़ा–ए–राशिदीन और सहाबा (ﷺ) में ऐसे किसी इख़्तिलाफ़ का सबूत नहीं मिलता बल्कि इस बात पर इत्तेफ़ाक़े राय पाया जाता है कि ज़कात की अदायगी क़र्ज़ की मालियत अलग करने के बाद बाक़ी माल पर होगी। (अलमुग़नी, बाब ज़कातुद्दैन वस्सदक़ा) इस सिलसिले में इब्ने क़ुदामा ने तो अस्हाबे मालिक के हवाले से ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान नक़्ल किया है कि 'जब किसी आदमी के पास हजार दिरहम हों और उस पर हज़ार दिरहम ही क़र्ज़ हो तो उस पर कोई ज़कात नहीं' उन्होंने इसको नस क़रार दिया है लेकिन उन्होंने इस हदीस की बाक़ायदा सनद नक़्ल नहीं की। अलबत्ता इमाम बैहक़ी (रह.) ने सही तरीन सनद से हज़रत उस्मान (ﷺ) के हवाले से ये रिवायत बयान की है कि हज़रत सायब बिन यज़ीद (ﷺ) कहते हैं, उन्होंने हज़रत उस्मान (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बर

पर ख़ुत्बा देते हूए सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'ये तुम्हारा ज़कात का महीना है। तुम से जिस पर कोई क़र्ज़ है वह अदा कर दे ताकि तुम्हारे माल ख़ालिस़ (क़र्ज़ से पाक) हो जायें और उनसे ज़कात अदा करो।'

- इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसी सनद से ये रिवायत 'रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बरे पर ख़ुत्बा देते हूए हज़रत उ़स्मान (ؓ) से सुना' तक अपनी स़ही में बयान की है। (स़ही बुख़ारी, फ़तहुलबारी, अलएतस़ाम बिस्सुन्नह, बाब मा जकरन्नबी स. व हज़्ज़ा अला इत्तिफ़ाक़े अहलिल इल्म अस्सुननुल कुब्रा लिल बैहक़ी अज़्ज़क़ात बाबुद्दैन मअ़स्स़दका)

- ये ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उ़स्मान (ؓ) का फ़रमान है जो बरसरे मिम्बर रसूल (ﷺ) दिया गया और किसी एक स़हाबी ने भी उनसे इख़्तिलाफ़ न किया। इब्ने कुदामा (रह.) इसको बजातौर पर स़हाब-ए-किराम (ؓ) का इत्तेफ़ाक़े राय क़रार देते हैं। ये हर तरह के क़र्ज़ को निकाल कर बाक़ी ख़ालिस़ माल से ज़कात के वजूब पर क़तई दलील है। बिलख़ुसूस़ इसलिए कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने अपनी और अपने ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन (ؓ) की सुन्नत को लाज़िम क़रार दिया है। कुछ के अ़हद के फ़ुक़हा और उ़लमा के फ़तावा अगर इससे मुख़्तलिफ़ हों तो वह क़ाबिले तवज्जा नहीं रहते। जबकि उनकी अक्स़रियत भी इसकी क़ायल है।

- स़हाब-ए-किराम (ؓ) में अगर कोई इख़्तिलाफ़ पाया जाता है तो महज़ ये कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ؓ) का फ़रमान है कि कोई इन्सान अगर क़र्ज़ लेकर अहल व अ़याल पर भी ख़र्च करे और खेती पर भी तो सारा क़र्ज़ निकाल कर बाक़ी माल पर ज़कात होगी। जबकि अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ؓ) का इज्तेहाद ये है कि ज़कात से पहले सिर्फ़ इतना क़र्ज़ निकाला जायेगा जो उसने खेती पर स़र्फ़ किया है। (अलमुग़नी: अद्दैनु यमनउ ज़कातल अमवाल ...)

- ये दोनों इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो क़र्ज़ खेती पर स़र्फ़ हुआ वह ज़कात से अलग होगा। किसी और स़हाबी से भी इस सिलसिले में कोई इख़्तिलाफ़ मनक़ूल नहीं। स़हाबा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बराहेरास्त दीन हासिल किया और अहकामे शरीअ़त के उ़मूम से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। उनके इज्तेहाद के मुक़ाबले में किसी दूसरे के इज्तेहाद की कोई हैस़ियत नहीं, ख़ुसूस़न, ऐसे इज्तेहाद की जिससे खेती बाड़ी करने वाले मुसलमानों की मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता है।

- कुछ उ़लमा ने क़र्ज़ की छूट के हवाले से मज़ीद दलाइल देते हूए कहा है कि ज़कात ली ही मालदारों से जाती है और फिर फ़क़ीरों को दी जाती है, तो एक ऐसा आदमी जो क़र्ज़ के बोझ के नीचे दबा हो और सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि उसकी पैदावार हूई है चाहे वह उसके क़र्ज़ से कम हो उससे ज़कात ले ली जाये, मस़लिहत पर ज़कात को उलट देने के बराबर है। (मुफ़स्स़ल बहस़ अलमुग़नी इब्ने क़ुदामा, बाब ज़कातुद्दैन, वस्सदक़त में देखी जा सकती है)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - هُوَ ابْنُ وَائِلٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بَكْرٍ الْكُوفِيِّ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هُوَ بَكْرُ بْنُ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ صُعَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعِ تَمْرٍ أَوْ صَاعِ شَعِيرٍ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ زَادَ عَلِيٌّ فِي حَدِيثِهِ أَوْ صَاعٍ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ - ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ

(1620) जनाब अ़ब्दुल्लाह बिन स़अलबा बिन अबी सुऐर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे के लिए खड़े हूए तो आपने स़दक़ ए फ़ित्र का हुक्म इरशाद फ़रमाया कि हर फ़र्द की तरफ़ से एक स़ाअ खजूर या एक स़ाअ जौ दिया जाये। अ़ली की रिवायत में ये इज़ाफ़ा है कि या दो अफ़राद की तरफ़ से एक स़ाअ गन्दुम का दिया जाये ... इस हिस्से से बाद की रिवायत में (अ़ली बिन हसन और मुहम्मद बिन यहया नीशापूरी) दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि छोटे, बड़े, आज़ाद और ग़ुलाम की तरफ़ से दिया जाये।

(1620) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2410.

फ़ायदा : सुनन दारक़ुतनी में है 'रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हूए तो आपने स़दक़ ए फ़ित्र का हुक्म दिया कि हर छोटे बड़े, आज़ाद ग़ुलाम की तरफ़ से खजूर या जौ का एक एक स़ाअ दिया जाये या एक स़ाअ गन्दुम का।' (किताबुज ज़कात अलफ़ित्र: 2/147, हदीस़: 2090).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ قَالَ ابْنُ صَالِحٍ قَالَ الْعَدَوِيُّ وَإِنَّمَا هُوَ الْعُذْرِيُّ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ

(1621) इब्ने जुरैज का बयान है कि इब्ने शिहाब ने (रावी का नाम) 'अ़ब्दुल्लाह बिन स़अलबा' ही रिवायत किया है। और अहमद बिन स़ालेह ने इसको (अलअ़दवी) कहा। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि वह दरहक़ीक़त (अलअ़ुज़ुरी) है। (रिवायत ये है कि) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र से दो

بِيَوْمَيْنِ بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْرِئِ .

दिन पहले लोगों को ख़ुत्बा दिया.. और (अ़ब्दुल्लाह बिन यज़ीद मक्की) अलमुक़री की (पिछली) रिवायत की मानिन्द बयान किया।

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक हदीस: 5785

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حُمَيْدٌ أَخْبَرَنَا عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ خَطَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي آخِرِ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا فَقَالَ مَنْ هَا هُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ - رضى الله عنه - رَأَى رُخْصَ السِّعْرِ قَالَ قَدْ أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَلَوْ جَعَلْتُمُوهُ صَاعًا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ. قَالَ حُمَيْدٌ وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَى صَدَقَةَ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ صَامَ

(1622) जनाब हसन बसरी बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने रमज़ान के आख़िर में बसरा में मिम्बर पर ख़ुत्बा दिया और कहा: अपने रोज़ों का सदक़ा अदा करो। तो गोया लोगों को उनकी बात समझ में न आई, तो उन्होंने कहा: अहले मदीना में से यहां कौन है? उठो और अपने भाईयों को समझाओ, ये नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये सदक़ा फ़र्ज़ फ़रमाया है कि हर आज़ाद, गुलाम, मर्द औरत, छोटे और बड़े की तरफ़ से खजूर या जौ से एक साअ़ दिया जाये, या गन्दुम का आधा साअ़ ... और जब हज़रत अ़ली (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो उन्होंने अरज़ानी देखी, तो फ़रमाया: अल्लाह तआ़ला ने तुम पर वुसअ़त फ़रमाई है सो अगर तुम हर चीज़ से एक एक साअ़ ही दिया करो (तो बेहतर और अफ़ज़ल है)

हुमैद बयान करते हैं कि जनाब हसन (रह.) रमज़ान का सदक़ा उसी शख़्स पर लाज़िम समझते थे जिसने रोज़े रखे हों।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1581

फ़ायदा : मज़कूरह मुख़्तलिफ़ आसार 'गन्दुम' की तख़सीस को साबित करते हैं, मगर हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) की सही रिवायत में सराहत है कि ये सब नबी (ﷺ) के बाद ही हूआ है। (नैलुल अवतार: 4/206) और उ़लाम–ए–अहले हदीस की तरजीह यही है कि गन्दुम का भी एक ही साअ़ देना चाहिए।

बाब : 22
ज़कात जल्दी देना

﴿22﴾ باب فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

(1623) सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(ﷺ) को सदक़ात वसूल करने के लिए भेजा तो इब्ने जमील, ख़ालिद बिन वलीद और अब्बास ने ज़कात न दी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इब्ने जमील, तो इस बात का बदला लेता है कि वह फ़क़ीर था, तो अल्लाह ने उसको ग़नी कर दिया है। रहा ख़ालिद बिन वलीद, तो तुम उस पर ज़ुल्म करते हो। उसने तो अपनी ज़िरहें और दीगर सामान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह में दे दिया है। और रहे अब्बास, तो वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के चचा हैं, उनकी ज़कात मुझ पर है बल्कि इस क़द्र और भी।' फिर फ़रमाया: 'क्या तुझे मालूम नहीं कि इन्सान का चचा उसके बाप की तरह होता है।'

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَمَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا فَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتُدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهِيَ عَلَىَّ وَمِثْلُهَا".ثُمَّ قَالَ " أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الأَبِ " . أَوْ " صِنْوُ أَبِيهِ" .

(1623) तख़रीज : मुस्लिम, बुख़ारी, हदीस: 1468, तिर्मिज़ी, हदीस: 3761.

तौज़ीह : (1) इब्ने अलक़स्सार मालकी और कुछ दीगर उलमा से क़ाज़ी अयाज़ ने नक़ल किया है कि पिछला वाक़िआ किसी नफ़्ली सदक़ा से मुताल्लिक है, वरना सहाब ए किराम (ﷺ) से मुमकिन नहीं कि वह इन्कार करते, मगर सहीहैन का सियाक़ फ़र्ज़ ज़कात के मुताल्लिक ही है। इब्ने जमील पर सख़्त धमकी है। हज़रत ख़ालिद पर ज़कात लाज़िम ही न थी क्योंकि वह अपना माल अल्लाह की राह में दे चुके थे। और हज़रत अब्बास से नबी (ﷺ) दो साल की ज़कात पेशगी ले चुके थे, जैसा कि अबू दाऊद तयालिसी, मुसनद बज़्ज़ार और सुनन दारकुतनी की रिवायात से साबित होता है। और इसमें यही इस्तेदलाल है कि वक़्त से पहले ज़कात निकाली जा सकती है। (नैलुल अवतार: 4/169) इब्ने जमील के वाक़िआ से ये

भी इस्तेदलाल है कि अगर कोई ज़कात से मानेअ़ हो मगर मुसल्लह अन्दाज़ से मुक़ाबला न करे तो उससे ज़कात जबरन ली जायेगी, उससे बढ़कर उस पर और कोई एताब नहीं, बख़िलाफ़ इस कैफ़ियत के जो ख़िलाफ़ते अबूबक्र में ज़कात के रोकने वालों ने इख़्तियार की थी कि मुसल्लह (हथियार बंद) होकर हुकूमते इस्लामिया के मुक़ाबले में आ गये थे तो उनसे क़िताल किया गया। (2) चचा का अदब व एहतराम वैसे ही करना चाहिए जैसे कि बाप का होता है क्योंकि वह बाप का भाई है।

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حُجَيَّةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ مَرَّةً فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ .

(1624) हज़रत अ़ब्बास (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि क्या सदक़ा (ज़कात) लाज़िम होने से पहले उसे अदा किया जा सकता है? तो आपने उन्हें इसकी रूख़सत दी। (रावी ने) एक बार यूँ रिवायत किया: (फ़उज़िना लहू फ़ी ज़ालिका)

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस हदीस़ को हुशैम ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान से, उन्होंने हकम से, उन्होंने हसन बिन मुस्लिम से, उन्होंने नबी (ﷺ) से रिवायत किया है ... और हुशैम की रिवायत ज़्यादा सही है।

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस़: 678, इब्ने माजा, हदीस़: 1795, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2331.

﴾23﴿ بَابٌ فِي الزَّكَاةِ هَلْ تُحْمَلُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ

बाब : 23 क्या एक शहर की ज़कात दूसरे शहर में मुन्तक़िल की जा सकती है?

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَطَاءٍ، مَوْلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ زِيَادًا، أَوْ بَعْضَ الأُمَرَاءِ بَعَثَ

(1625) इब्राहीम बिन अ़ता के वालिद से रिवायत है कि ज़ियाद ने या किसी और अमीर ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (ﷺ) को सदक़ात (ज़कात) वसूल करने के लिए

عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ لِعِمْرَانَ أَيْنَ الْمَالُ قَالَ وَلِلْمَالِ أَرْسَلْتَنِي أَخَذْنَاهَا مِنْ حَيْثُ كُنَّا نَأْخُذُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَوَضَعْنَاهَا حَيْثُ كُنَّا نَضَعُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

मुक़र्रर किया। जब वह वापस आये तो अमीर ने हज़रत इमरान (ﷺ) से पूछा: माल कहां है? उन्होंने जवाब दिया: क्या आपने मुझे माल (जमा करने) के लिए भेजा था? हमने ज़कात वसूल की जहां से रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लिया करते थे और वहीं लगा दी जहां रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में लगाया करते थे। (इलाके के मालदारों से लेकर वहां के फ़ुक़रा और मसाकीन में तक़सीम कर दी)

(1625) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 1811.

फ़ायदा : असल बुनियादी क़ायदा ज़कात के बारे में यही है कि जिस शहर से ली जाये वहीं के हाजतमंदों में तक़्सीम कर दी जाये। हाँ अगर दूसरे शहर में अगर ज़्यादा ज़रूरतमंद हों तो उसे मुन्तक़िल करना जायज़ है जैसे कि दौरे नबूवत में अतराफ़ व अकनाफ़ से ज़कात जमा होती और मर्कज़े मदीना में लाई जाती और अहले मदीना को भी दी जाती थी।

﴾24﴿ باب مَنْ يُعْطَى مِنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِّ الْغِنَى

बाब : 24
सदक़ा किसे दिया जाये? और ग़नी होने की हद किया है?

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ - أَوْ خُدُوشٌ - أَوْ كُدُوحٌ - فِي وَجْهِهِ " . فَقِيلَ

(1626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माँगे, हालांकि उसके पास बक़द्र किफ़ायत मौजूद हो, तो क़यामत के रोज़ वह आयेगा और उसका चेहरा ज़ख़्मी होगा या उस पर ख़राशें होंगी या नोचा हूआ होगा।' कहा गया: ऐ अल्लाह के रसूल! ग़नी होने की क्या मिक़्दार (मात्रा) है? आपने फ़रमाया: 'पचास दिरहम या इस क़ीमत का

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْغِنَى قَالَ " خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ " . قَالَ يَحْيَى فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لاَ يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ سُفْيَانُ فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

सोना' यहया ने कहा: अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने सुफ़ियान से कहा: मुझे तो ऐसे याद है कि शोबा, हकीम बिन जुबैर से रिवायत नहीं करता है, तो सुफ़ियान ने जवाब दिया कि हमें ये रिवायत ज़ुबैद ने मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से बयान की है।

(1626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 1840, तिर्मिज़ी, हदीस: 650.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (ख़ुमूश और खुदूश) के मानी हैं नाख़ूनों से या किसी लोहे वग़ैरह से चेहरा छिलना और ज़ख़्मी कर लेना। (कुदूह) का मफ़हूम है वह ज़ख़्म और आसार जो छिलने पर नुमायाँ हों और दाँतों से काटने को भी (कुदूह) कहते हैं। **(2)** शरई हक़ के बग़ैर सवाल करना इतना बड़ा ऐब है कि इन्सान मैदाने हशर में तमाम मख़्लूक़ के सामने ज़लील व रूस्वा होकर हाज़िर होगा। **(3)** एक दिरहम मौजूदा वज़न के ऐतबार से 2975 या 356 गिराम चाँदी के मसावी होता है। इस ऐतबार से पचास दिरहम तक़रीबन 13 तोला चाँदी के बराबर होंगे। इसकी मौजूदा क़ीमत हर वक़्त मालूम की जा सकती है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي، بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَقَالَ لِي أَهْلِي اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ فَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ أَجِدُ

(1627) बनू असद के एक शख़्स से मरवी है, उसने कहा: मैं और मेरे घर वालों ने बक़ीअ अलग़रक़द (मौजूदा क़ब्रिस्ताने मदीना) के पास पड़ाव किया, तो मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जाओ और आपसे कुछ माँग लाओ कि उसे हम खा सकें, और फिर वह अपनी ज़रूरियात गिनवाने लगे। चूनांचे मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ, मैंने आपके यहां एक शख़्स को पाया जो आपसे कुछ माँग रहा था और आप फ़रमा रहे थे: 'मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो तुम्हें दूं।' फिर वह आदमी पीठ फेर कर चला गया

مَا أُعْطِيكَ " . فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ وَهُوَ يَقُولُ لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَغْضَبُ عَلَىَّ أَنْ لاَ أَجِدَ مَا أُعْطِيهِ مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا " . قَالَ الأَسَدِيُّ فَقُلْتُ لَلَقِحَةٌ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا . قَالَ فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ فَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ شَعِيرٌ أَوْ زَبِيبٌ فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ - أَوْ كَمَا قَالَ - حَتَّى أَغْنَانَا اللَّهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ كَمَا قَالَ مَالِكٌ .

और वह नाराज़ था और कह रहा था: क़सम मेरी उमर की! आप जिसे चाहते हैं दे देते हैं तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये इसलिए मुझ पर ग़ुस्से हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं उसे दूं? तुम में से जब कोई सवाल करता है, हालांकि उसके पास चालीस दिरहम या उसके बराबर कुछ हो तो उसने चिमट कर (बेजा) माँगा है।' उस असदी शख़्स ने बयान किया: मैंने कहा: हमारी ऊँटनी तो एक औक़िया से बहुत बेहतर है ... और एक औक़िया चालीस दिरहम का होता है ... वह कहता है: चूनांचे मैं लौट आया और आपसे कुछ न माँगा। इसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास जौ और किशमिश आ गई तो आपने इसमें से हमें भी इनायत फ़रमाया ... या इसी तरह से कहा ... यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने हमें ग़नी कर दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सौरी ने ऐसे ही रिवायत किया है जैसे कि मालिक ने कहा है।

(1627) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2597: 2/999.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम अबू उबैद क़ासिम बिन सलाम इस हदीस की रोशनी में ग़नी और फ़क़ीर में फ़र्क़ करते हैं कि जिसके पास चालीस दिरहम या उसके बराबर माल मौजूद हो वह फ़क़ीर नहीं है और उसे सदक़ा देना जायज़ नहीं। बिलाशुब्हा तक़वा का आला मैयार यही है मगर अहवाल व ज़ुरूफ़ के पेशे नज़र इस मिक़्दार में कमी बेशी हो सकती है। जैसे क़ुर्आन करीम ने क़िस्स–ए–मूसा व ख़िज़्र में कश्ती वालों को 'मसाकीन' से तअबीर फ़रमाया है (सूरह कहफ़) लिहाज़ा जिस आदमी की आमदनी उसके ज़रूरी अख़राजात का साथ न दे रही हो, उसे अल्लाह से डरते हुए ख़ुद ही सोचना चाहिए कि वाक़ई वह माँगने का हक़ रखता है या नहीं। **(2)** ये वाक़िआ दलील है कि बनू असद का ये

शख़्स फ़ित्री सलामती के साथ साथ बरकाते ईमान से बहरावर था और सोहबते रसूल (ﷺ) ने उसका मज़ीद तज़किया कर दिया था कि बावजूद सख़्त हाजतमंद होने के नबी (ﷺ) के चंद जुम्ले सुनकर मोहतात हो गया और सवाल न किया। बिलाशुब्हा इन्हीं फ़ज़ाइल की बिना पर ये हज़रात सोहबते रसूल के लायक़ थे और हमारे सल्फ़ सालेहीन कहलाते हैं जिनकी कुर्आन मजीद ने जाबजा मदह (तारीफ) की है। (3) उम्र और ज़िन्दगी की क़सम खाना जायज़ नहीं। वह शख़्स, जिसने ये क़सम खाई थी, नया नया मुसलमान हूआ था और तालीमाते इस्लाम से अच्छी तरह वाक़िफ़ न था।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ " . فَقُلْتُ نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ هِيَ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ . قَالَ هِشَامٌ خَيْرٌ مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَرَجَعْتُ فَلَمْ أَسْأَلْهُ شَيْئًا زَادَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَكَانَتِ الأُوقِيَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

(1628) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माँगे, हालांकि उसके पास एक ओक़िया (चालीस दिरहम) के मसावी माल मौजूद हो तो उसका सवाल इल्हाफ़ है।' (बेजा इसरार है) मैंने कहा: मेरी याक़ूता ऊँटनी एक ओक़िया से बहुत बेहतर है। हिशाम की रिवायत में है: चालीस दिरहम से बहुत बेहतर है। चूनांचे मैं लौट आया और आपसे कुछ न माँगा। हिशाम की रिवायत में इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में एक ओक़िया चालीस दिरहम का होता था।

(1628) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2596, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2447, इब्ने हिब्बान, हदीस: 846.

फ़ायदा : (इल्हाफ़) माँगने की उस कैफ़ियत को कहते हैं जब माँगने वाला बेजा इसरार करे (गले पड़ जाये) और चिमट कर माँगे। बावक़ार फ़क़ीरों की पहचान कुर्आन मजीद ने ये बताई है कि 'बेख़बर लोग उनको ग़नी समझते हैं' आप उनको उनकी अलामात से पहचानते हैं ये लोगों से लिपटकर (इसरार से) सवाल नहीं करते।' (अलबक़र: 273)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ

(1629) हज़रत सहल इब्ने हन्ज़लिया (رضي الله عنه) बयान करते कि उयय्ना बिन हिस्न और अक़रअ बिन हाबिस रसूलुल्लाह (ﷺ) की

رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ ابْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ، قَالَ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَالأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَسَأَلاَهُ فَأَمَرَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ وَأَمَرَ مُعَاوِيَةَ فَكَتَبَ لَهُمَا بِمَا سَأَلاَ فَأَمَّا الأَقْرَعُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ فَلَفَّهُ فِي عِمَامَتِهِ وَانْطَلَقَ وَأَمَّا عُيَيْنَةُ فَأَخَذَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَكَانَهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَرَانِي حَامِلاً إِلَى قَوْمِي كِتَابًا لاَ أَدْرِي مَا فِيهِ كَصَحِيفَةِ الْمُتَلَمِّسِ . فَأَخْبَرَ مُعَاوِيَةُ بِقَوْلِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ " . وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَمَا الْغِنَى الَّذِي لاَ تَنْبَغِي مَعَهُ الْمَسْأَلَةُ قَالَ " قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ " . وَقَالَ النُّفَيْلِيُّ

ख़िदमत में आये और आपसे सवाल किया। तो जो कुछ उन्होंने माँगा, आपने उन्हें दे देने का हुक्म दिया और हज़रत मुआविया (ﷺ) से फ़रमाया कि उन्हें इसकी एक तहरीर दे दो, तो हज़रत मुआविया(ﷺ) ने उन दोनों को, जो उन्होंने माँगा, लिख दिया। चूनांचे अक़रअ ने वह ख़त लिया, अपनी पगड़ी में लपेटा और चल दिया। मगर हज़रत उयय्ना वह ख़त लेकर नबी (ﷺ) के पास आ गया जहां आप तशरीफ़ फ़रमा थे और कहने लगा: ऐ मुहम्मद! (ﷺ) आपका क्या ख़याल है कि सहीफ़ा, मुतलम्मिस की तरह मैं ये ख़त लेकर अपनी क़ौम के पास चला जाऊं, न मालूम इसमें क्या है? तो हज़रत मुआविया (ﷺ) ने उसकी तलमीह की वज़ाहत रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने पेश की। (इस की तफ़्सील फ़वाइद में दर्ज है) तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माँगता है, हालांकि बक़द्र किफ़ायत उसके पास मौजूद हो तो वह अपने लिये आग ही का इज़ाफ़ा करता है।' नुफैली ने दूसरी जगह कहा: 'जहन्नम के अंगारे ज़्यादा करता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) वह क्या (मिक़्दार) है जो इन्सान को काफ़ी होती है (और सवाल से ग़नी बना देती है?) दूसरी जगह नुफैली के अल्फ़ाज़ इस तरह थे। मालदारी की वह क्या हद है जिसके होते हूए सवाल करना लायक़ नहीं? आपने फ़रमाया: 'जिसके पास सुबह व शाम का

فِي مَوْضِعٍ آخَرَ " أَنْ يَكُونَ لَهُ شِبَعُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ " . وَكَانَ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصِرًا عَلَى هَذِهِ الأَلْفَاظِ الَّتِي ذُكِرَتْ .

खाना मौजूद हो।' नुफैली के अल्फ़ाज़ दूसरी जगह ये थे।' जिसके पास दिन और रात के लिए पेट भर खाना मौजूद हो।'

(इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं) नुफैली ने हमें ये रिवायत मुख़्तसर तौर पर इसी तरह बयान की थी जो ज़िक्र की गई है।

(1629) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/180, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2391, 2545., इब्ने हिब्बान, हदीस: 844, 845.

फ़वाइद व मसाइल : (1) (मुतलम्मिस) (पहली मीम मज़मूम और दूसरी मुशद्दद मकसूर है) का क़िस्सा ये है कि ये एक शाइर था और उसने अम्र बिन हिन्द बादशाह की हिजू की थी। (बुरा भला कहा था) चूनांचे बादशाह ने इसे एक ख़त लिख कर दिया कि मेरे फुलाँ आमिल के पास जाओ, वह तुम्हें कुछ तोहफ़े वग़ैरह देगा जबकि उसमें हामिले रूक़ा को क़त्ल कर देने का हुक्म दर्ज कराया था। मगर उसे कोई शुब्हा सा हो गया तो उसने वह ख़त खोलकर पढ़ लिया, जब उसे मन्दरजात का इल्म हूआ तो ख़त फाड़ दिया और अपनी जान बचाई। इस वाक़िआ को अरब लोग (सहीफ़तुल मुतलम्मिस) से तअबीर करते और बतौर ज़रबुल मसल ज़िक्र करते हैं। **(2)** कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) को (आलिमु माका वमा यकून) बावर कराते हैं जो किसी तरह भी आप (ﷺ) की मदह नहीं है क्योंकि इस वाक़िआ में बयान है कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने नबी (ﷺ) के सामने मज़कूरह क़िस्से की वज़ाहत की। मालूम हूआ कि आप आलिमुल ग़ैब न थे। **(3)** नबी (ﷺ) को ख़िताब करते हूए (या मुहम्मद) कहना इन्तेहाई बे'अदबी है। उयय्ना बिन हिस्न (رضي الله عنه) चूंकि जदीदुल इस्लाम थे और आदाबे नबवी से मुतल्लअ न थे इसलिए बदवी अन्दाज़ में ख़िताब किया। **(4)** बिला सख़्त ज़रूरत के सवाल करना दीन व शराफ़त की नज़र से बहुत बुरा ऐब और रोज़े महशर में अपने लिये अंगारे जमा करना है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ

(1630) हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई (رضي الله عنه) का बयान है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ और आपसे बैअत की ... और लम्बी हदीस बयान की ... और कहा: फिर एक शख़्स आपकी ख़िदमत में आया और कहने लगा कि मुझे

الصُّدَائِيِّ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً قَالَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ " .

सदक़े में से कुछ दीजिए तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमायाः 'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सदक़ात की तक़सीम का मसला नबी या किसी दूसरे की पसन्द पर नहीं छोड़ा बल्कि उसके बारे में ख़ूद ही फ़ैसला फ़रमाया है। और इन्हीं आठ क़िस्म के अफ़राद में तक़सीम फ़रमा दिया है। अगर तुम इनमें से हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक़ दिये देता हूं।'

(1630) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारक़ुतनी: 2/136, हदीस: 2044.

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन इसमें जो बात बयान हूई है, वह सही है क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सदक़ात के मुस्तहेक़्क़ीन का ज़िक्र सूरह तौबा की इस आयत में किया है: 'इन्नमस्सदाक़ातु लिल फ़ुकराइ वल मसाकीना .....' (अत्तौबाः 60) और इस मसले में अहले इल्म के दो मारूफ़ क़ौल हैं: एक ये कि सदक़े के माल को आयते करीमा में मज़कूरा आठों क़िस्मों में तक़सीम करना वाजिब है। ये इमाम शाफ़ेई (रह.) और चंद दीगर उलमा से मरवी है। और दूसरे क़ौल के मुताबिक़ इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) और उनसे पहले कई एक सहाबा का कहना है कि किसी एक या चंद लोगों को दे देना भी काफ़ी और सही है जैसा कि इमामुल मुस्लेमीन या साहिबे सदक़ा की तरजीह हो और यही मौक़िफ़ (बात) राजेह है। (तफ़्सीर शौकानी)

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالأُكْلَةُ وَالأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَلاَ يَفْطِنُونَ بِهِ فَيُعْطُونَهُ

(1631) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मिस्कीन व नहीं जिसे एक खजूर, दो खजूर और एक लुक़्मा या दो लुक़्मे पलटा दें, बल्कि मिस्कीन वह है जो लोगों से माँगता न हो और न लोगों को उसके बारे में अन्दाज़ा हो कि उसे दें।'

(1631) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 2/393, इब्ने ख़ुज़ैमह: 2363.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़क़ीर और मिस्कीन दोनों ही नादार होते हैं मगर मिस्कीन की टोह लगानी पड़ती है। **(2)** मिस्कीनी वही क़ाबिले तारीफ़ है जिसमें सवाल से इफ्फ़त और स़ब्र व क़नाअ़त पाई जाये। **(3)** इस हदीस़ और दीगर अहादीस़ में ये इरशाद है कि ऐसे मसाकीन को तआ़उन देना ज़्यादा अफ़ज़ल है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو كَامِلٍ - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ قَالَ " وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَعَفِّفُ " . زَادَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ " لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَذَاكَ الْمَحْرُومُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ " الْمُتَعَفِّفُ الَّذِي لاَ يَسْأَلُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ جَعَلاَ الْمَحْرُومَ مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا أَصَحُّ .

(1632) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: (और हदीस़ बयान की) जैसे कि ऊपर गुज़री है (और) फ़रमाया: 'लेकिन मिस्कीन तो वह है जो (सवाल की आ़र से) बचता और पाक हो ... मुसद्दद ने अपनी रिवायत में ज़्यादा किया कि उसके पास इस क़द्र न हो जो कि उसकी किफ़ायत करे ... और वह लोगों से माँगता भी न हो और न लोगों को उसकी ज़रूरत का इल्म हो कि वह उसको स़दक़ा दें इसी क़िस्म का आदमी 'महरूम' कहलाता है।' मुसद्दद ने अपनी रिवायत में: (अल मुतअफ़्फ़िफ़ुल्लज़ी ला यस्अलु) का ज़िक्र नहीं किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को मुहम्मद बिन स़ौर और अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने मअ़मर से रिवायत किया है और उन्होंने 'महरूम' का बयान ज़ोहरी का कलाम बताया है और यही ज़्यादा स़ही है।

(1632) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस़: 2574, बुख़ारी, हदीस़: 1476, मुस्लिम, हदीस़ : 1039.

फ़ायदा : (अलमहरूम) का ज़िक्र सूरह मआ़रिज में आया है: (अलमआ़रिज: 24–25) 'और (कामयाब मोमिन वह लोग हैं) जिनके मालों में एक मुतय्यन हक़ है। सवाल करने वाले का और महरूम का।' यानी ऐसा मिस्कीन जो सवाल तो नहीं करता, लेकिन स़दक़े का मुस्तहिक़ होता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ، أَنَّهُمَا أَتَيَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلاَهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ " إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا وَلاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ وَلاَ لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ " .

(1633) उ़बैदुल्लाह बिन अ़दी बिन ख़ियार से मनक़ूल है, कहा कि मुझे दो आदमियों ने बताया कि वह दोनों हज्जतुल विदाअ़ के मौक़े पर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूए जबकि आप स़दक़ा तक़सीम फ़रमा रहे थे। उन दोनों ने भी आपसे उसका सवाल किया तो आपने हमें ऊपर से नीचे (सर से पाँव) तक देखा। आपने देखा कि हम दोनों ताक़तवर हैं, तो फ़रमाया: 'अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे देता हूं मगर (हक़ीक़त ये है कि) इसमें ग़नी और ताक़तवर कमा खा सकने वाले का कोई हिस्सा नहीं।'

(1633) तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 2599.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालदार और ताक़तवर कमा सकने वाले शख़्स़ को सवाल करना हराम और उन्हें देना नाजायज़ है। **(2)** दावते दीन और तफ़हीमे इस्लाम में इन्सान के ज़मीर को जगाना और झंझोड़ना एक अहम उसूल और ज़ाब्ता है। नबी (ﷺ) ने भी उन सवालियों से इसी अन्दाज़ में पूछा कि अगर तुम स़दक़ा लेने की ज़िल्लत क़बूल करते हो या नाजायज़ माल लेने के रवादार हो तो मैं तुम्हें दे देता हूं।

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الأَنْبَارِيُّ الْخُتَّلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ رَيْحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ

(1634) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं, आपने फ़रमाया: 'स़दक़ा किसी ग़नी के लिए हलाल नहीं है और न किसी ताक़तवर स़ही सालिम के लिए।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस हदीस़ को सुफ़ियान ने सअ़द बिन इब्राहीम से इसी तरह रिवायत किया है जैसे कि इब्राहीम (बिन सअ़द) ने। और शोबा ने सअ़द से ये लफ़्ज़ रिवायत किये

سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ قَالَ " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَالأَحَادِيثُ الأُخَرُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ " . وَبَعْضُهَا " لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ " . وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ زُهَيْرٍ إِنَّهُ لَقِيَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِقَوِيٍّ وَلاَ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ

हैं: (लिज़ी मिर्रतिन क़विय्यिन) यानी सवीय्यिन की जगह क़वीय्यिन कहा, जबकि नबी (ﷺ) से कुछ दीगर अहादीस़ में (लिज़ी मिर्रतिन) और कुछ में (लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन) आया है। अ़ता बिन ज़ुहैर कहते हैं कि मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (رضي الله عنه) से मिला तो उनके लफ़्ज़ थे: (इन्नस्सदकता ला तहिल्लु लि कविय्यिन व ला लि जी मिर्रतिन सविय्यिन)

(1634) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 652.

फ़ायदा : (क़विय्युन) से मुराद जिस्मानी ताक़त। (मिर्रतुन) से मुराद कमाने की ताक़त और (सविय्युन) से मुराद तन्दुरूस्त होना है। और ऐसे अफ़राद को बग़ैर शरई इस्तेहक़ाक़ के सवाल करना हराम और बग़ैर शरई जवाज़ के स़दक़ा देना नाजायज़ है।

﴾25﴿ بَابُ مَنْ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَهُوَ غَنِيٌّ

बाब : 25 उन लोगों का बयान जिन्हें ग़नी होते हुए भी स़दक़ा लेना जायज़ है।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ لِخَمْسَةٍ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ فَأَهْدَاهَا

(1635) जनाब अ़ता बिन यसार (रह.) (ताबेई) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच सूरतों के अ़लावा किसी ग़नी के लिए स़दक़ा हलाल नहीं है। (1) जो अल्लाह की राह में ग़ाज़ी और मुजाहिद हो। (2) या स़दक़ात का तहस़ीलदार (वसूल करने वाला) हो। (3) या चिट्टी (तावान) भरने वाला हो। (4) या जो अपने माल से स़दक़े की चीज़ ख़रीद ले। (5) या वह आदमी कि कोई मिस्कीन उसका हमसाया

الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ " .

हो, उस मिस्कीन को सदक़ा दिया गया तो उसने उसमें से ग़नी को हदिया दे दिया हो।'

(1635) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस: 7/15, मौता: 1/268, हाकिम: 1/408.

फ़ायदा : (ग़ारिम) के मानी आम तौर पर मक़रूज़ के किये जाते हैं, लेकिन मुतलक़न इसका तर्जुमा 'मक़रूज़' करना सही नहीं है। कुछ जगह ये मक़रूज़ के मानी में भी आता है लेकिन यहां इसके मानी चिट्टी (तावान) भरने वाले के हैं। यानी कोई मालदार शख़्स फ़ितना व शर के ख़ात्मे और दो शख़्सों के दरम्यान झगड़ा ख़त्म कराने के लिए एक फ़रीक़ की तरफ़ से रक़म की अदायगी की ज़िम्मेदारी उठा ले, और फिर वह रक़म उसी को अदा करनी पड़ जाये, तो ऐसे साहिबे हैसियत शख़्स को ये चिट्टी (तावान) वाली रक़म ज़कात के माल से अदा करनी जायज़ है। बाक़ी रहा मसला मक़रूज़ (कर्ज़दार) का कि वह मुस्तहिक़े ज़कात है या नहीं? तो उसकी तौज़ीह ये है कि सुलह कराने वाले ने अगर क़र्ज़ लेकर दूसरे फ़रीक़ को रक़म दी है ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाये, तो ये मक़रूज़ (साहिबे हैसियत होने के बावजूद) उस ग़ारिम की तारीफ़ में आता है जिसका ज़िक्र इस हदीस में है। इसके अलावा एक वह मक़रूज़ है जो अपनी ज़ाती ज़रूरियात के लिए क़र्ज़ लेता है, लेकिन तंगदस्ती की वजह से वह क़र्ज़ अदा नहीं कर सकता, तो इस हदीस में उसका ज़िक्र नहीं है, ताहम ऐसा शख़्स फ़क़ीरों में शुमार होगा और मुस्तहिक़े ज़कात होगा, ज़कात की रक़म से उसका क़र्ज़ अदा करना सही होगा।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدٍ كَمَا قَالَ مَالِكٌ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثَّبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .

(1636) जनाब अता बिन यसार हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी(ﷺ) ने फ़रमाया: और पिछली हदीस के हम मानी बयान किया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को इब्ने उयय्ना ने ज़ैद से इसी तरह रिवायत किया जैसे कि मालिक ने कहा। और सौरी ने ज़ैद से रिवायत करते हुए कहा: (हद्दसनिस्सबतु अनिन्नबी) (ﷺ) यानी एक बा'ऐतमाद आदमी ने मेरे सामने नबी (ﷺ) की हदीस बयान की।

(1636) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 1841, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 7151, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2374.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ الْبَارِقِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلاَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُهْدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ فِرَاسٌ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

(1637) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सदक़ा किसी ग़नी के लिए हलाल नहीं है। मगर ये कि वह अल्लाह की राह में (मुजाहिद) हो या मुसाफ़िर हो या किसी फ़क़ीर हमसाये को सदक़ा दिया गया तो वह फ़क़ीर तुम्हें हदिया दे दे, या आपकी दावत कर दे।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस़ को फ़िरास और इब्ने अबी लैला ने अ़तिया से, उन्होंने अबू सईद से और उन्होंने नबी (ﷺ) से इसी के मिस्ल (जैसी) रिवायत किया है।

(1637) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2368, मुसनद अहमद, हदीस़: 3/31 हदीस़: 452 में देखें।

﴿26﴾ باب كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ

बाब : 26
एक आदमी को ज़कात से किस क़द्र दिया जाये?

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّائِيُّ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ - يَعْنِي دِيَةَ الأَنْصَارِيِّ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ .

(1638) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा अंस़ारी(ﷺ) ने ख़बर दी कि नबी (ﷺ) ने उनको स़दक़ा के ऊँट से दियत अदा की थी। यानी उस अंस़ारी की दियत जो ख़ैबर में क़त्ल कर दिया गया था।

(1638) तख़रीज : (सनद स़ही) मुत्तफ़क़ अ़लैहि: 4523 में आ रही है।

फ़ायदा : इसकी तफ़्सील आगे (बाब अल क़सामा) में आयेगी कि अब्दुल्लाह बिन सहल (ﷺ) ख़ैबर में क़त्ल कर दिये गये थे तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनकी दियत अदा फ़रमाई थी। इससे इस्तेदलाल ये है कि अमीर या साहिबे सदक़ा को रूख़सत है कि मुस्तहेक़ीन को सदक़े के माल से इतना दे सकते हैं कि हक़दार का हक़ पूरा अदा हो जाये और मोहताज ग़नी हो जाये।

बाब : 27
किस सूरत में सवाल करना जायज़ नहीं?

﴿27﴾

بَابُ مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمَسْأَلَةُ

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمَسَائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ فَمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ إِلاَّ أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ ذَا سُلْطَانٍ أَوْ فِي أَمْرٍ لاَ يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا " .

(1639) हज़रत समुरा (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'सवाल करना अपने आपको नोचना है, इससे इन्सान अपना चेहरा छिलता और नोचता है। चूनांचे जो चाहे अपने चेहरे की आबरू बाक़ी रखे और जो चाहे ज़ाया कर दे, ताहम अगर कोई हुक्मरान से सवाल करे या बहुत ही लाचार हो जाये, तो कोई हर्ज नहीं।'

(1639) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 2600, तिर्मिज़ी, हदीस: 681, इब्ने हिब्बान, हदीस: 842, 843.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ، قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ، قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا

(1640) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ हिलाली(ﷺ) बयान करते हैं कि (एक बार) मैं किसी का ज़ामिन बन गया। फिर मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ तो आपने फ़रमाया: 'क़बीसा! ठहरे रहो यहाँ तक कि हमारे पास कोई सदक़ा आ जाये तो हम इसमें से तुम्हें देने का हुक्म दें।' फिर

الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا " . ثُمَّ قَالَ " يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ " . أَوْ قَالَ " سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ " . " وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا" .

फ़रमाया: 'ऐ क़बीसा! सवाल करना हलाल नहीं, सिवाए तीन में से एक के: किसी ने कोई ज़मानत ली हो तो उसके लिए सवाल करना जायज़ है यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, फिर रूक जाये। दूसरा वह आदमी कि उस पर कोई ऐसी आफ़त या मुसीबत आ पड़ी जिसने उसका माल तबाह कर दिया तो ऐसे शख़्स के लिए सवाल करना हलाल है यहाँ तक कि गुज़ारे के लायक़ अपनी ज़रूरियात हासिल कर ले। और तीसरा वह आदमी जिसे इन्तेहाई ज़रूरत ने आ लिया हो यहाँ तक कि उसकी क़ौम के तीन अक़्लमंद अफ़राद कह दें कि फुलाँ हद से ज़्यादा लाचार हो गया है तो उसे भी सवाल करना हलाल है यहाँ तक कि गुज़रान हासिल कर ले और फिर रूक जाये। इन सूरतों के अलावा सवाल करना ऐ क़बीसा! हराम है, माँगने वाला हराम खाता है।'

(1640) तख़रीज : मुस्लिम: 1044.

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस में सिर्फ़ तीन क़िस्म के आदमियों को सवाल करने की इजाज़त दी गई है और उन्हें सदक़ा लेना हलाल है। उनमें से एक ग़नी और दो फ़क़ीर हैं। फिर फ़क़ीर होने की भी दो सूरतें हैं एक ज़ाहिरी और दूसरी मख़्फ़ी। ग़नी इन्सान उस वक़्त माँग सकता है जब वह किसी का ज़ामिन बन जाये और उसकी तौज़ीह ये है कि किसी क़ौम में या कुछ अफ़राद में कोई जान या माल की बिना पर अदावत (दुश्मनी) पैदा हो जाये और उनकी सुलह न हो रही हो, बल्कि मज़ीद हालात बिगड़ने और फूट पड़ने का अन्देशा हो तो कोई भला इन्सान इनमें सूलह की पेशकश कर दे और क़र्ज़ या दियत वग़ैरह की अदायगी का ज़ामिन बन जाये ताकि इन मुसलमानों की आपस में सुलह हो जाये फूट न पड़े तो ऐसे ग़नी को दूसरे लोगों से तआवुन लेने और सवाल करने की इजाज़त है और आम लोगों को भी चाहिए कि सदक़ात से उसके साथ तआवुन करें। (ये वही सूरत है जो हदीस: 1635 के

फ़ायदे में 'ग़ारिम' की तशरीह करते हूए बयान की गई है)

- दूसरी क़िस्म का वह आदमी जिसका माल किसी आम ज़ाहिरी आफ़त से जैसे सैलाब आ जाने से, आग लग जाने से, समन्दर में ग़र्क़ हो जाने से या ज़लज़ले वग़ैरह से हलाक हो जाये और आम लोगों के इल्म में हो तो ऐसे शख़्स से दलील और गवाह तलब करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे वैसे ही तआवुन दिया जाये और उस पर सदक़ात ख़र्च हो सकते हैं।
- तीसरी क़िस्म का वह शख़्स है जो बज़ाहिर मालदार और ग़नी होने की शोहरत रखता हो मगर अंदर ख़ाने किसी ख़सारे, घाटे, चोरी, धोखा और ख़यानत हो जाने का इस तरह शिकार हो जाये कि फ़ाक़ों तक नौबत आ गई हो तो ऐसे शख़्स के लिए उसकी क़ौम के तीन समझदार अफ़राद गवाही दें तो उसे सवाल करना जायज़ है और उससे तआवुन करना ज़रूरी है और उसको सदक़ात देने भी जायज़ हैं यहाँ तक कि वह गुज़रान हासिल कर ले। इसके अलावा सवाल करना हराम और सदक़ा देना नाजायज़ है।
- तअमीरे मसाजिद, दीनी मदारिस, जिहाद और दीगर रफ़ाही (चैरीटी के) काम जो मुसलमान मुआशरे की अहम मिल्ली ज़रूरत हैं और हुकूमत उनकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाती या बहुत कम तआवुन करती है तो कोई एक या ज़्यादा अफ़राद बावजूद ग़नी होने के लोगों से तआवुन हासिल करके ये लवाज़मात मुआशरह को मुहैया करें तो उनके लिए भी जायज़ है कि वह इन कामों के लिए लोगों से सवाल करें और दूसरों पर भी लाज़िम है कि ऐसे उमूर में उनसे तआवुन करें बशर्ते कि ये लोग अपना बा'एतमाद होना साबित रखें।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَخْضَرِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْأَلُهُ فَقَالَ " أَمَا فِي بَيْتِكَ شَىْءٌ " . قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ . قَالَ " ائْتِنِي بِهِمَا " . فَأَتَاهُ بِهِمَا

(1641) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि एक अन्सारी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में आया वह कुछ माँग रहा था। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है?' कहने लगा: क्यों नहीं, एक कमली (चादर) सी है, उसका एक हिस्सा ओढ़ लेते हैं और कुछ बिछा लेते हैं और एक प्याला है जिससे पानी पीते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये दोनों मेरे पास ले आओ।' चूनांचे वह ले आया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अपने हाथ में लिया और फ़रमाया: 'कौन ये चीज़ें

فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَقَالَ " مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ " . قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ . قَالَ " مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ . فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِيَّ وَقَالَ " اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِي بِهِ " . فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ " اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " . فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَصْلُحُ إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ " .

ख़रीदता है?' एक शख़्स ने कहा: मैं इन्हें एक दिरहम में लेता हूं। आपने फ़रमाया: 'एक दिरहम से ज़्यादा कौन देता है?' आपने दो या तीन बार फ़रमाया। एक (और) शख़्स ने कहा: मैं इनके दो दिरहम देता हूं। चूंनाचे आपने दोनों चीज़ें उसे दे दीं और दो दिरहम ले लिये और वह दोनों उस अंसारी को दे दिये और उससे फ़रमाया: 'एक दिरहम का तआम (राशन) ख़रीदो और अपने घर वालों को दे आओ और दूसरे से कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे पास ले आओ।' चूनांचे वह ले आया तो आपने उसमें अपने दस्ते मुबारक से दस्ता ठोंक दिया और फ़रमाया: 'जाओ! लकड़ियाँ काटो और बेचो और पन्द्रह दिन तक मैं तुम्हें न देखूं।' चूनांचे वह शख़्स चला गया, लकड़ियाँ काटता और फ़रोख़्त करता रहा। फिर आया और उसे दस दिरहम मिले थे। कुछ का उसने कपड़ा ख़रीदा और कुछ से खाने पीने की चीज़ें, तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये इससे बेहतर है कि माँगने से तेरे चेहरे पर क़यामत के दिन दाग़ हों। बिलाशुब्हा माँगना ठीक नहीं है, सिवाए तीन आदमियों के : अज़ हद फ़क़ीर मोहताज ख़ाकनशीन के, या बेचैनी में मुब्तला क़र्ज़दार के, या दियत में पड़े ख़ून वाले के (जिस पर ख़ून की दियत लाज़िम हो)'

(1641) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस़: 4512, इब्ने माजा, हदीस़: 2198, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1218.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हुकूमते इस्लामिया और रफ़ाही तन्ज़ीमों को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम पेश करें जिनसे लोग हुनरमंद बनें और हर आदमी बर सरे रोज़गार हों। (2) उलमा को चाहिए कि मेहनत मज़दूरी की फ़ज़ीलत वाज़ेह करें और माँगने की ज़िल्लत और रूस्वाई बतायें। (3) पढ़े लिखे जवानों का हर हाल में हुकूमत से आला मुलाज़िमतों पर इसरार किसी तरह रवा नहीं। (4) बावक़ार मेहनत मज़दूरी में कोई ऐब नहीं। (5) मुरब्बी हज़रात को बलन्द निगाह और दूरअंदेश होना चाहिए, अल्लाह ने अफ़राद की तबीअतें मुख़्तलिफ़ बनाई हैं। कुछ के लिए मेहनत मज़दूरी और बेनियाज़ी लाज़िमी होता है और कुछ क़नाअत पर राज़ी और मुतमइन होते हैं, लिहाज़ा हर एक से बेहतर काम लिया जाये। जैसे इल्म सिखाना फिर उसकी दावत व इशाअत वग़ैरह। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू हुरैरह(ؓ) को कमाई व मेहनत की तलक़ीन नहीं फ़रमाई थी बख़िलाफ़ उस शख़्स के जो सवाल करने आया था। (6) नीलामी की खरीदो फ़रोख़्त जायज़ है।

बाब : 28
माँगने और सवाल करने की बुराई

﴿28﴾
باب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ

(1642) जनाब अबू मुस्लिम ख़ौलानी से मरवी है कि मुझे एक हबीब (प्यारे) और अमीन शख़्स ने हदीस बयान की। वह मेरे महबूब और मेरे नज़दीक अमीन हैं (यानी) हज़रत औफ़ बिन मालिक (ؓ) वह बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में सात या आठ या नौ अफ़राद थे, तो आपने फ़रमाया: 'क्या तुम अल्लाह के रसूल (ﷺ) से बैअत नहीं कर लेते?' हालांकि अभी हम ताज़ा ताज़ा बैअत कर चुके थे। हमने कहा: हम बैअत कर चुके हैं, मगर आपने अपनी बात तीन बार दोहराई। तो हमने अपने हाथ बढ़ा दिये और आपसे बैअत की। एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) हम

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ، - يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ - عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلاَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الأَمِينُ، أَمَّا هُوَ إِلَيَّ فَحَبِيبٌ وَأَمَّا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَبْعَةً أَوْ ثَمَانِيَةً أَوْ تِسْعَةً فَقَالَ " أَلاَ تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِبَيْعَةٍ قُلْنَا قَدْ بَايَعْنَاكَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثًا

فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَعَلاَمَ نُبَايِعُكَ قَالَ " أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُصَلُّوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا" . وَأَسَرَّ كَلِمَةً خُفْيَةً قَالَ " وَلاَ تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا " . قَالَ فَلَقَدْ كَانَ بَعْضُ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُنَاوِلَهُ إِيَّاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدِيثُ هِشَامٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ سَعِيدٌ .

(इससे पहले) आपसे बैअत कर चुके हैं तो अब किस बात पर बैअत करें? आपने फ़रमाया: '(इस बात पर कि) अल्लाह ही की इबादत करोगे, उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करोगे, पाँचों नमाज़ें अदा करोगे और (अहकामे शरीअत और हुक्काम की बात) सुनोगे और मानोगे।' और एक बात आहिस्ता से फ़रमाई: 'लोगों से कुछ नहीं माँगोगे' बयान किया कि फिर उन लोगों का हाल ये था कि अगर किसी की कोई छड़ी भी गिर जाती तो वह किसी और को ये न कहता था कि ये उठाकर मुझे दे दो।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हिशाम की हदीस़ को सईद के सिवा किसी और ने रिवायत नहीं किया।

(1642) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस़ : 1043.

फ़वाइद व मसाइल : (1) भीख माँगना और उसको अपनी आ़दत बना लेना इज़्ज़त, वक़ार, अख़्लाक़ और शरअ हर ऐतबार से बहुत बुरी आ़दत है। आ़म ज़रूरत की चीज़ों में भी माँग कर गुज़ारा करना बहुत बुरी अख़्लाक़ी गिरावट की अ़लामत है। **(2)** स़हाब ए किराम (ﷺ) का वादे की पाबंदी मिस़ाली और बे'नज़ीर थी जिसको सोने के पानी से लिखने के क़ाबिल है। **(3)** 'बैअ़त' उस वादे मुआ़हिदे को कहते हैं जो दो अफ़राद में तै पा जाता है। इस्लाम में एक बैअ़ते इस्लाम है, दूसरी बैअ़ते जिहाद और तीसरी बैअ़ते इस्तिरशाद व तौबा है। ख़ैरूल क़ुरून में पहली दो बैअ़तों का स़बूत मिलता है। ख़ुल्फ़ाए राशिदीन और उनके बाद एक ज़माने तक स़िर्फ़ यही बैअ़त जारी रही हैं। तीसरी स़िर्फ़ नबी(ﷺ) ही से ख़ास़ समझी गई है, मगर कुछ स़ालेहीन इस तीसरी बैअ़त के क़ायल व फ़ाइल हैं जिसकी शरई अहमियत महल्ले नज़र है और अहले बिदअ़त ने जो इसमें ग़ुलू किया है ... अल्लाह की पनाह ... वह सरासर बिदअत है। और 'तस़व्वुरे शैख़' वग़ैरह की जो स्कीम निकाली गई है, स़रीह शिर्क है। **(4)** हाकिमे वक़्त के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना गुनाह है ख़्वाह वह कैसा ही ज़ुल्म क्यों न करें मगर ये कि 'स़रीह कुफ़्र' का इरतेकाब करें। इस मसले की तफ़्स़ील के लिए हाकिम व महकूम के हुक़ूक़ व फ़राइज़ और रवाबित का मौज़ूअ देखा जाये।

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ وَكَانَ ثَوْبَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَكَفَّلَ لِي أَنْ لاَ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا وَأَتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ " . فَقَالَ ثَوْبَانُ أَنَا . فَكَانَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا .

(1643) हज़रत सोबान (﵁) से मरवी है और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) के मौला (गुलाम और ख़ादिम) थे। बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'कौन है जो मुझे ये ज़मानत दे कि वह लोगों से कुछ नहीं माँगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत दूं?' तो हज़रत सोबान ने कहा: मैं, चूनांचे वह किसी से कुछ न माँगा करते थे।

(1643) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/276, हाकिम: 1/412

फ़ायदा : 'लोगों से ना माँगो' अपने वसीअतरीन मआनी में 'ग़ैरूल्लाह से न माँगने' को भी शामिल है। जो ऐन तौहीद है और जन्नत में दाख़ले की ज़मानत भी। इधर हमारा मुआशरा है कि ग़ैरूल्लाह से माँगने के लिए जगह जगह शिर्क के दरबार लगे हैं ... जहां सादा लोह लोगों के ईमान की पूँजी दाव पर लगती है ... अलअयाज़ बिल्लाह ... और पेशावर सवालियों को अपने इस अमल की बुराई और अन्जामे बद की ख़बर ही नहीं (लाहौल वलाक़ूव्वत इल्ला बिल्लाह)

﴾29﴿ بَابٌ فِي الاِسْتِعْفَافِ

बाब : 29 सवाल से बचने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ " مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ

(1644) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (﵁) से मरवी है कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल किया तो आपने उनको इनायत फ़रमाया। उन्होंने फिर सवाल किया तो आपने और दिया यहाँ तक कि जो कुछ आपके पास था, जब सब ख़त्म हो गया तो आपने फ़रमाया: 'मेरे पास जो माल भी होगा वह मैं तुम से हरगिज़ बचाकर नहीं

فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " .

रखूंगा। और जो सवाल से बचेगा अल्लाह उसे बचायेगा, जो बेनियाज़ी इख़्तियार करेगा अल्लाह उसको ग़नी बना देगा। और जो कोई स़ब्र करेगा, अल्लाह उसे स़ाबिर बना देगा। और स़ब्र से बढ़कर कोई ऐसी नेअ़मत भारी नहीं है जो अल्लाह ने किसी को दी हो।'

(1644) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1469, मौता: 2/997, मुस्लिम, हदीस़: 1053.

फ़ायदा : नियत और सच्चे इरादों की बरकतों में से ये है कि अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल उसे पूरा कर देता है बशर्ते कि इन्सान शरीअ़त की राह इख़्तियार करे। इस हदीस़ में सवाल करने की ज़िल्लत से बचने को 'इफ़्फ़त' से तअ़बीर किया गया है। और ये लफ़्ज़ अपने मआ़नी के ऐतबार से बहुत वसीअ़ है। निकाह के मामले में पाक दामन रहने को भी 'इफ़्फ़त' और इससे मौसूफ़ को 'अ़फ़ीफ़' कहते हैं। यानी अगर वसाइले निकाह मौजूद न हों और इन्सान अफ़ीफ़ रहने के लिए पुर अ़ज़्म हो तो अल्लाह तआ़ला उसे 'अ़फ़ीफ़' बना देगा जो कि ग़िना और स़ब्र के मानी को भी शामिल है। और चाहे कि इन्सान अपनी ज़रूरियात को मुअख़्ख़र से मुअख़्ख़र (देर) रखने की कोशिश करे।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ح حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَا بِالنَّاسِ لَمْ تُسَدَّ فَاقَتُهُ وَمَنْ أَنْزَلَهَا بِاللَّهِ أَوْشَكَ اللَّهُ لَهُ بِالْغِنَى إِمَّا بِمَوْتٍ عَاجِلٍ أَوْ غِنًى عَاجِلٍ "

(1645) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे इन्तेहाई शदीद हाजत आ पड़े और उसने उसे लोगों पर पेश कर दिया तो उसकी वह हाजत दूर न होगी। और जिसने उसे अल्लाह पर पेश किया तो अ़न्क़रीब अल्लाह तआ़ला उसे बेपरवाहा कर देगा। या तो जल्दी ही मौत आ जायेगी (और दुनिया के बखेड़ों से जान छूट जायेगी) या जल्द ही ग़नी हो जायेगा। (और किसी की एहतियाज न रहेगी)'

(1645) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2326, हाकिम: 1/408.

फ़ायदा : मोमिन को अपनी ज़रूरियात और मुश्किलात उसी ज़ात के सामने पेश करनी चाहिए जो किसी की मोहताज नहीं और हर ऐतबार से अलग़नी और अलमुग़नी है। लोग कहां तक किसी की दस्तगीरी कर सकते हैं, आज एक हाजत है तो कल दूसरी सामने है, इसलिए हमेशा सिर्फ़ अल्लाह ही से सवाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (ﷺ) की सीरत में ज़िन्दगी के अदना, व आला तमाम उमूर से मुताल्लिक दुआएँ मौजूद हैं। उनको अपना हरज़ेजान और दिन–रात का वज़ीफ़ा बना लेना चाहिए। अज़ीमत यही है कि इन्सान किसी से कुछ न माँगे जैसे कि तालीमे रसूलुल्लाह (ﷺ) और सीरते सहाबा का ऊपर ज़िक्र आया है। ताहम दुनिया दारूल अस्बाब है, आम ज़रूरियात का लोगों से तलब कर लेना मुबाह है और जो उमूर ज़ाहिरी अस्बाब से बाला हैं उनका सवाल सिर्फ़ अल्लाह ही से करना चाहिए, उनका ग़ैरूल्लाह से सवाल करना शिर्क है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ مَخْشِيٍّ، عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ، أَنَّ الْفِرَاسِيَّ، قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْأَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لاَ وَإِنْ كُنْتَ سَائِلاً لاَ بُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ "

(1646) इब्ने अलफ़िरासी से रिवायत है कि फ़िरासी (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (ﷺ) क्या मैं सवाल कर लिया करूं? तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'नहीं' अगर ज़रूर ही माँगना हो तो सालेह और नेक बंदों से सवाल कर लिया करो।'

(1646) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2588.

फ़ायदा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस ऐतबार से मानी सही है कि दुनिया में अस्बाबे ज़ाहिरी की हद तक इन्सानों को एक दूसरे से माँगने की ज़रूरत पेश आती ही रहती है। इसलिए कहा गया है कि जब भी ऐसी ज़रूरत पेश आये तो उसका इज़हार नेक लोगों से किया करो। क्योंकि सालेह अफ़राद किसी भी ज़रूरतमंद मुसलमान की ख़ैरख़्वाही और इम्कानी हद तक तआवुन से बख़ील नहीं होते, उनकी आमदनी हलाल और उनके तआवुन देने में एहसान धरने वाली बात नहीं होती। इस हदीस का फ़ौतशुदा अफ़राद से कोई ताल्लूक़ नहीं है। बल्कि ये सवाल सिर्फ़ उन सालेह बुज़ुर्गों से हो सकता है जो हयात और ज़िन्दा हों, जो तहतल अस्बाब उमूर में मदद कर सकते हैं। जैसे आम तआवुन, क़र्ज़, सिफ़ारिश और दुआ करना वग़ैरह ... और ऐसे सालेहीन जो इस दुनिया से रूख़सत हो चुके हों उनसे मदद माँगना और दुआ करना हराम और शिर्क है क्योंकि उनसे मदद माँगना मा वरल अस्बाब है जैसे शिफ़ा के लिए, रोज़ी के लिए, औलाद के लिए, नफ़अ हासिल करने और नुक़सान से बचने वग़ैरह के लिए मदद माँगना। क़ुर्आन करीम और सहीह अहादीस इस मौज़ूअ से भरे पड़े हैं।

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ السَّاعِدِيِّ، قَالَ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ - رضى الله عنه - عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ . قَالَ خُذْ مَا أُعْطِيتَ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَمَّلَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ " .

(1647) हज़रत इब्ने साइदी (ﷺ) बयान करते हैं, हज़रत उमर (ﷺ) ने मुझे सदक़ात का तहसीलदार बनाकर भेजा। जब मैं इस काम से फ़ारिग़ होकर आया और जमा होने वाले सदक़ात उनको पेश किये तो उन्होंने मेरे बारे में हुक्म दिया कि इसे उसकी ख़िदमत की मज़दूरी दिया जाये। मैंने कहा (नहीं) मैंने ये काम अल्लाह के लिए किया है और मेरा अज्र अल्लाह पर है। उन्होंने फ़रमाया: जो तुम्हें दिया जा रहा है वह ले लो। मैंने भी रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में (इसी क़िस्म का) काम किया था, तो आपने मुझे इसका ख़िदमत की मज़दूरी दिया था। मैंने भी तुम्हारी तरह का जवाब दिया था, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझ से फ़रमाया था: 'जब तुम्हें कोई चीज़ बिन माँगे दी जाये तो (ले लो और) खाओ और सदक़ा करो।'

(1647) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7163, व मुस्लिम, हदीस: 1045.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ مِنْهَا وَالْمَسْأَلَةَ " الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ وَالسُّفْلَى السَّائِلَةُ " . قَالَ

(1648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बर सरे मिम्बर फ़रमाया जबकि आप सदक़ा और उससे बचने (की फ़ज़ीलत) और सवाल करने (की मज़म्मत) बयान कर रहे थे, फ़रमाया: 'ऊपर वाला हाथ, नीचे वाले हाथ से बेहतर है। ऊपर वाला हाथ ख़र्च करने वाला होता है और नीचे वाला हाथ सवाली।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत

أَبُو دَاوُدَ اخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ " الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ " . وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ " الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ " . وَقَالَ وَاحِدٌ عَنْ حَمَّادٍ " الْمُتَعَفِّفَةُ " .

में अय्यूब पर, जो नाफ़ेअ से रिवायत करते हैं, इख़्तिलाफ़ किया गया है। अ़ब्दुल वारिस़ ने कहा: ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुतअफ़्फ़िफ़' है यानी जो सवाल न करे। जबकि बवास्ता हम्माद बिन ज़ैद, अय्यूब से रिवायत करने वाले अक्सर हज़रात ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुन्फ़िक़त' यानी ख़र्च करने वाला बयान करते हैं। हम्माद से सिर्फ़ एक रावी (मुसद्दद बिन मुसरहद) ने 'अल मुतअफ़्फ़िफ़तु' ज़िक्र किया है।

(1648) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़: 1429, मौता: 2/997, व मुस्लिम, हदीस़: 1033.

फ़ायदा : 'नीचे वाले हाथ' को आ़ला और अफ़ज़ल क़रार देना कुछ सूफ़िया की ख़ुदसाख़्ता बात है। बक़ौल उनके इसकी तफ़्सील ये है कि चूंकि ग़नी पर अपने माल का हक़ (स़दक़ा) देना वाजिब होता है और जब तक वह दे न चुके और कोई ले न ले वह अपने इस हक़्क़े लाज़िम से बरी नहीं हो सकता, चूंकि लेने वाला उसका माल लेकर गोया एहसान करता और उसे इसके हक़्क़े वाजिब से बरी करता है इसलिए वह अफ़ज़ल हूआ मगर बक़ौल अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) ये बात फ़ितरत, उर्फ़ और शरअ़ सब लिहाज़ से बातिल है। **(1)** ख़ूद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देने वाले हाथ को अफ़ज़ल फ़रमाया है जो इस राय के बातिल होने की स़ाफ दलील है। **(2)** आपने उसे नीचे वाले हाथ के बिलमुक़ाबिल ख़ैर और अफ़ज़ल फ़रमाया है और बिलाशुब्हा 'देना' अफ़ज़ल है न कि 'लेना'। **(3)** उर्फ व मानी के ऐतबार से भी देने वाले का हाथ साइल के मुक़ाबले में अफ़ज़ल हूआ करता है। **(4)** 'अ़ता' एक सिफ़ते मदह है जो इन्सान के ग़िना, करम और एहसान की दलील है इसके बिलमुक़ाबिल 'लेना' एक सिफते नुक़्स़ व ऐब है जो फक़्रो हाजतमंदी का मज़हर होती है, लिहाज़ा उन लोगों का ये मानी कि 'लेने वाला हाथ अफ़ज़ल होता है' किसी तरह भी ठीक नहीं है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو الزَّعْرَاءِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، مَالِكِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ

(1649) हज़रत मालिक बिन नज़ला (ﷺ) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाथ तीन तरह के हैं, एक हाथ अल्लाह का है जो सबसे ऊपर है। दूसरा देने वाले का है जो उसके बाद है और साइल का हाथ सबसे

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "الأَيْدِي ثَلاَثَةٌ فَيَدُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا وَيَدُ السَّائِلِ السُّفْلَى فَأَعْطِ الْفَضْلَ وَلاَ تَعْجِزْ عَنْ نَفْسِكَ"

नीचे है, लिहाज़ा जो ज़ायद हो, वह दे दो। और अपने नफ़्स के सामने आजिज़ मत बनो। (नफ़्स का कहा मत मानो)'

(1649) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/198, मुसनद अहमद: 3/473, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2440, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 809, हाकिम: 1/408.

﴾30﴿ بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ

बाब : 30 बनी हाशिम को सदक़ा लेना देना कैसा है?

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَقَالَ لأَبِي رَافِعٍ اصْحَبْنِي فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا . قَالَ حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلَهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ " مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَإِنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ " .

(1650) इब्ने अबी राफ़ेअ हज़रत अबू राफ़ेअ(ﷺ) से रिवायत करते हैं कि नबी (ﷺ) ने बनी मख़्ज़ूम के एक शख़्स को सदक़ात के लिये मुक़र्रर किया, उसने अबू राफ़ेअ से कहा: मेरे साथ चलो, तुम्हें भी इससे हिस्सा मिलेगा। उसने कहा: पहले मैं नबी (ﷺ) के पास से हो आऊं और आपसे पूछ लूं, चूनांचे वह आपकी ख़िदमत में आया और आपसे पूछा, तो आपने फ़रमाया: 'क़ौम का मौला (आज़ाद शुदा गुलाम) उन्हीं में से होता है और हमारे लिए सदक़ा हलाल नहीं है।'

(1650) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 657, नसाई, हदीस: 2613, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2344, इब्ने हिब्बान, हदीस: 3282, बुख़ारी, हदीस: 6761, व मुस्लिम, हदीस : 1069.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी (ﷺ) और आपकी आल के लिये सदक़ात हलाल नहीं हैं और इसमें बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब आते हैं। आपने अपने मवाली को भी इसी हुक्म में शामिल फ़रमाया है यहाँ तक कि उन्हें ऐसी मुलाज़मत की भी इजाज़त नहीं दी जिसमें सदक़े का माल मिलता हो

ख़्वाह बिलवास्ता ही सही। (2) सहाबा किराम (ﷺ) हलाल व हराम के मामले में हद से ज़्यादा हस्सास थे। हज़रत अबू राफ़ेअ (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इजाज़त लिये बग़ैर सदक़ात के लिए आमिल बनना पसन्द नहीं किया।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ الْعَائِرَةِ فَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلاَّ مَخَافَةُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً .

(1651) हज़रत अनस (ﷺ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी गिरी पड़ी खजूर के पास से गुज़रते तो उसको उठा लेने से सिर्फ़ इसलिए गुरेज़ करते कि कहीं सदक़े की न हो।

(1651) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/184.

फ़वाइद व मसाइल : (1) असल परहेजगारी व तक़वा यही है कि जब तक कोई बात वाज़ेह और हक़ न हो उस पर इक़दाम (पेशकदमी) करने से गुरेज़ किया जाये। बिलख़ुसूस शुब्हे वाली रिज़्क़ से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। (2) खजूर या इसी तरह की कोई आम सी चीज़ गिरी पड़ी मिले तो उसे उठाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए लुक़्ता वाला हुक्म नहीं है कि पहले ऐलान किया जाये और उसकी तशहीर की जाये। हाँ अगर क़ीमती चीज़ हो तो ऐलान व तशहीर लाज़िम है।

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ " لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا

(1652) हज़रत अनस (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (किसी रास्ते में) एक खजूर पाई, तो फ़रमाया: 'अगर मुझे ये अन्देशा न होता कि ये सदक़े की होगी तो मैं इसे खा लेता।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे हिशाम ने क़तादा से इसी तरह रिवायत किया है।

(1652) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2055, व मुस्लिम, हदीस: 1071.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तआम (खाने) की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर इसे इस कैफ़ियत में पाया जाये तो उठा लेना चाहिए ... और इसे खा लेना ही इसका सही इस्तेमाल है, शुब्हे वाली चीज़ों से परहेज़ लाज़िम है। (2) इमाम अबू दाऊद के क़ौल से इस तरफ़ इशारा है कि इस से पहले वाली हदीसे हम्माद में हज़रत अनस (ﷺ) का फ़हम ज़िक्र हूआ है कि नबी (ﷺ) सदक़े के अन्देशे से कोई खजूर न

उठाते थे मगर हिशाम और ख़ालिद बिन क़ैस की रिवायत में नबी (ﷺ) का अपना क़ौल ज़िक्र हूआ है। हिशाम की हदीस सही मुस्लिम में रिवायत हूई है। (सही मुस्लिम, हदीस: 1071)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَنِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلٍ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ .

(1653) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नबी (ﷺ) की ख़िदमत में भेजा, उन ऊँटों के सिलसिले में जो आपने उन्हें सदक़े से दिये थे।

(1653) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 1339, अबी दाऊद, हदीस: 1358, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 1093, बुख़ारी, हदीस: 118, 138, 183, व मुस्लिम.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، نَحْوَهُ زَادَ أَبِي يُبْدِلُهَا لَهُ .

(1654) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से पिछली हदीस की मानिन्द मरवी है (अबू उबैदा ने) ये इज़ाफ़ा किया ... कि मेरे वालिद ने मुझे भेजा कि आप उन ऊँटों को बदल दें।

(1654) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 1/257.

तौज़ीह : अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि सदक़ा हज़रत अब्बास (ﷺ) के लिए हराम था ... और हदीस मुख़्तसर रिवायत होने के बाइस इसमें इस सबब का ज़िक्र नहीं आया जिसकी बिना पर उन्हें ये ऊँट दिये गये थे जो शायद ये है कि नबी (ﷺ) ने उनसे कुछ ऊँट उधार लिये थे और जब वापस किये तो वह हक़ीक़त में सदक़े के थे। और इमाम बैहक़ी (रह.) का भी यही कहना है कि इस रिवायत के दो मानी है ... मुमकिन है कि ये तहरीम सदक़े से पहले की बात हो और आले रसूल (ﷺ) के लिए हुरमते सदक़ा बाद में नाज़िल हूई हो। और दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि शायद आपने हज़रत अब्बास से ऊँट मिस्कीनों के लिए उधार लिये थे जो बाद में आपने सदक़े के ऊँटों में से वापस किये। (औनुल माबूद)

बाब : 31
फ़क़ीर सदक़े के माल में से ग़नी को हदिया दे तो जायज़ है

﴿31﴾ باب الفَقِيرِ يُهْدِي لِلْغَنِيِّ مِنَ الصَّدَقَةِ

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَحْمٍ قَالَ " مَا هَذَا " . قَالُوا شَىْءٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ " هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ " .

(1655) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में गोश्त पेश किया गया तो आपने पूछा: 'ये क्या है?' कहने लगे: बरीरह को सदक़ा दिया गया था (ये उसी में से है) आपने फ़रमाया: 'वह उसके लिए सदक़ा और हमारे लिये हदिया है।'

(1655) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1495, मुस्लिम, हदीस : 1074.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़ा और हदिया में फ़र्क़ ये है कि सदक़ा इन्सान के फ़क़ीरी व मजबूरी के पेशेनज़र अल्लाह की रज़ा और आख़िरत के सवाब के लिए दिया जाता है... जबकि हदिया ... दिये जाने वाले के इकराम और उससे क़ुरबत की ग़र्ज़ से दिया जाता है। नबी (ﷺ) के लिए सदक़ा हराम होने की हिकमत ये बयान की जाती है कि नबी (ﷺ) की शान के लायक़ नहीं था कि आप पर अल्लाह के सिवा किसी और का एहसान बाक़ी रहे, इसलिए आपने अपने ऊपर सदक़ा हराम क़रार दिया था जबकि आप हदिया क़बूल फ़रमाते और साहिबे हदिया को उसका बदला देकर उसके एहसान से बरी उज़्ज़िम्मा हो जाते थे। **(2)** इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि फ़क़ीर व मिस्कीन सदक़े का मालिक बन जाने के बाद इसमें कामिल तसर्रूफ़ का हक़ रखता है, ख़्वाह हदिया दे या दूसरों को सदक़ा दे, जायज़ है।

बाब : 32
किसी ने सदक़ा दिया फिर उसका वारिस बन गया (तो ले ले, जायज़ है)

﴿32﴾ بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرِثَهَا

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ.قَالَ "قَدْ وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ" .

(1656) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मरवी है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आई और कहने लगी कि मैंने अपनी वालिदा को एक लौंडी बतौर सदक़ा दी थी जब कि वालिदा अब फ़ौत हो गई है और वह लौंडी अपने तर्के में छोड़ गई है। आपने फ़रमाया: 'तेरा अज्र व सवाब हो गया और वह लौंडी विरासत में तुझे लौट आई।'

(1656) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस : 1149.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वालिदैन की ख़िदमत औलाद पर वाजिब है और ये कि वह माली तौर पर भी उनकी किफ़ालत करें। मगर फ़र्ज़ी सदक़ात उनको नहीं दिये जा सकते। **(2)** हदीस में मज़कूर सूरत, सदक़ा लौटा लेने की मारूफ़ सूरत नहीं है, जो मना है।

बाब : 33
माल के हुक़ूक़ का बयान

﴿33﴾ بَابٌ فِي حُقُوقِ الْمَالِ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نَعُدُّ الْمَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَارِيَةَ الدَّلْوِ وَالْقِدْرِ .

(1657)हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद(ﷺ) बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में (अलमाऊन) से मुराद ये लेते थे कि किसी को इस्तेमाल की ग़र्ज़ से आरयतन डोल दे दिया या हन्डीया दे दी।

(1657) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 11701.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सूरह अलमाऊन में है 'हलाकत है उन नमाज़ियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से ग़ाफ़िल हैं, दिखलावा करते हैं और बरतने की चीज़ें नहीं देते।' यक़ीनन आम इस्तेमाल की चीज़ें लेना देना मुआशरती ज़िन्दगी का लाज़िमा हैं और सहाबा किराम इसे माल का शरई हक़ समझते थे। **(2)** खुले दिल से आम चीज़ें आरयतन दे देना उम्दा अख़लाक़ व मुआशरत की दलील है मगर इसमें ये नहीं कि कोई माँगे ताँगे ही से गुज़र बसर शूरू कर दे। ये सोच और अमल हद से ज़्यादा पस्ती का ग़म्माज़ है। हाँ कभी कोई ज़रूरत पड़े तो ऐब नहीं।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلاَّ جَعَلَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جَبْهَتُهُ وَجَنْبُهُ وَظَهْرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ وَمَا مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلاَفِهَا لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلاَ جَلْحَاءُ كُلَّمَا مَضَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ

(1658) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो कोई साहिबे ख़ज़ाना उसका हक़ अदा ना करता रहा हो, तो अल्लाह तआला क़यामत के रोज़ उस माल को इस तरह कर देगा कि जहन्नम की आग से उसे तपाया जायेगा, फिर उससे उस (के मालिक) की पेशानी, पहलू और कमर को दाग़ा जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बंदों में फ़ैसला फ़रमायेगा, उस रोज़ कि जिसकी तवालत (लम्बाई) तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार साल है, इसके बाद वह अपनी राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़। और जो कोई बकरियों वाला उनका हक़ अदा ना करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ उन बकरियों को लाया जायेगा, उससे ज़्यादा फ़रबा हालत में जितनी कि वह पहले थीं, और उसे एक साफ़ चटयल मैदान में औंधा लेटा दिया जायेगा, चूनांचे वह बकरियां उसे अपने सींगों से मारना और अपने खुरों से रौंदना शूरू करेंगी और उनमें कोई भी मुड़े हूए सींगों वाली या बे सींगों के न होगी। ज्योंही

أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ
ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ
وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَّ
جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْفَرَ مَا كَانَتْ فَيُبْطَحُ
لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ فَتَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا كُلَّمَا مَضَتْ
عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا حَتَّى يَحْكُمَ
اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ
إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ".

(उनका एक चक्कर पूरा होगा और) आख़री बकरी गुज़रेगी पहले वाली को उस पर लौटाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बंदों में फ़ैसला फ़रमायेगा, उस दिन कि जिसकी तवालत तुम्हारे हिसाब से पचास हज़ार साल है, उसके बाद अपनी राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़। और जो कोई ऊँटों वाला उनका हक़ अदा न करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ उन्हें लाया जायेगा, उससे ज़्यादा फ़रबा हालत में, जितने कि वह उससे पहले थे। और मालिक को एक साफ़ चटयल मैदान में औंधा लेटा दिया जायेगा और फिर वह उसे अपने पैरों से रौंदना शूरू कर देंगे ज्योंही (उनका एक चक्कर पूरा होकर) आख़री ऊँट गुज़रेगा, पहले वाले को लौटाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बंदों में फ़ैसला फ़रमायेगा, उस दिन कि जिसकी लम्बाई तुम्हारे शुमार में पचास हज़ार साल है, फिर उसके बाद वह अपनी राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।'

(1658) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/262, व मुस्लिम, हदीस: 987.

फ़ायदा : सोने चाँदी की अगर ज़कात अदा ना की जाये तो वह बाइसे वबाल कन्ज़ (ख़ज़ाना) बन जाता है जिसका ज़िक्र सूरह तौबा: 34, 35 में है: 'और जो लोग सोना और चाँदी जोड़ जोड़ कर रखते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते उनको दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़ूशख़बरी दे दें। जिस दिन कि उसे जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, उनके पहलू और उनकी कमरें दाग़ी जायेगी (और कहा जायेगा) यही है वह जो तुम अपने लिये सेंत सेंत कर रखते थे, अब इसके जोड़ने का मज़ा चखो।'

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ . قَالَ فِي قِصَّةِ الإِبِلِ بَعْدَ قَوْلِهِ " لاَ يُؤَدِّي حَقَّهَا " . قَالَ " وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا "

(1659) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने नबी (ﷺ) से इसी की मानिन्द बयान किया। और ऊँटों के बयान में जो ज़िक्र हुआ कि 'जो उनके हक़ अदा ना करता रहा था' ... के बाद कहा ... 'और उनके हक़ में से ये है कि जिस दिन उन्हें पानी पिलाने के लिए लाये उनका दूध दूहे।'

(1659) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2371, व मुस्लिम, हदीस: 987.

फ़ायदा : पानी पिलाने के दिन हाजतमंद आसरा लगाये आ जाते हैं कि उस दिन दूध दूहने से उनको कुछ मिलेगा। उस दिन से पहले दूह लेना बुख़्ल और कन्जूसी की अलामत और फ़क़ीरों को महरूम करने का ज़रिया है। इसलिए मज़मूम है। यानी पानी पर लाने के दिन दूध दूह कर इलाक़े के रहने वाले और दीगर राही मुसाफ़िरों को हदिया करे। ये अमल मुस्तहब व अच्छा है जैसे कि नीचे की रिवायत में हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने वाज़ेह किया है।

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عُمَرَ الْغُدَانِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ لَهُ - يَعْنِي لأَبِي هُرَيْرَةَ - فَمَا حَقُّ الإِبِلِ قَالَ تُعْطِي الْكَرِيمَةَ وَتَمْنَحُ الْغَزِيرَةَ وَتُفْقِرُ الظَّهْرَ وَتُطْرِقُ الْفَحْلَ وَتَسْقِي اللَّبَنَ .

(1660) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इसी (पिछले) क़िस्से की मानिन्द सुना। शागिर्द ने हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) से पूछा कि ऊँटों का क्या हक़ है? उन्होंने कहा: तू बेहतरीन ऊँट दे दे (अल्लाह की राह में), ज़्यादा दूध देने वाली ऊँटनी अतिया कर दे, कोई सवारी आरयतन दे दे, और जुफ़्ती के लिये नर दे दे और लोगों को दूध पिला दे।

(1660) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2444, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2322, वल हाकिम.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ

(1661) जनाब उबैद बिन उमैर (रह.) (ताबेई) बयान करते हैं कि एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! ऊँटों का

عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الإِبِلِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ زَادَ " وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا "

क्या हक़ है? तो पिछली हदीस़ की मानिन्द ज़िक्र किया और मज़ीद कहा: 'उसका डोल आरयतन दे देना।'

(1661) **तख़रीज** : मुस्लिम, हदीस़: 988.

फ़ायदा : 'डोल आरयतन' देने से मुराद मारूफ़ पानी खीचने का बर्तन हो सकता है। ये भी ख़ैर में तआवुन की एक सूरत है। और ये सब काम मुस्तहब, मन्दूब और फ़ज़ीलत व शर्फ़ वाले हैं।

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَادٍّ عَشَرَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوٍ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَسَاكِينِ .

(1662) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने खजूरों का फल तोड़ने वाले सब लोगों को हुक्म दिया था कि जो कोई दस वस्क़ खजूर काटे वह एक खौशा मसाकीन के लिए मस्जिद में लटका दिया करे।

(1662) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/359, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस़: 2469.

फ़ायदा : ये अम्र इरशाद व इस्तेहबाब था (वजूब के लिए नहीं) उश्र (दस्वाँ हिस्सा) उसके अलावा होता था जो वाजिब है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُهَا يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ

(1663) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ थे कि एक आदमी अपनी ऊँटनी पर आया और उसे दायें बायें घुमाने लगा तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसके पास कोई ज़ायद सवारी हो वह उस शख़्स को दे दे जिसके पास सवारी न हो। और जिसके पास खाने पीने की कोई ज़ायद चीज़ हो वह उस शख़्स को दे दे जिसके पास तौशा न हो।' (आपके इस इरशाद से) हमने ये समझा कि हमारे ज़्यादा मालों में हमारा कोई हक़ नहीं है।

فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ " . حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ

(1663) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 1728.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये ऊँटनी वाला जो उसे घुमा रहा था शायद थक गई थी और चलने से आजिज़ थी। उस शख़्स ने ये अन्दाज़ इख़्तियार किया ताकि नबी (ﷺ) देख लें और कोई दूसरी इनायत फ़रमा दें। (2) इन्तेहाई ज़रूरत और तंगी के अहवाल में ज़ायद माल मोहताजों तक पहुँचाना जैसे कि क़हत में होता है, वाजिब है और आम हालात में मुस्तहब और मन्दूब है। इस क़िस्म के इरशादात की बिना पर हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी (ؓ) दीगर सहाबा किराम (ؓ) से, जो ग़नी और मालदार थे, माल जमा रखने पर तकरार किया करते थे।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ } قَالَ كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ . فَانْطَلَقَ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلاَّ لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ " . فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ " أَلاَ أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ

(1664) हज़रत इब्ने अब्बास (ؓ) से मनक़ूल है कि जब ये आयते करीमा (वल्लज़ीना यकनिज़ूनज़्ज़हब वलफ़िज़्ज़ता) नाज़िल हुई तो इससे मुसलमानों को बहुत गिरानी हुई। हज़रत उमर (ؓ) ने कहा: मैं तुम्हारी मुश्किल दूर करता हूं, चूनांचे वह सब आये और उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) आपके अस्हाब को ये आयत बहुत भारी महसूस हो रही है तो रसूलुल्लाह! ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने ज़कात फ़र्ज़ ही इसलिए की है कि इससे तुम्हारा बक़ीया माल पाक हो जाये। और विरासत इसलिए फ़र्ज़ फ़रमाई है कि तुम्हारे बाद वालों को मिले।' इस पर हज़रत उमर (ؓ) ने कहा: (अल्लाहु अकबर) फिर आपने उससे फ़रमाया: 'कहा मैं तुझे ख़बर न दूं कि वह क्या बेहतरीन चीज़ है जो इन्सान ख़ज़ाना बनाता है?' फ़रमाया: 'वह नेक सालेह बीवी है, जब उसकी तरफ़ देखे तो उसे ख़ूश कर दे, उसे कोई बात कहे तो मान ले और जब वह ग़ायब हो तो उस (के घर, माल और अपनी

الصَّالِحَةُ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ " .

आबरू) की हिफ़ाज़त करे।'

(1664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 1/408, 409, बैहक़ी: 4/83.

﴾34﴿ باب حَقِّ السَّائِلِ

बाब : 34 साइल का हक़

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ " .

(1665) हज़रत हुसैन बिन अली (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'साइल का हक़ है' ख़्वाह वह घोड़े ही पर सवार होकर आये।'

(1665) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/201, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2468, मौता: 2/996.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ شَيْخٍ، قَالَ رَأَيْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .

(1666) हज़रत हुसैन (ﷺ) ने अपने वालिद हज़रत अली (ﷺ) से, उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ... पिछली हदीस के मिस्ल रिवायत किया।

(1666) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : एक मुसलमान जिसने अपनी आबरू को दाव पर लगाते हूए सवाल करने की आर को क़बूल कर लिया हो तो उसे बयक लफ़्ज़ झुठला देना मुनासिब नहीं। मुमकिन है वह किसी ऐतबार से मुस्तहिक़ हो, जैसे बहुत ज़्यादा बच्चे रखता हो या क़र्ज़ के बोझ तले दबा हूआ हो या अपने वतन से दूर और मुसाफ़िर हो या किसी का ज़ामिन हो, वग़ैरह कई अस्बाब हो सकते हैं। इसलिए बिलावजह उसकी तकज़ीब व तहक़ीर न की जाये बल्कि जो मुनासिब हो, तआवुन कर दिया जाये और नसीहत करने से भी दरेग़ न किया जाये जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस (1626 से 1634) में गुज़रा है।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُجَيْدٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتْ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ إِنَّ الْمِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا أَجِدُ لَهُ شَيْئًا أُعْطِيهِ إِيَّاهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنْ لَمْ تَجِدِي لَهُ شَيْئًا تُعْطِينَهُ إِيَّاهُ إِلاَّ ظِلْفًا مُحْرَقًا فَادْفَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يَدِهِ " .

(1667) हज़रत उम्मे बुजैद (ﷺ) से रिवायत है और वह उन औरतों में से थीं जिन्होंने रसूलुल्लाह(ﷺ) से बैअत की थी। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह की आप पर रहमतें नाज़िल हो, मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर आ खड़ा होता है और मेरे पास उसे देने को कुछ नहीं होता जो मैं उसे दूं? आपने फ़रमाया: 'अगर तुम्हें उसे देने को कुछ न मिले' और तुम्हारे पास बकरी का जला हूआ खुर ही हो तो वही उसके हाथ में दे दो।'

तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 665, नसाई, हदीस: 2575, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2473, इब्ने हिब्बान, हदीस: 824, हाकिम: 1/417.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि साइल को कुछ न कुछ ज़रूर दो। ख़ाली हाथ न लौटाओ मगर पेशावर आदी साइल का ये हुक्म नहीं। पेशावर फ़कीरों को देना, फ़कीरों की हौसला अफ़ज़ाई है जो जुर्म है। ताहम जिसका पेशावर होना यक़ीनी न हो तो उसकी हस्बे इस्तेताअत मदद करनी चाहिए।

(35) بَابُ الصَّدَقَةُ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

बाब : 35 ज़िम्मियों को सदक़ा देना

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ، قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّي رَاغِبَةً فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ

(1668) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (ﷺ) से रिवायत है, बयान करती है कि कुरैश के साथ मुआहिदा हुदैबिया के दिनों में मेरी वालिदा मेरे पास (मदीने में) आई जब कि वह (इस्लाम को) नापसन्द करती थी और मुश्रिका थी। मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा मेरे यहाँ

عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِمَةٌ مُشْرِكَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ " نَعَمْ فَصِلِي أُمَّكِ " .

आई है और (इस्लाम को) नापसन्द करती है और मुश्रिका है। क्या मैं उसके साथ हुस्ने सुलूक करूं? आपने फ़रमाया: 'हाँ अपनी माँ के साथ हुस्ने सुलूक और सिलारहमी का मामला करो।'

(1668) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2620, मुस्लिम, हदीस: 1003.

फ़ायदा : रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक से पेश आना, इस्लामी तअलीम का लाज़मी हिस्सा और मुसलमानों का शेआर है मगर अल्लाह के वास्ते गहरी और राज़दाराना मुहब्बत मुसलमानों ही से ख़ास है। काफ़िर लोगों या काफ़िर अज़ीज़ों को फ़र्ज़ ज़कात या वाजिब सदक़ात नहीं दिये जा सकते मगर ये कि जिसका दिल इस्लाम की तरफ़ माइल हो रहा हो के ज़िम्न में आते हो। नफ़्ल सदक़ात देने में कोई हर्ज नहीं। ख़ास तौर पर वालिदैन का तो हक़ है कि औलाद उन पर ख़र्च करे। काफ़िर होना उनका अपना मामला है जो अल्लाह के साथ है। सूरह लुक़मान में है: 'अगर वह तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहा मत मान और दुनिया के उमूर में उनके साथ अच्छा सुलूक कर।' (लुक़मान: 15)

﴾36﴿ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ

बाब : 36 वह चीज़ें जिनका रोकना जायज़ नहीं

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ، عَنْ سَيَّارِ بْنِ مَنْظُورٍ، - رَجُلٍ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، يُقَالُ لَهَا بُهَيْسَةُ عَنْ أَبِيهَا، قَالَتِ اسْتَأْذَنَ أَبِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَمِيصِهِ فَجَعَلَ يُقَبِّلُ وَيَلْتَزِمُ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّىْءُ

(1669) बुहैसा (ﷺ) अपने वालिद से नक़ल करती हैं कि मेरे वालिद ने नबी (ﷺ) से मिलने की इजाज़त चाही। और वह आपकी क़मीस़ और आपके दरम्यान दाख़िल हो गये और आपका जिस्म चूमने और उससे लिपटने लगे। फिर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वह क्या चीज़ है जिसका रोक लेना हलाल नहीं? आपने फ़रमाया: 'पानी' फिर पूछा: ऐ अल्लाह के नबी! वह

الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ " الْمَاءُ " . قَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "الْمِلْحُ". قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَحِلُّ مَنْعُهُ قَالَ "أَنْ تَفْعَلَ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ"

क्या चीज़ है जिसका रोक लेना हलाल नहीं? फ़रमायाः 'नमक' फिर पूछाः ऐ अल्लाह के नबी! वह क्या चीज़ है जिसका रोक लेना हलाल नहीं ? आपने फ़रमायाः 'जो भलाई भी तुम करो, वह तुम्हारे लिए ख़ैर है।'

(1669) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 3/480: 3476, इब्ने हिब्बान.

फ़ायदा : पानी और नमक ऐसी आम और कसीरूल इस्तेमाल चीज़ हैं कि इनसे बुख़्ल इन्तेहाई बुरी सिफ़त है। बिलख़ुसूस पानी जब बिला मशक्क़त क़ुदरती ज़राये से हासिल हो रहा हो, जैसे तालाब, चश्मा, नहर और कूंओं, अलबत्ता ऐसी जगहें जहां पानी के हुसूल में मेहनत और माल ख़र्च हूआ हो तो मालिक को इख़्तियार है लेकिन सदक़ा करना यक़ीनन अफ़ज़ल और शर्फ़ की बात है।

﴿37﴾ بابُ الْمَسْأَلَةِ فِي الْمَسَاجِدِ

बाब : 37 मसाजिद में सवाल करना ...?

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَطْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا " . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه - دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا أَنَا بِسَائِلٍ يَسْأَلُ فَوَجَدْتُ كِسْرَةَ خُبْزٍ فِي يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَخَذْتُهَا مِنْهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ .

(1670) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र(ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पूछाः 'क्या तुममें कोई है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना खिलाया हो?' तो अबूबक्र(ﷺ) ने जवाब दियाः मैं मस्जिद में दाख़िल हो रहा था तो मैंने एक साइल को सवाल करते हूए देखा, मैंने (अपने साहबज़ादे) अब्दुर्रहमान के हाथ में रोटी का एक टुकड़ा पाया, तो वह मैंने उससे लेकर उस साइल को दे दिया।

1670) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिमः 1/412, मुस्लिम, हदीसः 1028.

फ़ायदा : ये रिवायत इस सनद के साथ ज़ईफ़ है। इसलिए साइल वाला क़िस्सा सही है न इससे बाब के

मसले का इस्बात या उसकी नफ़ी ही होती है। ताहम दूसरे दलाइल से मस्जिद में दीनी ज़रूरत के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए सवाल करना साबित है, अलबत्ता ये रिवायत एक दूसरे अन्दाज़ से सही मुस्लिम में आई है। उसमें है: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सहाबा से पूछा: 'आज तुममें से किसी ने रोज़ा रखा है?' हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मैंने (रखा है) आपने पूछा: 'आज तुममें से किसी ने जनाज़े में शिर्कत की है?' हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मैंने। आपने पूछा: 'तुममें से आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया है?' हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मैंने। आपने फिर पूछा: 'तुममें से किसी ने आज किसी बीमार की मिज़ाजपुर्सी की है?' हज़रत अबूबक्र (ﷺ) ने कहा: मैंने। पस रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसमें भी ये ख़ूबियाँ जमा होंगी, वह ज़रूर जन्नती है।' (सही मुस्लिम, अज़्ज़कात, हदीस: 1028)

बाब : 38
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल' के चेहरे का वास्ता देकर सवाल करना ना पसंदीदा है

﴿38﴾
بَاب كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ بِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقِلَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُعَاذٍ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللَّهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ"

(1671) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के चेहरे का वास्ता देकर सिर्फ़ जन्नत ही का सवाल किया जा सकता है।'

(1671) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी फ़िल कामिल: 3/1107, मुस्लिम, हदीस: 1418.

मल्हूज़ : इस हदीस की सनद महल्ले नज़र (डाउटफुल) है ताहम मानी वाज़ेह हैं कि जन्नत के मुक़ाबले में दुनिया अल्लाह के यहां परेकाह बल्कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और 'अल्लाह का चेहरा और उसका नाम' अपनी अज़मत और जलालते शान में बेमिस्ल व बेमिसाल है तो उसे दुनिया जैसी हक़ीर चीज़ के हुसूल के लिए वास्ते बनाना मुनासिब नहीं, चाहे कि इसके वास्ते से अज़ीम चीज़ 'जन्नत' ही का सवाल किया जाये। इसके बाद आने वाली हदीस इसके मुक़ाबले में सही है और इसमें रूख़सत है कि साइल 'अल्लाह के वास्ते' से कोई सवाल कर सकता है। और इस हदीस में (वज्हुल्लाह) अल्लाह की ख़ास सिफ़त की बात है जिससे मुराद अल्लाह तआला का चेहरा ही है, जैसा कि उसकी शान के लायक़ है। उसकी तावील जायज़ है न तमसील व तश्बीह व तअतील (वल्लाहू आलम) नीज़ देखें : (तअलीक़ अश्शैख़ अल्लामा अलबानी (रह.) मिश्कातुल मसाबीह, हदीस: 1944)

बाब : 39
जो शख़्स अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नाम पर सवाल करे, उसको देना चाहिए

﴿39﴾
باب عَطِيَّةِ مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ

(1672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह के वास्ते से पनाह माँगे उसको अमान दो। और जो शख़्स अल्लाह के नाम से सवाल करे उसको दो। और जो तुम्हारी दावत करे उसकी दावत क़बूल करो। और जो तुम्हारे साथ एहसान करे उसका बदला दो। अगर बदला देने के लिए कोई चीज़ न पाओ तो उसके हक़ में दुआ करो यहां तक कि तुम समझ लो कि उस (के एहसान) का बदला दे दिया है।'

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيذُوهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " .

(1672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 2568, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2071, हाकिम: 1/412.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अल्लाह के नाम का वास्ता देकर माँगना जायज़ है। (2) ऐसे साइल को देने का हुक्म इसलिए ताकीदी है कि उसने रब तआला का अज़ीम वास्ता पेश किया है, और उस नाम की अज़मत का लिहाज़ करना चाहिए। (3) मोहसिन के एहसान का बदला देना भी लाज़मी अम्र और हुस्ने अख़्लाक़ का हिस्सा है। अगर कोई माल वग़ैरह न हो तो मोहसिन को कसरत से दुआए ख़ैर देनी चाहिए। जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस में आता है: 'जिस शख़्स पर कोई एहसान किया गया और उसने जवाब में (जज़ाकल्लाह ख़ैर) 'अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे।' 'कह दिया तो उसने उसकी मदह में बहुत मुबालग़ा किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2035) एक अज़ीम दुआ है बशर्तेकि ईमान व यक़ीन से दी जाये।

बाब : 40
अगर कोई अपना सारा ही माल सदक़ा करना चाहे?

(1673) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी(ﷺ) बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में थे कि अचानक एक आदमी आया, उसके पास अंडे के बराबर सोना था, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल(ﷺ)! मुझे ये एक खान से मिला है आप इसे ले लिजिए, ये सदक़ा है, मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे मुँह फेर लिया, तो वह आपकी दायें जानिब से आया और पहले की तरह कहा। आपने उससे मुँह फेर लिया। फिर वह आपके पीछे से आया। तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे वह सोना लेकर फैंक दिया। अगर वह उसे लगता तो उससे उसको चोट लगती बल्कि वह उसे ज़ख़्मी कर देता। तब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई अपना सब माल लेकर आ जाता है और कहता है कि ये सदक़ा है। फिर लोगों से माँगने बैठ जाता है। बेहतरीन सदक़ा वही है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद दिया जाये।'

(1673) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी, हदीस: 1666, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2441, हाकिम: 1/413.

﴿40﴾
باب الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنْ مَالِهِ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بِمِثْلِ بَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ هَذِهِ مِنْ مَعْدِنٍ فَخُذْهَا فَهِيَ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهَا . فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكْنِهِ الأَيْسَرِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ أَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَحَذَفَهُ بِهَا فَلَوْ أَصَابَتْهُ لأَوْجَعَتْهُ أَوْ لَعَقَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَأْتِي أَحَدُكُمْ بِمَا يَمْلِكُ فَيَقُولُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى"

नोट: इस रिवायत का सिर्फ़ आख़री जुमला सही और साबित है और आइन्दा हदीस: 1676 में आ रहा है। इसलिए ये वाक़िया तो सही नहीं है। लेकिन इसमें रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ मन्सूब क़ौल का मफ़हूम व मानी दूसरे दलाइल से साबित है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " خُذْ عَنَّا مَالَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ " .

(1674) इब्ने इस्हाक़ ने अपनी पिछली सनद से और इसके हम मानी बयान किया। इसमें मज़ीद ये है कि आप (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमसे अपना माल ले जाओ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं।' (नबी(ﷺ) ने इसे क़बूल नहीं फ़रमाया)

तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुज़ैमा, ह; 2441

फ़ायदा : ऐसा सदक़ा या कोई नेकी जो जज़्बात में आकर की जाये मगर उसके ज़ाहिरी असरात उसके करने वाले की बर्दाश्त से बाहर हों कि बाद में उस पर अफ़सोस करने लगे या वह नेकी ही उसे बुरी लगने लगे तो ये बहुत बुरी कैफ़ियत है। इन्सान को पहले सोच समझ कर क़दम उठाना चाहिए बिलख़ुसूस सदक़ात के मामले में। और कुछ नाम निहाद सुफ़िया में ये बात मौजूद है कि पहले अपना सब कुछ लंगर में दे देते हैं, फिर लोगों से बटोरना शुरू कर देते हैं ... वला हौला वला क़ूव्वता इल्ला बिल्लाह मगर ऐसे मुख़िलसीन जो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हों उन्हें किसी मलाल का अन्देशा न हो तो उनके लिये अपना तमाम माल सदक़ा कर देने की रूख़सत भी है, जैसे कि अगले बाब में आ रहा है।

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النَّاسَ أَنْ يَطْرَحُوا ثِيَابًا فَطَرَحُوا فَأَمَرَ لَهُ مِنْهَا بِثَوْبَيْنِ ثُمَّ حَثَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ "خُذْ ثَوْبَكَ"

(1675) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि एक आदमी मस्जिद में दाख़िल हूआ तो नबी (ﷺ) ने लोगों को हुक्म दिया कि कपड़े दो (सदक़ा के तौर पर) और उस (आने वाले) के बारे में फ़रमाया कि इसे दो कपड़े दे दो। आपने फिर (दोबारा) सदक़े की तरग़ीब दी तो उस शख़्स ने भी अपना एक कपड़ा फैंक दिया। आपने इसे डांट कर फ़रमाया: 'अपना कपड़ा उठा लो।'

(1675) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 511, नसाई, हदीस: 2537, हुमैदी, हदीस: 741.

फ़ायदा : इसकी वज़ाहत नीचे की हदीस में है।

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ خَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى أَوْ تُصُدِّقَ بِهِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "

(1676) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा बेहतरीन सदक़ा वह है जो ग़िना (लोगों से बेन्याज़ी) को बाक़ी रहने दे या ये कि उस कैफ़ियत में सदक़ा किया जाये कि ख़ूद मोहताज और ज़रूरतमंद न हो (बल्कि ग़नी हो) और उनसे शूरू करो जिनकी किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।'

(1676) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5355.

फ़ायदा : मतलब ये है कि सदक़ा करने के बाद, अगर इन्सान ख़ूद ही अपनी बुनियादी ज़रूरियात के पूरा करने के लिए दूसरों का मोहताज हो जाये तो ऐसा सदक़ा नापसन्दीदा है। इसलिए बेहतरीन सदक़ा उसे क़रार दिया गया है कि वह देने के बाद इन्सान दूसरों का मोहताज न हो।

﴾41﴿ باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

बाब : 41 सारा माल सदक़ा कर देने की रूख़सत

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ "جُهْدُ الْمُقِلِّ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ "

(1677) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मनक़ूल है, उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'कम माल वाले का मेहनत मशक्क़त करके देना। और शूरू उनसे करो जिनकी किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।'

तख़रीज:(सनद सही) मुसनद अहमद: 2/358, इब्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 2444, 2451, हाकिम: 1/414.

फ़ायदा : जो शख़्स ख़ूद कफ़ाफ़ की हालत में हो कि ताज़ा मज़दूरी करके लाये और फिर उसी में से सदक़ा भी करे तो ये उसके 'अल्लाह वाला' होने की अज़ीम दलील है। ऐसा शख़्स यक़ीनन कामिल अल्लाह पर भरोसा रखने वाला और जन्नत का ख़्वाहिशमंद है। ऐसा सदक़ा अपनी ज़ाहिरी बरकात भी लाता है मगर साथ ही इसमें ये तालीम भी है कि अपने ज़ेरे किफ़ालत अफ़राद से शूरू किया जाये, उन पर ख़र्च करने का दोहरा सवाब है।

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، - رضى الله عنه - يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عِنْدِي فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ " . قُلْتُ مِثْلَهُ . قَالَ وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ" . قَالَ أَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . قُلْتُ لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَىْءٍ أَبَدًا .

(1678) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया। इस मौक़े पर मेरे पास माल भी था। चूनांचे मैंने (दिल में) कहा: अगर मैं अबूबक्र (ﷺ) से सब्क़त लेना चाहूं तो आज ले सकता हूं। चूनांचे मैं अपना आधा माल (आपकी ख़िदमत में) ले आया। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने पूछा: 'तुमने अपने घर वालों के लिए क्या बाक़ी छोड़ा है?' मैंने कहा: इसी क़द्र (छोड़ आया हूं) और फिर हज़रत अबूबक्र(ﷺ) अपना कुल माल (आपके पास) ले आये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे पूछा: 'तुमने अपने घर वालों के लिये क्या बाक़ी छोड़ा है?' कहा: मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। तब मुझे कहना पड़ा: मैं किसी चीज़ में कभी भी उनसे नहीं बढ़ सकता।

(1678) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, हदीस: 3675, हाकिम: 1/414.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो हज़रात भरोसा रखने वाला और दिल के ग़नी हों कि कुल माल सदक़ा करने की वजह से आने वाले फ़क़्र को बख़ूशी क़बूल और बर्दाश्त कर सकते हों उनको ऐसे अमल की रूख़्सत है, वरना आम लोगों के लिए वही हुक्म है जो हदीस 1676 और इसके फ़ायदे में बयान हूआ है। नीज़ इस हदीस में अबू बक्र व उमर की फ़ज़ीलत और हज़रत अबूबक्र (ﷺ) की अफ़ज़लियत का बयान है। (2) ये हदीस नेकी के कामों में मुसाबिक़त और मुक़ाबला करने पर दलालत करती है।

باب في فضل سقي الماء
﴿42﴾

बाब : 42
पानी पिलाने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعْدًا، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَىُّ الصَّدَقَةِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ قَالَ " الْمَاءُ " .

(1679) हज़रत सअ़द (बिन उबादह) (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आये और पूछा कि आपके नज़दीक कौनसा सदक़ा ज़्यादा पसन्दीदा है? आपने फ़रमाया: 'पानी'

(1679) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 3694, 3695, इब्ने माजा, हदीस: 3684, इब्ने हिब्बान, हदीस: 858, हाकिम, हदीस: 1/414

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ .

(1680) मुहम्मद बिन अ़ब्दुर्रहीम अपनी सनद से हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) से, वह नबी(ﷺ) से पिछली हदीस की मानिन्द रिवायत करते हैं।

(1680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ " الْمَاءُ " قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ .

(1681) हज़रत सअ़द बिन उ़बादा (ﷺ) से मनक़ूल है, उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (मेरी वालिदा) उम्मे सअ़द फ़ौत हो गई हैं तो कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है? (जो मैं उनकी तरफ़ से करूं) आपने फ़रमाया: 'पानी' चूनांचे उन्होंने एक कूआँ खरीदवाया और कहा कि ये (मेरी वालिदा) उम्मे सअ़द की तरफ़ से है।

(1681) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)

फ़ायदा : मरने वाले की तरफ़ से बताये हुए अन्दाज़ में माली सदक़ा, ईसाले सवाब की शानदार मशरूअ मिसाल है। ख़ूद साख़्ता रस्मों, रितियों और बिदअतों ने साफ़ सुथरे पाक़ीज़ा दीन को धुंधला करके रख दिया है। ये अहादीस पानी के सदक़े की फ़ज़ीलत भी वाज़ेह करती हैं कि इन्सानों, जानवरों, मुसाफ़िरों और नमाज़ियों वग़ैरह के लिए ज़रूरत की जगह पर उसका एहतमाम बड़े अज्र का काम है।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، - الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ فِي بَنِي دَالاَنَ - عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِمًا ثَوْبًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ "

(1682) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) नबी करीम (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'जो मुसलमान किसी मुसलमान को कपड़ा पहनाये जबकि वह नंगा हो तो अल्लाह तआला उसे जन्नत की सब्ज़ पोशाक पहनायेगा। और जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को खिलाया जबकि वह भूखा हो तो अल्लाह उसे जन्नत के फलों से खिलायेगा। और जिस मुसलमान ने किसी मुसलमान को पिलाया जबकि वह प्यासा हो तो अल्लाह उसे जन्नत की ख़ालिस शराब से पिलायेगा।'

(1682) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: 4/185, तिर्मिज़ी, हदीस: 2449.

«43» باب فِي الْمَنِيحَةِ

बाब : 43
दूध के लिये जानवर हदिया करने की फ़ज़ीलत

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي

(1683) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चालीस ख़स्लतों में से सबसे आला ख़स्लत 'दूध की बकरी' हदिया करना है, जो कोई बंदा उनके सवाब की उम्मीद

كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ مَا يَعْمَلُ رَجُلٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

और उन पर किये गये वअ़दे की तस्दीक़ की बिना पर किसी एक पर भी अमल कर ले तो अल्लाह उसे उसके सबब जन्नत में दाख़िल फ़रमायेगा।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुसद्दद की रिवायत में हस्सान बिन अ़तिया ने कहा: हमने दूध की बकरी के हदिया के अ़लावा (दीगर आ़माल जैसे) सलाम और छींक का जवाब देना और रास्ते से अज़ीयत वाली चीज़ दूर करना, वग़ैरह शुमार करने की कोशिश की मगर पन्द्रह ख़स्लतों तक भी नहीं पहुँच सके। (मालूम नहीं वह कौन कौन सी हैं)

(1683) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2631

फ़वाइद व मसाइल : (1) (अल मनीहतु) या (अल मिन्हतु) उस जानवर या चीज़ को कहा जाता है जो किसी को बतौर अ़तिया दी जाये। इसकी दो सूरतें हैं। पहली ये कि वह जानवर या चीज़ पुरे तौर पर किसी को दे देना और ख़ुद उसकी मिल्कीयत से दस्तबरदार हो जाना। दूसरी सूरत ये है कि वह चीज़ अपनी ही मिल्कीयत में रखना और आ़रज़ी तौर पर किसी को इस्तेफ़ादे के लिये दे देना और फिर बाद में वापस ले लेना। अ़तिये (मिन्हत) की ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। इसी से (मन्हत अलवरक़) है, चाँदी यानी रूपया पैसा बतौर क़र्ज़ देना। (मिन्हतुल्लबन) दूध हदिया करना ... यानी ऊँटनी, बकरी या गाय भैंस दूध के दिनों में इस्तेफ़ादे के लिए दे देना बड़ी फ़ज़ीलत का काम है। ऐसे ही फल के दिनों में कोई फलदार दरख़्त किसी ज़रूरतमंद को दे देना या काश्त के लिए ज़मीन दे देना। इस्तेफ़ादे के बाद ये चीज़ अस़ल मालिक को लौट आती है। **(2)** हदीस़ में मज़कूर ख़स्लतों के अ़लावा वह ईमान की शाख़ें, जुमा के रोज़ साअ़ते क़बूलियत और लैलतुल क़द्र वग़ैरह को मख़फ़ी रखा गया है। हिकमत ये है कि मुसलमान उनकी तलब व तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें, कहीं इन मख़सूस आ़माल ही में महसूर होकर न रह जायें।

बाब : 44
ख़ज़ांची का सवाब

﴾44﴿ باب أَجْرِ الْخَازِنِ

(1684) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा अमानतदार ख़ज़ांची जो मालिक के हुक्म के मुताबिक़ दिल की ख़ुशी से पूरा पूरा दे, यहां तक कि जिसके मुताल्लिक कहा गया है उसे दे दे, वह दो सदक़ा करने वालों में से एक है। (एक असल मालिक जिसने देने का हुक्म दिया और दूसरा ये जिसने अदा किया।)

(1684) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1438.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ - الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ - أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ " .

फ़ायदा : ऐसे ख़ज़ाने के लिए मुसलमान होने के अलावा चार शर्तें ज़िक्र की गई हैं। मालिक की इजाज़त, ख़ूशी से देना, पूरा पूरा देना और ऐसे देना जिसके बारे में हुक्म दिया गया, नीज़ ये भी मालूम हूआ कि सदक़ा करने वाले को असल मालिक की हिदायत पर पूरा पूरा अमल करना चाहिए, बग़ैर मअक़ूल उज़्र के इनमें तब्दीली नहीं करनी चाहिए।

बाब : 45
बीवी का सवाब, जो अपने शौहर के घर से सदक़ा दे

﴾45﴿ باب الْمَرْأَةِ تَتَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا

(1685) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बीवी जब अपने शौहर के घर से ख़र्च करे (सदक़ा दे) जबकि इस्राफ़ करने वाली न हो तो उसे सदक़ा करने का और उसके शौहर को कमा लाने का सवाब है और

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ

زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُ مَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ وَلِخَازِنِهِ مِثْلُ ذَلِكَ لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ " .

उसके ख़ज़ांची को भी इसी क़द्र है, इनमें से कोई भी किसी का अज्र कम नहीं करता।'

(1685) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 1425.

फ़ायदा : शौहर की साफ इजाज़त न भी हो तो उसके मिज़ाज, ज़ौक़, आदत और उर्फ़ से समझी जा सकती है। और उसके बरअक्स जहां शौहर देना चाहता हो मगर बीवी बख़ील (कन्जूस) हो ... उसका हाल ख़ूद समझा जा सकता है।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ لَمَّا بَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ قَامَتِ امْرَأَةٌ جَلِيلَةٌ كَأَنَّهَا مِنْ نِسَاءِ مُضَرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّا كَلٌّ عَلَى آبَائِنَا وَأَبْنَائِنَا - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأُرَى فِيهِ وَأَزْوَاجِنَا - فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ " الرَّطْبُ تَأْكُلْنَهُ وَتُهْدِينَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الرَّطْبُ الْخُبْزُ وَالْبَقْلُ وَالرُّطَبُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يُونُسَ .

(1686) हज़रत सअद (बिन अबी वक़्क़ास)(ﷺ) से मरवी है कि जब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने औरतों से बैअत ली तो एक बावक़ार (या लम्बे क़द वाली) औरत खड़ी हुई, गोया कि वह क़बीला मुज़र से थी, कहने लगी: ऐ अल्लाह के नबी! हम तो अपने माँ बाप, अपने बेटों ... इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा मेरा ख़्याल है उसने शौहरों का ज़िक्र भी किया ...पर बोझ हैं तो हमारे लिये उनके मालों में से क्या हलाल है? आपने फ़रमाया: 'तर चीज़ें खाओ और हदिया भी दो।'

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (रूतब) 'तर' से मुराद: रोटी, तरकारी और ताज़ा खजूर है।

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: सौरी ने भी यूनुस से ऐसे ही रिवायत की है।

(1686) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन हुमैद, हदीस: 147, हाकिम: 4/134.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ سَمِعْتُ

(1687) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब औरत अपने ख़ाविंद की कमाई से उसके कहे बग़ैर

أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ أَجْرِهِ" .

सदक़ा दे तो उसे उसके शौहर का आधा सवाब है।'

(1687) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5360, व मुस्लिम, हदीस: 1026, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 7886.

फ़वाइद व मसाइल : (1) घर के मालियात की तर्तीब व तन्सीक़ की आमद व ख़र्च का तवाज़ुन बरक़रार रहे, शौहर के वाजिबात में से है, इसलिए उ़र्फ़ व आ़दत से बढ़कर सदक़ा करने के लिए इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। सदक़ा कर देने के बाद अगर शौहर राज़ी हो तो बीवी के लिए निस्फ़ अज्र है। **(2)** उ़र्फ़ व आ़दत से मुराद हमसायों को मअ़मूल का सालन खाना पहुँचाना या साइल को देना है या कुछ इत्तिफ़ाक़ी उमूर हैं।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي الْمَرْأَةِ تَصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ لاَ إِلاَّ مِنْ قُوتِهَا وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا وَلاَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ هَمَّامٍ.

(1688) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) (से पूछा गया कि) क्या औरत अपने शौहर के घर से सदक़ा दे (या न दे)? उन्होंने कहा: नहीं, अपने हिस्से के ख़र्च से दे सकती है, (जो शौहर ने उसे दिया हो) और अज्र उन दोनों के बीच होगा। और उसके लिए हलाल नहीं कि शौहर के माल से उसकी इजाज़त के बग़ैर सदक़ा करे।

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का ये फ़तवा गोया साबक़ा हदीसे हम्माम की तज़ईफ़ है।

(1688) तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 4/193.

फ़ायदा : अल्लामा शम्सुल हक़ साहब लिखते हैं कि इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये आख़री मक़ूला अक्सर नुस्ख़ों में नहीं है बल्कि कुछ में है। जबकि पिछली हदीसे हम्माम बिन मुनब्बा बिल्कुल उ़म्दा सहीह हदीस है। इसे इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम (रह.) ने रिवायत किया है। (सही बुख़ारी, हदीस: 5360, व मुस्लिम, हदीस : 1026) इस हदीस के होते हूए उनका अपना फ़तवा (मौक़ूफ़ रिवायत) मरफ़ूअ सहीह हदीस को क्यों कर ज़ईफ़ कर सकता है। वैसे पिछली हदीस और उनके इस फ़तवा में तौफ़ीक़ो तत्बीक़ भी मुमकिन है कि बीवी को सरीह (साफ़) इजाज़त के बग़ैर उ़र्फ़ से बढ़कर सदक़ा करना हलाल नहीं क्योंकि उससे घरेलू अख़राजात का निज़ाम मुतास्सिर (सिस्टम प्रभावित) होता है। इसलिए 'इस पर गुनाह होगा' और मरफ़ूअ रिवायत के मुताबिक़ ... बग़ैर इजाज़त की सूरत में 'आधा मिलेगा' बशर्तेकि लिमिट के अन्दर अन्दर हो।

बाब : 46
रिश्ते नाते वालों के साथ मेल जोल और हुस्ने सुलूक

﴾46﴿
بَابٌ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ

(1689) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि जब आयते करीमा: (लन तनालूलबिर्र हत्ता तुन्फ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून) नाज़िल हूई तो हज़रत अबू तलहा (ﷺ) ने कहा: ऐ रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं समझता हूं कि हमारा रब हम से हमारे माल माँगता है तो आप गवाह रहें कि मैंने अपनी अरीहा वाली ज़मीन अल्लाह के लिए दी, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसे अपने क़राबतदारों में तक़सीम कर दो।' चूनांचे उन्होंने इसे हस्सान बिन साबित और उबय बिन कअ़ब में तक़सीम कर दिया।

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुझे अंसारी मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह से ये बात पहुँची है कि हज़रत अबू तलहा (ﷺ) का नसब यूँ है: अबू तलहा, ज़ैद बिन सहल बिन अस्वद बिन हराम बिन अ़म्र बिन ज़ैद मनात बिन अ़दी बिन अ़म्र बिन मालिक बिन नज्जार और हज़रत हस्सान (ﷺ) का नसब इस तरह है: हस्सान बिन साबित मुन्ज़िर बिन हराम। अबू तलहा और हस्सान दोनों तीसरे बाप यानी (पर दादा) हराम पर जमा होते हैं। और उबय (ﷺ) का नसब ये है: उबय बिन कअ़ब बिन क़ैस बिन अ़तीक बिन ज़ैद बिन मुआ़विया बिन अ़म्र बिन मालिक बिन नज्जार।

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ { لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ } قَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَى رَبَّنَا يَسْأَلُنَا مِنْ أَمْوَالِنَا فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي بِأَرِيحَاءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اجْعَلْهَا فِي قَرَابَتِكَ " . فَقَسَمَهَا بَيْنَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَلَغَنِي عَنِ الأَنْصَارِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ يَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَتِيكِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ

फ़अम्रु यज्मउ हस्सान व अबा तल्हत व उबय्या . क़ालल अंसारियु बैन उबय्य व अबी तल्हत सित्तत आबाइ .

فَعَمْرٌو يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا . قَالَ الأَنْصَارِيُّ بَيْنَ أُبَيٍّ وَأَبِي طَلْحَةَ سِتَّةُ آبَاءٍ .

अम्र (बिन मालिक) इन तीनों को जमा करता है। यानी हस्सान अबू तलहा और उबय को। अंसारी ने वज़ाहत की कि उबय और अबू तलहा में छट्ठे बाप में जाकर रिश्ता जुड़ता है।

(1689) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस़ः1461, 4555, व मुस्लिम, हदीस़: 998.

फ़ायदा : कहां ये जाहिलीयत की चचा ताउ की औलाद आपस में हरीफ़ गरदाने जाते हों और कहां ये मुहब्बत व उल्फ़त कि पर दादा बल्कि छट्ठे बाप की औलाद से इस क़द्र हुस्ने सुलूक ... कि क़ीमती ज़मीन उनके नाम लगा दी। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मूमिनीन......' (अलअन्फ़ाल: 62, 63)

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ فَأَعْتَقْتُهَا فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ "آجَرَكِ اللَّهُ أَمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ"

(1690) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (ﷺ) से रिवायत है वह बयान करती हैं कि मेरी एक लौंडी थी, मैंने उसे आज़ाद कर दिया, फिर नबी (ﷺ) मेरे यहां तशरीफ़ लाये मैंने आपको बताया तो आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तुझे जज़ा दे, ताहम तू अगर उसे अपने मामूं को दे देती तो तेरे लिये ज़्यादा सवाब होता।'

तख़रीज : (सनद स़ही) नसाई, हदीस़: 4932, बुख़ारी, हदीस़: 2592, व मुस्लिम, हदीस़: 999.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ . فَقَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى

(1691) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने स़दक़ा करने का हुक्म दिया तो एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक दीनार है, आपने फ़रमाया: 'अपनी जान पर स़दक़ा कर' कहने लगा: मेरे पास दूसरा है। फ़रमाया: 'अपने बच्चे पर स़दक़ा कर।' कहने लगा मेरे पास एक और है। फ़रमाया: 'अपनी बीवी पर

وَلَدِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ " . أَوْ قَالَ " زَوْجِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ " . قَالَ عِنْدِي آخَرُ . قَالَ " أَنْتَ أَبْصَرُ " .

सदक़ा कर लफ़्ज़ (ज़ौजतिक) या (ज़ौजिक) फ़रमाया, कहने लगा: मेरे पास एक और है। फ़रमाया: 'अपने ख़ादिम पर सदक़ा कर।' कहने लगा मेरे पास एक और है। फ़रमाया: 'तू इसके मुताल्लिक बेहतर जानता है।' (कि कहां और किस पर ख़र्च करना है)।

(1691) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2536, मुसनद अहमद: 2/251, 471, इब्ने हिब्बान, हदीस: 828, हाकिम: 1/415.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपने आप पर और अपने अज़ीजों पर ख़र्च करने को नबी (ﷺ) ने 'सदक़ा' से तअबीर फ़रमाया है, यानी हुस्ने नियत की बिना पर इन लाज़मी अख़राजात पर भी इंसान अल्लाह के यहां सदक़े का सा सवाब पाता है। **(2)** और इस तर्तीब में 'अपनी जान' को अव्वलियत और अहमियत दी गई है क्योंकि इंसान की अपनी सेहत उम्दा और क़वी बहाल होंगे तो दूसरों के लिए भी कोई मेहनत मशक्क़त कर सकेगा। **(3)** घर वालों को भी इशारा है कि कस्ब व मशक्क़त की बिना पर शौहर और बाप को अव्वलियत और अफजलियत हासिल है। **(4)** और यही हुक्म उस ख़ातून का भी होगा जिसके कंधों पर घर का या बच्चों का ख़र्च आन पड़ा हो।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ الْخَيْوَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " .

(1692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इंसान के गुनाहगार होने के लिए यही (अमल) काफ़ी है कि जिनके रिज़्क़ व अख़राजात का ये ज़िम्मेदार हो, उन्हें ज़ाया कर दे।'

(1692) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 9177, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4226, हाकिम: 1/415, 4/500, 501.

फ़ायदा : यानी अपने बीवी बच्चे जिनके अख़राजात इसके ज़िम्मे हैं या वह लोग जो उसके ज़ेरे किफ़ालत हों जैसे वालिदैन या दीगर अज़ीज़ या नौकर, ख़ादिम और उसके ज़ेरे इन्तेज़ाम इदारे के

मुलाज़मीन जिनहें ये तन्ख़्वाह देता हो, इस क़िस्म के लोगों को उनके माली हुक़ूक़ न देना या कम देना, या बिला वजह ताख़ीर करके देना, या उनको छोड़कर दूसरों पर सदक़ा करते फिरना और उनका ख़्याल न रखना, उन्हें ज़ाया करने के मुतरादिफ़ (बराबर) है और गुनाह है। इन्सानों के अलावा ज़ेरे मिल्कियत जानवरों और परिन्दों के हुक़ूक़ मारने पर भी यही वईद है। इस मानी व मफ़हूम के साथ साथ इससे मुराद ये भी हो सकता है कि इन्सान जिसकी तरफ़ से उसको रिज़्क़ व ख़र्च मिल रहा हो उसको ज़ाया कर दे ... यानी अगर वह ख़िदमत का हक़दार है तो उसकी ख़िदमत न करे जैसे बीवी के लिए शौहर और औलाद के लिए बाप ... या उसका एहसानमंद न हो, जैसे भाई के लिए भाई। या ख़्वाहमख़्वाह इसमें ऐब जोई करते रहना, कोई गलती हो जाये तो दरगुज़र न करना वग़ैरह कि इन अस्बाब से इन्सान का वसीला रिज़्क़ ख़त्म हो जाये या उल्फ़त व मवद्दत और सिला रहमी के रवाबित ख़त्म हो जायें और उसे ज़ाया कर बैठे, तो ये गुनाह की बात है। रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़िदाहू अबी व उम्मी के इस क़िस्म के इरशादात आपके 'साहिबे जवामिअुल कलिम' होने की दलील है। (अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अलैहि)

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ، - وَهَذَا حَدِيثُهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ " .

(1693) हज़रत अनस (ﷺ) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिसे ये बात अच्छी लगती हो कि उसका रिज़्क़ फ़राख़ और उमर तवील (लम्बी) हो तो उसे चाहिए कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से मेल मिलाप रखे।'

(1693) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 2067, व मुस्लिम, हदीस: 2557.

फ़ायदा : अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का इल्म अटल है और उसने हर हर इन्सान की उमर और तक़दीर भी लिखी हुई है मगर जैसा कि उलमा ने लिखा है कि तक़दीर के दो पहलू हैं। एक वह इल्म जो क़तई है उसे 'तक़दीर मुबरम' कहते हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरा वह जिसमें अल्लाह ने कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों के साथ मशरूत (मुअल्लक़) रखा है। इसमें तब्दीली की गुंजाइश होती है जैसे फ़रिश्तों को बताया जाता है कि उस इन्सान की उमर साठ साल है लेकिन अगर वह सिला रहमी जैसे आमाले हस्ना करे तो उसकी उमर में इतना मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया जाये। जैसे उसकी उमर नव्वे साल कर दी जाये। इसे तक़दीरे मुअल्लक़ कहते हैं और ये भी पहले ही से अल्लाह के इल्म में होती है। और अगर बंदा ये आमाल न करे तो इज़ाफ़ा नहीं किया जाता और ये भी रब तआला के इल्म में होता है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ أَنَا الرَّحْمَنُ وَهِيَ الرَّحِمُ شَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي مَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهُ " .

(1694) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना आप फ़रमाते थे: 'अल्लाह तआला फ़रमाता है: मैं रहमान हूं (बेइन्तेहा रहम करने वाला) और ये क़राबतदारियाँ जिसे कि (रहिम) कहते हैं, इसका लफ़्ज़ मैंने अपने नाम से निकाला है, तो जो अपने अज़ीज़ क़राबतदारों से मेल जोल रखता है (सिलारहमी करता है) मैं उस से जुड़ता हूं और जो उसको काटता और तोड़ता है मैं उससे कट जाता हूं।'

(1694) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1907, इब्ने अबी शैबा: 8/347, 348.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلاَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ الرَّدَّادَ اللَّيْثِيَّ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ .

(1695) मुहम्मद बिन मुतवक्किल अस्क़लानी की सनद से मरवी है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ़(ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना। और पिछली हदीस के हम मानी रिवायत किया।

(1695) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, हदीस: 1/194, अब्दुर्रज़्ज़ाक, हदीस: 20234, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2033.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ "

(1696) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ﷺ) से मरवी है, वह नबी (ﷺ) से बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'क़तअ रहमी करने वाला जन्नत में दाख़िल नहीं होगा।'

(1696) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5984, व मुस्लिम, हदीस : 2556.

حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، وَفِطْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، - قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُلَيْمَانُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَهُ فِطْرٌ وَالْحَسَنُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ هُوَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا " .

(1697) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मरवी है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बदले में मेल मिलाप करने वाला सिला रहमी करने वाला नहीं है, बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है जो तोड़े जाने वाले रिश्ते को जोड़े।'

(1697) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 5991.

फ़ायदा : महज़ अदले बदले में अज्र नहीं। लेकिन अगर अल्लाह के लिये बदला दे तो इंशाअल्लाह अज्र और फ़ज़ीलत का काम है। (एहसान का बदला एहसान ही है) (रहमान: 20) और सिला रहमी पर जिस अज्र व फ़ज़ीलत का वादा किया गया है वह इस सूरत में है कि बंदा जब बुनियादी तौर पर अल्लाह पर ईमान और नबी (ﷺ) की सुन्नत पर अमल से मौसूफ़ हो।

(47) بَابٌ فِي الشُّحِّ

बाब : 47 हिर्स (लालच) व बुख़्ल की मज़म्मत (निंदा)

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا "

(1698) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा दिया और फ़रमाया: 'अपने आप को हिर्स व बुख़्ल से बचाओ तुमसे पहले के लोग इसी वजह से हलाक हूए (हिर्स ने) उनको हुक्म दिया तो वह बुख़्ल करने लगे, क़तअ रहमी का हुक्म दिया तो क़राबत तोड़ ली और बदकारी का हुक्म दिया तो बदकारी करने लगे।'

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/159, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1580; हाकिम: 1/415.

फ़ायदा : अरबी लुग़त में (शूह) उस मुरक्कब सिफ़त को कहते हैं जिसमें लालच और बुख़्ल (कन्जूसी) दोनों जमा हों। और ये महज़ बुख़्ल से ज़्यादा मज़मूम है कि ख़र्च के मक़ाम पर ख़र्च न करे बल्कि लेने का लालची बना रहे, और फिर अज़ीज़ ताल्लूक़दारों में ये कैफ़ियत और भी क़ाबिले मज़म्मत है।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَتْنِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي شَىْءٌ إِلاَّ مَا أَدْخَلَ عَلَىَّ الزُّبَيْرُ بَيْتَهُ أَفَأُعْطِي مِنْهُ قَالَ " أَعْطِي وَلاَ تُوكِي فَيُوكِيَ عَلَيْكِ " .

(1699) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (ﷺ) बयान करती हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मेरे पास बस वही होता है जो (मेरे शौहर) ज़ुबैर घर में ले आयें। तो क्या मैं उससे दे दिया करूं? आपने फ़रमाया: '(अस्मा!) दो और बाँध बाँध कर मत रखो, वरना तुम पर भी (तुम्हारा रिज़्क़) बाँध दिया जायेगा।'

(1699) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1960, बुख़ारी, हदीस: 1433, व मुस्लिम, हदीस: 1029.

फ़ायदा : यानी घर में से आम मअमूलात के मुताबिक़ जैसे कि ख़्वातीन घर की अमीन होती और उसका इन्तेज़ाम चलाती हैं, जो थोड़ा बहुत मयस्सर हो सदक़ा कर दिया करो ... इसकी बहुत बरकतें हैं, जबकि बख़ीली (कन्जूसी) एक नहूसत है। 'बाँध बाँध कर मत रखो' का मतलब यही है कि बुख़्ल से काम मत लो।

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ عِدَّةً مِنْ مَسَاكِينَ - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ غَيْرُهُ أَوْ عِدَّةً مِنْ صَدَقَةٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعْطِي وَلاَ تُحْصِي فَيُحْصِيَ عَلَيْكِ "

(1700) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने कई मसाकीन को शुमार किया ... या कई सदक़ात गिनवाये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे फ़रमाया: '(आयशा!) दो और गिनो नहीं, वरना तुम्हें भी गिन गिन कर दिया जायेगा।'

(1700) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/108.